



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 494]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 15, 2016/आषाढ़ 24, 1938

No. 494]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 15, 2016/ASADHA 24, 1938

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2016

सा.का.नि. 701(अ).—केन्द्रीय सरकार, आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) की धारा 44 के साथ पठित धारा 5, धारा 9, धारा 10, धारा 11, धारा 12, धारा 13, धारा 16, धारा 17, धारा 18, धारा 21 और धारा 41 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और आयुध नियम, 1962 को उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

अध्याय 1**साधारण**

1. **संक्षिप्त नाम.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयुध नियम, 2016 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **परिभाषाएं—** (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (1) “अधिनियम” से आयुध अधिनियम 1959 (1959 का 54) अभिप्रेत है ;
 - (2) “वायु शस्त्र” से ऐसी युक्ति अभिप्रेत है जो संपीडित वायु या अन्य गैस के दबाव के अधीन किसी नाल से प्रक्षेप्य किया जाता है किंतु जिसके अंतर्गत ऐसा करने के लिए कोई विस्फोटक प्रयोग नहीं किया जाता है ;
 - (3) “पुरातत्व लघु आयुध” से 1899 से पूर्व विनिर्मित अग्रायुध अभिप्रेत है ;
 - (4) “अपील प्राधिकरण” से नियम 105 में निर्दिष्ट अपीलीय प्राधिकरण अभिप्रेत है ;
 - (5) “प्राधिकारी” या “अधिकारी” से जहां इन नियमों में अन्यथा विनिर्दिष्ट उपबंध है, के सिवाय जिला मजिस्ट्रेट या ऐसा अन्य अधिकारी जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया जाता है ;
 - (6) “स्वचालित” से कोई लघु आयुध या हल्के शस्त्र अभिप्रेत है जो कि प्रत्येक प्रक्षेपण के पश्चात् पुनः ऐसा शस्त्र सभी आवश्यक प्रक्रमों को स्वतः क्रिया करके पुनः गोलाबारी के लिए तैयार हो जाता है ; और गोलाबारी तबतक के लिए

जारी रहता है तब तक कि ट्रिगर (या अन्य सक्रियकरण युक्ति) अवनत बना रहती है (माना जाता है कि गोला बारूद शेष रहता है और उसके जाम होने की घटना ही नहीं होती है) तथा कोई स्वचालित आयुध फायर चैंबर से खाली कारतूस को निकालने और फायर कारतूसों से ऊर्जा के किसी भाग के उपयोग के लिए और उसको आयुध से निकालने, फायर क्रियाविधि को पुनः काकन करने और फायर चैंबर में पुनः भरणयुक्त या मेगजीन से गोलाबारूद के नए राउंड को भरण करने तथा यदि ट्रिगर या अन्य संक्रियति युक्ति अवनमित है, फायर पिन स्वतः नए फायर चक्र के प्रारंभ को निर्मुक्त कर देगी ;

- (7) “फोका कारतूस” से किसी गोली या कोई अन्य प्रक्षेप्य के बिना कारतूस अभिप्रेत है ;
 - (8) “फोका फायर अग्रायुध” से किसी फोका कारतूस को फायर करने के लिए सक्षम अग्रायुध अभिप्रेत है ;
 - (9) “गोली” से कारतूस का शंकु शीर्ष अभिप्रेत है जो सामान्यतः शीशे या तांबे का बना होता है, वह विस्फोटक प्रभार या संपीडित वायु या अन्य गैस के माध्यम से नाल या सिलेंडर से बाहर निकालता है ;
 - (10) “अंशाकन” से इंच या मिलीमीटर या भूमैट्रिक परिधि में नाप की गई किसी अग्रायुध के नाल की नली के आंतरिक व्यास या नालछिद्र अभिप्रेत है ;
 - (11) “वहन करना” से लघु आयुध जिसमें किसी एक व्यक्ति की सामीप्य पर या उसके बारे में या उसको रखना अभिप्रेत है ;
 - (12) “कारतूस” से किसी कारतूस खोल प्राइमर, प्रणोदी, गोली या कोई एकल या बाहुल्य प्रक्षेप्य से बनी एक पूर्ण वस्तु अभिप्रेत है ;
 - (13) “चार्टर्ड अकाउंटेंट” से चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में यथा परिभाषित चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिप्रेत है जो उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन व्यवसाय के लिए विधिमान्य प्रमाणपत्र रखता है ;
 - (14) “कंपनी” का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 33 के अधीन स्पष्टीकरण में है ;
 - (15) अग्रायुध का “संपरिवर्तन” से किसी अग्रायुध के अंशाकन या नालछिद्र में स्थायी परिवर्तन से संदर्भ है और जिसके अंतर्गत किसी नाल को हटाने या पुनः संरेखण करना या पुनः भेदन करना जो किसी चैंबर को समग्र या पृथक् रूप रखता है, सिलेंडर के परिवर्तन और/या नली या उससे संबंधित भाग तथा कार्रवाई के विन्यास में परिवर्तन या किसी अग्रायुध की क्रियाविधि में परिवर्तन किंतु इसके अंतर्गत किसी अनुज्ञेय प्रवर्ग के अग्रायुध को निषिद्ध प्रवर्ग के अग्रायुध में परिवर्तन नहीं है ;
 - (16) “सैनिक उपयोग के लिए” रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा नियत विनिर्देश के अनुसार विनिर्मित या संरूपण से किसी अग्रायुध या गोला बारूद (लघु आयुध और हल्के हथियार से भिन्न) अभिप्रेत है ;
 - (17) “दुर्लभ वस्तु” से वर्तमान तारीख से कम से कम पचास वर्ष पूर्व विनिर्मित या किसी सरकारी विनियमित संग्रहालय के किसी संग्रहालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित लघु आयुध अभिप्रेत हैं या उक्त युक्ति की कम से कम उसकी धनीय मूल्य का कम से कम आधा है तथा यह है कि यह एक विलक्षण या दुर्लभ, अनोखा या किसी ऐतिहासिक व्यक्ति, अवधि या घटना से सहबद्ध है या जिसके अंतर्गत कोई पुरातत्व लघु आयुध भी है ;
 - (18) “निष्क्रियकरण” से किसी विस्फोटक कार्रवाई द्वारा किसी गोला, गोली, मिसाइल या कोई अन्य प्रक्षेप्य को बाहर फेंकने या उसे छोड़ने में सक्षम किसी लघु आयुध या हल्के शस्त्र को प्रस्तुत करना अभिप्रेत है और जिसे तत्काल अपनी मूल क्षमता में परिवर्तित नहीं किया जा सकता तथा वह उसे किसी प्रत्यायित गन बनाने वाले या किसी सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा निष्क्रिय के रूप में प्रमाणित या चिह्नित किया गया है ;
- स्पष्टीकरण – निष्क्रियकरण से अपेक्षित है कि लघु आयुध या हल्के अग्रायुध के सभी दाब रखने वाले सभी अवयव इस तरह से स्थायी रूप से परिवर्तित कर दिए जाए कि अग्रायुध उपयोग करने योग्य न रहे और जिसके अंतर्गत नाल, काबला, सिलेंडर, संपर्क फायरिंग पिन और अभिग्राही या फ्रेम का उपांतरण भी है ।
- (19) “व्यवहारी” से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो व्यापार या कारबार, क्रय, विक्रय, परीक्षण (पूर्ण परीक्षण से भिन्न), निर्यात, आयात या अंतरण या विक्रय के लिए रखने या आयुध या गोला बारूद परीक्षण (पूर्ण परीक्षण से भिन्न) के

द्वारा लगा है और जिसके अंतर्गत भारतीय खेल प्राधिकरण (भा.खे.प्रा.), नेशनल राईफल एसोसिएशन आफ इंडिया (ने.रा.ए.इ.) और ने.रा.ए.इ. से सहबद्ध स्टेट राईफल एसोसिएशन या ने.रा.ए.इ. की सहबद्ध इकाईयां भी हैं ;

(20) “समर्पित खेल व्यक्ति” से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो सक्रिय रूप से खेल निशानेबाजी में भाग लेता है और जो किसी निशानेबाजी प्रत्यायित खेल निशानेबाजी संगठन का सदस्य है ;

(21) “इलैक्ट्रॉनिक नियोग्यता कारक युक्ति” से संपीडित गैस द्वारा प्रणोदी इलैक्ट्रोड प्रक्षेपी फायर करने के लिए कोई सक्षम इलैक्ट्रॉनिक युक्ति अभिप्रेत है जो मुख्य इकाई से या किसी सुचालक तार द्वारा युक्ति से जुड़ा रहता है और लक्ष्य को अस्थायी रूप से तंत्रिका पेशी को असमर्थ कारित करता है ;

(22) “सरकारी आयुध” से कोई अग्रायुध या कोई अन्य हथियार अभिप्रेत है जो सरकार की संपत्ति है ; और

“सरकारी गोला बारूद” से ऐसे किसी सरकारी कारखाने में विनिर्मित या नागरिक उपयोग के लिए सरकार द्वारा निर्मुक्त ऐसा गोला बारूद से भिन्न सरकार के लिए तैयार और उसे प्रदाय गोला बारूद अभिप्रेत है ;

(23) “बंदूक बनाने वाला” से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो अग्रायुध की छोटी या बड़ी मरम्मत के कार्य को करता है और अनुज्ञप्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के अधीन किसी अग्रायुध के अंशाकन या नली की लंबाई में परिवर्तन कर सकेगा या ऐसे अन्य कार्यों को कर सकेगा जो अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए ;

(24) “हस्त बंदूक” से ऐसा छोटा ढांचा अभिप्रेत है जिसका कोण और लघु हथुथे के साथ नली की पंक्ति से नीचे विस्तारित है कि जिसे एक हाथ से पकड़ने के लिए और फायर करने के लिए डिजाइन किया गया है तथा जिसके अंतर्गत पिस्टल और रिवाल्वर भी हैं ;

(25) “अभिवहन में” से अग्रायुध या गोला बारूद जो आयातित है, के किसी अन्य देश को भारत के माध्यम से प्रवहन अभिप्रेत है ;

(26) “अग्रायुध” प्रतिकृति” से कोई वस्तु किसी अग्रायुध की सदृश्य डिजाइन की हुई कोई वस्तु अभिप्रेत है जिससे कि सभी प्रायोगिक प्रयोजनों के लिए यह प्रतीत हो कि वह वास्तविक है और जिसे निष्क्रिय बना दिया गया है ;

(27) “प्ररूप” से इन नियमों की अनुसूची 3 में दिया गया कोई प्ररूप अभिप्रेत है ;

(28) “हल्के हथियार” से किसी कर्मिंदल के रूप में सेवारत दो या तीन व्यक्तियों द्वारा उपयोग के लिए डिजाइन किया गया मनुष्यों द्वारा वहनीय हथियार अभिप्रेत है (यद्यपि उसे एक व्यक्ति द्वारा भी वहन या उपयोग किया जा सकता है) कि वह निष्कासित या छोड़ा जाता है, निष्कासित या छोड़े जाने के लिए डिजाइन किया गया है या किसी विस्फोटक क्रिया द्वारा किसी गोले, गोली या प्रक्षेप्य को निष्कासित करने या छोड़ने को त्वरित रूप से परिवर्तित किया जा सकेगा जिसके साथ-साथ भारी मशीनगन, नली के अधीन हाथ में पकड़ने वाली और आरूढ़ ग्रेनेड प्रमोदित, वहनीय, विमान मेदी तोप स्कीम, प्रतिक्षेप रहित राईफल, टैंकरोधी मिसाइल और राकेट प्रमोदित वहनीय प्रणाली, विमान मेदी तोप मिसाइल वहनीय प्रमोदित प्रणाली, सौ मिलीमीटर से कम किसी अंशाकन के मोटार के साथ-साथ उनके पुर्जे, घटक और गोला बारूद भी हैं ;

(29) “मुख्य अग्रायुध घटक” से किसी अग्रायुध की नली, फ्रेम, स्लाइड, बोल्ट या ब्रीच ब्लॉक अभिप्रेत है ;

(30) “विनिर्माता” से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो अग्रायुध के विनिर्माण, विक्रय, परीक्षण (प्रमाण परीक्षण से भिन्न), निर्यात, आयात या अंतरण या विक्रय के लिए रखने या अग्रायुध उनके पुर्जों, घटकों या या गोला बारूद या अग्रायुध से भिन्न कोई आयुध के परीक्षण (प्रमाण परीक्षण से भिन्न) में लगा है ;

(31) “विनिर्माण” से निम्नलिखित का निर्माण करना, उत्पादन करना या संयोजित करना अभिप्रेत है :-

- (i) कोई पूर्ण अग्रायुध ;
- (ii) किसी अग्रायुध के दबाव धारण करने वाले भाग या अवयव (उदाहरणार्थ नली, स्लाइड, सिलेंडर, बोल्ट, ब्रीचलॉक, फायर पिन, आदि) ;
- (iii) अग्रायुध के लिए गोला बारूद ;

- (iv) किसी अग्रायुध से भिन्न कोई आयुध, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित है-
- (i) किसी निष्क्रिय अग्रायुध को पुनः सक्रिय करना ; और
 - (ii) किसी अग्रायुध के प्रत्ययों को सारतः उपांतरित करना (जैसे पूर्ण स्वचालित में संपरिवर्तन) किंतु जिसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है -
 - (i) किसी अग्रायुध की मरम्मत, पुनर्स्थापन, अनुरक्षण या कोस्मेटिक परिवर्धन या उपांतरण ; या
 - (ii) किसी गोला बारूद का वाणिज्यिक पुनः लदाई ;
- (32) “चिह्नांकन” से अग्रायुधों, गोला बारूद और गोला बारूद की पैकिंग पर स्थायी उत्कीर्ण अभिप्रेत है जिससे उनकी पहचान अनुज्ञात हो सकें ;
- (33) “नाल मुख ऊर्जा” से किसी प्रक्षेपित की गतिज ऊर्जा अभिप्रेत है जैसे यह किसी अग्रायुध की नली से बाहर निकलती है और इसे जूलस या फुट-पाउंड में अभिव्यक्ति किया जाता है ;
- (34) “एनडीएल” से शस्त्र अनुज्ञप्तियों का राष्ट्रीय डाटा बेस अभिप्रेत है ;
- (35) “पेंट बाल” से ऐसा प्रक्षेपित्र (गोलाकार जिलेटिन कैप्सूल) अभिप्रेत है जो मुख्यतः जल में घुलनशील अविषैले पदार्थों से और रंजक से मिलकर बना है जिसे किसी व्यक्ति या वस्तु को चिह्नांकित करने के लिए डिजाइन किया गया है ;
- (36) “पेंट-बाल चिह्नक या पेंट-बाल बंदूक” से ऐसी युक्ति अभिप्रेत है जो पेंट बालों को गैस के फैलने या वायु के संपीड़न के माध्यम से दागने में सक्षम है चाहे उसे यांत्रिक रूप से या वैद्युत-न्यूमैटिकली रूप से प्रचालित किया जाए ;
- (37) “हिस्से और संघटक” से ऐसा कोई तत्व या प्रतिस्थापन तत्व अभिप्रेत है जिसे विनिर्दिष्ट रूप से किसी अग्रायुध के लिए डिजाइन किया गया है और वह उसके प्रचालन के लिए अनिवार्य है तथा इसके अंतर्गत कोई नाल, फ्रेम या रिसीवर, स्लाइड या सिलेंडर, बोल्ट या ब्रीच ब्लॉक और कोई युक्ति जिसे दागने के द्वारा कारित किसी ध्वनि के समरूप होने के लिए या उसे कम करने के लिए डिजाइन किया गया है, सम्मिलित है ;
- (38) “पिस्टल” से उसके अभिन्न भाग के रूप में चैंबर सहित या नली के समरूप स्थायी रूप से उसके भाग सहित कोई हस्तगन अभिप्रेत है ;
- (39) “पत्तन” के अंतर्गत कोई समुद्री पत्तन, कोई विमानपत्तन और कोई भूमि पत्तन सम्मिलित है ;
- (40) “रिम रहित” से कोई कारतूस अभिप्रेत है जहां रिम का वही न्यास है जो उसके केस का है तथा जिसका उपयोग अग्रायुध में किसी बाक्स मैगजीन से फीड के रूप में किया जाता है ;
- (41) “रिम युक्त कारतूस” से ऐसा रिम युक्त कारतूस अभिप्रेत है जहां रिम का व्यास महत्वपूर्ण रूप से कारतूस के आधार से अधिक है और रिम चैंबर में समुचित गहराई पर कारतूस को धारण करने में इस्तेमाल किया जाता है ;
- (42) “रिवाल्वर” से ब्रीच लोडिंग, चैंबर युक्त सिलेंडर के साथ कोई हस्तगन अभिप्रेत है जिनका इस प्रकार प्रबंध किया जाता है कि हथौड़ा मारने या ट्रिगर को दबाने से सिलेंडर घूमता है और अगले कारतूस को दग्ध करने के लिए नाल की सीध में ले आता है ;
- (43) “मरम्मत” से अग्रायुध की गौण या प्रमुख मरम्मत अभिप्रेत है -
- ‘लघु मरम्मत’ के अंतर्गत निम्नलिखित है-
- (i) सफाई और पुनः फिनिशिंग करना, सिलिंग्स फिक्स करना, रिक्वाइलपैड, पूर्व फैब्रीकृत स्टॉक का प्रतिस्थापन, साधारण उपसाधन, परिरक्षक पैकेजिंग करना और अग्रायुध और उसके संघटकों से सही या सुरक्षित कार्यकरण का सुनिश्चित करना ;

- (ii) अनुरक्षण और सुरक्षित कार्यकरण के प्रयोजन के लिए किसी अग्रायुध (जिसके अंतर्गत नाल या रिसीवर या फ्रेम या ब्रीच बॉडी या बोल्ट नहीं है) के पुराने क्षतिग्रस्त, टूटे-फूटे, खराब हुए या छोड़े गए भाग की फैब्रीकेशन या प्रतिस्थापन ;
- (iii) स्टॉक, ग्रिप (बट्ट स्टॉक) और अन्य भागों का चिह्नांकन तथा प्रतिस्थापन ;
- (iv) पूर्ण की गई नाल कार्रवाई, फैब्रीकेशन, फिटिंग या आण्टिक का समायोजन, साइट और अन्य संघटक आदि के कार्य को करने के माध्यम से अग्रायुध की सटीक कार्रवाई या सुरक्षित कार्यकरण का सुनिश्चय करना जिसके अंतर्गत परीक्षण फायरिंग भी है ;
- (v) उप साधनों का निर्माण और प्रतिस्थापन तथा फैब्रीकेटेड भागों को ठूल करना ।

‘प्रमुख मरम्मत’ द्वारा महत्वपूर्ण भागों के प्रचालनों की प्रमुख और गौण गहन मशीनीकरण की अपेक्षा है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित है-

- (i) मरम्मत या संपरिवर्तन के प्रयोजन के लिए महत्वपूर्ण भागों पर कार्य करना जिसके अंतर्गत नाल और एक्शन (नाल का पुनः बोरिंग करना या पुनः चैम्बरिंग करना या पुनः प्रतिस्थापन करना या नाल को पुनः बनाना, रिसीवरों या फ्रेमों, बोल्ट, स्लाइड, सिलेंडर, ब्रीच आदि और अन्य संघटकों की पुनः मशीनिंग करना) शामिल है ;
 - (ii) ट्रिगरों, सेफ्टी का लघुकरण, संपरिवर्तन और उन पर कार्य करना तथा अग्रायुधों की साधारण सुरक्षा जांच जिसके अंतर्गत मरम्मत किए गए या संपरिवर्तित किए गए अग्रायुधों को दागना या उनकी जांच करना सम्मिलित है ।
44. “उत्तरदायी व्यक्ति” से किसी कंपनी की दशा में कंपनी द्वारा आयुधों की अनुज्ञप्ति के आवेदन में नामनिर्दिष्ट व्यक्ति अभिप्रेत है ;
45. “राइफल” से लघु शस्त्र अभिप्रेत है जिसे किसी विस्फोटक कार्रवाई के माध्यम से राइफल के नाल से कंधे का सहारा लेते हुए और दोनों हाथों से पकड़ कर एकल प्रक्षेपित्र छोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है ;
46. “अनुसूची” से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ;
47. “चयनित फायर” से किसी छोटे शस्त्र या हल्के आयुध की क्षमता अभिप्रेत है जिसे निम्नलिखित माध्यम से दो या अधिक तरीके से फायर करने के लिए समायोजित किया जा सकता है :
- (i) अर्ध स्वचालित (अर्थात् एक बार ट्रिगर दबाने पर एक शॉट) ;
 - (ii) बहु शॉट बस्ट (अर्थात् एक बार ट्रिगर दबाने पर निश्चित संख्या में शॉट) ; या
 - (iii) स्वचालित (अर्थात् ट्रिगर को दबाए रखने पर लगातार फायर) ।
- (48) “स्वतः भरण” से अर्धस्वचालित अभिप्रेत है ;
- (49) “अर्ध स्वचालित” से ऐसा छोटा शस्त्र या लघु आयुध अभिप्रेत है जो एक बार चलाने पर स्वतः आयुध को दोबारा चलाने के लिए सभी आवश्यक प्रस्तरों को पूरा करता है किंतु जिसे गोला बारूद के प्रत्येक राउंड को चलाने के लिए ट्रिगर को पृथक् रूप से दबाने की आवश्यकता होती है ;
- (50) “शॉटगन” से छोटा शस्त्र अभिप्रेत है जिसे विस्फोट के माध्यम से सपाट बोर्ड नाल के माध्यम से कंधे की सहायता से दोनों हाथों से पकड़ कर शॉट या एकल प्रक्षेपित्र छोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है ;
- (51) “लघु शस्त्र” से मानव-सुवाह्य आयुध अभिप्रेत है जिसे व्यक्ति उपयोग (12.7मिलीमीटर कैलीबर तक) के लिए डिजाइन किया गया है जो गोली छोड़ता है या दागता है और उसे छोड़ने या दागने के लिए डिजाइन किया गया है या जिसे तैयार रूप से किसी शॉट, गोली या प्रक्षेपित्र को किसी विस्फोटक कार्रवाई के माध्यम से छोड़ने या दागने के लिए संपरिवर्तित किया जा सकता है और इसके अंतर्गत अन्य के साथ रिवाल्वर और सेल्फ लोडिंग पिस्टल, राइफल और कार्बाइन, सब-मशीनगन, असाल्ट राइफल और हल्की मशीनगनों के

साथ उनके हिस्से, संघटक और गोला बारूद शामिल है किंतु इसके अंतर्गत पुरातन लघु आयुध और अग्न्यायुध की प्रतिकृति शामिल नहीं है।

टिप्पण:

शॉटगन, क्रीडा राइफलें और नालमुख लोडिंग ब्लैच पाउडर अग्न्यायुध तथापि 12.7 मिलीमीटर कैलीबर के अधिक के हों, भी लघु आयुधों के अधीन आते हैं;

- (52) “क्रीडा के लिए निशानेबाजी” से प्रतिस्पर्धी और मनोरंजन क्रीडाएं अभिप्रेत हैं जिसमें अग्न्यायुधों, गोलाबारूद और लक्ष्यों के अनुज्ञेय प्रवर्ग का इस्तेमाल करते हुए दक्षता जांच (सटीकता और गति) अंतर्बलित है;
- (53) “धारा” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;
- (54) “व्यापार अंतरण” से किसी विनिर्माता और किसी व्यौहारी के बीच या किसी व्यौहारी और अन्य व्यौहारी के बीच कारबार के सामान्य प्रक्रम में आयुधों या गोला बारूद का विक्रय या अंतरण अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत किसी पारेषण के आधार पर विक्रय या अंतरण भी है;
- (55) “उतारना” से कोई नोदक, प्रक्षेपित्र या कारतूस अभिप्रेत है जिसे किसी अग्न्यायुध से चलाया जा सकता है जो किसी अग्न्यायुध के ब्रीच या फायरिंग चैंबर में और न ही किसी अग्न्यायुध से संबद्ध कारतूस, मैगजीन या सिलेंडर में अंतर्विष्ट है या किसी अग्न्यायुध में अंतःस्थापित है;
- (56) “अग्न्यायुध का उपयोग” के अंतर्गत प्रदर्शन करना, निशाना लगाना के साथ-साथ किसी अग्न्यायुध के कार्यशील भागों से छेड़छाड़ सम्मिलित है किंतु इसके अंतर्गत साफ करना या अनुरक्षण करना नहीं है;
- (57) “वि.पं.स.” से इन नियमों के अधीन किसी अनुज्ञप्ति के लिए एनडीएल द्वारा सृजित विशिष्ट पहचान संख्या अभिप्रेत है;
- (II) शब्द और पद जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं का क्रमशः वहीं अर्थ होगा जो उनका अधिनियम में है।

3. **आयुधों और गोलाबारूद का वर्गीकरण** – अधिनियम के और इन नियम के प्रयोजनों के लिए आयुध और गोलाबारूद अनुसूची 1 के क्रमशः स्तंभ 2 और स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के होंगे तथा इन नियमों में आयुधों या गोलाबारूद के किसी प्रवर्ग के प्रतिनिर्देश का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।

4. **अग्न्यायुधों से भिन्न आयुधों के लिए अनुज्ञप्ति और धारा 4 का लागू होना** – (1) जब तक कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निदेश दे, अनुसूची 1 के प्रवर्ग 5 के आयुधों के विनिर्माण, विक्रय, विक्रय के लिए कब्जे के लिए सिवाय धारा 4 के अधीन अधिसूचित क्षेत्रों के कोई अनुज्ञप्ति अपेक्षित नहीं होगी।

(2) अधिनियम की धारा 4 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी क्षेत्र में, उस क्षेत्र में ऐसे वर्ग या विवरण जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, में हथियारों के अर्जन, कब्जे या ले जाए जाने के लिए अनुसूची 2 में यथाउपबंधित अनुसार अनुज्ञप्ति ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो उन नियमों में, उस अनुसूची में और अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट की जाए, अनुदत्त की जा सकेगी या उस पर नवीकरण किया जा सकेगा।

अध्याय 2

अनुज्ञापन प्रक्रिया

5. **अनुज्ञापन प्राधिकारी** – अधिनियम के अध्याय 2 के अधीन अनुज्ञप्तियां ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो इन नियमों, उस अनुसूची और अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे प्रयोजनों के लिए, ऐसे प्राधिकारियों द्वारा और ऐसे प्रारूपों में अनुदत्त की जा सकेगी या उनका नवीकरण किया जा सकेगा और वह ऐसी अवधि के लिए ऐसे क्षेत्रों में विधिमान्य होंगी जो अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट हैं:

परंतु अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुदत्त या नवीकृत अनुज्ञप्तियों पर उस प्राधिकारी के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जा सकेंगे जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट रूप से सशक्त किया जाए।

6. **अनुसूची 1 के प्रवर्ग 1 के आयुधों के अर्जन, कब्जे या उनके वहन के लिए अनुज्ञप्तियां अनुदत्त करने पर निबंधन** – अनुसूची 1 के प्रवर्ग 1(ख) या 1(ग) में विनिर्दिष्ट आयुधों या गोलाबारूद को अर्जित करने, रखने या ले जाने के लिए कोई अनुज्ञप्ति अनुदत्त नहीं की जाएगी, यदि उन्हें भारत में विधिक रूप से विनिर्मित नहीं किया गया है या भारत में विधिक रूप से नहीं

रखा गया है अथवा विधिक रूप से आयात नहीं किया गया है या भारत में केंद्रीय सरकार की स्वीकृति से आयात नहीं किया जा रहा है।

7. **अनुज्ञप्ति प्राधिकारियों द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देना--** (1) अनुसूची 1 के प्रवर्ग 1(ख) या 1(ग) में विनिर्दिष्ट आयुधों या गोलाबारूद के लिए अनुदत्त प्रत्येक अनुज्ञप्ति की प्रति तुरंत उस स्थान के जिला मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी जिसमें आयुध या गोलाबारूद रखा जाना है।

(2) जिला मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किसी प्ररूप में अनुदत्त अन्य प्रत्येक अनुज्ञप्ति की प्रति तुरंत उस क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी जिसमें अनुज्ञप्ति धारी का कारबार या आवास स्थित है।

(3) उपनियम (1) और उपनियम (2) के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्तियों की सूचना उस स्थान पर अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट को एनडीएएल प्रणाली के माध्यम से भेजी जाएगी जिसमें अनुज्ञप्ति धारी का कारबार का स्थान या आवास स्थित है।

8. **कतिपय प्रयोजनों के लिए आयुधों या गोलाबारूद के कब्जे में उनके उपयोग को शामिल करना –** निम्नलिखित आयुधों या गोलाबारूद का प्रत्येक के सामने वर्णित प्रयोजनों के लिए कब्जे में ऐसे प्रयोजनों के लिए उनका उपयोग केवल तभी शामिल है जब ऐसे उपयोगों, ऐसे किन्हीं आयुधों या गोलाबारूद का विनिर्माण (जिसके अंतर्गत विस्फोटक और आतिशबाजियां शामिल हैं) अंतर्वलित नहीं है :-

(क) नाटकीय प्रस्तुति, ऐतिहासिक घटनाओं की पुनरावृत्ति, ऐतिहासिक अनुसंधान (जिसके अंतर्गत प्रस्तुति का मूल्यांकन है), चलचित्र या टेलीविजन निर्माण या दौड़ आरंभ करने के लिए या दौड़-कूद स्पर्धा के लिए संकेतक और सुरक्षा उपस्कर जिसके अंतर्गत संकेत प्रदीप्त गन, रेखीय क्षेपण गन और हिमधावी तोप आदि के लिए आयुध ;

(ख) गोला बारूद जिसके अंतर्गत सदभावी औद्योगिक, कृषि या चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए गंधक और क्लोरेट भी है, के संघटक।

9. **कतिपय मामलों में केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्बंधन-** राज्य से बाहर प्रभाव देने के लिए कोई अनुज्ञप्ति जिसे वह प्रदान करता है ऐसे निर्बंधनों के अधीन होगी जिसे केन्द्रीय सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा अधिरोपित कर सकेगी।

10. **अग्नायुध के सुरक्षित उपयोग और भंडारण –** (1) प्रत्येक आवेदन प्ररूप 2, प्ररूप 3 और प्ररूप 4 में अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करेगा या कोई राइफल क्लब या संगम या ऐसे क्लब, संगम या फायर रेंज द्वारा नियोजित कोई कर्मचारिवृंद प्ररूप 5 में अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करें ; या विनिर्माता या व्यवहारी या बंदूक बनाने वाला प्ररूप 7, प्ररूप 8, प्ररूप 9 या प्ररूप 9क में अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करेंगे, आयुध और गोला बारूद की पूर्ण सुरक्षा, प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम की अपेक्षा होगी जिसके अंतर्गत निम्नलिखित है –

(क) मूल आयुध और गोला बारूद सुरक्षा व्यवहार जिसके अंतर्गत सुरक्षित हथालन और वहन प्रक्रियाएं भी है ;

(ख) फायर करने की तकनीक और प्रक्रिया ;

(ग) अग्नायुध और गोला बारूद की देखरेख ;

(घ) आयुध और गोला बारूद का सुरक्षित भंडारण और परिवहन ;

(ङ) अधिनियम और उसके नियमों के महत्वपूर्ण उपबंधों की युक्तियुक्त कार्यकारी ज्ञान ; और

(च) आयुध स्वामी या उपयोगकर्ता के उत्तरदायित्व विशिष्टतया बालकों के संबंध में।

(2) नियम 39 के अधीन अनुज्ञप्ति रखने वाले प्रत्यायित प्रशिक्षण या मुख्य प्रत्यायित प्रशिक्षक द्वारा संचालित उपनियम (1) के अधीन सुरक्षा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जो प्ररूप ध-1 में आवेदक को प्रमाणपत्र उक्त पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर जारी करेगा।

(3) केन्द्रीय सरकार, उपनियम (1) में यथा अभिकथित सुरक्षा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की प्रभावी तारीख और अवधि इस संबंध में किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा अधिसूचित की जाएगी।

(4) प्ररूप 2, प्ररूप 3 और प्ररूप 4 में अनुज्ञप्ति के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित होंगे -

(क) लिखित वचनबंध कि आवेदक जोखिम को न्यूनतम करने के क्रम में, अग्नायुध को निश्चित रूप से और सुरक्षापूर्वक किसी तिजोरी या लोहे की अलमारी में भंडारण की क्षमता रखता है कि जिससे कि वह अनुज्ञप्तिधारी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चुराया या पहुंच में न हों ; और

(ख) अग्रायुध (अपविस्फोटक दशा में) और उसका गोला बारूद के भंडारण के सुरक्षित भंडारण के व्यवसाय का और प्ररूप ध-2 में अग्रायुध और गोला बारूद के साथ पारस्परिक क्रिया के खतरों के बारे में बालकों को शिक्षित करने का लिखित वचनबंध देगा ।

(5) किसी अनुज्ञप्ति को प्रदान करने या उसके नवीकरण के लिए उत्तरदायी अनुज्ञापन अधिकारी, कंपनी, व्यवहारी, बंदूक बनाने वाले और विनिर्माता के परिसरों का आवधिक निरीक्षण करेंगे जहां सुरक्षित अनुपालन के क्रम में आयुध और गोलाबारूद भंडारण किया जाता है ।

11. अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन – (1) इन नियमों के अधीन किसी अनुज्ञप्ति को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन

(क) अनुज्ञप्ति के प्रवर्ग को लागू उपयुक्त प्ररूप क-1 से प्ररूप क-14 में प्रस्तुत करेगा ;

(ख) आवेदक द्वारा जहां तक संभव हों, उस स्थान के संबंध में जहां वह सामान्यतः निवास करता है या उसका अधिभोग है, की अधिकारिता रखने वाले अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन व्यक्तिगत रूप से या पोस्ट आफिस के माध्यम से या इलैक्ट्रानिकली या अन्यथा भेजी जा सकेगी या प्रस्तुत की जा सकेगी ।

(2) जहां नियम 98 में यथा उपबंधित किसी अन्य प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाणपत्र की अपेक्षा है, ये कथन जहां कि ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाता है और यदि साक्ष्य द्वारा आवेदक की या तो भौतिक रूप में या विशिष्टतां विशिष्ट पहचानपत्र संख्यांक के लिए एनडीएएल प्रणाली द्वारा इलैक्ट्रानिकली उत्पन्न पुष्टिकरण साक्ष्य द्वारा समर्थित है ।

(3) इन नियमों में अध्याय 3 के अधीन विशेष प्रवर्ग के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए प्रत्येक आवेदन उक्त अध्याय में उन प्रवर्गों के लिए विनिर्दिष्ट ऐसी अतिरिक्त अपेक्षाओं के अधीन होगा ।

(4) प्ररूप 2, प्ररूप 3 या प्ररूप 4 में अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा प्ररूप क-1 में जमा किए गए प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज होंगे, अर्थात् :-

आवेदन की नवीनतम फोटो की पासपोर्ट आकार की चार प्रतियां (सफेद पृष्ठभूमि में) ;

(क) जन्म तिथि का सबूत ;

(ख) पहचान का सबूत –

(i) आधार कार्ड ; या

(ii) आधार कार्ड न रखने वाले आवेदकों की दशा में शपथपत्र के प्ररूप में लिखित घोषणा करेगा जिसके साथ कोई वैकल्पिक पहचान पत्र के साथ जिसके अंतर्गत पासपोर्ट या मतदाता पहचान पत्र या स्थायी लेखा संख्यांक (पैन) कार्ड या नियोजक द्वारा जारी पहचान पत्र भी है ;

(iii) छूट प्राप्त खेल व्यक्तियों की दशा में भारतीय राष्ट्रीय राइफल संगम द्वारा जारी निशानेबाज पहचान पत्र ।

(घ) आधार कार्ड या पासपोर्ट नहीं रखने वाले आवेदक की दशा में निवास सबूत जो निम्नलिखित हो सकेगा -

(i) मतदाता पहचान पत्र ; या

(ii) विद्युत बिल ; या

(iii) लैंडलाइन टेलीफोन बिल ; या

(iv) किराया विलेख या पट्टा विलेख या संपत्ति दस्तावेज ; या

(v) अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में कोई अन्य दस्तावेज

(ङ) नियम 10 के उपनियम (4) में निर्दिष्ट अग्रायुध के सुरक्षित उपयोग और भंडारण के लिए वचनबंध ;

(च) नियम 12 के उपनियम (3) के खंड (क) में निर्दिष्ट वृत्तिक प्रवर्ग के आवेदक के लिए शैक्षणिक और वृत्तिक अर्हताओं के प्रमाणपत्र, जो भी लागू हों, की स्वतः प्रमाणित प्रतियां ;

(छ) आवेदक के मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक क्षमता के संबंध में चिकित्सीय प्रमाणपत्र जिसमें यह विशेष रूप से उल्लिखित हों कि आवेदक मादक या स्वापक वस्तु पर निर्भर नहीं है (प्ररूप ध-3) में ;

(ज) प्ररूप 4 में किसी आवेदन की दशा में, वन्यजीव(संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के अधीन सशक्त प्राधिकारी से अनुज्ञा के साथ नियम 35 के उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियां।

5. प्ररूप 2 या प्ररूप 3 में किसी अनुज्ञप्ति को प्रदान करने के लिए किसी कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्ररूप क-2 में प्रत्येक आवेदन निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ होगा, अर्थात् :-

(क) आवेदक के पत्र शीर्ष पर लिखित वचनबंध नियम 2 के खंड 44 के अधीन परिभाषित उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित होगा ;

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट उत्तरदायी व्यक्ति की पुष्टि का बोर्ड द्वारा पारित संकल्प या किसी प्राधिकार पत्र की मूल प्रति ;

(ग) कंपनी के संस्थापक दस्तावेज जिसके अंतर्गत संगम ज्ञापन और अनुच्छेद भी है, तीन सत्यापित प्रतियां ;

(घ) अग्रायुध के सुरक्षित उपयोग और भंडारण का नियम 10 के उपनियम (4) में निर्दिष्ट वचनबंध।

(6) संघ के सशस्त्र बलों के किसी सदस्य द्वारा आवेदन उसके कमांड अधिकारी के माध्यम से उस स्थान के संबंध में अधिकारिता रखने वाले अनुज्ञापन अधिकारी को जिसमें वह तत्समय नियुक्त है, को की जाएगी।

(7) अनुज्ञापन प्राधिकारी अग्रायुध के सभी या किसी वर्ग के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसरण में इस नियम के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान करने से पहले आवेदक की वैयक्तिक उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा।

(8) आवेदक, आवेदन प्ररूप में कोई तथ्यात्मक जानकारी वह नहीं छुपाएगा या कोई मिथ्या या गलत जानकारी नहीं देगा।

12. कतिपय मामलों में अनुज्ञापन प्राधिकारी की बाध्यताएं - (1) अधिनियम में अन्यथा उपबंधित प्रत्येक अनुज्ञापन प्राधिकारी उपनियम (2) या उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट मानकों के आवेदन को सम्यक् ध्यान में रखते हुए अनुसूची 1 में क्रमशः प्रवर्ग 1-ख और 1-ग या प्रवर्ग 3 में यथा विनिर्दिष्ट निर्बन्धित या अनुज्ञेय आयुध या गोला बारूद के लिए किसी व्यक्ति को प्ररूप 3 में अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा।

(2) अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुसूची 1 में प्रवर्ग 1ख और 1ग में विनिर्दिष्ट निर्बन्धित आयुध या गोला बारूद के लिए किसी अनुज्ञप्ति को प्रदान करने के लिए आवेदन में निम्नलिखित विचार कर सकेगा -

(क) कोई व्यक्ति जो निम्नलिखित कारणों द्वारा उसके जीवन को गंभीर या संभावित खतरा है -

(i) किसी भौगोलिक क्षेत्र या क्षेत्रों का निवासी जहां उग्रवाद, आतंकवाद या चरमपंथी अत्यधिक सक्रिय है ; या

(ii) उग्रवादी, आतंकवादी या चरमपंथियों की दृष्टि में प्रमुख लक्ष्य के रूप में है ; या

(iii) उग्रवादियों, आतंकवादियों या चरमपंथियों के लक्ष्यों और उद्देश्यों के लिए विरोधी होने के कारण उसके जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया है ; या

(ख) कोई सरकारी पदधारी जो अपने पद धारण करने के आधार पर उसे या उसके द्वारा पालन किए जा रहे कर्तव्यों के प्रकृति के अनुपालन में और/या अपने पदीय कर्तव्यों के सम्यक् निर्वहन में उसके जीवन में संभावित जोखिम होने का प्राकट्य है ;

(ग) कोई संसद् सदस्य या विधान सभा सदस्य जो उग्रवाद रोधी, आतंकवाद रोधी या चरमपंथी रोधी कार्यक्रमों में निकट या सक्रिय रूप से सहबद्ध होने के द्वारा और सरकारी नीतियों या राजनैतिक या अन्यथा मत रखने के कारण उसके जीवन में संभावित जोखिम के लिए प्राकट्य है ; या

(घ) कोई व्यक्ति जो अपने कर्तव्यों की प्रकृति या अनुपालन (भूत या वर्तमान) या सरकार में पद धारण करने की स्थिति (भूत या वर्तमान) या अन्यथा कोई ज्ञात या अनुज्ञात के लिए उसके जीवन में कोई संभावित जोखिम में डालता है का कोई कुटुंब का सदस्य या संबंधी या रक्त संबंधी ; या

(ङ) कोई व्यक्ति किसी विधि सम्मत या वास्तविक कारणों के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी के लिए समाधान होने पर इस संबंध में सकारण आदेश पारित करेगा ;

परंतु इस उपनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति प्रदान करने के पूर्व अनुज्ञापन प्राधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट और संबद्ध राज्य सरकार की सिफारिशों पर आधारित और पुलिस रिपोर्ट की परीक्षा पर तथा अपने ख़ोत से पृथक् सत्यापन कराने के पश्चात् अपना समाधान होने पर कि आवेदक को ऐसी अनुज्ञप्ति की अपेक्षा है।

(3) अनुज्ञापन प्राधिकारी धारा 13 की उपधारा (3) के खंड (क) में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और अनुसूची 1 में प्रवर्ग 3 में विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय आयुध या गोला बारूद के लिए कोई अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए पुलिस रिपोर्ट पर और अपने स्वयं के निर्धारण के आधार पर निम्नलिखित के आवेदन पर विचार कर सकेगा -

(क) कोई व्यक्ति जो अपने कारबार, वृत्तिक या धंधा की प्रकृति द्वारा अपने जीवन और/या संपत्ति की सुरक्षा की वास्तविक अपेक्षा के लिए ; या

(ख) कोई समर्पित खेल व्यक्ति इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त किसी निशानेबाजी क्लब या किसी राइफल एसोसिएशन का कम से कम दो साल से सक्रिय सदस्य है और जो किसी संरचनात्मक शिक्षण प्रक्रिया में लक्ष्य के अभ्यास के लिए खेल निशानेबाजी को करना चाहता है ; या

(ग) रक्षा बलों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल, राज्य पुलिस बल में सेवारत या सेवा की हैं, कोई व्यक्ति और जिनके जीवन और/या संपत्ति की रक्षा की वास्तविक अपेक्षा है।

13. अनुज्ञप्ति को प्रदान करने के लिए समयसीमा - अनुज्ञापन प्राधिकारी आवेदन पर विचार करने के पश्चात् और समाधान हो जाने पर कि आवेदक पात्रता की शर्तों को पूर्ण करता है, किसी व्यक्ति को, पुलिस रिपोर्ट की प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर अनुसूची 1 के प्रवर्ग 3 में विनिर्दिष्ट आयुध या गोला बारूद के अनुज्ञेय प्रवर्ग के लिए, ऐसा प्रदान करना या नामंजूर करने के लिए कारणों को लेखबद्ध करते हुए सकारण आदेश पारित करने के द्वारा कोई अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा या नामंजूर करेगा :

परन्तु अनुज्ञापन प्राधिकारी आवेदक द्वारा आवेदन किए गए आयुध और गोला बारूद के प्रकार के लिए के कब्जे के लिए उसकी कारणों और आवश्यकता का निर्धारण करने के पश्चात् आवेदक द्वारा उपास करने को आयुध और गोला बारूद के प्रकार को उसकी दीर्घकालिकता और फायर करने की शक्ति पर विचार करने के पश्चात् विनिर्दिष्ट करेगा।

14. अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए पुलिस की रिपोर्ट के लिए समयसीमा - (1) अनुज्ञापन प्राधिकारी, धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन किसी अनुज्ञप्ति को प्रदान करने के लिए या धारा 15 के अधीन उसके प्रत्येक पश्चात्तवर्ती नवीनीकरण किसी आवेदन की प्राप्ति पर, उक्त आवेदन पर निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को रिपोर्ट के लिए बुलाएगा और ऐसा अधिकारी उसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर प्ररूप ध-4 में अपनी रिपोर्ट भेजेगा।

(2) केन्द्रीय सरकार, उपनियम (1) में यथा विनिर्दिष्ट तीस दिन की अवधि को किसी साधारण या विशेष आदेश को जारी करके उसके द्वारा समुचित समझे गए किन्हीं कारणों के लिए कतिपय क्षेत्रों या राज्यों के लिए नब्बे दिन विस्तारित कर सकेगी।

(3) अनुज्ञापन प्राधिकारी उपनियम (1) के अधीन तीस दिन की अवधि के भीतर या उपनियम (2) के अधीन विस्तारित अवधि के भीतर पुलिस रिपोर्ट के प्राप्त न होने की दशा में रिपोर्ट के लिए और अधिक प्रतीक्षा किए बिना अनुज्ञप्ति को प्रदान करने या नामंजूर करने के लिए लिखित में आदेश कर सकेगा।

15. अभिलेखों का इलेक्ट्रॉनिक रूप विधान में अनुरक्षण और अनुज्ञप्तियों का समेकन - (1) अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक अनुज्ञापन प्राधिकारी और नवीकरण प्राधिकारी जब किसी अनुज्ञप्ति को प्रदान करते हैं या किसी अनुज्ञप्ति का नवीकरण करते हैं, केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप विधान में स्थानीय लेखा का डाटा प्रविष्ट करेंगे।

(2) प्रत्येक अनुज्ञापन प्राधिकारी या नवीकरण प्राधिकारी ऐसे डाटा को एनडीएल प्रणाली में भी प्रविष्ट करेंगे जो एक विशिष्ट पहचान संख्यांक व्युत्पन्न करेगा और 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा, बिना विशिष्ट पहचान संख्यांक के बिना कोई आयुध अनुज्ञप्ति अविधिमान्य समझी जाएगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन इस प्रकार व्युत्पन्न विशिष्ट पहचान संख्यांक किसी अनुज्ञप्ति के लिए विशिष्ट होगा।

(4) कोई विद्यमान अनुज्ञप्तिधारी प्ररूप 3 में बाहुल्य अनुज्ञप्तियां रखता है, 1 अप्रैल, 2017 को या उससे पूर्व उसके द्वारा धारित सभी अग्रायुधों के संबंध में अपनी विशिष्ट पहचान संख्यांक के अधीन एकल अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए संबंधित अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन करेगा :

परन्तु जहां आवेदक अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट आयुध या गोला बारूद के प्रतिबंधित प्रवर्ग के लिए आवेदन करता है, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट आयुध या गोला बारूद के अनुज्ञेय प्रवर्ग के लिए किसी अनुज्ञप्ति का धारक भी है ; या जहां आवेदक आयुध या गोला बारूद के अनुज्ञेय प्रवर्ग के लिए आवेदन करता है और उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट आयुध या गोला बारूद के प्रतिबंधित प्रवर्ग के लिए किसी अनुज्ञप्ति का धारक भी है, संबंधित अनुज्ञप्ति प्राधिकारी अनुज्ञप्ति धारक को विद्यमान के अधीन, जहां लागू हों, आयुध या गोला बारूद के ऐसे निर्बन्धित या अनुज्ञेय प्रवर्ग के लिए नई अनुज्ञप्ति जारी करेगा :

परंतु यह और कि प्ररूप 2, प्ररूप 3 और प्ररूप 4 में प्रत्येक अनुज्ञप्ति की दशा में और किसी एकल विशिष्ट पहचान संख्यांक के अधीन तीन अग्रायुधों की किसी समग्र सीमा के साथ अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट आयुध और गोला बारूद के निबन्धित या अनुज्ञेय प्ररूप के लिए प्ररूप 3 में अनुज्ञप्ति की दशा में पृथक् अनुज्ञप्ति पुस्तिका सृजित करेगा।

(5) उपनियम (4) के अधीन किसी बाहुल्य अनुज्ञप्ति धारक के किसी आवेदन प्ररूप की प्राप्ति पर अनुज्ञापन प्राधिकारी आवेदक के विद्यमान बाहुल्य अनुज्ञप्तियों को निरस्त करेगा और उसके स्थान पर उक्त अनुज्ञप्तिधारी को सभी विद्यमान अग्रायुधों के लिए उसमें उसमें पृष्ठांकित कर नई अनुज्ञप्तियां जारी करेगा।

(6) उपनियम (4) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार जारी नए अनुज्ञप्तियों की विद्यमानतः अवधि निरस्त की गई किसी अनुज्ञप्ति में वर्णित अधिकतम अवधि होगी और क्षेत्र विद्यमानतः निरस्त अनुज्ञप्तियों में से किसी में अधिकतम विस्तारित क्षेत्र नई अनुज्ञप्तियों पर पृष्ठांकित होगा।

- 16. एनडीएएल के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी के कर्तव्य -** (1) अनुज्ञापन प्राधिकारी जब किसी अनुज्ञप्ति को प्रदान या उसका नवीकरण करता है या इन नियमों के अधीन किसी अनुज्ञप्तिधारी को कोई संबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराते समय यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा अनुमोदित संव्यवहार का डाटा स्थानीय इलेक्ट्रॉनिक रूप विधान के साथ-साथ उसकी लॉगइन पहचान के अधीन एनडीएएल प्रणाली पर भी अद्यतन हो जाए:

परंतु अनुज्ञप्तिधारी इलेक्ट्रॉनिक रूप विधान में ऐसे डाटा के अद्यतन होने को अनुज्ञापन प्राधिकारी के भाग पर किसी असफलता के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(2) अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुसूची 5 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट विभिन्न सेवाओं के, उक्त अनुसूची के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदान करने के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा।

- 17. किसी बाह्य अनुज्ञापन प्राधिकारी से अनुज्ञप्ति का रजिस्ट्रीकरण और विद्यमान अनुज्ञापन प्राधिकारी से पते का परिवर्तन -** (1) यदि कोई व्यक्ति जो प्ररूप 3 में अनुज्ञप्ति रखता है, निवास स्थान में परिवर्तन, स्थायी या छः मास से अधिक की अवधि के लिए अस्थायी रूप में करता है और अनुज्ञप्ति के अधीन आयुध को अपने साथ वहन करता है जो अनुज्ञप्ति में दर्शित विद्यमान अनुज्ञापन प्राधिकारी की अधिकारिता से भिन्न किसी अन्य स्थान में आता है, वह छः मास की अवधि के समाप्त होने के तत्काल पूर्व अपने नए निवास स्थान को अनुज्ञापन प्राधिकारी को ऐसे परिवर्तन की सूचना भेजेगा और मांगने पर उसके साथ अनुज्ञप्ति को प्रस्तुत करेगा तथा प्ररूप ख-1 में नए आयुध या आयुधों के लिए नई अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करेगा और उसमें अपने नए निवास की विशिष्टियों को दर्शित करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्ररूप ख-1 में कोई आवेदन प्राप्त होने पर अनुज्ञप्तिधारी के निवास के नए स्थान का अनुज्ञापन प्राधिकारी पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर एनडीएएल प्रणाली में अनुज्ञप्तिधारी का रजिस्टर, जहां अनुज्ञप्तिधारी का विशिष्ट पहचान संख्यांक सक्रिय है और उसकी अधिकारिता को अंतरित करेगा तथा, यथास्थिति, मूल अनुज्ञापन प्राधिकारी या अंतिम नवीकरण प्राधिकारी के अभिलेख से उसे असक्रिय करेगा और इसके पश्चात् एक नई अनुज्ञप्ति पुस्तिका अनुज्ञप्तिधारी को जारी करेगा तथा ऐसे नए प्राधिकारी उक्त अनुज्ञप्ति के संबंध में अनुज्ञप्ति या नवीकरण प्राधिकारी होंगे।

(3) जहां अनुज्ञप्तिधारी अपने निवास के स्थायी स्थान को विद्यमान अनुज्ञापन प्राधिकारी की अधिकारिता के भीतर परिवर्तन करता है वह इसकी सूचना अनुज्ञापन प्राधिकारी को अपने नए निवास स्थान के सबूत के साथ देगा और यदि ऐसे परिवर्तन के परिणामस्वरूप पुलिस थाने की अधिकारिता में परिवर्तन होता है, के साथ वह अपने नए निवास के स्थान की पुलिस थाने को भी सूचना देगा तथा अनुज्ञापन प्राधिकारी पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर एनडीएएल प्रणाली में अनुज्ञप्तिधारी के निवास में परिवर्तन को रजिस्टर करेगा, जहां अनुज्ञप्तिधारी का नए पुलिस थाने के अधीन विशिष्ट पहचान संख्यांक सक्रिय करेगा तथा अंतिम पुलिस थाने से उसे असक्रिय करेगा।

- 18. आयुध के कब्जे के लिए अनुज्ञा के पश्चात् अनुज्ञप्ति को प्रदान करना -** जहां अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अर्जित आयुध के कब्जे के लिए प्ररूप 2, प्ररूप 3, प्ररूप 4 या प्ररूप 5 में अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है तत्पश्चात् अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, प्राधिकारी अनुज्ञप्ति प्रदान करते समय अनुज्ञप्ति के अधीन आने वाले आयुध के लिए निदेश दे सकेगा कि दो वर्ष की अवधि के भीतर अर्जित करना होगा या आयुध या दोनों उसके निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना होगा और यदि दो वर्ष की अवधि के भीतर अनुज्ञप्तिधारी आयुध को अर्जित करने में तथा अनुज्ञप्ति देने में असफल रहता है या, यथास्थिति, आयुध या दोनों अनुज्ञप्ति समाप्त हो जाएगी:

परंतु अनुज्ञापन प्राधिकारी दो वर्ष की अवधि को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राप्त लिखित प्रतिवेदन के आधार पर एक वर्ष की और अवधि के लिए ऐसे विस्तार को प्रदान करने के लिए कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् विस्तारित कर सकेगा:

परंतु यह और कि, यथास्थिति, यदि दो वर्ष की अवधि या एक वर्ष की विस्तारित अवधि के दौरान अनुज्ञप्तिधारी किसी भिन्न वर्णन के किसी आयुध या आयुधों को अर्जित करने या कब्जे में रखने की इच्छा करता है और अनुज्ञापन प्राधिकारी को ऐसे आयुध या आयुधों के अर्जन और कब्जे में अनुज्ञात करने को कोई आपत्ति नहीं है वह तदनुसार अनुज्ञप्ति को संशोधित कर सकेगा:

परंतु यह और भी कि जहां अनुज्ञप्तिधारी अपने निवास स्थान में परिवर्तन अनुज्ञप्ति प्रदान करने के पश्चात्, किंतु ऐसे आयुध के अर्जन से पूर्व करता है, वह अपने नए निवास स्थान के अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष अनुज्ञप्ति या आयुध या दोनों निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा जहां अनुज्ञप्ति स्थानांतरित की गई है और उक्त प्राधिकारी ऐसे आयुध के निरीक्षण पर एनडीएल प्रणाली पर जानकारी रजिस्टर और अद्यतन करेगा :

परंतु यह और भी कि इस नियम के उपबंध किसी अतिरिक्त आयुध या आयुधों के किसी अर्जन पर जहां अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति प्रदान करने के पश्चात् अर्जित करने की वांछा कर सकेगा, तीन अग्रायुधों की समग्र सीमा के अधीन रहते हुए किसी नए अर्जन के रूप में पहले से ही उसके कब्जे में या अन्यथा आयुध या आयुधों के जो पूर्व में ही उसके कब्जे में है या अन्यथा विक्रय या अंतरण या निपटान के खाते में यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

19. अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता क्षेत्र का विस्तार - (1) प्ररूप 3 में किसी अनुज्ञप्ति के धारक से आवेदन की प्राप्ति पर अनुज्ञापन प्राधिकारी उसकी अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट विधिमान्यता के क्षेत्र का विस्तार कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि शर्तों के अधीन रहते हुए ऐसे विस्तार की आवश्यकता है, अनुज्ञापन प्राधिकारी क्षेत्र के संबंध में जिसके संबंध में ऐसा विस्तार चाहा गया है, अनुज्ञप्ति प्रदान करने की शक्ति है ।

(2), अनुसूची 2 के स्तंभ 5 में यथा विनिर्दिष्ट अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा संपूर्ण भारत के लिए क्षेत्र विधिमान्यता के विस्तार के लिए आवेदन अनुज्ञप्तिधारी के निम्नलिखित प्रवर्गों के संबंध में प्रदान कर सकेगा, अर्थात् :-

- (क) संघ के मंत्री या संसद् सदस्य ;
- (ख) रक्षा बलों या केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिक ;
- (ग) अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी ;
- (घ) सरकार या सरकारी सेक्टर के उपक्रम या पब्लिक सेक्टर के अधिकारी जिन पर भारत में कहीं भी सेवा का दायित्व है ;
- (ङ) समर्पित खेल व्यक्ति और नियम 40 के उपनियम (2) की सारणी के क्रम संख्यांक 1 से 4 तक विनिर्दिष्ट खेल व्यक्ति ।

(3) अन्य मामलों में जहां अनुज्ञापन प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि विद्यमान अधिकारिता से परे आयुध को उसे ले जाने की अपेक्षा आवेदक के कारबार या वृत्तिक प्रकृति में है और ऐसी अपेक्षा इन नियमों के प्ररूप 11 में किसी यात्रा अनुज्ञप्ति के जारी करने से पूरी नहीं की जा सकती है । आवेदक अनुसूची 2 के स्तंभ 5 में विनिर्दिष्ट अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा विद्यमान क्षेत्र के आवेदन को संपूर्ण भारत के लिए प्रदान कर सकेगा ।

20. व्यष्टिों के लिए अतिरिक्त अनुज्ञप्ति - (1) कोई अनुज्ञप्तिधारी प्ररूप 3 में अनुसूची 1 में यथाविनिर्दिष्ट अग्रायुध के अनुज्ञेय प्रवर्ग के लिए अपने निकट संबंधी, जो प्ररूप 3 में कोई अनुज्ञप्ति का धारण नहीं करते हैं और जो अनुज्ञप्ति में दिए गए पते में उसके साथ निवास करते हैं उसकी अनुज्ञप्ति द्वारा आने वाले आयुध या गोला बारूद का कब्जे में रखने, वहन करने या उसे उपयोग करने के लिए, किन्हीं दो के लिए अतिरिक्त अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन कर सकेगा और अनुज्ञापन प्राधिकारी अधिनियम और उक्त अतिरिक्त अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अधिनियम और इन नियमों के अधीन यदि पात्रता शर्तें पूरी की जाती हैं तथा पुलिस रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है, अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसे अतिरिक्त अनुज्ञप्तिधारियों को अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा।

(2) किसी पृथक् अनुज्ञप्ति को उसकी विशिष्ट पहचान संख्यांक के अधीन अतिरिक्त अनुज्ञप्तिधारी को मूल अनुज्ञप्ति पर पृष्ठांकित आयुध और गोला बारूद के साथ पृथक् अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी :

परंतु अतिरिक्त अनुज्ञप्तिधारी अपनी अनुज्ञप्ति पर कोई आयुध या गोला बारूद अर्जित करने के लिए अनुज्ञात नहीं होगा ।

(3) अतिरिक्त अनुज्ञप्तिधारी इस नियम के अधीन किसी अतिरिक्त अनुज्ञप्ति धारण की अवधि के दौरान अपनी व्यक्तिगत हैसियत में कोई अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं करेगा ।

(4) अनुज्ञापन प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि मूल अनुज्ञप्ति पर पृष्ठांकित अतिरिक्त अनुज्ञप्तिधारियों के व्यौरों और विधिमान्यता की अवधि तथा अतिरिक्त अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता का क्षेत्र मूल अनुज्ञप्ति के साथ समरूप है तथा यदि मूल अनुज्ञप्ति निलंबित, प्रतिसंहारण या रद्दकरण है, उपरोक्त के अधीन रहते हुए अतिरिक्त अनुज्ञप्ति के समान परिणाम होंगे ।

(5) अतिरिक्त अनुज्ञप्तिधारी अपनी अनुज्ञप्ति पर पृष्ठांकित आयुध और गोला बारूद का विक्रय या अंतरण नहीं कर सकेगा ।

(6) मूल अनुज्ञप्तिधारी के परिसर से कोई अतिरिक्त अनुज्ञापन प्राधिकारी अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से दूसरे स्थान पर चला जाता है, ऐसी अतिरिक्त अनुज्ञप्ति स्वतः व्यपगत हो जाएगी और व्यक्ति जिसे ऐसी अतिरिक्त अनुज्ञप्ति जारी की गई है अनुज्ञापन प्राधिकारी को अपनी अनुज्ञप्ति वापस कर देगा जिसमें उसे ऐसी अनुज्ञप्ति जारी की है तथा अनुज्ञापन प्राधिकारी को ऐसी सूचना देने के लिए मूल अनुज्ञप्तिधारी का उत्तरदायित्व होगा ।

(7) मूल अनुज्ञप्तिधारी मूल अनुज्ञप्ति के साथ किसी आवेदन के द्वारा अपनी अतिरिक्त अनुज्ञप्तिधारियों की किसी अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहारित या निरस्त करने के लिए अनुरोध कर सकेगा और ऐसी सभी दशाओं में अनुज्ञापन प्राधिकारी अतिरिक्त अनुज्ञप्तिधारियों की अनुज्ञप्तियां प्रसंहारण या रद्द करेगा।

स्पष्टीकरण – इन नियमों के प्रयोजन के लिए 'निकट संबंधियों' से पति-पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई और बहिन अभिप्रेत है।

21. छूटधारक के लिए प्रतिधारक – (1) अनुज्ञप्ति अपेक्षाओं के लिए अधिनियम की धारा 41 के अधीन छूट प्राप्त किसी व्यक्ति द्वारा अपने प्रतिधारक को कोई व्यक्ति नामनिर्दिष्ट प्रदान करने को प्ररूप 3 में आयुध या गोला बारूद को कब्जे में रखने या वहन करने के लिए प्रदान होगी :

परंतु इस प्रकार छूट प्राप्त व्यक्ति के प्रतिधारक को अनुज्ञप्ति के अंतर्गत आने वाले आयुध और गोला बारूद के उपयोग का कोई अधिकार या स्वतंत्रता नहीं होगी और उस दिन जिसको यह प्रवृत्त हुआ है, अनुज्ञप्ति विरत हो जाएगी जिसको इस प्रकार छूट प्राप्त व्यक्ति को छूट दे देता है या छूट प्राप्त के नामनिर्देशिती को प्रतिधारक विरत हो जाएगा।

(2) अनुज्ञापन प्राधिकारी उपधारा (2) के अधीन नामनिर्दिष्ट प्रतिधारक के पूर्ववृत्त के बारे में पुलिस से रिपोर्ट प्राप्त करेगा और प्ररूप 3 में अनुदत्त किसी अनुज्ञप्ति के प्रतिधारक के रूप में उसे स्वीकार करने से पहले ऐसी रिपोर्ट को विचार में लेगा।

22. कंपनी के लिए प्रतिधारक – (1) किसी कंपनी के लिए किसी कंपनी के अपने परिसर और संपत्ति की संरक्षा के लिए प्ररूप 2 या प्ररूप 3 में प्रदान की गई किसी अनुज्ञप्ति किसी उत्तरदायी व्यक्ति के नाम (पदनाम सहित) जो आयुध और गोला बारूद की अभिरक्षा के लिए जवाबदार और उत्तरदायी है।

(2) किसी सेवक या कोई अन्य व्यक्ति का नाम जिसे कंपनी के परिसर या संपत्ति के रक्षण के लिए आयुध और गोला बारूद सौंपे गए हैं, अनुज्ञप्ति में प्रतिधारक के रूप में प्रविष्ट होगा।

(3) अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति में दर्शित ऐसे प्रतिधारक के प्रत्येक के लिए प्ररूप 3 में अनुज्ञा अनुज्ञप्तिधारी को जारी करेगा और ऐसी अनुज्ञा कंपनी के उत्तरदायी वैयक्तिक अभिरक्षा में बनी रहेगी तथा अनुज्ञप्ति के अंतर्गत आने वाले आयुध और गोला बारूद के साथ सौंपी जाएगी जब अभिरक्षक को उसे हस्तगत किया जाता है :

परंतु प्रतिधारक के लिए आवेदन करते समय अनुज्ञप्तिधारी प्ररूप 3 में आवेदन के साथ प्रतिधारक के चार नवीनतम पासपोर्ट आकार के चित्र कंपनी में उसकी नियुक्ति और उसके नियोजन के साथ देगा :

परंतु यह और कि अनुज्ञापन प्राधिकारी प्रतिधारक के पूर्व वृत्तिक के बारे में पुलिस से रिपोर्ट प्राप्त करेगा और प्रतिधारक के रूप में उसे स्वीकार करने से पहले उसे विचार में लेगा।

(4) कंपनी के उत्तरदायी व्यक्ति के परिवर्तन के लिए प्ररूप 2 या प्ररूप 3 में अनुज्ञप्तिधारी किसी कंपनी से आवेदन पर जिसका नाम अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है या कोई प्रतिधारक जिसके अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी भी है, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति में आवश्यक संशोधन किए जा सकेंगे।

23. ब्रीच, भरण, अग्रायुध में प्रयुक्त गोला बारूद की परिमाण पर निर्बन्धन – (1) प्ररूप 2, प्ररूप 3 या प्ररूप 4 में प्रदान किए गए अनुज्ञप्ति के लिए इस अधिनियम और इन नियमों के प्रयोजन के लिए ब्रीच भरण अग्रायुध के लिए निम्नलिखित निर्बन्धनों के अधीन होंगे, अर्थात् :-

किसी कैलेंडर वर्ष के दौरान अधिकतम खरीद योग्य (प्रति अग्रायुध)	200
किसी एक समय पर अधिकतम कब्जे में (प्रति अग्रायुध)	100

(2) (क) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी संबद्ध राज्य सरकार गुणावगुण के आधार पर और कारणों को लेखबद्ध करते हुए उचित और पर्याप्त आधार पर मामले की आपवादिक मामलों में गोला बारूद की अधिकतम परिमाण को अनुज्ञात कर सकेगा।

(ख) केन्द्रीय सरकार का गृह मंत्रालय इस संबंध में किसी साधारण या विशेष आदेश को जारी कर ऐसे आपवादिक मामलों में गोला बारूद के अधिकतम परिमाण को ज्ञात कर सकेगा।

24. अनुज्ञप्ति का नवीकरण – (1) प्रत्येक अनुज्ञप्ति उसकी समाप्ति पर और उसको प्रदान करते समय ऐसी शर्तों (यदि कोई हों) के अधीन रहते हुए पुलिस रिपोर्ट की प्राप्ति के तीस दिन की अवधि के भीतर नवीकरण प्राधिकारी के रूप में अनुसूची 2 में वर्णित प्राधिकारी द्वारा नवीकरण होगा :

परंतु इस प्रकार नवीकृत अनुज्ञप्ति नियम 5 के अधीन राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशिष्ट रूप से सशक्त किसी अधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति के समुचित खाने में हस्ताक्षरित होगी।

(2) आयुध और गोला बारूद के लिए किसी अनुज्ञप्ति नवीकरण के लिए कोई आवेदन ऐसे प्ररूप में जिसमें विनिर्दिष्ट उक्त अनुज्ञप्ति के समाप्त होने के कम से कम साठ दिन पूर्व, प्ररूप में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ अनुज्ञापन प्राधिकारी को फाइल होगा :

परंतु नियम 48 के उप नियम (1) के अधीन जमा किए गए आयुध और गोला बारूद की दशा में, जमाकर्ता द्वारा या तो नवीकरण आवेदन फाइल होगा जहां यह संभव नहीं है, आवेदन सीधे व्यवहारी या उसके द्वारा इस निमित्त लिखित में प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा फाइल होगा जब कि आयुध या गोला बारूद का इस प्रकार जमा रहना जारी रहता है।

(3) किसी अनुज्ञप्ति को जारी करने वाला प्राधिकारी अनुज्ञप्ति के सभी भविष्यकाल में नवीकरण निगरानी के लिए मामूली तौर पर उत्तरदायी होगा :

परंतु जहां अनुज्ञप्तिधारी अपने निवास के स्थान छः मास से अधिक अवधि के लिए स्थायी या अस्थायी रूप से परिवर्तन को अधिसूचित करता है, जिले के अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को जिसमें ऐसा नवीकरण चाहा गया है, उक्त जिले का अनुज्ञापन प्राधिकारी उसकी अनुज्ञप्ति के सभी भविष्यकालिक नवीकरण की निगरानी के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) किसी अनुज्ञप्तिधारी के संबंध में जिसने उपनियम (3) के अधीन निवास के परिवर्तन को अधिसूचित किया है, नया नवीकरण प्राधिकारी नियम 17 में विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसरण में अपनी अधिकारिता के अधीन अनुज्ञप्तिधारी के रजिस्टर करेगा और उसके नवीकरण को निष्पादित करेगा और उसके पश्चात् मूल जारी करने वाले या अंतिम नवीकरण प्राधिकारी को सूचित करेगा।

(5) अनुज्ञापन प्राधिकारी किसी अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए किसी आवेदन पर उस समय विचार कर सकेगा, यदि उसके समाप्त होने की तारीख और आवेदन की तारीख के बीच की अवधि उसकी राय में, मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए असम्यक रूप से दीर्घ नहीं है और सभी नवीकरण फीसों का संदाय कर दिया गया है; अन्यथा ऐसे आवेदन को नई अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए आवेदन के रूप में माना जाएगा।

(6) अनुज्ञापन प्राधिकारी, राज्य सरकार द्वारा सभी या किसी वर्ग के अग्न्यायुधों के संबंध में जारी किन्हीं अनुदेशों के अनुसार, इस नियम के अधीन अनुज्ञप्ति का नवीकरण करने से पूर्व आवेदक की निजी उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा।

25. विधिक उत्तराधिकारियों को अनुज्ञप्ति की मंजूरी - (1) अनुज्ञापन प्राधिकारी, -

(क) अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु के पश्चात्, उसके विधिक उत्तराधिकारियों को अनुज्ञप्ति मंजूर कर सकेगा; या

(ख) किसी अन्य मामले में, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने पर या पच्चीस वर्ष तक अग्न्यायुध धारण करने पर, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी विधिक उत्तराधिकारी को अनुज्ञप्ति मंजूर कर सकेगा:

परंतु बशर्ते इस नियमावली के नियम 12 में निहित प्रावधानों के विद्यमान होते हुए भी, अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसे विधिक उत्तराधिकारी को अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा यदि उक्त विधिक उत्तराधिकारी द्वारा अधिनियम और इन नियमों के अधीन पात्रता शर्तें पूरी की जाती हैं और पुलिस रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणियां नहीं हैं।

(2) जहां कोई अनुज्ञप्तिधारी अपने पीछे एक से अधिक विधिक उत्तराधिकारी छोड़ता है और ऐसे विधिक उत्तराधिकारी स्वयं से मृतक के आयुध या आयुधों को धारित करने का विनिश्चय करते हैं, वहां सभी अन्य विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई एक विधिक उत्तराधिकारी निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ उपनियम (1) के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन कर सकेगा, अर्थात्:-

(i) शेष बचे विधिक उत्तराधिकारियों से निराक्षेप की घोषणा;

(ii) आवेदक द्वारा निष्पादित किए जाने वाले क्षतिपूर्ति बंधपत्र, जिसमें अनुज्ञप्ति के पूर्ण व्यौरे दिए गए हैं और उन पर आयुधों को पृष्ठांकित किया गया हो; और

(iii) मृतक अनुज्ञप्तिधारी के मृत्यु प्रमाणपत्र की एक प्रति।

(3) जहां विधिक उत्तराधिकारी मृत अनुज्ञप्तिधारी की अनुज्ञप्ति पर पृष्ठांकित आयुध या आयुधों का व्ययन करने का विनिश्चय करते हैं, वहां वे अनुज्ञापन प्राधिकारी को, ऐसे प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात समय के भीतर किसी अनुज्ञप्ति व्यौहारी या इन नियमों के अधीन आयुध को रखने के लिए हकदार किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे आयुध या आयुधों का विक्रय करने के लिए सीमित अवधि अनुज्ञापत्र मंजूर करने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

स्पष्टीकरण -

इस नियम में, 'विधिक उत्तराधिकारी' पद में अनुज्ञप्तिधारी या मृत अनुज्ञप्तिधारी का पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, दामाद, वधु, भाई, बहन और पौत्र आदि सम्मिलित हैं।

- 26. कतिपय अनुज्ञप्तियों का पुस्तक रूप में होना** - एनडीएलएल प्रणाली में अनुज्ञप्तिधारी के यूआईएन के अधीन सृजित प्ररूप 2, प्ररूप 3, प्ररूप 4 या प्ररूप 5 की अनुज्ञप्ति पुस्तक रूप में होगी, जिसे क्रमानुसार संख्यांकित किया जाएगा और वह नियमों में विनिर्दिष्ट प्ररूप का कड़ाई से पालन करेगी और व्यष्टियों की दशा में, उसमें अनुज्ञप्तिधारी का नवीनतम फोटो भी अंतर्विष्ट होगा :

परंतु अग्न्यायुधों के निर्बद्धित प्रवर्गों के लिए अनुज्ञप्ति पुस्तक गाढ़े भूरे लाल रंग की होगी और अग्न्यायुधों के अनुज्ञेय प्रवर्गों के लिए उसका रंग गहरा नीला होगा;

परंतु यह और कि अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति पुस्तक को स्थानीय रूप से मुद्रित करा सकेगा साथ ही उसे क्रम संख्यांकित करेगा तथा अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट किए अनुसार अनुज्ञप्ति पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए फीस का उदग्रहण कर सकेगा।

- 27. अनुज्ञप्तियों के लिए फीस** - (1) (क) इन नियमों के अधीन मंजूर या नवीकृत की गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति के लिए, इसमें अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट फीस (यदि कोई हो) प्रभारित की जाएगी।

(ख) ऐसे किसी मामले में, जहां फीस को किसी वर्ष के लिए विहित किया गया है, वहां वर्ष के किसी भाग के लिए उदग्रहणीय फीस वही होगी, जो पूर्ण वर्ष के लिए है।

(2) जहां कोई अनुज्ञप्तिधारी, उस अवधि के, जिसके लिए अनुज्ञप्ति मंजूर की गई थी, अवसान के पश्चात् अपनी अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करता है, वहां अनुज्ञापन प्राधिकारी, यदि वह अपने विवेकानुसार अनुज्ञप्ति को नवीकृत करने का विनिश्चय करता है, -

(क) अनुज्ञप्ति का प्रारंभिक मंजूर के लिए उदग्रहीत की जाने वाली पूर्ण फीस का उदग्रहण कर सकेगा; और

(ख) यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि विलंब उचित या माफ करने योग्य नहीं है और न ही इतना गंभीर है कि अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण या अनुज्ञप्तिधारी का अभियोजन किया जाए तो वह दो हजार रुपए की विलंब फीस का उदग्रहण कर सकेगा:

परंतु यदि किसी अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए कोई आवेदन प्ररूप 3 में, अनुज्ञप्ति के अवसान की तारीख से एक मास के भीतर किया जाता है, वहां कोई विलंब फीस उदग्रहणीय नहीं होगी।

(3) केन्द्रीय सरकार, कोई साधारण या विशेष आदेश जारी करके और लिखित में कारणों को लेखबद्ध करके तथा ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, जिन्हें वह आदेश में विनिर्दिष्ट करे, किसी अनुज्ञप्ति के संबंध में संदेय फीस के संबंध में छूट या उसमें कमी मंजूर कर सकेगा:

परंतु प्ररूप 3 में किसी अनुज्ञप्ति की मंजूरी या नवीकरण के संबंध में प्रभार्य फीस से संदाय से प्रत्येक छूट के लिए यह शर्त होगी कि यदि ऐसी अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन, अनुज्ञप्ति के अवसान की तारीख से एक मास के भीतर नहीं किया जाता है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी, जब तक कि आवेदक अनुज्ञापन प्राधिकारी का यह समाधान न कर दे कि उक्त अवधि के भीतर आवेदन न करने के लिए पर्याप्त कारण था, अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट दर पर नवीकरण फीस का उदग्रहण कर सकेगा।

(4) नियम 18 के दूसरे परंतुक के अधीन किसी मंजूर की गई अनुज्ञप्ति में प्रविष्ट आयुध या गोला बारूद के अर्जन के लिए उसकी किस्म में परिवर्तन के संबंध में उस समय अंतरणीय फीस प्रभार्य होगी, यदि इस प्रकार परिवर्तित आयुध या गोला बारूद के संबंध अनुज्ञप्ति फीस मूल आयुध या गोला बारूद की फीस से अधिक है।

- 28. प्रतियों और द्वितीय प्रतियों के लिए संदेय फीस:** जहां इन नियमों के अधीन मंजूर या नवीकृत की गई अनुज्ञप्ति गुम हो जाती है या दुर्घटनावाश नष्ट हो जाती है, वहां ऐसी अनुज्ञप्ति को मंजूर करने के लिए सशक्त प्राधिकारी मूल अनुज्ञप्ति के लिए प्रभार्य फीस के संदाय पर अनुज्ञप्ति की द्वितीय प्रति मंजूर कर सकेगा।

- 29. फीस का संग्रहण-** सभी फीसों का संदाय आवेदन के समय नकद में या बैंक संदाय आदेश या मांग ड्राफ्ट या इलैक्ट्रॉनिक बैंककारी अंतरण के माध्यम से किया जाएगा।

- 30. अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा आयुधों का निरीक्षण** - ऐसा प्राधिकारी, जिसके द्वारा प्ररूप 2, प्ररूप 3, प्ररूप 4 या प्ररूप 5 में अनुज्ञप्ति मंजूर अथवा नवीकृत की गई है, स्वयं का यह समाधान करने के प्रयोजन के लिए कि ऐसी अनुज्ञप्ति के अंतर्गत आने वाले कोई आयुध, अनुज्ञप्ति के नवीकरण के समय या अनुज्ञप्ति के प्रवृत्त रहने के दौरान किसी भी समय अनुज्ञप्तिधारी के कब्जे में हैं, लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्तिधारी से, ऐसे समय और स्थान पर तथा ऐसे अधिकारी द्वारा, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, निरीक्षण के लिए आयुध या आयुधों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

- 31. अनुज्ञप्तियों को प्रस्तुत करना** – ऐसा कोई व्यक्ति, जो इन नियमों के अधीन मंजूर या नवीकृत की गई कोई अनुज्ञप्ति या कोई अनुज्ञापत्र या प्रमाणपत्र धारण करता है, किसी मजिस्ट्रेट या किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी से अनूयन पंक्ति के पुलिस अधिकारी से मांग किए जाने पर ऐसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करेगा।
- 32. सार्वजनिक स्थान पर अग्न्यायुध साथ रखने पर निर्बंधन** – (1) कोई व्यक्ति, तब तक किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई अग्न्यायुध अपने पास नहीं रखेगा जब तक कि इस प्रकार पास रखे जाने वाला अग्न्यायुध –
- (क) किसी हैंडगन की दशा में –
- (i) किसी होल्सटर में या किसी हैंडगन को साथ रखने के लिए तैयार किए गए, विनिर्मित अनुकूलित समान होल्डर में है और वह उसके शरीर से जुड़ा हो; या
- (ii) किसी रकसैक या समान प्रकार के होल्डर में है; या
- (ख) किसी अन्य अग्न्यायुध की दशा में, किसी अग्न्यायुध को साथ रखने के लिए तैयार किए गए, विनिर्मित अनुकूलित समान होल्डर में है।
- (2) उपनियम (1) में अनुध्यात किसी अग्न्यायुध को पूर्ण रूप से आवरण से ढका होना चाहिए और अग्न्यायुध को साथ रखने वाला व्यक्ति, ऐसे अग्न्यायुध पर प्रभावी नियंत्रण रखने में समर्थ होना चाहिए।
- (3) किसी सार्वजनिक स्थान या किसी अग्न्यायुध मुक्त जोन में अग्न्यायुध को लहराना या उसे दागना या उससे हवा गोली चलाना पूर्णतया प्रतिषिद्ध है।
- (4) इस नियम का कोई उल्लंघन, अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण के लिए दायी होगा और साथ ही अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट शास्ति के उदग्रहण के साथ अग्न्यायुध का भी अभिग्रहण कर लिया जाएगा।
- 33. सूचना को ठीक करना** – (1) किसी अनुज्ञप्ति में अंतर्विष्ट किसी ऐसी सूचना को, जिसे एनडीएलएल प्रणाली पर अशुद्ध रूप से अपलोड कर दिया गया है, ठीक करने के लिए कोई अनुरोध, संबद्ध अनुज्ञापन प्राधिकारी को समर्थनकारी दस्तावेजों के साथ लिखित आवेदन में प्रस्तुत किया जाएगा।
- (2) जहां उपनियम (1) में निर्दिष्ट कोई आवेदन किसी ऐसे अग्न्यायुध के ब्यौरे से संबंधित है, जिसे अनुज्ञप्ति में अशुद्ध रूप से उपदर्शित किया गया है, वहां अनुज्ञापन प्राधिकारी, अग्न्यायुध के ब्यौरों की पुष्टि करने के लिए अग्न्यायुध को उसके भौतिक निरीक्षण के लिए मंगा सकेगा या प्ररूप 9 में अनुज्ञप्ति धारण करने वाले किसी बंदूक बनाने वाले या रक्षा बलों, केन्द्रीय सशक्त पुलिस बलों और राज्य पुलिस बलों में कार्यरत किसी शस्त्रसाज से जारी किसी प्रमाणपत्र की मांग कर सकेगा।
- (3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट बंदूक बनाने वाला या शस्त्रसाज या अग्न्यायुध की परीक्षा करने के पश्चात् एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा, जिसमें अग्न्यायुध के कार्य, डिजाइन, किस्म, मेक, माडल, कैलिबर और क्रम संख्यांक या अतिरिक्त चिह्नों का कथन होगा।
- (4) सूचना को ठीक करने के लिए आवेदक से उस समय कोई लागत नहीं ली जाएगी, जहां सूचना को अपलोड करने में हुई त्रुटि अनुज्ञापन प्राधिकारी के कारण हुई थी।
- 34. अग्न्यायुधों पर पहचान चिह्न** – (1) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके कब्जे में ऐसा कोई अग्न्यायुध है, जिस पर विशिष्ट रूप से विनिर्माता का नाम, संख्यांक या अन्य पहचान चिह्न अंकित नहीं है, अनुज्ञापन प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अग्न्यायुध पर पहचान चिह्न अंकित कराएगा, जिसमें निम्नलिखित क्रम में अग्न्यायुध के बैरल और फ्रेम या बैरल और रिसीवर पर निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, -
- (क) ऐसे विशिष्ट अक्षर, जो इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं;
- (ख) आयुध अनुज्ञप्ति का क्रम संख्यांक; और
- (ग) स्टांप लगाने का वर्ष।
- (2) जब किसी आयातित अग्न्यायुध को व्यापारी द्वारा विक्रय के लिए रखा जाता है, जिस पर विनिर्माता का नाम नहीं है, वहां राज्य सरकार द्वारा यथा आबंटित आयातकर्ता के विशिष्ट चिह्न को, अनुज्ञापन प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के पश्चात्, अग्न्यायुध के बैरल और फ्रेम या बैरल और रिसीवर पर उत्कीर्णित किया जाएगा:
- परंतु यदि बैरल पर एक से अधिक संख्यांक चिह्नित हैं तो मूल बीजक पर उपदर्शित संख्यांक को विशिष्ट चिह्न के रूप में अंकित किया जाएगा;

परंतु यह और कि जहां विनिर्माता का संख्यांक केवल ट्रिगर गार्ड या किसी अन्य प्रतिस्थापनीय भाग पर उपदर्शित किया गया है, वहां ऐसे संख्यांक को अग्न्यायुध के बैरल और फ्रेम या बैरल या रिसीवर पर भी उत्कीर्णित किया जाएगा।

अध्याय 3

अनुज्ञप्तियों के विशेष प्रवर्ग

- 35. ऐसे जंगली पशुओं को मारने के लिए अनुज्ञप्ति, जो मानवों या मवेशियों को क्षति और फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं -** (1) इस नियम के अधीन आयुध अनुज्ञप्तियों की मंजूरी, ऐसे राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में, जहां वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) लागू है, उसके उपबंधों के अधीन होगी।

(2) प्ररूप 4 में अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए इस नियम के अधीन किए जाने वाले आवेदन में ऐसी भूमि और कृषि के, जिसे सुरक्षा की आवश्यकता है तथा उस क्षेत्र के, जहां आयुध और गोला बारूद को साथ में रखा जाना अपेक्षित है, व्यौर विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

(3) जहां फसल कटाई के मौसम की समाप्ति पर, राज्य सरकार किसी क्षेत्र में वन्य जीव के संरक्षण के लिए ऐसा करना समीचीन समझती है कि प्ररूप 4 में किन्हीं आयुध या गोला बारूद को किसी पुलिस थाने या अनुज्ञप्त व्यौहारी के पास जमा किया जाना चाहिए, वहां वह आदेश द्वारा किसी अनुज्ञप्तिधारी से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह ऐसी अवधि के लिए, जिसके दौरान ऐसे प्रयोजनों के लिए जिसके हेतु अनुज्ञप्ति मंजूर की गई है और जो विनिर्दिष्ट किए गए हों, आयुध या गोला बारूद अपेक्षित नहीं हैं, उन्हें जमा करने की अपेक्षा कर सकेगी और तदुपरांत अनुज्ञप्तिधारी ऐसे आदेश का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा।

- 36. प्रशिक्षण और लक्ष्य को साधने के अभ्यास के लिए अनुज्ञप्ति -** (1) इक्कीस वर्ष से कम किंतु बारह वर्ष से अधिक आयु के किसी व्यक्ति को प्रशिक्षण के प्रयोजनों के लिए अनुज्ञेय प्रवर्ग के आयुधों का उपयोग करने की अनुज्ञा दी जा सकेगी, जो ऐसे आयुधों का उपयोग किसी वयस्क अनुदेशक या अनुज्ञप्तिधारी की उपस्थिति या प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन के अधीन कर सकेगा:

परंतु इक्कीस वर्ष के कम आयु के किसी व्यक्ति को, ऐसे किसी व्यक्ति की, जो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसे आयुधों को अपने साथ रखने के लिए विधिपूर्वक प्राधिकृत है, उपस्थिति में और पर्यवेक्षण के अधीन सिवाय सार्वजनिक स्थान पर अनुज्ञेय प्रवर्ग के ऐसे आयुध को साथ रखने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी, जिसके लिए कोई अनुज्ञप्ति अपेक्षित है।

(2) ऐसे किसी व्यक्ति, जो निशानेबाजी की क्रीड़ा हेतु अभ्यास करने के लिए प्ररूप 3 में आयुधों के अनुज्ञेय प्रवर्ग को कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन करता है, से इस बात का साक्ष्य दर्शित करने की अपेक्षा की जाएगी कि वह ऐसे क्रियाकलापों में भाग लेता है और वह संरचनाबद्ध पठन प्रक्रिया का पालन कर रहा है।

(3) ऐसे किन्हीं आयुधों का, जिन्हें निशानेबाजी की क्रीड़ा के प्रयोजनों के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त है, उपयोग क्रीड़ा निशानेबाजी क्लबों या निशानेबाजी रेंज में अभ्यास और प्रतियोगिता तक ही सीमित होगा।

(4) प्ररूप 3 में अनुज्ञप्ति धारण करने वाला कोई समर्पित खिलाड़ी, केवल क्रीड़ा के प्रयोजन के लिए किसी अन्य समर्पित खिलाड़ी को जो विधिक रूप से इस किस्म के आयुधों को कब्जे में रखने के लिए हकदार है, तीन मास से अनधिक अवधि के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए अपने आयुधों को उधार देन के लिए समर्थ होगा,-

(क) उधार लेने वाले व्यक्ति द्वारा आयुध का उपयोग किसी अनुज्ञप्ति धारक की उपस्थिति में या उसकी अनुज्ञप्ति की प्रमाणित प्रति के साथ किसी लिखित प्राधिकार के अधीन किया जाता है, जिसमें आयुध का संख्यांक और अन्य पहचान चिह्न और उसे उधार दिए जाने की अवधि दर्शित होगी;

(ख) उधार लेने वाले व्यक्ति की घोर अनदेखी के कारण आयुध का दुरुपयोग किए जाने या उसके चोरी या गुम हो जाने की दशा में, उधारकर्ता की अनुज्ञप्ति प्रतिसंहरण किए जाने की दायी होगी और साथ ही वह अधिनियम के उपबंधों के अधीन अभियोजन के लिए भी दायी होगा; और

(ग) उधार लेने वाला व्यक्ति, मांगे जाने पर इस प्रकार उधार लिए जाने का सबूत प्रस्तुत करेगा।

(5) जहां उधारकर्ता की अनुपस्थिति में उपनियम (4) के अधीन आयुधों को उधार लेने वाला व्यक्ति प्रशिक्षण या निशानेबाजी के अभ्यास या किसी निशानेबाजी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आयुध और गोला बारूद को किसी निशानेबाजी रेंज में ले जाने का आशय रखता है, वहां वह आयुध और गोला बारूद के संबंध में उधारकर्ता द्वारा प्ररूप 5क में हस्ताक्षरित लिखित प्राधिकार अपने साथ रखेगा, जिसमें क्षेत्र और अवधि भी विनिर्दिष्ट की जाएगी और साथ ही उधारकर्ता की आयुध अनुज्ञप्ति की एक प्रमाणित प्रति भी लगी होगी ;

परंतु जहां आयुध या गोला बारूद को राज्य से बाहर ले जाना आशयित है, वहां लिखित प्राधिकार को ऐसे जिला या राज्य राइफल संघ, जहां उधारकर्ता रजिस्ट्रीकृत है, अध्यक्ष या सचिव द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजन के लिए, "वयस्क" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने इक्कीस वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

- 37. निशानेबाजी क्रीड़ा संघ के अनुज्ञप्ति** - (1) संबद्ध राज्य राइफल संघ या भारत के राष्ट्रीय राइफल संघ के साथ प्रत्यायित कोई निशानेबाजी क्रीड़ा संघ या कोई क्लब या कोई सेना मैस प्ररूप 5 में अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन करने के लिए पात्र होंगे और साथ ही अपने परिसरों पर आयुधों और गोला बारूद को अर्जित करने तथा कब्जों में और उनका उपयोग और/या भंडारण करने के लिए भी पात्र होंगे।
- (2) अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए उपनिमय (1) के अधीन कोई आवेदन, प्रारंभिक मंजूरी के समय या उसके प्रत्येक पश्चातवर्ती नवीकरण के समय किए जाने वाला आवेदन, यथा लागू निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा, अर्थात्:-
- (क) उसके ज्ञापन और संघ अनुच्छेदों और सदस्यता नियमों;
- (ख) पदधारियों और स्थायी सदस्यों की सूचियों;
- (ग) प्रशिक्षण और निशानेबाजी के अभ्यास के लिए प्रत्यायित निशानेबाजी रेंज की विशिष्टियां;
- (घ) निशानेबाजी की क्रीड़ा के संवर्धन या प्रोत्साहन के लिए किए गए प्रशिक्षण/निशानेबाजी अभ्यास संबंधी क्रियाकलापों के व्यौरे;
- (ङ) आयोजित किए गए निशानेबाजी क्रीड़ा टूर्नामेंट या प्रतियोगिताओं के व्यौरे;
- (च) नियम 10 के अधीन आयुधों और गोला बारूद के सुरक्षित भंडारण के व्यौरे; और
- (छ) क्लब या संघ और/या उसके द्वारा उपभोग किए गए गोला बारूद के पूर्ण अभिलेख।
- (3) जहां प्ररूप 5 में कोई अनुज्ञप्ति किसी निशानेबाजी क्रीड़ा संघ या क्लब या किसी सेना मैस के नाम पर मंजूर की गई है, वहां ऐसी मैस, क्लब या संघ के किसी सदस्य के लिए, अनुज्ञप्ति की शर्तों के अधीन रहते हुए प्रशिक्षण और निशानेबाजी के अभ्यास के प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्ति में उल्लिखित निशानेबाजी रेंज पर अनुज्ञप्ति के अधीन आने वाले आयुध या गोला बारूद का उपयोग करना विधिपूर्ण होगा।
- (4) जहां किसी राइफल क्लब या संघ का कोई सदस्य, मरम्मत या प्रशिक्षण या निशानेबाजी अभ्यास के लिए किसी शूटिंग रेंज में जाने के लिए या किसी निशानेबाजी प्रतियोगिता में भाग लेने के प्रयोजन के लिए क्लब या संघ के परिसरों से बाहर आयुध या गोला बारूद को ले जाने का आशय रखता है, वहां उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह आयुध और गोला बारूद के संबंध में और क्षेत्र तथा पारपत्र में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए क्लब या संघ के अध्यक्ष या सचिव द्वारा हस्ताक्षरित प्ररूप 5ख में एक पारपत्र अपने पास रखे।
- 38. शूटिंग रेंज के लिए अनुज्ञप्ति**-(1) कोई व्यक्ति किसी आंतरिक या बाहरी प्राइवेट शूटिंग रेंज के लिए अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन कर रहा है केंद्रीय सरकार द्वारा इस लिमिट साधारण या विशेष आदेश द्वारा पारित तकनीकी और सुरक्षा मांगों को पूरा करने की अपेक्षा होगी :
- परंतु एयर पिस्टल और एयर राइफल से लक्ष्य अभ्यास के लिए उपयोग की जाने वाली 10 मीटर की दूरी तक की आंतरिक रेंज को अनुज्ञापन अपेक्षाएं लागू नहीं होगी >
- (2) इस नियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति अनुदत्त नहीं की जाएगी जब तक की ऐसी शूटिंग रेंज के स्वामी या प्रचालक के पास तृतीय पक्षकार बीमा कवर या अज्ञापक बैंक प्रतिभूति बंधपत्र अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रयास वित्तीय प्रबंधन न हो:
- परंतु सैनिक, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य पुलिस विभाग के स्वामित्वाधीन या प्रचालित रेंज संबंधित आंतरिक मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार जोखिम को स्वयं कवर करते हैं।
- (3) भारतीय खेल प्राधिकरण या भारतीय राष्ट्रीय राइफल संगम उनसे संबद्ध संघों, निकायों का नियमित निरीक्षण संचालित करेंगे, नियमित अंतराल पर ऐसे रेंज के स्वामी है या प्रचालन करते हैं ताकि शूटिंग रेंज के लिए अधिकृत सुरक्षा मानकों और अन्य मानदंडों का कठोरता से पालन का सुनिश्चित किया जा सके।
- (4) अनुज्ञापन प्राधिकारी उसके क्षेत्राधिकार के अधीन आने वाले फायरिंग रेंज के सभी प्रवर्गों का अवधिक या औचक निरीक्षण भी कर सकेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे रेंजों को लागू तकनीकी और सुरक्षा शर्तों का पालन किया जा रहा है।
- (5) आयुधों के सुरक्षित और दक्षित रखरखाव के संबंध में तथा आयुधों के परीक्षण के संबंध में व्यवहारिक प्रशिक्षण जिसके अंतर्गत गोला-बारूद को फायर करना भी है ऐसे प्रत्यायित शूटिंग रेंज में किया जाएगा जिसके पास प्ररूप 5 में अनुज्ञप्ति है।

39 प्रत्यायित प्रशिक्षकों के लिए अनुज्ञप्ति-(1) कोई व्यक्ति जो प्रत्यायित प्रशिक्षक की अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन कर रहा है, से इस नियम के अधीन अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने से पूर्व पात्रता परीक्षण पूरा करने और प्रशिक्षण लेने की अपेक्षा होगी :

परंतु प्रत्यायित पर प्रशिक्षकों की परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम और उसके संचालन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अंतर्विष्ट करते हुए नीति केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में साधारण या विशेष आदेश पारित करते हुए विनिर्दिष्ट की जाएगी ।

(2) कोई व्यक्ति मास्टर प्रत्यायित प्रशिक्षक की अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए आवेदन कर रहा है विभिन्न प्रकार के लघु आज के हथालन की तकनीकी जानकारी और विशेषज्ञता रखने की अपेक्षा होगी अलवर इस संबंध में अनुज्ञापन प्राधिकारी के समाधान प्रद रूप से दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेगा :

परंतु मास्टर प्रत्यायित प्रशिक्षक की अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए नीति मार्गदर्शक सिद्धांत केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में साधारण या विशेष आदेश पारित करते हुए विनिर्दिष्ट किए जाएंगे :

परंतु या और कि मास्टर प्रत्यायित प्रशिक्षक उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्यायित प्रशिक्षकों प्रशिक्षण प्रदान करने के हकदार होंगे ।

(3) मास्टर प्रत्यायित प्रशिक्षक और प्रत्यायित प्रशिक्षक अनुज्ञप्ति प्रदान करने के पश्चात निम्नलिखित के लिए पात्र होंगे :-

(i) आवेदकों को नियम 10 में विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण प्रदान करना और इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्तियां देना; और

(ii) अनुबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफलतापूर्वक पूरा करने पर विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जारी करना ।

(4) प्रत्यायित प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शूटिंग रेंजों को उपलब्ध कराने के लिए मानदंड केन्द्रीय सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश पारित करके विनिर्दिष्ट किए जा सकेंगे ।

(5) उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट शूटिंग रेंज में रक्षा बलों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, राज्य पुलिस विभागों के स्वामित्वाधीन या उनके द्वारा प्रचालित सरकारी शूटिंग रेंज और शूटिंग क्लबों या संघों के स्वामित्वाधीन और उनके द्वारा प्रचालित शूटिंग रेंज भी हैं, जिन्हें इन नियमों के प्ररूप 5 में अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई है ।

स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजन के लिए मास्टर प्रत्यायित प्रशिक्षक लघु आयुध विशेषज्ञों जिन्होंने रक्षा बलों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, राज्य पुलिस बलों में कार्य किया है और नियम 40 के स्पष्टीकरण के अधीन यथा परिभाषित अंतरराष्ट्रीय पदक प्राप्तकर्ता और विख्यात शूटर को निर्दिष्ट करता है ।

40. खिलाड़ियों, शूटिंग संगमों आदि को गोला बारूद की मात्रा- (1) खिलाड़ियों के विभिन्न वर्गों को उनकी वैयक्तिक खपत और शूटिंग क्रीड़ा संगमों को अनुज्ञात गोला बारूद की मात्रा नीचे दी गई सारणी में अधिकथित सीमाओं के अनुसार होगी:-

सारणी

क्रम सं.	व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग	अग्नायुध की किस्म	प्रत्येक किस्म के गोला बारूद की मात्रा और विवरण	
			किसी भी समय कब्जे में रखने के लिए	वर्ष के दौरान क्रय की जा सकने वाली
1.	अर्जुन पुरस्कार विजेता	सभी	1,00,000 सामूहिक रूप से सभी किस्म के अग्नायुधों के लिए	2,00,000 सामूहिक रूप से सभी किस्म के अग्नायुधों के लिए
2.	अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता/विख्यात शूटर	राइफल/पिस्टल .22एलआर; 8 मि.मीटर तक कैलीबर के साथ सेंटर	50,000 सामूहिक रूप से सभी किस्म के अग्नायुधों के लिए	10,000 सामूहिक रूप से सभी किस्म के अग्नायुधों के लिए

		फायर राइफल; रिवॉल्वर/पिस्टल; 12 बोर/गेज कैलीबर तक की शॉटगन।	लिए	लिए
3.	कनिष्ठ लक्ष्य शूटर	8 एमएम कैलीबर की सेंटर फायर राइफल; रिवॉल्वर/पिस्टल; 12 बोर/गेज कैलीबर तक की शॉटगन	10,000 सामूहिक रूप से सभी किस्म के अग्नयुद्धों के लिए	30000 सामूहिक रूप से सभी किस्म के अग्नयुद्धों के लिए
4.	शूटर बनने के आकांक्षी	.22 एलआर राइफल/पिस्टल कोई अन्य पिस्टल/रिवॉल्वर कैलीबर कोई अन्य राइफल/शॉटगन कैलीबर	15,000 सामूहिक रूप से सभी किस्म के अग्नयुद्धों के लिए	30000 सामूहिक रूप से सभी किस्म के अग्नयुद्धों के लिए
5.	अन्य शूटर (जो ऊपर क्रम संख्या 1 से 4 के अधीन नहीं आते हैं) जो विधिमान्य आयुध अनुज्ञप्तियां रखते हैं और जो भारतीय राष्ट्रीय राइफल संगम या भारतीय राष्ट्रीय राइफल संगम से संबद्ध राज्य राइफल संगमों या शूटिंग क्लबों/ राज्य राइफल संगमों से संबद्ध जिला राइफल संगमों के सदस्य भी हैं सदस्य भी हैं	.22एलआर राइफल/पिस्टल किसी अन्य कैलीबर का कोई अन्य पिस्टल/रिवॉल्वर किसी अन्य कैलीबर का कोई अन्य राइफल/शॉटगन	500 300 200	1000 600 500
6.	भारतीय राष्ट्रीय राइफल संगम। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संगम से संबद्ध राज्य राइफल संगम। शूटिंग क्लब/ राज्य राइफल संगम से संबद्ध जिला राइफल संगम राज्य राइफल संघों के साथ संबद्ध संगम राज्य राइफल संगमों या भारतीय राष्ट्रीय राइफल संगमों के साथ सहबद्ध सभी शूटिंग	प्रमाणन निकाय की सिफारिशों के आधार पर गोला बारूद की ऊपरी सीमा का विनिश्चय अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा किया जाना है।		

क्लब । भारतीय खेल प्राधिकरण या राज्य सरकारों के खेल प्राधिकरण के अधीन सभी शूटिंग रेंज	
टिप्पणः 12बोर/गेज तक के कैलीबर से शॉटगन के कैलीबर अभिप्रेत हैं और इसके अंतर्गत 16, 20, 28, और 410 बोर आदि के निम्नतर कैलीबर सम्मिलित हैं	

(2) इस नियम के प्रयोजनों के लिए प्रमाणीकरण निकाय और प्रमाणीकरण अंतर्वस्तु नीचे दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट होगी, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	खिलाड़ी का प्रवर्ग	प्रमाणीकरण निकाय	प्रमाणीकरण की शर्तें
1.	अर्जुन पुरस्कार विजेता	खेल विभाग, युवा और खेल मामले मंत्रालय में भारत सरकार	प्रमाण पत्र यह कथन करेगा कि पुरस्कार शूटर के रूप से उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया गया था
2.	अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता/विख्यात शूटर	भारतीय राष्ट्रीय राइफल संगम (एनआरएआई)	प्रमाण पत्र यह कथन करेगा कि अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता द्वारा पदक अंतरराष्ट्रीय चैम्पीयनशिप में जीता गया था और विख्यात शूटरों की दशा में योग्यता प्रमाण पत्र में अर्हक स्कोर के साथ

			एनआरआई द्वारा यथानिर्दिष्ट स्पर्धा के लिए न्यूनतम अर्हक अंक (एमक्यूएस)
3 और 4	कनिष्ठ लक्ष्य शूटर/उच्चकांक्षी शूटर	भारतीय राष्ट्रीय राइफल संगम या एनआरएआई के अनुमोदित या संबद्ध राज्य राइफल संगम	प्रमाणपत्र, स्पर्धा के लिए एनआरएआई या राज्य राइफल संगम द्वारा यथानिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हक अंक सहित अर्हक अंक वर्णित करेगा ।
5	अन्य शूटर	भारतीय राष्ट्रीय राइफल संगम या एनआरएआई के संबद्ध राज्य राइफल संगम या शूटिंग क्लब/राज्य राइफल संगम के साथ संबद्ध जिला राइफल संगम ।	प्रमाणपत्र शूटर की सदस्यता और अन्य ब्यौरे का कथन करेगा ।
6	राज्य राइफल संगम या भारतीय राष्ट्रीय राइफल संगम के साथ संबद्ध शूटिंग क्लब/जिला राइफल संगम ।	यथालागू राज्य राइफल संगम या भारतीय राष्ट्रीय राइफल संगम ।	

	राज्य राईफल संगम	भारतीय राष्ट्रीय राईफल संगम	
	भारतीय राष्ट्रीय राईफल संगम	युवा मामले और खेल मंत्रालय	
	शूटिंग रेंज	भारतीय खेल प्राधिकरण/राज्य सरकार का खेल प्राधिकरण/ भारतीय राष्ट्रीय राईफल संगम	

स्पष्टीकरण – इस नियम के प्रयोजनों के लिए,

(क) “अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप” से एशियाई खेल, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप या एशियाई महिला या एशियाई जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रमंडल शूटिंग चैंपियनशिप, ओलंपिक खेल, विश्व जूनियर या सीनियर शूटिंग चैंपियनशिप और सीनियर जूनियर स्पर्धाओं में विश्व कप अभिप्रेत है।

(ख) “अंतरराष्ट्रीय मेडलधारी” से कोई व्यक्ति जिसने किसी अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में व्यक्तिगत या टीम मेडल जीता है;

(ग) “विख्यात शूटर” से कोई व्यक्ति जिसने अंतरराष्ट्रीय शूटिंग खेल संग (आईएसएसएफ) के नियमों के अनुसार किसी राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में किसी खुली पुरुष स्पर्धा या खुली महिला स्पर्धा या खुली सिविल स्पर्धा में, चाहे अर्हक टूर्नामेंट या वाइल्ड कार्ड प्रवेश के माध्यम से भाग लिया है और राष्ट्रीय राईफल संगम द्वारा विहित न्यूनतम अर्हक अंक अभिप्राप्त किए हैं ;

(घ) “कनिष्ठ लक्ष्य शूटर” से कोई व्यक्ति जिसने बारह वर्ष की आयु पूर्ण की है, परंतु इक्कीस वर्ष से कम आयु का है और कम से कम एक राज्य चैंपियनशिप (वर्ष में एक बार आयोजित) या आंचलिक चैंपियनशिप में या राष्ट्रीय राईफल संगम और/या संबंधित राज्य राईफल संगम द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया है;

(ङ). “उच्चकांक्षी शूटर” से कोई व्यक्ति जिसने कम से कम एक राज्य चैंपियनशिप (वर्ष में एक बार आयोजित) या आंचलिक चैंपियनशिप में या राष्ट्रीय राईफल संगम और/या संबंधित राज्य राईफल संगम द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया है और राष्ट्रीय राईफल संगम द्वारा विहित न्यूनतम अर्हक अंक अभिप्राप्त किए हैं ;

41. संग्रहालयों को अनुज्ञप्ति – (1) आयुध और गोला-बारुद के प्रदर्शन हेतु अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करने वाला किसी संग्रहालय को संस्कृति मंत्रालय के पास सम्यक प्रत्यायन और केंद्रीय या किसी राज्य अधिनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण धारण करना आवश्यक है।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन के साथ -

(i) प्रदर्शन क्रियाविधियों का विवरण जिसे आयुध और गोला-बारुद को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग में लाया जाएगा;

(ii) प्रदर्शन एक प्रत्यायोजित संग्रहालय होगा, का दस्तावेजी सबूत;

(iii) प्रदर्शित किए जाने वाले आयुध या गोला-बारुद के भंडारण, परिवहन और सुरक्षित अभिरक्षा से संबंधित सुरक्षा उपायों का विवरण और विनिर्देश;

(iv) संग्रहालय, जहां आयुध या गोला-बारुद प्रदर्शित किए जाएंगे, को पहुंच नियंत्रण का विवरण; और

(v) यह प्रमाणपत्र कि संग्रहालय आम जनता के लिए खुला रहेगा।

(3) आयुध और गोला-बारुद संग्रहालय के नियुक्त संग्रहालयाध्यक्ष या संग्रहालयाध्यक्ष द्वारा लिखित में उसके लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति, जो यह सुनिश्चित करेगा कि आयुध और गोला-बारुद तक अनधिकृत पहुंच और नुकसान को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते हैं, के नियंत्रणाधीन प्रदर्शित या भंडारित किए जाएंगे।

(4) आयुध और गोला-बारुद का उपयोग केवल अनुज्ञप्ति में यथावर्णित संग्रहालय के रजिस्ट्रीकृत परिसरों पर संग्रहालय द्वारा प्रदर्शन और/या भंडारण के लिए किया जाएगा।

(5) अनुज्ञप्तिधारी किसी अग्न्यायुध का प्रदर्शन केवल तभी करेगा जब, -

(क) अग्न्यायुध भरा हुआ नहीं है;

(ख) अग्न्यायुध को किसी जंजीर या धातु केबल से बांधा गया हो, जो दिवार या स्थायी फिक्चर से बंधी जंजीर या केबल के एक सिरे के साथ ट्रिगर गार्ड में से ऐसी रीति में गुजरती है, जिससे कि संग्रहालयाध्यक्ष या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति से अन्यथा किसी व्यक्ति द्वारा अग्न्यायुध को हटाने से निवारित किया जाए;

(ग) अग्न्यायुध को सुरक्षित लॉकिंग डिवाइस के माध्यम से निष्क्रिय बनाया जाता है और ऐसे स्थान पर ऐसी रीति में प्रदर्शित किया जाता है, जो केवल संग्रहालयाध्यक्ष या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति की पहुंच में हो।

42. नाटक फिल्म या टेलीविजन निर्माणों के लिए आयुध और गोला-बारुद के लिए अनुज्ञप्ति - (1) आयुध और गोला-बारुद को प्राप्त करने, कब्जे में रखने, साथ ले जाने और उपयोग करने के लिए अनुज्ञप्ति आवेदकों को प्ररूप 3 में निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए जारी की जा सकेगी, अर्थात्:-

- (i) ऐसे अभिनयों के लिए नाटक, अभिनय और पूर्वाभ्यास;
- (ii) फिल्मों के निर्माण से;
- (iii) टेलीविजन कार्यक्रमों के निर्माण में;
- (iv) ऐतिहासिक पुनः अभिनय का संगठन और आयोजन;
- (v) दौड़ो या खेल कूद स्पर्धाओं को प्रारंभ करने के लिए संकेत करने।

(2) इस नियम के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा, अर्थात् :-

- (i) एक वचनबंध, जिसमें पुष्टि की गई हो कि आवेदक अग्न्यायुध प्रतिकृति और खाली फायरिंग अग्न्यायुध को अग्न्यायुधों में परिवर्तित नहीं करेगा;
- (ii) अनुज्ञप्ति प्राधिकारी का समाधान करते हुए यह सबूत कि आवेदक एक वास्तविक उपयोगिता है या ऐसे आयुध या गोला-बारुद को उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए भाड़े पर उपलब्ध करवाने वाला ठेकेदार है;
- (iii) आवेदक द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले आयुध या गोला-बारुद की सुरक्षित अभिरक्षा से संबंधित सुरक्षापायों का विवरण ;
- (iv) एक वचनबंध जिसके अनुसार आवेदक या कोई व्यक्ति जिसको आयुध भाड़े पर दिए जाते हैं भरे हुए गोला बारुद का उपयोग नहीं करेगा;
- (v) उस स्थान के व्यौरे जहां आयुध या गोला-बारुद जारी करने के संबंध में अभिलेख अनुज्ञप्ति प्राधिकारी या निरीक्षक की पंक्ति से अन्यून किसी पुलिस अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए रखे जाएंगे।

43. भारत आने वाले पर्यटकों द्वारा आयुध या गोला-बारुद का अर्जन कब्जे में रखना और निर्यात - (1) किसी पर्यटक को प्ररूप 6 में भारत में उसके ठहराव के दौरान अनुसूची 1 के प्रवर्ग 3, प्रवर्ग 4 और प्रवर्ग 5 में विनिर्दिष्ट आयुध और गोला-बारुद को अर्जित करने, अपने कब्जे में रखने (किंतु उपयोग न करने), भारत से बाहर ले जाने और निर्यात करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी :

परंतु अनुसूची 1 के प्रवर्ग 4 में विनिर्दिष्ट आयुध के निर्यात के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ केंद्रीय सरकार के पुरातत्व के महानिदेशक से इस प्रभाव का प्रमाणपत्र कि निर्यात किए जाने के लिए आशयित आयुध पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 (1972 का 52) के अधीन "पुरावशेष" की परिभाषा के भीतर नहीं आते हैं, के साथ संलग्न किया जाएगा।

(2) अनुज्ञप्तिधारी भारत छोड़ने के समय आयुध या गोला-बारुद पेश करेगा और अपनी अनुज्ञप्ति पासपोर्ट निरीक्षण प्राधिकारी या इस निमित्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सशक्त अन्य प्राधिकारी को पत्तन पर या भारत से प्रस्थान से अन्य स्थान पर वापस करेगा।

(3) पासपोर्ट निरीक्षण प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी जिसको अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्ति लौटाई गई है, उसे उस प्राधिकारी को ऐसे टिप्पणियों के साथ कि आयुध या गोला-बारुद सम्यक रूप से निर्यात किए गए हैं, अग्रेषित करेगा जिसमें उसे जारी किया गया था।

44. भारत में शूटिंग स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी को अनुज्ञप्ति - (1) किसी देश से किसी भी आयु समूह के किसी खिलाड़ी द्वारा जो खेल और युवा कार्यक्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेल निकाय द्वारा भारत में आयोजित की जाने वाली शूटिंग प्रतियोगिता या स्पर्धा या प्रतियोगिताओं या स्पर्धाओं की श्रृंखलाओं या प्रशिक्षण के लिए पात्र हैं। स्पर्धा या प्रतियोगिता या प्रशिक्षण की अवधि के दौरान और उसके लिए तय स्थान पर प्ररूप क-5 में आवेदन किया जा सकेगा और ऐसे आवेदक को अनुसूची 1 के प्रवर्ग 3 में विनिर्दिष्ट आयुध और गोला-बारुद के लिए अनुज्ञप्ति यथाव्यवहार्य भारत में खिलाड़ी के आगमन की प्रत्याशित तारीख से एक मास पूर्व प्रदान किया जा सकेगा।

(2) किसी सामूहिक आवेदन की दशा में अनुज्ञप्ति प्रबंधक या टीम या समूह के साथ किसी अधिकारी के नाम से जारी की जा सकेगी और आयुध और गोला-बारुद के व्यौरे जारीकर्ता अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा संलग्न उपाबंध में जो अनुज्ञप्ति का भाग होगी, में दिए जा सकेंगे।

(3) जहां उपनियम(1) के अधीन किसी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी या खिलाड़ियों को अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है, वहां ऐसे व्यक्ति की अनुज्ञप्ति के साथ-साथ पासपोर्ट और वीजा भी आगमन के पत्तन के अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे और उक्त प्राधिकारी अनुज्ञप्तिधारी से लिखित में वचनबंध अभिप्राप्त करने के पश्चात् कि वह भारत में किसी को भी आयुध या गोला-बारुद नहीं बेचेगा या अंतरित नहीं करेगा, अनुज्ञप्ति को पृष्ठांकन की तारीखसे छह मास की अवधि के लिए या वीजा की विधिमान्यता तक, जो भी पूर्वोक्त हो, विधिमान्य होगी और पासपोर्ट या वीजा में उन आयुधों और गोला बारुद की पूर्व विशिष्टियां देते हुए, जिनके लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, पासपोर्ट या वीजा में भी प्रविष्टि करेगा।

(4) अनुज्ञप्तिधारी भारत को छोड़ते हुए ऐसे प्राधिकारी जिसके नियंत्रणाधीन शूटिंग प्रतियोगिता या स्पर्धा या प्रशिक्षण संचालित किया गया था द्वारा जारी गोलाबारुद के लिए उपभोग प्रमाणपत्र सहित आयुध या गोला-बारुद पेश करेगा और अपनी अनुज्ञप्ति पासपोर्ट

निरीक्षण प्राधिकारी या इस निमित्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सशक्त अन्य प्राधिकारियों का भारत से प्रस्थान के पत्तन पर अन्य स्थान पर लौटाएगा।

(5) पासपोर्ट निरीक्षण प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी, जिसे उपनियम (4) के अधीन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्ति वापस लौटाई जाती है, उसे जारी करने वाले प्राधिकारी को ऐसे टिप्पणियों के साथ आयुध या उपयोग में न लाए गए गोला-बारुद सम्यक रूप से पुनः निर्यात किए गए हैं।

45. आयात/निर्यात अनुज्ञप्तियों के अन्य अस्थायी प्रवर्ग - (1) अनुसूची 1 के प्रवर्ग 3 में विनिर्दिष्ट आयुध और गोला-बारुद को, यथाव्यवहार्य, भारत में आगमन की प्रत्याशित तारीख से छह मास पूर्व प्ररूप 6 में निम्नलिखित व्यक्तियों को अनुज्ञप्ति प्रदान की जा सकेगी, अर्थात् :-

(क) किसी व्यापार प्रदर्शन या किसी क्रीड़ा व्यापार प्रदर्शन में आयुध और गोला-बारुद प्रदर्शित करने के लिए किसी विदेशी आगंतुक को;

(ख) विदेश मंत्रालय में भारत सरकार की सिफारिशों पर किसी विदेशी सरकार के पदाधिकारी या विशिष्ट विदेशी आगंतुक या विदेशी विधि प्रवर्तन अधिकारी को जो किसी सरकारी अनुमोदित नियंत्रण समनुदेशन पर हो;

(ग) किसी व्यक्ति को, जिसने विधिसम्मत कारणों के लिए भारत सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया है और जहां आवेदक निम्नलिखित प्रभाव का कोई बचनबंध प्रस्तुत करता है कि -

(i) उसके पास आयुध का विधिपूर्ण कब्जा है;

(ii) उसे विचाराधीन आयुध के सुरक्षित हथालन, सुरक्षित भंडारण और उपयोग तथा जहां लागू हो, उसके सार्वजनिक प्रदर्शन का ज्ञान है;

(iii) उसे आयुध को अपने कब्जे में रखने की आवश्यकता है और उक्त आवश्यकता का समाधान आयुध को कब्जे में रखने से अन्यथा किसी अन्य साधन से नहीं कर सकता है; और

(iv) उसने न्यूनतम 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

(2) उपनियम (1) के अधीन इस प्रकार प्रदत्त अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता भारत में किसी पत्तन पर आगमन के समय पर उक्त अनुज्ञप्ति की पृष्ठांकन की तारीख से प्रारंभ होगी और अनुज्ञप्ति के अंतर्गत आने वाले आयुध और गोला-बारुद अनुज्ञप्ति की पृष्ठांकन की तारीख तक उपयोग में नहीं लाए जाएंगे।

(3) जहां उपनियम(1) के अधीन किसी व्यक्ति को अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है, वहां व्यक्ति के पासपोर्ट और वीजा सहित अनुज्ञप्ति उतरने वाले पत्तन के अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी और उक्त प्राधिकारी अनुज्ञप्तिधारी से लिखित में यह बचनबंध अभिप्राप्त करने के पश्चात् कि वह भारत में किसी को आयुध या गोला-बारुद नहीं बेचेगा या अंतरित नहीं करेगा, पृष्ठांकन की तारीख या वीजा की विधिमान्यता की तारीख, जो भी पूर्वतर हो, से छह मास की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति को विधिमान्य करते हुए पृष्ठांकित करेगा और पासपोर्ट या वीजा में आयुध और गोला-बारुद जिनके लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है की पूरी विशिष्टियां देते हुए प्रविष्टि करेगा।

(4) पासपोर्ट निरीक्षण प्राधिकारी या पत्तन पर या भारत से प्रस्थान के किसी अन्य स्थान पर इस निमित्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सशक्त कोई अन्य अधिकारी यहां सत्यापित करेगा कि अनुज्ञप्ति में प्रविष्टि आयुध अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भारत से बाहर ले जाए जा रहे हैं और अनुज्ञप्ति वसूल करते हुए उसे जारी करने के लिए प्राधिकारी को ऐसी टिप्पणियों के साथ अग्रेषित करेगा कि आयुध सम्यक रूप से पुनःनिर्यात किए गए हैं।

46. अग्न्यायुध-मुक्त क्षेत्रों के लिए अनुज्ञप्ति - (1) परिसरों का स्वामी या विधिपूर्ण अधिभोगी प्ररूप क-4 में उसमें विनिर्दिष्ट समर्थक दस्तावेजी सहित आवेदन, आवेदक की अधिकारिता के स्थान के अनुज्ञापन प्राधिकारी को उक्त परिसरों को अग्न्यायुध-मुक्त क्षेत्र घोषित करने के लिए प्रस्तुत कर सकेगा -

(i) कारण कथित करते हुए कि परिसरों को अग्न्यायुध-मुक्त क्षेत्रों के रूप में घोषित करना क्यों आवश्यक है ;

(ii) परिसरों को अग्न्यायुध-मुक्त क्षेत्रों के रूप में अनुरक्षित करने की क्षमता का सबूत देते हुए;

(iii) जनसाधारण को सूचित करने के लिए संचार के माध्यम का उल्लेख करते हुए कि परिसर अग्न्यायुध-मुक्त क्षेत्र है।

(2) अनुज्ञप्तिधारी की बाध्यताओं के अंतर्गत - (i) अग्न्यायुध-मुक्त क्षेत्र के रूप में घोषित परिसरों की स्पष्टतः पहचान करना और समांकित करना;

(ii) अग्न्यायुध-मुक्त क्षेत्र के रूप में परिसरों को घोषित करते हुए दोनों अंग्रेजी में और स्थानीय भाषा में सभी मुख्य प्रवेश स्थलों पर या परिसरों या परिसरों के प्रवर्ग के सामरिक स्थलों पर सूचनाएं प्रदर्शित की जाएं यह सुनिश्चित करने के लिए;

(iii) यह सुनिश्चित करना कि सूचनाएं और संकेत सभी समयों पर स्पष्टतः दृष्टिगोचर और सुस्पष्ट हैं; और

(iv) अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन के समय प्रस्तुत सूचना में परिवर्तन, यदि कोई हो, के बारे में अधिसूचित करना।

(3) अनुज्ञापन प्राधिकारी, किसी शैक्षिक संस्था, जिसके अंतर्गत विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय; या धार्मिक स्थल, अस्पताल, न्यायालय, सरकारी स्थापन, मनोरंजन या क्रीड़ा स्थल, रेस्तरां, होटल, शापिंग माल, सिनेमा हॉल या ऐसे अन्य सार्वजनिक स्थान हैं जिनके लिए उपनियम(1) के अंतर्गत ऐसी अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया जा सकता है, अग्न्यायुध मुक्त जोन के लिए प्ररूप 15 में अनुज्ञप्ति जारी कर सकेगा।

(4) अग्न्यायुध मुक्त जोन के लिए इस नियम के उपबंध निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होंगे -

- (i) किसी व्यक्ति को, जो अग्न्यायुध मुक्त जोन के किसी विधि पूर्ण स्वामी या अधिभोगी को सुरक्षा और निगरानी की ज़रूरत करता है ; और
- (ii) किसी विधि प्रवर्तन अधिकारी को जो अपनी पदीय क्षमता में कार्य कर रहा हो ।

अध्याय 4

आयुध और गोला बारुद का निक्षेप

47. धारा 21 के अधीन आयुध और गोला बारुद का निक्षेप - (1) जब कोई अनुज्ञापन प्राधिकारी किसी अनुज्ञप्ति को निलंबित करने या प्रतिसंहत करने या उसे नवीकृत करने से इंकार करने का विनिश्चय करता है तो वह अपना विनिश्चय लिखित में अनुज्ञप्तिधारी को उससे धारा 21 के अधीन, ऐसे समय के भीतर जो अनुज्ञप्ति को निलंबित करने या अनुज्ञप्ति को नवीकृत करने से इंकार करने के लिए विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुज्ञप्ति के अंतर्गत आने वाले आयुध या गोला बारुद या तो निकटतम पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी के पास या प्ररूप 8 में अनुज्ञप्ति धारण करने वाले व्यौहारी के पास या यदि वह संघ के सशस्त्र बलों का सदस्य है तो यूनिट आयुधाला में निक्षेप करने की अपेक्षा करेगा :

परंतु अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु की दशा में, आयुध या गोला बारुद विधिक प्रतिनिधि द्वारा अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु के तीन मास की अवधि के भीतर निकटतम पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी के पास प्ररूप 8 में अनुज्ञप्ति धारण करने वाले व्यौहारी के पास निक्षिप्त किए जाएंगे ।

(2) धारा 21 की उपधारा (2) के परंतुक के अधीन अनुज्ञप्तिधारी या उसकी मृत्यु की दशा में उसका विधिक प्रतिनिधि आयुध या गोला बारुद किसी ऐसे व्यक्ति को बेचने या अन्यथा निपटाने का हकदार होगा जो उनको अपने कब्जे में विधिपूर्ण ढंग से रखने का हकदार होगा तथा विक्रय आगम, यदि कोई हो, प्राप्त करने का सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान, उपनियम (6) में उपसारणी के स्तंभ (2) में वर्णित आयुध और गोला बारुद की दशा में हकदार होगा:

परंतु यदि आयुध और गोला बारुद का निपटान नहीं किया गया है या यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी या उसके विधिक प्रतिनिधि द्वारा इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उनका कब्जा विधिपूर्ण नहीं बना है तो ऐसे आयुध और गोला बारुद धारा 21 की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन जिला मजिस्ट्रेट के आदेश द्वारा सरकार को समपहृत हो जाएंगे ।

(3) जहां किसी पुलिस थाना या यूनिट आयुधाला में या प्ररूप 8 में अनुज्ञप्ति धारण करने वाले व्यौहारी के पास धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन कोई आयुध या गोला बारुद किसी स्वामी द्वारा निक्षिप्त किए जाते हैं, वहां, यथास्थिति, पुलिस थाना या यूनिट आयुधाला का प्रभारी अधिकारी या अनुज्ञप्त व्यौहारी निक्षिप्त प्रत्येक वस्तु को एक कार्ड बांधेगा और निक्षेपकर्ता को निम्नलिखित विधिष्टियों से अंतर्विष्ट एक रसीद जारी करेगा तथा उसकी प्रति उस प्राधिकारी को भेजेगा जिसने अनुज्ञप्ति प्रदान की है या उसको अंतिम बार नवीकृत किया है, अर्थात् :-

- (i) वस्तु का विवरण (संख्या इत्यादि);
 - (ii) अनुज्ञप्ति की विधिष्टियां या छूट (यदि कोई हो);
 - (iii) निक्षेपकर्ता का नाम और पता;
 - (iv) रजिस्टर में क्रमसंख्या और निक्षेप की तारीख;
 - (v) समपहरण या निपटान के लिए देय तारीख;
 - (vi) निक्षेपकर्ता के हस्ताक्षर; और
 - (vii) व्यौहारी या पुलिस थाना या यूनिट अग्न्यायुधाला के प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर ।
- (4) धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन किसी यूनिट अग्न्यायुधाला में निक्षिप्त कोई आयुध या गोला बारुद, यदि पहले लौटाए या निपटाए न गए हों, तो ऐसे निक्षेप के पश्चात् 30 दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् निकटतम पुलिस थाना को अंतरित किए जा सकेंगे ।
- (5) धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन पुलिस थाना में निक्षिप्त कोई आयुध या गोला बारुद, जो निम्नानुसार लौटाए या निपटाए नहीं गए हैं -

- (i) इसके पास निक्षेप की तारीख से तीस दिन के भीतर ; और
- (ii) उपनियम (4) के अधीन यूनिट अग्न्यायुधाला से अंतरित किए गए हैं, पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी द्वारा बेहतर अनुरक्षण और सुरक्षा के लिए जिला/ताल्लुक मुख्यालय में पुलिस अग्न्यायुधाला को या इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी ऐसे अनुदेशों के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसे अन्य स्थान को अंतरित किए जा सकेंगे :

परंतु जिला मजिस्ट्रेट, यदि वह आवश्यक समझे, तीस दिन की उक्त अवधि को 90 दिन तक विस्तारित कर सकेगा तथा ऐसे अंतरण की सूचना वस्तु के निक्षेपकर्ता और अनुज्ञापन प्राधिकारी, जिसने अनुज्ञप्ति प्रदान की है या अंतिम बार नवीकृत की है, को दी जाएगी ।

(6) निक्षेपकर्ता या उसका विधिक प्रतिनिधि धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन किसी आयुध और गोला बारुद को वापस प्राप्त करने या निपटाने के अधिकार का प्रयोग स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट आयुध या गोला बारुद के निक्षेप की दशा में कर सकेगा, अर्थात् :-

सारणी

क्रम संख्या	आयुध और गोला बारुद के निक्षेप के कारण	प्रभावी तारीख
1.	2.	3.
1.	स्वामी द्वारा अधिनियम, नियमों के उपबंधों या अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन	ऐसे निक्षेप की तारीख से एक वर्ष
2.	अनुज्ञप्ति के निलंबन या प्रतिसंहरण या किसी अन्य कारण के कारण	निलंबन या प्रतिसंहरण के आदेश की तारीख से एक वर्ष
3.	जहां आयुध या गोला बारुद पहले ही निक्षिप्त है	प्रतिसंहरण, निलंबन या अनुज्ञप्ति को नवीकृत करने से इंकार करने के आदेश की तारीख से एक वर्ष
4.	जब अधिसूचना धारा 4 के अधीन जारी की गई है	उक्त अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष
5.	जहां स्वामी द्वारा धारा 18 के अधीन अपील प्रस्तुत की जाती है	अंतिम आदेश की तारीख से एक वर्ष
6.	जहां आयुध या गोला बारुद -	
	विधिक वाद या विवाद का विषय है; या	विवाद की समाप्ति या अंतिम आदेश की तारीख से; या
	किसी ऐसे व्यक्ति के स्वामित्वाधीन या विरासत में है, जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है	उस व्यक्ति की 21 वर्ष की आयु पूरी होने की तारीख से एक वर्ष
7	जहां स्वामी भारत से बाहर सक्रिय सेवा में है	उसके भारत लौटने की तारीख से
टिप्पण 1 – एक वर्ष की अवधि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा और छह मास के लिए विस्तारित की जा सकेगी यदि निक्षेपकर्ता या स्वामी को ऐसी आयुध या गोला बारुद को साथ देने के लिए किसी कारण अयोग्य पाया जाता है।		
टिप्पण 2 – राज्य सरकार उक्त अवधि को छह मास से और छह मास के लिए और विस्तारित कर सकेगी।		

(7) धारा 21 की उपधारा (3) के अधीन समपहरण के प्रयोजन के लिए जिला मजिस्ट्रेट के आदेश द्वारा उप नियम (6) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व न लौटाए गए या न निपटाए गए आयुध या गोला बारुद जिला मालखाना या ऐसे अन्य स्थान को अंतरित किए जाएंगे :

परंतु जिला मजिस्ट्रेट समपहरण का ऐसा आदेश करने से पूर्व धारा 21 की उपधारा (4) के अधीन यथाअपेक्षित नोटिस ऐसी समान रीति में तामील करेगी जैसी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन समन को तामील करने के लिए विहित है:

परंतु यह और कि यदि निक्षेपकर्ता के संघ के सशस्त्र बलों का सदस्य होते हुए ऐसे सदस्य के कमान अधिकारी के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से तामील किया जाएगा।

(8) निक्षिप्त वस्तुओं को अनुरक्षित करने के लिए प्रभार ऐसी दरों पर विहित किए जा सकेंगे जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की जाएं।

48. आयुध और गोला बारुद का सुरक्षित अभिरक्षा के लिए निक्षेप (धारा 21 के अधीन से अन्यथा)- (1)(क) आयुध या गोला बारुद को विधिपूर्ण कब्जे में रखने वाला व्यक्ति प्ररूप 8 में अनुज्ञप्ति धारण करने वाले किसी व्यौहारी के पास या किसी पुलिस थाना में या यदि वह संघ के सशस्त्र बलों का कोई सदस्य है तो किसी यूनिट अग्न्यायुधागार में सुरक्षित अभिरक्षा के लिए निक्षिप्त कर सकेगा।

(ख) धारा 21 के अधीन से अन्यथा आयुध या गोला बारुद को निक्षेप के लिए स्वीकार करने से पूर्व व्यौहारी या पुलिस थाना या यूनिट अग्न्यायुधागार का प्रभारी अधिकारी अपना यह समाधान करेगा कि वे अधिनियम और इन नियमों के अधीन जारी विधिमान्य अनुज्ञप्ति के अधीन या ऐसी अनुज्ञप्ति की आवश्यकता से छूट के अधीन कब्जे में रखे गए हैं।

(ग) संघ के सशस्त्र बलों के सदस्यों को अपने आयुध या गोला बारुद यूनिट अग्न्यायुधागार में सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के लिए केवल उनकी सेवा के कार्यकाल के दौरान ही अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(2) जहां आयुध या गोला बारुद उपनियम (1) के अधीन निक्षिप्त किए गए हैं, वहां यथास्थिति, व्यौहारी या पुलिस थाना या अग्न्यायुधागार का प्रभारी अधिकारी निक्षिप्त प्रत्येक वस्तु को एक कार्ड बांधेगा जो नियम 47 में वर्णित से सुगमतापूर्वक भिन्न होगा तथा

निम्नलिखित विशिष्टियों से अंतर्विष्ट एक रसीद निक्षेपकर्ता को जारी करेगा और उसकी एक प्रति उस प्राधिकारी को भेजेगा जिसने अनुज्ञप्ति प्रदान की थी या अंतिम बार नवीकृत की थी, अर्थात् :-

- (i) वस्तु का विवरण (संख्या इत्यादि);
 - (ii) निक्षेपकर्ता का नाम और पता;
 - (iii) अनुज्ञप्ति की विशिष्टियां या छूट (यदि कोई हो);
 - (iv) रजिस्टर में क्रमसंख्या और निक्षेप की तारीख;
 - (v) अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख;
 - (vi) तारीख, जब तक निक्षिप्त की गई
 - (vii) निक्षेपकर्ता के हस्ताक्षर; और
 - (viii) व्यौहारी या पुलिस थाना या यूनिट अग्न्यायुधआगर के प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर।
- (3) अनुज्ञप्ति को नवीकृत करवाने में विफलता की दशा में, आयुध या गोला बारुद प्ररूप 7 में उसकी अनुज्ञप्ति के प्राधिकार पर व्यौहारी द्वारा या पुलिस थाने या यूनिट अग्न्यायुधआगर के प्रभारी अधिकारी द्वारा कब्जे में रखे जाएंगे; परंतु, यदि अनुज्ञप्ति उसकी समाप्ति के पश्चात् नवीकृत नहीं की जाती है तो पुलिस थाने या यूनिट अग्न्यायुधआगर के प्रभारी अधिकारी इसे जिला मजिस्ट्रेट के ध्यान में ऐसी कार्यवाही, जो वह आवश्यक समझे, के लिए लाएगा :
- परंतु वस्तुएं तब तक किसी भी दशा में स्वामी को नहीं लौटाई जाएंगी जब तक उनको अपने कब्जे में रखने की अनुज्ञप्ति नवीकृत नहीं की जाती है या नई अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त नहीं की जाती।
- (4) निक्षेपकर्ता से निक्षिप्त वस्तुओं की अभिरक्षा और उनके अनुरक्षण के लिए निम्नलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट दरों पर फीस प्रभारित की जा सकेगी, अर्थात् :-

सारणी

1.	प्रत्येक अग्न्यायुध के लिए	200 रुपये प्रति मास या उसका भाग
2.	प्रत्येक अन्य आयुध या गोला बारुद के पैकेज के लिए	100 रुपये प्रति मास या उसका भाग

(5) वस्तुओं के अच्छी दशा में अनुरक्षण के लिए कोई अतिरिक्त प्रभार ऐसी दरों पर विहित किए जा सकेंगे जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर नियत की जाएं।

(6) आयुध या गोला बारुद को पुलिस थाना और यूनिट अग्न्यायुधआगर में निक्षिप्त करने के लिए प्रभारित फीस खजाने में निक्षिप्त की जाएगी।

49. निक्षिप्त वस्तुओं के अभिलेख और विवरणियां - (1) व्यौहारी या पुलिस थाना या यूनिट अग्न्यायुधआगर का प्रभारी अधिकारी ऐसे रजिस्टर अनुरक्षित करेगा जो नियम 75 में विनिर्दिष्ट है।

(2) प्रत्येक वर्ष मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर के अंतिम दिन को समाप्त होने वाली तिमाहियों से संबंधित रजिस्ट्रों में प्रविष्टियों की, यथास्थिति, व्यौहारी या पुलिस थाना या यूनिट अग्न्यायुधआगर के प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर के अधीन सत्य प्रति के रूप में प्रमाणित एक प्रति प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के पश्चात् यथासंभवशीघ्र जिला मजिस्ट्रेट को अग्रेषित की जाएगी।

(3) अनुज्ञप्त व्यौहारी या पुलिस थाना या यूनिट अग्न्यायुधआगर का प्रभारी अधिकारी या उस जिला/ताल्लुक मुख्यालय में पुलिस अग्न्यायुधआगर का प्रभारी अधिकारी, जहां आयुध या गोला बारुद रखे गए हैं जिला मजिस्ट्रेट को प्रत्येक वर्ष 15 दिसंबर तक एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें उनकी अभिरक्षा में आयुध या गोला बारुद की विशिष्टियां जो उस वर्ष के अंत तक समपहरण के लिए दायी हो गई है या हो जाएगी, दर्शायी जाएगी।

(4) (क) अनुज्ञप्त व्यौहारी या पुलिस थाना या यूनिट अग्न्यायुधआगर का प्रभारी अधिकारी या उस जिला/ताल्लुक मुख्यालय में पुलिस अग्न्यायुधआगर का प्रभारी अधिकारी, जहां आयुध या गोला बारुद रखे गए हैं, सप्ताह के लिए निक्षिप्त अग्न्यायुध और गोला बारुद के संबंध में साप्ताहिक इलैक्ट्रानिक ऑन लाइन डाटा अंतरण के लिए व्यवस्था करने के लिए एन डी ए एल प्रणाली के साथ अपनी यूजर आई डी के अंतर्गत एक ऑन लाइन इलैक्ट्रानिक संपर्क स्थापित करेगा।

(ख) यदि ऐसी परिस्थितियां घटित होती हों जो खंड क में निर्दिष्ट प्राधिकारियों को इलैक्ट्रानिक नेटवर्क संपर्क के माध्यम से एन डी ए एल प्रणाली पर ऑन लाइन विवरणियां प्रस्तुत करने से रोकती हों तो, साप्ताहिक विवरणियों को प्रस्तुत करने के लिए वैकल्पिक साधन स्थापित करने हेतु स्थानीय अनुज्ञापन प्राधिकारी को तत्काल सूचित किया जाएगा।

(ग) चालू सप्ताह के लिए साप्ताहिक विवरणियां प्रत्येक शनिवार को कारबार के घंटों के समाप्ति तक प्रस्तुत की जाएंगी।

50. निरीक्षण – (1) पुलिस थाने में या व्यौहारी के पास निक्षिप्त और जिला मालखाने को अंतरित आयुध और गोला बारुद और उस प्रयोजन के लिए अनुरक्षित रजिस्टर का जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा कालिकतः निरीक्षण किया जाएगा।

(2) यूनिट अग्न्यायुधगार में निक्षिप्त आयुध या गोला बारुद और इस प्रयोजन के लिए अनुरक्षित रजिस्टर का निरीक्षण यूनिट कमान अधिकारी या उसके द्वारा राज्य, जहां यूनिट तत्समय अवस्थित है, की सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार सशक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा कालिकतः किया जाएगा।

अध्याय 5

विनिर्माता, आयुध व्यौहारी और बंदूक बनाने वाला

भाग 1

अग्न्यायुधों का निर्माण और सबूत परीक्षण

51. विनिर्माण और सबूत परीक्षण के लिए अनुज्ञप्ति – (1) अनुज्ञापन प्राधिकारी, प्ररूप 7 में अनुज्ञप्ति प्रदान करते हुए अनुज्ञप्ति प्ररूप में इन नियमों में यथाविनिर्दिष्ट अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विनिर्मित या सबूत परीक्षण या दोनों के लिए अनुज्ञात आयुध या गोला बारुद के प्रवर्ग और विवरण स्पष्टतः दर्शायेगा।

(2) अनुज्ञप्त विनिर्माता द्वारा विनिर्मित अग्न्यायुधों का सबूत परीक्षण इस संबंध में नियम 59 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार ही किया जाएगा और ऐसे किसी विनिर्मित अग्न्यायुध जिनका सम्यक रूप से सबूत परीक्षण नहीं किया गया है को बेचने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(3) अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा प्ररूप 7 में प्रदत्त प्रत्येक अनुज्ञप्ति की एक प्रति अनुज्ञप्तिधारी की विनिर्माण सुविधा के स्थान के जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित राज्य सरकार के गृह विभाग को तत्काल भेजी जाएगी।

(4) इन नियमों के उपबंधों के अधीन जिन सत्ताओं को नई अनुज्ञप्तियां प्रदान की गई हैं उन्हें नए विनिर्माताओं के रूप में जाना जाएगा जब कि ऐसी सत्ताएं और व्यक्ति जिनके पास पहले से ही सशस्त्र नियम, 162 के अधीन प्ररूप 9 में विनिर्माण अनुज्ञप्तियां हैं को विद्यमान विनिर्माताओं के रूप में जाना जाएगा।

(5) इस नियम के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए बहु-एकक सुविधा के लिए आवेदन करने वाली किसी आवेदक को कंपनी की दशा में प्रत्येक एकक को पृथक् अनुज्ञप्तियां जारी की जाएंगी।

(6) नए विनिर्माताओं को आयुध और गोला-बारुद के विनिर्माण के लिए तथा विद्यमान विनिर्माताओं से संबंधित सभी मामलों जिनके अंतर्गत इन नियमों के अधीन साधारण या विशेष आदेश जारी करके क्षमता पुनरीक्षण के लिए आवेदन हैं, के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदनों का पुनर्विलोकन और प्रसंस्करण करने के लिए गृह मंत्रालय के भीतर अनुज्ञापन समिति गठित की जाएगी।

52. विनिर्माण और सबूत परीक्षण के लिए प्ररूप 7 में अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु अग्न्यायुधों के प्रकार- अनुज्ञापन प्राधिकारी प्ररूप 7 में निम्नलिखित प्रकार के आयुधों के विनिर्माण या सबूत परीक्षण या दोनों के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगा, अर्थात् :-

- | | | |
|-------|-----|--|
| (i) | I | लघु आयुध |
| (ii) | II | हल्के हथियार |
| (iii) | III | सेना उपयोग के लिए समनुरूप बनाई गई मद्दें |

परंतु यदि वर्ग I, II, III के अधीन आने वाली कोई मद्द के अंतर्गत कोई निषिद्ध आयुध और गोला-बारुद आते हैं तो अनुज्ञापन प्राधिकारी प्ररूप 7 में अनुज्ञप्ति प्रदान करने से पूर्व अधिनियम की धारा 7 के अधीन केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करेगी।

53. प्ररूप 7 में अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन- (1) इन नियमों के अधीन नई अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करने वाला प्रत्येक विनिर्माता कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन निगमित कोई भारतीय कंपनी होगी:

परंतु आवेदक कंपनी निवासी भारतीय नागरिक के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन होगी और भारतीय कंपनियां निवासी भारतीय नागरिकों के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन होंगी उस कंपनी, जिसका विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) उनकास प्रतिशत से अधिक है, को छोड़कर:

परंतु यह और कि कंपनी का मुख्य कार्यपालक निवासी भारतीय होगा और आवेदक कंपनी का प्रबंधन बोर्ड में बहुमत प्रतिनिधित्व, नामनिर्देशितों और स्वतंत्र निदेशकों को छोड़कर भारतीयों के हाथों में होगा उस कंपनी, जिसका विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) उनकास प्रतिशत से अधिक है, को छोड़कर।

(2) इन नियमों के अधीन प्ररूप 7 में अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करने वाली कंपनी निम्नलिखित के लिए उपबंध करेगी-

(क) कंपनी की स्थापना करने वाले मूल दस्तावेज या प्रमाणित प्रतियां जिनके अंतर्गत संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन कंपनी के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र, निगमित पहचान सं. (सीआईएन), उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते का सबूत, स्थायी लेखा सं. (पैन) कार्ड और आवेदन की तारीख को निदेशकों और शेयरधारकों की प्रमाणित सूचियां;

(ख) सभी निदेशकों की निदेशक पहचान सं. (डीआईएन) की प्रति;

(ग) सभी निदेशकों और उत्तरदायी व्यक्ति के दो न्यूनतम फोटो सहित पहचान सबूत यथानिम्नानुसार:-

(i) आधारकार्ड ; या

(ii) यदि निदेशक या उत्तरदायी व्यक्ति के पास आधारकार्ड नहीं है तो इस संबंध में वैकल्पिक सबूत सहित जिसके अंतर्गत पासपोर्ट या मतदाता पहचान कार्ड या स्थायी लेखा संख्या (पैन) कार्ड या कार्यालय पहचान कार्ड है, शपथपत्र के साथ में लिखित घोषणा प्रस्तुत की जानी है;

(घ) निवास सबूत -

यदि निदेशक या उत्तरदायी व्यक्ति के पास आधार कार्ड या पासपोर्ट नहीं है तो वैकल्पिक निवास सबूत प्रस्तुत किया जाना है जिसके अंतर्गत मतदाता पहचान कार्ड या बिजली का बिल या लैंडलाइन टेलिफोन बिल भाटक विलेख या पट्टा विलेख या संपत्ति दस्तावेज या अनुज्ञापन प्राधिकारी के समाधानप्रद कोई अन्य दस्तावेज है;

(ङ.) चार्टर्ड लेखाकार द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित कंपनी के नवीनतम तुलन-पत्र की प्रति और शुद्ध मूल्य प्रमाण-पत्र की संपरीक्षित प्रति;

(च) चार्टर्ड लेखाकार द्वारा सम्यक रूप से प्रभावित परियोजना के वित्तपोषण हेतु अनुमानित परियोजना परिव्यय और वित्त के साधन;

(छ) विस्तृत संकल्प को हस्ताक्षरित करने के प्राधिकृत उत्तरदायी व्यक्ति की पूरी विशिष्टियों सहित, इन नियमों के अधीन आवेदन रखे हेतु विस्तृत संकल्प की प्रमाणित प्रति;

(ज) चार्टर्ड लेखाकार द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित यथालागू आवेदक कंपनी में विदेशी नियंत्रण और/या स्वामित्व के ब्यौरे;

(झ) विनिर्माण या सबूत परीक्षण किए जाने या दोनों, जिसके अंतर्गत उनके प्रकार और मात्राएं हैं, हेतु आशयित आयुध और/या गोला-बारुद के पूर्ण ब्यौरे;

(ञ) इस प्रभाव की सबूत सहित घोषणा कि उसके विनिर्माण-संयंत्र या सबूत परीक्षण सुविधा स्थापित करने हेतु, प्रस्तावित स्थल को सड़क पहुंच, विद्युत और जल संपर्क स्थापन के ब्यौरे, किए गए भूमि विकास की विशिष्टियां और अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझी गई कोई अन्य सूचना सहित, भूमि अर्जित की है।

54. प्ररूप 7 में अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए प्रक्रिया-(1) अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा किसी आवेदक को जो इन नियमों में अधिकथित पात्रता मानदंडों को पूरा करता है, विनिर्माण या सबूत परीक्षण या दोनों के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी, परंतु यह तब जब कि आवेदक कंपनी या यथास्थिति, उसके निदेशक या उत्तरदायी व्यक्ति के पूर्ववृत्त सत्यापित करने के लिए न्यस्त विभिन्न सरकारी अभिकरणों से कोई विपरीत टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं।

(2)(क) प्ररूप 7 में प्रदत्त अनुज्ञप्ति प्रारंभ में सात वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगी जिसके भीतर अनुज्ञप्तिधारी से आयुध और/या गोला-बारुद के विनिर्माण या सबूत परीक्षण के लिए सुविधा की स्थापना करना, तकनीकी और प्रशासनिक कर्मचारीवृंद की भर्ती करना, आयुध और गोला-बारुद के आदि प्ररूपों का विकास और सबूत परीक्षण करना, आयुध और गोला-बारुद के विनिर्माण या सबूत परीक्षण के लिए सुविधा की स्थापना से संबंधित परीक्षण करना और कोई अन्य क्रिया कलाप संचालित करना अपेक्षित होगा, ऐसा न किए जाने पर अनुज्ञप्ति व्यपगत हो जाएगी।

(ख) इस नियम के अधीन अनुज्ञप्ति का प्रत्येक पश्चातवर्ती नवीकरण पांच वर्ष की अवधि के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

(3)(क) कोई विनिर्माण सुविधा सीमाक्षेत्रों, प्रतिबंधित क्षेत्रों या निषिद्ध क्षेत्रों और केंद्रीय सरकार द्वारा 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किसी क्षेत्र में स्थापित नहीं की जाएगी।

(ख) विनिर्माण आवेदक विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजैड), औद्योगिक पार्कों और इस प्रयोजन के लिए संबंधित राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित किसी अन्य अवस्थान के अतिरिक्त अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में सुविधाओं को स्थापित कर सकेगा।

4. अनुज्ञप्तिधारी वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के लिए अपने शीर्षनामा पर आवेदन कर सकेगा जिसमें निम्नलिखित संलग्न किये जाएंगे -

(i) इस प्रभाव की एक घोषणा कि अनुज्ञप्तिधारी ने संयंत्र और मशीनरी स्थापित की है, परीक्षण सफलतापूर्वक किया है और विनिर्माण या सबूत परीक्षण के लिए अनुज्ञप्त मदों के वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारंभ हेतु तैयार है;

(ii) इस प्रभाव की एक घोषणा कि अनुज्ञप्तिधारी ने अग्न्यायुध या गोला बारुद के विनिर्माण या सबूत परीक्षण के लिए अपेक्षित क्वालिटी नियंत्रण प्रणाली स्थापित और अनुप्रयोग की है;

- (iii) नियम 53 में निदेशकों के लिए यथाविनिर्दिष्ट उनके वृत्तिक विशेषज्ञता और लिए गए परीक्षण तथा पहचान दस्तावेजों के सबूत सहित विनिर्माण या सबूत परीक्षण सुविधा का कार्यान्वयन करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियोजित प्रमुख तकनीकी कार्मिकों की विशिष्टियों की सूची ;
- (iv) इस प्रभाव की एक घोषणा कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा अनुज्ञप्त रक्षा उद्योगों के लिए तैयार किए गए सुरक्षा मैनुअल में यथाअंतर्विष्ट सुरक्षा मार्गदर्शक सिद्धांतों का पूरी तरह से अनुपालन किया गया है।
- (5) अनुज्ञापन प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवेदक अनुज्ञप्तिधारी ने उपनियम (4) के खंड(iv) में विनिर्दिष्ट घोषणा का अनुपालन किया है, सुरक्षा और मूल्यांकन संपरीक्षा करवाएगा।

55. प्ररूप 7 में प्रदत्त अनुज्ञप्तियों के विषय में अन्य अपेक्षाएं- (1) अनुज्ञप्तिधारी अधिमानतः उत्पाद डिजाइन और विकास के क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होगा और विनिर्माण किए जाने वाले उत्पाद का अनुरक्षण और जीवन चक्र समर्थन सुविधा होगी और विनिर्मित की जाने वाली मर्दे स्वदेशी डिजाइन पर विशेष बल देते हुए अंतरराष्ट्रीय और भारतीय प्रत्यायित क्वालिटी मानकों और संनियमों के अनुसार होंगी :

परंतु पेटेंट प्रत्यालिप्याधिकारों का उल्लंघन अनुज्ञेय नहीं होगा।

- (2) अनुज्ञप्तिधारी अग्न्यायुध और गोला-बारुद के विनिर्माण के लिए मानक और परीक्षण प्रक्रियाएं सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट क्वालिटी आश्वासन अभिकरण को प्रस्तुत करेगा, जो परीक्षण के दौरान अंतिम माल का निरीक्षण करेगा और डिजाइन, कारीगरी, सौंदर्यशास्त्र और अन्य संबंधित प्राचलों के संबंध में क्वालिटी आश्वासन प्रक्रियाओं की संपरीक्षा संचालित करेगा :

परंतु विनिर्माण के लिए क्वालिटी विनिर्देश भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) और क्वालिटी आश्वासन के महानिदेशक, रक्षा उत्पादन विभाग या किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय क्वालिटी आश्वासन अभिकरण द्वारा यथाविनिर्दिष्ट होगा।

- (3) विनिर्मित उत्पादों में एक वारंटी खंड अंतर्विष्ट होगा जिसके साथ सेवा और सुरक्षा मैनुअल प्रत्येक विक्रय के समय भाड़ों की सूची होगी।
- (4) किसी संयुक्त उपक्रम करार के अधीन कोई निर्वंधन , जो विदेशी भागीदार द्वारा अधिरोपित किए जा सकेंगे, के भारतीय सत्ता, जिसे इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, पर कोई विधिक परिणाम नहीं होंगे।
- (5) अनुज्ञापन प्राधिकारी संवेदनशील प्रकार के कतिपय आयुध और गोला-बारुद की दशा में, जो सशस्त्र सेना द्वारा उपयोग के लिए इंगित किए गए हैं या सिविल व्यक्तियों द्वारा कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञात नहीं है पर ऐसी अतिरिक्त निर्वंधन अधिरोपित कर सकेगा।
- (6) विनिर्माताओं द्वारा उत्पादित लघु आयुध और हल्के हथियार -

- (i) गृह मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन से केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों को विक्रीत किए जाएंगे; या
- (ii) विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के परामर्श से गृह मंत्रालय के अनुमोदन के अध्यक्षीन निर्यात के लिए अनुज्ञात किए जा सकेंगे;

- (7) अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट आयुध और गोला-बारुद का अनुज्ञेय प्रवर्ग इन नियमों के अधीन विधिमान्य आयुध अनुज्ञप्ति रखने वाले व्यक्तियों या व्यौहारियों को विक्रय के लिए गृह मंत्रालय में केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से विक्रय के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा।

- (8) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 की 18) की धारा 2 के खंड 51 में यथापरिभाषित है या कंपनी के उत्तरदायी व्यक्ति ने किसी परिवर्तन के लिए कंपनी के निदेशकों में या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में किसी परिवर्तन के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन आज्ञापक होगा।

- (9) कंपनी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण में या स्वामित्व में परिवर्तन के लिए या परिवर्तकों के शेयरधारण के तनूकरण (दोनों भारतीय या विदेशी) के कारण शेयर धारण में किसी परिवर्तन के लिए या कंपनी के शेयरधारण किसी परिवर्तन के लिए या पांच प्रतिशत (5%) से अधिक कंपनी के शेयर धारण में हिताधिकारी हित में किसी परिवर्तन के लिए अनुज्ञापन अधिकारी का पूर्व अनुमोदन आज्ञापक होगा।

- (10) (क) प्ररूप 7 में प्रदत्त कोई अनुज्ञप्ति अनुज्ञापन प्राधिकारी के लिखित प्राधिकार के बिना अनुज्ञप्तिधारी से अन्य कंपनी को अंतरणीय नहीं होगी।

(ख) अंतरण के लिए किसी आवेदन के साथ पूरे दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे और उन्हीं शर्तों के अध्यक्षीन होगा जो नियम 53 में विनिर्दिष्ट अनुज्ञप्ति के प्रारंभिक प्रदान के समय लागू हो।

(ग) विनिर्माण अनुज्ञप्ति के अंतरण के लिए आवेदन पर विचार करते हुए अनुज्ञापन प्राधिकारी कंपनी, जिसको अभिव्यक्ति अंतरित की जानी है, की पात्रता का निर्धारण करेगा।

56. प्ररूप 7 में अनुज्ञप्ति रखने वाले अनुज्ञप्तिधारियों की बाध्यताएं - (1) प्ररूप 7 में प्रदत्त अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता इन नियमों में अंतर्विष्ट और अनुज्ञप्ति में अंतर्विष्ट शर्तों के विनिर्माता द्वारा अनुपालन के अध्यक्षीन होंगी।

(2) प्ररूप 7 में अनुज्ञप्ति रखने वाला अनुज्ञप्ति धारी सभी अग्न्यायुधों और गोला बारुद को चिन्हित करेगा कि वह नियम 58 में यथाविनिर्दिष्ट रीति में विनिर्माण करता है।

(3) अनुज्ञप्तिधारी कंपनी भारत सरकार की विदेशी प्रत्यक्ष विनिधान (एफडीआई) नीति और उक्त कंपनी में विदेशी प्रत्यक्ष विनिधान की दशा में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा अधिसूचित विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के अधीन बनाए गए विनियमों का अनुपालन करेगी।

(4) अनुज्ञप्तिधारी रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा अनुज्ञप्त रक्षा उद्योगों के लिए तैयार की गई सुरक्षा नियमावली में यथाअंतर्विष्ट सुरक्षा मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुपालन करेगा।

(5) प्ररूप 7 में विनिर्दिष्ट या अनुज्ञप्ति का भाग बनने वाली शर्तों के अतिरिक्त अनुज्ञप्तिधारी नियम 65 में यथाविनिर्दिष्ट उसके द्वारा विनिर्मित सभी अग्न्यायुधों, उनके भागों, घटकों और/या गोला बारुद का अभिलेख अनुरक्षित करेगा।

(6) अनुज्ञप्तिधारी प्ररूप 7 में यथानिर्मित उसके द्वारा विनिर्मित सभी अग्न्यायुधों, उनके भागों, घटकों और/या गोला बारुद का भंडारण करेगा।

(7) अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञापन प्राधिकारी (या ऐसा अन्य निकाय जो उसके द्वारा पदाभिहित हो) द्वारा कार्यान्वित अनुज्ञप्तिधारी की सुविधाओं, विशिष्टतः अग्न्यायुधों और गोला-बारुदों के सुरक्षित भंडारण के संबंध में निरीक्षणों के लिए पूर्व सहयोग करेगा।

(8) अनुज्ञप्तिधारी उसके परिसरों में भंडारित अग्न्यायुधों या गोला-बारुदों की किसी चोरी, नुकसान या अनआशयित विनाश होने पर तत्काल अनुज्ञापन प्राधिकारी को अधिसूचित करेगा।

(9) अनुज्ञप्तिधारी निम्नलिखित घटनाओं में से किसी के घटने पर तीन कार्य दिवसों के भीतर अनुज्ञापन प्राधिकारी को अधिसूचित करेगा, अर्थात् :-

- (i) अपने रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते में परिवर्तन;
- (ii) निदेशकों में परिवर्तन जिस दशा में अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रत्येक नया निदेशक का, निदेशकों के लिए नियम 53 में विनिर्दिष्ट विशिष्टतः और दस्तावेजों सहित, नाम और पते उपलब्ध करवाएगा ;

(10) अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि सभी कर्मचारी जिनकी विनिर्माण या सबूत परीक्षण सुविधा के भीतर पूरे किए गए विनिर्मित अग्न्यायुध या गोला-बारुद तक पहुंच है, उनका हथालन करने के लिए तकनीकी रूप से सक्षम है।

(11) किसी नियत समय पर प्रत्येक प्रकार के अग्न्यायुध और गोला-बारुद के लिए कार्य प्रगति पर और अंतिम माल की सूची अंतिम वित्तीय वर्ष या वार्षिक अनुज्ञप्त क्षमता, जो भी निम्नतर है, के कुल वार्षिक आवर्त से दो गुणा से अधिक नहीं होगी :

परंतु बहु-एकक सुविधा वाली कंपनी की दशा में कंपनी की कुल वार्षिक अनुज्ञप्त क्षमता या कुल आवर्त पर विचार किया जाएगा।

(12) अनुज्ञप्तिधारी सूची और घरेलू वितरण और निर्यात की दशा में अंतिम उपयोक्ताओं के लिए व्यौहारी/अंतिम उपयोक्ता तक सूची और वितरण चयन का पूरा डाटाबेस अनुरक्षित करेगा।

(13) अनुज्ञप्तिधारी किसी विनिर्माण चक्र में केवल बैच उत्पादन कार्यान्वित करेगा।

57. आयुध और गोला-बारुद तथा अन्य भागों इत्यादि के विनिर्माण के लिए मशीनरी का आयात-(1) प्ररूप 7 में रखने वाला अनुज्ञप्तिधारी स्थापित की जाने वाली, स्थानीय या आयात द्वारा प्राप्त की जाने वाली मशीनरी की पूरी सूची के साथ आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(2) मशीनरी के अर्जन, कब्जे, आयात या परिवहन के लिए अनुज्ञप्ति प्ररूप 1 में जारी की जाएगी।

(3) अनुसूची 1 के प्रवर्ग 2 में विनिर्दिष्ट आयुधों का और धातु, मिश्रित धातु, फाइबर, पोलिमेर, काष्ठ और अन्य सहबद्ध मदों के रूप में ऐसे आयुधों के निर्माण के लिए कच्ची सामग्री विदेशी व्यापार के महानिदेशक (डीजीएफटी) द्वारा समय समय पर विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन अधिनियम, 1992) 1992 का 22 के अधीन अधिसूचित विदेश व्यापार नीति के उपबंधों के अधीन और अंतरराष्ट्रीय बाध्यताओं और प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए विदेश मंत्रालय (एमईए) की सिफारिशों पर अनुज्ञात किया जाएगा।

(4) गृह मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग की राय अभिप्राप्त करने के पश्चात् ऐसे आयात के लिए इन नियमों के अधीन आयात के लिए प्रक्रिया के अनुसार प्राधिकार प्रदान करके जो स्थानीय क्षेत्रों में विनिर्मित किए जाने संभव नहीं है, के पूर्ण तकनीकी ब्यौरे से अंतर्विष्ट किसी आवेदन पर आयुध और गोला-बारुद के भागों का आयात करने के लिए अनुज्ञात करेगा।

58. विनिर्माण के समय अग्न्यायुध और गोला-बारुदों को चिन्हित करना - (1) सभी अग्न्यायुधों पर उनके विनिर्माण के समय निम्नलिखित सूचनाओं से अंतर्विष्ट चिन्ह अंकित किए जाएंगे, अर्थात् :-

- (i) विनिर्माता देश का नाम;

(ii) विनिर्माता का नाम;

(iii) विनिर्माता की विशिष्ट क्रम संख्या;

(iv) विनिर्माण का वर्ष;

(यह सूचना क्रम संख्या में सम्मिलित की जा सकेगी)

(v) अग्न्यायुध प्रकार/मॉडल;

(vi) कैलीबर;

(vii) सबूत-चिन्ह; और

(viii) यदि अग्न्यायुध किसी भारतीय घरेलू राज्य सत्ता अर्थात् सेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, पुलिस इत्यादि के लिए आशयित है तो ऐसी अन्य अतिरिक्त सूचना

(2) चिन्ह अल्फा संख्याओं (अर्थात् वे दोनों अक्षरों और संख्याओं में हो सकेंगे) निम्न सारणी लिए गए प्रपत्र में व्यक्त किए जाएंगे :-

सारणी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
XX	XXX	99	99	99999	99
विनिर्माता- देश (दो अंकों वाला आईएसओ कोड) भारत के लिए आईएन	विनिर्माता का नाम या कोड	विनिर्माण-वर्ष (2 संख्याएं)	प्रकार/माडल/कोड	क्रम संख्या	कैलीबर

(3) चिन्ह अग्न्यायुध के घटक जो उसके प्रचालन के लिए आवश्यक हैं में लगाए जाएंगे, जैसे कि -

(i) फ्रेम/रिसीवर

(ii) बैरल;

(iii) स्लाइड, सिलेंडर, बोल्ट या ब्रीच ब्लॉक; और

(iv) अग्न्यायुध के प्रचालन के लिए आवश्यक कोई अन्य भाग या घटक।

(4) चिन्ह उनके विनिर्माण के समय स्टैंपिंग पद्धति का उपयोग करके अग्न्यायुध के दर्शनीय तल पर लगाया जाएगा और स्टैंपित चिन्ह की गहराई कम से कम 0.20 एमएम होगी।

(5) लगाए गए चिन्ह -

(i) बिना तकनीकी सहायकों या औजारों के बिना सहजदृश्य होंगे;

(ii) आसानी से पहचान योग्य होंगे;

(iii) पठनीय होंगे;

(iv) लंबी अवधि तक चलने वाले होंगे; और

(v) पुनःप्राप्त करने योग्य होंगे (जहां तक तकनीकी रूप से संभव हो)।

(6) अग्न्यायुधों के लिए गोला बारुद की सबसे छोटी पैकेजिंग ईकाइयों पर निम्नलिखित सूचना से अंतर्विष्ट चिन्ह लगाए जाएंगे, अर्थात् :-

- (i) विनिर्माता देश का नाम
- (ii) विनिर्माता का नाम;
- (iii) विनिर्माता का लॉट या विशिष्ट बैच क्रम संख्या;
- (iv) विनिर्माण का वर्ष;
(यह सूचना लॉट या बैच संख्या में सम्मिलित की जा सकेगी)
- (v) कैलीबर;
- (vi) प्रकार
- (7) व्यष्टि कारतूस पर भी चिन्ह अंकित किए जा सकेंगे, जिनमें निम्नलिखित सूचना सम्मिलित की जा सकेगी, अर्थात् :-

- (i) विनिर्माता देश का नाम
- (ii) विनिर्माता का नाम
- (iii) विनिर्माता की विशिष्ट लाट या बैच संख्या
- (iv) कैलिबर ; और
- (v) प्रकार ।

59. अग्न्यायुधों का सबूत परीक्षण – (1) कोई नया विनिर्माता गन-बैरल, या पूर्ण अग्न्यायुधों के लिए सबूत परीक्षण सुविधा स्थापित कर सकेगा ।

- (2) सुविधा इसके परिसरों के भीतर इसके आयुध विनिर्माण एकक से पृथक अवस्थित होगा ।
- (3) कोई विनिर्माता, जो सबूत परीक्षण सुविधा स्थापित करना चाहता है, आयुध और गोला बारूद विनिर्माण अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन सहित प्ररूप क – 6 में आवेदन करेगा ।
- (4) सबूत परीक्षण सुविधा हेतु उपनियम (3) के अधीन आवेदन की परीक्षा गृह मंत्रालय द्वारा विनिर्माण अनुज्ञप्ति के लिए विनिर्दिष्ट मार्गदर्शन सिद्धांतों के अनुसार क्वालिटी आश्वासन केमहानिदेशक (डी.जी. क्यू ए), रक्षा मंत्रालय के परामर्श से की जाएगी
- (5) विद्यमान विनिर्माता अपने बैरलों और पूर्ण अग्न्यायुधों का सबूत परीक्षण या तो आर्डनैस फैक्टरी या इन नियमों के अधीन सबूत परीक्षण सुविधा वाले अन्य सबूत गृहों से करवाएगा ।
- (6) सबूत परीक्षण वाला प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी अपशिष्ट, जैसे अस्वीकृत बैरलों या पूर्ण अग्न्यायुधों की सुरक्षा और निपटान के उत्तरदायी होगा ।
- (7) सबूत परीक्षण प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी, पूर्ण आयुध और गोला बारूद के विक्रय या निपटान हेतु नियम 65 में विनिर्दिष्ट अभिलेख के अतिरिक्त सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस के प्रपत्र में सबूत परीक्षण रजिस्टर अनुरक्षित करेगा ।
- (8) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उप-नियम (3) के अधीन अनुरक्षित किए जाने वाले अभिलेख के अंतर्गत निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी, अर्थात्
 - (i) गन- बैरलों या विनिर्मित पूर्ण अग्न्यायुधों की क्रय संख्याएं ;
 - (ii) विनिर्माण की तारीख, मास और वर्ष ;
 - (iii) गन- बैरलों या पूर्ण अग्न्यायुधों की सबूत गृह को प्रेषण ;
 - (iv) अनुज्ञप्ति (प्ररूप 13 में परिवहन अनुज्ञप्ति) की संख्या और तारीख, जिसके अंतर्गत गन-बैरल या पूर्ण अग्न्यायुधों सबूत-परीक्षण के लिए भेजे गए थे ;
 - (v) सबूत-परीक्षण के पश्चात् गन-बैरल या पूर्ण अग्न्यायुध की प्राप्ति ;
 - (vi) सबूत-परीक्षण का परिणाम ;
 - (vii) गन पूर्ण करने की तारीख, यदि केवल गनबैरल सिद्ध की गई है ;

(viii) तारीख, जब पूर्ण अग्न्यायुध विक्रय हेतु रजिस्टर को या अंतरित किए गए या नियम 65 के अधीन अंतरण अनुरक्षित किया गया ;

(ix) यदि प्रारंभिक प्रस्तुतीकरण पर सबूत में गन-बैरल या पूर्ण अग्न्यायुध स्वीकृत नहीं किए गए थे, तो परिशोधन रजिस्टर में क्रय संख्या ;

(x) निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी –

(9) इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी, सबूत गृह द्वारा न पारित किए गन बैरल और पूर्ण अग्न्यायुधों के व्यौरों से अंतर्विष्ट परिशोधन रजिस्टर का अनुरक्षण करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी, अर्थात्

(i) क्रम संख्या ;

(ii) परिशोधन की जाने वाली गन बैरल और पूर्ण अग्न्यायुध पर स्टांपित क्रम संख्या ;

(iii) किए जाने वाले परिशोधनों को उपदर्शित करते हुए सबूत गृह पत्र की संख्या और तारीख ;

(iv) परिशोधन के पश्चात् सबूत परीक्षण के लिए पुनः प्रस्तुत गन बैरल और पूर्ण अग्न्यायुध की तारीख;

(v) गन बैरल और पूर्ण अग्न्यायुध के सबूत निरीक्षण के पश्चात् प्राप्ति की तारीख और सबूत निरीक्षण का परिणाम;

(vi) यदि गन बैरल और पूर्ण अग्न्यायुध सिद्ध हुए हो तो अग्न्यायुध के पूर्ण होने की तारीख;

(vii) तारीख, जब पूर्ण अग्न्यायुध विक्रय हेतु रजिस्टर को अंतरित किए गए और नियम 65 के अधीन अंतरण अनुरक्षित किए गए;

(viii) टिप्पणियां ।

(10) सबूत परीक्षण और अभिलेखों के परिशोधन का निरीक्षण, क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष जुलाई और जनवरी के दौरान तथा एक औचक निरीक्षण के दौरान किसी कैलेंडर वर्ष में निम्नलिखित का सत्यापन करने के लिए किया जाएगा, अर्थात् :-

(i) गन बैरलों और पूर्ण अग्न्यायुधों पर क्रम संख्याएं उसी प्रकार पूरी तरह क्रमानुसार स्टांपित की जाएंगी, जिनमें वे विनिर्मित की गई हैं;

(ii) विक्रय या अंतरण के लिए प्रविष्टियां तत्काल की जाती हैं और नियम 65 के अधीन ऐसे अंतरण के अभिलेख के मिलान के अनुसार होंगे ;

(iii) अनुज्ञप्ति की शर्तों का सख्ती से अनुपालन किया जाता है ।

(11) अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा प्ररूप 13 में एक परिवहन अनुज्ञप्ति सबूत गृह को गन बैरल और पूर्ण अग्न्यायुध के परिवहन के लिए आवेदन पर जारी की जा सकेगी, परंतु यह तब जब कि प्ररूप 7 में अनुज्ञप्ति ऐसी परिवहन अनुज्ञप्ति के जारी करने की तारीख को विधिमान्य है ।

(12) सबूत गृहों को गन बैरल और पूर्ण अग्न्यायुध को परिवहन करने के लिए उपनियम (11) के अधीन जारी परिवहन अनुज्ञप्ति पहली बार और वृत्तियों के परिशोधन के लिए सबूत परीक्षण हेतु प्रेषित किए जाने वाले गन बैरल और पूर्ण अग्न्यायुधों की कुल मात्रा पृथक्कृत उपदर्शित करेगी ।

(13) अनुज्ञप्तिधारी वृत्तियों के परिशोधन के पश्चात् गन बैरल और पूर्ण अग्न्यायुधों को सबूत परीक्षण के लिए प्रस्तुत करने हेतु ऐसे प्रस्तुतीकरण के लिए अवसरों की संख्याओं की किसी सीमा के बिना पात्र होगा :

परंतु अनुज्ञप्तिधारी आवश्यक परिशोधन संबंधित सबूत गृह द्वारा जारी वृत्तियों के प्रथम परीक्षण परिणामों की संसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर पूर्ण करेगा ।

(14) सबूत परीक्षण के लिए गन बैरल या पूर्ण अग्न्यायुध, जो अयोग्य और परिशोधन से परे हैं, सबूत गृह द्वारा विक्रीत किए जाएंगे तथा इस संबंध में संबंधित सबूत गृह के प्रभारी अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा :

परंतु विक्रीत किए गए भाग जो उपयोग में लाए जाने के लिए सक्षम हैं, सबूत गृह द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को लौटाए जाएंगे ।

(15) केवल सबूत परीक्षित गन बैरलों और पूर्ण अग्न्यायुध का विक्रय या अंतरण प्रतिषिद्ध होगा और सबूत परीक्षण के पश्चात् गन बैरल उसके विनिर्माण के लिए केवल प्राधिकृत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ही पूरी गन के रूप में जोड़ी जाएगी ।

(16) किसी कलेंडर वर्ष के दौरान विनिर्मित गन बैरल और पूर्ण अग्न्यायुध विनिर्माण की तारीख से 18 मास की अवधि के भीतर सबूत परीक्षित किए जाएंगे, ऐसा न होने पर उसे सबूत परीक्षण के कलेंडर वर्ष के दौरान विनिर्मित किया गया समझा जाएगा।

60. क्षमता पुनःरीक्षण और विद्यमान विनिर्माताओं को नए संनियम लागू होना - (1) विद्यमान विनिर्माता नियम 51 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार प्ररूप 7 में नई अनुज्ञप्ति प्रदान की जाने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

(2) विद्यमान विनिर्माता अपनी अनुज्ञप्त क्षमता में वृद्धि या प्रत्यावर्तन पुनःरीक्षण या पुनःनियत करने के लिए, इस संबंध में किए गए किसी आवेदन द्वारा भारत सरकार को गृह मंत्रालय ने संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश सहित निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकेगा, अर्थात् :-

(i) विद्यमान विनिर्माण अनुज्ञप्ति की एक प्रति;

(ii) किसी चार्टर्ड लेखाकार द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित पिछले पांच वर्षों के लिए अनुज्ञप्तिधारी के वार्षिक लेखों की प्रमाणित प्रतियां ;

(iii) संयंत्र और मशीनरी तथा विनिर्माण सुविधा के व्यौरे ;

(iv) किसी चार्टर्ड लेखाकार द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित पिछले पांच वर्षों के लिए स्टॉक अभिलेखों, विनिर्मित मदों और विक्रय आवर्त की प्रमाणित प्रतियां ;

(v) किसी चार्टर्ड द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित विनिर्माण क्षमता में वृद्धि के लिए विस्तृत प्रस्ताव, परियोजना परिव्यय, वित्त के साधन और आर्थिक जीवन क्षमता के लिए औचित्य तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए विपणन मांग परियोजना ;

(vi) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम (एम एस एम ई) सैक्टर में विनिर्माण के लिए सुरक्षा मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुपालन करने के लिए ट्रैक रिकार्ड और तैयारी ;

(vii) इन नियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों का अनुपालन करने के लिए घोषणा

(3) उपनियम (2) के अधीन प्रत्येक आवेदन की परीक्षा नियम 51 के उपनियम (6) में विनिर्दिष्ट अनुज्ञापन समिति द्वारा की जाएगी, जो क्षमता पुनःरीक्षण के लिए अनुज्ञात कर सकेगी परंतु यह तब जब कि विद्यमान अनुज्ञप्त क्षमता का विनिर्माता द्वारा पूरी तरह उपयोग किया गया है।

(4) आयुध नियम, 1962 के अधीन प्ररूप 9 में अनुज्ञप्ति रखने वाले प्रत्येक विनिर्माता को प्ररूप 7 में नई अनुज्ञप्ति इन नियमों की अधिसूचना से एक वर्ष की अवधि के भीतर या अनुज्ञप्ति के नवीकरण के समय, जो भी पूर्वोक्त हो, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी की जाएगी और विद्यमान विनिर्माताओं को कच्ची सामग्री के उपापन के लिए प्रदत्त कोई अनुज्ञा या छूट इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन जारी की गई समझी जाएगी।

61. किसी व्यष्टि या एकल स्वत्वधारी की दशा में अनुज्ञप्ति - (1) यदि आयुध नियम, 1962 के अधीन प्ररूप 9 में अनुज्ञप्ति रखने वाला विद्यमान विनिर्माता कोई व्यष्टि या एकल स्वत्वधारी समुत्थान है, तो अनुज्ञप्तिधारी की दशा में स्वतः समाप्त हो जाएगी।

(2) इस नियम के अधीन अनुज्ञप्तिधारी के विधिक प्राधिकारी प्ररूप 7 में नई अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए केंद्रीय सरकार में गृह मंत्रालय को आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे, जो प्रत्येक मामले के आधार पर ऐसे आवेदन पर विचार कर सकेगी।

62. विद्यमान विनिर्माता की दशा में भागीदारों को प्रवेश - (1) यदि आयुध नियम, 1962 के अधीन प्ररूप 9 में अनुज्ञप्ति रखने वाला विद्यमान विनिर्माता कोई भागीदार फर्म है तो भागीदार की मृत्यु की दशा में अतिरिक्त भागीदारों को प्रवेश दिया जा सकेगा, जहां मृत भागीदार के विधिक उत्तराधिकारी फर्म में भागीदार या भागीदारों के रूप में केंद्रीय सरकार में गृह मंत्रालय के अनुमोदन के अधीन प्रविष्ट किए जाएंगे।

(2) कोई विद्यमान भागीदार अपने जीवन काल के दौरान अपने विधिक उत्तराधिकारी को इस नियम के अधीन सभी अन्य विद्यमान भागीदारों, यदि कोई हो, की लिखित सहमति प्राप्त करने पर भागीदारी फर्म में केंद्रीय सरकार में गृह मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन के अधीन अतिरिक्त भागीदार के रूप में सम्मिलित कर सकेगा।

63. भागीदारी फर्म का प्राइवेट सीमित कंपनी में परिवर्तन - (1) कोई विद्यमान विनिर्माता भागीदारी फर्म के नाते, केंद्रीय सरकार में गृह मंत्रालय को संबंधित राज्य सरकार की सिफारिशों के साथ फर्म को प्राइवेट सीमित कंपनी में परिवर्तित करने के लिए अनुज्ञा प्रदान करने हेतु आवेदन कर सकेगा और केंद्रीय सरकार ऐसी अनुज्ञा प्रदान कर सकेगी परंतु यह तब जब कि नए निगमित कंपनी में संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद में निम्नलिखित अंतर्विष्ट हो -

(क) कंपनी के निदेशित मंडल में केवल विद्यमान भागीदार या कुटुंब सदस्य हैं;

(ख) निदेशकों पर शेयरों, आस्तियों या कंपनी के लाभों को किसी बाहरी व्यक्ति को अंतरित करने पर निर्बंधन और इस प्रभाव का कोई वचनबंध प्रस्तुत करना कि आवेदक कंपनी ने इस संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के सुसंगत उपबंधों का अनुपालन किया है।

(2) केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना फैक्टरी परिसरों, मालसूची, मशीनरी या प्राइवेट सीमित कंपनी की अन्य आस्तियां जो उपनियम (1) में निर्दिष्ट हों का कोई विक्रय या अंतरण अनुज्ञेय नहीं होगा।

64. विद्यमान विनिर्माता के बंद किए गए कारबार को प्रत्यावर्तन के लिए अनुज्ञप्ति – किसी बंद किए गए कारबार की दशा में, मृत अनुज्ञप्तिधारी का कोई विधिक उत्तराधिकारी यदि वह वयस्क है, तो प्ररूप 7 में नई अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए केंद्रीय सरकार में गृह मंत्रालय को अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु के 12 मास के भीतर और यदि विधिक उत्तराधिकारी अवयस्क है तो उसके वयस्कता प्राप्त करने की तारीख से 12 मास के भीतर आवेदन कर सकेगा।

65. संव्यवहारों का अभिलेख प्ररूप 7 में अनुज्ञप्ति धारण करने वाले अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अनुरक्षित किया जाना है – (1) विनिर्माता सुरक्षित इलैक्ट्रॉनिक डाटा बेस के प्रपत्र में एक रजिस्टर रखेगा, जिसे 'अग्न्यायुध स्टॉक रजिस्टर' के नाम से जाना जाएगा, जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियां अभिलिखित की जाएंगी :-

(क) नामपक्ष की तरफ स्टॉक संख्या के सामने विनिर्माण की तारीख, मेक, कैलीबर, माडल और विनिर्माता की क्रम संख्या; और

(ख) जमापक्ष की तरफ, उपनियम (क) में निर्दिष्ट स्टॉक संख्या के सामने, -

(i) अग्न्यायुध के विक्रय की तारीख;

(ii) उस व्यौहारी का नाम और पता तथा अनुज्ञप्ति संख्या, जिसको अग्न्यायुध बेचे गए हैं;

(iii) उस सरकारी विभाग की विशिष्टियां, जिसको अग्न्यायुध बेचे गए हैं;

(iv) अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा इन नियमों के अधीन जारी की गई निर्यात अनुज्ञप्ति की विशिष्ट सहित उस व्यक्ति की विशिष्टियां और पता जिसको अग्न्यायुध निर्यात किए गए थे।

(2) विनिर्माता सुरक्षित इलैक्ट्रॉनिक डाटा बेस के प्रपत्र में एक रजिस्टर रखेगा, जिसे 'गोला बारुद स्टॉक रजिस्टर' के नाम से जाना जाएगा, जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियां अभिलिखित की जाएंगी :-

(क) नामपक्ष की तरफ, -

(i) विनिर्मित क्रीत या अर्जित सभी गोला बारुद के कैलीबर, मेक और मात्रा;

(ii) विनिर्माण की लॉट संख्या और तारीख या रसीद; और

(iii) गोला-बारुद क्रीत या अर्जित किए जाने की दशा में -

(अ) व्यक्ति जिससे उसे क्रय या अर्जित किया गया था; और
क्रय या अर्जन के कारण।

(ख) जमापक्ष की तरफ, -

(i) गोला बारुद के विनिर्माता द्वारा और विक्रय या उपयोग किए जाने की तारीख और लॉट संख्या;

(ii) विनिर्माता द्वारा विक्रीत या उपयोग में लाए गए गोला बारुद का कैलीबर, मेक और मात्रा;

(iii) उस व्यौहारी का नाम और पता तथा अनुज्ञप्ति संख्या, जिसको गोला बारुद बेचे गए हैं;

(iv) उस सरकारी विभाग की विशिष्टियां, जिसको गोला बारुद बेचे गए हैं;

(v) अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा इन नियमों के अधीन जारी की गई निर्यात अनुज्ञप्ति की विशिष्ट सहित उस व्यक्ति की विशिष्टियां और पता जिसको गोला बारुद निर्यात किए गए थे;

(vi) संग्रहण की तारीख और व्यौहारी या सुसंगत सरकारी कर्मचारी जिसको गोला-बारुद प्रदत्त किया गया था के हस्ताक्षर।

(3) (क) विनिर्माता सभी विनिर्मित अग्न्यायुधों और मुख्य अग्न्यायुध घटकों की अद्यतन स्टॉक शीट रखेगा।

(ख) उपनियम (1) और (2) में निर्दिष्ट रजिस्टर अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट कारबार परिसरों में रखे जाएंगे।

(ग) अग्न्यायुधों और गोला-बारुद की सभी विशिष्टियां अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, यथास्थिति, विनिर्माण, प्राप्ति, अंतरण या उपयोग और तत्काल अभिलिखित की जाएंगी।

(4) (क) विनिर्माता अपनी यूजर आईडी में एनडीएएल प्रणाली के साथ एक ऑन लाइन इलैक्ट्रॉनिक संपर्क स्थापित करेगा और उपनियम (1) और (2) में निर्दिष्ट रजिस्ट्रों में यथाअभिलिखित सप्ताह के लिए विनिर्मित और विक्रीत या अंतरित अग्न्यायुधों तथा विनिर्मित और विक्रीत या अंतरित या उपभुक्त गोला बारुद के संबंध में साप्ताहिक इलैक्ट्रॉनिक ऑन लाइन डाटा अंतरण की व्यवस्था करेगा।

(ख) यदि कोई ऐसी परिस्थितियां घटित होती हैं जो अनुज्ञप्तिधारी को एनडी एएल प्रणाली पर ऑन लाइन विवरणियां इलैक्ट्रॉनिक नेटवर्क संपर्क के माध्यम से प्रस्तुत करने से रोकती हैं, तो स्थानीय अनुज्ञापन प्राधिकारी को साप्ताहिक विवरणियों को प्रस्तुत करने के लिए और वैकल्पिक साधन स्थापित करने हेतु तत्काल सूचित किया जाएगा।

(ग) चालू सप्ताह के लिए साप्ताहिक विवरणियां प्रत्येक शनिवार को कारबार के घंटों के अंत तक प्रस्तुत की जाएगी।

66. निरीक्षण और अधिहरण के संबंध में प्रवर्तन शक्तियां - (1) (क) अनुज्ञापन प्राधिकारी समय समय पर अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विनिर्माण सुविधाओं और अभिलेखों के निरीक्षण संचालित करेगा

(ख) निरीक्षण के अंतर्गत सूची अभिलेखों का सत्यापन, अग्न्यायुध को बनाने की क्रियाविधि, सुरक्षा सन्तियमों, कार्मिक अभिलेखों और निरीक्षण टीम द्वारा उपयुक्त समझे गए किसी अन्य सुसंगत क्षेत्रों का या अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित संपरीक्षा और निरीक्षण कार्यक्रम में अंतर्विष्ट अनुदेशों के अनुसार पुनर्विलोकन।

(2) अग्न्यायुध और उनके भाग, घटक या गोला बारुद जिनका विनिर्माण विधि विरुद्ध ढंग से किया गया है, का प्रवर्तन अभिकरणों द्वारा स्थायी रूप से अधिहरण किया जाएगा।

(3) (क) अग्न्यायुध और उनके भाग, घटक या गोला बारुद जिनका विनिर्माण संदेहजनक ढंग से विधि विरुद्ध ढंग से किया गया है, का निम्नलिखित मामलों के संबंध में अस्थायी रूप से अभिग्रहण किया जा सकेगा, अर्थात् :-

- (i) यदि विनिर्माण अनुज्ञप्ति निलंबित प्रतिसंहत या रद्द की गई है या यदि वह समाप्त हो जाती है; या
- (ii) विनिर्माण अनुज्ञप्ति का धारक किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध है; या
- (iii) अनुज्ञापन प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने के आधार है कि अपराध किया गया है या किया ही जाने वाला है और अभिग्रहीत की जाने वाली मदें या तो इसके साक्ष्य हैं या स्वयं अंतर्वर्तित अपराध की विषयवस्तु है;

(ख) अभिग्रहीत मदें जो विधिविरुद्ध ढंग से विनिर्मित की गई पाई गई हैं, अधिहरित की जाएंगी और मदें जो विधिविरुद्ध ढंग से विनिर्मित की गई नहीं पाई गई हैं उनके स्वामी को तत्काल लौटाई जाएंगी।

(4) (क) अग्न्यायुध और उनके भाग, घटक या गोला बारुद जिनका विनिर्माण विधि विरुद्ध ढंग से किया गया है, का निम्नलिखित का तत्काल अधिमानतः इन नियमों के अनुसार विनष्ट करने के माध्यम से निपटान किया जाएगा।

(ख) विनिष्ट करने से अन्यथा निपटान की कोई पद्धति उपयोग में लाई जा सकेगी, परंतु यह तब जब कि अग्न्यायुध पहले चिन्हित और रजिस्ट्रीकृत किए जाएं और निपटान की पद्धति अभिलिखित की जाए।

भाग 2

अग्न्यायुधों की प्रतिकृति का विनिर्माण

67. अग्न्यायुधों की प्रतिकृति का विनिर्माण करने के लिए अनुज्ञप्ति - (1) प्ररूप 7-ख में अनुज्ञप्ति किसी व्यक्ति को घरेलू बाज़ार और निर्यात प्रयोजनों के लिए प्राचीन (मज़ल लोडिंग) और समकालीन (ब्रीच - लोडिंग) अग्न्यायुधों की प्रतिकृतियों का विनिर्माण करने के लिए प्रदान की जा सकेगी।

(2) आयुध नियम, 1962 के अधीन मशीनरी रखने वाले या प्ररूप 9 में अग्न्यायुधों के विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्ति न रखने वाले व्यक्ति या अनुज्ञप्ति रखने वाले व्यक्ति इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष के भीतर अग्न्यायुधों की प्रतिकृति के विनिर्माण और विक्रय के लिए प्ररूप 7ख में नई अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करेंगे।

68. अग्न्यायुधों की प्रतिकृति के नमूनों का निरीक्षण - (1) अग्न्यायुधों की प्रतिकृतियों के विनिर्माता किसी दिए गए समय पर प्रत्येक प्रकार की प्रतिकृति के 50 नमूनों से अधिक नमूने नहीं रखेंगे।

(2) अग्न्यायुधों की प्रतिकृति का विनिर्माता, विनिर्माण प्रारंभ करने से पूर्व प्रत्येक प्रकार की प्रतिकृति का निरीक्षण निदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय से विनिर्माता द्वारा वहन की जाने वाली लागत पर निरीक्षण निदेशालय को निम्नलिखित प्रस्तुत करते हुए करवाएगा -

- (i) विनिर्माण के लिए प्रस्तावित प्रतिकृति के प्रत्येक प्रकार के तीन नमूने;
 - (ii) प्रत्येक प्रकार की प्रतिकृति की फोटो और रेखांकनों की इसके मुख्य भागों का विवरण देते हुए पांच प्रतियां;
 - (iii) प्ररूप 7ख में जारी मूल अनुज्ञप्ति और उसकी एक प्रति।
- (3) निरीक्षण के पश्चात् निरीक्षण निदेशालय फोटो और रेखांकनों पर प्रतिकृतियों की अहानिकारकता प्रमाणित करेगा तथा ऐसे प्रमाणपत्र निरीक्षण के लिए प्रस्तुत प्रतिकृति के तीनों नमूनों में से प्रत्येक पर मुद्रांकित किए जाएंगे।

- (4) निरीक्षण की गई प्रतिकृति के प्रत्येक प्रकार का एक नमूना, उसकी फोटो और रेखांकन की एक प्रमाणित प्रति सहित गृह मंत्रालय को प्रतिधारण के लिए प्रतिदत्त की जाएगी।
- (5) प्ररूप 7ख में मूल अनुज्ञप्ति, निरीक्षण की गई प्रतिकृतियों के शेष दो नमूनों और प्रमाणित फोटो या रेखांकन की दो प्रतियों सहित मुद्रांकित की जाएगी और विनिर्माता का परिदत्त की जाएगी, जो एक निरीक्षण किए गए नमूने को उसके फोटो या रेखांकन की एक प्रमाणित प्रति जिला, जिसमें प्रतिकृतियों का विनिर्माण किया जाना है, के जिला मजिस्ट्रेट के पास निक्षिप्त करेगा।
- (6) तीसरा निरीक्षित नमूना और प्रमाणित फोटो या रेखांकन की एक प्रति विनिर्माता द्वारा प्रतिधारित की जाएगी।
- (7) निरीक्षण निदेशालय प्ररूप 7ख में अनुज्ञप्ति की प्रति और प्रमाणित फोटो या रेखांकन की दो प्रतियां प्रतिधारित करेगा।

69. अग्न्यायुधों की प्रतिकृतियों को चिह्नित करना – (1) विक्रय के लिए विनिर्मित प्रत्येक प्रतिकृति पर विनिर्माता का नाम, निम्नानुसार उत्कीर्ण किया जाएगा :

“मैसर्स (फर्म और शहर का नाम)भारत

द्वारा विनिर्मित अग्न्यायुध की प्रतिकृति”।

(2) विनिर्माता प्रत्येक प्रतिकृति पर निम्नलिखित भी उत्कीर्ण करेगा –

- (i) प्रतिकृति का प्रकार;
- (ii) विनिर्माता की क्रम संख्या; और
- (iii) निरीक्षण निदेशालय द्वारा नमूने के निरीक्षण की तारीख।

उदाहरण -

यदि निरीक्षण के पश्चात् चार विभिन्न प्रकार अनुमोदित किए जाते हैं तो नमूने क, ख, ग और घ के रूप में वर्णित किए जाएंगे और उपनियम (1) के अनुसार विनिर्माता के नाम के अतिरिक्त प्रत्येक प्रतिकृति पर निम्नलिखित उत्कीर्ण किया जाएगा :-

“क/001 (डीडी-एमएम- वाईवाईवाईवाई);” जहां, -

‘क’ अनुमोदित प्रतिकृति का प्रकार दर्शाता है;

‘001’ क्रमसंख्या दर्शाता है; और

कोष्ठकों के भीतर तारीख निरीक्षण महानिदेशालय द्वारा अभिलिखित निरीक्षण के प्रमाणपत्र की तारीख उपदर्शित करती है।

70. अग्न्यायुधों की प्रतिकृतियों के विनिर्माता द्वारा अभिलेखों का अनुरक्षण – (1) विनिर्माता प्रतिकृतियों के विनिर्माण और विक्रय के अभिलेख निम्नलिखित सारणी में दिए गए प्रपत्र में अनुरक्षित करेगा, अर्थात्

सारणी

विनिर्मित अग्न्यायुध प्रतिकृति की क्रमसंख्या	विनिर्माण की तारीख	निपटान की तारीख	क्रेता का नाम और पता, यदि भारत में किसी व्यक्ति को बेचा गया है	आयुध व्यौहारियों, जिनको विक्रय या निर्यात हेतु प्रदत्त किया गया है, का नाम और पता	प्राप्त निर्यात अनुज्ञा की विशिष्टियां, यदि सीधे निर्यात किया जाए	अहानिकारकता के प्रमाणपत्र की विशिष्टियां अहानिकारकता	हस्तगत अतिशेष स्टाक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

(2) अभिलेखों का निरीक्षण अनुज्ञप्तिधारी की अधिकारिता अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(3) विनिर्मित प्रतिकृतियां, जो निरीक्षित नमूनों के अनुरूप हो, वह भारत में विक्रीत किए जाने या विदेशों को निर्यात किए जाने हेतु अनुज्ञात किया जाएगा।

(4) (क) अनुज्ञप्तिधारी अपनी यूजर आईडी में एनडीएएल प्रणाली के साथ एक ऑन लाइन इलैक्ट्रॉनिक संपर्क स्थापित करेगा और उपनियम (1) में निर्दिष्ट रजिस्ट्रों में यथाअभिलिखित सप्ताह के लिए विनिर्मित और विक्रीत अग्न्यायुधों की प्रतिकृतियां साप्ताहिक इलैक्ट्रॉनिक ऑन लाइन डाटा अंतरण की व्यवस्था करेगा।

(ख) यदि कोई ऐसी परिस्थितियां घटित होती हैं जो अनुज्ञप्तिधारी को एनडी एएल प्रणाली पर ऑन लाइन विवरणियां इलैक्ट्रॉनिक नेटवर्क संपर्क के माध्यम से प्रस्तुत करने से रोकती हैं, तो स्थानीय अनुज्ञापन प्राधिकारी को साप्ताहिक विवरणियों को प्रस्तुत करने के लिए और वैकल्पिक साधन स्थापित करने हेतु तत्काल सूचित किया जाएगा।

(ग) चालू सप्ताह के लिए साप्ताहिक विवरणियां प्रत्येक शनिवार को कारबार के घंटों के अंत तक प्रस्तुत की जाएगी।

71. अग्न्यायुधों की प्रतिकृतियों को अहानिकर बनाने की प्रक्रिया - अग्न्यायुधों की प्रतिकृतियों को किसी भी निम्नलिखित पद्धति के माध्यम से अहानिकर बनाया जा सकेगा, अर्थात् :-

- (i) यदि प्रतिकृतियों की बैरल उसी धातु की बनी है जो अग्न्यायुध की बैरल के विनिर्माण में उपयोग की गई है तो बैरल के नीचे की तरफ ब्रीच एंड से 25 एम एम की दूरी पर 12 एम एम X 6 एम एम के आकार का एक खांचा काटकर ; या
- (ii) पीतल जैसी नर्म धातुओं के साथ प्रतिकृतियों की बैरल का विनिर्माण करके ; या
- (iii) बैरल में चैनल हटाकर या फायर क्रियाविधिक के साथ चैनल को न जोड़कर या फायरिंग क्रियाविधिक को हटा के ; या
- (iv) ठोस बैरल की व्यवस्था करके या बैरल के पिछले भाग को ठोस बनाते हुए जब कि बैरल का सामने के भाग को सामान्य बैरल का आकार दिया जाता है।

72. अग्न्यायुधों की प्रतिकृतियों का विक्रय और निर्यात - (1) इन नियमों के अधीन अग्न्यायुध की प्रतिकृतियों के निर्यात के लिए अनुज्ञप्तियां प्रदान करना विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) के उपबंधों के अधीन होगा।

(2) विक्रय या निर्यात के लिए प्रत्येक संव्यवहार के साथ अग्न्यायुध प्रतिकृति के विनिर्माता से उसकी मोहर और मुद्रा के अधीन एक प्रमाणपत्र संलग्न किया जाएगा, जिसमें यह प्रमाणित किया जाएगा कि बेची जा रही निर्यात की जा रही प्रतिकृतियां अग्न्यायुधों की तरह अहानिकर बनाई गई हैं तथा निरीक्षण महानिदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा निरीक्षित नमूनों के अनुरूप है और उसमें निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी :

- (i) प्रतिकृति की क्रमसंख्या;
- (ii) नमूने की निरीक्षण की तारीख;
- (iii) विनिर्माण का वर्ष; और
- (iv) विनिर्माता का नाम।

(2) (क) मज़ल लोडिंग अग्न्यायुधों की प्रतिकृति के विनिर्माण के लिए प्रदत्त अनुज्ञप्तियों के लिए अनुज्ञप्त क्षमता न्यूनतम मात्रा 250 पीस प्रतिमास तथा अधिकतम मात्रा 500 पीस प्रतिमास तक निर्बंधित होगी।

(ख) समकालीन या आधुनिक अग्न्यायुधों की प्रतिकृति के विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्त क्षमता अनुसूची 2 के स्तंभ (5) में यथाविनिर्दिष्ट अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा यथा अनुमोदित होगी।

भाग 3

आयुध और गोला बारुद व्यौहारि

73. आयुध और गोला बारुद व्यौहारियों और अनुज्ञप्तियां प्रदान करना - (1) आयुध और गोला बारुद व्यौहारियों को प्ररूप 8 में अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन निम्नलिखित दस्तावेजों सहित प्ररूप क-8 में किया जाएगा, अर्थात् :-

- (i) रेखांकनों की स्वप्रमाणित प्रतियों सहित यह कथन करने वाली एक लिखित घोषणा कि आवेदक के पास अग्न्यायुधों और गोलाबारुद की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए एक तिजोरी की सुविधा उपलब्ध है;
- (ii) अग्न्यायुधों और गोलाबारुद की सुरक्षित अभिरक्षा के संबंध में उठाए गए कदमों के विनिर्दिष्ट संदर्भ में एक लिखित वचनबंध जिसके अंतर्गत पट्टन नियंत्रण, क्लोज सर्किट टेलीविजन प्रणाली, सुरक्षागार्ड, अग्निशमन युक्तियां इत्यादि के लिए व्यवस्था है ;
- (iii) परिसरों में आवेदक की ओर से व्यापार करने के लिए प्राधिकृत प्रत्येक व्यक्ति, जिसके पास अग्न्यायुधों के सुरक्षित हथालन के लिए अपेक्षित प्रशिक्षण हो, के नाम और पते से अंतर्विष्ट सत्यापन प्ररूप :

परंतु केंद्रीय सरकार इस संबंध में साधारण या विशेष आदेश पारित करके ऐसे व्यौहारियों द्वारा कारबार के संचालन पर अतिरिक्त शर्तें विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनका कारबार का स्थान सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम, 1958 (ए एफ एस पी ए (1958 का 28)) या अधिनियम की धारा 24क या 24ख के अधीन 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किसी क्षेत्र में है।

- (2) प्ररूप 8 में अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए कोई आवेदन, उक्त अनुज्ञप्ति के अवसान से कम से कम साठ दिन पूर्व अनुज्ञापन प्राधिकारी को उपनियम (1) में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ किया जाएगा।
- (3) प्ररूप 8 में मंजूर की गई अनुज्ञप्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगी और वह विक्रय किए जाने वाले या विक्रय हेतु रखे जाने वाले आयुधों और/या गोला बारूद की किस्मों और ऐसे आयुधों और/या गोला बारूद को विनिर्दिष्ट करेगी, जिन्हें 48 या धारा 21 के अधीन सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जमा किया जा सकेगा।
- 74. आयुधों और गोला बारूद के व्यौहारियों के लिए निर्बंधित प्रवर्ग के अग्न्यायुधों और गोला बारूद के लिए अनुज्ञप्ति** – केन्द्रीय सरकार का गृह मंत्रालय प्ररूप 8 में मंजूर की गई किसी अनुज्ञप्ति द्वारा चयनित व्यौहारियों को अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट प्रवर्ग I(ख) या I(ग) के अग्न्यायुधों और गोला बारूद का क्रय, विक्रय या विक्रय के लिए रखे जाने की मात्रा विनिर्दिष्ट करते हुए प्राधिकृत कर सकेगा और उक्त अनुज्ञप्तिधारी ऐसे प्रवर्ग के किन्हीं अग्न्यायुधों या गोला बारूद को, अनुज्ञप्ति धारक पर अधिकारिता रखने वाले अनुज्ञापन प्राधिकारी से इस संबंध में पूर्व पुष्टि अभिप्राप्त किए बिना किसी व्यक्ति को विक्रय या अंतरित नहीं करेगा कि अनुज्ञप्तिधारी को ऐसे निर्बंधित अग्न्यायुध या गोला बारूद कब्जे में रखने की अनुज्ञप्ति जारी की गई है।
- 75. आयुध और गोला बारूद व्यौहारियों द्वारा रखे जाने वाले संव्यवहारों के अभिलेख** – (1) अनुज्ञप्तिधारी 'अग्न्यायुध स्टॉक रजिस्टर' नामक एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात्:-
- (क) विकलन पक्ष पर, -
- (i) एक स्टॉक संख्यांक, जो किसी अग्न्यायुध पर किसी अस्थायी चिन्ह द्वारा स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जाना चाहिए;
- (ii) अग्न्यायुध की मेक, किस्म और कैलिबर तथा साथ ही प्रत्येक विनिर्माता का क्रम संख्यांक या अतिरिक्त पहचान चिन्ह, जो अग्न्यायुध पर प्रदर्शित किया जाता है;
- (iii) अग्न्यायुध की प्राप्ति की तारीख;
- (iv) व्यापार अंतरण की दशा में, ऐसे विनिर्माता या व्यौहारी का पूरा नाम, अनुज्ञप्ति संख्यांक, अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की अवधि, यूआईएन और वास्तविक पता, जिससे अग्न्यायुध क्रय अथवा अर्जित किया गया था और साथ ही क्रय बीजक, चालान, परिवहन दस्तावेज और प्ररूप 12 में परिवहन अनुज्ञप्ति के ब्यौरे, यदि लागू हों;
- (v) प्राइवेट अंतरण की दशा में ऐसे अनुज्ञप्तिधारी का पूरा नाम, अनुज्ञप्ति संख्यांक, अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की अवधि, यूआईएन, वास्तविक पता, उस अनुज्ञप्तिधारी या उसके विधिक उत्तराधिकारियों, जिससे अग्न्यायुध क्रय अथवा अर्जित किया गया था, को संबद्ध अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी विक्रय प्राधिकार और उस व्यक्ति के हस्ताक्षर, जिससे अग्न्यायुध अर्जित किया गया था।
- (ख) प्रत्यय पक्ष पर, उपनियम (1) में निर्दिष्ट स्टॉक संख्यांक के सामने, -
- (i) अग्न्यायुध के विक्रय की तारीख;
- (ii) व्यापार अंतरण की दशा में, ऐसे व्यौहारी का पूरा नाम, अनुज्ञप्ति संख्यांक, अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की अवधि, यूआईएन और वास्तविक पता, जिसे अग्न्यायुध का विक्रय अथवा अंतरण किया गया था और साथ ही विक्रय बीजक, चालान, परिवहन दस्तावेज की विशिष्टियां और प्ररूप 12 में परिवहन अनुज्ञप्ति के ब्यौरे, यदि लागू हों;
- (iii) प्राइवेट अंतरण की दशा में ऐसे अनुज्ञप्तिधारी का पूरा नाम, अनुज्ञप्ति संख्यांक, अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की अवधि, यूआईएन, पूर्ण पता, उस अनुज्ञप्तिधारी, जिसे अग्न्यायुध का विक्रय अथवा अंतरण किया गया था, को संबद्ध अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी अनुज्ञप्ति में उल्लिखित क्रय प्राधिकार और क्रय अवधि और साथ ही क्रय बीजक की विशिष्टियां और उस व्यक्ति के हस्ताक्षर, जिसे अग्न्यायुध विक्रय किया गया था।
- (iv) अग्न्यायुध के अंतरण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर को, यथालागू खंड (i) से (iii) में उल्लिखित लेखबद्ध विशिष्टियों में चिन्हित किया जाएगा।
- (2) अनुज्ञप्तिधारी 'गोला बारूद स्टॉक रजिस्टर' नामक एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात्:-
- (क) विकलन पक्ष पर, -
- (i) गोला बारूद की प्राप्ति की तारीख;
- (ii) व्यापार अंतरण की दशा में, ऐसे विनिर्माता और व्यौहारी का पूरा नाम, अनुज्ञप्ति संख्यांक, अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की अवधि, यूआईएन वास्तविक पता, जिससे गोला बारूद क्रय अथवा अर्जित किया गया था और साथ ही क्रय बीजक, चालान, परिवहन दस्तावेज की विशिष्टियां और प्ररूप 12 में परिवहन अनुज्ञप्ति के ब्यौरे, यदि लागू हों;
- (iii) प्राइवेट अंतरण की दशा में, ऐसे अनुज्ञप्तिधारी का पूरा नाम, अनुज्ञप्ति संख्यांक, अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की अवधि, यूआईएन और वास्तविक पता, जिसे गोला बारूद विक्रय किया गया था और उस व्यक्ति के हस्ताक्षर, जिससे अग्न्यायुध अर्जित किया गया था।

टिप्पण : सभी दस्तावेजों और रजिस्टर में गोला बारूद के वास्तविक व्यौरों का उल्लेख किया जाना अपेक्षित है, जिसमें उसका कैलिबर, मेक और मात्रा अंतर्विष्ट होगी।

(ख) प्रत्यय पक्ष पर,

(i) गोला बारूद के विक्रय की तारीख;

(ii) व्यापार अंतरण की दशा में, ऐसे व्यौहारी का पूरा नाम, अनुज्ञप्ति संख्यांक, अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की अवधि, यूआईएन और वास्तविक पता, जिसे गोला बारूद का विक्रय अथवा अंतरण किया गया था और साथ ही विक्रय बीजक, चालान, परिवहन दस्तावेज की विशिष्टियां और प्ररूप 12 में परिवहन अनुज्ञप्ति के व्यौरे, यदि लागू हों;

(iii) प्राइवेट अंतरण की दशा में ऐसे अनुज्ञप्तिधारी का पूरा नाम, अनुज्ञप्ति संख्यांक, अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की अवधि, यूआईएन, पूर्ण पता, क्रय प्राधिकार के व्यौरे और उस अनुज्ञप्तिधारी, जिसे गोला बारूद का विक्रय अथवा अंतरण किया गया था, को संबद्ध अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी अनुज्ञप्ति में उल्लिखित क्रय अवधि और विक्रय बीजक की विशिष्टियां तथा उस व्यक्ति के हस्ताक्षर, जिसे गोला बारूद विक्रय किया गया था।

(iv) गोला बारूद के अंतरण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर को, यथालागू खंड (i) से (iii) में उल्लिखित लेखबद्ध विशिष्टियों में चिह्नित किया जाएगा।

टिप्पण : सभी दस्तावेजों और रजिस्टर में गोला बारूद के पूर्ण व्यौरों का उल्लेख किया जाना अपेक्षित है, जिसमें उसका कैलिबर, मेक और मात्रा अंतर्विष्ट होगी।

(3) उपनियम (1) और उपनियम (2) में उल्लिखित व्यापार अंतरण की दशा में, ऐसा विक्रय या अंतरण करने वाला व्यौहारी, ऐसा संव्यवहार करने से पूर्व स्वयं का यह समाधान करेगा कि विक्रय या अंतरित किए जाने वाले अग्न्यायुध या गोला बारूद की मात्रा, क्रय करने वाले व्यौहारी की अनुज्ञप्ति में उल्लिखित विक्रय या अंतरण की तारीख को उसकी कुल अनुज्ञप्त मात्रा से अधिक नहीं है।

(4) इस नियम के अधीन तब तक अग्न्यायुधों और गोला बारूद का कोई व्यापार अंतरण नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके साथ विक्रय बीजक संलग्न न हो।

(5) उपनियम (1) और उपनियम (2) में उल्लिखित रजिस्ट्रों को अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट कारबार परिसरों पर रखा जाएगा और रजिस्टर के प्रत्येक पृष्ठ को क्रमानुसार संख्यांकित किया जाएगा और प्रविष्टियों को स्याही में अभिलिखित किया जाएगा और प्रभावी किए गए किन्हीं संशोधनों को स्याही में अंतरापंक्ति लेखन या काट कर चिह्नित किया जाएगा और न कि उसे मिटा कर तथा उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा उस पर लघु हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(6) कोई भी व्यक्ति इस नियम में परिकल्पित किसी रजिस्टर से किसी पृष्ठ को नहीं हटाएगा या हटवाएगा और किसी प्रतिकूल साक्ष्य की अनुपस्थिति में इस प्रकार किसी पृष्ठ को हटाए जाने के संबंध में यह समझा जाएगा कि उसे ऐसे अनुज्ञप्तिधारी, जिसके द्वारा ऐसा रजिस्टर रखा जाना अपेक्षित है, द्वारा या उसके प्राधिकार द्वारा हटाया गया है।

(7) इस नियम के अधीन रजिस्टर में प्रविष्टि की जाने वाली सभी प्रविष्टियों को, यथास्थिति, संबद्ध अग्न्यायुध या गोला बारूद की प्राप्ति, अंतरण या विक्रय पर तुरंत अभिलिखित किया जाएगा और उपनियम (1) और (2) में विनिर्दिष्ट प्रविष्टियों के अतिरिक्त उसमें अग्न्यायुध और गोला बारूद के विद्यमान स्टॉक के दैनिक अतिशेष को भी दर्शित किया जाएगा।

(8) (क) अनुज्ञप्तिधारी एनडीएएल प्रणाली पर अपनी उपयोक्ता आईडी के साथ ऑनलाइन इलैक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी स्थापित करेगा और किसी सप्ताह के लिए, उपनियम (1) और उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रों में यथाअभिलिखित अग्न्यायुध और गोला बारूद के संबंध में किए गए संव्यवहारों के डाटा का सप्ताहिक इलैक्ट्रॉनिक ऑनलाइन अंतरण का उपबंध करेगा।

(ख) यदि कोई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, जो किसी अनुज्ञप्तिधारी को इलैक्ट्रॉनिक नेटवर्क कनेक्टिविटी के माध्यम से एनडीएएल प्रणाली पर ऑनलाइन विवरणियां प्रस्तुत करने से निवारित करती हैं, तो स्थानीय अनुज्ञापन प्राधिकारी को, सप्ताहिक विवरणियां प्रस्तुत करने हेतु वैकल्पिक उपाय स्थापित करने के लिए तुरंत सूचना दी जाएगी।

(ग) चालू सप्ताह के लिए सप्ताहिक विवरणियां प्रत्येक शनिवार को कारबार घंटों के अंत तक प्रस्तुत की जाएंगी।

76. आयुध और गोला बारूद को अभिरक्षा में रखने की अनुज्ञप्ति - (1) अनुज्ञप्तिधारी अधिनियम की धारा 21 के उपबंधों के अधीन आयुध या गोला बारूद को जमा करने और नियम 48 के अधीन उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए प्ररूप 8 में उन्हें तब तक स्वीकार नहीं करेगा, जब तक कि उसका यह समाधान न हो जाए कि जमा कराने वाले व्यक्ति या ऐसे किसी व्यक्ति, जिसकी ओर से उन्हें जमा किया जा रहा है, का कोई दुराशय नहीं है।

(2) अनुज्ञप्तिधारी, धारा 21 के अधीन जमा किए गए और नियम 48 के अधीन सुरक्षित अभिरक्षा के लिए रखे गए आयुध और गोला बारूद के लिए पृथक रजिस्टर रखेगा।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट रजिस्ट्रों में निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात्:-

(i) अग्न्यायुध की प्राप्ति की तारीख;

(ii) ऐसे व्यक्ति का पूरा नाम व पता, जिससे आयुध या गोला बारूद अर्जित किया गया है;

(iii) अग्न्यायुध की मेक, किस्म और कैलिबर तथा साथ ही प्रत्येक विनिर्माता का क्रम संख्यांक या अतिरिक्त पहचान चिह्न, जिसे अग्न्यायुध पर उपदर्शित किया गया है;

- (iv) अनुज्ञप्तिधारी की अनुज्ञप्ति का संख्यांक, जारी होने की तारीख, विधिमान्यता की अवधि और यूआईएन तथा उस व्यक्ति के हस्ताक्षर जिससे अग्न्यायुध अर्जित किया गया था ;
- (v) आयुध या गोला बारूद को वापस, अंतरित या उसका व्ययन करने की तारीख ; और
- (vi) उस व्यक्ति के हस्ताक्षर, जिसे आयुध या गोला बारूद को वापस, अंतरित या व्ययन किया गया था ।
- (4) उपनियम (2) के अधीन रजिस्ट्रों को अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट कारबार परिसरों पर रखा जाएगा और रजिस्टर के प्रत्येक पृष्ठ को क्रमानुसार संख्यांकित किया जाएगा और प्रविष्टियों को स्याही में अभिलिखित किया जाएगा और प्रभावी किए गए किन्हीं संशोधनों को स्याही में अंतरापंक्ति लेखन या काट कर चिन्हित किया जाएगा और न कि उसे मिटा कर तथा उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा उस पर लघु हस्ताक्षर किए जाएंगे ।
- (5) कोई भी व्यक्ति इस नियम में परिकल्पित किसी रजिस्टर से किसी पृष्ठ को नहीं हटाएगा या हटवाएगा और किसी प्रतिकूल साक्ष्य की अनुपस्थिति में इस प्रकार किसी पृष्ठ को हटाए जाने के संबंध में यह समझा जाएगा कि उसे ऐसे अनुज्ञप्तिधारी, जिसके द्वारा ऐसा रजिस्टर रखा जाना अपेक्षित है, द्वारा या उसके प्राधिकार द्वारा हटाया गया है ।
- (6) इस नियम के अधीन रजिस्टर में प्रविष्टि की जाने वाली सभी प्रविष्टियों को, यथास्थिति, संबद्ध अग्न्यायुध या गोला बारूद की प्राप्ति, अंतरण या व्ययन पर तुरंत अभिलिखित किया जाएगा और उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट प्रविष्टियों के अतिरिक्त उसमें अग्न्यायुध और गोला बारूद के विद्यमान स्टॉक के दैनिक अतिशेष को भी दर्शित किया जाएगा ।
- (7) (क) अनुज्ञप्तिधारी एनडीएएल प्रणाली पर अपनी उपयोक्ता आईडी के साथ ऑनलाइन इलैक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी स्थापित करेगा और किसी सप्ताह के दौरान उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रों में यथाअभिलिखित जमा किए गए या जारी किए गए अग्न्यायुध और गोला बारूद के संबंध में किए गए संव्यवहारों के डाटा का सप्ताहिक इलैक्ट्रॉनिक ऑनलाइन अंतरण का उपबंध करेगा ।
- (ख) यदि कोई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, जो किसी अनुज्ञप्तिधारी को इलैक्ट्रॉनिक नेटवर्क कनेक्टिविटी के माध्यम से एनडीएएल प्रणाली पर ऑनलाइन विवरणियां प्रस्तुत करने से निवारित करती हैं, तो स्थानीय अनुज्ञापन प्राधिकारी को, सप्ताहिक विवरणियां प्रस्तुत करने हेतु वैकल्पिक उपाय स्थापित करने के लिए तुरंत सूचना दी जाएगी ।
- (ग) चालू सप्ताह के लिए सप्ताहिक विवरणियां प्रत्येक शनिवार को कारबार घंटों के अंत तक प्रस्तुत की जाएंगी ।

भाग 4

प्रत्यायित बंदूक बनाने वाला

77. लघु मरम्मतें करने के लिए अनुज्ञप्ति – (1) प्ररूप 9-क में की अनुज्ञप्ति किसी अनुज्ञप्तिधारी बंदूक बनाने वाले को अग्न्यायुधों में लघु मरम्मतें करने और उन्हें स्वीकार करने तथा उनका भंडारण करने के लिए हकदार बनाती है ।
- (2) अनुज्ञप्ति बंदूक बनाने वाले को, अग्न्यायुधों का परीक्षण करने के लिए गोला बारूद को अर्जित करने और स्टॉक में रखने का हकदार बनाती है ।
78. बृहत मरम्मतें, संपरिवर्तन आदि करने के लिए अनुज्ञप्ति – (1) जहां अग्न्यायुधों या गोला बारूद के किसी प्रवर्ग के लिए बृहत मरम्मत करने या उनके संपरिवर्तन के लिए प्ररूप 9 में कोई अनुज्ञप्ति मंजूर की जाती है, वहां वह अनुज्ञप्तिधारी बंदूक बनाने वाले को, ऐसे अग्न्यायुधों के संपरिवर्तन या उनकी बृहत मरम्मत करने के प्रयोजन के लिए उसके संघटकों या पुर्जों को तैयार करने के लिए हकदार बनाती है, किंतु वह उसको ऐसे संघटकों या पुर्जों का, उन्हें किसी प्रवर्ग के पूर्ण अग्न्यायुधों या गोला बारूद के संयोजन में उपयोग करने के लिए विनिर्माण करने का हकदार नहीं बनाती ।
- (2) अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्तिधारी को अग्न्यायुधों को निष्क्रिय बनाने और उनका भंडारण करने की भी अनुज्ञा देती है ।
- (3) प्ररूप 9 में अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करने वाले आवेदक के पास, किसी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय संस्थान से या वृत्तिक अथवा तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विधिक रूप से मान्यताप्राप्त किसी निकाय से बंदूक बनाने वाले के रूप में कार्य करने के लिए वृत्तिक तकनीकी विशेषज्ञता होनी चाहिए ।
- (4) केन्द्रीय सरकार का गृह मंत्रालय ऐसे तकनीकी पाठ्यक्रम की अंतर्वस्तु और उपनियम (3) में निर्दिष्ट प्रशिक्षण और विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए मान्यताप्राप्त संस्थाओं को, इस संबंध में कोई साधारण या विशेष आदेश पारित करके अधिसूचित करेगा ।
- (5) जहां किसी अग्न्यायुध को छोटा करने के लिए प्ररूप 9 में कोई अनुज्ञप्ति मंजूर की जाती है, वहां अनुज्ञप्ति विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन करेगी कि अनुज्ञप्तिधारी को किसी अग्न्यायुध को छोटा करने की अनुमति है ; परंतु अनुज्ञप्तिधारी को किसी शाटगन या राइफल के बैरल की लंबाई को 20 इंच से छोटा करने की अनुमति नहीं होगी ।
- (6) जहां ऐसी कोई अनुज्ञप्ति गोला बारूद के संपरिवर्तन के लिए मंजूर की जाती है, वहां वह अनुज्ञप्तिधारी को किसी खाती काट्टिरेज या किसी ऐसे गोला बारूद को, जिसका प्रक्षेप्य नहीं है, एकल या बहु प्रक्षेपित गोला बारूद में संपरिवर्तित करने या किसी गोला बारूद को भरने या पुनः भरने का हकदार नहीं बनाएगी ।
- (7) प्ररूप 9 में अनुज्ञप्ति रखने वाला अनुज्ञप्तिधारी, अपने कार्य के निष्पादन के प्रयोजन के लिए किसी अग्न्यायुध को स्वीकार करने और उसका भंडारण करने और किसी अग्न्यायुध के किसी पुर्जे को, जिसके अंतर्गत कोई मुख्य फ्रेम वाला संघटक भी है, स्टॉक में रखने के लिए हकदार होगा ।
- (8) अनुज्ञप्ति बंदूक बनाने वाले को, अग्न्यायुधों का परीक्षण करने के लिए गोला बारूद को अर्जित करने और उसे स्टॉक में रखने के लिए हकदार बनाती है ।
- (9) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञापन प्राधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी अग्न्यायुध के क्रम संख्यांक या किसी अन्य पहचान चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं करेगा या उसका पुनः उत्कीर्णन नहीं करेगा या उसे नहीं हटाएगा ।

(10) अग्न्यायुधों और गोला बारूद को केवल अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी प्रत्यायित शूटिंग रेंज या टेस्ट बैंच या केबिनेट में परीक्षण के लिए चलाया जा सकेगा, वह भी केवल ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो उसकी अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित हों।

(11) ऐसा अनुज्ञप्तिधारी बंदूक बनाने वाला, जो संकर्म के पूरा होने से पूर्व किसी अग्न्यायुध के तंत्र, कैलिबर या बैरल की लंबाई में कोई परिवर्तन करता है, निम्नलिखित के संबंध में लिखित में अनुज्ञापन प्राधिकारी को अधिसूचित करेगा,-

(i) अग्न्यायुध की विशिष्टियां, जिसके अंतर्गत उसकी किस्म, नाम, कैलिबर और विनिर्माता का क्रम संख्यांक या अतिरिक्त पहचान संख्यांक भी है;

(ii) अनुज्ञप्तिधारी का नाम और पता, उसके यूआईएन, अनुज्ञप्ति संख्यांक और अग्न्यायुध के संबंध में अनुज्ञप्ति जारी करने की तारीख के साथ;

(iii) अग्न्यायुध पर किए गए संकर्म की विशिष्टियां।

(12) प्ररूप 9 में अनुज्ञप्ति को धारण करने वाला अनुज्ञप्तिधारी, केवल अनुज्ञापन प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से किसी अग्न्यायुध को निष्क्रिय कर सकेगा।

79. प्ररूप 9 और प्ररूप 9-क में जारी अनुज्ञप्तियों की अन्य शर्तें - प्ररूप 9 और प्ररूप 9-क में जारी अनुज्ञप्तियों की विधिमान्यता 5 वर्ष होगी और उसमें ऐसे आयुधों की किस्मों को विनिर्दिष्ट किया जाएगा, जिन्हें संपरिवर्तित किया जा सकेगा, जिनकी मरम्मत (बृहत या लघु), परीक्षण (संबूत संबंधी परीक्षण से भिन्न) किया जा सकेगा और साथ ही मरम्मत किए गए अग्न्यायुधों के परीक्षण के लिए कब्जे में रखे जाने के लिए अनुज्ञात गोला बारूद का विवरण या इस प्रवर्ग के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्ति की किस्म के अनुसार संपरिवर्तन के लिए अनुज्ञात गोला बारूद का विवरण भी विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

80. अप्रयोज्य अथवा खराब तथा निष्क्रिय अग्न्यायुध - (1) किसी भी अग्न्यायुध को तब तक अप्रयोज्य अथवा खराब अथवा निष्क्रिय के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में लिखित में प्रमाणित न कर दिया गया हो।

(2) ऐसा कोई अनुज्ञप्तिधारी, जो अपने अग्न्यायुध को अप्रयोज्य अथवा खराब अथवा निष्क्रिय करने की वांछा करता है, अनुज्ञापन प्राधिकारी को ऐसी निष्क्रियता के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए आवेदन कर सकेगा और अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसे अग्न्यायुध को अप्रयोज्य अथवा खराब अथवा निष्क्रिय करने की अनुमति प्रदान कर सकेगा।

(3) किसी अग्न्यायुध को केवल किसी बंदूक बनाने वाले द्वारा नियम 81 के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में निष्क्रिय किया जा सकेगा।

(4) अग्न्यायुध को अप्रयोज्य अथवा खराब अथवा निष्क्रिय किए जाने पर, बंदूक बनाने वाला अनुज्ञप्तिधारी को एक प्रमाणपत्र जारी करेगा, जिसमें वह रीति उपदर्शित होगी, जिसमें उसे अप्रयुक्त अथवा खराब अथवा निष्क्रिय बनाया गया था और यह सत्यापित करेगा कि अग्न्यायुध के निष्क्रिय किए जाने के मामले में, नियम 81 के तहत निहित निष्क्रियकरण की प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है और 7 दिन के भीतर उक्त प्रमाणपत्र की प्रति के साथ अनुज्ञापन प्राधिकारी को इसकी सूचना देगा।

(5) अनुज्ञप्तिधारी, उपनियम (4) के अधीन निष्क्रियता संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त होने के 7 दिन के भीतर, उक्त प्रमाण पत्र को, अग्न्यायुध के निरीक्षण हेतु, उसके साथ उसे अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा :

परंतु अनुज्ञापन प्राधिकारी, जब कभी अपेक्षित हो, अग्न्यायुध के प्राक्षेपिकी संबंधी परीक्षण के लिए उसे अग्रेषित करेगा।

(6) अनुज्ञापन प्राधिकारी, अप्रयोज्य अथवा खराब अथवा निष्क्रिय घोषित किए गए अग्न्यायुध के निरीक्षण के पश्चात् और उसे प्रस्तुत निष्क्रियता संबंधी प्रमाण पत्र तथा प्राक्षेपिकी रिपोर्ट के आधार पर संतुष्ट हो जाने पर, नियम 104 में निहित विधि से अप्रयोज्य अथवा खराब अग्न्यायुधों को नष्ट करने के संबंधी आदेश पारित करेगा और नष्ट अथवा निराकृत करने संबंधी आदेशों के अनुरूप अग्न्यायुधों की अनुज्ञप्ति से उक्त अग्न्यायुध को हटाने का आदेश पारित कर देगा।

81. अग्न्यायुध को निष्क्रिय बनाने के लिए तकनीकी प्रक्रिया - (1) किसी अग्न्यायुध को निम्नलिखित रीति में निष्क्रिय किया जाएगा, अर्थात्-

(i) नाल और चैम्बर; उसके पिछले छोर से एक धातु डाट को कसकर फिट किया जाएगा और काट्रिज को चैम्बर में जाने से या बारूद के भरण को रोकने के लिए उसे पर वेल्ड किया जाएगा ;

(ii) रिवाल्वर सिलेंडर : उसके पिछले छोर से एक धातु डाट को कसकर फिट किया जाएगा और काट्रिज को चैम्बर में जाने से या बारूद के भरण को रोकने के लिए उसे पर वेल्ड किया जाएगा ;

(iii) फाइरिंग पिन : इस छोटा किया जाएगा और ब्रीच फेस में फाइरिंग पिन के छेद को वेल्ड करके बंद किया जाएगा;

(iv) ब्रीच फेस : इसके 75 प्रतिशत या अधिक को 45 डिग्री के कोण पर हटा दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण -

किसी रिवाल्वर की दशा में, "ब्रीच फेस" से ऐसा क्षेत्र निर्दिष्ट होता है जो नाल की रेखा में काट्रिज के आधार को समर्थन प्रदान करता है ;

(v) स्लाइड, बोल्ट या ब्रीच ब्लॉक : लॉकिंग सतहों के 75 प्रतिशत या अधिक को 45 डिग्री के कोण पर हटा दिया जाएगा।

(vi) फ्रेम या रिसीवर; फीड रैम्प, लॉकिंग शोल्डर और स्पोर्ट के 75 प्रतिशत या अधिक को हटा दिया जाएगा और किसी धातु रोधन को उस स्थान पर वेल्ड किया जाएगा जो कि स्लाइड, बोल्ट या ब्रीच ब्लॉक की मानक फिटिंग को निवारित करेगा;

(vii) प्ररूप 9 में अनुज्ञप्ति धारण करने वाले व्यक्ति की तकनीकी राय के आधार पर अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा लिखित में यथाअनुमोदित कोई अन्य रीति।

(2) इस नियम की अधिसूचना से पूर्व निष्क्रिय किए गए अग्न्यायुधों को इस नियम के अनुसार निष्क्रिय गया समझा जाएगा।

82. प्ररूप 9 या 9क में अनुज्ञप्ति धारण करने वाले बंदूक बनाने वाले व्यक्ति द्वारा रखे जाने वाला संव्यवहारों का अभिलेख - (1)

अनुज्ञप्तिधारी 'अग्न्यायुध मरम्मत रजिस्टर' नामक एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात्:-

(क) लघु या बृहत मरम्मत के लिए प्राप्त प्रत्येक अग्न्यायुध के संबंध में,-

(i) स्टॉक संख्यांक, जिसे अग्न्यायुध पर अस्थायी चिन्ह द्वारा स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना चाहिए;

(ii) अग्न्यायुध की मेक, किस्म, कैलिबर और साथ ही प्रत्येक विनिर्माता का क्रम संख्यांक या अतिरिक्त पहचान चिह्न, जो अग्न्यायुध पर उपदर्शित है;

(iii) अग्न्यायुध की प्राप्ति की तारीख;

(iv) उस अनुज्ञप्तिधारी का नाम, पता और यूआईएन, जिससे अग्न्यायुध अर्जित किया गया था;

(v) आयुध अनुज्ञप्ति, अनुमति या ऐसे व्यक्ति के प्राधिकार का संख्यांक, तारीख और विधिमान्यता की अवधि, जिससे अग्न्यायुध अर्जित किया गया था;

(vi) अग्न्यायुध के संबंध में की गई मरम्मत की प्रकृति या किया गया कोई अन्य संकर्म; और

(vii) अनुज्ञप्ति को और अनुज्ञप्ति के संबंध में जारी अनुमति या प्राधिकार को प्राप्त करने की तारीख और उसके धारक के हस्ताक्षर।

(ख) प्ररूप 9 में मंजूर की गई अनुज्ञप्तियों के लिए स्टॉक में प्राप्त प्रमुख अग्न्यायुध संघटकों के संबंध में, -

(i) अग्न्यायुध के प्रमुख संघटकों की प्राप्ति की तारीख;

(ii) ऐसी प्राप्ति का प्रयोजन;

(iii) उस अनुज्ञप्तिधारी का नाम, पता और यूआईएन, जिससे अग्न्यायुध के प्रमुख संघटकों की प्राप्ति की गई थी;

(iv) अग्न्यायुध के प्रमुख संघटकों का अंतरण या व्ययन, जिसके अंतर्गत उस अनुज्ञप्तिधारी का नाम, पता और यूआईएन भी है, जिसके द्वारा अग्न्यायुध के प्रमुख संघटकों की आपूर्ति की गई थी; और

(v) उसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर।

(2) अनुज्ञप्तिधारी 'गोला बारूद स्टॉक रजिस्टर' नामक एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात्:-

(क) विकलन पक्ष पर,-

(i) क्रय किए गए या अर्जित सभी गोला बारूद का कैलिबर, मेक और मात्रा;

(ii) प्राप्ति की तारीख; और

(iii) उस व्यक्ति की अनुज्ञप्ति का संख्यांक, तारीख और यूआईएन, जिससे गोला बारूद क्रय या अर्जित किया गया था।

(ख) प्रत्यय पक्ष पर,-

(i) उपभोग या उपयोग किए गए सभी गोला बारूद का कैलिबर, मेक और मात्रा;

(ii) गोला बारूद के निपटान की तारीख और कारण और प्रविष्टियों की सही के रूप में पुष्टि करते हुए अनुज्ञप्तिधारी के हस्ताक्षर।

(3) उपनियम (1) और उपनियम (2) में उल्लिखित रजिस्ट्रों को अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट कारबार परिसरों पर रखा जाएगा और रजिस्टर के प्रत्येक पृष्ठ को क्रमानुसार संख्यांकित किया जाएगा और प्रविष्टियों को स्याही में अभिलिखित किया जाएगा और प्रभावी किए गए किन्हीं संशोधनों को स्याही में अंतरापंक्ति लेखन या काट कर चिन्हित किया जाएगा और न कि उसे मिटा कर तथा उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा उस पर लघु हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(4) कोई भी व्यक्ति इस नियम में परिकल्पित किसी रजिस्टर से किसी पृष्ठ को नहीं हटाएगा या हटवाएगा और किसी प्रतिकूल साक्ष्य की अनुपस्थिति में इस प्रकार किसी पृष्ठ को हटाए जाने के संबंध में यह समझा जाएगा कि उसे ऐसे अनुज्ञप्तिधारी, जिसके द्वारा ऐसा रजिस्टर रखा जाना अपेक्षित है, द्वारा या उसके प्राधिकार द्वारा हटाया गया है।

(5) इस नियम के अधीन रजिस्टर में प्रविष्टि की जाने वाली सभी प्रविष्टियों को, यथास्थिति, संबद्ध अग्न्यायुध, अग्न्यायुध के प्रमुख संघटकों या गोला बारूद की प्राप्ति, अंतरण, उपयोग या निपटान पर तुरंत अभिलिखित किया जाएगा और उपनियम (1) और (2) में विनिर्दिष्ट प्रविष्टियों के अतिरिक्त, उसमें मरम्मत या परीक्षण के लिए रखे गए अग्न्यायुध, अग्न्यायुध के प्रमुख संघटकों और गोला बारूद के विद्यमान स्टॉक के दैनिक अतिशेष को भी दर्शित किया जाएगा।

(6)(क) अनुज्ञप्तिधारी एनडीएल प्रणाली पर अपनी उपयोक्ता आईडी के साथ ऑनलाइन इलैक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी स्थापित करेगा और किसी सप्ताह के लिए, उपनियम (1) और उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रों में यथाअभिलिखित अग्न्यायुध और गोला बारूद के संबंध में किए गए संव्यवहारों के डाटा का सप्ताहिक इलैक्ट्रॉनिक ऑनलाइन अंतरण का उपबंध करेगा।

(ख) यदि कोई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, जो किसी अनुज्ञप्तिधारी को इलैक्ट्रॉनिक नेटवर्क कनेक्टिविटी के माध्यम से एनडीएल प्रणाली पर ऑनलाइन विवरणियां प्रस्तुत करने से निवारित करती हैं, तो स्थानीय अनुज्ञापन प्राधिकारी को, सप्ताहिक विवरणियां प्रस्तुत करने हेतु वैकल्पिक उपाय स्थापित करने के लिए तुरंत सूचना दी जाएगी।

(ग) चालू सप्ताह के लिए सप्ताहिक विवरणियां प्रत्येक शनिवार को कारबार घंटों के अंत तक प्रस्तुत की जाएंगी।

भाग 5

विनिर्माताओं, आयुध व्यौहारियों और बंदूक बनाने वालों के लिए समान उपबंध

83. परिसरों, स्टॉक और अभिलेख का निरीक्षण- प्रत्येक मजिस्ट्रेट और निरीक्षक से अनूयन पंक्ति का कोई पुलिस अधिकारी या यदि केन्द्रीय सरकार ऐसा निदेश करे तो उप-निरीक्षक, जो उसके प्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर कार्य कर रहा है या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विशिष्ट रूप से सशक्त कोई अधिकारी,-

(i) ऐसे परिसरों में प्रवेश और उनका निरीक्षण कर सकेगा, जिनमें आयुधों या गोला बारूद का विनिर्माण किया जाता है या सबूत के लिए परीक्षण किया जाता है या उनकी मरम्मत की जाती है, या जिन परिसरों में आयुधों अथवा गोला बारूद को ऐसे आयुधों या गोला बारूद के किसी विनिर्माता या व्यौहारी या बंदूक बनाने वाले द्वारा रखा जाता है; और

(ii) आयुधों और गोला बारूद के स्टॉक और उनकी प्राप्तियों तथा व्ययन के लेखाओं की परीक्षा या किसी अन्य रजिस्टर या दस्तावेज की परीक्षा कर सकेगा।

84. हवाई हथियारों, जिनके अंतर्गत पेंटबाल चिन्हक या गन भी हैं, का विनिर्माण और विक्रय - (1) इन नियमों के पूर्वगामी उपबंधों के अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,-

(क) किसी विनिर्माता द्वारा सभी किस्म के हवाई हथियारों, जिनके अंतर्गत एअर राइफलें, एअर गन और पेंटबाल चिन्हक भी हैं, उनकी मज़ल उर्जा या कैलिबर या बोर पर ध्यान न देते हुए, के विनिर्माण या सबूत परीक्षण या दोनों या अंतरण, विक्रय अथवा विक्रय या अंतरण के लिए रखा जाना इन विनियमों के अधीन अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाओं के अध्यधीन होगा:

परंतु कोई विद्यमान विनिर्माता, राजपत्र में इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर, अनुज्ञापन प्राधिकारी को ऐसे हथियारों के विनिर्माण हेतु अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए आवेदन करेगा और अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसे विनिर्माता को प्ररूप 7ग में अनुज्ञप्ति मंजूर कर सकेगा।

(ख) सभी हवाई हथियार, जिनके अंतर्गत एअर राइफल और एअर गन भी हैं जिनकी मज़ल उर्जा 20 ज्यूल या 15 फुट पाउंड और/या बोर 0.177" या 4.5 मि.मी. से अधिक है, नियम 58 में यथाविनिर्दिष्ट चिन्हाकनों के अध्यधीन होंगे।

(2) सभी किस्म के हवाई हथियार, जिनके अंतर्गत एअर राइफल, एअर गन और पेंटबाल चिन्हक या गन भी हैं, का विक्रय, अंतरण और विक्रय या अंतरण के लिए रखा जाना, उनकी मज़ल उर्जा या कैलिबर बोर पर ध्यान न देते हुए केवल प्राधिकृत आयुध और गोला बारूद व्यौहारियों द्वारा या इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्त हवाई हथियार व्यौहारियों द्वारा ही होगा:

परंतु हवाई हथियारों का कोई विद्यमान व्यौहारी, राजपत्र में इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर, ऐसे हथियारों के विक्रय, अंतरण और विक्रय या अंतरण के लिए रखे जाने हेतु अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन करेगा और अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसे व्यौहारी को प्ररूप 8क में अनुज्ञप्ति मंजूर कर सकेगा।

परंतु यह और कि ऐसे हवाई हथियारों, जिनके अंतर्गत एअर राइफल और एअर गन तथा पेंटबाल चिन्हक या गन भी हैं, जिनकी मज़ल उर्जा 20 ज्यूल या 15 फुट पाउंड और/या बोर 0.177" या 4.5 मि.मी. से अधिक है और पेंटबाल चिन्हक या गन की मज़ल उर्जा 90 एम/एस या 300 फुट प्रति सेकेंड (300 एफएसपी) से अनधिक है, के विक्रय या अंतरण को केवल किसी प्राधिकृत आयुध और गोला बारूद के व्यौहारी द्वारा किसी विधिमान्य आयुध अनुज्ञप्ति धारक को किया जाएगा।

(3) ऐसे हवाई हथियारों, जिनके अंतर्गत एअर राइफल और एअर गन भी हैं, जिनकी मज़ल उर्जा 20 ज्यूल या 15 फुट पाउंड और/या बोर 0.177" या 4.5 मि.मी. से अधिक है, का किसी प्राधिकृत और आयुध गोला बारूद व्यौहारी या हवाई हथियार व्यौहारी द्वारा विक्रय या अंतरण, उसके क्रेता का पहचान पत्र और आवास का सबूत अभिप्राप्त करने के पश्चात् ही किया जाएगा और विक्रय के समय उक्त विशिष्टियों को अंतर्विष्ट करने वाला बीजक जारी किया जाएगा।

स्पष्टीकरण - इन नियमों के प्रयोजन के लिए, "हवाई हथियार व्यौहारी" से कोई ऐसा व्यौहारी अभिप्रेत है, जो 20 ज्यूल से अधिक मज़ल उर्जा या 15 फुट पाउंड और/या 0.177" या 4.5 मि.मी. से अधिक बोर वाले हवाई हथियारों का क्रय, विक्रय, अंतरण करता है या विक्रय अथवा अंतरण के लिए रखता है और जिसे अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा प्ररूप 8क में अनुज्ञप्ति मंजूर की गई है।

85. हवाई हथियार व्यौहारियों की बाध्यताएं -(1) कोई हवाई हथियार व्यौहारी 'हवाई हथियार स्टॉक रजिस्टर' नामक एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें विकलन पक्ष पर, यथास्थिति, विनिर्माता या व्यौहारी या किसी अन्य व्यक्ति की दशा में, उस व्यक्ति के नाम और पते के व्यौरे सहित उसके द्वारा जारी किसी बीजक के प्रति हवाई हथियारों की सभी प्राप्तियों को, ऐसी प्राप्ति की

तारीख के साथ लेखबद्ध किया जाएगा तथा प्रत्यय पक्ष पर, विक्रय बीजक के विरुद्ध हवाई हथियारों के सभी विक्रयों या अंतरणों को, ऐसे विक्रय या अंतरण की तारीख के साथ लेखबद्ध किया जाएगा, जिसमें क्रेता के नाम और पते से पूर्ण ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे: परंतु अनुज्ञप्तिधारी क्रय के समय, व्यापार अंतरण के मामले के सिवाय, क्रेता और साथ ही विक्रेता के भी पहचान और आवास के सबूत प्राप्त करेगा और उसे अपने अभिलेख में रखेगा।

(2) हवाई हथियार ब्यौहारी यह सुनिश्चित करेगा कि उसके पास नियम 10 में यथाविनिर्दिष्ट सुरक्षित भंडारण अपेक्षाओं के अनुसार हवाई हथियारों का भंडारण करने की क्षमता होगी।

(3) हवाई हथियारों का प्रत्येक ब्यौहारी, उस पर अधिकारिता रखने वाले अनुज्ञापन प्राधिकारी के माध्यम से एनडीएएल डाटाबेस पर स्वयं को रजिस्ट्रीकृत करने के लिए यूआईएन अभिप्राप्त करेगा और इस प्रयोजन के लिए उसे लोग-इन हेतु पृथक उपयोक्ता पहचान और पासवर्ड आबंटित किया जाएगा और अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसे ब्यौहारी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह किसी सप्ताह के लिए सप्ताहिक आधार पर एनडीएएल डाटाबेस पर अपने संव्यवहारों के पूर्ण ब्यौरे अपलोड करे और यह उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट रजिस्टर रखे जाने के अतिरिक्त होगा:

परंतु चालू सप्ताह के लिए सप्ताहिक विवरणियां प्रत्येक शनिवार को कारबार घंटे समाप्त होने तक प्रस्तुत की जाएंगी।

86. कतिपय मामलों में केन्द्रीय सरकार की शक्तियां—(1) जहां किसी प्रवर्ग या वर्णन के आयुधों या गोला बारूद के विनिर्माण, विक्रय, आयात, निर्यात या परिवहन के लिए कोई अनुज्ञप्ति अपेक्षित नहीं है, वहां विनिर्माता या ब्यौहारी से यह अनुरोध किया जाएगा कि वह अपने नाम और पते तथा कारबार के स्थान को ऐसी रीति में और ऐसे स्थान पर रजिस्टर करे, जैसाकि केन्द्रीय सरकार इस निमित्त कोई साधारण या विशेष आदेश जारी करके विहित करे और विनिर्माता या ब्यौहारी ऐसे रजिस्ट्रारों को रखेगा और केन्द्रीय सरकार को ऐसी जानकारी प्रस्तुत करेगा, जिसकी वह इस प्रकार विनिर्मित, विक्रय किए गए, आयातित, निर्यातित, या परिवहन किए गए आयुधों या गोला बारूद के संबंध में अपेक्षा करे।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक विनिर्माता या ब्यौहारी, उस पर अधिकारिता रखने वाले अनुज्ञापन प्राधिकारी के माध्यम से एनडीएएल डाटाबेस पर स्वयं को रजिस्ट्रीकृत करने के लिए यूआईएन अभिप्राप्त करेगा और इस प्रयोजन के लिए उसे लोग-इन हेतु पृथक उपयोक्ता पहचान और पासवर्ड आबंटित किया जाएगा और अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसे विनिर्माता या ब्यौहारी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह किसी सप्ताह के लिए सप्ताहिक आधार पर एनडीएएल डाटाबेस पर अपने संव्यवहारों के पूर्ण ब्यौरे अपलोड करे और यह उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट रजिस्टर रखे जाने के अतिरिक्त होगा:

परंतु चालू सप्ताह के लिए सप्ताहिक विवरणियां प्रत्येक शनिवार को कारबार घंटे समाप्त होने तक प्रस्तुत की जाएंगी।

अध्याय 6

आयुध और गोला बारूद का आयात और निर्यात

87. आयुध और गोला बारूद के आयात और निर्यात के लिए अनुज्ञप्तियां—(1) इन नियमों के अधीन आयुध और गोला बारूद के आयात और निर्यात के लिए अनुज्ञप्तियां विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) के उपबंधों के अधीन होगी। अपने निजी यात्री सामान के भाग रूप में भारत में आयुध और गोला बारूद लाने वाले व्यक्ति सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) और तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे:

परंतु किसी आयुध या गोला बारूद के डाक कार्यालय के माध्यम से आयात या पुनः आयात के लिए निर्यात हेतु कोई अनुज्ञप्ति मंजूर नहीं की जाएगी।

88. आयुध और गोला बारूद का आयात—(1) आयुध और गोला बारूद को उस समय किसी व्यक्ति द्वारा भारत में लाया गया समझा जाएगा, जब ऐसे आयुध या गोला बारूद को किसी अभिकर्ता के माध्यम से आयात किया जाता है और या तो सीधे उस व्यक्ति को उन्हें सौंपा जाता है या फिर उक्त अभिकर्ता को उस समय सौंपा जाता है, जब ऐसा अभिकर्ता उक्त व्यक्ति से इस प्रभाव का प्रमाणपत्र रखता है कि आयुध या गोला बारूद सदभावी रूप से उसकी संपत्ति हैं और अभिकर्ता केवल भारतीय सीमा शुल्क से ऐसे आयुध या गोला बारूद की निकासी करता है और उसे अग्रेषित करता है।

(2) ऐसा ब्यौहारी या विनिर्माता जो किसी अग्न्यायुध या अग्न्यायुध के किन्हीं पुर्जों या गोला बारूद का आयात करना चाहता है, भारत को अग्न्यायुध या गोला बारूद की लदाई से इक्कीस दिन पूर्व या ऐसी लघुतर अवधि से पूर्व, जो अनुज्ञापन प्राधिकार की राय में उपयुक्त है, प्ररूप 10 में अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए आवेदन करेगा और आयात अनुज्ञप्ति के जारी होने से पूर्व अग्न्यायुध या गोला बारूद की लदाई के लिए व्यवस्था नहीं करेगा।

(3) अनुज्ञप्ति मंजूर करने वाला अनुज्ञापन प्राधिकारी तुरंत आयात के पत्तन पर अधिकारिता रखने वाले अनुज्ञापन प्राधिकारी को अनुज्ञप्ति की एक प्रति भेजेगा।

(4) ब्यौहार या विनिर्माता, भारत में अग्न्यायुध या अग्न्यायुध के पुर्जों या गोला बारूद की लदाई के पहुंचने पर तुरंत अनुज्ञापन प्राधिकारी और साथ ही प्रवेश के पत्तन, जहां लदाई पहुंची है, के अनुज्ञापन प्राधिकारी को लिखित में लदाई के इस प्रकार पहुंचने की सूचना देगा और आधान या परेषण और उस स्थान की विशिष्टियां उपलब्ध कराएगा, जहां लदाई का निरीक्षण किया जा सकता है और आयात अनुज्ञप्तिधारी, भारत में प्रवेश के पत्तन पर भारतीय सीमा शुल्क प्राधिकारियों की उपस्थिति में पत्तन के

अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा ऐसा कोई निरीक्षण किए जाने से पूर्व अग्न्यायुध या गोला बारूद के आधान या परेषण को नहीं खोलेगा।

(5) व्याहारी या विनिर्माता, भारत में अग्न्यायुध या गोला बारूद के पहुंचने के बहत्तर घंटों के भीतर, -

(क) प्रवेश के पत्तन के अनुज्ञापन प्राधिकारी के साथ अग्न्यायुध या गोला बारूद के निरीक्षण की व्यवस्था करेगा; और

(ख) भौतिक निरीक्षण को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात्, अनुज्ञापन प्राधिकारी को, जिसने आयात अनुज्ञप्ति जारी की थी, लिखित में यह प्रमाणित करेगा कि आयात अनुज्ञप्ति के तत्समान आयातित अग्न्यायुध या गोला बारूद भारत में पहुंच गए हैं।

(6) बहत्तर घंटों के भीतर उपनियम (5) में विनिर्दिष्ट निरीक्षण करने में किसी विलंब के कारण लगने वाले किसी अतिरिक्त प्रभार या डेमरेज को प्रवेश के पत्तन पर स्थित अनुज्ञापन प्राधिकारी और सीमा शुल्क प्राधिकारियों के कारण लगा हुआ समझा जाएगा न कि आयातकर्ता अनुज्ञप्तिधारी के कारण।

89. कतिपय किस्म के आयुधों का आयात - (1) समकालीन या आधुनिक अग्न्यायुधों की प्रतिकृतियों का आयात, निर्यात के देश की विनिर्माता कंपनी से जारी होने वाले अनपकारिता के प्रमाणपत्र को प्रस्तुत किए जाने के अधीन होगा और साथ ही आयातकर्ता द्वारा इस बात का वचनबंध किया जाएगा कि आयात किए जाने वाले अग्न्यायुधों की प्रतिकृतियां स्वयं में और साथ ही उपांतरणों के साथ भी किसी विस्फोटक चार्ज या समपीडित वायु या किसी अन्य गैस की कार्यवाही द्वारा किसी शॉट, गोली या प्राक्षेपिकी को छोड़ने या प्राक्षेपण करने के लिए समक्ष नहीं है।

(2) पेंट बाल चिन्हकों को या पेंट बाल गनों का आयात, निर्यात के देश की विनिर्माता कंपनी द्वारा इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने के अधीन होगा कि पेंट बाल चिन्हकों या गन की मज़ल उर्जा 90एम/एस या 300 फुट/से. (300 एफएसपी) से अधिक नहीं है और आयातकर्ता द्वारा यह वचनबंध किया जाएगा कि पेंट बाल चिन्हकों या पेंट बाल गनों का, इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी प्राधिकृत आयुध और गोला बारूद के व्याहारी के माध्यम से ही विक्रय किया जाएगा।

(3) (क) इलैक्ट्रानिक असमर्थकारी युक्तियों (ईडीडी) का आयात, अनुज्ञापन प्राधिकारी को आयात के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय ऐसे उत्पादों में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में चिकित्सीय अनुसंधान रिपोर्टों को प्रस्तुत करने के अधीन होगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित होंगे,-

(i) मदिरा का सेवन किए हुए वयस्कों पर दीर्घकालिक डिस्चार्ज का शरीर क्रियात्मक प्रभाव;

(ii) मानव बालंटियरों के वक्ष में लगाए गए प्रोबों का ईकहोकार्डियोग्राफी मूल्यांकन;

(iii) लगाए गए पेसमेकर;

(iv) पुनरावृत या दीर्घकालिक उदभासन: अकैडमिया और श्वसन का न होना;

(v) कार्डियोवासकुलर प्रभाव;

(vi) व्यायाम के पश्चात् उदभासन के शरीर क्रियात्मक प्रभाव;

(vii) थके हुए मानवों में स्तनपान और पीएच मूल्यांकन;

(viii) युक्ति के उपयोग के पंद्रह सैकेंड के दौरान आधारीक श्वसन पैरामीटरों की ह्रास-हीनता।

(ख) आयातकर्ता से इस संबंध में एक वचनबंध कि सभी प्रकार की इलैक्ट्रानिक असमर्थकारी युक्तियों (ईडीडी) का, उनकी रेंज पर ध्यान न देते हुए, इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति धारण करने वाले केवल किसी प्राधिकृत आयुध और गोला बारूद व्याहारी द्वारा ही विक्रय किया जाएगा।

90. आयुध और गोला बारूद का निर्यात -(1) भारत में किसी सीमा शुल्क पत्तन से विदेशी राज्यक्षेत्र में स्थित किसी पत्तन को आयुध या गोला बारूद के निर्यात के लिए प्ररूप 10 में अनुज्ञप्ति मंजूर करने वाला कोई प्राधिकारी, ऐसी अनुज्ञप्ति की एक प्रति अभिकर्ता या जलयान के मास्टर या वायु वाहक के मास्टर या ऐसे रेल प्राधिकारी को भेजेगा, जिसके द्वारा अनुज्ञप्ति के अंतर्गत आने वाले आयुध या गोला बारूद को भारत से बाहर ले जाना आशयित है और उसके पश्चात् अनुज्ञप्ति की एक प्रति तुरंत उस स्थान के अनुज्ञापन प्राधिकारी को भेजेगा, जहां से ऐसे मालों को भारतीय राज्यक्षेत्र को छोड़ना है।

(2) अनुसूची 1 के प्रवर्ग 4 में विनिर्दिष्ट आयुधों के निर्यात हेतु अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ केन्द्रीय सरकार के पुरातत्व महानिदेशालय से इस प्रभाव का एक प्रमाणपत्र संलग्न होगा कि निर्यात के लिए आशयित आयुध, पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 (1972 का 52) के अधीन "पुरावशेष" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं।

(3) ऐसे क्षेत्र पर, जहां से मालों का भारत की सीमा से बाहर निर्यात किया जाना है, अधिकारिता रखने वाला जिला मजिस्ट्रेट अपने विवेकानुसार अनुज्ञप्तिधारी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह आयुध या गोला बारूद को, उन्हें वह क्षेत्र छोड़ने की अनुज्ञा देने से पूर्व उसके निरीक्षण के लिए उसे प्रस्तुत करे।

(4) प्ररूप 10 में कोई निर्यात अनुज्ञप्ति अहस्तांतरणीय होगी और उसे तीन मूल प्रतियों में जारी किया जाएगा।

(5) (क) निर्यात अनुज्ञप्ति की पहली प्रति को, निर्यात की तारीख से 10 दिन के भीतर उसे जारी करने वाले अनुज्ञापन प्राधिकारी को वापस किया जाएगा और उस तारीख को भारतीय सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित किया जाना चाहिए;

(ख) उसकी दूसरी प्रति को, निर्यात अनुज्ञप्ति पर कथित निर्यात तारीख के पश्चात् 90 दिन की अवधि के भीतर अनुज्ञापन प्राधिकारी को वापस किया जाएगा, जिस पर अंत उपयोक्ता के हस्ताक्षर, शासकीय तारीख और नाम की मुद्रा होनी चाहिए ताकि उसे प्रदाय सत्यापन प्रमाणपत्र के रूप में माना जाए;

परंतु खंड (क) और खंड (ख) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन में असफलता के परिणामस्वरूप निर्यातक के सभी लंबित और भावी निर्यात संव्यवहारों को उस समय तक निलंबित कर दिया जाएगा, जब तक कि उक्त शर्तों का सम्यक रूप से अनुपालन न कर दिया जाए।

(6) अनुज्ञापन प्राधिकारी तीन मास से अनधिक अवधि के लिए निर्यात अनुज्ञप्ति की मान्यता को केवल एक बार के लिए उस समय विस्तारित कर सकेगा, जब आवेदन में कथित किन्हीं वास्तविक कारणों से निर्यात अनुज्ञप्ति की विधि मान्यता के लिए अनुबंधित समय के भीतर निर्यात संव्यवहार नहीं किया जा सका था।

(7) जहां अनुज्ञप्तिधारी, निर्यात अनुज्ञप्ति की विधि मान्यता के भीतर निर्यात करने में असफल रहता है, वहां वह निर्यात अनुज्ञप्ति की सभी तीन मूल प्रतियों को, उक्त संव्यवहार के अनुपालन के कारणों के साथ, उसे जारी करने वाले अनुज्ञापन प्राधिकारी को लौटा देगा।

(8) निर्यात संव्यवहार पूरा हो जाने पर, निर्यातकर्ता इस प्रकार निर्यात किए जाने वाले अग्न्यायुध या गोला बारूद से संबंधित निर्यात अनुज्ञप्ति, लड़ाई के बीजक या वायुयान के बीजक, पैकिंग सूचियों और निर्यात बीजक की मूल प्रतियों को धारण करेगा और जब कभी जारी करने वाले अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अपेक्षा की जाए, उसे उक्त दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

91. आयुध और गोला बारूद का निर्यात और पुनः आयात—(1) आयुध या गोला बारूद का भारत में एक स्थान से निर्यात और भारत में किसी अन्य स्थान पर उसके पुनः आयात के लिए केन्द्रीय सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा या उसके द्वारा विशेष रूप से सशक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा, उस समय जब आयुध या गोला बारूद को भारत का भाग न बनने वाले मध्यवर्ती राज्यक्षेत्र के पार ले जाया जाता है तो प्ररूप 10 में कोई अनुज्ञप्ति जारी की जा सकेगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन मंजूर की गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति की एक प्रति को तुरंत केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रेषण के स्थान के अनुज्ञापन प्राधिकारी और भारत में वस्तुओं के गन्तव्य स्थान के अनुज्ञापन प्राधिकारी, दोनों को भेजा जाएगा।

(3) प्रदर्शनियों, मूल्यांकनों और प्रदर्शन के प्रयोजन के लिए भारत से निर्यात किए जाने वाले आयुध और गोला बारूद को, प्ररूप 10 में जारी निर्यात अनुज्ञप्ति में उपदर्शित निर्यात की तारीख के पश्चात् छह मास की अवधि के भीतर भारत में वापस लाया जाएगा।

92. अभिवहन में आयुध और गोला बारूद—(1) कोई भी व्यक्ति तब तक किसी आयुध या गोला बारूद का निर्यात, परिवहन और पुनःनिर्यात नहीं करेगा, जब तक कि वह केन्द्रीय सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा प्ररूप 10 में इस निमित्त जारी अभिवहन अनुज्ञप्ति धारण न करता हो।

(2) अभिवहन अनुज्ञप्ति की मंजूरी हेतु आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न किया जाएगा—

(i) मूल देश से आयुध और गोला बारूद के निर्यात के प्राधिकार का सबूत और अंतिम गन्तव्य के देश से आयात के प्राधिकार का इस आशय का दस्तावेजी सबूत कि आयुध या गोला बारूद को विधि पूर्वक उक्त देश में आयात किया जा सकता है;

(ii) परिवहन के आशयित मार्ग और परिवहन की पद्धति और प्रवेश तथा निकास के प्रस्तावित पत्तन और प्रवेश तथा निकास की संभावित तारीख और साथ ही अनुज्ञापन प्राधिकारी को स्वीकार्य ऐसी अनुज्ञप्ति, अनुमति, प्राधिकार या किसी अन्य सबूत की ऐसी प्रमाणित प्रति, जो भारतीय राज्यक्षेत्र से अभिवहन में अग्न्यायुध और गोला बारूद के विधि पूर्वक कब्जे की पुष्टि करती हो;

(iii) अग्न्यायुध और गोला बारूद की पूर्ण सूची, जिसमें अग्न्यायुध की मात्रा, कार्य की किस्म, विनिर्माता का क्रम संख्यांक, माडल और कैलिबर तथा ऐसे गोला बारूद की, जो परेषण का भाग है, मात्रा, किस्म और कैलिबर को भारतीय राज्यक्षेत्र में अभिवहन में ले जाने वाले परेषण टिप्पण के साथ उपदर्शित किया जाएगा।

(3) अनुज्ञप्तिधारी, आयुध या गोला बारूद के भारत में पहुंचने के तुरंत पश्चात् उपनियम (1) में निर्दिष्ट जारी करने वाले अनुज्ञापन प्राधिकारी और साथ ही उस क्षेत्र के, जहां लड़ाई पहुंची है, अनुज्ञापन प्राधिकारी को लिखित में अधिसूचित करेगा और आधान या परेषण तथा उस स्थान की विशिष्टियां उपलब्ध कराएगा, जहां उनका निरीक्षण किया जा सकता है और वह यह और सुनिश्चित करेगा कि परेषण को भारतीय सीमा शुल्क प्राधिकारी की अधिकारिता के अधीन किसी बंधित भांडागार में भंडारित किया जाता है और वह आधान या परेषण को तब तक नहीं खोलेगा जब तक कि उस क्षेत्र के अनुज्ञापन प्राधिकारी और सीमा प्राधिकारी द्वारा उसका निरीक्षण न कर लिया जाए।

(4) अनुज्ञापन प्राधिकारी भारतीय राज्यक्षेत्र से आधान या परेषण के परिवहन और मार्ग के संबंध में शर्तें अधिकथित कर सकेगा और आयात के पत्तन से भारतीय राज्यक्षेत्र के माध्यम से पुनः निर्यात के पत्तन तक सुरक्षापायों से संबंधित सभी अनुपूरक व्ययों का वहन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जाएगा।

(5) भारत में एक मास अनधिक की किसी अवधि के लिए आयुध या गोला बारूद के भंडारण की अनुमति आपवादिक परिस्थितियों में अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा स्थानीय पुलिस अधिकारियों की पूर्व अनुमति से प्रदान की जाएगी और वह सुरक्षित भंडारण की ऐसी शर्तों के अधीन होगी, जो अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा विहित की जाएं:

परंतु आयुध और गोला बारूद अनुज्ञप्तिधारी तथा स्थानीय पुलिस प्राधिकारी के सीधे पर्यवेक्षण के अधीन होंगे।

(6) इन-ट्रांजिट अनुज्ञप्ति के अधीन आयुधों या गोला-बारूद को भारत में किसी भी कारण से विक्रय नहीं किया जाएगा, अंतरित नहीं किया जाएगा या उपयोग नहीं किया जाएगा।

(7) प्ररूप 10 में अभिवहन अनुज्ञप्ति मंजूर करने वाले अनुज्ञापन प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी अनुज्ञप्ति की एक प्रति, उस अंतिम पत्तन पर, जिससे परेषण को भारत की सीमा पार करनी है, अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगा।

93. भारत के राज्यक्षेत्रीय समुद्र में प्रवेश करने वाले जलयान – भारत के राज्यक्षेत्रीय समुद्र में प्रवेश करने वाले या ऐसे समुद्र को छोड़ने वाले किसी जलयान द्वारा वहन किए जाने वाले आयुध या गोला बारूद को यथास्थिति, आयात या निर्यात किया गया समझा जाएगा, इस बात पर ध्यान न देते हुए कि उन्हें वहन करने वाला जलयान बर्थ करता है अथवा नहीं।

94. कतिपय मामलों में भारतीय सीमा शुल्क प्राधिकारियों को प्रदाय किए जाने वाले आयुध या गोला बारूद – जहां भारत में के किसी पत्तन से भिन्न किसी अन्य पत्तन को जाने वाला कोई जलयान या वायुयान अपनी यात्रा के अनुक्रम में भारत के किसी पत्तन पर आता है और वहां अड़तालीस घंटे से अधिक की अवधि के लिए ठहरता है तो ऐसे किसी यात्री के, जिसे इस प्रकार के आयुध या गोला बारूद को रखने के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के दायित्व से छूट प्राप्त नहीं है, कब्जे वाले आयुध या गोला बारूद का प्रदाय उसके द्वारा भारतीय सीमा शुल्क प्राधिकारियों को किया जाएगा, जो ऐसे यात्री के यथास्थिति, समुद्र या वायु मार्ग से प्रस्थान तक उन्हें निरुद्ध रखेंगे और ऐसे यात्री के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह इस प्रकार प्रदाय या निरुद्ध किए गए आयुध या गोला बारूद के संबंध में अनुज्ञप्ति प्राप्त करे।

95. आयुध और गोला बारूद को अंतर्विष्ट करने वाले परेषणों की प्राधिकारियों द्वारा जांच – (1) इन नियमों के अध्याय 6 के अधीन अनुज्ञप्तियों को, जहां कहीं लागू हो, आयात या निर्यात संव्यवहारों में अंतर्वलित प्राधिकारियों को प्रस्तुत किया जाएगा, जैसे कि भारतीय सीमा शुल्क प्राधिकारी, अधिनियम के अधीन पत्तन के अनुज्ञापन प्राधिकारी, रेल प्राधिकारी, पोत परिवहन अभिकर्ता, जलयान, वायुयान के मास्टर, परिवहनकर्ता और ऐसे संव्यवहारों के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध किसी अन्य प्राधिकारी और उक्त प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि आयुध या गोला बारूद को अंतर्विष्ट करने वाला परेषण अनुज्ञप्ति में अंतर्विष्ट व्यौरों के समरूप है।

(2) जहां उपनियम (1) में निर्दिष्ट किसी मामले में, आयातकर्ता या निर्यातकर्ता या समनुदेशक या अभिकर्ता द्वारा मूल अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं की जाती है या यथास्थिति, मूल अथवा अनुज्ञप्ति की अधिप्रमाणित प्रति के साथ कोई परेषण नहीं है या यदि अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को भेजी गई प्रति के सारवान रूप में समान नहीं है या आयुध अथवा गोला बारूद ऐसी अनुज्ञप्ति में दिए गए वर्णन के अनुरूप नहीं है, वहां ऐसा कोई प्राधिकारी प्रेषण हेतु ऐसे परेषण को प्राप्त नहीं करेगा या यथास्थिति, उसे और आगे जाने या परेषण के प्रदाय की अनुमति नहीं देगा और उस दशा में जहां वह कोई जिला मजिस्ट्रेट नहीं है, तुरंत उसकी जानकारी निकटतम मजिस्ट्रेट को देगा।

अध्याय 7

भाग 1

आयुध और गोला बारूद का परिवहन

96. आयुध और गोला बारूद के परिवहन का प्रतिषेध – (1) इसमें अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कोई भी व्यक्ति, इन नियमों के अधीन मंजूर की गई प्ररूप 12 में की अनुज्ञप्ति के अधीन और उसकी शर्तों के अनुसार के सिवाय, किन्हीं आयुधों या गोला बारूद का या अनुसूची 1 के प्रवर्ग 5 में विनिर्दिष्ट किन्हीं आयुधों का भारत में या उसके किसी भाग में परिवहन नहीं करेगा।

(2) उपनियम (1) या अधिनियम की धारा 12 की कोई बात किसी ऐसे आयुध या गोला बारूद को लागू होने वाली नहीं समझी जाएगी,-

(क) जिसका अपने स्वयं के उपयोग के लिए युक्तियुक्त मात्रा में ऐसे आयुध या गोला बारूद को विधिक रूप से कब्जे में रखने या साथ लेकर चलने के लिए हकदार किसी व्यक्ति द्वारा निजी रूप से या निजी समान के रूप में परिवहन किया जाता है ;

(ख) जिसका परिवहन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जिसके पास ऐसी वस्तुओं के विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्ति है और उसका परिवहन सबूत परीक्षण के लिए किसी पेटी या ऐसे पैकेज में किया जाता है, जिस पर किसी सरकारी प्रतिष्ठापन या इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्त किसी प्रतिष्ठापन का पता सुपाठ्य रूप में लिखा है या उसका पुनः परिवहन किसी ऐसे प्रतिष्ठापन द्वारा ऐसे व्यक्ति को किया जाता है;

(ग) जो अनुसूची 1 में निर्दिष्ट प्ररूप 5 के आयुध हैं और जिनका परिवहन ऐसे क्षेत्र से किया जाता है, जहां केन्द्रीय सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना द्वारा धारा 4 को लागू किया था या ऐसे क्षेत्र से किसी क्षेत्र को किया जाता है, जहां धारा 4 लागू नहीं होती है, परंतु आयुधों को समुचित रूप से पैक किया जाएगा और उन पर लेबल लगाया जाएगा, जिस पर स्पष्ट रूप से उन वस्तुओं तथा प्रेषिती का नाम और पते का वर्णन होगा;

(घ) किसी अनुज्ञप्त विनिर्माता या व्यौहारी द्वारा निर्यात के लिए या आयात के पश्चात् किसी अनुज्ञप्ति के अनुसार निम्नलिखित रूप में उनके निर्यात या आयात के लिए परिवहन किया जाता है,-

(i) प्रेषण के स्थान से निर्यात के पत्तन या अन्य स्थान तक, या

(ii) आयात के पत्तन या अन्य स्थान से गन्तव्य के स्थान तक, या

(iii) पुनः निर्यात के लिए आयात के पत्तन में परा-लदाई द्वारा;

(ङ) जिनका परिवहन,-

(i) ऐसी वस्तुओं को कब्जे में रखने के लिए विधिक रूप से हकदार किसी व्यक्ति द्वारा उसके अपने उपयोग के लिए युक्तियुक्त मात्राओं में अनुज्ञप्त विनिर्माता या व्यौहारी के परिसरों से किया जाता है या उनकी परीक्षा या मरम्मत या परीक्षण के प्रयोजन के लिए किया जाता है या ऐसे किसी परिसर से या ऐसी वस्तुओं को कब्जे में रखने के लिए विधिक रूप से हकदार किसी अन्य व्यक्ति के पते पर किया जाता है ; या

(ii) किसी अनुज्ञप्त विनिर्माता या व्यौहारी द्वारा किसी ऐसी पेटी या पैकेज में किया जाता है, जिस पर सुपाठ्य रूप से ऐसी वस्तुओं को कब्जे में रखने के लिए विधिक रूप से हकदार किसी व्यक्ति का पता लिखा है और ऐसा परिवहन ऐसे व्यक्ति द्वारा युक्तियुक्त मात्रा में अपने उपयोग के लिए ऐसी वस्तुओं के प्रदाय के लिए किए गए आदेश के अनुपालन में या उनमें किसी प्रकार की आवश्यक मरम्मत करने के पश्चात् किया जाता है;

(iii) किसी व्यौहारी द्वारा किसी अन्य व्यौहारी को किसी विक्रय बीजक के प्रति उसी राज्य के भीतर व्यापार अंतरण के अधीन किया जाता है;

(च) जो क्लोरेट है और जिसका परिवहन सदभावी औद्योगिक, कृषि या चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है:

परंतु -

(i) खंड (घ), खंड (ङ) के उपखंड (i) और उपखंड (ii) या खंड (छ) के अधीन आयुधों या गोला बारूदों का परिवहन, नियम 98 में यथाउपबंधित वस्तुओं के गन्तव्य स्थान के अनुज्ञापन प्राधिकारी से निराक्षेप प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने के अधीन होगा;

(ii) खंड (ङ) के उपखंड (i) में कथित प्रयोजनों में से किसी के लिए निजी रूप से आयुध या गोला बारूद का परिवहन, ऐसे व्यक्ति के कब्जा संबंधी अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता के क्षेत्र से बाहर किसी क्षेत्र में उनका उपयोग किए बिना, उसके द्वारा परिवहन के आरंभिक स्थान से अनुज्ञापन प्राधिकारी से प्ररूप 12 में अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के अधीन होगा; और

(iii) खंड (ग) के अधीन अनुसूची 1 के प्रवर्ग 5 में विनिर्दिष्ट आयुधों और खंड (छ) के अधीन क्लोरेट के परिवहन की पूर्व संसूचना प्रेषण के स्थान के निकटतम पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी या अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को दी जाएगी।

(3) उपनियम (2) के परंतुक के खंड (iii) के अधीन पूर्व सूचना प्राप्त होने पर अधिकारी या मजिस्ट्रेट इसकी सूचना तुरंत जिला मजिस्ट्रेट को देगा और यदि वस्तुओं का परिवहन रेल द्वारा किया जाना है तो निम्नलिखित पर अधिकारिता रखने वाले रेल पुलिस के अधीक्षक को देगा,-

(i) क्लोरेट के परिवहन की दशा में गन्तव्य के स्थान पर, और

(ii) अनुसूची 1 के प्रवर्ग 5 में विनिर्दिष्ट आयुधों के परिवहन की दशा में, जहां धारा 4 लागू होती है वहां क्षेत्र में प्रवेश के स्थान पर।

स्पष्टीकरण - इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, 'परिवहन' के अंतर्गत देश के किसी भाग के आर-पार आयुधों या गोला बारूद का संचलन भी है, किंतु इसके अंतर्गत किसी अनुज्ञप्ति विनिर्माता या व्यापारी द्वारा किसी भांडागार, गोदाम या किसी अन्य ऐसे समान स्थान से उसके कारखाने, दुकान या कारबार के अन्य स्थान तक उसी ग्राम, शहर या नगर के भीतर आयुधों या गोला बारूद का संचलन नहीं है।

97. आयुध या गोला बारूद का परिवहन - (1) प्ररूप 12 में आयुध या गोला बारूद के परिवहन के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर करने वाले प्राधिकारी की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं से परे उसके परिवहन के लिए ऐसी अनुज्ञप्ति की एक प्रति तुरंत उस क्षेत्र पर, जहां परेषण की गई वस्तुओं का गन्तव्य स्थान अवस्थित है, अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट को दी जाएगी।

(2) किसी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, उसकी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर परिवहन के लिए मंजूर किए गए ऐसी प्रत्येक अनुज्ञप्ति की एक प्रति तुरंत उस क्षेत्र पर, जहां परेषण की गई आयुध या गोला बारूद का गन्तव्य स्थान अवस्थित है, अधिकारिता रखने वाले अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को दी जाएगी।

(3) जहां आयुध या गोला बारूद का परिवहन रेल द्वारा किया जाता है, वहां ऐसी अनुज्ञप्ति की एक प्रति या नियम 98 में निर्दिष्ट निराक्षेप प्रमाणपत्र की एक प्रति, यथास्थिति, मार्गपत्रक या बीजक को संलग्न किया जाएगा और ऐसे प्रत्येक अनुमोदन के लिए सूचना अग्रेषित किए जाने वाले से प्राप्ति के स्टेशन तक रेल प्राधिकारियों को भेजी जाएगी।

(4) सड़क मार्ग द्वारा आयुध या गोला बारूद के परिवहन के लिए प्ररूप 14 में अनुज्ञप्ति धारण करने वाले कोई परिवहनकर्ता नियम 102 में विनिर्दिष्ट परिवहनकर्ता अनुज्ञप्ति के लिए प्रक्रिया के अनुसार नियम 101 के उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करेगा।

(5) आयुध या गोला बारूद के परिवहन के लिए कोई अनुज्ञप्ति, उसे मंजूर करने वाले प्राधिकारी द्वारा लेखबद्ध किए जाने वाले विशेष कारणों के सिवाय तीन मास से अधिक अवधि के लिए मंजूर नहीं की जाएगी:

परंतु किसी अनुज्ञप्तिधारी के गोदाम से समान जिले के भीतर, किंतु जो उसी अवस्थान पर नहीं है, स्थित कारखाने तक किस्तों में गोला बारूद के घटकों के परिवहन के लिए औद्योगिक प्रयोजनों के संबंध में छह मास से अनधिक की किसी दीर्घतर अवधि के लिए मंजूर की जा सकेगी :

परंतु यह और कि ऐसा अनुज्ञप्तिधारी, गोदाम और कारखाने के निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को पूर्व सूचना देगा और इस प्रयोजन के लिए रखे गए स्टॉक रजिस्ट्रों में आवश्यक प्रविष्टियां करेगा।

98. कतिपय मामलों में पूर्व सहमति - (1) ऐसी कोई अनुज्ञप्ति, जिसका प्रभाव उसे मंजूर करने वाले प्राधिकारी की स्थानीय सीमाओं से परे है, किन्हीं आयुधों या गोला बारूद के किसी ऐसे स्थान को परिवहन या निर्यात या पुनः निर्यात के लिए, यह अभिनिश्चित किए बिना मंजूर नहीं की जाएगी कि ऐसे क्षेत्र पर, जिसमें ऐसा स्थान अवस्थित है, अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट की ओर से ऐसी अनुज्ञप्ति मंजूर करने के प्रति कोई आक्षेप नहीं है।

(2) उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए,-

(i) या तो आवेदक अनुज्ञप्ति के लिए "निराक्षेप" प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करेगा; या

(ii) ऐसे प्राधिकारी द्वारा कोई जांच की जाएगी, जिसे ऐसी अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिए आवेदन किया गया है।

99. वायुमार्ग द्वारा आयुध और गोला बारूद का वहन - (1) इन नियमों के अधीन कोई विधिमान्य अनुज्ञप्ति धारण करने वाला या प्ररूप 11 में यात्रा अनुज्ञप्ति धारण करने वाला या प्ररूप 10 में आयात या निर्यात अनुज्ञप्ति धारण करने वाला या प्ररूप 12 में कोई परिवहन अनुज्ञप्ति धारण करने वाला कोई अनुज्ञप्तिधारी, उसकी अनुज्ञप्ति पर पृष्ठांकित आयुध या गोला बारूद का, वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) के अधीन विरचित वायुयान नियम 1937 के अनुसार नगर विमानन महानिदेशालय की पूर्व अनुमति के सिवाय वायु मार्ग द्वारा वहन नहीं करेगा या कराएगा या कराने की अनुमति नहीं देगा।

(2) ऐसे आयुधों और गोला बारूद को, जिन्हें उपनियम (1) के अधीन अनुमति प्रदान की गई है, इस प्रकार पैक, सुरक्षित और संरक्षित किया जाएगा ताकि उनके किसी प्रकार के खतरे का स्रोत बनने की संभावना से बचा जा सके और पैकेजों को स्पष्ट और सुपाठ्य रूप से बाहरी ओर से चिह्नित किया जाएगा।

100. परिवहन के दौरान आयुध और गोला बारूद की पैकेजिंग – अग्न्यायुधों और गोला बारूद के परिवहन के लिए प्ररूप 12 में अनुज्ञप्ति धारण करने वाला कोई अनुज्ञप्तिधारी उनके परिवहन के दौरान यह सुनिश्चित करेगा कि –

- (i) परिवहन से पूर्व अग्न्यायुधों को गोला बारूद से पृथक् रूप से पैक किया जाता है और अग्न्यायुधों से किसी सुरक्षित रीति में सभी गोला बारूद को निकाल दिया जाएगा;
- (ii) अग्न्यायुधों और गोला बारूद के बड़े परेषणों का परिवहन एक समुचित रूप से तालाबंद धातु आधान में किया जाएगा और उन्हें अधिकतम सुरक्षा और न्यूनतम उदभासन सुनिश्चित करने वाली रीति में पैक किया जाएगा;
- (iii) अग्न्यायुधों और गोला बारूद के छोटे परेषणों का परिवहन एक समुचित रूप से तालाबंद धातु आधान या सुदृढ़ काष्ठ पेटियों में किया जाएगा या उन्हें लौह छड़ों के साथ कस कर सन के कपड़े में लपेटा जाएगा; और
- (iv) परिवहन किए जा रहे आयुध और गोला बारूद की बड़ी लदाईयों के लिए प्रत्यक्ष सतत पर्यवेक्षण और नियंत्रण को कड़ाई से बनाया रखा जाएगा।

भाग 2

परिवहनकर्ता की अनुज्ञप्ति

101. परिवहनकर्ता की अनुज्ञप्ति – (1) प्ररूप 14 में परिवहन की अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करने वाला कोई व्यक्ति, नियम 11 में अधिकथित अपेक्षाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा –

- (i) इस बात का सबूत कि आयुध या गोला बारूद का परिवहन करने वाले यान और आवेदक के बीच एक दोहरी सुरक्षित संसूचना प्रणाली, जो समुचित रूप से कार्य कर रही है, प्रवर्तनशील है;
- (ii) यान में फिट किए गए सुरक्षा उपायों जिनके अंतर्गत जीपीएस नेविगेशन प्रणाली भी है, का ब्यौरेवार वर्णन; और
- (iii) परिवहन के दौरान पालन की जाने वाली सुरक्षा संबंधी सावधानियों का ब्यौरेवार वर्णन।

(2) प्ररूप 14 में अनुज्ञप्ति धारण करने वाला कोई परिवहनकर्ता, आयुध और गोला बारूद का परिवहन आरंभ करने से पूर्व, परिवहन किए जाने वाले आयुध और गोला बारूद के संबंध में समनुदेशक से प्ररूप 12 में अपने परिवहन अनुज्ञप्ति की एक प्रति प्राप्त करेगा।

(3) सड़क मार्ग से परिवहन करने वाला कोई परिवहनकर्ता परिवहन के प्रभारी व्यक्ति को, ऐसे व्यक्तियों की अपने पत्र शीर्ष पर टंकित सूची या कम्प्यूटर प्रिंट आउट उपलब्ध कराएगा, जो आयुध और गोला बारूद के परेषण के परिवहन में प्रत्यक्ष रूप से अंतर्बलित होंगे, जिसमें उनके नाम और पहचान संख्या अंतर्विष्ट होंगे और ऐसी सूची को प्ररूप 14 में अनुज्ञप्ति की प्रमाणित प्रति के साथ सलग्न किया जाएगा:

परंतु परिवहनकर्ता अपने कर्मचारियों के, उन्हें आयुध या गोला बारूद के परिवहन से संबंधित कोई कर्तव्य सौंपने से पूर्व, पूर्ववृत्त का पुलिस सत्यापन कराएगा।

(4) अनुज्ञापन प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह प्ररूप 14 में किसी परिवहनकर्ता को अनुज्ञप्ति मंजूर करने से पूर्व यह सुनिश्चित करे कि आवेदक ने आयुध और गोला बारूद के सुरक्षित और निरापद परिवहन तथा भंडारण के लिए आयुध और गोला बारूद की प्राप्ति, वहन और प्रदाय तथा उनके सुरक्षित और दक्ष परिवहन, परिवहन की ऐसी पद्धति, जिसके द्वारा परिवहन किया जाना है, जिसके अंतर्गत प्रयुक्त किए जाने वाले यान की किस्म और निर्माण भी है और साथ ही आधानों, उसमें संलिप्त होने वाले व्यक्तियों और संसूचना प्रसुविधाओं आदि के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं।

(5) किसी परिवहनकर्ता को प्ररूप 14 में मंजूर की गई अनुज्ञप्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(6) प्ररूप 14 में की अनुज्ञप्ति में आयुध और/या गोला बारूद, किसी कैलेंडर वर्ष के दौरान उनकी अधिकतम मात्रा, एकल परेषण में उसकी अधिकतम मात्रा और किसी एकल लदाई के अधीन बहु परेषणों में अधिकतम मात्रा को विनिर्दिष्ट करेगा, जिसका परिवहन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(7) (क) प्ररूप 14 में मंजूर की गई परिवहनकर्ता अनुज्ञप्ति प्रपुंज परिवहननों के लिए लागू होगी, जिसमें किसी एकल लदाई का भाग बनने वाले किसी एकल परेषण या बहु परेषणों में एक सौ से अधिक अग्न्यायुध या गोला बारूद और पचास हजार से अधिक काट्रिज सम्मिलित हो सकेंगे।

(ख) प्रपुंज परिवहन से भिन्न आयुध और गोला बारूद का परिवहन किन्हीं आईएसओ 9001 प्रमाणित परिवहन कंपनियों द्वारा किया जा सकेगा।

102. परिवहनकर्ता की अनुज्ञप्ति के लिए प्रक्रियात्मक अपेक्षाएं—(1) प्ररूप 14 में अनुज्ञप्ति धारण करने वाले आयुध या गोला बारूद के किसी परिवहनकर्ता के पास ऐसे परिवहन के दौरान सभी समयों पर, -

(क) एक परेषण टिप्पण होगा, जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी:-

(i) परिवहनकर्ता का नाम, पता, अनुज्ञप्ति और यूआईएन;

(ii) परिवहन किए जाने वाले आयुध और गोला बारूद के संबंध में परेषक और परेषिती का नाम, पता, अनुज्ञप्ति संख्यांक और यूआईएन;

(iii) अग्न्यायुध की मात्रा, कार्य की किस्म, विनिर्माता का क्रम संख्यांक, मेक और कैलिबर तथा गोला बारूद की मात्रा, मेक और कैलिबर ; और

(iv) उस स्थान का वास्तविक पता, जहां से अग्न्यायुध और गोला बारूद का संग्रहण किया गया था और उनके अंतिम गन्तव्य का वास्तविक पता।

(ख) प्ररूप 12 में, ऐसे अग्न्यायुध और गोला बारूद के परिवहन को प्राधिकृत करने वाली अनुज्ञप्ति की प्रति ;

(ग) ऐसा कोई अन्य दस्तावेज, जो इन नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन अपेक्षित हो।

(2) प्ररूप 14 में अनुज्ञप्ति धारण करने वाला ऐसा कोई परिवहनकर्ता, जिसे किसी समयावधि के लिए अग्न्यायुध या गोला बारूद का भंडारण करना अनुज्ञात है, उनकी प्राप्ति के पश्चात् और उनके प्रदाय से पूर्व नियम 10 के अधीन सुरक्षित अभिरक्षा और भंडारण संबंधी अपेक्षाओं का पालन करेगा।

(3) अनुज्ञप्तिधारी, आयुध या गोला बारूद के परेषण के मार्ग पर स्वयं अपना या अपने किसी कार्मिक के माध्यम से सीधे पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेगा।

(4) प्ररूप 14 में अनुज्ञप्ति धारण करने वाला परिवहनकर्ता, आयुध और गोला बारूद के परेषण के लिए परेषिती से एक लिखित पुष्टि अभिप्राप्त करेगा, जिसमें निम्नलिखित जानकारी अंतर्विष्ट होगी, अर्थात्,-

(i) प्राप्तिकर्ता का नाम और उपनाम ;

(ii) प्राप्तिकर्ता का पता ;

(iii) प्राप्तिकर्ता का टेलीफोन नं., मोबाइल नं. और ईमेल पता ;

(iv) प्रदाय की तारीख और समय ;

(v) प्राप्त किए गए आयुध और गोला बारूद का वर्णन ; और

(vi) प्रदाय की पुष्टि करने वाला प्राप्तिकर्ता का हस्ताक्षर।

(5) परेषिती से लिखित पुष्टि की एक प्रति को परिवहनकर्ता द्वारा प्ररूप 12 में परिवहन अनुज्ञप्ति जारी करने वाले अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

(6) प्ररूप 14 में अनुज्ञप्ति धारण करने वाला कोई परिवहनकर्ता, आयुध या गोला बारूद का प्रदाय न होने, उनके गुप्त हो जाने या चोरी हो जाने की दशा में तुरंत लिखित में पुलिस और अनुज्ञापन प्राधिकारी को अधिसूचित करेगा।

(7) उस दशा में, जहां परिवहन किए जाने वाले परेषण का दुरुपयोग किया जाता है या प्ररूप 14 में अनुज्ञप्ति धारण करने वाले परिवहनकर्ता या उसके ऐसे किसी कर्मचारी की, जिसे ऐसे परिवहन के कार्य को सौंपा गया था, घोर उपेक्षा के कारण चोरी या गुप्त हो जाता है, वहां परिवहनकर्ता की अनुज्ञप्ति प्रतिसंहत किए जाने की दायी होगी।

अध्याय 8

अग्न्यायुधों और गोला बारूद का व्ययन और उन्हें नष्ट किया जाना

103. अग्न्यायुधों और गोला बारूद का अधिहरण, कब्जे में लेना या अभिग्रहण – (1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों के अधीन अग्न्यायुध ब्यूरो अधिहरण, कब्जे में लिए गए, अभिगृहीत, पकड़े गए या अर्पित किए गए आयुधों और गोला बारूद के विभिन्न प्रवर्गों के लिए सूची रखेगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट अग्न्यायुध ब्यूरो को केन्द्रीय सरकार द्वारा यूआईएन द्वारा मंजूर किया जाएगा और एनडीएएल प्रणाली के अधीन पृथक उपयोक्ता-आईडी और पासवर्ड आबंटित किया जाएगा।

(3) अधिहरण, कब्जे में लिए गए, अभिगृहीत, पकड़े गए या अर्पित किए गए आयुधों और गोला बारूद को, निकटतम पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट रजिस्टर करने के उपरांत, उनके अधिहरण, कब्जे में लिए जाने या अभिग्रहण या पकड़े जाने या अर्पण में संलिप्त व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा हस्ताक्षरित अभिग्रहण ज्ञापन के प्रभार के अधीन प्राप्त किया जाएगा और उन्हें प्रत्येक अग्न्यायुध के इतिवृत्त, जिसमें अग्न्यायुध की मेक, किस्म, विनिर्माता का क्रम संख्यांक, कैलिबर और प्रकृति के ब्यौरे अंतर्विष्ट हों, के साथ केन्द्रीय या राज्य सरकार के सशक्त अधिकारी को सौंप दिया जाएगा।

(4) उपनियम (2) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या राज्य सरकार का सशक्त अधिकारी उक्त आयुध और गोला बारूद को संबंधित केन्द्रीय या राज्य अग्न्यायुध ब्यूरो को सौंप देगा और अग्न्यायुध ब्यूरो अपने स्टॉक रजिस्टर के प्राप्ति स्तम्भ में उनकी प्रविष्टि करेगा।

(5) केन्द्रीय या राज्य अग्न्यायुध ब्यूरो, प्ररूप 9 में अनुज्ञप्ति धारण करने वाले किसी बंदूक बनाने वाले या केन्द्रीय सशक्त पुलिस बल या राज्य पुलिस विभाग के परीक्षा करने के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अग्न्यायुध और गोला बारूद की परीक्षा कराएगा।

(6) अग्न्यायुध के परीक्षक द्वारा रिपोर्ट फाइल किए जाने पर, अग्न्यायुध के संबंध में यह घोषणा की जा सकेगी कि वह सेवा योग्य या सेवा अयोग्य या आर्थिक रूप से मरम्मत किए जाने के अयोग्य (बीईआर) है और ऐसे सभी सेवा योग्य अग्न्यायुधों की प्रविष्टि सक्रिय अग्न्यायुध स्टॉक रजिस्टर में की जाएगी और उनके ब्यौरे को अग्न्यायुध ब्यूरो को आबंटित यूआईएन के प्रति एनडीएएल प्रणाली पर अपलोड किया जाएगा।

(7) सेवा योग्य अग्न्यायुधों को, सक्षम न्यायालयों के आदेशों की प्राप्ति पर आग्न्यायुध ब्यूरो द्वारा प्ररूप 3 में किसी विधिमान्य आयुध अनुज्ञप्ति के प्रति किसी पात्र आवेदक को, अग्न्यायुध ब्यूरो द्वारा जारी किए जाने वाले विक्रय वाउचर या बीजक के प्रति आग्न्यायुध के विशिष्ट प्रवर्ग के लिए आबंटित किया जा सकेगा और ऐसे विक्रय या अंतरण के ब्यौरे उसके द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर में लेखबद्ध किए जाएंगे तथा एनडीएएल प्रणाली पर अपलोड किए जाएंगे।

स्पष्टीकरण – इस नियम के प्रयोजनों के लिए, अग्न्यायुध ब्यूरो से केन्द्रीय सरकार या राज्य गृह विभागों के अधीन या राज्य पुलिस विभाग के अधीन कार्यरत कोई ऐसी यूनिट अभिप्रेत है, जो अधिहृत, कब्जे में लिए गए, अभिगृहीत, पकड़े गए या अर्पित किए गए आयुध और गोला बारूद को जमा करने तथा उनका निपटान करने के लिए उत्तरदायी है।

104. अग्न्यायुध और गोला बारूद को नष्ट किया जाना – (1) किसी अप्रयुक्त, अप्रचलित, निराकृत अथवा अप्रयोज्य अग्न्यायुधों, कब्जे में लिए गए, पकड़े गए या अर्पित किए गए अग्न्यायुध को, जिस पर विनिर्माता का क्रम संख्यांक या अतिरिक्त पहचान चिह्न नहीं है, संबद्ध केन्द्रीय या राज्य ब्यूरो द्वारा नियम 34 और नियम 58 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार तुरंत चिह्नित किया जाएगा और ऐसे अग्न्यायुध के ब्यौरे एक पृथक रजिस्टर में लेखबद्ध किए जाएंगे तथा उन्हें एक विशिष्ट प्रवर्ग के अधीन एनडीएएल प्रणाली पर अपलोड किया जाएगा।

(2) अग्न्यायुध ब्यूरो स्थानीय अनुज्ञापन प्राधिकारी को एक आवेदन प्रस्तुत करेगा, जिसमें नष्ट किए जाने वाले अग्न्यायुध के ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे, जिसमें अग्न्यायुध की मेक, किस्म, कैलिबर और साथ ही विनिर्माता के क्रम संख्यांक या अतिरिक्त पहचान चिह्न की विशिष्टियां प्रस्तुत की जाएंगी तथा अनुज्ञापन प्राधिकारी उसे अग्न्यायुध ब्यूरो द्वारा प्रदान की गई सूची में लेखबद्ध विशिष्टियों का सत्यापन करने के पश्चात अग्न्यायुध को नष्ट करने की अनुमति प्रदान करेगा।

(3) इस नियम के अधीन अग्न्यायुधों को केवल गलन, संकुचन या अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अवधारित किसी अन्य रीति में ही नष्ट किया जा सकेगा और साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अग्न्यायुध या उसके किसी भाग के मूल आशय, डिजाइन और प्रयोजन को स्थायी रूप से या अप्रतिसंहार्य रूप से नष्ट किया जाता है:

परंतु अग्न्यायुध या गोला बारूद को स्थानीय अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा तैनात किए गए किसी पदाभिहित अधिकारी की उपस्थिति में ही नष्ट किया जाएगा।

(4) उपनियम (3) के अधीन नष्ट किए गए अग्न्यायुधों या गोला बारूद की एक सूची, उपनियम (2) में निर्दिष्ट ऐसे अग्न्यायुधों की विशिष्टियों के साथ अनुज्ञापन प्राधिकारी को उन्हें इस प्रकार नष्ट किए जाने के चौदह दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।

अध्याय 9**आयुध अधिनियम के अधीन अपीलें**

- 105. अपील प्राधिकारी** – (1) ऐसे अपील प्राधिकारी, जिन्हें नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट अनुज्ञापन या अन्य प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील की जाएगी, वे होंगे, जिन्हें उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट किया जाएगा:

सारणी

प्राधिकारी		अपील प्राधिकारी
(1)		(2)
(क)	जिला मजिस्ट्रेट	प्रभाग का आयुक्त या कोई अन्य समतुल्य पद का अधिकारी या उस राज्य में जहां प्रभाग के आयुक्त का कोई पद नहीं है, राज्य सरकार
(ख)	पुलिस आयुक्त	राज्य सरकार
(ग)	किसी संघ राज्यक्षेत्र में केन्द्रीय सरकार द्वारा सशक्त अधिकारी	संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक/उप-राज्यपाल
(घ)	भारतीय मिशन का प्रधान	केन्द्रीय सरकार
(ङ)	कोई विशेष रूप से सशक्त अन्य अधिकारी	वह प्राधिकारी, जिसने सशक्त किया है

(2) धारा 17 की उपधारा (6) के प्रयोजन के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी को अपील प्राधिकारी के अधीनस्थ समझा जाएगा।

(3) सभी अनुज्ञापन प्राधिकारी अपने संबद्ध अपील प्राधिकारी के निदेशन और नियंत्रण के अधीन कार्य करेंगे।

- 106. कतिपय मामलों में अपील प्राधिकारी को संसूचित किए जाने वाले कारण** – जहां किसी अनुज्ञापन प्राधिकारी की यह राय है कि किसी अनुज्ञप्ति से इनकार करने, उसका नवीकरण करने, उसकी शर्तों में परिवर्तन करने, उसका प्रतिसंहरण या उसे निलंबित करने हेतु आवेदक को कारण प्रस्तुत करना लोकहित में नहीं होगा, वहां उसके कारणों को लेखबद्ध किया जाएगा और मामले के तथ्यों की संसूचना उसके द्वारा अपील प्राधिकारी को दी जाएगी।

- 107. अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (6) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी या किसी अनुज्ञप्ति को निलंबित या प्रतिसंहृत करने वाले प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील** – किसी भी ऐसे मामले में, जिसमें कोई प्राधिकारी निम्नानुसार कोई आदेश जारी करता है –

(i) किसी अनुज्ञप्ति को मंजूर करने या उसका नवीकरण से इनकार करने वाला या ऐसी मंजूरी या नवीकरण के लिए "निराक्षेप प्रमाणपत्र" देने से इनकार करने वाला; या

(ii) किसी अनुज्ञप्ति की किसी शर्त में परिवर्तन करने वाला या अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) या उपधारा (3) या उपधारा (6) के अधीन किसी अनुज्ञप्ति को निलंबित या प्रतिसंहृत करने वाला,

वहां ऐसे किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश जारी करने की तारीख से तीस दिन के भीतर और धारा 18 की उपधारा (2) के परंतुक के अधीन रहते हुए संबद्ध अपील प्राधिकारी को उस आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा।

- 108. अपील प्राधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया** – किसी अपील की प्राप्ति पर, अपील प्राधिकारी, उस प्राधिकारी से, जिसने वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पारित करने वाले प्राधिकारी से मामले के अभिलेख मंगा सकेगा और उसके पश्चात् अपीलार्थी को सुनवाई की युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् अपील की प्राप्ति से साठ दिन के भीतर अंतिम आदेशों को पारित कर सकेगा।

- 109. अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन की जाने वाली अपील की याचिका के संबंध में संदेय फीस** – धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन अपील की प्रत्येक याचिका के साथ एक हजार रुपए की फीस लगी होगी।

अध्याय 10**नेपाल से संबंधित उपबंध**

110. नेपाल सरकार के लिए आयुध और गोला बारूद का आयात, परिवहन और निर्यात - (1) जहां किन्हीं आयुधों या गोला बारूद का आयात भारत में नेपाल सरकार को उनके प्रेषण के लिए किया जाता है, वहां उतराई के पत्तन पर सीमा शुल्क प्राधिकारी या अन्य स्थानों पर अनुज्ञापन प्राधिकारी केन्द्रीय सरकार से प्राप्त आयुध या गोला बारूद की सूची के प्रति परेषण की जांच करेगा और उसके पश्चात् पैकेजों को सीमा शुल्क जांचकर्ता या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी अन्य प्राधिकारी की उपस्थिति में सीलबंद किया जाएगा।

(2) (क) जहां आयुधों या गोला बारूद का भारत में आयात या अर्जित, उन्हें नेपाल सरकार के लिए नेपाल को प्रेषण हेतु किया जाता है, वहां उनके साथ भारतीय सीमा शुल्क प्राधिकारी या संबद्ध क्षेत्र के अनुज्ञापन प्राधिकारी से इस प्रभाव का एक प्रमाणपत्र संलग्न किया जाएगा कि उसमें प्रत्येक पैकेज या पेटी पर लगे चिन्हों का ऐसा वर्णन अंतर्विष्ट होगा, जो उनकी तुरंत पहचान करने में समर्थ बनाने हेतु पर्याप्त हो और साथ ही ऐसे पैकेज या पेटी की अंतर्वस्तु का साधारण विवरण भी लगाया जाएगा;

(ख) यथास्थिति, निकासी अभिकर्ताओं या संबद्ध फर्म से अध्यपेक्षा प्राप्त होने पर जिला मजिस्ट्रेट रेलवे स्टेशन तक आवश्यक अनुरोधक उपलब्ध कराएगा;

(ग) रेल प्राधिकारी, तब तक प्रेषण हेतु आयुध या गोला बारूद को अंतर्विष्ट करने वाले किसी पैकेज या पेटी को प्राप्त नहीं करेगा, जब तक कि उसके साथ खंड (क) के अधीन अपेक्षित प्रमाणपत्र न लगा हो।

(3) जहां ऐसे किसी मामले में, -

(i) उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूची केन्द्रीय सरकार को प्राप्त नहीं होती है, या

(ii) भारत में आयातित या भारत से प्रेषित किए जाने के लिए आशयित आयुध या गोला बारूद ऐसी सूची में दिए गए वर्णन के तत्समान नहीं हैं,

वहां संबद्ध प्राधिकारी परेषण को नेपाल प्रेषित किए जाने की अनुज्ञा नहीं देंगे और इसकी जानकारी तुरंत केन्द्रीय सरकार को देंगे।

111. नेपाल में किसी स्थान से भारतीय राज्यक्षेत्र के माध्यम से नेपाल के किसी अन्य स्थान को आयुधों का परिवहन - (1) नियम 6 और नियम 87 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नेपाल में भारत का राजदूत, नेपाल सरकार द्वारा किए जाने वाले किसी आवेदन पर तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा पुष्टि के अधीन रहते हुए, अनुसूची 1 के प्रवर्ग 1 और 2 में या अनुसूची 1 के किसी अन्य प्रवर्ग में विनिर्दिष्ट आयुध या गोला बारूद को नेपाल के राज्यक्षेत्र में किसी स्थान से भारत की सीमाओं से होते हुए नेपाल राज्यक्षेत्र के किसी अन्य स्थान को, यथास्थिति, नेपाल सरकार की सेना या पुलिस के द्वारा भेजे जाने के लिए भारत में उनके आयात, कब्जे में रखने, भारत के राज्यक्षेत्र से आर-पार गुजरने या भारत से उनके निर्यात करने के लिए प्ररूप 15 में अनुज्ञप्ति मंजूर कर सकेगा।

(2) जहां उपनियम (1) के अधीन मंजूर की गई किसी अनुज्ञप्ति के प्राधिकार के अधीन आयुध या गोला बारूद को भारतीय राज्यक्षेत्र से होकर गुजरना है, -

(क) यदि ऐसा पूर्ण रूप से रेल द्वारा किया जाना है तो अनुज्ञप्ति की एक प्रति राजदूत द्वारा तुरंत उन जिला मजिस्ट्रेटों को भेजी जाएगी, जो ऐसे क्षेत्रों पर अधिकारिता रखते हैं, जहां से भारतीय सीमाओं के भीतर आयुध या गोला बारूद को होकर गुजरना है और साथ ही भारतीय राज्यक्षेत्र में ऐसे स्थानों के, जहां से परेषण गुजरेगा, रेल प्राधिकारियों को भी दी जाएगी;

(ख) यदि ऐसा परिवहन सड़क या नदी मार्ग द्वारा किया जाना है, तो अनुज्ञप्ति की एक प्रति राजदूत द्वारा तुरंत उन जिला मजिस्ट्रेटों को भेजी जाएगी, जो ऐसे क्षेत्रों पर अधिकारिता रखते हैं, जहां से भारतीय सीमाओं के भीतर आयुध या गोला बारूद को गुजर कर नेपाल जाना है।

(3) केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से नेपाल में भारत का राजदूत, इस नियम में उल्लिखित आयुध या गोला बारूद को भारत की सीमाओं से गुजर कर नेपाल को सुरक्षित परिवहन को विनियमित करने वाला कोई आदेश कर सकेगा।

अध्याय 11**प्रकीर्ण**

112. सभी किस्मों की अनुज्ञप्तियों को लागू समान शर्तें - (1) अनुज्ञप्तिधारी,-

(क) नियम 2 के खंड (22) में यथापरिभाषित सरकारी आयुध और गोला बारूद को कब्जे में नहीं रखेगा;

परंतु उपरोक्त शर्त को, अनुज्ञप्ति जारी करने वाले ऐसे प्राधिकारी द्वारा रद्द किया जा सकेगा, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसा करने के लिए सशक्त किया गया है और ऐसे सरकारी आयुध या गोला बारूद को, जिसे अनुज्ञप्तिधारी कब्जे में रखने के लिए प्राधिकृत है, दर्शित करने वाला पृष्ठांकन उसमें जोड़ा जाएगा;

(ख) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर, अनुज्ञप्ति के अधीन उसके कब्जे में रखे गए अग्न्यायुधों को प्रस्तुत करेगा;

(ग) उसकी अनुज्ञप्ति के अधीन आने वाले किन्हीं अग्न्यायुधों या गोला बारूद या उनके किसी भाग को, किसी ऐसे व्यक्ति को विक्रय या अंतरण नहीं करेगा, जो उन्हें कब्जे में रखने के लिए विधिपूर्वक हकदार नहीं है;

(घ) इस अनुज्ञप्ति के अधीन आने वाले किन्हीं आयुधों या गोला बारूद के गुप्त हो जाने या चोरी होने की सूचना तुरंत निकटतम पुलिस थाने को देगा।

(2) अनुज्ञप्ति के जारी रहने के दौरान, अनुज्ञप्ति मंजूर या उसका नवीकरण करने वाले प्राधिकारी को किसी भी समय यह जांच करने का अधिकार होगा कि क्या ऐसे आयुध या गोला बारूद, जिनके लिए अनुज्ञप्ति मंजूर की गई है, अभी भी अनुज्ञप्तिधारी के कब्जे में हैं अथवा नहीं और वह ऐसी किसी जांच के प्रयोजन के लिए ऐसे आयुधों या गोला बारूद को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(3) वहां के सिवाय, जहां वह संबद्ध जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत है, अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति के अधीन आने वाले किसी आयुध को किसी शैक्षणिक संस्था या इन नियमों के अधीन अग्न्यायुध मुक्त जोन के रूप में घोषित किसी क्षेत्र के परिसर या परिसीमा के भीतर अपने पास नहीं रखेगा।

113. अनुसूची 1 के प्रवर्ग 6 में विनिर्दिष्ट गोला बारूद के घटकों के भंडारण के लिए सुरक्षा और पूर्वावधानी संबंधी शर्तें -

(क) क्लोरेट्स को किसी ऐसे भवन में रखा जाएगा, जिसका संनिर्माण केवल अज्वलनशील सामग्रियों से हुआ है जो आवासीय गृहों, अन्य भवनों, राजमार्ग, गली, लोक आवाजाही के स्थानों या सार्वजनिक स्थानों से कम से कम 10 फुट की दूरी पर होगा;

परंतु जहां भंडारित की गई क्लोरेट की कुल मात्रा एक सौ किलो से अनधिक है, वहां क्लोरेट को अनन्य रूप से बंद और सुरक्षित पात्र में किसी ऐसे भवन में रखा जाएगा, जिसका उपयोग अन्य ऐसी वस्तुओं को रखने के लिए किया जाता है, जो विस्फोटक या अतिज्वलनशील प्रकृति की नहीं हैं।

(ख) सल्फर को अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट परिसरों में किसी कक्ष में साल्टपीटर के साथ नहीं रखा जाएगा;

परंतु जब सल्फर और साल्टपीटर में से प्रत्येक की मात्रा एक सौ किलोग्राम से अधिक न हो, तब उन दोनों को पृथक-पृथक बंद पात्रों में एक ही कक्ष में रखा जा सकेगा।

(ग) अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट परिसरों या खंड (क) और (ख) के परंतुकों में उल्लिखित पात्रों के आस-पास के क्षेत्र में किसी भी समय कोई व्यक्ति धूम्रपान नहीं करेगा और खुले में आग नहीं लगाएगा।

(घ) जहां ऐसी सामग्रियों के भंडारण के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले किसी भवन में इलैक्ट्रिक लाइटिंग या विद्युत फिट की गई है, वहां अनुज्ञप्तिधारी वर्ष में कम से कम एक बार या अनुज्ञप्ति जारी रहने के दौरान एक बार ऐसे प्रतिष्ठापनों का परीक्षण विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) के अधीन नियुक्त किसी इलैक्ट्रिकल निरीक्षक से करवाएगा।

(ङ) अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट परिसरों के भीतर किसी दुर्घटना, आगजनी या विस्फोट के संबंध में, जिसके परिणामस्वरूप किसी मानवीय जीवन की हानि हुई है या किसी व्यक्ति या संपत्ति को गंभीर क्षति पहुंची है, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तुरंत, उसके कारबार या कारखाने के स्थान पर अधिकारिता रखने वाले निकटतम पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी और साथ ही संबद्ध सर्कल के विस्फोटक निरीक्षक को रिपोर्ट की जाएगी।

(च) क्लोरेट के साथ मिश्रित करके सल्फर को विस्फोटकों में परिवर्तित करने की अनुमति केवल निम्नलिखित प्रयोजनों (और किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं) के लिए दी जाएगी, अर्थात्:-

(i) वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए लघु मात्राओं में; या

(ii) माचिस की तीलियों के शीर्ष भाग के विनिर्माण के प्रयोजनों के लिए; या

(iii) खिलोना एमोर्सिस में उपयोग के लिए (खिलोना पिस्तोलों के लिए कागज के आवरण)

अनुसूची—1
(नियम—3 देखें)

भाग—क

प्रवर्ग		आयुध	गोला बारूद
(1)		(2)	(3)
I	(क)	प्रतिषिद्ध आयुध	प्रतिषिद्ध गोला बारूद
		(i) अधिनियम की धारा—2(1)(i) में यथा परिभाषित प्रतिषिद्ध आयुध ; (ii) सैनिक प्रयोग के लिए समनुरूप मदे ; (iii) हल्के शस्त्र ; (iv) प्रवर्ग I(ख), I(ग) और III में परिभाषित के अलावा लघु आयुध जिसके अंतर्गत स्वचालित और चयनीय फायर है ।	(i) अधिनियम की धारा—2(i)(ज) में यथा परिभाषित प्रतिषिद्ध गोला बारूद ; (ii) सैनिक प्रयोग के लिए समनुरूप गोला बारूद (iii) हल्के हथियारों के लिए गोला बारूद (iv) प्रवर्ग I(ख), I(ग) और III में परिभाषित के अलावा लघु आयुध के लिए गोला बारूद जिसके अंतर्गत स्वचालित और चयनीय फायर है ।
	(ख)	निर्बंधित आयुध	निर्बंधित गोला बारूद
		अर्द्धस्वचालित अग्न्यायुध जिन्हें स्वचालित अग्न्यायुध और प्रवर्ग III(क), III(ख) और III(ग) में उनके अलावा परिभाषित अन्तर् में संपरिवर्तित नहीं किया जा सकता है ; साफ नलवाली बंदूक जिसमें 20 ईंच से कम लम्बा बैरल है ; किसी भी बैरल लम्बाई की सेंटरफायर राईफल (अर्द्ध स्वचालित) ; पंद्रह फीट से अधिक की फायरिंग रेंज जिसमें इलेक्ट्रॉनिक निःशक्तता युक्ति हो ।	आयुध के प्रवर्ग I (ख) के लिए गोला बारूद
	(ग)	निर्बंधित आयुध	निर्बंधित गोला बारूद
		आयुध के प्रवर्ग (i) प्रवर्ग I(ख), III(ख) और III(ग) में उल्लिखित राईफलों से भिन्न राईफल	अधिव्यास/कोष्ठ विनिर्देश 7.62 एम.एम (7.62 एम.एम नाटो/7.62X51 नाटो) 5.56 एम.एम (5.56 एम.एम नाटो/5.56X45 एम.एम) 7.62 एम.एम X39 एम.एम .303 ब्रिटिश या 7.7X56 एम.एम.आर प्रवर्ग I(ग) के आयुध के लिए गोला बारूद ।

		(i)	पिस्तोल	9 एम.एम पैराबेलम (9X19 एम.एम/9 एम.एम लूगर/9 एम.एम पैराबेलम प्लस/9 एम.एम पैराबेलम	
		(ii)	रिवॉल्वर	.38 रिवॉल्वर एम.के II जेड .38/200X20 आर, .380/200 रिवॉल्वर एम.के—II .455 वैब्ले आर	
II		अग्न्यायुध के विनिर्माण या प्रमाण परीक्षण के लिए मशीनरी			गोला बारूद के विनिर्माण के लिए मशीनरी
III		अनुज्ञेय आयुध प्रवर्ग I, II और IV में परिभाषित आयुध से भिन्न आयुध, अर्थात् :			अनुज्ञेय गोला बारूद प्रवर्ग I, II और IV में परिभाषित से भिन्न गोला बारूद, अर्थात् :
	(क)		हैन्डगन (रिवॉल्वर और पिस्टल जिसके अंतर्गत अर्द्ध स्वचालित है)	प्रवर्ग III(क) के आयुध के लिए गोलाबारूद	
	(ख)		नालपृष्ठ भरण केन्द्रफायर राईफल (जो अर्द्ध-स्वचालित नहीं हैं)	प्रवर्ग III(ख) के आयुध के लिए गोलाबारूद	
	(ग)		.22 बोर रिमफायर बंदूक (जिसके अंतर्गत अर्द्ध स्वचालित भी है)	प्रवर्ग III(ग) के आयुध के लिए गोलाबारूद	
	(घ)		साफ बोर नलपृष्ठ भरण शॉटगन्स (जिसके अंतर्गत अर्द्ध स्वाचालित भी है)	प्रवर्ग III(घ) के आयुध के लिए गोलाबारूद	
	(ङ)		नालमुख—भरण गन्स	प्रवर्ग III(ङ) के आयुध के लिए गोलाबारूद	
	(च)		वायु शस्त्र जिसके अंतर्गत एयर राईफल और एयर गन हैं ।		
		(i)	जिसमें 20 जूल या 15 फीट एल.बी.एस से अधिक नालमुख ऊर्जा हो और/या 0.177" या 4.5 एम.एम से कम बोर	प्रवर्ग (च)(i) के आयुध के लिए गोलाबारूद	
		(ii)	जिसमें 20 जूल या 15 फीट एल.बी.एस से अधिक नालमुख ऊर्जा हो और/या 0.177" या 4.5 एम.एम से कम बोर	प्रवर्ग (च)(ii) के आयुध के लिए गोलाबारूद	
	(छ)		अग्न्यायुध प्रविकृतियां		
		(i)	आधुनिक या समकालीन अग्न्यायुध	शून्य	
		(ii)	नालमुख भरण प्राचीन शस्त्र	शून्य	
	(ज)		इलेक्ट्रॉनिक रूप से असमर्थ युक्तियां जिनकी गोली चलाने की रेंज पंद्रह फीट से कम है	प्रवर्ग (ज) के आयुध के लिए गोलाबारूद	

	(झ)	पेंटबाल मार्कर या पेंटबाल गन्स जिसमें 900 एम.एम या 300 फीट/एस (300 एफ.सी.एस) से अधिक नालमुख ऊर्जा हो ।	शून्य
	(ज)	खाली-गोलीबारी वाले अग्न्यायुध	प्रवर्ग III(ज) के आयुध के लिए गोलाबारूद
	(ट)	किसी अग्न्यायुध के लिए उपसाधकों को इस तरह डिजाइन या परिस्थितियों के अनुकूल बनाया गया है जिससे गोलीबारी से होने वाले शोर या चमक को कम किया जा सके ।	शून्य
IV		अधिनियम की धारा 45(ग) के अधीन उन अपवर्जित शस्त्रों के अतिरिक्त कलाकृतिक और ऐतिहासिक शस्त्र ।	कलाकृतिक और ऐतिहासिक गोलाबारूद
V		अग्न्यायुध के अतिरिक्त आयुध तेजधार और घातक शस्त्र, अर्थात् तलवार (जिसके अंतर्गत तलवार छड़ें हैं) कटार, बेनट, भाला, (जिसके अंतर्गत बल्लम और बरछा हैं), युद्ध-कुल्हाड़ी, छूरा (जिसके अंतर्गत कृपाण और खुखरी हैं) और इसके अतिरिक्त घरेलू कृषि, वैज्ञानिक या औद्योगिक प्रयोजनार्थ उपयोग के लिए डिजाइन किए गए के अतिरिक्त अन्य ऐसे शस्त्र जिनकी धार 9 से लम्बी या 2 से चौड़ी हो, इस्पात, बेद्वन, "जिपो" और अन्य ऐसे शस्त्र जो जीव परिरक्षक आयुध बनाने के लिए मशीनें जो प्रवर्ग II के अतिरिक्त हैं और अन्य कोई आयुध जो केन्द्रीय सरकार अधिनियम की धारा 4 के अधीन अधिसूचित कर सके	शून्य
		भाग ख	
		अन्य मदों और आयुध के संघटक	
	प्रवर्ग	मदें	
VI	(क)	विस्फोटक या स्फूर्जनकारी माल युक्त वस्तुएं : खाली गोली बारी वाले कारतूस के अतिरिक्त पलीता और घर्षण नलिका	
	(ख)	अधिनियम की धारा 2(1)(ख)(vii) में यथा परिभाषित संघटक, जिसके अंतर्गत :—	
		(i) सीसा, सल्फर, शोश और सोडियम अजाइड ; (ii) क्लोरेट्स और प्रति क्लोरेट्स ; (iii) विखंडनीय सामग्री ; और (iv) श्वासावरोधी, जहरीला, प्रवाहजनक तथा अन्य गैसों और सदृश द्रव, सामग्री या यन्त्र, जो भारत में सद्भाविक औद्योगिक प्रक्रिया में प्रयोग नहीं होते हैं	

अनुसूची II (नियम 5 देखें) अनुज्ञापन प्राधिकारी यदि								
मद सं०	प्रयोजन	अनुसूची I में यथापरिभाषित आयुध/गोलाबारूद के प्रवर्ग	स्थान/वर्ष के व्यक्ति	अनुज्ञापन प्राधिकारी	क्षेत्र जिसके लिए अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जा सकती है	नवीकरण प्राधिकारी	प्ररूप सं०	शर्तें
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अर्जन/कब्जा आयात और परिवहन	I (क) II	संपूर्ण भारत	केन्द्र सरकार गृह मंत्रालय	संपूर्ण भारत या कोई विनिर्दिष्ट भाग	केन्द्र सरकार या गृह मंत्रालय	I	—
2	अर्जन/कब्जा और उपयोग	III (I) III (ग) III (घ) III (ङ) V, VI	जिला	जिला मजिस्ट्रेट	सर्वत्र जिला	जिला मजिस्ट्रेट	II	—
3	अर्जन/कब्जा/ संरक्षण के लिए वहन और उपयोग/खेल/ लक्ष्य/पद्धति/ संप्रदर्शन	(I) I (ख) I (ग)	संपूर्ण भारत	केन्द्र सरकार का गृह मंत्रालय	संपूर्ण भारत या उसका कोई विनिर्दिष्ट भाग	जिला मजिस्ट्रेट	III	—
		(ii) III [च(ii) और (छ) (ii) के सिवाय], V, VII	(ii) जिला	जिला मजिस्ट्रेट	सर्वत्र जिला या उनका अधिकारिता क्षेत्र	जिला मजिस्ट्रेट	III/IV	—
		III [च(ii) और (छ) (ii)] V, VI	(ii) संपूर्ण भारत	जिला मजिस्ट्रेट	संपूर्ण भारत	जिला मजिस्ट्रेट	III/IV	—
		III [च(ii) और (छ) (ii)] V, VI	(ii) संपूर्ण भारत	जिला मजिस्ट्रेट	संपूर्ण भारत	जिला मजिस्ट्रेट	III/IV	नियम 19 उप-नियम (2) में उल्लिखित अनुज्ञप्तिधा रियों के प्रवर्गों के लिए जिला मजिस्ट्रेट संपूर्ण भारत में अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए सशक्त है
		(iii) I (ख), I (ग)	छूट प्राप्तकर्ता के प्रतिधारण की दशा में	केन्द्र सरकार का गृह मंत्रालय	भारत या उसका कोई विनिर्दिष्ट भाग	राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त अधिकारी	III अ	—

		III [(घ)(ii) और (छ) (ii) के सिवाय] V VI	(i) जिला	जिला मजिस्ट्रेट	सर्वत्र	जिला मेजिस्ट्रेट	III-अ	—
			(ii) राज्य	जिला मजिस्ट्रेट	संपूर्ण राज्य	जिला मेजिस्ट्रेट	III-अ	—
			(iii) संपूर्ण भारत	राज्य सरकार	संपूर्ण	जिला मेजिस्ट्रेट	III-अ	—
4.	अर्जन/कब्जा/ वन्य जीव, जंतुओं के विनाश के लिए उपयोग और वहन, जो मनुष्य पालतु पशुओं को क्षति करना है और फसल को नुकसान पहुंचता है।	III(ख), III(ग), III(घ), III(ङ) V	जिला	राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त जिला मेजिस्ट्रेट या कोई अधिकारी	सर्वत्र जिला	अनुज्ञापन प्राधिकारी के समान	IV	—
5(क)	खेल प्रतियोगिता/ आयोजन या खेल प्रतियोगिता श्रृंखला/या पशिक्षण में भाग लेने के लिए भारत में दौरे पर आए अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ीयों द्वारा आयुध या गोलाबारूद का आयात, कब्जा, वहन और उपयोग	III [(च)(ii) और (छ) (ii) के सिवाय]	संपूर्ण भारत	उस देश का, जिससे खिलाड़ी संबंध रखते हैं भारतीय उच्च आयोग का प्रमुख या भारतीय दूतावास का प्रमुख या भारत में प्रवेश करने/पहुंचने वाले बंदरगाह का जिला मेजिस्ट्रेट या केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त कोई अन्य अधिकारी	भारत या उसका कोई विनिर्दिष्ट भाग	अनवीकरणीय	VI	अनुज्ञप्ति, अधिकतम छह मास की अवधि या बीजा की वैद्यता की अवधि तक जो भी पूर्वतर हो के लिए विधिमाम्य होगी और केवल निशाने -बाजी खेल के प्रयोजन के लिए अनुदत्त की जाएगी।
5(ख)	किसी पर्यटक द्वारा उसके ठहरने के अनुष्ठान के दौरान अर्जन, कब्जा (परंतु उपयोग नहीं) और भारत से बाहर निर्यात और में वहन	III [(च)(ii) और (छ)(ii) के सिवाय] IV,V (केवल भारत में निर्मित)	—	राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त जिला मेजिस्ट्रेट या कोई अधिकारी	—	अनवीकरणीय	VI	अनुज्ञप्ति अधिकतम छह मास की अवधि या बीजा की वैद्यता की अवधि तक जो भी पूर्वतर हो, के लिए विधिमाम्य होगी और केवल भारत में निर्मित हथियारों के लिए अनुदत्त की जाएगी।

5(ग)	आयात/निर्यात अनुज्ञप्ति की अन्य अस्थाई प्रवर्ग	III	संपूर्ण	नियम 45(ii) में परिभाषित व्यक्ति जिस देश से संबंध रखते हैं का मुख्य भारतीय उच्च आयोग या भारतीय दूतावास	भारत या उसका कोई विनिर्दिष्ट भाग	—		अनुज्ञप्ति अधिकतम छह मास की अवधि या बीजा की वैद्यता की अवधि तक जो भी पूर्वतर हो, के लिए विधिमान्य होगी और नियम 45(1) में यथा उल्लिखित प्रयोजन के लिए अनुदत्त की जाएगी।
6(क)	विनिर्माण या प्रमाण परीक्षण या दोनों, अंतरण, विक्रय, विक्रय के लिए रखें या अंतरण	समस्त [III(च) के सिवाय]	सर्वत्र भारत	केन्द्रीय सरकार का गृह मंत्रालय	परिसर के भीतर जो अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट किया जाए	केन्द्र सरकार का गृह मंत्रालय	VII	प्ररूप IX में अनुज्ञप्ति धारण करने वाले विद्यमान विनिर्माताओं के लिए नवीकरण प्राधिकारी राज्य सरकार होगी।
		III (च)	सर्वत्र भारत	राज्य सरकार	परिसर के भीतर जो अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट किया जाए	जिला मजिस्ट्रेट	VII	इन नियमों की अधिसूचना के एक वर्ष के भीतर सभी प्रकार के सभी वायु शस्त्र के सभी विनिर्माताओं को विनिर्माण अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करनी होगी।
6 (ख)	विनिर्माण, अंतरण, विक्रय, विक्रय के लिए रखें, या अंतरण	V	राज्य	जिला मेजिस्ट्रेट	परिसर के भीतर जो अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट किया जाए	जिला मजिस्ट्रेट	VII—अ	—
6 (ग)	विनिर्माण, अंतरण, विक्रय, विक्रय के लिए रखें या अग्नेयायुध की अंतरित प्रतिकृति	III (छ)	राज्य	जिला मेजिस्ट्रेट	परिसर के भीतर जो अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट किया जाए	जिला मजिस्ट्रेट	VII—अ	इन नियमों की अधिसूचना के एक वर्ष के भीतर, अग्नेयायुध प्रतिकृतियां जिसके अंतर्गत प्राचीन हथियार भी हैं के सभी

								वियमान विनिर्माताओं को विनिर्माण अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी है
7 (क)	विक्रय, अंतरण या परीक्षण (प्रमाण परीक्षण के अतिरिक्त) और विक्रय अंतरण या परीक्षण के लिए रखे	I (ख) I (ग)	राज्य	राज्य सरकार	परिसर के भीतर जो अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट किया जाए	राज्य सरकार	VIII	—
		III, V, VI	राज्य	राज्य सरकार	परिसर के भीतर जो अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट किया जाए	जिला मजिस्ट्रेट	VIII	—
7 (ख)	सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाने के लिए	क्र.स. 7(क) के अधीन जारी अनुज्ञप्ति में आयुध और गोलाबारूद के प्रवर्गों के लिए						
		I(ख), I(ग) III, V, VI	राज्य	राज्य सरकार	परिसर के भीतर जो अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट किया जाए	जिला मजिस्ट्रेट	VIII	—
7 (ग)	विक्रय, अंतरण और विक्रय के लिए रखे, अंतरण	III (च) (ii)	राज्य	जिला मजिस्ट्रेट	परिसर के भीतर जो अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट किया जाए	जिला मजिस्ट्रेट	VII अ	इन नियमों की अधिसूचना के एक वर्ष के भीतर प्रवर्ग III (च)(ii) के वायु शस्त्रों के सभी विद्यमान, व्यवहारियों को वायु शस्त्र व्यवहारी अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी होगी।
8(क)	अग्न्यायुध को, संपरिवर्तित, लघुतर, मरम्मत (मुख्य) या (प्रमाण) प्रशिक्षण के अतिरिक्तों या संपरिवर्तन के लिए रखे जाने के लिए मरम्मत (मुख्य) या प्रशिक्षण प्रमाण	I(ख), I(ग) III, V, (ख)	राज्य	राज्य सरकार	परिसर के भीतर जो अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट हो।	जिला मजिस्ट्रेट	IX	प्रवर्ग I(क) और II के अतिरिक्त

	प्रशिक्षण के अतिरिक्त के अतिरिक्त के लिए बंदूक बनाने वाले को अनुज्ञप्ति							
8 (ख)	अग्न्यायुध को मरम्मत (लघु) या प्रशिक्षण (प्रमाण) प्रशिक्ष (प्रमाण प्रशिक्षण के अतिरिक्त) या मरम्मत में रखे जाने के लिए (लघु) या प्रशिक्षण के अतिरिक्त के लिए बंदूक बनाने वाले को अनुज्ञप्ति ।	I (ख), I (ग), III	राज्य	जिला मेजिस्ट्रेट			IX अ	—
9 (क)	भारत में आयुध और गोला बारूद का आयात	(i) I (ख) I (ग)	(i) भारत में किसी सीमा शुल्क बंदरगाह पर	(क) केन्द्रीय सरकार का गृह मंत्रालय		अनवीकरणीय	I	—
		(i) III	(ii) भारत में किसी सीमा शुल्क बंदरगाह पर	(ख) केन्द्रीय सरकार का गृह मंत्रालय			X	—
	अप्रवर्तित आयुध गोला IV	बोर और जो भारत में विनिर्दिष्ट नहीं है के लिए व्यवहारियों द्वारा बारूद का आयात V VI	(ii) भारत में किसी सीमा शुल्क बंदरगाह पर	(ग) स्थान जहां पर आयातक स्थित है या जिसकी अधिकारिता में आयात बंदरगाह स्थित है के जिला मेजिस्ट्रेट		अनवीकरणीय	X	—
		(iv) सल्फर	(vi) काकीनाडा, टूटीकोरीन और कोच्चि के बंदरगाह पर	(ग) आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या केरला की राज्य सरकार		अनवीकरणीय	X	चिकित्सीय, कृषिय या औद्योगिक प्रयोजन के लिए उचित मात्रा
9 (ख)	(i) समस्त	(i) विदेशी क्षेत्र को आयात	(i) भारत में किस सीमा शुल्क बंदरगाह से विदेशी क्षेत्र के बंदरगाह में	केन्द्रीय सरकार का गृह मंत्रालय या केन्द्रीय सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से सशक्ता कोई अधिकारी	- -	अनवीकरणीय	X	—
		(ii) III(छ)(i), IV, V, VI		(ii) राज्य की सरकार जिसमें नियंत्रित स्थित है		अनवीकरणीय	X	—

9 (ग)	(i) अभिवहन अनुज्ञप्ति और निर्यात और पुनःनिर्यात के लिए अनुज्ञप्ति	(i) समस्त	(क) भारत के एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह के बीच	(क) केन्द्रीय सरकार का गृह मंत्रालय द्वारा प्रयोजन के लिए विशेष रूप से सशक्त कोई अधिकारी		अनवीकरणीय	X	—
		(ii) III IV V VI	(ख) नेपाल में किसी स्थान से	(ख) नेपाल में भारत का राजपूत		अनवीकरणीय		—
10.	भारत में किसी बंदरगाह में या से होकर यात्रा का वहन	समस्त [III (च) (ii), III (छ) (ii)के सिवाय]	सर्वत्र भारत	जिला मजिस्ट्रेट	भारत या उसका कोई विनिर्दिष्ट भाग	अनवीकरणीय	XII	—
11	परिवहन	I(ख), I(ग), III[(च) (ii) और (छ) (ii) के सिवाय] IV V VI	सर्वत्र भारत	जिला मजिस्ट्रेट	भारत या उसका कोई विनिर्दिष्ट भाग	अनवीकरणीय	XII	—

12	प्रमाण प्रशिक्षण के लिए गन बैरल/ पूर्ण अग्नयायुध के प्रेषण के लिए परिवहन अनुज्ञप्ति	III	सर्वत्र भारत	जिला मजिस्ट्रेट	-	अनवीकरणीय	XIII	-
13	परिवाहक को अनुज्ञप्ति	I(I), I(ग), III [(च) (ii) और (छ) (ii) के सिवाय] IV, V, VI	सर्वत्र भारत	राज्य सरकार	भारत का उसका कोई विनिर्दिष्ट भाग	जिला मजिस्ट्रेट	XIV	-
14	नेपाल सरकार की सेना और पुलिस द्वारा भारत से बाहर आयात में, कब्जा और परिवहन	समस्त	नेपाल	नेपाल में भारत के राजदूत	-	अनवीकरणीय	XV	केन्द्रीय सरकार के पुष्ट के अध्यक्षीन रहते हुए
15	अग्नयायुध मुक्त ज़ोन	समस्त	जिला	जिला मजिस्ट्रेट	परिसर के भीतर जो अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट हो	जिला मजिस्ट्रेट	XVI	-

अनुसूची III**भाग-I****अनुज्ञप्ति प्ररूप****प्ररूप-I**

निम्नलिखित के लिए अनुज्ञप्ति—

(अ) अनुसूची I [के प्रवर्ग I (क) और II में अग्न्यायुध या गोलाबारूद का अर्जन/कब्जा/ आयात और परिवहन ; और]

(आ) अनुसूची I [के प्रवर्ग I (ख) और I (ग) में अग्न्यायुध और गोलाबारूद का आयात]

यू०आई०एन०

अनुज्ञप्तिधारी और अभिकर्ता (यदि कोई है) का नाम, विवरण और निवास	पैकेज संख्या	तोप केलिवर या अन्य वस्तुओं के विनिर्देश के सहित विवरण	वस्तुओं की संख्या	आयात या परिवहन की दशा में स्तंभों का भरा जाना			अवधि जिसके लिए अनुज्ञप्ति विधिमान्य है	उपयोग जिसके लिए वस्तुओं का रखा जाना
				प्रेषण का स्थान और मार्ग	गंतव्य स्थान	परेषिती का नाम, विवरण और निवास		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

20

नियम (7) के अधीन तारीख जिस पर निम्नलिखित को प्रति भेजी गई—

जिला मजिस्ट्रेट _____, जिला

20

(हस्ताक्षर)

सचिव/ संयुक्त सचिव

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

(मोहर)

या

नियम के अधीन हस्ताक्षर हेतु विशेष रूप से

सशक्त अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम

अनुज्ञप्ति के नवीकरण का प्ररूप			
नवीकरण की तारीख और वर्ष	तारीख जिस पर नवीकृत का अवसान होता है	नवीकरण प्राधिकरण का हस्ताक्षर और पदनाम	मोहर
1	2	3	4

शर्तें

इन नियमों के नियम 112 में अंतर्विष्ट साधारण शर्तों के अतिरिक्त, यह अनुज्ञप्ति निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन रहते हुए होगी जिसमें—

- आयुध अधिनियम, 1959 और आयुध नियम, 2016 के सभी उपबंधों के अधीन रहते हुए, यह अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाती है।
- यह केवल स्तम्भ 2, 3 और 4 में विनिर्दिष्ट आयुध और गोलाबारूद और स्तम्भ 9 में दर्शित प्रयोजनों का समावेश करता है।
- आयात और परिवहन की दशा में—

(क) प्रत्येक पैकेज को विषय-वस्तुओं का लेखा उस पर सुपाठ्य रूप से लिखा जाएगा ;

(ख) वस्तुओं के गंतव्य स्थान पर पहुंचने से पहले बल्क टूटेगा नहीं ;

(ग) वस्तुएं केवल उसी व्यक्ति को व्यक्ति परिदत्त की जाएंगी जो वैधानिक रूप से उन्हें प्राप्त करने का हकदार है।

4. अनुज्ञप्तिधारी किसी अग्न्यायुध या गोलाबारूद या उसके किसी भाग के विघटन या निपटान के उसके आशय का संबद्ध अनुज्ञापन प्राधिकारी को पूर्व सूचना देगा ; जिसके न होने पर, वस्तुओं के विघटन या निपटान का प्रमाण अनुज्ञापन प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए उन्हें देना होगा।

प्ररूप II

अनुसूची I के प्रवर्ग III (ख), III (ग), III (घ), III (ङ), IV या VI क के आयुध या गोलाबारूद के अर्जन, कब्जे और उपयोग के लिए अनुज्ञप्ति

यू०आई०एन० _____

अनुज्ञप्तिधारी और अभिकर्ता (यदि कोई है) का नाम, विवरण और निवास	आयुध का नाम और विवरण	गोला बारूद		स्थान (विवरण सहित) जहां वस्तुओं को रखा जाए	अवधि जिसके लिए अनुज्ञप्ति विधिमान्य है
		विवरण	परिमाण		
1	2	3	4	5	6

_____ 20 _____

हस्ताक्षर

अनुज्ञापन प्राधिकारी _____

पदनाम _____

स्थान _____

अनुज्ञप्ति नवीकरण का प्ररूप			
नवीकरण की तारीख और वर्ष	तारीख जिस पर नवीकृत अनुज्ञप्ति का अवसान होता है	नवीकरण प्राधिकारी का हस्ताक्षर और पदनाम	मोहर
1	2	3	4

शर्तें

नियम 112 में अंतर्विष्ट साधारण शर्तों और इन नियमों के नियम 113 में अंतर्विष्ट गोलाबारूद के संघटकों से संबंधित विनिर्दिष्ट सुरक्षा शर्तों के अतिरिक्त, यह अनुज्ञप्ति निम्नलिखित साधारण शर्तों के अधीन रहते हुए होगी—

1. आयुध अधिनियम, 1959 और आयुध नियम, 2016 के सभी उपबंधों अधीन रहते हुए, यह अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाती है।
2. यह केवल स्तम्भ 2, 3 और 4 में विनिर्दिष्ट आयुध या गोलाबारूद का तब तक समावेश करता है, जब तक कि वह स्तम्भ 5 में वर्णित स्थान पर रखा रहता है, लेकिन अनुज्ञप्ति धारक को निम्नलिखित के लिए प्राधिकृत नहीं करता है—

(i) आयुध का वहन करना ;

(ii) सरकारी आयुध या गोलाबारूद को रखना।

3. जहां शैक्षणिक संस्थान द्वारा पोटेशियम क्लोरेट का कब्जाधीन करने के लिए अनुज्ञप्ति इन प्ररूप में अनुदत्त की जाती है, निम्नलिखित अग्रिम शर्तें लागू होंगी :—

(क) प्रयोगशाला के प्रयोजन के लिए अपेक्षित भण्डारित क्लोरेट का परिमाण निम्नतम होना चाहिए जो कि अनुज्ञापन प्राधिकारी को संस्थान अध्यक्ष द्वारा यथाप्रमाणित किया गया हो ;

(ख) कब्जाधीन क्लोरेट स्टॉक को एक सुनिर्मित ताला व चाबी युक्त कप बोर्ड या अलमारी कर्मचारीवृंद के जिम्मेदार सदस्य के नियन्त्रण और पर्यवेक्षण के अधीन रखा जाना चाहिए और स्थान जहां रसायनों को रखा जाना है, पर्याप्त रूप से सुरक्षित होना चाहिए ;

(ग) कर्मचारिवृद्ध के जिम्मेदार सदस्यों द्वारा निरन्तर अंतराल पर कब्जाधीन क्लोरेट का जारी करने और बकाया के लेखों को रखा जाना चाहिए और वास्तविक स्टॉक के साथ जांच की जानी चाहिए। किसी मेजिस्ट्रेट या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या इन्स्पेक्टर के टैंक से कम का न हो द्वारा मांग करने पर जांच के लिए लेखे उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

प्ररूप III

अनुसूची I के प्रवर्ग I (ख), I (ग), III, V, VI के खेल/ लक्ष्य पद्धति/ संरक्षण/ संप्रदर्शन हेतु आयुध या गोलाबारूद के अर्जन/ कब्जा/ वहन और उपयोग के लिए अनुज्ञप्ति

अनुसूची I

यूआईएन	अनुज्ञप्ति का क्रम सं०	अनुज्ञप्ति धारक का नाम जन्मतिथि और निवास	आयुध और गोलाबारूद जिसे अनुज्ञप्ति धारक कब्जे के लिए हकदार है					
			ब्यौरे सहित प्रत्येक हथियार का संक्षिप्त विवरण उदारणार्थ पहचान चिह्न, विनिर्माता की क्रम सं० आदि	प्रत्येक तरह के गोलाबारूद का परिमाण और विवरण				
				किसी एक समय पर कब्जा किया जाना है	वर्ष के दौरान खरीद योग्य	क्षेत्र जिसमें अनुज्ञप्ति विधिमान्य है	तारीख जिस पर अनुज्ञप्तिका अवसान होता है	तारीख, जिस पर नियम 18 के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष जांच हेतु अनुज्ञप्ति या आयुध या दोनों को प्रस्तुत जाएगा
1	2	3	4	5	6	7	8	

200

अनुज्ञापन प्राधिकारी का नाम

(स्पष्ट अक्षरों में)/हस्ताक्षर

पदनाम

स्थान

या

मोहर

नियम 5 के अधीन हस्ताक्षर हेतु विशेष रूप से सशक्त अधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम

स्थान

प्रतिधारक की विशिष्टियां (कंपनियों की दशा में)			
1.	प्रतिधारक का नाम		
2.	पिता का नाम		
3.	जन्म की तारीख		
4.	स्थायी पता और नज़दीकी पुलिस थाना		
टिप्पण :- अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से सटापित और हस्ताक्षरित अनुज्ञप्ति पर प्रतिधारक का फोटो चिपकाया जाए।			

नवीकरण अनुज्ञप्ति का प्रारूप				
नवीकरण की तारीख और वर्ष	तारीख जिस पर नवीकृत अनुज्ञप्ति का अवसान होता है	नवीकरण प्राधिकारी का नाम (बड़े अक्षरों में)/ हस्ताक्षर और पदनाम	नियम 5 के अधीन अनुज्ञप्ति को हस्ताक्षरित करने के लिए विशेष रूप से सशक्त अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम	मोहर
1	2	3	4	5

शर्तें

इन नियमों के नियम 12 में अंतर्विष्ट साधारण शर्तों के अतिरिक्त, यह अनुज्ञप्ति निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन रहते हुए होगी—

(1) आयुध अधिनियम, 1959 और आयुध नियम, 2016 के समस्त उपबंधों के अधीन रहते हुए अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाती है।

(2) यह केवल इसमें वर्णित नामित व्यक्ति और आयुध या गोलाबारूद का समावेश करता है।

(3) अनुज्ञप्ति धारक स्तम्भ 9 में यथाविनिर्दिष्ट अनुदत्त या विस्तारित समय सीमा के भीतर आयुध को अनुज्ञप्ति के साथ अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष अर्जित और प्रस्तुत करेगा। यदि विनिर्दिष्ट या विस्तारित अवधि के भीतर अनुज्ञप्तिधारी, आयुध अर्जित करने में और अनुज्ञप्ति या आयुध प्रस्तुत करने में या दोनों में असफल रहता है, यथास्थिति अनुज्ञप्ति की मान्यता समाप्त हो जाएगी।

(4) अनुज्ञप्तिधारी, किसी आयुध या गोलाबारूद को खरीदते समय विक्रेता के हस्ताक्षरित निम्नलिखित विशिष्टियों को अपनी अनुज्ञप्ति पर, पृष्ठांकित करना होगा, अर्थात्—

(क) व्यक्ति, जो क्रय की गई वस्तुओं को प्राप्त करता है, का नाम, विवरण और विवास ;

(ख) क्रय की गई वस्तुओं की प्रकृति और परिमाण ; और

(ग) क्रय की तारीख,

और आयुध या गोलाबारूद, अनुज्ञप्तिधारी व्यवहारी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से क्रय किया गया है, ऐसे प्राधिकरण द्वारा इस प्रयोजन के लिए विहित ऐसी अवधि के भीतर प्राधिकारी जिसने अनुज्ञप्ति अनुदत्त की है, को खण्ड (ख) और (ग) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियां लिखित रूप में प्रस्तुत करेगा।

(5) अनुज्ञप्तिधारी, एक वर्ष में क्रय के लिए रकम और एक समय में कब्जाधीन किया सकने वाली रकम जैसा कि नियम 23 में अधिकथित है अधिकतम विहित से अधिक किसी प्रकार के गोलाबारूद की खरीद नहीं करेगा। यदि, तथापि, कोई अनुज्ञप्तिधारी वर्ष के अंत से पूर्व ही उसे क्रय योग्य गोलाबारूद के कुल परिमाण का निःशेष कर देता है, तो उसे अनुज्ञापन प्राधिकारी के विवेक पर क्रय योग्य कुल परिमाण में अच्छे और पर्याप्त कारणों से अस्थाई बढ़ौतरी दी जा सकती है :

परंतु यह कि अनुज्ञप्तिधारी को संबद्ध अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा समझे गए समुचित पड़ोसी राज्य के किसी प्राधिकृत आयुध और गोलाबारूद व्यवहारी से गोलाबारूद क्रय करने की अनुज्ञा दी जा सकती है और ऐसे अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा इसके प्रभाव में अनुज्ञप्ति पर पृष्ठांकन किया जाएगा।

(6) किन्हीं पूर्वगामी शर्तों के उल्लंघन के लिए इस अनुज्ञप्ति के अमान्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यह शून्य होगी, यदि—

(क) अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु हो जाती है ; या

(ख) उसके अंतर्गत कोई हथियार—

(i) विक्रित या अंतरित है ; या

(ii) डिक्री के निष्पादन में संलग्न है ;

परंतु यह कि जहां हथियार विक्रित या अंतरित किया गया है, अनुज्ञापन प्राधिकारी, उपर लिखित शर्त (3) की पूर्ति के अधीन रहते हुए और अनुज्ञप्ति धारक को उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट ऐसी अवधि के भीतर समान विवरण के नए हथियार अर्जित करने की अनुज्ञा दे सकता है।

(7) अनुज्ञप्तिधारी, इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्त अग्न्यायुध मुक्त ज़ोन में किसी अग्न्यायुध का वहन नहीं करेगा। आगे, अनुज्ञप्तिधारी सार्वजनिक स्थान पर अग्न्यायुध का वहन नहीं करेगा जब तक कि—

(क) हैन्डगन की दशा में—

(i) हैन्डगन के वहन और अपने शरीर से लगाकर रखने के लिए में अग्न्यायुध डिजाइन, विनिर्मित या उपयुक्त का वहन न किया गया हो; या

(ii) रकसैक या समान पकड़ में अग्न्यायुध का वहन न किया गया हो; या

(ख) किसी अन्य अग्न्यायुध की दशा में, अग्न्यायुध लाने ले जाने के लिए डिजाइन, विनिर्मित या उपयुक्त पकड़ का वहन न किया गया हो।

आगे अग्न्यायुध—पूरी तरह से ढका होना चाहिए और अग्न्यायुध का वहन करने वाला व्यक्ति ऐसे अग्न्यायुध पर प्रभावशाली नियंत्रण का प्रयोग करने में समर्थ होना चाहिए।

(8) अनुज्ञप्तिधारी सार्वजनिक स्थान पर अग्न्यायुध की ब्रांडिंग के लिए नहीं घुमाएंगा, न ही किसी विवाह के अवसर पर जन सभा, या जलूस या किसी पब्लिक समारोह या निर्मित क्षेत्र में अग्न्यायुध का वहन या निर्वहन करेगा।

(9) अनुज्ञप्तिधारी किसी अग्न्यायुध को चिह्नित नहीं करेगा, चाहे वह उचित कारण बिना किसी के किसी अन्य व्यक्ति पर भरा गया हो या नहीं या निर्वहन के योग्य है।

(10) अनुज्ञप्तिधारी, जब ऐसे अग्न्यायुध, अपने पास वहन नहीं कर रहा हो या उसके सीधे नियंत्रण में न हो, तो वह अपने कब्जाधीन अग्न्यायुध को ताला और चाबी लगाकर सुरक्षित स्थान पर रखना सुनिश्चित करेगा।

(11) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति या अग्न्यायुध के हानि चोरी या नष्ट होने के जानकारी होने के पश्चात् 24 घण्टे के भीतर आयुध अनुज्ञप्ति या अग्न्यायुध के किसी हानि; चोरी या नष्ट होने पर ऐसी घटना के बारे में नजदीकी पुलिस थाने में रपट करेगा।

(12) अनुज्ञप्तिधारी, अनुसूची IV के अधीन लागू फीस के संदाय के साथ संबद्ध अनुज्ञापन प्राधिकारी के पास अपनी अनुज्ञप्ति की विधिमान्य अवधि के अवसान से निम्नतम 60 दिन पूर्व अनुज्ञप्ति नवीकरण का आवेदन जमा करेगा।

(13) सरकारी आयुध या गोलाबारूद को कब्जे में रखने की अनुज्ञा अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जी सकती है, यदि ऐसा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा, अनुज्ञप्तिधारी की अनुज्ञप्ति जिसे वह रखने के लिए प्राधिकृत है पर सरकारी आयुध या अग्न्यायुध को दिखा कर पृष्ठांकन करते हुए, सशक्त किया जाता है।

अतिरिक्त अनुज्ञप्ति के अधीन नियम 20 के लिए शर्तें : —

(14) अतिरिक्त अनुज्ञप्तिधारी, अतिरिक्त अनुज्ञप्ति के अनुदत्त के लिए आवेदन करने के समय पर अपने नाम पर कोई वैयक्तिक अनुज्ञप्ति नहीं धारण करेगा। आगे, अतिरिक्त अनुज्ञप्तिधारी, अवधि जिसके दौरान वह अतिरिक्त अनुज्ञप्तिधारी है किसी वैयक्तिक अनुज्ञप्ति के आवेदन हेतु पात्र नहीं होता है।

(15) अतिरिक्त अनुज्ञप्ति धारक अपनी अतिरिक्त अनुज्ञप्ति पर किसी आयुध और गोलाबारूद के अर्जन या क्रय, विक्रय या अंतरण करने के लिए प्रतिषिद्ध है। केवल मूल अनुज्ञप्ति पर पृष्ठांकित आयुध और गोलाबारूद को अतिरिक्त अनुज्ञप्ति पर पृष्ठांकित करवाया जा सकता है।

(16) अतिरिक्त अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की अवधि और विधिमान्यता का क्षेत्र मूल अनुज्ञप्ति के समरूप दर्जे का होगा। अतिरिक्त अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता के समरूप दर्जे का होगा। अतिरिक्त अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता मूल अनुज्ञप्ति के साथ व्यपगत हो जाएगी और यदि किसी संभाव्यता मूल अनुज्ञप्ति निलंबित, प्रतिसंहित या रद्द हो जाती है, तो अतिरिक्त अनुज्ञप्ति समान परिणाम के अध्यधीन होगी।

(17) अतिरिक्त अनुज्ञप्ति धारित व्यक्ति का मूल अनुज्ञप्तिधारी के परिसर से अस्थाई या स्थाई तौर पर स्थानान्तरित हो जाने की दशा में अतिरिक्त अनुज्ञप्ति स्वतः व्यपगत हो जाएगी और ऐसी अतिरिक्त अनुज्ञप्ति को अनुज्ञापन के पास तुरंत अभ्यर्पित किया जाएगा।

प्ररूप III-अ

खेल/संरक्षण/संप्रदर्शन के प्रयोजन हेतु आयुध या गोलाबारूद के एक छूटप्राप्तकर्ता के प्रतिधारक द्वारा कब्जे और वहन के लिए अनुज्ञप्ति

यू आई एन	अनुज्ञप्ति क्रम सं०	अधिनियम की धारा 41 के अधीन छूट प्राप्त व्यक्ति का नाम, विवरण और निवास, जिसने अनुज्ञप्ति को नामनिर्दिष्ट किया है	अनुज्ञप्तिधारी का नाम और निवास	अनुज्ञप्तिधारी के माता-पिता का नाम और निवास	आयुध और गोलाबारूद जिनका अनुज्ञप्तिधारी कब्जा करने और वहन करने का हकदार है	अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता का क्षेत्र अर्थात् सर्वत्र भारत या जिला है		तारीख जिस पर अनुज्ञप्ति का अवसान होता है या अधिनियम की धारा 41 के अधीन तारीख जिस पर स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट व्यक्ति को छूट प्राप्त होना समाप्त होती है (जो भी पहले हो)
					ब्यौरे सहित प्रत्येक हथियार का संक्षिप्त विवरण उदारहण के लिए पहचान चिह्न, विनिर्माता की क्रम सं० आदि	प्रत्येक किस्म के गोलाबारूद का परिमाण और विवरण		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

अनुज्ञापन अधिकारी का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)/हस्ताक्षर
पदनाम
स्थान

...../...../20 (मोहर)

या

नियम 5 के अधीन अनुज्ञप्ति हस्ताक्षर करने के लिए
विशेष रूप से सशक्त अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम
स्थान

अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु प्ररूप				
नवीकरण का तारीख और वर्ष	तारीख जिस पर नवीकृत अनुज्ञप्ति का अवसान हुआ	अनुज्ञापन प्राधिकारी का नाम (पूरे अक्षरों में)/हस्ताक्षर और पदनाम	नियम 5 के अधीन हस्ताक्षर हेतु विशेष रूप से सशक्त अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम	मोहर
1	2	3	4	5

शर्तें

इन नियमों के नियम 112 में रखी गई साधारण शर्तों के अतिरिक्त, यह अनुज्ञप्ति निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन रहते हुए होगी :—

1. आयुध अधिनियम, 1959 और आयुध नियम, 2016 के समस्त उपबंधों के अधीन रहते हुए यह अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाती है।

2. यह केवल इस अनुज्ञप्ति के स्तंभ 4 में नामित व्यक्ति और स्तंभ 6 और 7 में वर्णित गोलाबारूद के अंतर्गत आता है।

3. यह अनुज्ञप्ति उस व्यक्ति को, जो उसकी ओर से नामनिर्दिष्ट है और अधिनियम की धारा 41 के अधीन छूट प्राप्त व्यक्ति जिसने स्वयं को ही अपना प्रतिधारक प्रमाणित किया है, को अनुदत्त होगी और केवल इसकी ओर से ऐसे छूट प्राप्त व्यक्ति की संपत्ति के रूप में विनिर्दिष्ट गोला बारूद के संदर्भ में अनुदत्त होगी।

4. इस अनुज्ञप्ति का अनुदत्त/नवीकरण उस शर्त के अधीन है कि अधिनियम की धारा 41 के अधीन तारीख, जिस पर अनुज्ञप्ति के स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट व्यक्ति को प्राप्त छूट समाप्त होती है, को इसका अवसान होगा, जहां ऐसी तारीख उस तारीख से पूर्वतम है अनुक्रम में अन्यथा अवसान हो गई होती।

5. अनुज्ञप्तिधारी, इस अनुज्ञप्ति के अंतर्गत आने वाले किसी आयुध का वहन नहीं करेगा अन्यथा खेल/संरक्षण/संप्रदर्शन के प्रयोजन के लिए सद्भाव के अंतर्गत हो।

प्ररूप III-आ
कंपनियों के प्रतिधारक को अनुज्ञापत्र

कंपनी द्वारा
सत्यापित
प्रतिधारक का
पासपोर्ट आकार
फोटो

अनुज्ञप्तिधारी की विशिष्टियां		
1.	कंपनी का नाम	
2.	अनुज्ञप्ति पर वर्णित पता	
3.	अनुज्ञप्ति संख्या और यू आई एन	
4.	अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की अवधि	
5.	अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता का क्षेत्र	
6.	जिम्मेदार व्यक्ति का नाम, पदनाम सहित	
व्यक्ति जिसकी विशिष्टियां नीचे ब्यौरेबद्ध हैं, एतद्वारा कंपनी के आयुध प्रतिधारक के रूप में नियुक्त हुआ है, उसे कंपनी स्तंभ 3 में उल्लिखित कंपनी की अनुज्ञप्ति के अंतर्गत स्तंभ 10 और 11 में उल्लिखित आयुध या गोलाबारूद के जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पर मेरे द्वारा जारी समस्त विधिपूर्ण आदेशों के कब्जे, वहन और उपयोग की हकदारी दी जारी है		
प्रतिधारक की विशिष्टियां		
7.	प्रतिधारक का नाम	
8.	पिता का नाम	
9.	प्रतिधारक का नाम और नजदीकी पुलिस थाना	
10.	प्रतिधारक को न्यस्त शस्त्र के ब्यौरे	
	प्रकार	
	केलिबर/बोर	
	हथियार संख्या	
11.	प्रतिधारक को न्यस्त गोला बारूद का परिमाण	
12.	अनुज्ञापन की विधिमान्यता	दिन/माह/वर्ष
13.	प्रतिधारक के हस्ताक्षर	
स्तंभ 7 में उल्लिखित प्रतिधारक अपने साथ यह अनुज्ञापन आयुध और गोलाबारूद के वहन पर ले कर जाएगा और अनुज्ञप्ति के अंतर्गत नहीं आने वाले क्षेत्र में आयुध या गोला बारूद का वहन नहीं करेगा		

अनुज्ञापन प्राधिकारी की स्टेम्प और मोहर
कंपनी की ओर से हस्ताक्षर करने वाले जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर स्टेम्प सहित

प्ररूप IV

जंगली जानवर, जो मनुष्यों या पशुओं को हानि और फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, के विनाश हेतु आयुध या गोला बारूद के अर्जन/कब्जे/वहन और उपयोग के लिए सम्मिलित अनुज्ञप्ति

यू आई एन	अनुज्ञप्ति संख्या	अनुज्ञप्तिधारी का नाम, विवरण और निवास	आयुध और गोला बारूद			स्थान और क्षेत्र जिसके भीतर अनुज्ञप्ति विधिमान्य है	अवधि जिसके लिए अनुज्ञप्ति विधिमान्य है	नियम 18 के अधीन तारीख जिस पर अनुज्ञप्ति या आयुध या दोनों को निरीक्षण हेतु अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध करावाया जाएगा।
			प्रत्येक हथियार की ब्यौरे सहित संक्षिप्त विवरण, उदाहरण, के लिए विनिर्माता का क्रमांक सं० और पहचान चिन्ह यदि कोई है	प्रत्येक प्रकार के गोला बारूद का परिमाण और विवरण				
				किसी एक समय पर अधिकतम कब्जाधीन	वर्ष के दौरान अधिकतम क्रय योग्य			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

जंगली जानवर जो मनुष्यों या पशुओं को हानि पहुंचाते हैं, के विनाश की दशा में	फसलों के नुकसान के विरुद्ध संरक्षण
अनुज्ञप्तिधारी को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के अधीन अनुदत्त अनुज्ञा-पत्र के अनुसार इस अनुज्ञप्ति के अधीन जंगली जानवरों का विनिर्देश जो विनाश हेतु अनुज्ञाप्राप्त हैं	मैजिस्ट्रेट की उपाधि और निवास जिसे प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर और 31 दिसम्बर के बीच अनुज्ञप्ति और हथियार दिखाए जाने चाहिए
10	11

...../...../20 (मोहर)

(हस्ताक्षर)

अनुज्ञापन प्राधिकारी

पदनाम

स्थान

अनुज्ञप्ति नवीकरण का प्ररूप			
नवीकरण की तारीख और वर्ष	तारीख जिस पर नवीकृत अनुज्ञप्ति का अवसान होगा	नवीकरण प्राधिकारी का हस्ताक्षर और पदनाम	मोहर
1	2	3	4

शर्तें

इन नियमों के नियम 112 में रखी गई साधारण शर्तों के अतिरिक्त, यह अनुज्ञप्ति निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन रहते हुए होगी—

1. यह अनुज्ञप्ति—

(क) आयुध अधिनियम, 1959 और आयुध नियम, 2016 के सभी उपबंधों के अधीन अनुदत्त की जाती है ;

(ख) यथास्थिति, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के संदर्भ में जहाँ उक्त अधिनियम लागू है, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंध 11 और 39 (1972 का 53) या अन्य सुसंगत धाराओं के अधीन अनुदत्त है ।

2. अनुज्ञप्तिधारी स्तम्भ 7 में अंतर्विष्ट स्थान या क्षेत्र के अलावा अन्य स्थान या क्षेत्र में, जंगली जानवर, जो मनुष्यों या पशुओं को हानि और फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, के सद्भावपूर्वक विनाश से अन्यथा इस अनुज्ञप्ति के अंतर्गत आने वाले किसी आयुध का वहन नहीं करेगा ।

3. अनुज्ञप्तिधारी, नियम 23 में दी गई अधिकतम सीमाओं के अधीन रहते हुए, अनुज्ञप्ति के स्तम्भ 5 और 6 के अधीन अधिकतम अनुज्ञात से अधिक किसी प्रकार के गोला बारूद का क्रय या कब्जों नहीं करेगा ।

4. अनुज्ञप्तिधारी किसी आयुध या गोलाबारूद की खरीद के समय विक्रेता के हस्ताक्षर अधीन अपनी अनुज्ञप्ति पर निम्नलिखित विशिष्टियों को पृष्ठांकित करेगा, अर्थात् :—

(क) व्यक्ति, जो क्रय की गई वस्तुओं का परिदान करता है, का नाम, विवरण और निवास ;

(ख) क्रय की गई वस्तुओं की प्रकृति और परिमाण, और

(ग) क्रय की तारीख ;

और यदि आयुध अनुज्ञप्ति व्यवहारी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से क्रय किया जाता है, तो वह प्राधिकरण के समक्ष जिसने उसे अनुज्ञप्ति अनदत्त की थी, को खंड (ख) और (ग) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों को लिखित रूप में ऐसे प्राधिकरण द्वारा इस प्रयोजन के लिए विहित अवधि के भीतर देगा ।

5. अनुज्ञप्तिधारी स्तम्भ (9) में विनिर्दिष्ट अनुदत्त या विस्तारित समय सीमा के भीतर, अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष, अनुज्ञप्ति के साथ आयुध को अर्जित और प्रस्तुत करेगा । यदि अनुज्ञप्तिधारी विनिर्दिष्ट या विस्तारित अवधि के भीतर आयुध अर्जित करने और आयुध या अनुज्ञप्ति या दोनों को प्रस्तुत करने में असफल रहता है, यथास्थिति, अनुज्ञप्ति प्रकृत नहीं रहेगी ।

6. जंगली जानवर, जो मनुष्यों या पशुओं को हानि और फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं के लिए अनुदत्त इस अनुज्ञप्ति और इसके अंतर्गत आने वाले हथियारों को अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक वर्ष में एक बार 15 वर्ष नवंबर और 31 दिसम्बर के बीच स्तम्भ 11 में निर्दिष्ट मेजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगा ।

7. आगे,

(क) अनुज्ञप्तिधारी, इस अनुज्ञप्ति के अंतर्गत आने वाले किसी आयुध या गोला बारूद को किसी व्यक्ति को उधार नहीं देगा

(ख) जहाँ, किसी फसल के मौसम को समाप्ति के पश्चात्, राज्य सरकार के विचार से यह समीचीन है कि किसी क्षेत्र में वन्य जीव के संरक्षण के लिए इस प्रकार का कोई अनुज्ञप्ति आयुध या गोला बारूद पुलिस थाने में या अनुज्ञप्ति व्यवहारियों के पास जमा करना चाहिए, जो आदेश द्वारा ऐसी अवधि के लिए किसी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसे अग्न्यायुध या गोलाबारूद को जमा करने की अपेक्षा करता है जिसमें फसलों के संरक्षण और जैसा इसमें विनिर्दिष्ट हो सके के लिए आयुध अपेक्षित नहीं है, और ऐसा होने पर अनुज्ञप्तिधारी ऐसे आदेश की अनुपालन के लिए बाध्य होगा ।

8. किन्हीं पूर्वगामी शर्तों के उल्लंघन के लिए इस अनुज्ञप्ति के अमान्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यह शून्य होगी, यदि—

(क) अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु हो जाती है ; या

(ख) इसके कोई हथियार—

(i) विक्रित या अंतरित है ; या

(ii) डिक्री के निष्पादन में संलग्न है ;

परन्तु यह कि जहाँ हथियार विक्रित या अंतरित किया गया है, अनुज्ञापन प्राधिकारी, अनुज्ञप्तिधारी को उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट ऐसी अवधि के भीतर समान विवरण के नए हथियार अर्जित करने की अनुज्ञा दे सकता है ।

प्ररूप V

अग्न्यायुध या गोलाबारूद के, खेल/लक्षित अभ्यास के प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्ति का अर्जन/कब्जा और उपयोग

यू आई एन	अनुज्ञप्ति का क्रमांक सं०	मैस, क्लब या संगम या फायरिंग रेंज का नाम, विवरण और स्थान	आयुध और गोलाबारूद जिनको अनुज्ञप्ति धारक कब्जा करने का हकदार है	स्थान जिसके भीतर अनुज्ञप्ति विधिमान्य है	तारीख जिसपर अनुज्ञप्ति अवसान होता है	नियम 18 के अधीन तारीख जिस पर अनुज्ञप्ति या आयुध या दोनों अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष जांच के लिए प्रस्तुत की जाएगी
			किसी एक वर्ष के समय में अधिकतम कब्जाधीन	वर्ष के दौरान अधिकतम क्रय योग्य		
1	2	3	4	5	6	7

मोहर

अनुज्ञापन प्राधिकारी का नाम (बड़े अक्षरों में)/हस्ताक्षर
पदनाम
स्थान
या
नियम 5 के अधीन अनुज्ञप्ति हस्ताक्षर करने के लिए
विशेष रूप से सशक्त अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम
स्थान

अनुज्ञप्ति के नवीकरण का प्ररूप				
नवीकरण की तारीख और वर्ष	तारीख जिस पर नवीकृत अनुज्ञप्ति का अवसान हुआ	नवीकरण प्राधिकारी का नाम (बड़े अक्षरों में) हस्ताक्षर और पदनाम	नियम 5 के अधीन अनुज्ञप्ति को हस्ताक्षरित करने के लिए विशेष रूप से सशक्त अधिकारी का हस्ताक्षर और पदनाम	मोहर
1	2	3	4	5

शर्तें

इन नियमों के नियम 112 में रखी गई साधारण शर्तों के अतिरिक्त, यह अनुज्ञप्ति निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन रहते हुए होगी—

(1) आयुध अधिनियम, 1959 और आयुध नियम, 2016 के सभी उपबंधों के अधीन रहते हुए यह अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाती है।

(2) इसके अंतर्गत केवल नामित मैस, क्लब, संगम या फायरिंग रेंज और इसमें वर्णित आयुध और गोला बारूद आते हैं।

(3) अनुज्ञप्ति धारक स्तम्भ 8 में यथाविनिर्दिष्ट अनुदत्त या विस्तारित समय सीमा के भीतर, अनुज्ञप्ति सहित आयुध का अर्जन और उत्पादन एक साथ अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष करेगा। यदि अनुज्ञप्ति धारक विनिर्दिष्ट या विस्तारित समय के भीतर आयुध को अर्जित और अनुज्ञप्ति या आयुध या दोनों को प्रस्तुत करने में असफल रहता है, यथास्थिति अनुज्ञप्ति प्रकृत नहीं रहेगी।

(4) अनुज्ञप्तिधारी, किसी आयुध या गोलाबारूद के क्रय के समय, विक्रेता के हस्ताक्षर के अधीन अपनी अनुज्ञप्ति पर निम्नलिखित विशिष्टियों को पृष्ठंकित करेगा, अर्थात्

(क) व्यक्ति जो मैस, क्लब या संगम की ओर से क्रय की गई वस्तुओं का परिदान करता है, का नाम, विवरण और निवास ;

(ख) क्रय की गई वस्तुओं की प्रकृति और परिमाण ; और

(ग) क्रय करने की तारीख ;

और यदि आयुध या गोलाबारूद, अनुज्ञप्त व्यवहारी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से क्रय करता है, तो इस प्रयोजन के लिए उस प्राधिकरण द्वारा विहित ऐसी अवधि जिसके भीतर प्राधिकारी जिसने यह अनुज्ञप्ति अनुदत्त की है को खंड (ख) और (ग) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों को लिखित में प्रस्तुत किया जाएगा।

(5) अनुज्ञप्तिधारी का लिखित प्रमाणपत्र जो प्रस्तावित क्रय की रकम को प्रमाणित करता हो के सिवाय गोलाबारूद का क्रय तथापि अनुज्ञात नहीं है, उसके कब्जाधीन गोलाबारूद का कुल परिमाण, जो वह एक समय में कब्जा करने का हकदार है या 2 वर्ष के लिए उसके कुल भत्ते से, अधिक नहीं होगा।

(6) मैस, क्लब या संगम या फायरिंग रेंज अनुज्ञप्ति के स्तम्भ 4 और 5 के अधीन अनुज्ञात परिमाण से अधिक या अधिकतम गोला बारूद का क्रय का कब्जा नहीं करेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा एक वर्ष में क्रय योग्य रकम और किसी एक समय में रखी जा सकने वाली रकम, का समय समय पर निर्धारण कर जा सकता है। स्वयं के उपयोग हेतु उपयुक्त गोलाबारूद और ऐसी मैस, क्लब, संगम या फायरिंग रेंज के रजिस्ट्रीकृत सदस्यों द्वारा उपयुक्त को अंतर्विष्ट करने के लिए अर्जित और उपयुक्त गोला बारूद की तालिक पोषित की जाएगी।

प्ररूप V-अ

प्राधिकार पत्र

[नियम 36 (4) के अधीन उधारदाता द्वारा जारी किया जाना है]

उधारदाता की विशिष्टियां

1.	उधारदाता का नाम, जो समर्पित खिलाड़ी है	
2.	यू आई एन	
3.	अनुज्ञप्ति संख्या	
4.	अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की अवधि	
5.	अनुज्ञप्ति में यथा उल्लिखित पता	
6.	दूरभाष/मोबाइल संख्या	

ऋणी की विशिष्टियां

1.	ऋणी का नाम, जो समर्पित खिलाड़ी है	
2.	माता-पिता/पति-पत्नी का नाम	
3.	सदस्यता संख्या (ऋणी के राईफल क्लब या संगम का रजिस्ट्रीकृत सदस्य होने की दशा में)	
4.	निवास का पता	
5.	दूरभाष/मोबाइल संख्या	
6.	प्राधिकरण के अनुदत्त का प्रयोजन (प्रशिक्षण/लक्ष्य/अभ्यास/खेल आयोजन)	
7.	अवधि जिसके हेतु प्राधिकार को जारी किया जा रहा है (अधिकतम अवधि : 3 मास)	
8.	क्षेत्र जिसके भीतर प्राधिकरण विधिमान्य है	
9.	शूटिंग रेंज का नाम और पता जहां अग्न्यायुध और गोला बारूद का वहन किया जाना है	

आयुध और गोलाबारूद, जिसे ऋणी प्रशिक्षण/लक्ष्य अभ्यास के लिए वहन और उपयोग करने का हकदार है, का ब्यौरा			
विशिष्टियां	अग्न्यायुध-1	अग्न्यायुध-2	अग्न्यायुध-3
अग्न्यायुध का ब्यौरा			
प्रकार			
बोर			
संख्या			
गोला बारूद			
कारतूस की संख्या			
उपसाधन			

(उधारदाता का नाम और हस्ताक्षर)

प्ररूप V-आ

राईफल क्लब/संगम के सदस्य को पास (क्लब/संगम के मुद्रित लेटरहेड पर जारी किया जाए)	
अनुज्ञप्तिधारी की विशिष्टियां	
1.	राईफल क्लब/संगम का नाम
2.	यू आई एन
3.	अनुज्ञप्ति संख्या
4.	जिम्मेदार व्यक्ति का नाम
5.	रजिस्ट्रीकृत पता
6.	दूरभाष/मोबाईल संख्या
सदस्य जिसे पास जारी किया जा रहा है, की विशिष्टियां	
1.	सदस्य का नाम
2.	माता-पिता/पति-पत्नी का नाम
3.	सदस्यता संख्या
4.	निवास पता
5.	दूरभाष/मोबाईल संख्या
6.	पास के अनुदत्त का प्रयोजन (मरम्मत/प्रशिक्षण/लक्ष्य अभ्यास/खेल आयोजन)
7.	अवधि जिसके पास जारी किया जा रहा है
8.	क्षेत्र जिसके भीतर पास विधिमान्य है
9.	शूटिंग रेंज का नाम और पता जहां अग्न्यायुध और गोला बारूद का वहन किया जाना है

आयुध और गोलाबारूद, जिसे पास धारक मरम्मत/प्रशिक्षण/लक्ष्य अभ्यास के लिए वहन करने का हकदार है, का ब्यौरा			
विशिष्टियां	अग्न्यायुध-1	अग्न्यायुध-2	अग्न्यायुध-3
अग्न्यायुध का ब्यौरा			
प्रकार			
बोर			
संख्या			
गोला बारूद			
कारतूस संख्या			
उपसाधन			

शूटिंग क्लब/संगम की ओर से जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित/स्टांपित

प्ररूप VI
अस्थाई आयात/निर्यात अनुज्ञप्ति
अनुज्ञप्ति संख्या

*अनुज्ञप्तिधारी का प्रवर्ग जैसा लागू हो	अनुज्ञप्तिधारी का नाम और विवरण, अनुज्ञप्तिधारी की राष्ट्रीयता और पासपोर्ट संख्या या खेलने वाली टीम/समूह का समूह नेता या प्रबंधक	आयुध या गोलाबारूदजो प्रवर्ग (1) में उल्लिखित अनुज्ञप्तिधारी कब्जा करने और वहन करने का हकदार है	प्रत्येक हथियार का संक्षिप्त विवरण	प्रत्येक तरह के गोलाबारूद का परिमाण और विवरण	भारत में आगमन का स्थान	भारत प्रस्थान स्थान	में का	अवधि जिसके लिए अनुज्ञप्ति विधिमान्य है
1	2	4	5	6	7	8		

मोहर

(हस्ताक्षर)

अनुज्ञापन प्राधिकारी

पदनाम

स्थान

* ऊपर दिए गए स्तम्भ 1 के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी का प्रवर्ग

प्रवर्ग	अनुज्ञप्ति का प्रकार	अनुसूची I में विनिर्दिष्ट आयुध का प्रवर्ग
(क)	खिलाड़ी, शूटिंग खेल आयोजन के दौरान या विज्ञा की विधिमान्यता तक, जो भी पहले हो, के लिए भारत में आयात करने कब्जाधीन, उपयोग (शूटिंग खेल आयोजन हेतु), यात्रा, आर-पार परिवहन और भारत से बाहर निर्यात का हकदार है	III
(ख)	पर्यटक, भारत में अपने ठहरने के दौरान, अर्जन, कब्जा (परंतु उपयोग नहीं) करने का वहन/निर्यात भारत के बाहर करने का हकदार है	III, IV, V
(ग)	विदेशी आगंतुक, आयात, कब्जा, व्यापार या खेल शो परसंप्रदर्शन करने और भारत से बाहर निर्यात करने का हकदार है	III
(घ)	विदेशी सरकार का कोई अधिकारी या विख्यात विदेशी आगंतुक या विदेशी विधि प्रवर्तन अधिकारी, विदेश मंत्रालय के पूर्विक अनुमोदन के साथ आयात, कब्जा, वहन और भारत से बाहर निर्यात करने का हकदार है	III
(ङ)	एक विधिसम्मत व्यक्ति, केन्द्रीय सरकार के पूर्विक अनुमोदन के साथ आयात, कब्जा, वहन और भारत से बाहर निर्यात करने का हकदार है	III

शर्तें

1. यह अनुज्ञप्ति आयुध अधिनियम, 1959 और आयुध नियम 2016 के सभी उपबंधों के अधीन प्रदान की जाती है।
2. इसके अंतर्गत केवल वे व्यक्ति जिनके नाम और वह आयुध और गोला-बारुद जो इसमें विहित है, आते हैं।
3. किसी भी भारतीय बन्दरगाह पर पहुँचने पर, पासपोर्ट/वीजा के साथ अनुज्ञप्ति पहुँच के बन्दरगाह के अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा, इसके साथ अनुज्ञप्तिधारी से एक वचनबंध लिया जाएगा कि भारत में उसके प्रवास की अवधि में अनुज्ञप्ति पर पृष्ठांकित आयुध या गोला-बारुद को किसी अन्य व्यक्ति विक्रय या अन्तरण नहीं करेगा जिसके लिए इस संबंध में अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा उस पासपोर्ट/वीजा में जिसमें, उस आयुध और गोला-बारुद जिसके लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, की पूर्ण विशिष्टता दी गई है, पृविष्टि की जाएगी।
4. भारत में प्रवास की अवधि में अनुज्ञप्तिधारी, जब तक कि अनुज्ञप्ति प्रदान करने वाले प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त किया गया हो, आयुध या गोला-बारुद को किसी मेले के धार्मिक जलूस में या अन्य किसी पब्लिक संग्रह में या निवेश के अन्दर या किसी शैक्षणिक संस्थान के परिवेश में या किसी अग्न्यायुध मुक्त क्षेत्र में नहीं ले जा सकेगा।

5. अनुज्ञप्ति

- (क). किसी मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी या किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मांग करने पर इस अनुज्ञप्ति के अंतर्गत आने वाले अग्न्यायुध को प्रस्तुत करेगा।
 - (ख). इस अनुज्ञप्ति के अंतर्गत आने वाले आयुध या गोला-बारुद के खो जाने पर या चोरी हो जाने पर तत्काल निकटतम पुलिस स्टेशन को सूचना देगा।
6. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, जब वह भारत में होगा, इस अनुज्ञप्ति के अंतर्गत आने वाले किसी आयुध या गोला-बारुद या उसके किसी भाग को किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय किया जाना या अन्तरण किया जाना प्रतिषेध होगा।
 7. अनुज्ञप्तिधारी भारत को छोड़ते समय अग्न्यायुध को प्रस्तुत करेगा और बन्दरगाह पर या भारत से प्रस्थान के अन्य स्थान पर इस निमित्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सशक्त पासपोर्ट जांच प्राधिकारी या अन्य अधिकारी को अपनी अनुज्ञप्ति वापिस करेगा।
 8. श्रेणी IV आयुध का नियति केवल जब अनुज्ञात किया जाएगा यदि आवेदन के साथ केन्द्रीय सरकार के पुरातत्व विज्ञान के महा-निदेशक का यह प्रमाण-पत्र कि नियति किया जाने वाला आशयित आयुध पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 (1972 का 52) के अधीन पुरावशेष की परिभाषा में नहीं आता है, लगा हुआ है।

प्ररूप VII**यू आई एन----- अनुज्ञप्ति संख्या-----****अग्न्यायुध/गोला-बारुद
के****विनिर्माण -----प्रमाण-----विनिर्माण और प्रमाण परीक्षण के लिए अनुज्ञप्ति**

अनुज्ञप्ति	विनिर्माण किए जाने वाले अनुज्ञात अग्न्यायुध का विवरण		गोला बारुद का विवरण		प्रमाण परीक्षण किए जाने वाले अग्न्यायुध का प्रति वर्ग	उस रेंज या अन्य स्थान का नम जहां परीक्षण को अनुज्ञात किया गया है	अनुज्ञप्ति के अवसान की तारीख
	प्रवर्ग	वार्षिक उत्पादन (संख्या)	प्रवर्ग	वार्षिक उत्पादन (संख्याक या किग्रा में भार			
1	2	3	4	5	6	7	8

-----20-----
 तारीख जब एक प्रति नियम 7 (2) के द्वारा -----राज्य सरकार के -----जिले के जिला मजिस्ट्रेट को भेजी गई है।
 -----20-----
 (मोहर)

(हस्ताक्षर)
 सचिव/संयुक्त सचिव
 भारत सरकार, गृह मंत्रालय
 या
 नियम 5 के अधीन अनुज्ञप्ति पर
 हस्ताक्षर करने के लिए विशेष रूप से
 सशक्त अधिकारी का हस्ताक्षर और
 पदनाम

अनुज्ञप्ति के नवीकरण का प्ररूप			
नवीकरण की तारीख और वर्ष	नवीकृत अनुज्ञप्ति के अवसान की तारीख	नवीकरण करने वाले प्राधिकारी का हस्ताक्षर	मोहर
1	2	3	4

शर्तें

- (क) यह अनुज्ञप्ति आयुध अधिनियम, 1959 और आयुध नियम, 2016 के सभी उपबंधों के अधीन प्रदान की जाती है।
- (ख) यह अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्तिधारी को क्रमशः स्तंभ 3 और स्तंभ 5 में यथाविनिर्दिष्ट अग्न्यायुध या गोला बारुद के विनिर्माण, या प्रमाण परीक्षण का हक देता है
- अनुज्ञप्तिधारी से अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के 7 वर्ष के अन्दर कारखाना परिसर का सन्निर्माण करना, संयंत्र और मशीनरियों को स्थापित करना अपेक्षित होगा।
- अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्ति की आरम्भिक विधि मान्य अवधि के अन्दर परीक्षण करना और आदिप्ररूप विकसित करना अनुज्ञात है।
- अनुज्ञप्तिधारी को अधिमानतः उत्पाद डिजाईन और विकास के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना चाहिए और विनिर्मित प्रमाण परीक्षण किये जाने वाले उत्पाद के अनुरक्षण और जीवन चक्र सहायता की सुविधा होना चाहिए।
- विदेशी सहयोगी से या देशी अनुसंधान और विकास से अनुज्ञप्ति के अधीन उत्पादित किए जाने वाले अग्न्यायुध और गोला बारुद के लिए मानक और परीक्षण प्रक्रियाओं को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सरकार नामित गुणवत्ता आश्वासन एंजिनी को उपलब्ध कराया जायेगा, जो अनुज्ञप्तिधारी के वाणिज्यिक उत्पादन को प्रारम्भ करने की अनुज्ञा के लिए आवेदन करने से पहले तैयार उत्पाद का परीक्षण और निगरानी द्वारा और गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रिया की संपरीक्षा करके निरीक्षण करेगी।
- किसी नई विनिर्माण या प्रमाण परीक्षण सुविधा की स्थापना करने वाला अनुज्ञप्तिधारी, अग्न्यायुध और गोला बारुद के विनिर्माण हेतु वाणिज्यिक उत्पादन के लिए सूचना फाईल करने से पहले, रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा तैयार सुरक्षा निर्देशिका में अन्तर्विष्ट सुरक्षा शर्तों का पूर्ण रूप से अनुपालन करेगा।
- (क) अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्तिधारी को, अनुज्ञप्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से किसी प्रत्यायित शूटिंग रेंज में परीक्षण के लिए किसी अग्न्यायुध या गोला बारुद को ले जाने का हकदार बनाती है।
- (ख) अनुज्ञप्ति, केवल तब तक विधि मान्य है जब तक अनुज्ञप्तिधारी उसके स्तंभ 1 में दर्शित जारी रखता है और यदि कारबार लगातार छः मास की अवधि से अधिक जारी नहीं रहता है तो यह स्वमेव ही व्यपगत हो जायेगा।
- (ग) अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति प्राधिकारी की मंजूरी के बिना इस अनुज्ञप्ति से संबंधित कोई भागीदारी नहीं करेगा।
- अनुज्ञप्तिधारी सभी विनिर्मित या प्रमाण परीक्षित अग्न्यायुध का विनिर्मित या अन्तरित सभी गोला बारुद का हाथ में सभी स्टॉक का, और सभी त्रिक्रय का, ऐसे प्ररूपों में जो नियमों में विहित किए हैं विरि----- को दर्शाते हुए रजिस्ट्र का अनुरक्षण करेगा, और अनुज्ञप्तिधारी उन अग्न्यायुध पर जिन्हें इन नियमों के नियम 59 के अनुसार प्रमाणित किया गया है प्रमाण परीक्षण और स्टाम्प परीक्षण-चिन्ह के कार्य को जारी रखेगा।

8. अनुज्ञप्तिधारी, किसी मजिस्ट्रेट या केन्द्रीय सरकार ऐसी निदेश करती है, पुलिस अधिकारी निरीक्षक या कोई उप-निरीक्षक पक्ति से अन्युन रैक का कोई मांग करने पर अपने स्टॉक और अपने रजिस्ट्रार को निरीक्षण हेतु उपलब्ध करायेगा।
9. अनुज्ञप्तिधारी अपने कारबार के स्थान और कारखाने के उस भाग पर जो सहृदयमान हो पर कोई ऐसा साइन बोर्ड लगायेगा जिस पर अंग्रेजी/हिंदी और जिले की भाषा में उसका नाम और अग्न्यायुध तथा गोला बारुद के विनिर्माण और /या प्रमाण परीक्षण के लिये अनुज्ञप्त शब्द बड़े अक्षरों में लिखे होंगे।
10. अनुज्ञप्तिधारी स्तंभ 2 और 4 के अधीन विनिर्माण किए जाने वाले अग्न्यायुध और गोला-बारुद का विनिर्माण नहीं करेगा, केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना और ऐसी शर्तों के अधीन जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए के सिवाय अपने कारबार का विस्तार नहीं करेगा।
11. अनुज्ञप्तिधारी उसके द्वारा विनिर्मित किसी अग्न्यायुध का किसी को तब तक नहीं विक्रय नहीं करेगा जब तक कि -----
 (क) ऐसे अग्न्यायुध को किसी सरकारी स्थापन या इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्त किसी प्रमाण गृह या संयुक्त अनुज्ञप्ति की दशा में गृह में प्रमाण परीक्षित द्वारा सम्यक रूप से प्रमाण परीक्षित नहीं किया गया है।
 (ख) ऐसे अग्न्यायुध पर प्रमाण-चिन्ह न लगा हो और
 (ग) ऐसे अग्न्यायुध पर नियम 58 द्वारा अपेक्षित पहचान चिन्ह नहीं लगा है।
12. अनुज्ञप्तिधारी अग्न्यायुध या गोला-बारुद का स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट कारबार या कारखाने के स्थान से अन्यत्र कहीं विक्रय नहीं करेगा।
13. अनुज्ञप्तिधारी विनिर्माण के समय अग्न्यायुध पर स्टाम्प किये गए या अन्यथा विनिर्माता क्रम संख्याक और अन्य पहचान चिन्हों की, यदि कोई हो, अपने रजिस्ट्रार में प्रविष्ट करेगा।
14. अनुज्ञप्तिधारी अग्न्यायुध और गोला बारुद के सभी विक्रय और अन्तरण की जानकारी ऐसी व्यक्तियों को और ऐसी रीति में देगा जैसा केन्द्रीय सरकार निदेश कर देगा।
15. अनुज्ञप्तिधारी किसी ऐसे व्यक्ति को, जो अग्न्यायुध या गोला बारुद के कब्जे के या साथ रखने के लिए अनुज्ञप्त है, उस प्रभाव के ऐसे व्यक्ति पहला लिखित प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना गोला बारुद की किसी मात्रा का विक्रय या अंतरण नहीं करेगा कि उसके द्वारा क्रय किए जाने वाले प्रस्तावित गोला बारुद की मात्रा उसके कब्जे में कुल मात्रा उस मात्रा से अधिक नहीं होगी जिसका वह वर्ष में किसी एक समय पर कब्जे या वर्ष अपने कुल अनुज्ञात का हकदार है।
 परंतु वह किसी व्यक्ति को गोला बारुद की किसी ऐसी अधिकतम मात्रा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे व्यक्ति के लिए नियत किया गया है या जिसे ऐसे व्यक्ति के अनुज्ञप्ति पर पृष्ठांकित किया गया है, से अधिक मात्रा की दशा में विक्रय या अंतरण नहीं करेगा।
16. अनुज्ञप्तिधारी अग्न्यायुध या गोला बारुद को किसी ऐसी व्यक्ति को जिसके पास प्ररूप III, प्ररूप IV या V में अनुज्ञप्ति है विक्रय या अन्तरण के समय अनुज्ञप्ति पर निम्नलिखित पृष्ठांकित करेगा-
 (क) उस व्यक्ति का नाम, वर्णन घर का पता जो विक्रय या अन्तरित वस्तुओं को लेता है।
 (ख) विक्रय या अन्तरित वस्तुओं की प्रकृति और मात्रा
 (ग) विक्रय या अन्तरण की तारीख और पृष्ठांकन पर हस्ताक्षर करेगा (और अपनी मोहर लगायेगा)
17. अनुज्ञप्तिधारी सिक्की ऐसे अधिकारी, गैर समीशन प्राप्त अधिकारी या संध की सशस्त्र सेना सैनिक को अग्न्यायुध और गोलाबारुद का विक्रय नहीं करेगा, जब तक कि ऐसी व्यक्ति कमांड करने वाले अपने अधिकारी द्वारा लिखित प्रवेश पत्र या अनुज्ञता प्रस्तुत नहीं करता है, और तब केवल उस विस्तार तक और ऐसी शर्तों पर करेगा जैसा प्रवेश पत्र या अनुज्ञता में विनिर्दिष्ट किया गया है।

नियम 56 (5) के अनुसार तालिका प्रबंधन पद्धति से संबंधित शर्तें**1.1 शक्तियों का पृथक्करण**

यह सुनिश्चित करने के लिए कि अग्न्यायुध और गोला बारुद सुविधा के विनिर्माण के प्रबंधन में लगे हुए कार्मिकों को एक साथ ऐसा उत्तरदायित्व न दिया जाए जिससे कि उपकरणों की दृष्टि से छिपने पर या अग्न्यायुध को चुराया या अन्यथा उपयोजन करना उनके लिए सुविधाकर हो जाए, ऐसे रोक और संतुलन लगाये जाने चाहिए। उदाहरण के लिए

- (क) भंडारण, लेखो और संपरीक्षा के कृत्यों को करने के लिए उसी कार्मिक को एक साथ उत्तरदायी नहीं बनाया जाना चाहिए।
- (ख) अग्न्यायुध के अन्तरण का भौतिक सत्यापन करने वाले उत्तरदायी कार्मिक को अग्न्यायुध अन्तरण के भौततत्त्विक अभिलेखों के संचालन के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जाना चाहिए।
- (ग) अग्न्यायुध लेखो के लिए उत्तरदायी कार्मिक को भंडार कार्मिक की सीधी निगरानी के बिना स्टॉक जांच में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।
- (घ) अग्न्यायुध स्टॉको की स्वतन्त्र निकायो द्वारा नियमित बाह्य संपरीक्षा की जानी चाहिए।

1.2. अग्न्यायुध लेखा

प्रत्येक विनिर्माण सुविधा पर एक ऐसे लेखा का अनुरक्षण किया जाना चाहिए जो भंडार में प्रत्येक अग्न्यायुध के लिए निम्नलिखित सूचना का अभिलेख रखता है।

- (क) बनावट
- (ख) माडल
- (ग) कैलीबर
- (घ) क्रमांक संख्या
- (ङ) तैयार स्टॉक में प्रविष्ट तारीख
- (च) अंतरित/विक्रय/नियति की तारीख
- (छ) संशोधनों और/या मरम्मतों का अभिलेख: और
- (ज) प्रकार द्वारा अहंग किए गए अग्न्यायुध की कुल मात्रा

अग्न्यायुध लेखा को इलेक्ट्रानिक प्ररूप में रखना चाहिए और उसका बैकअप भी होना चाहिए। बैकअप इलेक्ट्रानिक और हाई प्रति दोनो में होना चाहिए, लेकिन केवल हाई प्रति में भी रखा जा सकेगा। इसके अतिरिक्त चालू सप्ताह को संव्यवहारों के खत्म होने से पहले अपलोड करना आवश्यक है।

किसी भी प्ररूप में लिए गए बैकअप को, हथियारों के लेखा कार्यालय में चोरी, जो जानेस आग हग जाने आदि की घटना में सभी डाटा की हानि से बचने के लिए उन्हें मूल तता एक दूसरे से अहंग रखा जाना चाहिए। अग्न्यायुध लेखों को अन्नत तक रखा जाना चाहिए।

1.3. अग्न्यायुध का जारी किया जाना

केवल प्राधिकृत अधिकारी ही अग्न्यायुध और गोला बारुद को भंडार क्षेत्र की विनिर्माण इकाई से हटा कसेंगे। सकारात्मक रूप से पहचान करने के लिए और भंडार क्षेत्र करने के लिए और प्राधिकृत व्यक्तियों को अधिप्राप्तित करने के लिए एक पद्धित को विससित किया जायेगा और हागू किया जाएगा ऐसी किसी पद्धति में किसी ऐसी रजिस्टर या लोग को सम्मिलित किया जाना चाहिए जिसमें सुगमता से उन अग्न्यायुध लेखों के साथ प्रति निर्देशित किया जा सके जिनमें कम से कम निम्नलिखित सूचानों अभिलिखित हो-

- (क) अग्न्यायुध/अग्न्यायुधों को हटाने वाले व्यक्ति का नाम और हस्ताक्षर।
- (ख) अग्न्यायुध/अग्न्यायुधों को जारी करने और वापिस करने की तारीख और समय।
- (ग) हटाए गए तथा वापिस किए गये अग्न्यायुध/अग्न्यायुधों का बनावट, मांडल और क्रमांक संख्या।
- (घ) अग्न्यायुध/अग्न्यायुधों को हटाने का प्रयोजन

1.4 स्टांक जांच

अग्न्यायुध स्टांक की विषय वस्तु को अग्न्यायुध लेखा के सापेक्ष नियमित आधार पर स्थापित किया जाना चाहिए, विशेषतया-

(क) अग्न्यायुध की उसकी मात्रा और प्रकार से एक भौतिक स्टांक जांच की जानी चाहिए-

- लघु मात्रा में विनिर्माण की इकाई की दशा में प्रत्येक दिन
- वृहत् मात्रा में विनिर्माण इकाई की दशा में प्रत्येक सप्ताह

(ख) स्टांक में अग्न्यायुध के कम से कम 10 प्रतिशत क्रमांक संख्या द्वारा भौतिक स्टांक जांच की जानी चाहिए

- लघु मात्रा में विनिर्माण की इकाई की दशा में प्रत्येक सप्ताह वृहत् मात्रा में विनिर्माण की इकाई की दशा में प्रत्येक माह।

(ग) मात्रा प्रकार और क्रमांक संख्या द्वारा एक 100 प्रतिशत भौतिक स्टांक जांच की जानी चाहिए-

- भंडार में अग्न्यायुध की मात्रा को ध्यान में रखे बिना प्रत्येक छः माह
- जब भा चिवियों की अभिरक्षा का अन्दर आने वाले और बाहर जाने वाले जाबी अभिरक्षक स्थाई रूप से अन्तरण किया जाता है।

(झ) हानियों को रिपोर्ट करना और जांच

अग्न्यायुध की किसी हानि या चोरी के संदेह को शीघ्र रूप से समुचित प्राधिकारी को रिपोर्ट किया जायेगा जो अग्न्यायुध प्रबंधन पद्धति से असंबन्धित किसी व्यक्ति या संघटन द्वारा किसी स्वतन्त्र जांच को शीघ्र प्रेरित करेगा।

किसी जांच रिपोर्ट में निम्नलिखित सूचनाओं को सम्मिलित करके समेकित किया जाना चाहिए:

(क) अग्न्यायुध जिसमें निम्नलिखित है की पहचान करना

- (1) बनावट
- (2) माडल
- (3) कैलीबर
- (4) क्रमांक संख्या

(ख) अर्न्तवर्तित तारीख, अवस्थिति और इकाई

(ग) हानि की परिस्थितियों का सारांश

(घ) हानि का स्पष्टीकरण (उदाहरणार्थ उपेक्षा, चोरी, आदि)

(ङ) की गई अनुशासनात्मक और /या अपराधिक कार्रवाई

(च) पुनः घटना से बचने के लिए सिफारिशें

(छ) अग्न्यायुध/ अग्न्यायुधों के वसूली की तारीख और अवस्थिति (यदि लागू हो)

(ज) वसूली की परिस्थितियों का सारांश (यदि लागू हो)

अग्न्यायुध की हानि या चोरी की पहचान, जैसा कि ऊपर (क) में उपवर्णित हैं, को वसूरी पर समय से उनकी पहचान को सुकर बनाने के लिए एन डी ए एल पद्धति में अभिलेखित और प्रतिधारित किया जाएगा।

तालिक समायोजन के प्रसंस्करण से समय किसी अग्न्यायुध हानि को लेखा या तालिका विसंगति नहीं माना जा सकेगा जब तक की जांच द्वारा यह अवधारित नहीं किया गया है कि हानि किसी चोरी का परिणाम नहीं था।

1.5 अधिशेष स्टांक का अवधारण

उन अग्न्यायुधों जो राष्ट्रीय /अंतर्राष्ट्रीयकी अपेक्षाओं से अधिशेष हो गया हैं के प्रकार और संख्याओं का अवधारण करने के दृष्टिकोण से अग्न्यायुधों के प्रकार और संख्याओं का पुनर्विलोकन करना विनिर्माण इकाईयों का परमाधिकार है।

अधिशेष स्टांक ऐसे कार्यशील (जसमें उनके भाग, संघटक और गोलाबारुद भी शामिल है के रूप में ज्ञात है आन्तरिक और बाह्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हाज्य की आयुध सेवाओं द्वारा अब अपेक्षित नहीं है और न ही विधिपूर्ण ता को निर्यात नियत किया जा सकता है। अधिशेष होने वाले अवधारित अग्न्यायुध।

(क) अधिशेष के रूप में शकासकीय रूप से घोषित किया जाना चाहिए।

(ख) अग्न्यायुध के लेखा में अधिशेष के रूप में अभिलेखित किया जाना चाहिए।

- (ग) सेवाओं से बाहर किया जाना चाहिए।
 (घ) पृथक रूप से भंडारित किया जाना चाहिए: और
 (ङ) दिशा-निर्देशों के अनुसार नष्ट किया जाना चाहिए।

प्ररूप - V।- अ

अनुसूची I के प्रवर्ग V के आयुध और गोला-बारुद विनिर्माण, विक्रय, अन्तरण, विक्रय के लिए रखने, अन्तरण की अनुज्ञप्ति

यू आई एन-	अनुज्ञप्ति संख्या विवरण	अनुज्ञप्ति का नाम और कारबार का पता	विनिर्मित किए जाने वाले अनुज्ञात आयुध का विवरण (केवल प्रवर्ग)	अनुज्ञप्ति के अवसान की तारीख
1	2	3	4	5

-----20------(मोहर)

(हस्ताक्षर)

नियम 5 के अधीन अनुज्ञप्ति पर
हस्ताक्षर करने के लिए
सशक्त अधिकारी या अनुज्ञप्ति प्राधिकारी

पदनाम-----

स्थान-----

अनुज्ञप्ति के नवीकरण का प्ररूप			
नवीकरण की तारीख और वर्ष	तारीख जब नवीकृत अनुज्ञप्ति का अवसान होता है	नवीकरण प्राधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम	मोहर
1	2	3	4

शर्तें

- (क) यह अनुज्ञप्ति आयुध अधिनियम, 1959 और आयुध नियम, 2016 के सभी उपबंधों के अधीन प्रदान की जाती है।
 (ख) यह अनुज्ञप्ति केवल तब तक विधि मान्य है जब तक अनुज्ञप्तिधारी उसको स्तंभ 3 में दर्शित परिसर में व्यापार या कारबार करना जारी रखता है और यदि कारबार लगातार छः मास की अवधि के अधिक जारी नहीं रहता है तो यह स्वयं ही व्यपगत हो जायेगी।
- अनुज्ञप्तिधारी प्रवर्ग V के किसी अग्न्यायुध का विक्रय या अन्तरण उस व्यक्ति को नहीं करेगा जो ऐसे क्षेत्र में रहता है जिस पर अधिनियम की धारा 4 लागू होती है, जब तक कि, उक्त व्यक्ति उस क्षेत्र में ऐसे अग्न्यायुध का अर्जन करने, धारण करने, या साथ रखने की अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं करता है या उसे अनुज्ञप्ति लेने के बन्धन के छूट दी गई हो।
- अनुज्ञप्तिधारी नियम 86 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोजन के लिए यथा विहित ऐसे प्ररूपों में सभी विशिष्टियों को दर्शाते हुए विनिर्मित, या अन्तरित सभी अग्न्यायुधों और गोलाबारुद के हाथ में उनके सभी स्टॉक के और सभी विक्रय के रजिस्ट्र का अनुरक्षण करेगा।
- अनुज्ञप्तिधारी किसी मजिस्ट्रेट, या किसी पुलिस अधिकारी या यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसा निदेश करने पर निरीक्षक या उप-निरीक्षक से अन्यून पंक्ति के अधिकारी के मांग करने पर अपने स्टॉक और अपने रजिस्ट्र को निरीक्षण के लिए उपलब्ध करायेगा।
- अनुज्ञप्तिधारी अपने कारबार के स्थान, कराखाने, या दुकान के उस भाग पर जो सहजदृश्यमान हो पर कोई ऐसी साईन बोर्ड लगायेगा जिस पर अंग्रेजी/हिंदी में और जिले की भाषा में उसका नाम तथा "प्रवर्ग V के सभी अग्न्यायुध या गोलाबारुद के विनिर्माण/अन्तरण/विक्रय के लिए अनुज्ञात" शब्द बड़े अक्षरों में लिखे होंगे।
- अनुज्ञप्तिधारी स्तंभ (40) के अधीन विनिर्माण किये जाने के लिए अनुज्ञात किये गये उन आयुधों से भिन्न किसी अन्य प्रवर्ग या वर्णन के आयुध का विनिर्माण नहीं करेगा।

प्ररूप – VII- आ

अग्न्यायुध की प्रतिकृति के विनिर्माण विक्रय, अन्तरण विक्रय, अन्तरण के लिए रखने की अनुज्ञप्ति

यू आई एन-	अनुज्ञप्ति संख्या विवरण	अनुज्ञप्ति का नाम और कारबार का पता	विनिर्माण किए जाने वाले अनुज्ञात अग्न्यायुध प्रकृति का विवरण		अनुज्ञप्ति के अवसान की तारीख
			आयुध का प्रवर्ग	वार्षिक उत्पादन संख्या	
1	2	3	4	5	6

-----20------(मोहर)

(हस्ताक्षर)
अनुज्ञप्ति प्राधिकारी या नियम 5 के
अधीन हस्ताक्षर करने के लिए
विशेष रूप से सशक्त अधिकारी

पदनाम-----
स्थान-----

अनुज्ञप्ति के नवीकरण का प्ररूप			
नवीकरण की तारीख और वर्ष	वह तारीख जब नवीकृत अनुज्ञप्ति अवसान होती है	नवीकरण प्राधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम	मोहर
1	2	3	4

शर्तें

- (क) यह अनुज्ञप्ति आयुध अधिनियम, 1959 और आयुध नियम, 2016 के सभी उपबंधों के अधीन प्रदान की जाती है।
(ख) यह अनुज्ञप्ति केवल तब तक विधि मान्य है जब तक अनुज्ञप्तिधारी उसको स्तंभ 3 में दर्शित परिसर में व्यापार या कारबार करना जारी रखता है और यदि कारबार लगातार छः मास की अवधि के अधिक जारी नहीं रहता है तो यह स्वयं ही व्यपगत हो जायेगी।
(ग) अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना अनुज्ञप्ति से संबंधित कोई भागीदारी नहीं करेगा।
- अनुज्ञप्तिधारी के नियम 70 के अधीन यथा विहित ऐसे प्ररूपों में सभी विशिष्टियों को दर्शाते हुए, विनिर्मित, या अन्तरित सभी अग्न्यायुधों और गोला बारुद के हाथ में उनके सभी स्टॉक के और उनके सभी विक्रय के रजिस्ट्र का अनुसरण करेगा।
- अनुज्ञप्तिधारी किसी मजिस्ट्रेट, या किसी पुलिस अधिकारी या यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसा निदेश करने पर निरीक्षक या उप-निरीक्षक से अन्यान्य पंक्ति के किसी अधिकारी के मांग करने पर अपने रजिस्ट्र को निरीक्षण के लिए उपलब्ध करायेगा।
- अनुज्ञप्तिधारी अपने कारबार के स्थान, कराखाने, या दुकान के उस भाग पर जो सहजदृश्यमान हो पर कोई ऐसी साईन बोर्ड लगायेगा जिस पर अंग्रेजी/हिंदी में और जिले की भाषा में अपना नाम तथा "अग्न्यायुध की प्रतिकृति के विनिर्माण/अन्तरण/विक्रय के लिए अनुज्ञात" शब्द बड़े अक्षरों में लिखे होंगे।
- अनुज्ञप्तिधारी स्तंभ (4) के अधीन विनिर्मित की जाने वाली उन अनुज्ञात अग्न्यायुध प्रतिकृति से भिन्न अन्य किसी प्रवर्ग या वर्णन के अग्न्यायुध की प्रतिकृति या विनिर्माण नहीं करेगा।

प्ररूप - VII-इ

वायु शस्त्र जिसमें एयर राईफल्स और एयर पिस्टल भी शामिल हैं के विनिर्माण, विक्रय, अन्तरण, विक्रय के लिए रखने, की अनुज्ञप्ति

यू आई एन-	अनुज्ञप्ति संख्या	अनुज्ञप्तिधारी का नाम विवरण और कारबार का पता	विनिर्मित किए जाने वाले अनुज्ञात वायु का विवरण		अनुज्ञप्ति के अवसान की तारीख
			नालमुख ऊर्जा अंतर्पास सहित वायु के प्रकार	वार्षिक उत्पादन (संख्या)	
1	2	3	4	5	6

-----20------(मोहर)

(हस्ताक्षर)

अनुज्ञप्ति प्राधिकारी या नियम 5 के
हस्ताक्षर करने के लिए विशेषतया
सशक्त अधीन पर अधिकारी

पदनाम-----
स्थान-----

अनुज्ञप्ति के नवीकरण का प्ररूप			
नवीकरण की तारीख और वर्ष	वह तारीख जब नवीकृत अनुज्ञप्ति अवसान होती है	नवीकरण प्राधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम	मोहर
1	2	3	4

शर्तें

- (क) यह अनुज्ञप्ति आयुध अधिनियम, 1959 और आयुध नियम 2016 के सभी उपबंधों के अधीन प्रदान की जाती है
(ख) यह अनुज्ञप्ति के वह जब तक विधिमान्य है जब तक अनुज्ञप्तिधारी उसके स्तंभ (3) में दर्शित परिसर में व्यापार या कारबार करना जारी रखता है और यदि कारबार लगातार छः मास से अधिक अवधि तक जारी नहीं रहता है तो यह स्वमेव ही व्ययगत हो जाएगा।
(ग) अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना इस अनुज्ञप्ति से संबंधित कोई भागादारी नहीं करेगा।
- अनुज्ञप्तिधारी किसी व्यक्ति को किसी वायुशस्त्र जिसमें 20 जूल या 15 फिट एल बी एस से कम या 0.177" से कम बोर या 4.5 मिमी. की नालमुख ऊर्जा वाली एयर राईफल्स और एयर बन्दूके भी शामिल हैं का विक्रय या अन्तरण नहीं करेगा, जब तक कि उक्त व्यक्ति ऐसे वायु शस्त्र को आर्जन करने, धारण करने या साथ रखने की अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं करता है या उसे अनुज्ञप्ति लेने के बन्धन से छूट प्राप्त है।
- अनुज्ञप्तिधारी किसी व्यक्ति को बिना उक्ता से उसके पहचान प्रमाण और निवास प्रमाण प्राप्त करे किसी ऐसे वायुशस्त्र जिसमें 20 जूल या 15 फिट एल बी एस से कम या 0.177" से कम बोर या 4.5 मिमी. की नालमुख ऊर्जा वाली एयर राईफल्स और एयर बन्दूके भी शामिल हैं, का विक्रय या अन्तरण नहीं करेगा।
- अनुज्ञप्तिधारी नियम 65 में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे प्ररूपों में विशिष्टियां दर्शाते हुए विनिर्मित या अन्तरित सभी वायुशस्त्रों के, हाथ में उनके सभी स्टाक के, और उनकी सभी विक्रयों के रजिस्ट्रों का अनुरक्षण करेगा।
- अनुज्ञप्तिधारी किसी मजिस्ट्रेट केन्द्रीय सरकार द्वारा सेवा निदेश करने पर निरीक्षक या उप-निरीक्षक की पंक्ति से अन्यून किसी पुलिस अधिकारी के मांग करने पर अपने स्टाक और अपने रजिस्टर को निरीक्षण के लिए उपलब्ध करायेगा।
- अनुज्ञप्तिधारी अपने कारबार के स्थान, कारखाने या दुकान के उस भाग पर जो सहजदृश्यमान हो पर कोई ऐसा साईन बोर्ड लगायेगा जिस पर अंग्रेजी/हिन्दी में और जिले की भाषा में उसका नाम और "वायुशस्त्रों के विनिर्माण/अन्तरण/विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति" शब्द बड़े अक्षरों में लिखे होंगे।
- अनुज्ञप्तिधारी स्तंभ (4) के अधीन विनिर्मित किये जाने वाले उन अनुज्ञात वायुशस्त्रों से भिन्न अन्य किसी प्रकार या विवरण के वायु शस्त्रों का विनिर्माण नहीं करेगा।

प्ररूप VIII

अग्न्यायुध और गोलाबारूद व्यवहारी के लिए संयुक्त अनुज्ञप्ति

व्यवहारी अनुज्ञप्ति ☐आयुध का जमा करना ☐

अनुज्ञप्ति की क्रमांक संख्या _____ यू आई एन _____

अनुज्ञप्ति के अवसान की तारीख और वर्ष _____ / _____ / _____

अनुज्ञप्तिधारी का नाम, विवरण और कारबार का पता	आयुध का विवरण और संख्या		गोला बारूद का विवरण और मात्रा		जहां परिक्षण करना अनुज्ञात किया गया है उस शूटिंग रेंज का नाम
	विक्रय किए जाने वाले या विक्रय के लिए रखे गए	नियम 48 या नियम 21 के अधीन सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जमा किये जाने वाले	विक्रय किये जाने वाले या विक्रय के लिए रखे गए	नियम 48 या नियम 21 के अधीन सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जमा किये जाने वाले	

(मोहर)

(हस्ताक्षर)

अनुज्ञप्ति प्राधिकारी _____ या

नियम (5) के अधीन अनुज्ञप्ति पर हस्ताक्षर करने के लिए विशेष रूप से सशक्त अधिकारी

पदनाम _____

स्थान _____

अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए प्ररूप			
नवीकरण की तारीख और वर्ष	वह तारीख जब नवीकृत अनुज्ञप्ति अवसान करती है	नवीकरण प्राधिकारी या विशेष रूप से सशक्त अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम	मोहर
1	2	3	4

शर्तें

1. (क) यह अनुज्ञप्ति आयुध अधिनियम, 1959 और आयुध नियम 2016 के सभी उपबंधों के अधीन प्रदान की जाती है

(ख) अनुज्ञप्ति, व्यवहारी को केवल अनुज्ञप्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के पश्चात् ही शूटिंग रेंज पर प्रदर्शन के लिए किसी आयुध या गोलाबारूद को परीक्षण या फायरिंग के लिए जाने हेतु हकदार बनाता है।

(ग) यह अनुज्ञप्ति के वह जब तक विधिमान्य है जब तक अनुज्ञप्तिधारी उसके स्तंभ (3) में दर्शित परिसर में व्यापार या कारबार करना जारी रखता है और यदि कारबार लगातार छः मास से अधिक अवधि तक जारी नहीं रहता है तो यह स्वमेव ही व्ययगत हो जाएगा।

2. अनुज्ञप्तिधारी नियम 75 में यथावर्णित ऐसी रीति और प्ररूप में विशिष्टियों को दर्शाते हुए स्टॉक में और जमा किये गए सभी आयुधों और गोलाबारूद तथा उनके विक्रयों के रजिस्टर का अनुरक्षण करेगा।

3. अनुज्ञप्तिधारी किसी मजिस्ट्रेट, केन्द्रीय सरकार द्वारा सेवा निदेश करने पर निरीक्षक या उप-निरीक्षक की पंक्ति से अन्यून किसी पुलिस अधिकारी के मांग करने पर अपने स्टॉक और अपने रजिस्टर को निरीक्षण के लिए उपलब्ध करायेगा।

4. अनुज्ञप्तिधारी अपने कारबार के स्थान या दुकान के ऐसे भाग पर जो सहजदृश्यमान होगा एक ऐसा साईन बोर्ड लगाएगा जिस पर अंग्रेजी/हिन्दी में और स्थानीय भाषा में उसका नाम और "प्रदान की गई अनुज्ञप्ति के प्रवर्ग के अनुसार आयुधों और गोलाबारूद की विक्रय करने/अन्तरण करने के लिए अनुज्ञप्त" शब्द बड़े शब्दों में लिखे होंगे।

5. अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति के अन्दर आने वाले आयुधों या गोलाबारूद को स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट कारबार के स्थान से अन्य कहीं विक्रय नहीं करेगा।

6. अनुज्ञप्तिधारी किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास प्ररूप II, प्ररूप III, प्ररूप IV तथा प्ररूप V में अनुज्ञप्ति है किसी आयुध या गोलाबारूद के विक्रय या अन्तरण के समय अनुज्ञप्ति पर निम्नलिखित पृष्ठांकित करेगा—

(क) उस व्यक्ति का नाम, विवरण और निवास पता जो विक्रय की गई या अन्तरित की गई वस्तुओं के प्रदाय को लेता है।

(ख) विक्रय की गई या अन्तरित की गई वस्तुओं की प्रकृति और उनकी मात्रा, और

(ग) विक्रय या अन्तरण की तारीख

और अनुज्ञप्तिधारी और पृष्ठांकन पर हस्ताक्षर करेगा तथा अपनी मोहर लगायेगा।

7. अनुज्ञप्तिधारी किसी शस्त्र के विक्रय या अन्तरण के समय अग्न्यायुध के विनिर्माण के समय उस पर स्टाम्पित या अन्यथा विनिर्माण की क्रमांक संख्या और अन्य पहचान चिह्न यदि कोई हो की अपने रजिस्टर में प्रविष्टि करेगा।

8. अनुज्ञप्तिधारी आयुधों और गोलाबारूद के सभी विक्रय या अन्तरण की सूचना ऐसे व्यक्ति को और ऐसी रीति में जैसा केन्द्रीय सरकार निदेश करे, को देगा।

9. अनुज्ञप्तिधारी किसी ऐसे व्यक्ति को जो आयुध को कब्जे में रखने या साथ रखने के लिए अनुज्ञप्त है, पहले इस प्रभाव में लिखित प्रमाण पत्र किये बिना गोलाबारूद का विक्रय या अन्तरण नहीं करेगा कि उसके द्वारा अर्जित किए जाने के लिए प्रस्तावित गोलाबारूद की मात्रा, उसके कब्जे में गोलाबारूद की कुल मात्रा उस मात्रा से अधिक नहीं होगी जिसका वह वर्ष में किसी समय पर कब्जे का या वर्ष के लिए अपने कुल अनुज्ञात मात्रा का हकदार है

परन्तु वह किसी व्यक्ति को किसी ऐसी अधिकतम मात्रा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे व्यक्ति के लिए नियत की गई है या जिसे ऐसे व्यक्ति की अनुज्ञप्ति पर पृष्ठांकित किया गया है से अधिक मात्रा की दशा में, विक्रय या अन्तरण नहीं करेगा।

10. इसमें अन्तर्विष्ट अन्य शर्तों के अधीन कोई अनुज्ञप्तिधारी, बिना किसी युक्तियुक्त कारण के, किसी ऐसे व्यक्ति को आयुध या गोलाबारूद का विक्रय करने से इंकार नहीं करेगा जो आयुध अधिनियम, 1959 या आयुध नियम 2016, के उपबंधों के अधीन ऐसे आयुधों या गोलाबारूद को क्रय करने या अर्जन करने का हकदार है।

11. उस अवधि के दौरान जब अनुज्ञप्त परिसर बन्द होता है तो सभी उन अग्न्यायुधों और गोलाबारूद को जो परिसर में है अग्न्यायुध की सुरक्षित अभिरक्षा हेतु किसी कोष कक्ष या तिजोरी में बन्द रखा जाना चाहिए।

12. उस अवधि के दौरान जब अनुज्ञप्त परिसर कारबार या अन्य किसी प्रयोजन के लिए खुला होता है उन अग्न्यायुधों और गोलाबारूद को संप्रदर्शित नहीं किया गया है उन अग्न्यायुधों की सुरक्षित अभिरक्षा हेतु उन्हें किसी कोष कक्ष या तिजोरी में बन्द रखा जाना चाहिए।

13. अनुज्ञप्तिधारी अग्न्यायुधों या गोलाबारूद का प्रदर्शन कामकाज के समय कर सकेगा तथापि संप्रदर्शित अग्न्यायुधों को खाली रखा जाना चाहिए और हैंडगन्स की दशा में उन्हें संप्रदर्शित काउंटर या कैबिनेट में बन्द रखा जाना चाहिए जो उसमें संप्रदर्शित हैंडगन्स को अनाधिकृत पहुंच से बचा सके और हैंडगन्स को छोड़कर अन्य अग्न्यायुधों की दशा में उन्हें, किसी सुरक्षित तालाबन्दी युक्ति से या किसी ऐसे सुरक्षित धातु बद्ध से जो असुवाह्य संरचना से ऐसी रीति में संलग्न है कि जिसे आसानी से नहीं हटाया जा सकता है के द्वारा अक्रियशील बनाया जाना चाहिए। और ऐसे अग्न्यायुधों को ऐसे गोलाबारूद के साथ संप्रदर्शित नहीं किया जाएगा जिससे इस छोड़ा जा सके।

14. व्यवहारी किसी भी समय किन्हीं अग्न्यायुधों और गोलाबारूद को किसी ऐसे प्रदर्शन मंजूषा में या प्रदर्शन खिड़की में जो प्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसी पब्लिक गली, सड़क रास्ता या पब्लिक स्थान जहां सामान्य पब्लिक की पहुंच है पर बाहर जाती है या दिखाई देती है प्रदर्शित या संप्रदर्शित नहीं करेगा या संप्रदर्शित करने या प्रदर्शित करने के लिए या ऐसे संप्रदर्शित या प्रदर्शित करने के कारक को अनुज्ञात नहीं करेगा।

15. व्यवहारी और व्यवहारी द्वारा नियोजित सभी व्यक्तियों को आयुध अधिनियम 1959, और आयुध नियम, 2016 के उपबंधों से अवगत होना चाहिए और नियम 10 में यथाउल्लेखित शस्त्रों को संभालने और सुरक्षित भंडारण विहित प्रशिक्षण लेगें और यह सुनिश्चित करेंगे कि—

(i) काम काज की अवधि के दौरान सारे समय सम्पूर्ण अग्न्यायुधों और गोलाबारूद पर समुचित नियंत्रण कर लिया गया है।

(ii) विहित रजिस्ट्रों को समुचित रूप से अनुरक्षित किया गया है।

(iii) अग्न्यायुध और गोलाबारूद की हानि या चोरी के सापेक्ष प्रत्येक युक्तियुक्त सावधानी ली गई है।

सुरक्षित अभिरक्षा हेतु रखे गए अग्न्यायुधों और गोलाबारूद पर तथा धारा 21 के अधीन लागू शर्तें

16. इसके अन्तर्गत केवल स्तंभ 3 और 5 में दिये गए विवरण के आयुध और गोलाबारूद आते हैं जब तक कि वे स्तंभ 1 में वर्णित स्थान पर रखे होते हैं, लेकिन यह अनुज्ञप्तिधारी को आयुध साथ रखने के लिए प्राधिकृत नहीं करती है।

17. अनुज्ञप्तिधारी इस अनुज्ञप्ति के अधीन उसके द्वारा जमा किए गए सभी आयुधों या गोलाबारूद के इन नियमों के नियम 76 के उप-नियम (3) में यथावर्णित ऐसे प्ररूपों और रीति में विशिष्टियों को दर्शाते हुए पृथक रजिस्ट्रों का अनुरक्षण करेगा।

(i) अधिनियम की धारा 21 के अधीन, और

(ii) अधिनियम की धारा 21 के अधीन के अन्यथा सुरक्षित अभिरक्षा हेतु

18. अनुज्ञप्तिधारी निम्नलिखित सत्यापन के बिना आयुधों या गोलाबारूद के जमा करने हेतु नहीं लेगा—

(क) कि उन्हें किसी असदभाव आशय के साथ जमा नहीं किया जा रहा है और

(ख) अधिनियम की धारा 21 के अधीन से अन्यथा जमा किए जाने की दशा में, कि वे इन नियमों के अधीन जारी की गई किसी वैद्य अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत आते हैं।

19. जमा किये गए अग्न्यायुधों या गोलाबारूद के समपहरण के लिए विहित अवधि के अवसान पर अनुज्ञप्तिधारी उन्हें जिले या राज्य सरकार द्वारा प्रयोजन के लिए यथा विनिर्दिष्ट किए गए ऐसे स्थान के मालखाने में जमा करेगा।

प्ररूप VIII-अ

वायुशस्त्र व्यवहारियों के लिए अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति	यू०आई०एन	अनुज्ञप्तिधारी का नाम, विवरण और कारबार का पता	विक्रय किये जाने वाले या विक्रय के लिए रखे गये वायु शस्त्रों का विवरण और संख्या	विक्रय किये जाने वाले या विक्रय के लिए रखे गये वायु शस्त्रों के लिए गोलाबारूद का विवरण और मात्रा	अनुज्ञप्ति के अवसान की तारीख
1	2	3	4	5	6

...../...../20..... (मोहर)

(हस्ताक्षर)

अनुज्ञप्ति प्राधिकारी या

नियम (5) के अधीन हस्ताक्षर

करने के लिए विशेष रूप से सशक्त

अधिकारी _____

पदनाम _____

स्थान _____

अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु प्ररूप

नवीकरण की तारीख और वर्ष	वह तारीख जब नवीकृत अनुज्ञप्ति अवसान होती है	नवीकरण प्राधिकारी या विशेष रूप से सशक्त अधिकारी के हस्ताक्षर, पदनाम	मोहर
1	2	3	4

शर्तें

1. (क) यह अनुज्ञप्ति आयुध अधिनियम 1959 और आयुध नियम 2016 के सभी उपबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है।

(ख) यह अनुज्ञप्ति केवल जब तक विधिमान्य है जब तक अनुज्ञप्तिधारी उसके स्तंभ (3) दर्शित परिसर में व्यापार या कारबार करना जारी रखता है और यदि कारबार लगातार छः मास से अधिक अवधि तक जारी नहीं रहता है तो यह स्वमेव ही व्यपगत हो जायेगा।

2. अनुज्ञप्तिधारी नियम 85 में यथावर्णित ऐसी रीति और प्ररूपों में विशिष्टियों को दर्शाते हुए स्टॉक में तथा जमा किये गये सभी आयुधों और गोला-बारूद के और उसके सभी विक्रय के रजिस्ट्रो का अनुरक्षण करेगा।

3. अनुज्ञप्तिधारी किसी मजिस्ट्रेट, केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसा निदेश करने पर निरीक्षक या उप-निरीक्षक भी पंक्ति से अन्यून किसी पुलिस अधिकारी के मांग करने पर अपने स्टॉक और अपने रजिस्टर को निरीक्षण के लिए उपलब्ध करायेगा।

4. अनुज्ञप्तिधारी अपने कारबार के स्थान या दुकान के उस भाग पर सहणदृश्यमान हो एक ऐसा साईन बोर्ड लगायेगा जिस पर अंग्रेजी/हिन्दी में और स्थानीय भाषा में उसका नाम और वायु शस्त्रों के विक्रय/अन्तरण करने के लिए अनुज्ञप्त शब्द बड़े अक्षरों में लिखे होंगे।

5. अनुज्ञप्तिधारी स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट कारबार के स्थान से अन्य किसी स्थान पर अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत आने वाले आयुधों या गोलाबारूद का विक्रय नहीं करेगा।

6. अनुज्ञप्तिधारी किसी व्यक्ति को बिना उक्त क्रेता ने पहचान प्रमाण तथा निवास प्रमाण प्राप्त करे ऐसे वायुशस्त्रों का जिसमें 20 जूल या 15 फिट एल.बी.एस. अधिक और या 0.177 या 4.5 मिमी से कम से कम बोर की नालमुख ऊर्जा वाला एयर राईफल और एयर बन्दूक शामिल है विक्रय या अन्तरण नहीं करेगा।

7. अनुज्ञप्तिधारी किसी वायु शस्त्र के विक्रय या अन्तरण के समय अग्नयायुध के विनिर्माण के समय उस पर स्टाम्पित या अन्यथा विनिर्माण की क्रमांक संख्या और अन्य पहचान चिन्ह यदि कोई हो की अपने रजिस्टर में प्रविष्टि करेगा।

8. अनुज्ञप्तिधारी किसी ऐसे व्यक्ति को और ऐसी रीति में जैसा केन्द्रीय सरकार निदेश करे, वायु शस्त्रों के सभी विक्रय या सभी अन्तरणों की सूचना देगा।

9. इसमें अन्तर्विष्ट अन्य शर्तों के अधीन कोई अनुज्ञप्तिधारी, बिना किसी युक्तियुक्त कारण के, किसी ऐसे व्यक्ति को आयुध या गोलाबारूद का विक्रय करने से इंकार नहीं करेगा जो आयुध अधिनियम 1959 या आयुध नियम, 2016 के उपबंधों के अधीन ऐसे आयुधों या गोलाबारूद को क्रय करने या अर्जन करने का हकदार है।

10. उस अवधि के दौरान जब अनुज्ञप्त परिसर कारबार प्रयोजन के लिए बन्द होता है तो सभी उन अग्नयायुधों और गोलाबारूदों को जो परिसर में हैं को अग्नयायुध की सुरक्षित अभिरक्षा हेतु किसी कोष कक्ष या तिजोरी में बन्द रखा जाना चाहिए।

11. उस अवधि के दौरान जब अनुज्ञप्त परिसर कारबार या अन्य किसी प्रयोजन के लिए खुला होता है जो अग्नयायुध और गोलाबारूद संप्रदर्शित नहीं किये गये हैं उन अग्नयायुधों की सुरक्षित अभिरक्षा हेतु उन्हें किसी कोष कक्ष या तिजोरी में बन्द रखा जाना चाहिए।

12. अनुज्ञप्तिधारी अग्नयायुधों या गोलाबारूदों का प्रदर्शन कामकाज के समय कर सकेगा, तथापि संप्रदर्शित अग्नयायुधों को खाली रखा जाना चाहिए और दण्डगन्स की दशा में उन्हें संप्रदर्शित काउटर या कैबिनेट में बन्द रखा जाना चाहिए ताकि उसमें संप्रदर्शित हैण्डगन्स को अनाधिकृत पहुंच से बचाया जा सके और हैण्डगन्स को छोड़कर अन्य अग्नयायुधों भी दशा में उन्हें, किसी सुरक्षित तालाबन्दी युक्ति से या किसी ऐसे सुरक्षित धातु बद्ध से जो सुवाहन्य संरचना से ऐसी रीति में संलग्न है कि जिसे आसानी से नहीं हटाया जा सकता है, के द्वारा अक्रियशील बनाया जाना चाहिए। और ऐसे अग्नयायुधों को ऐसे गोलाबारूदों के साथ संप्रदर्शित नहीं किया जायेगा जिससे इसे छोड़ा जा सके।

प्ररूप IX

बन्दूक बनाने वाले को अग्नयायुधों को संपरिवर्तित करने, छोटा करने, मरम्मत (वृहत्) करने या परिक्षण करने (प्रमाण परिक्षण से भिन्न) या संपरिवर्तन, मरम्मत (वृहत्) या परिक्षण (प्रमाण परिक्षण से भिन्न) के लिये रखने हेतु अनुज्ञप्ति

यू.आई.एन _____

अनुज्ञप्ति संख्या _____

अनुज्ञप्तिधारी का नाम, विवरण और कारबार का पता	संपरिवर्तित किये जाने, छोटे किये जाने, मरम्मत (वृहत्) किये जाने, परिक्षण किये जाने (प्रमाण परिक्षण से भिन्न या संपरिवर्तन के लिए, छोटा करने के लिए, मरम्मत (वृहत्) के लिए या परिक्षण (प्रमाण परिक्षण से भिन्न) के लिखे रखने के लिए अनुज्ञात अग्नयायुधों का विवरण		मरम्मत किये गये अग्नयायुधों के परिक्षण के लिए अपने पास रखे जाने वाले अनुज्ञात गोलाबारूद का विवरण और संपरिवर्तित किये जाने वाले अनुज्ञात गोलाबारूद का विवरण		अनुज्ञप्ति के अवसान की तारीख
	प्रवर्ग	मात्रा (संख्या)	प्रवर्ग	मात्रा (संख्या या भार किग्रा में)	
1	2	3	4	5	6

...../.....20.... (मोहर)

(हस्ताक्षर)

अनुज्ञप्ति प्राधिकारी—या नियम

(5) के अधीन हस्ताक्षर करने के लिए

विशेषरूप से सशक्त अधिकारी

पदनाम _____

स्थान _____

अनुज्ञप्ति के नवीकरण का प्रारूप			
नवीकरण की तारीख और वर्ष	वह तारीख जब नवीकृत अनुज्ञप्ति अवसान करती है	नवीकरण प्राधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम	मोहर
1	2	3	4

शर्तें

- (क) यह अनुज्ञप्ति आयुध अधिनियम 1959 और आयुध नियम 2016 के सभी उपबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है।
(ख) यह अनुज्ञप्ति के बल जब तक विधिमान्तर है जब तक अनुज्ञप्तिधारी उसके स्तंभ (3) दर्शित परिसर में व्यापार या कारबार करना जारी रखता है और यदि कारबार लगातार छः मास से अधिक अवधि तक जारी नहीं रहता है तो यह स्वमेव ही व्यपगत हो जायेगा।
(ग) अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना इस अनुज्ञप्ति से संबंधित कोई भागीदारी नहीं करेगा;
- अनुज्ञप्तिधारी इन नियमों के नियम 82 के अधीन यथा विहित ऐसे प्रारूपों में विशिष्टियों दर्शाते हुए संपरिवर्तित छोटे किये गये, मरम्मत (वृहत्) किये गये सभी आयुधों और गोलाबारूद के रजिस्ट्रो का अनुरक्षण करेगा।
- अनुज्ञप्तिधारी किसी मजिस्ट्रेट, केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे निदेश करने पर निरीक्षक या उप-निरीक्षक की पंक्ति से अन्याय किसी पुलिस अधिकारी के मांग करने पर अपने स्टाक और अपने रजिस्टर को निरीक्षण के लिए उपलब्ध करायेगा।
- अनुज्ञप्तिधारी अपने कारबार कारखाने के स्थान या दुकान के उस भाग पर जो सहजदृश्यमान हो पर एक ऐसा साईन बोर्ड लगाएगा जिस पर हिन्दी/अंग्रेजी और जिले की भाषा में उसका नाम और "आयुधों और गोलाबारूद को संपरिवर्तन करने/छोटा करने और मरम्मत (वृहत्) करने के लिए अनुज्ञप्त" शब्द बड़े अक्षरों में लिखे होंगे।
- अनुज्ञप्तिधारी स्तंभ 2 और 4 के अधीन अनुज्ञात से भिन्न अन्य किसी प्रवर्ग या विवरण के आयुधों और/या गोलाबारूद का संपरिवर्तन/छोटा करना/ मरम्मत (वृहत्) नहीं करेगा।
- अनुज्ञप्तिधारी स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट कारबार या कारखाने के स्थान से भिन्न किसी स्थान पर आयुधों या गोलाबारूद का संपरिवर्तन/छोटा करना/मरम्मत (वृहत्) नहीं करेगा।
- यह अनुज्ञप्ति, स्तंभ 2 में दर्शित प्रवर्गों के अग्न्यायुधों की मरम्मत के प्रयोजन के लिए अग्न्यायुधों के संघटकों और पुर्जों को बनाने के लिए अनुज्ञप्तिधारी को हकदार बनाती है, किन्तु यह उसे ऐसे संघटकों या पुर्जों का पूर्ण आयुधों या गोलाबारूद में संमोजन करने के प्रयोजन के लिए उनका विनिर्माण या उपयोग करने का हकदार नहीं बनाता है। ऐसे निबन्धित प्रवर्ग [प्रवर्ग 1 (ख) और 1 (ग)] के आयुधों और अप्रचलित अन्तर्व्यास शस्त्रों जिनका उत्पादन बन्द हो गया है या जिनके लिए कोई गोलाबारूद आसानी से उपलब्ध नहीं का अनुज्ञे प्रवर्ग आयुधों में संपरिवर्तन को अनुज्ञप्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के अधीन इस अनुज्ञप्ति के अधीन अनुज्ञात किया जायेगा। वृहत् मरम्मत के अधीन आने वाले शस्त्रों की नालों का प्रतिस्थापन भी शर्त 8 के अधीन अनुज्ञे है।
- अनुज्ञप्तिधारी किसी भी दशा में 20 इंच से अन्यायुध की नली को छोटा नहीं करेगा।
- यह अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्तिधारी को वाली कारतूस या बिना प्रक्षेप्य वाले किसी गोलाबारूद को एकल/बहुल प्रक्षेप्य गोलाबारूद में संपरिवर्तित करने या किसी गोलाबारूद को भरने या खाली करने का हकदार नहीं बनाती है।
- उस अवधि के दौरान जब अनुज्ञप्त परिसर कारबार प्रयोजन के लिए बन्द होता है तो सभी उन अग्न्यायुधों और गोलाबारूद को जो परिसर में हैं को सुरक्षित अभिरक्षा हेतु किसी कोष कक्ष या तिजोरी में बन्द रखा जाना चाहिए।
- उस अवधि के दौरान जब अनुज्ञप्त परिसर कारबार या अन्य किसी प्रयोजन के लिए खुला होता है जो अग्न्यायुध और गोलाबारूद संप्रदर्शित नहीं किये गये हैं उन अग्न्यायुधों की सुरक्षित अभिरक्षा हेतु उन्हें किसी कोष कक्ष या तिजोरी में बन्द रखा जाना चाहिए।
- अनुज्ञप्तिधारी उन अग्न्यायुधों को जिन पर उसने अपनी शिल्पकारी को अग्रसर करने के लिए आयुध नियमों के उपबन्धों के अनुसार कार्य किया है संप्रदर्शित कर सकेगा, तथापि संप्रदर्शित अग्न्यायुध खाली होने चाहिए और हैण्डगन्स की दशा में उन्हें संप्रदर्शित काउण्टर या कैबिनेट में बन्द रखा जाना चाहिए ताकि उसमें प्रदर्शित हैण्डगन्स को अनाधिकृत पहुंच से बचाया जा सके।
- अनुज्ञप्तिधारी केवल अनुज्ञप्ति प्राधिकारी की पूर्व सहमति से किसी अग्न्यायुध को निष्क्रिय कर सकेगा।
- अनुज्ञप्तिधारी को किसी व्यक्ति को एक प्रशिक्षु के रूप में नियोजित करना अनुज्ञात है यदि ऐसा व्यक्ति भारत लागू श्रम विधि के अधीन किसी ऐसे प्रशिक्षण के लिए रजिस्ट्रीकृत है तथा ऐसे प्रशिक्षु पर वैयक्तिक नियन्त्रण या पर्यवेक्षण से रखेगा जो किसी अग्न्यायुध पर कोई कार्य करता है।
- अनुज्ञप्तिधारी उसे प्रदान की गई अनुज्ञप्ति के अधीन कारबार का प्रारम्भ करने से पूर्व अनुमोदित तिजोरी या कोष कक्ष की स्थापना को सुनिश्चित करेगा।

प्ररूप IX अ

बन्दूक बनाने वाले को अग्न्यायुधों की मरम्मत (लघु) करने या परिक्षण करने (प्रमाण परिक्षण से भिन्न) करने या मरम्मत (लघु) या परिक्षण (प्रमाण परिक्षण से भिन्न) के लिये रखने की अनुज्ञप्ति

यू०आई०एन _____

अनुज्ञप्ति संख्या _____

अनुज्ञप्तिधारी का नाम, विवरण और कारबार का पता	मरम्मत (लघु) किये जाने वाले या परिक्षण (प्रमाण परिक्षण से किया) किये जाने वाले या मरम्मत (लघु) या परिक्षण (प्रमाण परिक्षण से भिन्न) के लिए रखने हेतु अनुज्ञात अग्न्यायुधों का विवरण		मरम्मत (लघु) किये अग्न्यायुधों को परिक्षण के लिए अपने पास रखने वाले अनुज्ञात गोलाबारूद का विवरण		अनुज्ञप्ति के अवसान की तारीख
	प्रवर्ग	मात्रा (संख्या)	प्रवर्ग	मात्रा (संख्या या भार किग्रा में)	
1	2	3	4	5	6

...../.....20.... (मोहर)

(हस्ताक्षर)

अनुज्ञप्ति प्राधिकारी-या नियम
(5) के अधीन हस्ताक्षर करने के लिए
विशेषरूप से सशक्त अधिकारी

पदनाम _____

स्थान _____

अनुज्ञप्ति के नवीकरण का प्ररूप			
नवीकरण की तारीख और वर्ष	वह तारीख जब नवीकृत अनुज्ञप्ति अवसान करती है	नवीकरण प्राधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम	मोहर
1	2	3	4

शर्तें

- (क) यह अनुज्ञप्ति आयुध अधिनियम 1959 और आयुध नियम 2016 के सभी उपबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है।
- (ख) यह अनुज्ञप्ति के बल जब तक विधिमान्य है जब तक अनुज्ञप्तिधारी उसके स्तंभ (3) दर्शित परिसर में व्यापार या कारबार करना जारी रखता है और यदि कारबार लगातार छः मास से अधिक अवधि तक जारी नहीं रहता है तो यह स्वमेव ही व्यपगत हो जायेगा।
- (ग) अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना इस अनुज्ञप्ति से संबंधित कोई भागीदारी नहीं करेगा ;
2. अनुज्ञप्तिधारी इन नियमों के नियम 82 के अधीन यथा विहित ऐसे प्ररूपों में विशिष्टियों दर्शाते हुए, मरम्मत (लघु) किये गये सभी आयुधों और गोलाबारूद के रजिस्ट्रो का अनुरक्षण करेगा।
3. अनुज्ञप्तिधारी किसी मजिस्ट्रेट, केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे निदेश करने पर निरीक्षक या उप-निरीक्षक की पंक्ति से अन्यून किसी पुलिस अधिकारी के मांग करने पर अपने स्टाक और अपने रजिस्टर को निरीक्षण के लिए उपलब्ध करायेगा।
4. अनुज्ञप्तिधारी अपने कारबार कारखाने के स्थान या दुकान के उस भाग पर जो सहजदृश्यमान हो पर एक ऐसा साईन बोर्ड लगाएगा जिस पर हिन्दी/अंग्रेजी और जिले की भाषा में उसका नाम और "आयुधों और गोलाबारूद को सपरिवर्तन करने/छोटा करने और मरम्मत (लघु) करने के लिए अनुज्ञप्ति" शब्द बड़े अक्षरों में लिखे होंगे।
5. अनुज्ञप्तिधारी किसी भी दशा में 20 इंच से अन्यून किसी अग्न्यायुध की नली को छोटा नहीं करेगा।
6. उस अवधि के दौरान जब अनुज्ञप्ति परिसर कारबार प्रयोजन के लिए बन्द होता है तो सभी उन अग्न्यायुधों और गोलाबारूद को जो परिसर में हैं को सुरक्षित अभिरक्षा हेतु किसी कोष कक्ष या तिजोरी में बन्द रखा जाना चाहिए।

7. उस अवधि के दौरान जब अनुज्ञप्त परिसर कारबार या अन्य किसी प्रयोजन के लिए खुला होता है जो अग्न्यायुध और गोलाबारूद संप्रदर्शित नहीं किये गये हैं उन अग्न्यायुधों की सुरक्षित अभिरक्षा हेतु उन्हें किसी कोष कक्ष या तिजोरी में बन्द रखा जाना चाहिए।

8. अनुज्ञप्तिधारी उन अग्न्यायुधों को जिन पर उसने अपनी शिल्पकारी को अग्रसर करने के लिए आयुध नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्य किया है संप्रदर्शित कर सकेगा, तथापि संप्रदर्शित अग्न्यायुध खाली होने चाहिए और हैण्डगन्स की दशा में उन्हें संप्रदर्शित काउण्टर या कैबिनेट में बन्द रखा जाना चाहिए ताकि उसमें प्रदर्शित हैण्डगन्स को अनाधिकृत पहुंच से बचाया जा सके।

9. अनुज्ञप्तिधारी को किसी व्यक्ति को एक प्रशिक्षु के रूप में नियोजित करना अनुज्ञात है यदि ऐसा व्यक्ति भारत लागू श्रम विधि के अधीन किसी ऐसे प्रशिक्षण के लिए रजिस्ट्रीकृत है तथा ऐसे प्रशिक्षु पर वैयक्तिक नियन्त्रण या पर्यवेक्षण से रखेगा जो किसी अग्न्यायुध पर कोई कार्य करता है।

10. अनुज्ञप्तिधारी उसे प्रदान की गई अनुज्ञप्ति के अधीन कारबार का प्रारम्भ करने से पूर्व अनुमोदित तिजोरी या कोष कक्ष की स्थापना को सुनिश्चित करेगा।

प्ररूप X

आयुधों और गोलाबारूद के लिए संयुक्त आयात/निर्यात अनुज्ञप्ति

आयात ☐ निर्यात ☐ पुनः आयात के लिए निर्यात ☐ अभिवहन में ☐

अनुसूची 1 के अनुसार मद का प्रवर्ग —		(कृपया विनिर्दिष्ट करें)	
अनुज्ञप्ति सं०		यू०आई०एस	
आयात बन्दरगाह		निर्यात बन्दरगाह	

1.	अनुज्ञप्तिधारी का नाम, विवरण और पता	
2.	इस परेषण के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अभिकर्ता (यदि कोई हो) का नाम, विवरण और पता	
3.	पैकेजों की संख्या	
4.	आयुध	
	विवरण	
	मात्रा	
5.	गोला बारूद	
	विवरण	
	भार (क्रि० ग्रा में) या संख्या	
6.	प्रयोजन जिसके लिए अपेक्षित है	
7.	आयात की दशा में, वह स्थान जहां आयतित वस्तुओं को अडारित या जमा किये गये हैं	
8.	प्रेषण और मार्ग का स्थान	
9.	गंतव्य का स्थान	
10.	परेषिती का नाम विवरण और पता	
11.	अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की अवधि	

...../...../ 20..... (मोहर)

(हस्ताक्षर)

अनुज्ञप्ति प्राधिकारी.....

पदनाम.....

स्थान.....

शर्तें

1. अनुज्ञप्ति आयुध अधिनियम 1956 और आयुध नियम 2016 के सभी उपबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है।
2. प्रत्येक पैकेज की विषय वस्तु का कोई लेखा और रेल द्वारा वस्तुओं को जहां हस्तांतरित किया जा रहा है उन पैकेजों पर सुपाठ्य रूप से लिखा होना चाहिए प्रत्येक पैकेज "आयुध" या "गोलाबारूद" यथास्थिति शब्द से चिह्नित होगा, ताकि रेल प्राधिकारीयो द्वारा इस आसानी से पहचाना जा सके।
3. वस्तुओं को स्तंभ 8 में विनिर्दिष्ट से भिन्न अन्य किसी मार्ग से परेषित नहीं किया जाएगा और वस्तुओं के गंतव्य के स्थान पर पहुंचने से पूर्व न तो प्रपुंज को तोड़ा जायेगा और न ही रोका जायेगा।
4. आयात की दशा में, वस्तुओं को—
(क) या तो अधिनियम की धारा 34 के अधीन केन्द्रीय सरकार की साधारण या विशेष मंजूरी के अध्यक्षीन, सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 58 के अधीन अनुज्ञप्त भांडागार में जमा किया जायेगा।
(ख) या तत्काल उनके गंतव्य स्थान को प्रेषित करेगा।
5. वस्तुओं को केवल किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदाय किया जायेगा जो उन्हें प्राप्त करने का विधिपूर्वक हकदार है।

प्ररूप XI**यात्रा अनुज्ञप्ति**

[तब जारी की जाये यदि अग्न्यायुध अनुज्ञप्ति पर पहले से पृष्ठांकित है]

यू०आई०एन० _____

अनुज्ञप्ति सं० _____

1.	अनुज्ञप्तिधारी का नाम	
2.	अनुज्ञप्तिधारी के निवास का पता जो उसे आयुधों की अनुज्ञप्ति पर पृष्ठांकित है	
3.	वे अग्न्यायुध और गोलाबारूद जिन्हें अनुज्ञप्तिधारी साथ ले जाने के लिए हकदार है	
4.	प्रत्येक अग्न्यायुध का विवरण के साथ संक्षिप्त वर्णन, उदाहरणार्थ विनर्माता क्रम संख्यांक और अन्य पहचान चिन्ह	
5.	प्रत्येक प्रकार के गोलाबारूद की मात्रा और विवरण	
6.	श्रेषण का नाम	
7.	यात्रा का मार्ग	
8.	गंतव्य स्थान	
9.	वह अवधि जिसमें संभवतः यात्रा होने वाली है	
10.	वह अवधि जिसके लिए यात्रा अनुज्ञप्ति विधिमान्य है	

...../...../ 20 (मोहर)

(हस्ताक्षर)

अनुज्ञप्ति प्राधिकारी _____

पदनाम _____

स्थान _____

शर्तें

1. (क) यह अनुज्ञप्ति आयुध अधिनियम 1959 और आयुध नियम 2016 के सभी उपबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है।
2. अनुज्ञप्तिधारी
(क) किसी प्रतिकृत अधिकारी द्वारा मांग करने पर, इस अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत आने वाले हथियारों को प्रस्तुत करेगा ;
(ख) इस अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत आने वाले किसी अग्न्यायुध या गोलाबारूद की हानि या चोररी हो जाने पर तत्काल नजदीकी पुलिस स्टेशन पर इसकी सूचना देगा
(ग) अनुज्ञप्ति के स्वयं 7 के यथा उल्लेखित यात्रा के मार्ग का अनुसरण करेगा।
3. इसके अन्तर्गत केवल स्तंभ 7 में नामित व्यक्ति और स्तंभ 3 में उल्लेखित आयुध या गोलाबारूद आते हैं।

प्ररूप XII**परिवहन अनुज्ञप्ति**

[तब जारी किए जाए यदि जब अग्न्यायुधो को विनिर्माता या व्यवहारी द्वारा
अनुज्ञप्ति पर या परिवहन के लिए पृष्ठांकित नहीं किया गया है]

यू०आई०एन० _____

अनुज्ञप्ति सं० _____

1.	इस परेषण के प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्तिधारी और प्राधिकृत अभिकर्ता (यदि कोई हो) का नाम, विवरण और निवास का पता	
2.	अनुज्ञप्तिधारी के कारबार का स्थान (यदि कोई हो)	
3.	परिवहन किये जाने वाले आयुध और गोलाबारूद	
	पैकेजों की संख्या	
	आयुधों का सक्षिप्त विवरण और संख्या	
	गोलाबारूद का सक्षिप्त विवरण और किग्रा में भार या संख्या	
4.	प्रेषण का नाम	
5.	परिवहन का मार्ग	
6.	परिवहन का माध्यम	
7.	गंतव्य स्थान	
8.	परेषिती का नाम, विवरण और पता	
9.	अवधि जिसके लिए अनुज्ञप्ति विधि मान्य है [नियम 97 (5) के अधीन यथा उपबंधित तीन मास से अनधिक]	

...../...../ 20 (मोहर)

(हस्ताक्षर)

अनुज्ञप्ति प्राधिकारी _____

पदनाम _____

स्थान _____

पृष्ठांकन 1

तारीख जब से नियम 98 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन०ओ०सी) प्राप्त किया है		
प्राधिकारी	स्थान	तारीख
राज्य सरकार		
जिलाधिकारी		

पृष्ठांकन 2

तारीख जब नियम 97(1) द्वारा परिवहन अनुज्ञप्ति की प्रति भेजी गई है		
प्राधिकारी	स्थान	तारीख
राज्य सरकार		
जिलाधिकारी		

शर्तें

1. (क) यह अनुज्ञप्ति आयुध अधिनियम 1959 और आयुध नियम 2016 के सभी उपबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है।

2. अनुज्ञप्तिधारी

(क) किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर इस अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत आने वाले हथियारों को प्रस्तुत करेगा; और

(ख) अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत आने वाले किसी अन्यायुध या गोलाबारूद की हानि या चोरी होने पर तत्काल नजदीकी पुलिस स्टेशन को इसकी सूचना देगा।

3. वस्तुओं को स्तंभ 5 में विनिर्दिष्ट मार्ग से भिन्न अन्य किसी मार्ग द्वारा प्रेषित नहीं किया जायेगा; और वस्तुओं के गंतव्य स्थान पर पहुंचने से पूर्व न तो प्रमुख को तोड़ा जायेगा और न ही परेष्ण को रोका जायेगा।

परन्तु जहां परेष्ण तैयार है किन्तु अनुज्ञप्तिधारी के नियन्त्रण से बाहर होने के कारण से एक प्रपुंज में प्रेषित नहीं किया जा सकता है या, वस्तुओं को उपलब्ध खण्डों में भेजा जा सकेगा, यदि आवश्यक हो, इसकी समुचित सूचना अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए जो इसकी समय शक्ति को बढ़ा सकेगी।

4. प्रत्येक पैकेज की विषय वस्तु का कोई लेखा और रेल द्वारा वस्तुओं को यहां हस्तांतरित किया जा रहा है उन पैकेजों पर सुपाठ्य रूप से लिखा होना चाहिए, प्रत्येक पैकेज "आयुध" या "गोलाबारूद" यथास्थिति शब्द से चिन्हित होगा, ताकि रेल प्राधिकारियों द्वारा इसे आसानी से पहचाना जा सके।

5. वस्तुओं को केवल स्तंभ 8 में यथा उल्लेखित किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदाय किया जाएगा जो उन्हें प्राप्त करने का विधि पूर्वक हकदार है।

6. जहां अनुज्ञप्ति औद्योगिक प्रयोजन हेतु प्रदान की गई है जिसे तीन मास से अधिक अवधि के लिए विधिमान्य बनाया गया है विनिर्माता या व्यवहारी द्वारा स्थानों उदाहरणार्थ, गोदाम और कारखाना के प्रयोजन हेतु अनुरक्षित स्टॉक रजिस्ट्रों में आवश्यक प्रविष्टियां की जाएंगी।

प्ररूप XIII**परीक्षण के लिए बन्दूक की नाल या पूर्ण गोलाबारी भेजने के लिए परिवहन अनुज्ञप्ति**

यू आई एन _____ अनुज्ञप्ति सं० _____

1.	अनुज्ञप्ति निर्माता का नाम	
2.	अनुज्ञप्ति निर्माता का पता	
3.	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और पदनाम	
4.	प्ररूप 7 में निर्माता की अनुज्ञप्ति संख्या	
5.	प्ररूप 7 में अनुज्ञप्ति की मान्यता अवधि	
6.	प्रति वर्ष निर्मित की जाने वाली अनुमत गोलाबारी की संख्या	
7.	पहली बार परीक्षण के लिए अभी तक परीक्षण गृह भेजे गए बन्दूक की नाल/पूर्ण गोला बारी की कुल संख्या	

8.	भेजे जाने वाले अनुमत बन्दूक नाल/ पूर्ण गोलाबारी की कुल मात्रा			
क्रम सं०	किस्म	वर्तमान वर्ष के दौरान निर्मित	परिशोधित	कुल
	(1)	(2)	(3)	(4)
(क)				
(ख)				
(ग)				
	कुल			

9.	परिशोधन के पश्चात् भेजे जाने वाली बन्दूक की नाल/ विनिर्मित गोलाबारी की कुल मात्रा (मद 8 का स्तंभ 3)			
क्रम सं०	निर्माण का वर्ष	परिशोधन का परामर्श देने वाले परीक्षण केन्द्र से संचारण की संख्या और तारीख	परिशोधित बन्दूक की नाल और पूर्ण गोलाबारी की क्रम सं०	कुल
	(1)	(2)	(3)	(4)

1. प्रमाणित किया जाता है कि इस अनुज्ञप्ति के जारी होने की तारीख को, अनुज्ञप्ति धारी अनुज्ञप्ति प्राधिकारी या नवीनीकरण प्राधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उसके प्ररूप 7 अनुज्ञप्ति के किन्हीं प्राधिकारों के प्रचालन से प्रतिबंधित नहीं रहा है।
2. अनुज्ञप्ति धारी को मद 8 के द्वारा बन्दूक की नाल/ पूर्ण गोलाबारी को उसके प्ररूप 7 अनुज्ञप्ति के स्तंभ 7 में निर्दिष्ट स्थापन में परिवहन करने के लिए एतद्वारा अनुमति दी जाती है। उसे इस अनुज्ञप्ति द्वारा आवृत बन्दूक की नाल/ पूर्ण गोलाबारी को परीक्षण के पश्चात् एक या अधिक किशतों में स्थापन से वापस लाने की भी अनुमति दी जाती है।

(मुहर और हस्ताक्षर)

(जिला मजिस्ट्रेट)

स्थान :

तारीख :

टिप्पण :- मद 7 और मद 8 के स्तंभ 2 के अंकों का कुल योग मद 6 द्वारा अनुज्ञप्त क्षमता से अधिक नहीं होगी।**प्ररूप XIV****आयुध और गोला बारूद के परिवहन के लिए परिवहन प्रदाता अनुज्ञप्ति**

यू आई एन _____ अनुज्ञप्ति सं० _____

अनुज्ञप्ति धारी का नाम, प्रकार और कारबार का पता	परिवहन होने के लिए अनुमत आयुध और गोला बारूद का प्रकार				अनुज्ञप्ति खत्म होने की तारीख
	आयुध और गोला बारूद की श्रेणी	एक कैलेंडर वर्ष के दौरान अधिकतम मात्रा	एक प्रेषण में अधिकतम मात्रा	एक लदान में अनेक प्रेषण में अधिकतम मात्रा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

..... 20

(मुहर)

(हस्ताक्षर)

अनुज्ञप्ति प्राधिकारी _____ या

नियम (5) के अधीन अनुज्ञप्ति हस्ताक्षरित करने के लिए विशेष अधिकार प्राप्त अधिकारी

पदनाम _____

स्थान _____

अनुज्ञप्ति के नवीकरण का प्ररूप			
नवीकरण की तारीख और वर्ष	तारीख जिस पर नवीकृत अनुज्ञप्ति समाप्त होती है	नवीकरण प्राधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम	मुहर
1	2	3	4

शर्तें

1. (क) आयुध अधिनियम, 1959 और आयुध नियम, 2016 के समस्त उपबंधों के अधीन रहते हुए अनुज्ञप्ति अनुदत्त है।
(ख) अनुज्ञप्ति धारक स्तंभ (1) यह अनुज्ञप्ति तभी तक वैध है जब तक दर्शित परिसर के भीतर व्यापार या कारबार करता है, और वह स्वयमेव ही व्यपगत हो जाएगी यदि छह मास से अधिक समय तक निरंतर कारबार नहीं किया जाता।
(ग) अनुज्ञप्ति धारक अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना इस अनुज्ञप्ति से सहबद्ध किसी भागीदारी को नहीं करेगा।
2. अनुज्ञप्तिधारी यातायात के लिए प्राप्त सभी आयुधों और गोलाबारूद का, स्टॉक का तथा सभी परिवहन किए गए माल का विशिष्टियों से मेल केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित प्ररूप में रजिस्टर रखेगा।
3. अनुज्ञप्तिधारी मांग किए जाने पर मजिस्ट्रेट या निरीक्षण से अन्यून पुलिस अधिकारी या केन्द्रीय सरकार के निदेश पर उपनिरीक्षक के निरीक्षण के लिए अपना स्टॉक और रजिस्टर उपलब्ध करवाएगा।
4. अनुज्ञप्तिधारी अपने कारबार, कारखाने या दुकान के दृश्यमान स्थान पर अंग्रेजी/हिन्दी और अपने जिले की भाषा में बड़े अक्षरों में "आयुध और गोलाबारूद के परिवहन की अनुज्ञप्ति" लगावाएगा।
5. अनुज्ञप्तिधारी स्तंभ (2) में अनुज्ञात वर्णन के सिवाय किसी अन्य प्रवर्ग के आयुधों और/या गोलाबारूद का परिवहन नहीं करेगा।
6. अनुज्ञप्तिधारी स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट स्थान के सिवाय या प्ररूप 14 में अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करते समय घोषित शाखा कार्यालय या प्रतिनिधि कार्यालय के सिवाय कहीं अन्यथा आयुध या गोलाबारूद नहीं रखेगा।
7. वह प्ररूप 12 में परेषिती से परिवहन अनुज्ञप्ति की प्रथम प्रति प्राप्त किए बिना आयुध और गोलाबारूद की मात्रा का परिवहन नहीं करेगा और लिखित घोषणा के आधार पर ऐसे परिवहन का प्रयोजन सुनिश्चित करेगा और अधिनियम या इन नियमों के अधीन परेषण प्राप्त करने के सद्भाव साक्ष्य के बिना परेषण परेषिती को हस्तगत नहीं करेगा।
8. परिवहनकर्ता अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा -
(क) इस बात का सबूत कि आयुध या गोलाबारूद का परिवहन करने वाला यान तथा आवेदक के बीच संचार का दो तरफा माध्यम उचित प्रचालन में है;
(ख) उपयोग किए जाने वाले यान में लगे हुए सुरक्षोपायों का विस्तृत वर्णन;
(ग) सुरक्षापूर्वधानियों का परिवहन के दौरान विस्तृत वर्णन।
9. परिवहन कर्ता परिवहन के भारसाधक को टाइप की हुई सूची या कंप्यूटर प्रिंट आउट आने लेटरहेड पर देगा जिसमें परिवहन से सीधे सम्मिलित व्यक्तियों के नाम, पहचान संख्या आदि होंगे तथा ऐसी सूची प्ररूप 14 में अनुज्ञप्ति की प्रमाणित प्रति से संलग्न होनी चाहिए।
10. प्ररूप 14 में अनुज्ञप्ति धारण करने वाला आयुध या गोलाबारूद परिवहनकर्ता ऐसे परिवहन के दौरान निम्नलिखित रखेगा—
निम्नलिखित विशिष्टियों सहित परेषण नोट:
(i) (क) परिवहनकर्ता का पूरा नाम, पता, अनुज्ञप्ति और यूआईएन;
(ख) परिवहन किए जाने वाले आयुधों और गोलाबारूद के संबंध में परेषक और परेषिती के नाम, पते और यूआईएन;
(ग) आयुधों की मात्रा, प्रकार एकशन, विनिर्माता का क्रम सं., मेक और कैलिबर तथा गोलाबारूद की मात्रा, मेक और कैलिबर;
(घ) आयुध और गोलाबारूद संग्रह के स्थान तथा अंतिम भेजने वाले स्थान का भौतिक पता;
(ii) प्ररूप 12 में ऐसे आयुधों और गोलाबारूद का परिवहन प्राधिकृत करने वाली अनुज्ञप्ति;
(iii) कोई अन्य दस्तावेज जो इन नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन अपेक्षित हो।
11. जहां प्ररूप 14 में अनुज्ञप्तिधारण करने वाला व्यक्ति प्राप्ति और परिदान के बीच किसी अवधि के लिए भंडारण करता है तो ऐसा भंडारण नियम 10 की अपेक्षाओं के अनुरूप सुरक्षित भंडारण के अनुसार होना चाहिए।
12. अनुज्ञप्तिधारी कम से कम दो सक्षम रक्षकों के साथ स्वयं या अपने कर्मिकों द्वारा मार्ग में आयुध और गोलाबारूद का निरीक्षण सुनिश्चित करेगा।
13. अग्न्यायुध परिवहनकर्ता परेषिती से आयुध और गोलाबारूद के परेषण की लिखित संपुष्टि प्राप्त करेगा जिसमें निम्नलिखित अंतर्विष्ट होगा--
(i) प्राप्तकर्ता का नाम और उपनाम;
(ii) प्राप्तकर्ता का पता;
(iii) परिदान की तारीख और समय;
(iv) प्राप्त आयुध और गोलाबारूद का वर्णन; और
(v) प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर जिससे सही परिदान की पुष्टि हो।
- प्राप्त लिखित संपुष्टि की प्रति प्ररूप 12 में परिवहन अनुज्ञप्ति जारी करने वाले अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को परिवहनकर्ता द्वारा परिदान की जाएगी।
14. प्ररूप 14 में अनुज्ञप्ति धारण करने वाला अनुज्ञप्तिधारी आयुध या गोलाबारूद की परिदान न होने, क्षति या चोरी की दशा में तुरंत पुलिस तथा अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के लिखित में सूचना देगा।

15. आयुध और गोलाबारूद ले जाने वाला यान युक्तियुक्त रूप से अपेक्षित अवधि से अधिक अवधि के लिए नहीं सकेगा तथा ऐसे स्थानों पर रुकने से बचेगा जहां लोक सुरक्षा खतरे में होने की संभावना हो और आयुध तथा गोलाबारूद ले जाने वाला यान प्ररूप 14 में अनुज्ञप्तिधारी के व्यय पर पूर्णतः सुरक्षित और अग्नि शामक यंत्रों से पूर्णतः सुसज्जित होगा।

प्ररूप XV

नेपाल में एक स्थान से नेपाल में दूसरे स्थान तक नेपाल की सरकारी फौज या पुलिस द्वारा आयुध और गोलाबारूद के भारतीय राज्यक्षेत्र में आयात, यात्रा की अवधि के लिए कब्जा, परिवहन और भारत से बाहर निर्यात के लिए अनुज्ञप्ति

यू आई एन _____ अनुज्ञप्ति सं० _____

अनुज्ञप्तिधारी/ अधिकर्ता का विवरण	रिटर्नर की संख्या	वह आयुध और गोला बारूद जिनके आयात/ कब्जे/ परिवहन/ निर्यात के लिए अनुज्ञप्ति धारी हकदार है		भारत में प्रवेश का स्थान	जिला/ जिले जहां से आयुध और गोला बारूद गुजरेंगे	भारत से निकासी का स्थान	अवधि जिसमें अनुज्ञप्ति मान्य है
1	2	3	4	5	6	7	8

से

तक

जिला मजिस्ट्रेट को प्रति भेजने की तारीख

.....जिला

[नियम 111 (2) द्वारा]

(मुहर)

(हस्ताक्षर)

भारतीय राजदूत नेपाल

शर्तें

- यह अनुज्ञप्ति आयुध अधिनियम, 1959 और आयुध अधिनियम, 2016 के सभी उपबंधों के अधीन दी गई है।
- इसके अंतर्गत सिर्फ वह व्यक्ति और आयुध या गोला बारूद आते हैं जिनका इसमें वर्णन है।
- अनुज्ञप्ति धारी इस अनुज्ञप्ति के अंतर्गत आने वाले किसी आयुध या गोला बारूद का, जब भारत में है, विक्रय या अंतरण नहीं कर सकेगा।

प्ररूप XVI

अग्निआयुध मुक्त क्षेत्र के लिए अनुज्ञप्ति

यू०आई०एन०	अनुज्ञप्ति संख्या	नाम, विवरण और अनुज्ञप्तिधारी का कारबार पता	संलग्न सादर प्लान के अनुसार अग्निआयुध मुक्त क्षेत्र के रूप में घोषित निर्धारित क्षेत्र (लाल से चिह्नित)	किसी तारीख को अनुज्ञप्ति अवसान होगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

तारीख

मोहर

(हस्ताक्षर)

अनुज्ञप्ति प्राधिकारी

पदनाम

स्थान

अनुज्ञप्ति के नवीकरण का प्ररूप			
नवीकरण की तारीख व वर्ष	किस तारीख को नवीकृत अनुज्ञप्ति अवमान होगा	नवीकरण करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम	मोहर
1	2	3	4

शर्तें

1. यह अनुज्ञप्ति आयुध अधिनियम, 1959 और आयुध नियम, 2016 के सभी उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रदान की गई है।
2. इसको केवल अनुज्ञप्ति के स्तंभ (4) में उल्लिखित सीमांकित क्षेत्र के लिए अग्निआयुध मुक्त क्षेत्र के रूप में घोषित परिसर के स्वामी के नाम को लिया गया है।
3. अनुज्ञप्तिधारी अग्निआयुध मुक्तक्षेत्र के रूप में परिसर को घोषित करते हुए अंग्रेजी और स्थानीय भाषा दोनों में स्तंभ (4) में उल्लिखित परिसरों के सभी मुख्य प्रवेशों या अनुकूल स्थानों पर सूचना लगाएगा।
4. सूचनाएं और साइन बोर्ड हर समय साफ और स्पष्ट दिखनी होंगी।
5. अग्निआयुध मुक्त क्षेत्र के लिए आवेदन भरते समय दी गई सूचना में कोई परिवर्तन, अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को सात कार्य दिवसों की अवधि के भीतर सूचित करना होगा।

अनुसूची-III**भाग-II****आवेदन प्ररूप****प्ररूप क-1****(व्यष्टि के लिए)**

आवेदक का
पासपोर्ट साइज
का फोटो

प्ररूप-II, III और IV में किसी अग्निआयुध अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन का प्ररूप

(नियम 11 देखें)

आवेदक की पहचान			
1	नाम		
2	अभिभावक/ पति-पत्नी का नाम		
3	लिंग	पुरुष ☐	स्त्री ☐
4	जन्म स्थान (जन्म भूमि)	देश	राज्य जिला
5	इस्वी सन् में जन्म की तारीख	आवेदन की तारीख को 21 वर्ष का होना जरूरी है	
	अंकों में	दिन/मास/वर्ष	
	शब्दों में		
6	स्थायी खाता सं० (पैन)		
7	आधार कार्ड संख्या		
8	वर्तमान पता	जिला	राज्य
(क)	वर्तमान पते पर कब से रह रहे हैं	दिन/मास/वर्ष	
(ख)	दूरभाष संख्या	कार्यालय	निवास
(ग)	मोबाइल संख्या		
(घ)	*नजदीकी पुलिस थाना		
9	स्थायी पता	जिला	राज्य
(क)	नजदीकी पुलिस थाना		
10	व्यवसाय		
*टिप्पण :- नजदीकी पुलिस थाना से वह पुलिस थाना अभिप्रेत है जिसको अधिकारिता में दिया गया पता आता है।			
11	कार्यालय/ कारबार पता		
12	अतिरिक्त विशिष्टियां, यदि नियम 35 के अधीन फसल संरक्षण के लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित है	अवस्थिति (ग्राम)	जुताई के अधीन भूमिक्षेत्र

आवेदक की अन्य विशिष्टियां				
13	क्या आवेदक,—			
(क)	दोष सिद्ध हुआ है	हां	नहीं	यदि हां, तो उसका ब्यौरा अपराध दण्डादेश दण्डादेश की तारीख दिन/मास/वर्ष
(ख)	शांति और सदाचार बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 8 के अधीन बंधपत्र क्रियान्वित होने का आदेश हुआ है	हां	नहीं	यदि हां, तो उसका ब्यौरा तारीख दिन/मास/वर्ष (किस सीमा के लिए उसकी अवधि)
(ग)	आयुध या गोला बारूद रखने से आयुध अधिनियम, 1959 या कोई अन्य विधि के अधीन निषेध हुआ है	हां	नहीं	यदि हां, तो उसका ब्यौरा तारीख दिन/मास/वर्ष निषेध के लिए अवधि
14	क्या,—			
(क)	आवेदक ने अनुज्ञप्ति के लिए पहले आवेदन, किया है, — यदि हां, कब से कब तक और उसका परिणाम क्या था।	हां	नहीं	यदि हां, तो उसका ब्यौरा आवेदन किए जाने की तारीख दिन/मास/वर्ष अनुज्ञप्ति प्राधिकारी का नाम परिणाम (कृपया विनिर्दिष्ट करें) अनुमोदित/अस्वीकृत/लंबित
(ख)	आवेदक का अनुज्ञप्ति कभी निलंबित, या निरस्त/प्रतिसंहरित हुआ था	हां	नहीं	यदि हां, तो उसका ब्यौरा अनुज्ञप्ति प्राधिकारी का नाम कारण
(ग)	आवेदक के परिवार का कोई अन्य सदस्य जिसके पास कोई आयुध अनुज्ञप्ति है, यदि हां, तो उसकी विशिष्टियां	हां	नहीं	यदि हां, तो उसका ब्यौरा नाम अनुज्ञप्ति सं० आयुध पृष्ठांकन
				1.
				2.
				3.
(घ)	आवेदक के पास आयुध और गोला बारूद रखने की सुरक्षित जगह है	हां	नहीं	यदि हां, तो उसका ब्यौरा
(ङ)	आवेदक ने नियम 10 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त किया है (केन्द्रीय सरकार द्वारा जहां कहीं लागू हो)	हां	नहीं	यदि हां, तो उसका ब्यौरा
आवेदन किए गए विज्ञप्ति की विशिष्टियां				
15	अनुज्ञप्ति के लिए आवश्यकता (टिप्पण 1 देखें)			
16	आयुध का विवरण			
(क)	जिसके लिए अनुज्ञप्ति मांगी गई है	प्रवर्ग – निर्वधित राइफल ☐		

	(किसी एक विकल्प पर सही का निशान लगाए)	शाट गन (बी एल/ एम एल)	☐
		हैंडगन (रिवालवर/ पिस्टल)	☐
		अन्य	☐
(ख)	गोलाबारूद का विवरण या गोलाबारूद संघटक जिसके लिए अनुज्ञप्ति मांगी गई है।		
17	क्षेत्र के भीतर जिसमें आवेदक ने आयुध को ले जाने की चाह रखी है (किसी एक विकल्प पर सही का निशान लगाए)	जिला राज्य पूरे भारत भर में	☐ ☐ ☐
18	अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए विशेष विचारण के लिए दावा, यदि कोई हो (साथ सस्तो संलग्न कीजिए)		
अतिरिक्त सूचना			
19	प्ररूप IV में अनुज्ञप्ति के लिए किसी आवेदन का ब्यौरा		
(क)	स्थान या क्षेत्र जिसके लिए अनुज्ञप्ति मांगी गई है		
(ख)			

घोषणा :

मैं, यह घोषणा करता हूँ कि आवेदन में दिए गए उपरोक्त विशिष्टियाँ मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के साथ सत्य, पूर्ण और सही हैं। मुझे ज्ञात है कि किसी भी स्तर पर दी गई जानकारी झूठी या असत्य पाई जाती है, आयुध अधिनियम, 1959, आयुध नियम, 2016 और अन्य केन्द्रीय अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त विधि के संबंधित उपबंधों के अधीन मेरे विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए दायी होगा।

स्थान :

(आवेदक के अंगुठों का निशान/ हस्ताक्षर)

तारीख :

टिप्पण :

1. स्तंभ 15 के सामने, आवेदक को स्पष्टरूप से उस प्रयोजन का उल्लेख करना चाहिए जिसके लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित है – जैसे कि (प्ररूप II, III या IV) आवेदित अनुज्ञप्ति के प्रवर्ग के अनुसार, उपयोग, अर्जन कब्जा, ले जाना, खेल, प्रदर्शन, जंगली जानवरों का नाश जो कि मनुष्य द्वारा क्षति की गई हो या मवेशी और फसलों को नुकसान आदि।
2. नियम II के अधीन निम्नलिखित दस्तावेज आवेदन के साथ प्रस्तुत करना है
 - (क) आवेदक का नवीनतम फोटो की (सफेद पृष्ठभूमि में) चार पासपोर्ट साईज की प्रतियाँ ;
 - (ख) जन्म की तारीख का सबूत ;
 - (ग) पहचान सबूत – आधार कार्ड या आवेदक के पास आधार कार्ड न होने की दशा में, वैकल्पिक पहचान सबूत जैसे – पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, पेन कार्ड या कर्मचारी को जारी किया हुआ पहचान पत्र के साथ शपथपत्र के रूप में एक लिखित घोषणा प्रस्तुत करेगा ;
 - (घ) निवास सबूत, आवेदक के पास आधार कार्ड या पासपोर्ट न होने की दशा में – (निर्वाचन कार्ड या विद्युत बिल, या लैंडलाइन टेलिफोन बिला, या किराया विलेख या पट्टा विलेख या संपत्ति दस्तावेज या अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के समाधान का कोई अन्य दस्तावेज) ;
 - (ङ) प्ररूप घ-1 में अग्निआयुध प्रशिक्षण प्रमाणपत्र (साधारण या विशेष आदेश पारित द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा जहाँ कहीं लागू हो) ;
 - (च) प्ररूप घ-2 में वचनबंध अग्निआयुध के सुरक्षित उपयोग और भंडारण ;
 - (छ) नियम 12 के उपनियम (3) के खण्ड (क) में यथाविनिर्दिष्ट वृत्तिक प्रवर्ग आवेदकों से शैक्षिक और वृत्तिक अर्हता प्रमाणपत्रों की स्वयं-अनुप्रमाणित प्रतियाँ ;
 - (ज) प्ररूप घ-3 में मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक योग्यता के बारे में चिकित्सा प्रमाणपत्र ;
 - (झ) जंगली जानवरों के नाश जो कि मनुष्य द्वारा क्षति की गई हो या मवेशी और फसलों को नुकसान के लिए संरक्षण की दशा में, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के अधीन सशक्त प्राधिकारी से अनुज्ञा दी जाएगी ;

3. जो प्रविष्टियां संबंधित नहीं हैं उसे काट दें।

चेतावनी : आयुध नियमों के अतिक्रमण में आवेदन प्ररूप में दी गई किसी तथ्यपूर्ण सूचना या किसी प्रकार की झूठी या गलत सूचना को छिपाने पर आवेदक, आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 30 के अधीन दंड कके लिए दायी होगा।

प्ररूप क-2

(कम्पनियों के लिए)

प्ररूप II, III और V में आयुध अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन का प्ररूप

(नियम 11 देखें)

आवेदक की पहचान		
1	आवेदक कम्पनी का नाम	
	स्थायी पहचान संख्या (पेन)	
	कारपोरेट पहचान संख्या (सी० आई० इन०)	
2	कम्पनी की आवेदक शाखा या प्रतिनिधि कार्यालय का नाम (यदि आवेदन ऐसी शाखा या प्रतिनिधि कार्यालय द्वारा भरा गा है)	
3	आवेदक कम्पनी की स्थापना (नीचे टिप्पण 1 देखे)	
4	'उत्तरदायी व्यक्ति' का पदनाम जो आवेदक कम्पनी की ओर से हस्ताक्षर करेगा (लिखित में प्राधिकृत किया जाए या जहां कहीं अपेक्षित हो बोर्ड संकल्प के माध्यम से)	
	'उत्तरदायी व्यक्ति' का नाम, आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाला	
5	कम्पनी का रजिस्टर्ड कार्यालय पता	
	दूरभाष सं० (कार्यालय)	
	उत्तरदायी व्यक्ति का मोबाइल संख्या	
	ई-मेल	
	*नजदीक पुलिस थाना	
6	शाखा या प्रतिनिधि कार्यालय का पता जो कि आवेदन में भरा गया है	
	दूरभाष (कार्यालय/ निवास)	
	मोबाइल सं०	
	ई-मेल	
	*नजदीकी पुलिस थाना	

*टिप्पण – नजदीकी पुलिस थाना से वह पुलिस थाना अभिप्रेत है जिसकी अधिकारिता में दिया गया पता आता है

आवेदक की अन्य विशिष्टियां				
7	क्या आवेदक या उसके कार्यालय का पदधारियों या निदेशकों को कभी :—			
(क)	दोष सिद्ध हुए हैं (पृथक् कागज में ब्यौरा संलग्न करे यदि उत्तर सकारात्मक है)	हां	नहीं	यदि हां, तो उसका ब्यौरा अपराध दण्डादेश दण्डादेश तारीख दिन/ मास/ वर्ष
(ख)	आयुध या गोलाबारूद रखने से आयुध अवधिनियम, 1959 या कोई अन्य विधि के अधीन निषेध हुआ है	हां	नहीं	यदि हां, तो उसका ब्यौरा तारीख दिन/ मास/ वर्ष निषेध के लिए अवधि
8	क्या —			
(क)	आवेदक ने अनुज्ञप्ति के लिए पहले आवेदन किया है, - यदि हां, कब से कब तक और उसका परिणाम क्या था	हां	नहीं	यदि हां, तो उसका ब्यौरा आवेदन किए जाने की तारीख दिन/ मास/वर्ष अनुज्ञप्ति प्राधिकारी का नाम परिणाम (कृपया विनिर्दिष्ट करें) अनुमोदित/अस्वीकृत/लंबित
(ख)	आवेदक का अनुज्ञप्ति कभी निलंबित या निसस्त/प्रतिसंहरित हुआ था	हां	नहीं	यदि हां, तो उसका ब्यौरा अनुज्ञप्ति प्राधिकारी का नाम कारण
(ग)	कम्पनी द्वारा पहले से ही कोई अन्य आयुध अनुज्ञप्ति धारण किया हुआ है या जहां आवेदक ऐसी कम्पनी की शाखा या प्रतिनिधि कार्यालय है, वहां ऐसी शाखा या प्रतिनिधि कार्यालय द्वारा धारण किया हुआ है	हां	नहीं	यदि हां, तो उसका ब्यौरा नाम अनुज्ञप्ति संख्या आयुध पृष्ठांक 1. 2. 3.
(घ)	आवेदक के पास आयुध और गोलाबारूद रखने का सुरक्षित स्थान है	हां	नहीं	यदि हां, तो उसका ब्यौरा
(ङ)	आवेदक द्वारा नियोजित करने वाले प्रतिधारक या प्रतिधारकों को नियम 10 में, यथाविनिर्दिष्ट प्रशिक्षण दिया गया है। (जहां कहीं केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू)			

आवेदन किए गए अनुज्ञप्ति की विशिष्टियां	
9	अनुज्ञप्ति के लिए आवश्यकता (नीचे टिप्पण 2 देखें)
10 (क)	आयुध का विवरण जिसके लिए अनुज्ञप्ति मांगी गई है (कोई एक विकल्प पर सही का निशान लगाए) प्रवर्ग – निर्बद्धित/ अनुज्ञेय राइफल ☐ शाटगन (बीएल/एम एमल) ☐ हैंड गन (रिवालवर/पिस्टल) ☐ अन्य ☐

(ख)	गोला बारूद का विवरण या गोलाबारूद संघटक जिसके लिए अनुज्ञप्ति मांगी गई है	
11	अग्निआयुध की संख्या जिसके लिए आवेदक ने आवेदन में चाह है	
12	क्षेत्र के भीतर जिसमें आवेदक ने आयुध को ले जाने की चाह रखी है (किसी एक विकल्प पर सही का निशान लगाएं)	जिला राज्य पूरे भारत में
13	अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए विशेष विचारण के लिए दावा, यदि कोई हो (सध्य दस्तावेज संलग्न कीजिए)	

घोषणा :

मैं,, उत्तरदायी व्यक्ति,, स्तंभ (3) में यथाउल्लिखित पदनाम (कंपनी नाम) यह घोषणा करता हूं कि आवेदन में दिए गए विशिष्टियां मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के साथ सत्य, पूर्ण और सही है। मुझे ज्ञात है कि किसी भी स्तर पर दी गई जानकारी झूठी या असत्य पाई जाती है, मैं, स्वयं, साथ ही साथ कंपनी, आयुध अधिनियम, 1959, आयुध नियम, 2016 और अन्य केन्द्रीय अधिनियमन या तत्समय प्रवृत्त उपबंधों के अधीन मेरे विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए दायी होगी।

स्थान :

(मोहर सहित उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर)

तारीख :

कम्पनी की ओर से हस्ताक्षर करने वाला

टिप्पण :

1. कम्पनी के गठन का उल्लेख किया जाना—

किसी विशेष अधिनियम या अन्यथा आदि के अधीन प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी, लिमिटेड कम्पनी, सरकारी उपक्रम, सोसाइटी, कॉ-ऑपरेटिव सोसाइटी, संस्थान, विश्वविद्यालय, भागीदार फर्म, व्यक्तियों का संघ, (ए०ओ०पी०) या कोई अन्य निकाय

2. स्तंभ 8 के सामने, आवेदन को स्पष्ट रूप से उस प्रयोजन का उल्लेख करना चाहिए जिसके लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित है जैसे कि उपयोग, अर्जन, कब्जा ले जाना, संरक्षण, प्रदर्शन, लक्षित व्यवसाय या गोलीबारी।

3. आवेदक, आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करना अपेक्षित है :—

(क) आयुध नियमों के अधीन आवेदन करने के लिए नियम 2 के खण्ड (44) द्वारा नियुक्त उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया हुआ आवेदक कम्पनी के लेटर हैड पर लिखित वचनबंध ;

(ख) उपरोक्त खण्ड (क) में निर्दिष्ट पारित बोर्ड संकल्प या उत्तरदायी व्यक्ति की नियुक्ति की पुष्टि का प्राधिकृत पत्र की मूल प्रति ;

(ग) कम्पनी के स्थापना दस्तावेजों जिसके अंतर्गत संगम ज्ञापन भी है की अनुप्रमाणित प्रतियां ;

(घ) नियम 10 में यथाविनिर्दिष्ट, प्ररूप ख-2 में अग्निआयुध का सुरक्षित उपयोग और भंडारण का वचनबंध ;

चेतावनी : आयुध नियमों के अतिक्रमण में आवेदन प्ररूप में दी गई किसी तथ्यपूर्ण सूचना या किसी प्रकार की झूठी या गलत सूचना को छिपाने पर आवेदक, आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 30 के अधीन दंड के लिए दायी होगा।

प्ररूप क-3

(व्यष्टियों के लिए)

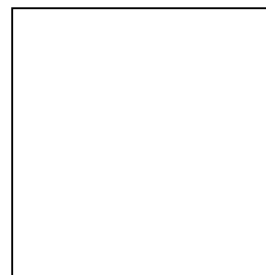
प्ररूप 2, 3, 4 में अनुदत्त अनुज्ञप्ति(यों) के लिए आयुधों के नवीकरण हेतु आवेदन का

प्ररूप

(नियम 24 देखें)

अनुज्ञप्तिधारी की पहचान

1. यूआईएन (16 अंक)
2. नाम
3. पिता/माता/पति/पत्नी का नाम



4. ईस्वी सन् में जन्म की तारीख
(क) अंकों में
(ख) शब्दों में
5. वर्तमान पता
(क) दूरभाष (कार्यालय/निवास)
(ख) मोबाइल
(ग) ई-मेल
(घ) निकटतम पुलिस थाना
6. व्यवसाय
7. कार्यालय/कारबार का पता

अनुज्ञप्ति की विशिष्टियां और शस्त्र पृष्ठांकन

8. अनुज्ञप्ति सं.
9. अवसान की तारीख
10. क्षेत्र वैधता
11. पृष्ठांकित आयुध आयुध 1 आयुध 2 आयुध 3
(क) प्रकार (राइफल/शॉट गन/हैंड गन
(रिवॉलवर/पिस्टल))
(ख) बोर/कैलिबर
(ग) आयुध संख्यांक
12. अनुज्ञात गोला-बारूद कार्टरिज गन पाउडर/परकशन
कैप्स

आवेदक की अन्य विशिष्टियां

13. क्या अनुज्ञप्ति के पिछले नवीकरण या जारी करने के समय से आवेदक--
(क) सिद्धदोष हुआ है हां नहीं यदि हां तो उसके ब्यौरे
अपराध
दंड
दंड की तारीख
यदि हां तो उसके ब्यौरे
तारीख
वह अवधि जिसके लिए बद्ध हैं
यदि हां तो उसके ब्यौरे
तारीख
वह अवधि जिसके लिए प्रतिषिद्ध किया गया है
14. क्या--
(क) अनुज्ञप्ति के पिछले नवीकरण या जारी करने के समय से आवेदक की अनुज्ञप्ति कभी निबंलित या निरस्त/वापस ली गई है। हां नहीं यदि हां तो उसके ब्यौरे
अनुज्ञप्ति प्राधिकारी का नाम
कारण
यदि हां तो उसके ब्यौरे
नाम
अनुज्ञप्ति सं.

- (ग) आवेदक के पास आयुध और गोलाबारूद हां नहीं पृष्ठांकित आयुध 1. 2. 3.
रखने के लिए सुरक्षित स्थान है यदि हां तो उसके ब्यौरे
- (घ) आवेदक ने नियम 10 के अधीन हां नहीं यदि हां तो उसके ब्यौरे
यथाविनिर्दिष्ट विहित प्रशिक्षण प्राप्त किया
है (जब भी केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू
करवाया जाए)

घोषणा :

मैं यह घोषणा करता हूं कि आवेदन में दिए गए उपरोक्त विशिष्टियां मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के साथ सत्य, पूर्ण और सही हैं। मुझे ज्ञात है कि किसी भी स्तर पर दी गई जानकारी झूठी या असत्य पाई जाती है तो आयुध अधिनियम, 1959 आयुध नियम, 2016 और अन्य केन्द्रीय अधिनियमन या तत्समय प्रवृत्त विधि के संबंधित उपबंधों के अधीन मैं मेरे विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए दायी हूं।
आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

स्थान

तारीख

टिप्पणः--

छूट प्राप्त खिलाड़ी स्तंभ 11 और 12 के सामने पृथक शीट में उनके द्वारा रखे गए आयुध और गोलाबारूद की सूची संलग्न करेंगे।

चेतावनी:

आयुध नियमों के अतिक्रमण में आवेदन प्ररूप में दी गई किसी तथ्यपूर्ण सूचना या गलत सूचना को छिपाने पर आवेदक आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 30 के अधीन दंड के लिए दायी होगा।

प्ररूप क-4

(कंपनियों के लिए)

प्ररूप 2, 3, 4 में अनुदत्त अनुज्ञप्ति(यों) के लिए नवीकरण हेतु आवेदन का प्ररूप

(नियम 24 देखें)

अनुज्ञप्तिधारी की पहचान

1. यूआईएन (16 अंक)
2. अनुज्ञप्तिधारी कंपनी का नाम
(टिप्पण 1 देखें)
3. अनुज्ञप्तिधारी कंपनी का गठन
पैन/सीआईएन
4. उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
5. अनुज्ञप्तिधारी कंपनी का पता

दूरभाष सं. (कार्यालय)
उत्तरदायी व्यक्ति की मोबाइल
सं.
ई-मेल
निकटवर्ती पुलिस थाना

अनुज्ञप्ति की विशिष्टियां और शस्त्र पृष्ठांकन

6. अनुज्ञप्ति सं.
7. अवसान की तारीख
8. क्षेत्र वैधता

9.	पृष्ठांकित आयुधों की कुल संख्या		
10	आयुधों के ब्यौरे	1	2
(क)	प्रकार (राइफल/शॉट गन/हैंड गन (रिवॉलवर/पिस्टल))		
(ख)	बोर		
(ग)	आयुध संख्यांक	तीन से अधिक आयुधों के लिए पृथक सूची संलग्न की जाए	
11.	अनुज्ञात गोला-बारूद	कार्टरिज गन पाउडर/परकशन कैप्स	

आवेदक की अन्य विशिष्टियां

12.	क्या अनुज्ञप्ति के पिछले नवीकरण या जारी करने के समय से आवेदक या पदधारी या निदेशक या उत्तरदायी व्यक्ति--			
(क)	सिद्धदोष हुआ है (यदि उत्तर हां में है तो पृथक शीट में संलग्न करें)	हां	नहीं	यदि हां तो उसके ब्यौरे अपराध दंड दंड की तारीख यदि हां तो उसके ब्यौरे तारीख वह अवधि जिसके लिए प्रतिषिद्ध किया गया है
(ख)	आयुध अधिनियम, 1959 या किसी अन्य विधि के अधीन आयुध या गोलाबारूद रखने के लिए प्रतिषिद्ध किया गया है।	हां	नहीं	
13.	क्या--			
(क)	अनुज्ञप्ति के पिछले नवीकरण या जारी करने के समय से आवेदक की अनुज्ञप्ति कभी निबंलित या निरस्त/वापस ली गई है।	हां	नहीं	यदि हां तो उसके ब्यौरे अनुज्ञप्ति प्राधिकारी का नाम कारण यदि हां तो उसके ब्यौरे
(ख)	आवेदक के पास आयुध और गोलाबारूद रखने के लिए सुरक्षित स्थान है	हां	नहीं	
(ग)	कंपनी द्वारा नियुक्त धारकों ने नियम 10 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विहित प्रशिक्षण प्राप्त किया है (जब भी केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू करवाया जाए)	हां	नहीं	यदि हां तो उसके ब्यौरे

घोषणा :

मैं(स्तंभ 4 में नामित) उत्तरदायी व्यक्ति (कंपनी का नाम) यह घोषणा करता हूं कि आवेदन में दिए गए उपरोक्त विशिष्टियां मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के साथ सत्य, पूर्ण और सही हैं। मुझे ज्ञात है कि किसी भी स्तर पर दी गई जानकारी झूठी या असत्य पाई जाती है तो आयुध अधिनियम, 1959 आयुध नियम, 2016 और अन्य केन्द्रीय अधिनियमन या तत्समय प्रवृत्त विधि के संबंधित उपबंधों के अधीन मैं मेरे विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए दायी हूं।

कंपनी के निमित्त हस्ताक्षर करने वाले
उत्तरदायी व्यक्ति के मुहर के साथ हस्ताक्षर

टिप्पणः--

कंपनी का गठन वर्णित किया जाए--

प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी, सरकारी उपक्रम, सोसाइटी, सहकारी सोसाइटी, संस्थान, विश्वविद्यालय, भागीदारी फर्म, व्यक्तियों का संगम या किसी विशेष अधिनियम या अन्यथा के अधीन कोई अन्य निकाय।

चेतावनी:

आयुध नियमों के अतिक्रमण में आवेदन प्ररूप में दी गई किसी तथ्यपूर्ण सूचना या गलत सूचना को छिपाने पर आवेदक आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 30 के अधीन दंड के लिए दायी होगा।

प्ररूप क-5

(व्यष्टिकों/टीमों या समूहों के लिए)

प्ररूप 6 में आयुधों और गोलाबारूद के अस्थायी आयात और निर्यात के लिए आयुध अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन का प्ररूप

भाग क

(नियम 44, 45 देखें)

व्यष्टिकों द्वारा आवेदन**भारत में अनुसूची 1 के प्रवर्ग के अगनायुधों को लाना**

1. नाम
2. पिता/माता/पति/पत्नी का नाम
3. राष्ट्रियता
4. पासपोर्ट संख्या
5. भारत के लिए वीजा विशिष्टियां
6. ईस्वी सन् में जन्म की तारीख
7. वैधता के साथ निवासी देश का मूल
आयुध अनुज्ञप्ति संख्यांक
8. वर्तमान पता (पासपोर्ट के अनुसार)
दूरभाष (कार्यालय/निवास)
मोबाईल संख्या
ई-मेल
9. भारत में अगनायुध लाने का प्रयोजन
10. भारत में रहने की अवधि जिसके
लिए अनुज्ञप्ति की वांछा की गई है
11. भारत में आगमन की अनुमानित
तारीख और प्रवेश का पत्तन
12. भारत से प्रस्थान की अनुमानित
तारीख और निकास का पत्तन
13. अगनायुध जिसके लिए अनुज्ञप्ति की
वांछा की गई है
प्रकार
बोर
संख्या
14. भारत में खेल गतिविधि/टूर्नामेंट के
लिए प्रायोजकों/आयोजकों के ब्यौरे

खेल टीमों/समूहों के मामले में अतिरिक्त जानकारी

1. प्रबंधक या समूह नेता का नाम
2. पिता/माता/पति/पत्नी का नाम
3. राष्ट्रियता
4. पासपोर्ट संख्या
5. भारत के लिए वीजा विशिष्टियां
6. जन्म का स्थान
7. ईस्वी सन् में जन्म की तारीख
8. वर्तमान पता (पासपोर्ट के अनुसार)
दूरभाष (कार्यालय/निवास)
मोबाईल संख्या
ई-मेल
9. टीम के सदस्यों की संख्या
10. खेल गतिविधि/टूर्नामेंट के ब्यौरे
स्थान
तारीख

11. अवधि जिसके लिए अनुज्ञप्ति की
वांछा की गई है
12. भारत में आयोजक/प्रायोजक

घोषणा :

मैं यह घोषणा करता हूँ कि आवेदन में दिए गए उपरोक्त विशिष्टियाँ मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के साथ सत्य, पूर्ण और सही हैं। मुझे ज्ञात है कि किसी भी स्तर पर दी गई जानकारी झूठी या असत्य पाई जाती है तो आयुध अधिनियम, 1959 आयुध नियम, 2016 और अन्य केन्द्रीय अधिनियमन या तत्समय प्रवृत्त विधि के संबंधित उपबंधों के अधीन मैं मेरे विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए दायी हूँ।

आवेदक/समूह या टीम के नेता के हस्ताक्षर

स्थान

तारीख

टिप्पणः--

1. भाग क में यथाविनिर्दिष्ट ब्यष्टिक टीम सदस्यों के ब्यौरे देते हुए भारत में आने वाले समूह/खेल टीम के नेता द्वारा ऊपर दिए गए अतिरिक्त ब्यौरों के साथ आवेदन फाइल किया जा सकेगा।
2. भारत में आयोजित होने वाली खेल गतिविधियों/टूर्नामेंटों के लिए खेल और युवा कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित भारतीय आयोजकों/प्रायोजकों से अनुमोदन पत्र के आधार पर अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए भारतीय कानसुलेट/उच्चायोग को आवेदन अग्रिम रूप से दिया जा सकेगा।

भाग ख

(नियम 43 देखें)

भारत में आने वाले पर्यटकों के लिए लागू—

(केवल भारत में निर्मित आयुधों के लिए) प्रवर्ग 3, 4, 5 के भारत में, ठहरने/ले जाने/निर्यात करने के दौरान अर्जन और अधिभोग (किन्तु उपयोग नहीं)

1. नाम
2. पिता/माता/पति/पत्नी का नाम
3. राष्ट्रियता
4. पासपोर्ट संख्या
5. बीजा ब्यौरे
6. ईस्वी सन् में जन्म की तारीख
7. वर्तमान पता (पासपोर्ट के अनुसार)
दूरभाष (कार्यालय/निवास)
मोबाईल संख्या

ई-मेल

8. भारत में आगमन की तारीख और प्रवेश का पत्तन
9. भारत से प्रस्थान की अनुमानित तारीख और निकास का पत्तन
10. अग्न्यायुध जिनके लिए अनुज्ञप्ति की वांछा की जा रही है
प्रवर्ग
प्रकार
बोर
11. विक्रेता/अंतरिती के ब्यौरे, जिनसे ये आयुध उपाप्त किए जाने हैं
नाम
पता
यूआईएन
अनुज्ञप्ति सं.

टिप्पण --

1. मूल बीजक/बिल/अंतरण पत्र के साथ अनुज्ञप्ति पर आवश्यक पृष्ठांकन के लिए अर्जन पर आयुध(ध्रों) को अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।
प्रवर्ग 4 के आयुधों के निर्यात के लिए अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ केन्द्रीय सरकार के पुरातत्व

महानिदेशक से इस प्रभाव का प्रमाणपत्र संलग्न होगा कि निर्यात किए जाने के लिए आशयित आयुध पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 (1972 का 52) के अधीन "पुरावशेष" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है।

घोषणा :

मैं यह घोषणा करता हूँ कि आवेदन में दिए गए उपरोक्त विशिष्टियाँ मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के साथ सत्य, पूर्ण और सही हैं। मुझे ज्ञात है कि किसी भी स्तर पर दी गई जानकारी झूठी या असत्य पाई जाती है तो आयुध अधिनियम, 1959 आयुध नियम, 2016 और अन्य केन्द्रीय अधिनियमन या तत्समय प्रवृत्त विधि के संबंधित उपबंधों के अधीन मैं मेरे विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए दायी हूँ।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान

तारीख

भाग क-6

(कंपनियों के लिए)

विनिर्माण और साक्ष्य परीक्षण के लिए प्ररूप-7 में आयुध अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन का प्ररूप
(नियम 51 देखें)

1. आवेदक का नाम
2. अनुज्ञप्तिधारी कंपनी का गठन
3. कंपनी पहचान संख्यांक
(सीआईएन)
4. रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता
दूरभाष
मोबाइल सं.
ई-मेल
5. उत्तरदायी व्यक्ति का पदनाम के साथ नाम
6. विनिर्माण और साक्ष्य परीक्षण के लिए
कारखाने का पता
दूरभाष
मोबाइल सं.
ई-मेल
7. विनिर्मित/साक्ष्य परिक्षित होने वाले
अग्न्यायुधों का वर्णन
प्रवर्ग
प्रस्तावित वार्षिक क्षमता (संख्या)
8. विनिर्मित/साक्ष्य परिक्षित होने वाले
गोलाबारूद का वर्णन
प्रवर्ग
प्रस्तावित वार्षिक क्षमता (संख्या या
किलोग्राम में भार)
9. उस मामले में जहां विनिर्माता इनहाउस
साक्ष्य परीक्षण नहीं चाहता आवेदित साक्ष्य
परीक्षण के लिए रेंज या अन्य स्थान का नाम

घोषणा :

मैं(स्तंभ 5 में नामित) उत्तरदायी व्यक्ति (कंपनी का नाम) यह घोषणा करता हूँ कि आवेदन में दिए गए उपरोक्त विशिष्टियाँ मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के साथ सत्य, पूर्ण और सही हैं। मुझे ज्ञात है कि किसी भी स्तर पर दी गई जानकारी झूठी या असत्य पाई जाती है तो आयुध अधिनियम, 1959 आयुध नियम, 2016 और अन्य केन्द्रीय अधिनियमन या तत्समय प्रवृत्त विधि के संबंधित उपबंधों के अधीन मैं मेरे विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए दायी हूँ।

कंपनी के निमित्त हस्ताक्षर करने वाले
उत्तरदायी व्यक्ति के मुहर के साथ हस्ताक्षर

चेतावनी:

आयुध नियमों के अतिक्रमण में आवेदन प्ररूप में दी गई किसी तथ्यपूर्ण सूचना या गलत सूचना को छिपाने पर आवेदक आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 30 के अधीन दंड के लिए दायी होगा।

नियम 53 में यथाविनिर्दिष्ट संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज--

इन नियमों के अधीन प्ररूप 7 में अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करने वाली कंपनी से निम्नलिखित प्रदान करने की अपेक्षा की जाएगी--

- (क) कंपनी की स्थापना करने वाले दस्तावेजों की मूल या प्रमाणित प्रतियां जिसके अंतर्गत संगम ज्ञापन और अनुच्छेद भी हैं, कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन कंपनी के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणन, सीआईएन (कारपोरेट पहचान संख्यांक) इसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते का साक्ष्य, आवेदन की तारीख पर निदेशकों और शेयर धारकों के पैन कार्ड और प्रमाणित सूचियां ;
- (ख) सभी निदेशकों के निदेशक पहचान संख्यांक (डीआईएन) की प्रति ;
- (ग) नियम 2 के खंड (44) में यथापरिभाषित सभी निदेशकों और उत्तरदायी व्यक्ति के दो नवीनतम छायाचित्रों के साथ पहचान का साक्ष्य (पासपोर्ट या पैनकार्ड या निर्वाचक पहचान कार्ड) ;
- (घ) सभी निदेशकों और उत्तरदायी व्यक्ति के आधार कार्ड की प्रति ;
- (ङ) निवास का प्रमाण (सभी निदेशकों और उत्तरदायी व्यक्ति के पासपोर्ट या निर्वाचक पहचान कार्ड या बिजली बिल या लैंडलाइन दूरभाष बिल या किराया विलेख या पट्टा विलेख या अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के समाधान वाला कोई अन्य दस्तावेज);
- (च) चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित कंपनी की नवीनतम तुलनपत्र और नेटवर्थ प्रमाणपत्र की संपरीक्षित प्रति ;
- (छ) चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित परियोजना के वित्तपोषण के लिए अनुमानित परियोजना आउटले और वित्त के साधन ;
- (ज) हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत उत्तरदायी व्यक्ति की पूर्ण विशिष्टियों के साथ आयुध नियमों के अधीन आवेदन फाइल करने के लिए बोर्ड के संकल्प की प्रमाणित प्रति ;
- (झ) चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित आवेदक कंपनी में यथाअनुयोज्य विदेशी नियंत्रण और/या स्वामित्व के व्यौरें ।

प्ररूप क-7

प्ररूप 7 क - अनुज्ञप्ति 1 के प्रवर्ग 5 के आयुधों के विनिर्माण के लिए

प्ररूप 7ख - अग्नयायुधों के रैप्लिका के विनिर्माण के लिए

प्ररूप 7ग - वायु आयुधों के विनिर्माण के लिए

आयुध की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन का प्ररूप

1. आवेदक का नाम
2. कंपनी/व्यष्टिक की नाम पद्धति
3. पैन/सीआईएन
4. कारबार का पता
दूरभाष
मोबाइल संख्या
ई-मेल
5. उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
6. प्रवर्ग 5 के आयुधों के विनिर्माण या अग्नयायुधों या वायु आयुधों के रैप्लिका के विनिर्माण के लिए कारखाने का पता
दूरभाष
मोबाइल संख्या
ई-मेल
7. विनिर्मित होने वाले आयुधों/अग्नयायुधों/वायु आयुधों के रैप्लिका का वर्णन
प्रवर्ग

घोषणा :

मैं(स्तंभ 5 में नामित) उत्तरदायी व्यक्ति (कंपनी का नाम) यह घोषणा करता हूं कि आवेदन में दिए गए उपरोक्त विशिष्टियां मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के साथ सत्य, पूर्ण और सही है। मुझे ज्ञात है कि किसी भी स्तर पर दी गई जानकारी झूठी या असत्य पाई जाती है तो आयुध अधिनियम, 1959 आयुध नियम, 2016 और अन्य केन्द्रीय अधिनियमन या तत्समय प्रवृत्त विधि के संबंधित उपबंधों के अधीन मैं मेरे विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए दायी हूं।

व्यष्टि आवेदक के हस्ताक्षर

या

उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर और मुहर

आवेदक कंपनी की ओर से हस्ताक्षरित

चेतावनी:

आयुध नियमों के अतिक्रमण में आवेदन प्ररूप में दी गई किसी तथ्यपूर्ण सूचना या गलत सूचना को छिपाने पर आवेदक आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 30 के अधीन दंड के लिए दायी होगा।

नए आवेदक के मामलों में दस्तावेजों को संलग्न करना

(क) फर्म और उसके भागीदार

इन नियमों के अधीन प्ररूप VII क, प्ररूप VII ख या प्ररूप VII ग में अनुज्ञप्ति के लिए किसी फर्म और उसके भागीदारों द्वारा किए गए आवेदन के लिए उपलब्ध कराना अपेक्षित होगा--

(क) भागीदारों और सभी व्यक्तियों की पहचान का सबूत, कारबार में नियोजन की आवेदन फर्म के परियोजना, जिससे नामों, भौतिक पता और हाल की खींची गई फोटो भी है।

(ख) चिकित्सा प्रमाणपत्र

(ग) अनुसूची 1 की श्रेणी 5 के आयुध पर सूचना या निर्मित किए जाने वाले अग्नि आयुध की प्रतिकृति जिसके अंतर्गत प्रकार और मात्रा भी है।

(घ) यथालागू, स्वामित्व और वर्गीकृत सूचना के संरक्षण के लिए मानक प्राप्त करने का सबूत।

(ख) कंपनी

इन नियमों के अधीन प्ररूप VII क प्ररूप VII ख या प्ररूप VII ग में अनुज्ञप्ति के लिए किसी फर्म और उसके भागीदारों द्वारा किए गए आवेदन के लिए उपलब्ध कराना अपेक्षित होगा--

(क) कंपनी संस्थापन दस्तावेज, समावेशन के अनुच्छेद या कारबार अनुज्ञप्ति के अन्य सबूत की मूल या अनुप्रमाणित प्रतियां;

(ख) अनुसूची 1 की श्रेणी 5 के आयुध पर सूचना या निर्मित किए जाने वाले अग्नि आयुध की प्रतिकृति जिसके अंतर्गत प्रकार और मात्रा भी है।

(ग) स्वामित्व और वर्गीकृत सूचना के संरक्षण के लिए मानक प्राप्त करने का सबूत, यथालागू; और

(घ) विदेशी नियंत्रण पर सूचना और/या आवेदक कंपनी में स्वामित्व; यथालागू।

कंपनी से उपलब्ध कराने की यह भी अपेक्षा की जाती है--

(इ) कंपनी ने अधिकारियों की पहचान;

(च) व्यक्ति की पहचान जो (उत्तरदायी व्यक्ति) विनिर्माण सुविधाएं के प्रबंधन का दिन प्रति दिन के लिए उत्तरदायी होगा;

और

(छ) उत्तरदायी व्यक्ति की पहचान का सबूत, जिसके अंतर्गत नाम, भौतिक पता और हाल ही में खींचे फोटो भी हैं।

प्ररूप क-8**भाग 1****आयुध और गोलाबारूद के लिए प्ररूप VIII में आयुध अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन का प्ररूप**

(नियम 73 देखें)

1.	आवेदक का नाम	
2.	कंपनी/व्यष्टि की नामावली	
3.	कारबार पता (दुकान)	
	दूरभाष	
	मोबाइल सं.	
	ई-मेल	
4.	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम	
5.	अनुज्ञप्ति की श्रेणी जिसके लिए आवेदन किया है--	व्यौहारी अनुज्ञप्ति ☐ आयुध का निक्षेप ☐
6.	बिक्री के लिए बेचे या रखने वाले आयुध का विवरण	
7.	बिक्री के लिए बेचे या रखने वाले अग्न्यायुध का विवरण	
8.	अधिनियम की धारा 21 के अधीन निक्षेप किए जाने वाले आयुध या गोला-बारूद या नियम 48 के अधीन सुरक्षित अभिरक्षा का विवरण	

घोषणा :

मैं, _____, स्वामी/भागीदार/निदेशक/उत्तरदायी व्यक्ति _____ (कंपनी नाम) यह घोषणा करता हूँ कि आवेदन में दिए गए उपरोक्त विशिष्टियाँ मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के साथ सत्य, पूर्ण और सही हैं। मुझे ज्ञात है कि किसी भी स्तर पर दी गई जानकारी झूठी या असत्य पाई जाती है तो साथ ही कंपनी आयुध अधिनियम, 1959 आयुध नियम, 2016 और अन्य केन्द्रीय अधिनियमन या तत्समय प्रवृत्त विधि के संबंधित उपबंधों के अधीन मेरे विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए दायी होगी।

स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख

चेतावनी :

आयुध नियमों के अतिक्रमण में आवेदन प्ररूप में दी गई किसी तथ्यपूर्ण सूचना या किसी प्रकार की झूठी या गलत सूचना को छिपाने पर आवेदक, आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 30 के अधीन दंड के लिए दायी होगा।

आवेदन और उसके पश्चातवर्ती नवीकरण के समय जमा किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची:-

- (1) अनुप्रमाणित नक्शे की प्रतियों के साथ एक लिखित घोषणा जिसमें वर्णित है कि आवेदक के पास अग्न्यायुध और गोला-बारूद की सुरक्षा की अभिरक्षा के लिए एक स्ट्रांग रूम की सुविधाएं उपलब्ध हैं।
- (2) उपायों के विनिर्दिष्ट संदर्भ के साथ आवेदन के समर्थन में एक लिखित वचनबंध अग्न्यायुध और गोला-बारूद की सुरक्षा की अभिरक्षा के संदर्भ को ध्यान में रख कर जिसके अंतर्गत नियंत्रण प्रवेश पंहुच, क्लोज सर्किट, टेलिविजन सिस्टम, सुरक्षा गार्ड, अग्निरोधक उपकरणों के लिए उपबंध सम्मिलित हैं;
- (3) परिसर पर व्यौहारी आवेदक की ओर से व्यवसाय के प्रत्येक प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और पता अंतर्विष्ट सत्यापन प्ररूप जो कि नियम 10 में यथाविनिर्दिष्ट अग्न्यायुध को सुरक्षित रखने के लिए अपेक्षित प्रशिक्षण जरूर रखता हो।

प्ररूप क-8**भाग 2****वायु हथियार व्यौहारियों के लिए प्ररूप-क में आयुध अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन का प्ररूप**

(नियम 84, 85 देखें)

1.	आवेदक का नाम	
2.	कंपनी/व्यक्ति की नामावली	
3.	कारबार पता (दुकान)	
	दूरभाष	
	मोबाइल सं.	
	ई-मेल	
4.	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम	
5.	बिक्री के लिए बेचे जाने या रखने वाले वायु आयुधों का विवरण	
6.	बिक्री के लिए बेचे जाने या रखने वाले वायु आयुधों के लिए गोला-बारूद का विवरण	

घोषणा :

मैं, _____, स्वामी/भागीदार/निदेशक/उत्तरदायी व्यक्ति _____ (कंपनी नाम) यह घोषणा करता हूँ कि आवेदन में दिए गए उपरोक्त विशिष्टियाँ मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के साथ सत्य, पूर्ण और सही हैं। मुझे ज्ञात है कि किसी भी स्तर पर दी गई जानकारी झूठी या असत्य पाई जाती है तो साथ ही कंपनी आयुध अधिनियम, 1959 आयुध नियम, 2016 और अन्य केन्द्रीय अधिनियमन या तत्समय प्रवृत्त विधि के संबंधित उपबंधों के अधीन मेरे विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए दायी होगी।

स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख

चेतावनी :

आयुध नियमों के अतिक्रमण में आवेदन प्ररूप में दी गई किसी तथ्यपूर्ण सूचना या किसी प्रकार की झूठी या गलत सूचना को छिपाने पर आवेदक, आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 30 के अधीन दंड के लिए दायी होगा।

प्ररूप क-9**प्रत्याचित बंदूक बनाने वाले के लिए प्ररूप IX या प्ररूप IX-क में आयुध अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन का प्ररूप**

(नियम 77 और 78 देखें)

1.	आवेदक का नाम	
2.	कंपनी/व्यक्ति की नामावली	
3.	कारबार पता (दुकान)	

	दूरभाष	
	मोबाइल सं.	
	ई-मेल	
4.	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम	
5.	बंदूक बनाने की अनुज्ञप्ति के लिए बंदूक बनाने के रूप में आवेदन करने वाला व्यक्ति या आवेदन करने वाली कंपनी के कर्मचारियों की व्यवसायिक अर्हता (केवल प्ररूप IX में अनुज्ञप्ति के लिए लागू)	
6.	परिवर्तित करने, कम करने या मरम्मत किए जाने वाले अग्न्यायुध का विवरण (प्ररूप IX-क में अनुज्ञप्ति के अधीन लघु मरम्मत)	
7.	भंडारण किए जाने वाले अग्न्यायुध के भागों या अग्न्यायुध का विवरण	
8.	परीक्षण के लिए भंडारण किए जाने वाले गोला-बारूद का विवरण	

घोषणा :

मैं, _____, स्वामी/भागीदार/निदेशक/उत्तरदायी व्यक्ति _____ (कंपनी नाम) यह घोषणा करता हूं कि आवेदन में दिए गए उपरोक्त विशिष्टियां मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के साथ सत्य, पूर्ण और सही हैं। मुझे ज्ञात है कि किसी भी स्तर पर दी गई जानकारी झूठी या असत्य पाई जाती है तो साथ ही कंपनी आयुध अधिनियम, 1959 आयुध नियम, 2016 और अन्य केन्द्रीय अधिनियमन या तत्समय प्रवृत्त विधि के संबंधित उपबंधों के अधीन मेरे विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए दायी होगी।

स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख

चेतावनी :

आयुध नियमों के अतिक्रमण में आवेदन प्ररूप में दी गई किसी तथ्यपूर्ण सूचना या किसी प्रकार की झूठी या गलत सूचना को छिपाने पर आवेदक, आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 30 के अधीन दंड के लिए दायी होगा।

आवेदन और उसके पश्चातवर्ती नवीकरण के समय जमा किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची:-

- (1) अनुप्रमाणित नक्शे की प्रतियों के साथ एक लिखित घोषणा जिसमें वर्णित है कि आवेदक के पास अग्न्यायुध और गोला-बारूद की सुरक्षा की अभिरक्षा के लिए एक स्ट्रांग रूम की सुविधाएं उपलब्ध हैं।
- (2) उपायों के विनिर्दिष्ट संदर्भ के साथ आवेदन के समर्थन में एक लिखित वचनबंध अग्न्यायुध और गोला-बारूद की सुरक्षा की अभिरक्षा के संदर्भ को ध्यान में रख कर जिसके अंतर्गत नियंत्रण प्रवेश पंहुच, क्लोज सर्किट, टेलिविजन सिस्टम, सुरक्षा गार्ड, अग्निरोधक उपकरणों के लिए उपबंध सम्मिलित है;
- (3) परिसर पर व्यौहारी आवेदक की ओर से व्यवसाय के प्रत्येक प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और पता अंतर्विष्ट सत्यापन प्ररूप जो कि नियम 10 में यथाविनिर्दिष्ट अग्न्यायुध को सुरक्षित रखने के लिए अपेक्षित प्रशिक्षण जरूर रखता हो।

प्ररूप क-10

पुनःआयात या निर्यात, परिवहन और पुनःनिर्यात के लिए निर्यात, आयात निर्यात के लिए प्ररूप X में आयुध अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन का

प्ररूप

(नियम 87, 88, 89, 90 और 91 देखें)

आवेदक की पहचान		
1.	आवेदक का नाम	
2.	यूआईएन	
3.	पहले से आयुध अनुज्ञप्ति रखने का विवरण और उसकी संख्या	
4.	व्यक्ति/कंपनी की नामावली	
5.	कारबार पता	
	दूरभाष	
	मोबाइल सं.	
	ई-मेल	
6.	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम	

7.	आवेदन करने के लिए अनुज्ञप्ति की श्रेणी	आयात - ☐ निर्यात - ☐ पुनःआयात के लिए निर्यात - ☐ आयात, परिवहन और पुनःनिर्यात - ☐
8.	अनुसूची 1 के अनुसार आयुध या गोला-बारूद की श्रेणी जिसके लिए अनुज्ञप्ति मांगी गई है - I(ख), I(ग), II, III, IV, V VI, (सल्फर/क्लोरेट)	
9.	पैकेजों की संख्या	
10.	प्रेषण के लिए आयुध के भाग के रूप में मात्रा और विवरण जिसके लिए अनुज्ञप्ति मांगी गई है	
11.	प्रेषण के लिए गोला-बारूद के भाग के रूप में मात्रा या वजन और विवरण जिसके लिए अनुज्ञप्ति मांगी गई है।	
12.	आयात का पत्तन	
13.	निर्यात का पत्तन	
14.	निर्यात और पुनःआयात का पत्तन	
15.	आयात और पुनःआयात का पत्तन (परिवहन के मार्ग के सहित)	
16.	समुंद्र या वायु द्वारा आयात की दशा में, वह स्थान जहां आयातित वस्तु को निक्षेप किया जाना है।	
17.	प्रेषण का स्थान और निर्यात किए जाने वाले प्रेषण का मार्ग	
18.	गन्तव्य स्थान और आयात किए जाने वाले प्रेषण का मार्ग	
19.	जहाज यात्रा/यात्रा के लिए जाने वाला अनुमानित समय	
20.	आयात/निर्यात के लिए प्रेषित का नाम, विवरण और पता	

घोषणा :

मैं, _____, स्वामी/भागीदार/निदेशक/उत्तरदायी व्यक्ति _____ (कंपनी नाम) यह घोषणा करता हूं कि आवेदन में दिए गए उपरोक्त विशिष्टियां मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के साथ सत्य, पूर्ण और सही हैं। मुझे ज्ञात है कि किसी भी स्तर पर दी गई जानकारी झूठी या असत्य पाई जाती है तो साथ ही कंपनी आयुध अधिनियम, 1959 आयुध नियम, 2016 और अन्य केन्द्रीय अधिनियमन या तत्समय प्रवृत्त विधि के संबंधित उपबंधों के अधीन मेरे विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए दायी होगी।

स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख

चेतावनी :

आयुध नियमों के अतिक्रमण में आवेदन प्ररूप में दी गई किसी तथ्यपूर्ण सूचना या किसी प्रकार की झूठी या गलत सूचना को छिपाने पर आवेदक, आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 30 के अधीन दंड के लिए दायी होगा।

प्ररूप-क-11**आयुध और गोला-बारूद ले जाने के लिए प्ररूप XI में यात्रा अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन का प्ररूप**

यात्रा अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन		
1.	नाम	
2.	अभिभावक/पति/पत्नी का नाम	
3.	यू०आई०एन	
4.	प्ररूप-III में अनुज्ञप्ति के अनुसार पता	
	मोबाइल सं०	
5.	अनुज्ञप्ति सं०	

6.	अनुज्ञप्ति की अद्यतन वैधता	दिन/मास/वर्ष
7.	प्ररूप- III में अनुज्ञप्ति के अनुसार वैधता पत्र	
8.	यात्रा का प्रकार (सड़क/रेल/वायु)	
9.	यात्रा के दौरान देखे जाने वाले राज्यों के नाम	
10.	यात्रा में लगने वाले समय की अवधि	
11.	आयुध प्रकार आयुध संख्या	
12.	अनुज्ञप्ति पर गोला-बारूद पृष्ठांकन का विवरण जिसके लिए आवेदक ने यात्रा के दौरान ले जाने के लिए चाह है	

घोषणा :

मैं, यह घोषणा करता हूँ कि आवेदन में दिए गए उपरोक्त विशिष्टियाँ मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के साथ सत्य, पूर्ण और सही हैं। मुझे ज्ञात है कि किसी भी स्तर पर दी गई जानकारी झूठी या असत्य पाई जाती है, तो साथ ही साथ कंपनी, आयुध अधिनियम, 1959, आयुध निगम, 2016 और अन्य केन्द्रीय अधिनियमन या तत्समय प्रवृत्त विधि के संबंधित उपबंधों के अधीन मेरे विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए दायी होगी।

स्थान :

(आवेदक के अंगूठे की छाप/हस्ताक्षर)

तारीख :

प्ररूप क-12

**प्ररूप XII में परिवहन अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन का प्ररूप
(नियम 96 देखें)**

परिवहन अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन		
1.	प्रेषक ब्यौरा (विनिर्माता/ त्यौहारी आदि)	
	यू०आई०एन	
	अनुज्ञप्ति के अनुसार पता	
	अनुज्ञप्ति सं०	
	अनुज्ञप्ति की अद्यतन वैधता	दिन/मास/वर्ष
2.	प्रेषिती का ब्यौरा	
	यू०आई०एन	
	अनुज्ञप्ति के अनुसार पता	
	अनुज्ञप्ति सं०	
	अनुज्ञप्ति की अद्यतन वैधता	दिन/मास/वर्ष
3.	प्रेषण का स्थान	
4.	गन्तव्य का स्थान	
5.	परिवहन का प्रकार (सड़क/रेल/वायु)	व्यक्तिगत रूप से
6.	परिवहन के दौरान आने वाले राज्यों के नाम	
7.	परिवहन की संभावित अवधि	
8.	परिवहन किए जाने वाले आयुध का विवरण	हथियार प्रकार---
		हथियार संख्या---
9.	परिवहन किए जाने वाले गोला-बारूद का विवरण	
10.	नियम 98 के अधीन अपेक्षित संबंधित प्राधिकारी से पूर्व मंजूरी का ब्यौरा।	

घोषणा :

मैं, यह घोषणा करता हूँ कि आवेदन में दिए गए उपरोक्त विशिष्टियाँ मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के साथ सत्य, पूर्ण और सही हैं। मुझे ज्ञात है कि किसी भी स्तर पर दी गई जानकारी झूठी या असत्य पाई जाती है, तो साथ ही साथ कंपनी, आयुध अधिनियम, 1959, आयुध निगम, 2016 और अन्य केन्द्रीय अधिनियमन या तत्समय प्रवृत्त विधि के संबंधित उपबंधों के अधीन मेरे विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए दायी होगी।

स्थान :

(आवेदक के अंगूठे की छाप/हस्ताक्षर)

तारीख :

प्ररूप क-13**परिवाहक अनुज्ञप्ति के लिए प्ररूप XIV में आयुध अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन का प्ररूप****(नियम 101 देखें)**

1.	आवेदक का नाम	
2.	व्यक्ति/कंपनी की नामावली	
3.	परिवहन कारबार के शुरुआत की तारीख	
4.	रजिस्टर्ड कार्यालय पता	
	दूरभाष	
	मोबाइल सं.	
	ई मेल	
5.	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम	
6.	परिवहन किए जाने वाले अग्नि आयुध का विवरण	
7.	परिवहन किए जाने वाले गोला-बारूद का विवरण	
8.	भारत में शाखा कार्यालय या प्रतिनिधि कार्यालय की संख्या	
9.	परिवहन कारबार में लगाए गए कर्मचारियों की संख्या	
10.	परिवाहक द्वारा फ्लीट अनुरक्षण किए जाने की विशिष्टियाँ	

घोषणा :

मैं,....., स्वामी/भागीदार/निदेशक/उत्तरदायी व्यक्ति,..... (कंपनी नाम) यह घोषणा करता हूँ कि आवेदन में दिए गए उपरोक्त विशिष्टियाँ मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के साथ सत्य, पूर्ण और सही हैं। मुझे ज्ञात है कि किसी भी स्तर पर दी गई जानकारी झूठी या असत्य पाई जाती है, तो साथ ही साथ कंपनी, आयुध अधिनियम, 1959, आयुध नियम, 2016 और अन्य केन्द्रीय अधिनियमन या तत्समय प्रवृत्त विधि के संबंधित उपबंधों के अधीन मेरे विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए दायी होगी।

स्थान :

(आवेदक के हस्ताक्षर)

तारीख :

प्ररूप क-14**अग्नि आयुध मुक्त क्षेत्र के लिए प्ररूप XV में अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन प्ररूप****(नियम 46 देखें)**

1.	आवेदक का नाम	
2.	व्यक्ति/कंपनी/अन्य की नामावली	
3.	कारबार शुरुआत करने की तारीख	
4.	कारबार की प्रकृति या किए गए क्रियाकलाप	
	पता	
	दूरभाष	
	मोबाइल सं०	
	ई मेल	

5.	यदि आवेदक कम्पनी है तो उत्तरदायी व्यक्ति का नाम	
6.	अग्नि आयुध मुक्त क्षेत्र के रूप में घोषित क्षेत्र का विवरण (साईट प्लान सलंगन करें और उस क्षेत्र को लाल रंग से चिह्नित करें जिसे अग्नि मुक्त क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है)	
7.	अग्नि आयुध क्षेत्र के रूप में घोषित परिसर के लिए आवेदन का कारण	
8.	अग्नि मुक्त क्षेत्र के रूप में घोषित परिसर पर नियोजित निगरानी कर्मचारिवृंद की संख्या	

घोषणा :

मैं,....., स्वामी/भागीदार/निदेशक/उत्तरदायी व्यक्ति,..... (कंपनी नाम) यह घोषणा करता हूं कि आवेदन में दिए गए उपरोक्त विशिष्टियां मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के साथ सत्य, पूर्ण और सही हैं। मुझे ज्ञात है कि किसी भी स्तर पर दी गई जानकारी झूठी या असत्य पाई जाती है, तो साथ ही साथ कंपनी, आयुध अधिनियम, 1959, आयुध नियम, 2016 और अन्य केन्द्रीय अधिनियमन या तत्समय प्रवृत्त विधि के संबंधित उपबंधों के अधीन मेरे विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए दायी होगी।

स्थान :

(आवेदक के हस्ताक्षर)

तारीख :

अनुपूरक प्ररूप**प्ररूप ख-1**

**किसी बाहरी अनुज्ञप्ति प्राधिकरण के साथ रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन
(नियम 17 देखें)**

भाग क**आवेदक की पहचान**

1.	यू०आई०एन	
2.	नाम	
3.	अभिभावक/पति/पत्नी का नाम	
4.	जन्म स्थान (पैतृक)	
5.	ईशा सम्बत् में जन्म की तारीख	
	अंको में दिन/मास/वर्ष	
	शब्दों में	
6.	वर्तमान पता	
	दूरभाष (कार्यालय/निवास)	
	मोबाइल सं०	
	ई मेल	
	नजदीक पुलिस थाना	
7.	अनुज्ञप्ति पर दिखाए जाने के रूप में पता	
	नजदीक पुलिस थाना	
8.	व्यवसाय	
9.	स्थानीय अधिकारिता में रुकने की अवधि	

भाग-ख**विद्यमान अनुज्ञप्ति विशिष्टियां और आयुध पृष्ठांकन**

10.	अनुज्ञप्ति संख्या	
11.	जारीकर्ता प्राधिकारी	
12.	अंतिम नवीकरण करने वाला प्राधिकारी	
13.	अवसान की तारीख	

14.	क्षेत्र वैधता			
15.	आयुध पृष्ठांकन	आयुध-1	आयुध-2	आयुध-3
	प्रकार [राइफल/शाट गन/हैंड गन (रिवालवर/पिस्तौल)]			
	वोर			
	आयुध संख्या			
16.	गोला बारूद अनुज्ञात	कार्ट्रिज गन पाउडर/परकशन केप		
17.	हथियार की बिक्री पर निबंधन उल्लेख करना, यदि कोई हो।			
18.	नियम 19 के अधीन अतिरिक्त अनुज्ञप्तियों का ब्यौरा, यदि कोई हो।			
	अतिरिक्त अनुज्ञप्ति सं० 1			
	नाम			
	पिता/पति/पत्नी का नाम			
	अनुज्ञप्ति सं०			
	अतिरिक्त अनुज्ञप्ति सं० 2			
	नाम			
	पिता/पति-पत्नी का नाम			
	अनुज्ञप्ति सं०			

भाग ग**अनुज्ञप्तिधारी की अन्य विशिष्टियां**

19.	क्या अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति के विगत नवीकरण/ जारी किए जाने के समय से,—	
(क)	दोष सिद्ध—यदि कोई हो, अपराध (अपराधो), दंडादेश और दंडादेश की तारीख	
(ख)	शांति बनाए रखने या सदाचार के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1973 का 2) के अध्याय 8 के अधीन बंधपत्र के निष्पादन का आदेश किया गया है, यदि हो, तो कब और उसकी अवधि क्या हैं।	
(ग)	आयुध/गोला बारूद रखने से आयुध अधिनियम, 1959 या किसी अन्य विधि के अधीन निषेद्ध किया गया है।	
20.	क्या-	
(क)	आवेदक का अनुज्ञप्ति विगत नवीकरण जारी किए जाने के समय से निलंबित या रद्द/प्रतिसंहरण किया गया है, यदि हां तो तब, और किसके द्वारा और किस कारण से	
(ख)	आवेदक के परिवार के किसी अन्य सदस्य के पास कोई आयुध अनुज्ञप्ति है, यदि हाँ, तो उसकी विशिष्टियां (पैरा 18 द्वारा अतिरिक्त अनुज्ञप्ति के अलावा)	
(ग)	आवेदक के पास आयुध को रखने का सुरक्षित स्थान है।	

घोषणा :

मैं, यह घोषणा करता हूँ कि आवेदन में दिए गए उपरोक्त विशिष्टियां मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के साथ सत्य, पूर्ण और सही हैं। मुझे ज्ञात है कि किसी भी स्तर पर दी गई जानकारी झूठी या असत्य पाई जाती है, तो साथ ही साथ कंपनी, आयुध अधिनियम, 1959, आयुध नियम, 2016 और अन्य केन्द्रीय अधिनियमन या तत्समय प्रवृत्त विधि के संबंधित उपबंधों के अधीन मेरे विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए दायी होगा।

स्थान :

(आवेदक के अंगूठे की छाप/हस्ताक्षर)

तारीख :

चेतावनी : आयुध नियमों के अतिक्रमण में आवेदन प्ररूप में दी गई किसी तथ्यपूर्ण सूचना या किसी प्रकार की झूठी या गलत सूचना को छिपाने पर आवेदक, आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 30 के अधीन दंड के लिए दायी होगा।

प्ररूप ख-2

प्ररूप II, III और IV में जारी किए जाने वाले अनुज्ञप्तियों से संबंधित सहवद्ध सेवा के लिए आवेदन

भाग क

अनुज्ञप्तिधारी की पहचान

अनुज्ञप्तिधारी की पहचान				
1.	अनुज्ञप्तिधारी का नाम			
2.	अभिभावक/पति-पत्नी का नाम			
3.	वर्तमान पता			
		जिला	राज्य	
	दूरभाष संख्या	कार्यालय	निवास	
	मोबाइल संख्या			
	नजदीक पुलिस थाना			
4.	यू०आई०एन			
5.	अनुज्ञिप्त संख्या अवसान की तारीख	दिन/मास/वर्ष		
6.	अनुज्ञप्ति का वैधता क्षेत्र			
7.	अनुज्ञप्ति या अग्नि आयुध पृष्ठांकन	आयुध 1	आयुध 2	आयुध 3
	प्रकार (राइफल/शॉटगन/हैंडगन)			
	बोर/के लिबर			
	आयुध संख्या			

भाग ख

अग्नि आयुध का अर्जन

1.	अर्जित किए जाने वाले अग्नि आयुध का प्रकार (राइफल/शॉटगन/हैंड गन अन्य)	
2.	अग्नि आयुध के अर्जन के लिए कारण	
3.	अतिरिक्त अग्नि आयुध के अर्जन के लिए विशेष विचार करने के लिए दावा	

भाग - ग

अनुज्ञप्ति पर अग्नि आयुध का पृष्ठांकन

(अ)	अग्नि आयुध का अर्जन	
(क)	अर्जन की अनुमति की वैधता	दिन/मास/वर्ष
(ख)	अग्नि आयुध के अर्जन की तारीख	दिन/मास/वर्ष
(आ)	विनिर्माता या आयुध त्थौहारी से अर्जन	
(क)	विक्रेता का नाम	
(ख)	विक्रेता का यू०आई०एन	
(ग)	बीजक संख्या	
(घ)	बीजक तारीख	दिन/मास/वर्ष
(इ)	अन्य अनुज्ञप्तिधारी से अर्जन	
(क)	अंतरिती अनुज्ञप्तिधारी का नाम	
(ख)	अभिभावक/पति-पत्नी का नाम	
9.	यू०आई०एन	

10.	अनुज्ञप्ति संख्या	
11.	अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि	
12.	अंतरिती द्वारा अभिप्राप्त बिक्री की अनुमति का ब्यौरा	दिन/मास/वर्ष
	अनुज्ञप्ति प्राधिकरण का नाम	
	संदर्भ संख्या	
	तारीख	दिन/मास/वर्ष
	अवसान तारीख (यदि कोई हो)	दिन/मास/वर्ष
(ई)	आवेदक की अनुज्ञप्ति की वैधता क्षेत्र के अधीन कोई स्थान नहीं आता है से अग्नि आयुध अर्जन करने की दशा में का ब्यौरा दिया जाए।	
13.	नियम 98 के अधीन अनुज्ञप्ति प्राधिकरण द्वारा जारी की गई एन०ओ०सी का संदर्भ संख्या	
	एन०ओ०सी की तारीख	दिन/मास/वर्ष
	एन०ओ०सी की वैधता	दिन/मास/वर्ष
14.	प्ररूप XII में जारी परिवहन अनुज्ञप्ति	
	परिवहन अनुज्ञप्ति जारी किए जाने वाले प्राधिकरण का नाम	
	परिवहन अनुज्ञप्ति की तारीख	दिन/मास/वर्ष
	परिवहन अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि	दिन/मास/वर्ष
उ	पृष्ठांकन किए जाने वाले अग्नि आयुध का ब्यौरे	
15.	अग्नि आयुध (हैंड गन/ शाट गन/राइफल)	
	अग्नि आयुध की बनावट	
	के लिवोर/बोर	
	अग्नि आयुध का क्रम संख्या	

पृष्ठांकन के लिए जाने वाले दस्तावेज की सूची

1.	मूल बीजक (पैरा ख संदर्भ)	
2.	अंतरिती अनुज्ञप्तिधारी से की पृष्टि (पैरा ग संदर्भ)	
3.	अनुपत्ति प्रमाणपत्र और परिवहन अनुज्ञप्ति (पैरा घ संदर्भ)	
4.	अग्नि आयुध का क्रम संख्या दिखाई देने वाला अर्जित अग्निआयुध का रंगीन फोटो	

टिप्पण : अनुज्ञप्ति प्राधिकारी, अनुज्ञप्ति पर पृष्ठांकन करने से पहले अग्निआयुध का भौतिक निरीक्षण प्राप्त करना अनुज्ञप्तिधारी से अपेक्षित होगा।

भाग – घ

आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 5 के अधीन बिक्री या अग्नि आयुध या गोला बारूद का अंतरण करने की अनुमति		
1.	बिक्री या अंतरण किए जाने वाले अग्नि आयुध के ब्यौरे	
	अग्नि आयुध का प्रकार (राइफल/शाट गन/हैंडगन)	
	बोर/कैलीबी	
	आयुध संख्या	
2.	बिक्री या अंतरण किए जाने वाला गोला-बारूद के ब्यौरे	
	गोला/बारूद का बोर/कैलीबर	
	गोला बारूद की मात्रा	

3. अग्नि आयुध या गोला बारूद की बिक्री या अंतरण के कारण (अग्नि आयुध की खराब स्थिति/आर्थिक कारण/काई अन्य कारण)
4. क्रेता या अंतरिती की विशिष्टियां जिस अग्निआयुध या गोला बारूद को बिक्री या अंतरण किया जा रहा है यदि, अन्य अनुज्ञप्तिधारी को बिक्री या अंतरण किया जा रहा है
- यदि, अन्य अनुज्ञप्तिधारी को विक्रीत या अंतरित किया गया है**
- (क) भावी क्रेता या अंतरिती का नाम
- (ख) भावी क्रेता या अंतरिती का पता
- (ग) यू आई एन
- (घ) अनुज्ञप्ति संख्या
- (ङ.) अनुज्ञप्ति की वैधता दिन/मास/वर्ष
- (च) खरीद अवधि की वैधता दिन/मास/वर्ष
- यदि प्रक्षिप्त आयुध और गोला बारूद व्यौहारी को विक्रय किया गया है**
- (क) व्यौहारी का नाम
- (ख) व्यौहारी का पता
- (ग) यू आई एन
- इसे आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 5 की उपधारा 2 के खण्ड (ख) के अधीन आज्ञापक माना जाए

भाग- ड.**अनुज्ञप्ति से अग्निआयुध या गोला बारूद का हटाया जाना**

1. बिक्री या अंतरण किए अग्नि आयुध के ब्योरे
अग्निआयुध का प्रकार (राईफल/शॉटगन/हैंडगन)
बोर/कैलीबर
हथियार संख्या
2. बिक्री या अंतरण किए गोला बारूद के ब्योरे
गोला बारूद का बोर/कैलीबर
गोला बारूद की मात्रा
3. विक्रय मंजूरी की गई अनुमति का ब्योरा
संदर्भ संख्या
तारीख दिन/मास/वर्ष
4. क्रेता या अंतरिती की विशिष्टियां
(क) आयुध व्यौहारी को विक्रीत करने की दशा में
आयुध और गोलाबारूद व्यौहारी का नाम और पता
यू आई एन
अर्जन प्रमाणपत्र की क्रम सं.
अर्जन प्रमाणपत्र की तारीख दिन/मास/वर्ष
- (ख) **अन्य अनुज्ञप्तिधारी को विक्रीत करने की दशा में**
5. क्रेता या अंतरिती का नाम
यूआईएन
अनुज्ञप्ति सरकार
अनुज्ञप्ति की वैधता
अंतरिती द्वारा अर्जित किए जाने की अनुमति की वैधता दिन/मास/वर्ष

संग्रह किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

1. अग्नि आयुध व्यौहारी का अर्जन प्रमाणपत्र; या
2. उसकी अनुज्ञप्ति की हस्ताक्षरित प्रति के साथ क्रेता या अंतरिती से लिखित पुष्टि

भाग च
अग्नि आयुध के अर्जन के लिए समय सीमा का विस्तार
(नियम 18 देखें)

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1 | अग्नायुध अर्जन की अनुमति की मंजूरी की तारीख | दिन/मास/वर्ष |
| 2 | अग्नायुध अर्जन की अनुमति के अवसान की तारीख | दिन/मास/वर्ष |
| 3 | अनुज्ञप्ति की वैधता की अवधि | दिन/मास/वर्ष |
| 4 | नियत अवधि के भीतर आयुध के अर्जन न कर पाने के लिए कारण | |
| 5 | अर्जन किए जाने वाले आयुध का ब्यौरे जिसके लिए विस्तार मांगा गया है | |
| 6 | विशेष पुष्टि के लिए कोई अन्य दावा। | |

घोषणा :

मैं यह घोषणा करता हूं कि आवेदन में दिए गए उपरोक्त विशिष्टियां मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के साथ सत्य, पूर्ण और सही हैं। मुझे ज्ञात है कि किसी भी स्तर पर दी गई जानकारी झूठी या असत्य पाई जाती है तो आयुध अधिनियम, 1959 आयुध नियम, 2016 और अन्य केन्द्रीय अधिनियमन या तत्समय प्रवृत्त विधि के संबंधित उपबंधों के अधीन मैं मेरे विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए दायी हूं।

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

स्थान

तारीख

चेतावनी:

आयुध नियमों के अतिक्रमण में आवेदन प्ररूप में दी गई किसी तथ्यपूर्ण सूचना या गलत सूचना को छिपाने पर आवेदक आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 30 के अधीन दंड के लिए दायी होगा।

प्ररूप ख-3**(प्रतिधारण जोड़ने/ घटाने के लिए आवेदन)****(नियम 22 देखें)**

कम्पनियों के लिए		
प्रत्येक जोड़ने या घटाने के लिए पृथक: भरा जाए		
1.	अनुज्ञप्तिधारी कम्पनी का नाम	
2.	यू आई एन	
3.	अनुज्ञप्ति संख्या	
4.	अनुज्ञप्ति की वैधता	दिन/ माह/ वर्ष
5.	अनुज्ञप्ति पर पृष्ठांकन हथियार का ब्यौरा	
		1.
		2.
		3.
6.	प्रतिधारण ब्यौरे	
(क)	प्रतिधारण का नाम	
(ख)	अभिभावक/ पति-पत्नी का नाम	
(ग)	जन्म तारीख	दिन/ माह/ वर्ष
(घ)	संगठन के साथ नियोजित की तारीख	दिन/ माह/ वर्ष
(ङ)	वर्तमान पता	
(च)	नजदीक पुलिस थाना	
(छ)	दूरभाष/ मोबाइल संख्या (संख्याएं)	
(ज)	स्थायी पता	
(i)	नजदीक पुलिस थाना	

तारीख

.....
अनुज्ञप्तिधारी के हस्ताक्षर

.....
(प्रतिधारक के हस्ताक्षर)

प्ररूप ख-4**प्ररूप-III में अनुज्ञप्ति के अधीन अतिरिक्त अनुज्ञप्तियों के लिए आवेदन**

(नियम 20 देखें)

(प्ररूप क-1 के साथ भरा जाए)**भाग क**

अभिभावक अनुज्ञप्तिधारी की पहचान			
1.	अनुज्ञप्तिधारी का नाम		
2.	अभिभावक/ पति-पत्नी का नाम		
3.	वर्तमान पता	जिला	राज्य
	दूरभाष संख्या	कार्यालय	निवास
	मोबाइल संख्या		
	नजदीक पुलिस थाना		
4.	यू आई एन		
5.	अनुज्ञप्ति संख्या	दिन/ माह/ वर्ष	
	अवज्ञान की तारीख		
6.	अनुज्ञप्ति का वैद्यता क्षेत्र		
7.	अनुज्ञप्ति पर अग्निआयुध पृष्ठांकन	आयुध 1	आयुध 2
	प्रकार		
	(राइफल/शाट गन/हैंड गन)		
	बोर / केलीबर		
	हथियार संख्या		
भाग ख			
प्रथम अतिरिक्त अनुज्ञप्तिधारी की पहचान			
1.	प्रथम अतिरिक्त अनुज्ञप्तिधारी का नाम		
2.	अभिभावक/ पति-पत्नी नाम		
3.	अभिभावक अनुज्ञप्तिधारी से संबंध		
4.	वर्तमान पता		
		जिला	राज्य
	दूरभाष संख्या	कार्यालय	निवास
	मोबाइल संख्या		
	नजदीक पुलिस थाना		
5.	अतिरिक्त अनुज्ञप्ति पर पृष्ठांकन किए जाने वाले अग्निआयुध	आयुध 1	आयुध 2
	प्रकार		
	(राइफल/शाट गन / हैंड गन)		
	बोर केलीबर		
	आयुध संख्या		
भाग ग			
द्वितीय अतिरिक्त अनुज्ञप्तिधारी की पहचान			
1.	द्वितीय अतिरिक्त अनुज्ञप्तिधारी का नाम		
2.	अभिभावक/ पति-पत्नी का नाम		

3.	अभिभावक अनुज्ञप्तिधारी के साथ संबंध			
4.	वर्तमान पता			
		जिला	राज्य	
	दूरभाष संख्या	कार्यालय	निवास	
	मोबाइल संख्या			
	नजदकी पुलिस थाना			
5.	अतिरिक्त अनुज्ञप्ति पर पृष्ठांकन किए जाने वाले अग्निआयुध			
	प्रकार	आयुध 1	आयुध 2	आयुध 3
	(राइफल/ शाट गन/ हैंड गन)			
	बोर/ केलीवर			
	आयुध संख्या			

घोषणा :

मैं यह घोषणा करता हूँ कि, अतिरिक्त अनुज्ञप्तिधारी के रूप में नियुक्त वह व्यक्ति प्ररूप III में मेरी अनुज्ञप्ति में यथावर्णित मेरे रजिस्टर्ड पते पर मेरे साथ निवास करता है और नियम 20 के अधीन दिए गए नजदीकी नातेदार की परिभाषा में आता है। मेरे परिवार से अस्थायी या स्थायी अतिरिक्त अनुज्ञप्तिधारी के स्थानांतरण होने की दश में, ऐसे अतिरिक्त अनुज्ञप्तिधारी के अनुज्ञप्ति के रद्दकरण के लिए अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को सूचना देने की मेरा उत्तरदायी होगा।

(अभिभावक अनुज्ञप्तिधारी के हस्ताक्षर)

स्थान :

तारीख :

प्ररूप घ-1**प्रशिक्षण प्रमाणपत्र का मानक प्ररूप**

(नियम 10(1) देखें)

सेवा में,

अनुज्ञप्ति प्राधिकारी

प्रशिक्षण प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि उस व्यक्ति की विशिष्टियां जो नीचे दी गई हैं ने आयुध नियम, 2016 के नियम, 10(1) के अधीन यथानियत प्रशिक्षण को पूरा किया है :—

1.	व्यक्ति का नाम				
2.	पिता का नाम/ पति तत्नी का नाम				
3.	निवास स्थान पता				
4.	आयु और जन्म की तारीख				
5.	लिए जाने वाला प्रशिक्षण अवधि		से		तक
6.	प्रदान किए गए उस प्रशिक्षण के लिए अग्निआयुधों के ब्यौरे (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	1.	हैंडगन		
		2.	राइफल		
		3.	शाट गन		
		4.	वायु आयुध		
7.	प्रशिक्षण का प्रयोजन	1.	आयुध अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन		
	(कृपया विनिर्दिष्ट करें)	2.	आयुध ब्यौहारी के साथ नियोजन		
		3.	विनिर्माता के साथ नियोजन		

		4.	अन्य
प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जिसमें निम्नलिखित मापदण्ड हैं :—			
(क)	बुनियादी आयुध और गोला बारूद सुरक्षात्मक चलन जिसके अंतर्गत सुरक्षा, रखरखाव और प्रक्रियाओं का करना भी सम्मिलित है :—		
(ख)	गोलाबारी तकनीकें और प्रक्रियाएं		
(ग)	आयुध और गोला बारूद की रखवाली		
(घ)	आयुधों और गोलाबारूद का सुरक्षित भंडारण और परिवहन		

उपरोक्त नामित व्यक्ति को आयुध अधिनियम, 1959 और आयुध नियम, 2016 उनसे संबंधित महत्वपूर्ण उपबंधों का युक्तियुक्त कार्य साधक ज्ञान प्रदान किया गया था और आयुध स्वामी या प्रयोगकर्ता बलाकों के संबंध में विशिष्ट तौर पर उत्तर दायित्व समझाया गया था।
तारीख

मोहर

प्रमाणित करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर

स्थान

प्ररूप घ-2

अग्निआयुध के सुरक्षित भंडारण के लिए वचनबंध का मानक प्ररूप

(नियम 10(4) देखें)

सेवा में,

अनुज्ञप्ति प्राधिकारी

वचनबंध

यह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूँ कि :—

1.	मैं, नए आयुध अनुज्ञप्ति / आयुध अनुज्ञप्ति के नवीकरण के प्रदान के लिए आवेदन करता हूँ
	(सं० _____ और मेरा यू आई एन _____ है)
2.	मैं वचन देता हूँ (गिनी हुई स्थिति में) जब मैं अपने साथ आयुधों को नहीं ले जा रहा हूँ। अग्नि आयुध के सुरक्षित भंडारण व्यवहार करूंगा।
3.	मैं वचन देता हूँ कि आयुधों और गोला बारूद के साथ संपर्क होने के खतरे के बारे में बच्चों को शिक्षित करूंगा
4.	मेरे पास अग्निआयुध को सेफ या इस्पात अलमारी में सुरक्षित और सुनिश्चित रूप से रखने की भंडारण क्षमता है जिससे यह जोखिम कम किया जा सके कि इसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चुराया जा सकता है या इस तक उस व्यक्ति की पहुँच हो सकती है।

यह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि उपरोक्त घोषणा में दी गई जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के साथ सही है और यदि, किसी पश्चात्कर्ती तारीख पर, यदि कोई उक्त घोषणा झूठी और असत्य पाई जाती है तो मैं, उसके लिये जिसके अंतर्गत मेरे अनुज्ञप्ति के रद्दकरण या प्रतिसंहरण भी है तथा आयुध अधिनियम, 1959 के अधीन शास्ति उपबंधों के अधीन दायी हूँगा।

तारीख _____

(आवेदन/ अनुज्ञप्तिधारी का हस्ताक्षर)

दिल्ली _____

टिप्पण : क्रम सं० 4 पर यथावर्णित सुरक्षित भंडारण का सबूत संलग्न करें।

प्ररूप घ-3**चिकित्सा प्रमाणपत्र का मानक प्ररूप**

(नियम 11 के उप-नियम (4) के खंड (छ) देखें)

(चिकित्सा व्यवसायी के लेटर हैड पर)

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने व्यक्ति का सावधानीपूर्वक परीक्षण कर लिया है जिसकी विविष्टियां नीचे दी गई हैं :—

1. परीक्षण किए गए व्यक्ति का नाम _____
2. पिता का नाम/पति/पत्नी का नाम _____
3. निवास स्थान पता _____
4. आयु और जन्म तारीख _____
5. ऊँचाई _____
6. वजन (कि०ग्रा० में) _____
7. रक्त चाप (कृपया विनिर्दिष्ट करें) _____
8. विरूपण, यदि कोई हो
(ऊपरी हाथ पैरों में विशिष्ट तौर पर)
9. कोई अन्य अवलोकन

परीक्षण के आधार पर, यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त स्तंभ में यथावर्णित परीक्षित व्यक्ति :—

1. का अच्छा स्वास्थ्य है और किसी भौतिक विरूपण से मुक्त है ;
2. की मानसिक स्थिति स्थिर पाई गई है और उग्रता प्रवृत्त नहीं है ;
3. का मदनमत या स्वापक पदार्थ के प्रभाव के किसी तत्व पर निर्भर नहीं पाया गया है ।

स्तंभ (1) में नामित परीक्षित व्यक्ति के हस्ताक्षर

चिकित्सा व्यवसायी के हस्ताक्षर

रजिस्ट्रीकरण संख्या

(मोहर)

प्ररूप घ-4**पुलिस रिपोर्ट का मानक प्ररूप**

(नियम देखें)

आवरण पत्र प्रारूप

डीएम/पुलिस आयुक्त का कार्यालय

संदर्भ सं० _____

तारीख _____

सेवा में,

थाना अध्यक्ष

_____ पुलिस थाना

विषय : आयुध अनुज्ञप्ति या आयुध अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन पर (आवेदक के वर्तमान पते के) नजदीक पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी को आयुध अधिनियम, 1939 की धारा 13 (2) के अधीन रिपोर्ट ।

क्रम सं०	विशिष्टियां	सारांश
1.	आवेदक का नाम	श्री/श्रीमती/मेसर्स
2.	आवेदन किए गए अनुज्ञप्ति की प्रकृति	
3.	अनुज्ञप्ति सं०	
4.	आवेदन का पता	

टिप्पण :— आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 13 (2) के उपबंधों के अनुसार, किसी आवेदन के प्राप्त होने पर, अनुज्ञप्ति प्राधिकारी, आवेदन पर नजदीक पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी से रिपोर्ट के लिए बुलाएगा और ऐसा अधिकारी विहित समय के भीतर उसे रिपोर्ट भेजेगा । तदनुसार, 30 दिनों के भीतर संलग्न प्ररूप में रिपोर्ट भेजी जाएगी ।

कृते डीएम/पुलि० आयुध

संलग्न :—संलग्नों के साथ आवेदन प्ररूप (मूल)/नवीकरण प्रारूप की प्रति ।

**पूर्ववर्ती सत्यापन रिपोर्ट
(पुलिस विभाग द्वारा भरा जाएगा)**

1. आवेदक का नाम		
2. पिता/पति-पत्नी का नाम		
3. वर्तमान पता		
वर्तमान पता का नजदीक पुलिस थाना		
4. क्या आवेदन कभी दोषसिद्ध हुआ है ?	हाँ	नहीं
(क) यदि हाँ, अपराध, दंडादेश और दंडादेश की तारीख		
(ख) शांति बनाए रखने या सदाचार के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 7 के अधीन बंध पत्र के निष्पादन का आदेश किया गया है।	हाँ	नहीं
यदि हाँ, तो कब और उसकी अवधि क्या है ?		
(ग) किसी अपराध या गोलाबारूद उसके पास या ले जाने में अर्जन किए जाने से आयुध अधिनियम, 1959 या किसी अन्य विधि के अधीन निषिद्ध किया गया है।		
यदि हाँ, उसका ब्यौरा क्या है।		
5. क्या आवेदक का किसी से शत्रुता या झगड़ा है जिससे शांति भंग होने की संभावना है ? यदि हाँ, ब्यौरा दीजिए।	हाँ	नहीं
6. क्या आवेदक का पता और जन्म तारीख का सत्यापन किया गया है ? ब्यौरा दीजिए।	हाँ	नहीं
7. क्या आवेदक का व्यवसाय/कारबार का सत्यापन किया गया है ? ब्यौरा दीजिए।	हाँ	नहीं
8. क्या पुलिस थाने में आवेदक के विरुद्ध कोई शिकायत रजिस्टर्ड है ?	हाँ	नहीं
यदि हाँ, ब्यौरा दीजिए।		
9. क्या आवेदक किसी अपराध में संलिप्त रहा है ?	हाँ	नहीं
यदि हाँ, ब्यौरा दीजिए।		
10. क्या आवेदक किसी अपराध में गिरफ्तार हुआ था ?	हाँ	नहीं
यदि हाँ, ब्यौरा दीजिए।		
11. क्या आवेदक का नाम पुलिस थाने के खराब चरित्र रजिस्टर में सूचीबद्ध है ?	हाँ	नहीं
यदि हाँ, पुलिस थाने के अभिलेख के अनुसार ब्यौरा दीजिए।		
12. क्या आवेदक का नाम भारत सरकार के अन्य विभाग जैसे- सीबीआई, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, डीआरआई, प्रवर्तन निदेशालय आदि द्वारा किसी मामले में रजिस्टर्ड किया गया है जिसमें पुलिस थाने के दैनिक डायरी रजिस्टर, समन, वारंट आदि में वर्णित पाया गया है ?	हाँ	नहीं
यदि हाँ, ब्यौरा दीजिए।		
13. क्या आवेदक ने पुलिस थाने में जान से मारने की धमकी के संबंध में कोई शिकायत रजिस्टर्ड कराई है ?	हाँ	नहीं
यदि हाँ, ब्यौरा दीजिए।		
14. किसी राजनीतिक या साम्प्रदायिक संगठन जिसमें आवेदक सदस्य है का ब्यौरा		

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने आवेदक द्वारा जमा किए गए आयुध अनुज्ञप्ति दान करने के लिए आवेदन प्ररूप की विषय-वस्तुओं को चैक कर लिया है।

तारीख

मोहर

हस्ताक्षर
थाना प्रभारी
पुलिस थाना

अनुसूची IV
(नियम 27 देखें)
तालिका क
अनुज्ञप्तियों के लिए देय फीस

भाग 1				
अर्जन और कब्जे के लिए धारा 3 के अधीन अनुज्ञप्तियों को जारी करना				
क्रम सं०		अनुज्ञप्ति प्ररूप सं०	अनुज्ञप्ति प्रदान करते समय पर अनुज्ञप्ति फीस	प्रत्येक पश्चात्कर्ती वर्ष के लिए नवीकरण फीस
1		2	3	4
1.	I		2000	1000
2.	II		1000	1000
3.	III, IV, V			
	(क)	हैंड गन- रिवाल्वर/पिस्टोल (निर्बन्धित या अनुज्ञेय दोनों)	1000	500
	(ख)	केन्द्रीय फायर राइफल (सेमी ऑटोमेटिक) और श्रेणी I (ख) या I (ग) की कोई अन्य निर्बन्धित अग्नि आयुध	1000	1000
	(ग)	ब्रीच लोडिंग सेंटर फायर राइफल (सेमी ऑटोमेटिक नहीं)	1000	500
	(घ)	22 बोर रिम फायर राइफल (जिसके अंतर्गत सेमी ऑटोमेटिक भी है)	1000	500
	(ङ)	स्मूथ बोर ब्रीच लोडिंग शाटगन (जिसके अंतर्गत सेमी ऑटोमेटिक भी है)	1000	500
	(च)	वायु आयुध जिसके अंतर्गत एयर राइफल और एयर गन भी हैं, 20 जोल्स या 15 फीट एलबीएस से अधिक या 0.177" or 4.5 एमएम बोर से अधिक नाल मुख रखते हैं। आयुध प्रति कृति इलेक्ट्रॉनिक डिस्एबलिंग डिवाइज 15 फीट से कम की फायरिंग रेंज रखते हैं। पाइंट बाल मारकर या गन खाली फायरिंग अग्नि आयुध भरी नालमुख (एमएल) गन उसके गोलाबारी द्वारा किसी डिजाइन किए गए अग्नि आयुध या शोर को कम करने के अनुकूल या चौंध के कारण के लिए सहायक उपकरण	1000	500
	(छ)	तलवार, संगीत, कटार और भाला बल्लम	500	100
	(ज)	अनुसूची 1 की श्रेणी 5 के आयुध (छ) में वर्णित के अलावा	500	100

भाग-II

अनुज्ञप्तियों के अन्य प्रकार				
क्रम सं०		प्ररूप सं०	अनुज्ञप्ति प्रदान करते समय पर अनुज्ञप्ति फीस (रुपए में)	प्रत्येक पश्चात्कर्ती वर्ष जो भी लागू हो के लिए नवीकरण फीस (रुपए में)
1		2	3	4
4.	III-ख	कम्पनियों के प्रतिधारण का अनुज्ञात (जोड़ने/हटाने की प्रत्येक प्रविष्टि के लिए)	1000	लागू नहीं होता
5.	V-ख	राइफल संघों/क्लबों के सदस्यों को अनुज्ञा	-	लागू नहीं होता
6.	VI	पर्यटकों/खिलाड़ियों/अन्यों को अस्थायी निर्यात/आयात अनुज्ञप्तियाँ (प्रत्येक अग्नि आयुध के लिए)	1000	" "
7.	VII	विनिर्माण और सबूत प्रशिक्षण (अनुज्ञप्ति क्षमता के अनुसार)	प्रति अग्नि आयुध 500/- रु०	" "

8.	VII-क	अनुसूची के श्रेणी आयुध का विनिर्माण (अनुज्ञप्ति क्षमता के अनुसार)	प्रति आयुध 200 रुपए	" "
9.	VII-ख	अग्नि आयुध की प्रति कृति का विनिर्माण जिसके अंतर्गत पुरानी नाल मुख भरी हुई भी है आयुध और वायु आयुधों जिसमें एयर राइफल एयर गन भी सम्मिलित है। (अनुज्ञप्ति क्षमता के अनुसार)	प्रति आयुध 200 रुपए	" "
10.	VII-ग	वायु आयुध का विनिर्माण	प्रति वायु आयुध 100 रुपए	" "
11.	VIII	आयुध और गोला बारूद व्यौहारी	2000	1000
12.	VIII-क	वायु आयुध व्यौहारी	1000	500
11.	IX	गन बनाने वाला (अंतरण और ज्यादा मरम्मत के लिए)	5000	2000
12.	IX	गन बनाने वाला (छोटी मोटी मरम्मत करने के लिए)	2000	1000
13.	X	आयुध और गोला बारूद के लिए संयुक्त आयात/निर्यात अनुज्ञप्ति (प्रत्येक अग्नि आयुध के लिए)	1000	लागू नहीं होता
14.	X	यात्रा अनुज्ञप्ति (प्रत्येक अग्नि आयुध के लिए)	500	लागू नहीं होता
15.	XII	परिवहन अनुज्ञप्ति		लागू नहीं होता
		आयुध और गोला बारूद (व्यक्तियों के लिए) (प्रत्येक अग्नि आयुध के लिए)	500	लागू नहीं होता
		आयुध और गोलाबारूद (व्यौहारियों और विनिर्माताओं के लिए) (उसी परिवहन अनुज्ञप्ति के अधीन 3 मास की अवधि के साथ एकल प्रेषण या अधिकतम तीन भाग प्रेषणों के लिए)	2000	लागू नहीं होता
16.	XIII	साक्ष्य परीक्षण के लिए परिवहन अनुज्ञप्ति (प्रत्येक प्रेषण के लिए)	10000	लागू नहीं होता
17.	XIV	परिवहनकर्ता की अनुज्ञप्ति	10000	2000
18.	XV	नेपाल की सरकार के आयात और परिवहन के लिए (प्रत्येक अग्न्यायुध के लिए)	500	लागू नहीं होता

तालिका ख
सहबद्ध सेवाओं के लिए फीस

क्रम सं०	अनुज्ञप्ति प्ररूप	सेवा की विशिष्टियां	फीस रकम (रुपए)
1	2	3	4
1.	III	नियम 17 (1) के अधीन बाहरी अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के साथ रजिस्ट्रीकरण	500
2.	III	नियम 21/22 के अधीन प्रतिधारण का जुड़ना/हटाना (कम्पनियों के लिए)	500
3.	सभी	नियम 17(3) के अधीन विद्यमान अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के भीतर पते का परिवर्तन	500
4.	II III IV	नियम 18 के अधीन अग्नि आयुध का पृष्ठांकन (प्रत्येक अग्नि आयुध के लिए)	500
5.	II III IV	अग्नि आयुध का जुड़ना/हटाना (प्रत्येक अग्नि आयुध के लिए)	500
6.	II III IV	नियम 25 के अधीन विधिक वारिस को अग्नि आयुधों का अंतरण (प्रत्येक अग्नि आयुध के लिए)	1000
7.	II III V	कंपनियों द्वारा नियम 22 (3) के अधीन "उत्तरदायी व्यक्ति" की विशिष्टियों का परिवर्तन	1000
8.	सभी	नियम 33 के अधीन अनुज्ञप्ति में सूचना का संशोधन	500
9.	सभी	नियम 98 के अधीन एनओसी का प्रदान	500
10.	II III IV V	अनुज्ञप्ति पुस्तिका	100
11.	सभी	कोई अन्य सेवा जो उपरोक्त वर्णित नहीं है	500

अनुसूची V

(नियम 16 देखें)

अनुसूची II के अधीन अनुज्ञप्ति प्राधिकरणों के लिए नियमों के अधीन विभिन्न सेवाओं के लिए विहित समय सीमाएं

क्रम सं०	सेवा की प्रकृति	नियम सं०	विहित समय अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	पुलिस सत्यापन करना	14	आवेदन प्राप्ति 30 दिनों में
2.	अनुज्ञप्ति का प्रदान या अस्वीकृत करना	13	नियम 13 के अधीन पुलिस रिपोर्ट की प्राप्ति से 60 दिनों में
3.	अतिरिक्त अनुज्ञप्ति का प्रदान या अस्वीकृत करना	20	नियम 13 के अधीन पुलिस रिपोर्ट की प्राप्ति से 30 दिनों में
4.	अनुज्ञप्ति का नवीकरण	24	नियम 13 के अधीन पुलिस रिपोर्ट की प्राप्ति से 30 दिनों में
5.	अनुज्ञप्ति पर आयुध या गोला बारूद का पृष्ठांकन	18	आयुध पृष्ठांकन के आवेदन प्राप्ति से 7 दिनों में
6.	किसी बाहरी अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्तिधारी का रजिस्ट्रीकरण	17	नए अनुज्ञप्ति प्राधिकरण द्वारा आवेदन के रजिस्ट्रीकरण की प्राप्ति से 15 दिनों में
7.	आयुध का जोड़ना/हटाना	18	आवेदन की प्राप्ति के 7 दिनों में
8.	अग्नि आयुध के विक्रय की अनुज्ञा	-	धारा 5 के अधीन समुचित अवधि के अवसान के 3 दिनों में
9.	अनुज्ञप्ति की वैद्यता क्षेत्र का विस्तार	18	अनुसूची II के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन की प्राप्ति के 15 दिनों में
10.	पता परिवर्तन	17	अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा आवेदन के रजिस्ट्रीकरण की प्राप्ति के 15 दिनों में
11.	कम्पनियों के प्रतिधारण का जोड़ना/हटाया जाना	22	आवेदन प्राप्ति के 7 दिनों में
12.	यात्रा अनुज्ञप्ति का प्रदान करना	-	आवेदन की प्राप्ति के 2 कार्यदिवसों में
13.	परिवहन अनुज्ञप्ति का प्रदान करना	96	आवेदन की प्राप्ति के 2 कार्यदिवसों में
14.	एनओसी का प्रदान करना	98	आवेदन की प्राप्ति के 2 कार्यदिवसों में
15.	अनुलिपि पुस्तिका का जारी किया जाना	28	आवेदन की प्राप्ति के 7 दिनों में
16.	अपीलों का निपटान	108	अपील की प्राप्ति के 60 दिनों में
17.	कोई अन्य सेवा जो ऊपरोक्त परिभाषित नहीं की गई है	-	आवेदन की प्राप्ति के 7 दिनों में

[सं. वी-11026/104/2014-आर्म्स (वोल्यूम-III)]

मुकेश मित्तल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th July, 2016

G.S.R. 701(E).—In exercise of the powers conferred by sections 5, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 41 read with section 44 of the Arms Act, 1959 (54 of 1959), and in supersession of the Arms Rules, 1962, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

CHAPTER I

General

1. **Short title.**— (1) These rules may be called the Arms Rules, 2016.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions.**— (I) In these rules, unless the context otherwise requires, —
 - (1) “Act” means the Arms Act, 1959 (54 of 1959);
 - (2) “air weapon” means a device that discharges a projectile from a barrel under the pressure of compressed air or other gas but that does not employ an explosive charge to do so;
 - (3) “antique small arm” means firearms manufactured before 1899;
 - (4) “appellate authority” means the appellate authority referred to in rule 105;
 - (5) “authority” or “officer” means, except where otherwise specifically provided in these rules, the district magistrate or such other officer as may, from time to time, be notified in the Official Gazette by the Central Government;
 - (6) “automatic” means a small arm or light weapon that, after each discharge, automatically performs all the steps necessary to prepare the weapon to fire again; and that will continue to fire for as long as the trigger (or other activating device) remains depressed (assuming that ammunition remains and jamming does not occur) and an automatic weapon uses a portion of the energy from a firing cartridge to extract the spent cartridge case from the firing chamber and eject it from the weapon, re-cock the firing mechanism and load a new round of ammunition from the weapon’s feed-device or magazine into the firing chamber and if the trigger or other activating device remains depressed, the firing pin is automatically released to begin a new firing cycle;
 - (7) “blank cartridge” means a cartridge without a bullet or any other projectile;
 - (8) “blank firing firearms” means firearms capable of firing a blank cartridge;
 - (9) “bullet” means the conical head of the cartridge normally made of lead or copper that is expelled out of barrel or cylinder by means of explosive charge or compressed air or other gas;
 - (10) “caliber” means the internal diameter or bore of the barrel of a firearm measured in inches or millimeters or geometric circumference;
 - (11) “carry” means to bear a small arm, upon, about or in the proximity of one’s person;
 - (12) “cartridge” means a complete object consisting of a cartridge case, primer, propellant, bullet or any single or multiple projectile;
 - (13) “chartered accountant” means a chartered accountant as defined in clause (b) of sub-section (1) of section 2 of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949) who holds a valid certificate of practice under sub-section (1) of section 6 of that Act;
 - (14) “company” has the same meaning as assigned to it in the *Explanation* under section 33 of the Act;

- (15) “conversion” of firearm refers to a permanent change of caliber or bore of a firearm and includes replacement or relining or reboring of a barrel having an integral or separate chamber, replacement of cylinder and/or barrel or related parts and change in configuration of action or mechanism of a firearm but does not include converting a permissible category firearm into a restricted or prohibited category firearm;
- (16) “configured for military use” means firearms and ammunition (other than small arms and light weapons) manufactured and configured according to specifications set by the Department of Defence Production, Ministry of Defence;
- (17) “curio” means a small arm manufactured at least fifty years prior to the current date or certified by the curator of a Government regulated museum or that derives at least half of its monetary value from the fact that it is novel, rare, bizarre, or associated with some historical figure, period, or event and includes an antique small arm;
- (18) “deactivation” means to render a small arm or light weapon incapable of expelling or launching a shot, bullet, missile or other projectile by the action of an explosive, and which cannot be readily restored to its original capability, and that has been certified and marked as deactivated by an accredited gunsmith or a competent State authority.

Explanation. —

Deactivation requires that all pressure-bearing components of a small arm or light weapon be permanently altered in such a way so as to render the weapon unusable and includes modifications to the barrel, bolt, cylinder, slide, firing pin and receiver or frame;

- (19) “dealer” means a person who, by way of trade or business, buys, sells, tests (other than proof-test), exports, imports or transfers or keeps for sale, or test (other than proof-test) arms or ammunition and includes the Sports Authority of India (SAI), the National Rifle Association of India (NRAI) and the State Rifle Associations affiliated to NRAI or directly affiliated units of NRAI;
- (20) “dedicated sports person” means a person who actively participates in sports-shooting and who is a member of an accredited sports shooting organisation;
- (21) “electronic disabling device” means an electronic device capable of firing electrode projectiles propelled by compressed gas, which stays connected to the main unit or device by a conductive wire, and causes temporary neuro-muscular incapacitation of the target;
- (22) “Government arms” means a firearm or other weapon which is the property of Government; and
“Government ammunition” means ammunition manufactured in any Government factory or prepared for and supplied to Government other than such ammunition as may be released by Government for civilian use;
- (23) “gunsmith” means any person who performs work of minor or major repairs of firearms and subject to grant of prior permission of the licensing authority, may alter the caliber or barrel length of a firearm or perform such other work as may be specified by the licensing authority;
- (24) “handgun” means a small arm with a short stock at an angle to and extending below the line of the barrel, that is designed to be held and fired with one hand and includes pistols and revolvers;
- (25) “in-transit” means the conveyance through India to another country of firearms or ammunition that have been imported;
- (26) “firearm replica” means an object designed to resemble a firearm which has an appearance that is so realistic as to make it indistinguishable, for all practical purposes, from a real firearm and which has been rendered innocuous;
- (27) “Form” means a Form as set out in Schedule III of these rules;
- (28) “light weapon” means any man-portable weapon designed for use by two or three persons serving as a crew (although some may be carried and used by a single person) that expels or launches, is

- designed to expel or launch, or may be readily converted to expel or launch a shot, bullet or projectile by the action of an explosive and includes, inter alia, heavy machine guns, hand-held under barrel and mounted grenade launchers, portable anti-aircraft guns, recoilless rifles, portable launchers of anti-tank missile and rocket systems, portable launchers of anti-aircraft missile systems, and mortars of a caliber of less than 100 millimeters, as well as their parts, components and ammunition;
- (29) “main firearm component” means the barrel, frame or receiver, slide, bolt or breech-block of a firearm;
- (30) “manufacturer” means a person, who manufactures, sells, tests (other than proof-test), exports, imports or transfers or keeps for sale, or test (other than proof-test) firearms, their parts, components or ammunition or arms other than firearms;
- (31) “manufacturing” means making, producing or assembling: —
- (i) a complete firearm;
 - (ii) a pressure-bearing part or component of a firearm (e.g. barrel, slide, cylinder, bolt, breech lock, firing pin, etc.);
 - (iii) ammunition for firearm; or
 - (iv) an arm other than a firearm, *and includes* —
 - (i) reactivating a deactivated firearm; and
 - (ii) substantially modifying the function of a firearm (e.g. conversion to fully automatic), *but does not include* —
 - (i) repair, restoration, maintenance or cosmetic enhancement or alteration of a firearm; nor
 - (ii) the non-commercial reloading of ammunition;
- (32) “marking” means application of permanent inscriptions on firearms, ammunition and ammunition packaging to permit their identification;
- (33) “muzzle energy” means the kinetic energy of a projectile as it is expelled from the muzzle of a firearm and expressed in joules or foot-pounds;
- (34) “NDAL” means National Database of Arms Licences;
- (35) “paintball” means a projectile (spherical gelatin capsule) that primarily consists of non-toxic water soluble substances and dye designed to mark a person or an object;
- (36) “paintball marker or paintball gun” means a device capable of firing paintballs by use of an expanding gas or compressed air, whether operated mechanically or electro-pneumatically;
- (37) “parts and components” mean any element or replacement element specifically designed for a firearm and essential to its operation and includes barrel, frame or receiver, slide or cylinder, bolt or breech block, and any device designed or adapted to diminish the sound caused by firing;
- (38) “pistol” means a handgun with a chamber as an integral part of, or permanently aligned with, the barrel;
- (39) “port” includes a seaport, an airport and a land port;
- (40) “rimless” means a cartridge where the rim has the same diameter as the base of the case and used in firearms that feed from a box magazine;
- (41) “rimmed cartridge” means where the rim has a significantly larger diameter than the base of the cartridge with the rim serving to hold the cartridge at the proper depth in the chamber;
- (42) “revolver” means a handgun with a breech-loading, chambered cylinder so arranged that the cocking of the hammer or depression of the trigger rotates the cylinder and brings the next cartridge in line with the barrel for firing;

- (43) “repair” of firearm may be minor or major –
‘minor repair’ includes –
- (i) *cleaning and carrying out* re-finishing, fixing slings, recoil pads, installation of pre-fabricated stock, general accessories, preservative packaging and ensuring accuracy or safe working of the firearm and its components;
 - (ii) *fabricating or replacing or working* on old, damaged, worn-out, eroded, shot-out part of a firearm (excluding barrels or receivers or frames or breech bodies or bolts) for the purpose of repair and safe functioning;
 - (iii) *making and replacing* stocks, grips (butt stock) and other parts;
 - (iv) *ensuring accuracy or safe working* of the firearm by means of carrying out work on complete barreled action, fabricating, fitting or adjusting optics, sights, other components, etc., including test firing;
 - (v) *making and installing* accessories and *tuning* fabricated parts.
- ‘major repair’* requires extensive primary and secondary machining operations of critical parts and includes –
- (i) *working on critical parts including fabrication of components* like barrels and actions (re-boring or re-chambering or replacing or remaking barrels, re-machining of receivers or frames, bolts, slides, cylinders, breech, etc. and other components) for the purpose of repair or conversion;
 - (ii) *shortening, conversion, working on triggers, safeties and general safety testing of firearms and devices including firing or testing of firearms repaired or converted.*
- (44) “responsible person” means in the case of a company, the person nominated in an application for an arms licence by a company;
- (45) “rifle” means a small arm designed to expel, through the action of an explosive, a single projectile through a rifled barrel, while supported against the shoulder and held with both hands;
- (46) “Schedule” means a Schedule appended to these rules;
- (47) “selective fire” means capability of a small arm or light weapon that can be adjusted to fire in two or more of the following ways:
- (i) semi-automatic (i.e. one shot per depression of the trigger);
 - (ii) multi-shot burst (i.e. a set number of shots per depression of the trigger); or
 - (iii) automatic (i.e. continuous fire while the trigger is depressed)
- (48) “self-loading” means semi-automatic;
- (49) “semi-automatic” means a small arm or light weapon that, after each discharge, automatically performs all of the steps necessary to prepare the weapon to fire again, but that requires a separate depression of the trigger to fire each round of ammunition;
- (50) “shotgun” means a small arm designed to expel, through the action of an explosive, shot or a single projectile through a smooth-bored barrel, while supported against the shoulder and held with both hands;
- (51) “small arm” means any man-portable lethal weapon designed for individual use (of caliber up to 12.7 mm) that expels or launches, is designed to expel or launch, or may be readily converted to expel or launch a shot, bullet or projectile by the action of an explosive and includes inter alia, revolvers and self-loading pistols, rifles and carbines, sub-machine guns, assault rifles and light machine guns, as well as their parts, components and ammunition but does not include antique small arms and firearm replica.

Note:

Shotguns, sporting rifles and muzzle loading black powder firearms, though of caliber of more than 12.7 mm are also covered under small arms;

- (52) “sportshooting” means competitive and recreational sports that involve tests of proficiency (accuracy and speed) using permissible category of firearms, ammunition and targets;
- (53) “section” means a section of the Act;
- (54) “trade transfer” means sale or transfer of arms or ammunition between a manufacturer and a dealer or between a dealer and another dealer during the normal course of the business and includes a sale or transfer on consignment basis;
- (55) “unloaded” means that any propellant, projectile or cartridge which can be discharged from the firearm is not contained in the breech-block or firing chamber of the firearm nor in the cartridge, magazine or cylinder attached to or inserted into the firearm;
- (56) “use of a firearm” includes displaying, aiming and firing as well as manipulating the working parts of a firearm but does not include cleaning or maintenance;
- (57) “UIN” means Unique Identification Number generated in NDAL for a licensee under these rules.

(II) Words and expressions used but not defined in these rules shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Classification of arms and ammunition.**— For the purposes of the Act and these rules, arms and ammunition shall be of the categories specified in columns (2) and (3) respectively of Schedule I and references to any category of arms or ammunition in these rules shall be construed accordingly.
4. **Licence for arms other than firearms and applicability of section 4.**— (1) Unless the Central or the State Government by notification in the Official Gazette so directs, no licence shall be required for the manufacture, sale, possession for sale or test, of arms of category V in Schedule I except in the areas notified under section 4.

(2) In any area specified in the notification issued by the Central Government under section 4 of the Act, licence for acquisition, possession or carrying in that area of arms of such class or description as may be specified in that notification may also be granted or renewed as provided in Schedule II, subject to such conditions as may be specified in these rules, that Schedule and in the licence.

CHAPTER II

Licensing Procedure

5. **Licensing authority and forms of licences.**— Licences under Chapter II of the Act may be granted or renewed for, such purposes, by such authorities, in such forms and to be valid for such period and in such areas as are specified in Schedule II, subject to such conditions as are specified in these rules, that Schedule and in the licence:

Provided that the licences granted or renewed by a licensing authority may be signed by such officer subordinate to that authority as may be specially empowered in this behalf by the State Government.
6. **Restriction in granting licences for acquisition, possession or carrying of arms or ammunition of category I of Schedule I.**— No licence shall be granted for acquisition, possession or carrying of arms or ammunition specified in category I(b) or I(c) in Schedule I unless they have been legally manufactured in India or lawfully possessed or lawfully imported into India or are being imported into India with the sanction of the Central Government.
7. **Licensing authorities to furnish information to district magistrate.**— (1) A copy of every licence granted for arms or ammunition specified in category I(a), I(b), I(c) and category II in Schedule I shall forthwith be sent to the district magistrate of the place in which the arms or ammunition are to be kept.

- (2) A copy of every other licence granted in any Form by any authority other than a district magistrate shall be sent forthwith to the district magistrate having jurisdiction over the area in which the place of business or residence of the licensee is situated.
- (3) The licences granted under sub-rule (1) and sub-rule (2) shall be intimated through NDAL system to the district magistrate of the place having jurisdiction over the area in which the place of business or residence of the licensee is situated.
- 8. Possession of arms or ammunition for certain purposes to include use thereof.**— Possession of the following arms or ammunition for the purposes mentioned against each, includes use thereof, for such purposes only provided that such use does not involve manufacture of any arms or ammunition (including explosives and fireworks) :-
- arms for theatrical performance, historical re-enactment, historical research (including assessment of performance), cinematograph or television production or signaling for starting races or athletic meets and safety equipment including signal flare guns, line throwing guns, avalanche cannon, etc.;
 - ingredients of ammunition including sulphur and chlorates for *bona fide* industrial, agricultural or medicinal purposes.
- 9. Restrictions by Central Government in certain cases.**— Any licence having effect outside the State in which it is granted, shall be subject to any restrictions, which may be imposed by a general or special order of the Central Government.
- 10. Safe use and storage of firearms.**— (1) Every applicant applying for a licence in Form II, Form III and Form IV; or a rifle club or association or firing range or staff employed by such club, association or firing range, applying for a licence in Form V; or a manufacturer or dealer or gunsmith or staff employed by such manufacturer, dealer or gunsmith applying for a licence in Form VII, Form VIII, Form IX or Form IX-A, shall be required to complete arms and ammunition safety training course which shall include –
- basic arms and ammunition safety practices, including safe handling and carry procedures;
 - firing techniques and procedures;
 - care of arms and ammunition;
 - safe storage and transportation of arms and ammunition;
 - reasonable working knowledge of important provisions of the Act and these rules; and
 - responsibilities of the arms owner or user, particularly in relation to children.
- (2) The safety training course under sub-rule (1) shall be conducted by the accredited trainer or master accredited trainer having licence under rule 39, who shall issue a certificate in Form S-1, to the applicant, on successful completion of the said course.
- (3) The effective date and duration of the safety training course as laid down in sub-rule (1) shall be notified by the Central Government by issuing a general or special order in this regard.
- (4) Every application for a licence in Form II, Form III and Form IV shall be accompanied by –
- a written undertaking that the applicant has the capacity to store the firearm safely and securely in a safe or steel almirah in order to minimize the risk that it could be stolen or accessed by someone other than the licensee; and
 - a written undertaking to practice safe storage of the firearm (in knocked down condition) and its ammunition and to educate the children about the dangers of interacting with arms and ammunition, in Form S-2.
- (5) The licensing authority responsible for the grant or renewal of a licence shall conduct periodic inspections of the premises of companies, dealers, gunsmiths and manufacturers where arms and ammunition are stored in order to ensure compliance with safe storage requirements.
- 11. Application for licence.**— (1) Every application for the grant of a licence under these rules –

- (a) shall be submitted in Form A-1 to A -14 as applicable to the category of the licence applied;
- (b) may be presented by the applicant in person or sent through the medium of post office or filed electronically or otherwise, to the licensing authority, as far as possible, having jurisdiction in respect of the place where he ordinarily resides or has his occupation.
- (2) Where the grant of licence requires a certificate of no objection from some other authority as provided in rule 98, shall state whether such certificate has been obtained and, if so, be supported by evidence thereof either in physical form or by an electronically generated confirmation on NDAL system for the particular UIN of the applicant.
- (3) Every application for grant of licence for special category under Chapter III of these rules, shall be subject to such additional requirements specified for these categories in that chapter.
- (4) Every application in Form A-1 submitted by an individual for grant of a licence in Form II, Form III or Form IV shall be accompanied by the following documents, namely:—
 - (a) four passport size copies of the latest photograph of the applicant (in white background);
 - (b) proof of date of birth;
 - (c) identification proof —
 - (i) Aadhar Card; or
 - (ii) in case the applicant does not have Aadhar Card, a written declaration in the form of an Affidavit to be submitted in this regard along with an alternative identification proof which may include Passport or Voter's Identification Card or Permanent Account Number (PAN) card or Identity Card issued to the employees;
 - (iii) in case of exemptee sports persons, shooters identification card issued by the National Rifle Association of India.
 - (d) residence proof in case the applicant does not possess Aadhar Card or Passport, which may include —
 - (i) voter's identification card; or
 - (ii) electricity bill; or
 - (iii) landline telephone bill; or
 - (iv) rent deed or lease deed or property documents; or
 - (v) any other document to the satisfaction of the licensing authority.
 - (e) safe use and storage of firearms undertaking referred to in sub-rule (4) of rule 10;
 - (f) for professional category applicant, referred to under clause (a) of sub-rule (3) of rule 12, self-attested copies of the educational and professional qualification certificates, wherever applicable;
 - (g) medical certificate about mental health and physical fitness of the applicant with specific mention that the applicant is not dependent on intoxicating or narcotic substances (in Form S-3);
 - (h) in case of an application for a licence in Form IV, the particulars specified in sub-rule (2) of rule 35 along with a permit from the authority empowered under the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972);
- (5) Every application in Form A-2 submitted by a company for the grant of a licence in Form II or Form III, shall be accompanied by the following documents, namely:—
 - (a) written undertaking on the letter head of the applicant duly signed by the responsible person defined under clause (44) of rule 2;
 - (b) original copy of the board resolution passed or an authority letter confirming the appointment of responsible person referred to in clause (a);
 - (c) certified copies of the founding documents of the company including Memorandum and Articles of Association;

(d) safe use and storage of firearms undertaking referred to in sub-rule (4) of rule 10.

(6) An application by a member of the armed forces of the Union shall be made through his Commanding Officer to the licensing authority having jurisdiction in respect of the place to which he is for the time being posted.

(7) The licensing authority may, in accordance with any instructions issued by the State Government in respect of all or any class of firearms, require the personal attendance of the applicant before granting the licence under this rule.

(8) The applicant shall not suppress any factual information or furnish any false or wrong information in the application form.

12. **Obligations of licensing authority in certain cases.—** (1) Save as otherwise provided in the Act, every licensing authority granting a licence in Form III to an individual for the restricted or permissible arms or ammunition as specified in category I(b) and I(c) or category III respectively in Schedule I, shall have due regard to the application of norms specified in sub-rules (2) and (3).

(2) For grant of a licence for the restricted arms or ammunition specified in category I(b) and I(c) in Schedule I, the licensing authority, may consider the application of—

(a) any person who faces grave and anticipated threat to his life by reason of –

(i) being resident of a geographical area or areas where militants, terrorists or extremists are most active; or

(ii) being the prime target in the eyes of militants, terrorists or extremists; or

(iii) facing danger to his life for being inimical to the aims and objectives of the militants, terrorists or extremists; or

(b) any Government official who by virtue of the office occupied by him or by the nature of duty performed by him and/or in due discharge of his official duty is exposed to anticipated risk to his life; or

(c) any Member of Parliament or Member of Legislative Assembly, who by virtue of having close or active association with anti-militant, anti-terrorist or anti-extremist programmes and policies of the Government or by mere reason of holding views, political or otherwise, exposed himself to anticipated risk to his life; or

(d) any family member or kith and kin of a person who by the very nature of his duty or performance (past or present) or position occupied in the Government (past or present) or even otherwise for known or unknown reasons exposed himself to anticipated risk to his life; or

(e) any other person, for any legitimate and genuine reason, to the satisfaction of the licensing authority, by passing of a speaking order in this regard:

Provided that before grant of a licence under this sub-rule, the licensing authority based on the recommendations of the district magistrate and of the State Government concerned and on examination of the police report and after conducting a separate verification from its own source, shall satisfy itself that the applicant requires such licence.

(3) For grant of a licence for the permissible arms or ammunition specified in category III in Schedule I, and without prejudice to the provisions contained in clause (a) of sub-section (3) of section 13, the licensing authority, based on the police report and on his own assessment, may consider the applications of –

(a) any person who by the very nature of his business, profession, job or otherwise has genuine requirement to protect his life and/or property; or

(b) any dedicated sports person being active member for the last two years, of a shooting club or a rifle association, licensed under these rules and who wants to pursue sport shooting for target practice in a structured learning process; or

(c) any person in service or having served in the Defence Forces, Central Armed Police Forces or the State Police Force and has genuine requirement to protect his life and/or property.

- 13. Time limit for grant of licence.**— The licensing authority, after considering the application and on being satisfied that the applicant has fulfilled the eligibility conditions, shall grant or refuse to grant a licence for permissible category of arms or ammunition specified in category III of Schedule I, to any person by recording in writing the reasons for such grant or refusal, by passing a speaking order, within a period of sixty days of the receipt of the police report:

Provided that the licensing authority shall specify, the type of arms and ammunition to be procured by the applicant after assessing the reason and the need for possession of the type of arms and ammunition applied for by the applicant, considering its lethality or fire-power.

- 14. Time limit for police report for grant of licences.**— (1) On receipt of an application for grant of a licence under sub-section (1) of section 13 or every subsequent renewal thereof under section 15, the licensing authority shall call for a report of the officer-in-charge of the nearest police station on that application, and such officer shall send his report in Form S-4, within a period of thirty days from the date of receipt of application by him.

(2) The Central Government may by issuance of a general or special order, extend the period of thirty days as specified in sub-rule (1) up to ninety days for certain areas or States for any reason deemed appropriate by it.

(3) The licensing authority may in case of non-receipt of police report within the period of thirty days under sub-rule (1) or within the extended period under sub-rule (2), make an order in writing for grant or refusal of licence, without further waiting for the report.

- 15. Maintenance of records in electronic format and consolidation of licences.**— (1) Every licensing authority and the renewing authority specified in Schedule II, while granting a license or renewing a licence, thereof, shall enter the data of the record locally in an electronic format specified by the Central Government.

(2) Every licensing authority and the renewing authority shall also enter such data in the NDAL system which shall generate a unique identification number (UIN) and with effect from the 1st day of April, 2017, any arms license without UIN shall be considered invalid.

(3) The UIN so generated under sub-rule (2) shall be unique for a licensee.

(4) Any existing licensee holding multiple licences in Form III shall on or before the 1st day of April, 2017, make an application for grant of a single licence in respect of all the firearms held by him under his UIN, to the concerned licensing authority:

Provided that where the applicant applying a licence for restricted category of arms or ammunition specified in Schedule I is also a holder of a licence for permissible category of arms or ammunition specified in the said Schedule; or where the applicant, applying for permissible category of arms or ammunition is also a holder of a licence for restricted category of arms or ammunition specified in the said Schedule, the licensing authority concerned shall issue a new licence for such restricted or permissible category of arms or ammunition, as may be applicable, under the existing UIN of the licensee:

Provided further that separate licence books shall be generated in case of each licence in Form II, Form III and Form IV and in case of a licence in Form III, separately for restricted and permissible categories of arms and ammunition specified in Schedule I, with an overall ceiling of three firearms under a single UIN.

(5) The licensing authority on receipt of an application from a multiple licence holder under sub-rule (4) shall cancel the existing multiple licences of the applicant and issue in lieu thereof, a new licence endorsing therein, all the existing firearms of the said licensee.

(6) The period of validity of the new licence so issued by the licensing authority under sub-rule (5) shall be the farthest period as mentioned in any of the cancelled licences and the area validity endorsed on the new licence shall be the more extensive area in any of the cancelled licences.

- 16. Duty of licensing authority under NDAL.**— (1) The licensing authority, while granting or renewing a licence or at the time of providing any allied service to any licensee under these rules shall ensure that the data of the transaction approved by him, is simultaneously updated in the electronic format locally and on the NDAL system under its log-in ID:

Provided that the licensee shall not be held accountable for failure on the part of the licensing authority to update such data in the electronic format.

(2) The licensing authority shall ensure compliance of delivery of different services specified in column (2) of Schedule V, within the time specified in column (4), of the said Schedule.

- 17. Registration of licence with an outside licensing authority and change of address with existing licensing authority.—** (1) If a person who holds a licence in Form III changes his place of residence, permanently, or temporarily for a period of more than six months, and carries with him the arms covered by the licence, to a place falling, other than within the jurisdiction of the existing licensing authority indicated in the licence, he shall, immediately before the expiry of a period of six months, send intimation about such change to the licensing authority of the place of his new residence and shall on demand, forthwith produce the licence and the arm or arms to the new licensing authority by applying in Form B-1 and indicating there in the particulars of his new residence.

(2) The licensing authority of the new place of residence of the licensee on receiving an application in Form B-1 under sub-rule (1), shall within a period of fifteen days, register the licensee in the NDAL system whereby the UIN of the licensee shall stand activated and transferred to its jurisdiction and de-activated from the records of the original licensing authority or the last renewing authority as the case may be and thereupon a new licence book shall be issued to the licensee and such new authority shall be the licensing or the renewing authority in relation to the said licence.

(3) Where the licensee changes his permanent place of residence within the jurisdiction of the existing licensing authority, he shall forthwith inform the same to the licensing authority with the proof of his new place of residence and if such change has resulted in change of jurisdiction of police station, along with information of the police station of his new place of residence and the licensing authority shall within a period of fifteen days, register the change of residence of the licensee in the NDAL system whereby the UIN of the licensee shall stand activated under the new police station and de-activated from that of the last police station.

- 18. Permission for possession of arms to be acquired subsequent to grant of licence.—** When a licence is granted in Form II, Form III, Form IV or Form V for the possession of arms to be acquired by the licensee subsequent to the grant of the licence, the authority granting the licence shall at the time of granting the same, direct that the arms covered by the licence shall be acquired within a period of two years and that the licence or the arms or both shall be produced for his inspection and if within the said period of two years, the licensee fails to acquire the arms and to produce the licence, or the arms or both, as the case may be, the licence shall cease to be in force:

Provided that the licensing authority may extend the period of two years by a further period of one year, on the basis of a written representation received from the licensee and after recording the reasons for granting such an extension:

Provided further that if during the period of two years or the extended period of one year, as the case may be the licensee wishes to acquire and possess any arm or arms of a different description and the licensing authority has no objection to allow the acquisition and possession of such arm or arms, he may amend the licence accordingly:

Provided also that where the licensee changes his place of residence, after the grant of licence but before acquisition of any arm, he may produce the licence or arm or both for inspection before the licensing authority of the place of his new residence to which the licensee may have shifted and the said authority on inspecting the arm, shall register and update the information on NDAL system:

Provided also that the provisions contained in this rule shall apply *mutatis mutandis* to any acquisition of an additional arm or arms which the licensee may desire to acquire subsequent to grant of licence on account of sale or transfer or disposal of the arm or arms already possessed or otherwise as a fresh acquisition subject to the overall limit of three firearms.

- 19. Extension of area validity of licence.—** (1) On receipt of an application from a licensee holding a licence in Form III, the licensing authority may extend the area of validity specified in his licence, if he is satisfied about

the need of such extension subject to the condition that the licensing authority has the power to grant a licence in relation to the area to which extension is being sought.

(2) The application for extending the area validity for whole of India may be granted by the licensing authority as specified in column (5) of Schedule II, in respect of the following category of licensees, namely:-

- (a) Union Ministers or Members of Parliament;
- (b) Personnel of Defence Forces and Central Armed Police Forces;
- (c) Officers of All-India Services;
- (d) Officers in the Government or Government Sector Undertakings or Public Sector Undertakings with liability to serve anywhere in India;
- (e) Dedicated sports persons and the sports persons specified in serial numbers (1) to (4) of the table in sub-rule (2) of rule 40.

(3) In other cases, where the licensing authority is satisfied that the nature of business or profession of the applicant requires him to carry arm or arms frequently beyond the existing jurisdiction and such a requirement may not be met by the issuance of a journey licence in Form XI of these rules, the application for extending the area validity for whole of India may be granted by the licensing authority specified in column (5) of Schedule II to the applicant.

20. Additional licences for individuals.— (1) The holder of a licence in Form III, for permissible category of firearms, as specified in Schedule I, may apply for grant of additional licence for any two of his close relatives who are not in possession of any licence in Form III and who are residing with him at the address given in the licence, to possess, carry or use any of the arms or ammunition covered by his licence and the licensing authority shall grant a licence to such additional licensee if the eligibility conditions under the Act and these rules are fulfilled by the said additional licensee and there are no adverse remarks in the police report.

(2) The additional licensee under his UIN shall be granted a separate licence, with the arms and ammunition of the parent licence endorsed thereupon:

Provided that the additional licensee shall not be permitted to, acquire any arms or ammunition on his licence.

(3) The additional licensee shall not obtain a licence in his individual capacity during the period he holds an additional licence under this rule.

(4) The licensing authority shall ensure that the details of additional licensees are endorsed on the parent licence and the period of validity and the area validity of the additional licence are *pari-passu* with that of the parent licence and if the parent licence is suspended, revoked or cancelled, the additional licences shall also be subject to the same consequence.

(5) The additional licensee shall not sell or transfer the arms and ammunition endorsed on his licence.

(6) In case the holder of an additional licence shifts temporarily or permanently from the premises of the parent licensee, such additional licence shall automatically lapse and the person to whom such additional licence was issued, shall return his licence to the licensing authority by whom the licence was issued and the responsibility for furnishing such intimation to the licensing authority shall be that of the parent licensee.

(7) The parent licensee may request the licensing authority to revoke or cancel the licence of any of his additional licensees by submitting an application along with the original licence and in all such cases, the licensing authority shall revoke or cancel the licence of the additional licensee.

Explanation. —

For the purposes of this rule, 'close relatives' mean spouse, son, daughter, brother and sister.

21. Retainers for exemptees.— (1) A licence in Form III-A for possession and carrying of arms or ammunition may be granted to a person nominated to be his retainer by a person exempted under section 41 of the Act from licensing requirements:

Provided that the retainer shall have no right, independent of the person so exempted, to use the arms or ammunition covered by the licence, and the licence shall cease to be in force on the day on which the person so exempted has ceased to be an exemptee, or the retainer has ceased to be a nominee of the exemptee.

(2) The licensing authority shall obtain a report from the Police, about the antecedents of the retainer nominated under sub-rule (1) and take into consideration such report before admitting him as a retainer in a licence granted in Form III-A.

22. Retainers for companies.— (1) A licence in Form II or Form III granted to a company for the protection of its premises or property shall be in the name (with designation) of the responsible person who shall be accountable and responsible for the custody of the arms and ammunition.

(2) The name of a servant or any other employee entrusted with the arms and ammunition for guarding the premises or property of the company shall be entered as a retainer in the licence.

(3) The licensing authority shall issue to the licensee a permit in Form III-B for each of such retainers shown in the licence and such permit shall remain in the personal custody of the responsible person of the company and shall be handed over to the retainers when they are entrusted with the arms and ammunition covered by the licence:

Provided that the licensee at the time of making application for retainer shall submit along with the application in Form B-3, four recent passport size photographs of the retainer to be appointed and the proof of his employment with the company:

Provided further that the licensing authority, shall obtain a report from the Police about the antecedents of the retainer and take into consideration such report before admitting him as a retainer.

(4) On an application from a company, holding a licence in Form II or Form III, for a change of the responsible person of the company in whose name the licence has been granted or of a retainer included in the licence, the necessary amendments may be made in the licence by the licensing authority.

23. Restriction on the quantity of ammunition used in breech loading firearms.— (1) For the purposes of the Act and these rules, quantity of ammunition for the licences granted in Form II, Form III or Form IV for breech loading firearms shall be restricted as under, namely:-

Maximum purchasable during a calendar year (per firearm)	200
Maximum to be possessed at any given time (per firearm)	100

(2) (a) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the State Government concerned may allow a higher quantity of ammunition in exceptional cases on merits and on the basis of good and sufficient reasons to be recorded in writing.

(b) The Central Government in the Ministry of Home Affairs may allow a higher quantity of ammunition in exceptional cases by issuance of a general or special order in this regard.

24. Renewal of licences.— (1) Every licence may, at its expiration and subject to the same conditions (if any) as to the grant thereof, be renewed by the authority mentioned in Schedule II as renewing authority within a period of thirty days of receipt of the police report:

Provided that the licence so renewed may be signed in the appropriate column of the licence by such officer as may be specifically empowered in this behalf by the State Government under rule 5.

(2) An application for renewal of a licence for arms or ammunition shall be filed in the Form wherein specified at least sixty days prior to the expiry of the said licence with the licensing authority along with the documents wherein specified in the Form:

Provided that in the case of arms and ammunition deposited under sub-rule (1) of rule 48, the renewal application may be filed either by the depositor, or where it is not practicable to make the application direct,

through the dealer or any other person authorised by him in writing in this behalf, while the arms or ammunition continue to be so deposited.

(3) The authority issuing a licence shall ordinarily be responsible for watching all future renewals of the licence:

Provided that where a licensee notifies a change of his place of residence, permanently or temporarily for a period of more than six months, to the licensing authority of the district in which the renewal is sought, the licensing authority of that district shall thence-forth become responsible for watching all future renewals of his licence.

(4) The new renewing authority shall, in respect of a licensee who notifies a change of his place of residence under sub-rule (3), register the licensee under its own jurisdiction in accordance with the provisions specified in rule 17 and carry out the renewal thereof and forthwith, inform the original issuing or last renewing authority.

(5) The licensing authority may consider an application for renewal of a licence, if the period between the date of its expiry and the date of application is not, in his opinion, unduly long with due regard to the circumstances of the case, and all renewal fees are paid; otherwise the application may be treated as one for grant of a fresh licence.

(6) The licensing authority may, in accordance with any instructions issued by the State Government in respect of all or any class of firearms, require the personal attendance of the applicant before renewing the licence under this rule.

25. Grant of licences to legal heirs.— (1) The licensing authority may grant a licence —

(a) after the death of the licensee, to his legal heir; or

(b) in any other case, on the licensee attaining the age of seventy years or on holding the firearm for twenty-five years, whichever is earlier, to any legal heir nominated by him:

Provided that notwithstanding the provisions contained in rule 12 of these rules, the licensing authority may grant a licence to such legal heir if the eligibility conditions under the Act and these rules are fulfilled by the said legal heir and there are no adverse remarks in the police report.

(2) Where a licensee leaves behind more than one legal heir and the legal heirs decide amongst themselves to retain the arm or arms of the deceased, one of the legal heirs nominated by all other legal heirs may apply for a licence under sub-rule (1) along with the following documents, namely:-

(i) a declaration of no-objection from the remaining legal heirs;

(ii) an indemnity bond executed by the applicant giving full details of the licence and the arm or arms endorsed thereupon; and

(iii) a copy of the death certificate of the deceased licensee.

(3) Where the legal heirs decide to dispose of the arm or arms endorsed on the licence of the deceased licensee, they may apply to the licensing authority for grant of a limited period permission to sell the arm or arms, within the time allowed by such authority, to any licensed dealer or to any other person entitled to possess an arm under these rules.

Explanation. —

For the purposes of this rule, 'legal heir' includes husband, wife, son, daughter, son-in-law, daughter-in-law, brother, sister and grandchildren of the licensee or the deceased licensee.

26. Certain licences to be in book form.— A licence in Form II, Form III, Form IV or Form V generated under the UIN of the licensee in NDAL system, shall be in book form serially numbered and strictly as per the formats specified in the rules and in case of individuals, shall contain the latest photograph of the licensee:

Provided that the licence book for restricted category of firearms shall be of dark maroon colour and for permissible category of firearms shall be of navy blue colour:

Provided further that the licensing authority may get the licence books printed and serially numbered locally and levy fee for providing licence books as specified in Schedule IV.

- 27. Fees for licences.**— (1) (a) Every licence granted or renewed under these rules shall, save as herein otherwise expressly provided, be chargeable with the fee (if any) specified in Schedule IV.

(b) In any case where fee is prescribed for a year, fee for a fraction of a year shall be the same as for a whole year.

(2) Where a licensee submits his application for renewal of his licence after the expiry of the period for which the licence was granted, the licensing authority may, if he decides to renew the licence, at his discretion, levy –

(a) full fee as for initial grant of the licence; and

(b) a late fee of rupees two thousand, if he is satisfied that the delay is not justifiable or excusable, nor serious enough to warrant revocation of the licence or prosecution of the licensee:

Provided that if an application for renewal for a licence in Form III is made within one month from the date on which the licence expires, no late fee may be leviable.

(3) The Central Government may, by issuance of a general or special order and for reasons to be recorded in writing and subject to such conditions, if any, as it may specify in the order, grant exemption from, or reduction of, the fee payable in respect of any licence:

Provided that it shall be a condition of every exemption from payment of the fee chargeable in respect of the grant or renewal of any licence in Form III that if application for renewal of such licence is not made within one month from the date on which the licence expires, the licensing authority may, unless the applicant satisfies the licensing authority that he had sufficient cause for not making the application within that period, levy renewal fee at the rate specified in Schedule IV.

(4) Differential fee shall be chargeable in respect of a change of type of the arm or ammunition entered in a licence granted for its acquisition under second proviso to rule 18, if the licence fee in respect of the arm or ammunition so changed is higher than that for the original arm or ammunition.

- 28. Fee payable for copies and duplicates.**— Where a licence granted or renewed under these rules is lost or accidentally destroyed, the authority empowered to grant such licence may grant a duplicate licence on payment of the fee with which the original licence was chargeable.

- 29. Collection of fees.**— All fees payable shall be paid in cash or by way of bank pay-order or demand draft or electronic banking transfer at the time of application.

- 30. Inspection of arms by the licensing authority.**— The authority by whom any licence in Form II, Form III, Form IV or Form V has been granted or renewed, may, for the purpose of satisfying itself that any arms covered by such licence are still in the possession of the licensee at the time of renewal or at any time while the licence is in force, by order in writing require the licensee to produce the arm or arms at such time and place for inspection of such officer as may be specified in the order.

- 31. Production of licences.**— Any person who holds a licence granted or renewed, or a permit or certificate granted under these rules shall forthwith produce such licence, permit or certificate upon demand by any magistrate or any police officer of a rank not below that of an officer-in-charge of a police station.

- 32. Restrictions on carrying of firearm in public place.**— (1) No person shall carry a firearm in a public place unless the firearm is carried –

(a) in the case of a handgun –

(i) in a holster or similar holder designed, manufactured or adapted for the carrying of a handgun and attached to his person; or

(ii) in a rucksack or similar holder; or

(b) in the case of any other firearm, in a holder designed, manufactured or adapted for the carrying of a firearm.

(2) A firearm contemplated in sub-rule (1) must be completely covered and the person carrying the firearm must be able to exercise effective control over such firearm.

(3) Brandishing or discharge of firearms or blank-firing firearms in any public place or a firearm free zone is strictly prohibited.

(4) Any violation of this rule shall be liable to revocation of the licence and seizure of the firearm in addition to the penalty specified under the Act.

33. Correction of information.— (1) Any request for correction of the information contained in a licence which has been incorrectly uploaded in the NDAL system shall be made by submitting a written application together with supporting documents, to the concerned licensing authority.

(2) Where an application referred to in sub-rule (1) concerns the detail of a firearm which has been incorrectly reflected on a licence, the licensing authority may call for the physical inspection of the firearm to confirm the details of the firearm or call for a certificate from a gunsmith holding a licence in Form IX or an armourer working with Defence Forces, Central Armed Police Forces and State Police Forces.

(3) The gunsmith or armourer referred to in sub-rule (2), on having examined the firearm, shall issue a certificate stating the action, design, type, make, model, caliber and serial number or additional marking of the firearm.

(4) The correction of information shall take place at no cost to the applicant where the error in uploading the information was attributable on the part of the licensing authority.

34. Identification marks on firearms.— (1) A person, who has in his possession any firearm which does not bear distinctly a manufacturer's name, number or other identification mark shall get the identification mark stamped on the firearm after obtaining prior approval of the licensing authority which will consist –

(a) such distinct letters as may be prescribed for the purpose by the State Government;

(b) serial number of the arms licence; and

(c) the year of stamping,

in that order on the barrel and the frame, or the barrel and the receiver of the firearm.

(2) When an imported firearm kept for sale by a dealer does not bear the manufacturer's name, such distinguishing mark of the importer as allotted by the State Government shall be engraved on the barrel and the frame, or the barrel and the receiver of the firearm after obtaining prior permission of the licensing authority:

Provided that if a barrel bears more than one number, the distinguishing mark shall be affixed to the number appearing on the original invoice:

Provided further that where the manufacturer's number appears only on the trigger-guard or other replaceable part, that number shall also be engraved on the barrel and the frame, or the barrel and the receiver of the firearm.

CHAPTER III

Special categories of licences

35. Licence for destruction of wild animals which do injury to human beings or cattle and damage to crops.— (1) The grant of arms licences under this rule shall be subject to the provisions of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), in respect of the States and Union Territories where the said Act is applicable.

(2) The application under this rule for grant of a licence in Form IV shall specify details of the land and cultivation requiring protection and area in which the arms and ammunition are required to be carried.

(3) Where, after the end of any harvest season, the State Government considers it expedient that for the protection of wild life in any area, any arms or ammunition licensed in Form IV should be deposited in a police station or with a licensed dealer, it may, by order, require any licensee to deposit such arms or ammunition for such period as the arms or ammunition are not required for the purposes for which the licence

is granted and as may be specified therein, and thereupon the licensee shall be bound to comply with such order.

- 36. Licence for training and target practice.**— (1) Any person below the age of twenty-one years but not below the age of twelve years may be allowed to use permissible category of arms for the purposes of training in the use of such arms in the immediate presence, or, under the direct supervision and guidance, of an adult instructor or the licensee:

Provided that no person below the age of twenty-one years shall be allowed, to carry any permissible category of arms requiring a licence in a public place except in the immediate presence and supervision of the person who is lawfully authorised to carry such arms by the licensee.

(2) Any person who applies for a licence to possess permissible category of arms in Form III in order to practice sport shooting shall be required to show evidence that he participates in such activities or that he is in a structured learning process.

(3) The use of arms that are licensed for the purpose of sport shooting shall be limited to practice and competition at sport shooting clubs or at shooting ranges.

(4) A dedicated sports person, holding a licence in Form III shall be able to lend his arms temporarily for a period not exceeding three months for the purpose of sport only to another dedicated sports person lawfully entitled to possess such type of armband subject to the conditions that —

(a) the arm is used by the borrower in the presence of the licence holder or under his written authority along with a certified copy of his licence, which shall show the number and other identification marks of the arm and the period for which it is lent;

(b) in the event of the arm being misused by, or stolen or lost due to the gross negligence of the borrower, the licence of the lender thereof shall be liable to be revoked in addition to being liable to be prosecuted under the provisions of the Act; and

(c) the borrower shall, on demand produce proof of such lending.

(5) Where in the absence of lender, the borrower of arms under sub-rule (4), intends to take the arms and ammunition to a shooting range for training or target practice or participation in a shooting competition, he shall carry a written authority in Form V-A signed by the lender in respect of the arms and ammunition and in the area and for the period specified in the said written authority along with a certified copy of the arms licence of the lender:

Provided that where the arms or ammunition are intended to be taken out of the State, the written authority shall be attested by the President or Secretary of the district or State rifle association, with whom such lender is registered.

Explanation.— For the purpose of this rule, an “adult” means a person who has completed the age of twenty-one years.

- 37. Licence for sport shooting association.**— (1) Sport shooting association or a club or a military mess affiliated to the respective State Rifle Association or National Rifle Association of India, shall be eligible to apply for a licence in Form V and to acquire and possess arms and ammunition that are used and/or stored at their premises.

(2) An application under sub-rule (1) for grant of a licence at the time of initial grant or at every subsequent renewal thereof, shall be submitted along with the following documents, as may be applicable, namely:-

(a) its memorandum and articles of association and the membership rules;

(b) the lists of office bearers and permanent members;

(c) particulars of the accredited shooting range for training and target practice;

(d) details of the training/target practice activities undertaken for promoting or encouraging the sport of shooting;

(e) details of the shooting sport tournaments or events conducted;

(f) details of safe storage of arms and ammunition specified under rule 10; and

(g) complete records of the ammunition consumed by the club or association and/or its members.

(3) Where a licence in Form V has been granted in the name of any sport shooting association or club or a military mess, it shall be lawful for any member of such mess, club or association to use the arms or ammunition covered by such licence at the approved shooting range mentioned in the licence for the purpose of training and target practice, subject to the conditions of the licence.

(4) Where a member of a rifle club or association intends to take the arms and ammunition out of the premises of the club or association for the purpose of repair or to a shooting range for training or target practice or for participation in a shooting competition, he shall be required to carry a pass in Form V-B signed by the President or the Secretary of the club or association in respect of the arms and ammunition and in the area and for the period specified in the pass.

- 38. Licence for shooting ranges.—** (1) Any person, applying for a licence for an indoor or an outdoor private shooting range shall be required to meet the technical and security standards as may be specified by the Central Government in this regard by passing a general or special order:

Provided that the licensing requirements shall not be applicable to indoor ranges up to ten metres used for target practice of air pistols and air rifles.

(2) No licence shall be granted under this rule unless the owner or operator of such shooting range has in place adequate financial arrangements to meet any injury or damage claims requiring third party insurance covers or mandatory bank guarantees or bond requirements:

Provided that the ranges owned and operated by military, Central Armed Police Forces and State Police Departments shall normally cover their own risk as per the respective internal guidelines.

(3) The Sports Authority of India or the National Rifle Association of India or the State Sports Authority or the State Rifle Association shall conduct regular inspection of their affiliated associations or bodies, owning or operating such ranges at regular intervals to ensure strict adherence of safety standards and other norms laid down for shooting ranges.

(4) The licensing authority may also conduct periodic or surprise inspection of all categories of firing ranges falling under its jurisdiction to ensure the adherence to technical and security conditions applicable to such ranges.

(5) Practical training regarding the safe and efficient handling of arms and testing of arms during which ammunition will be fired, may only be undertaken at an accredited shooting range that holds a licence in Form V.

- 39. Licence for accredited trainers.—** (1) Any person applying for a licence to be an accredited trainer shall be required to clear the eligibility test and undergo training before being granted a licence under this rule:

Provided that the policy guidelines containing syllabus and conduct of examination for accredited trainers may be specified by the Central Government by passing a general or special order in this regard.

(2) Any person applying for grant of a licence to be a master accredited trainer shall be required to possess the technical knowledge and expertise in handling various types of small arms and submit the documentary evidence to the satisfaction of the licensing authority in this regard:

Provided that the policy guidelines for grant of licences to master accredited trainers may be specified by the Central Government by passing a general or special order in this regard:

Provided further that master accredited trainers shall be entitled to impart training to the accredited trainers referred to in sub-rule (1).

(3) Master accredited trainers and accredited trainers, having been granted a licence under this rule shall be eligible to —

(i) impart training as specified in rule 10 to the applicants and licensees under these rules; and

(ii) issue training certificates to different types of trainees on the successful completion of the stipulated training programme.

(4) The norms for making available the shooting ranges for imparting training to accredited trainers may be specified by the Central Government by passing a general or special order in this regard.

(5) The shooting ranges as referred to in sub-rule (4) shall include the Government shooting ranges owned or operated by Defence Forces, Central Armed Police Forces, State police departments; and the private shooting ranges owned and operated by shooting clubs or associations having been granted a licence in Form V of these rules.

Explanation.— For the purposes of this rule, master accredited trainers refer to small arm experts having worked in Defence Forces, Central Armed Police Forces, State Police Forces; and international medalists and renowned shooters as defined under the Explanation to rule 40.

- 40. Quantity of ammunition to sports persons, shooting associations, etc.—** (1) The quantity of ammunition allowed to various categories of sports persons for their personal consumption and shooting sport organisations shall be as per the limits laid down in the table given below, namely:—

TABLE

S.No.	Persons or class of persons	Type of firearm	Quantity and description of each kind of ammunition	
			<i>To be possessed at any one time</i>	<i>Purchasable during the year</i>
1	Arjuna awardee	All	100000 <i>for all types of firearms collectively</i>	200000 <i>for all types of firearms collectively</i>
2	International medalist/ renowned shooter	Rifle/Pistol .22 LR; Center-fire rifle with caliber up to 8 mm; Revolver/Pistol; Shotgun of caliber up to 12 bore/gauge	50000 <i>for all types of firearms collectively</i>	100000 <i>for all types of firearms collectively</i>
3	Junior target shooter	Rifle/Pistol .22 LR; Center-fire rifle with caliber up to 8 mm; Revolver/Pistol; Shotgun of caliber up to 12 bore/gauge	10000 <i>for all types of firearms collectively</i>	30000 <i>for all types of firearms collectively</i>
4	Aspiring shooter	Rifle/Pistol .22 LR; Center-fire rifle with caliber up to 8 mm; Revolver/Pistol; Shotgun of caliber up to 12 bore/gauge	15000 <i>for all types of firearms collectively</i>	30000 <i>for all types of firearms collectively</i>

5	Other shooters <i>(not falling under S.No. 1 to 4 above)</i> holding valid arms licences and who are also members of National Rifle Association of India or affiliated State Rifle Association (s) of NRAI or shooting clubs/ District Rifle Association affiliated with State Rifle Association	.22 LR Rifle/Pistol	500	1000
		Any other Pistol/ Revolver caliber	300	600
		Any other Rifle/ Shotgun caliber	200	500
6	National Rifle Association of India. Affiliated State Rifle Association(s) with NRAI. Shooting clubs/ District Rifle Association(s) affiliated with State Rifle Association. All shooting clubs affiliated to the State Rifle Association or the National Rifle Association of India. All shooting ranges under the Sports Authority of India or the Sports Authority of the State Governments	Upper limit on the quantity of ammunition, to be decided by the licensing authority based on the recommendations of the Certifying body		
Note: Shotgun calibers of caliber up to 12 bore/gauge, mean and include the lesser calibers of 16, 20, 28 and 410 bore etc.				

(2) For the purposes of this rule, certifying bodies and certification contents shall be as specified in the table given below, namely:-

TABLE

S.No.	Category of sports person	Certifying body	Certifying conditions
1	Arjuna Awardee	Government of India in the Department of Sports, Ministry of Youth Affairs and Sports	The certificate shall state that the award was conferred for excellence as a shooter

2	International medalists/ renowned shooters	National Rifle Association of India (NRAI)	The certificate shall state that the medal has been won by the international medalists in the international championships and in case of renowned shooters the merit certificate shall mention the qualifying score along with the Minimum Qualifying Score (MQS) for the event as specified by NRAI
3 and 4	Junior target shooter/ aspiring shooter	National Rifle Association of India or the approved or affiliated State Rifle Association(s) of NRAI	The certificate shall mention the qualifying score along with the Minimum Qualifying Score for the event as specified by NRAI or the State Rifle Association
5	Other shooters	National Rifle Association of India or affiliated State Rifle Association(s) of NRAI or Shooting Clubs/District Rifle Association affiliated with State Rifle Association.	The certificate shall state the membership and other details of the shooter
6	Shooting Clubs/ District Rifle Associations affiliated with State Rifle Associations or National Rifle Association of India	State Rifle Association or National Rifle Association of India as applicable	
	State Rifle Association	National Rifle Association of India	
	National Rifle Association of India	Ministry of Youth Affairs and Sports	
	Shooting Ranges	Sports Authority of India/Sports Authority of the State Government/ National Rifle Association of India	

Explanation. — For the purposes of this rule,

- (a) “international championship” means the Asian Games, the Asian Shooting Championship, the Asian Women or Asian Junior Shooting Championship, the Commonwealth Games, the Commonwealth Shooting Championships, the Olympic Games, the World Junior or Senior Shooting Championships and the World Cups in Senior as well as Junior events;
- (b) “international medalist” means a person who has won an individual or team medal in an international championship;
- (c) “renowned shooter” means a person who has participated in a National Shooting Championship in an Open Men's Event or Open Women's Event or Open Civilian's Event whether through qualifying tournament or wild card entry conducted in accordance with the rules of International Shooting Sports Federation (ISSF) and has attained the Minimum Qualifying Score prescribed by the National Rifle Association;
- (d) “junior target shooter” means a person who has completed the age of twelve years but is below the age of twenty-one years and has taken part in at least one State Championship (held once a year) or in the Zonal Championship or National Level Shooting Competition recognised by National Rifle Association and/or by respective State Rifle Association;
- (e) “aspiring shooter” means a person who has taken part in at least one State Championship (held once a year) or in the Zonal Championship or National Level Shooting Competition recognised by National

Rifle Association and/or by respective State Rifle Association and attained the prescribed Minimum Qualifying Score specified by the National Rifle Association of India.

- 41. Licence to museums.—** (1) Any museum applying for a licence for display of arms and ammunition must possess due accreditation with the Ministry of Culture and registration under any of the Central or State Acts.

(2) The application under sub-rule (1) shall be accompanied by—

- (i) a description of the display mechanisms that will be used to display the arms or ammunition;
- (ii) documentary proof that the display will be in an accredited museum;
- (iii) description and specifications of the security measures pertaining to storage, transport and safe custody of the arms or ammunition to be displayed;
- (iv) a description of the access control to the museum where the arms or ammunition will be displayed; and
- (v) a certificate that the museum will be open for public.

(3) The arms and ammunition shall be displayed or stored under the control of the appointed curator of the museum or a person authorised thereto in writing by the curator, who shall ensure that necessary steps are taken to prevent any un-authorised access and the loss of the arms and ammunition.

(4) The arms and ammunition shall only be used for the display and/or storage by the museum at the registered premises of the museum as mentioned in the licence.

(5) The licensee may display a firearm only if, —

- (a) the firearm is unloaded;
- (b) the firearm is secured by a chain or metal cable that is passed through the trigger guard with one end of the chain or cable attached to a wall or permanent fixture, in such a manner as to prevent the removal of the firearm by a person other than the curator or a person authorised by him;
- (c) the firearm is rendered inoperable by means of a secure locking device and displayed at a place and in a manner that is accessible only to the curator or a person authorised by him.

- 42. Licence for arms and ammunition for theatrical, film or television productions.—** (1) A licence for acquisition, possession, carry or use of arms and ammunition may be issued in Form III to the applicants for the following purposes, namely:—

- (i) theatrical performances and of rehearsals for such performances;
- (ii) in the production of films;
- (iii) in the production of television programmes;
- (iv) the organisation and holding of historical re-enactments;
- (v) signaling for starting races or athletic meets.

(2) The application for a licence under this rule shall be submitted along with the following documents, namely: —

- (i) an undertaking confirming that the applicant shall not resort to conversion of firearms replica and blank firing firearms into firearms;
- (ii) proof to the satisfaction of the licensing authority that the applicant is an actual user or a contractor for providing such arms or ammunition on hire for the purposes specified in sub-rule (1);
- (iii) description of security measures pertaining to safe custody of arms or ammunition to be implemented by the applicant;

(iv) an undertaking that the applicant or the person to whom the arms are given on hire, shall not use live ammunition;

(v) details of the place where the records in respect of the issuance of arms or ammunition will be kept for inspection by the licensing authority or by any Police Officer not below the rank of an Inspector.

- 43. Acquisition, possession and export of arms or ammunition by tourists visiting India.—** (1) A licence in Form VI may be granted to any tourist, to acquire, possess (but not use) during the course of his stay in India, carrying and export out of India, of arms and ammunition specified in category III, category IV and category V of Schedule I:

Provided that every application for the grant of a licence for export of arms specified in category IV of Schedule I shall be accompanied by a certificate from the Director-General of Archaeology of the Central Government to the effect that the arms intended to be exported do not fall within the definition of “antiquity” under the Antiquities and Art Treasures Act, 1972 (52 of 1972).

(2) The licensee shall produce the arms or ammunition, at the time of leaving India and return his licence to the passport checking authority, or other authority empowered by the district magistrate in this behalf, at the port or other place of departure from India.

(3) The passport checking authority or other authority to whom the licence is returned by the licensee, shall forward the same to the authority who issued it, with the remarks that the arms or ammunition have been duly exported.

- 44. Licence to an International sports person for participation in shooting events in India.—** (1) An application may be made in Form A-5 by any sports person of any age group from any country who is eligible to participate in the shooting competition or event or series of competitions or series of events or for training being organised in India by any sports body recognised by the Ministry of Sports and Youth Affairs, Government of India during the period of the event or competition or training and at the venue fixed for the same, and a licence may be granted to such applicant for arms and ammunition specified in category III of Schedule I so far as practicable, one month prior to the expected date of arrival of the sports person in India.

(2) The licence in the case of a group application may be issued in the name of the manager or the official accompanying the team or group and the details of the arms and ammunition may be given in an annexure attached to and forming part of the licence by the issuing licensing authority.

(3) Where a licence is granted to an International sports person or persons under sub-rule (1), the licence together with the passport and visa of such person, shall be presented to the licensing authority of the port of arrival, and the said authority shall after obtaining the undertaking in writing from the licensee that he shall not sell or transfer the arms or ammunition to anyone in India, endorse the licence making it valid for a period of six months or till the validity of visa, whichever is earlier, from the date of endorsement and shall also make an entry in the passport or the visa giving full particulars of the arms and ammunition for which the licence has been granted.

(4) The licensee shall produce the arms or ammunition at the time of leaving India along with the consumption certificate of the ammunition issued by the authority under whose control the shooting competition or event or training was conducted and return his licence to the passport checking authority, or other authority empowered by the district magistrate in this behalf, at the port or other place of departure from India.

(5) The passport checking authority or other authority to whom the licence is returned by the licensee under sub-rule (4), shall forward the same to the authority who issued it, with the remarks that the arms or unconsumed ammunition, have been duly re-exported.

- 45. Other temporary categories of import/export licences.—** (1) A licence in Form VI may be granted of arms and ammunition specified in category III of Schedule I so far as practicable, six months prior to the expected date of arrival in India, to the following persons, namely: –

(a) a foreign visitor, to display the arms and ammunition at a trade show or at a sport trade show;

(b) an official of a foreign government or a distinguished foreign visitor or a foreign law enforcement officer, on an officially approved policing assignment, on the recommendations of the Government of India in the Ministry of External Affairs;

(c) a person who, for other legitimate reasons, has received prior approval of the Government of India and where the applicant submits an undertaking to the effect that he –

- (i) has lawful possession of the arm;
- (ii) has knowledge of the safe handling, safe-storage and use of the arm in question and where applicable, its public display;
- (iii) has need to possess the arm and cannot reasonably satisfy that need by means other than the possession of an arm; and
- (iv) has attained the minimum age of twenty-one years.

(2) The validity of the licence so granted under sub-rule (1) shall commence only from the date of endorsement of the said licence at the time of arrival at any port in India and the arms and ammunition covered by the licence shall not be used till the date of endorsement of the licence.

(3) Where a licence is granted to any person under sub-rule (1), the licence together with the passport and the visa of the person, shall be presented to the licensing authority of the port of disembarkment, and the said authority shall after obtaining the undertaking in writing from the licensee that he shall not sell or transfer the arms or ammunition to any one in India, endorse the licence making it valid for a period of six months from the date of endorsement or till the validity of visa, whichever is earlier and shall also make an entry in the passport or the visa giving full particulars of the arms and ammunition for which the licence has been granted.

(4) The passport checking authority or any other officer empowered by the district magistrate in this behalf at the port or other place of departure from India shall verify that the arms entered in the licence are being taken out of India by the licensee and recover the licence and forward the same to the authority who issued it with the remarks that the arms have been duly re-exported.

46. Licence for firearm free zones.— (1) The owner or lawful occupier of a premises may submit an application in Form A-14 along with supporting documents specified therein, to have the said premises declared a Firearm Free Zone, to the licensing authority of the place of jurisdiction of the applicant –

- (i) stating the reasons why the premises must be declared as Firearm Free Zone;
- (ii) giving proof of capacity to maintain the premises as a Firearm Free Zone;
- (iii) describing the medium of communication to inform the public that the premises is a Firearm Free Zone.

(2) The obligations of the licensee shall include –

- (i) to clearly identify and demarcate the premises declared as a Firearm Free Zone;
- (ii) to ensure that notices be displayed at all the main entrances or at strategic places on the premises or category of premises both in English and local language declaring the premises as Firearm Free Zone;
- (iii) to ensure that the notices and signs are clearly visible and unobscured at all times; and
- (iv) to notify the licensing authority of change, if any, in the information submitted at the time of application.

(3) The licensing authority may issue a licence in Form XV for the Firearm Free Zone to any educational institution including schools, colleges, universities; or religious places, hospitals, courts, Government establishments, entertainment or sports venues, restaurants, hotels, shopping malls, cinema halls or such other public places on an application for such licence made under sub-rule (1).

(4) The provisions of this rule for Firearm Free Zone shall not be applicable in the following cases –

- (i) to an individual who renders security and surveillance duty to a lawful owner or occupier of the Firearm Free Zone; and
- (ii) to a law enforcement officer acting in his official capacity.

CHAPTER IV

Deposit of arms and ammunition

- 47. Deposit of arms and ammunition under section 21.—** (1) When a licensing authority decides to suspend or revoke a licence or to refuse to renew it, he shall, communicate his decision in writing to the licensee, requiring him to deposit under section 21, within such time as may be specified in the order suspending, revoking or refusing to renew the licence, the arms or ammunition covered by the licence, either with the officer-in-charge of the nearest police station or with a dealer holding a licence in Form VIII, or, in case he is a member of the armed forces of the Union, in the unit armoury:

Provided that in case of death of a licensee, the arms or ammunition shall be deposited by the legal representative with the officer-in-charge of the nearest police station or with a dealer holding a licence in Form VIII, within a period of three months of the death of the licensee.

- (2) Subject to the proviso to sub-section (2) of section 21, the licensee or, in the case of his death, his legal representative shall be entitled to sell or otherwise dispose of the arms or ammunition to any person lawfully entitled to possess the same and to receive the sale-proceeds, if any, during the period specified in column (3) of the Table in case of deposit of arms and ammunition mentioned in column (2) of the said table in sub-rule (6):

Provided that if the arms or ammunition have not been disposed of or their possession by the licensee or his legal representative, as the case may be, has not become lawful within the period so specified, then such arms or ammunition shall, subject to the proviso to sub-section (3) of section 21, be forfeited to the Government by an order of the district magistrate.

- (3) Where any arm or ammunition is deposited by an owner under sub-section (1) of section 21, in a police station or unit armoury or with a dealer holding a licence in Form VIII, the officer-in-charge of the police station or unit armoury or the licensed dealer, as the case may be, shall attach to each article deposited, a card and issue a receipt to the depositor and send a copy to the authority who granted the licence or renewed it last, containing the following particulars, namely:-

- (i) Description (No. etc.) of the article;
- (ii) Particulars of licence or exemption (if any);
- (iii) Name and address of the depositor;
- (iv) Serial No. in register and date of deposit;
- (v) Date due for forfeiture or disposal;
- (vi) Signature of the depositor; and
- (vii) Signature of the dealer or officer-in-charge of police station or unit armoury.

- (4) Any arms or ammunition deposited in a unit armoury under sub-section (1) of section 21 may, unless returned or disposed of earlier, be transferred, after the expiry of a period of thirty days after such deposit, to the nearest police station.

- (5) Any arms or ammunition deposited in a police station under sub-section (1) of section 21, which have not been returned or disposed of —

- (i) with-in thirty days of the deposit with it; and
- (ii) transferred from the unit armoury under sub-rule (4)

may be transferred by the officer-in-charge of the police station for the sake of better maintenance or safety, to a police armoury in the district/taluqa headquarters or such other place as may be specified by the district magistrate, in accordance with such instructions as may be issued by the State Government for the purpose:

Provided that the district magistrate may, if he considers it necessary, extend the said period of thirty days up-to ninety days and intimation of such transfer shall be given to the depositor of the article and to the licensing authority who, granted or last renewed the licence.

(6) The depositor or his legal representative may exercise his rights to receive back or dispose of any arms or ammunition under sub-section (2) of section 21, within the period specified in column (3), in case of deposit of the arms or ammunition specified in column (2) of the table given below, namely:-

Table

S.No.	Reason of deposit of arms and ammunition	Effective date
(1)	(2)	(3)
1.	Due to contravention by the owner of any provisions of the Act, the rules or conditions of licence	One year from the date of such deposit
2.	Due to suspension or revocation of licence or for any other reason	One year from the date of the order of suspension or revocation
3.	Where the arms or ammunition are already deposited	One year from the date of the order of revocation, suspension or refusal to renew the licence
4.	When a notification is issued under section 4	One year from the date of said notification
5.	Where an appeal is preferred by the owner under section 18	One year from the date of the final order
6.	Where the arms or ammunition are —	
	the subject of a legal suit or dispute; or	From the date of termination of the dispute or the date of final order; or
	owned or inherited by a person who has not completed the age of twenty-one years	One year from the date of completion by that person of the age of twenty-one years
7.	Where the owner is on active service outside India	from the date of his return to India
Note 1—The period of one year may be extended by the district magistrate by another six months in case the depositor or owner is found unfit for any reasons to carry such arms or ammunition.		
Note 2 — The State Government may further extend the said period beyond six months by another six months.		

(7) Any arms or ammunition not returned or disposed of before the expiry of the period specified under sub-rule (6) shall be transferred to the district malkhana or such other place, by order of the district magistrate, for the purpose of forfeiture under sub-section (3) of section 21:

Provided that the district magistrate shall, before making such order of forfeiture, serve a notice as required under sub-section (4) of section 21 in like manner as for service of summons under the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974):

Provided further that in the case of the depositor being a member of the armed forces of the Union the notice, shall be served personally, through the Commanding Officer, of such member.

(8) Charges for maintaining the articles deposited may be levied at such rates as may be fixed from time to time by the State Government.

48. Deposit of arms and ammunition for safe custody (otherwise than under section 21).— (1)(a) A person lawfully possessing arms or ammunition may deposit them for safe custody with a dealer holding a licence in Form VIII or in a police station or, if he is a member of the armed forces of the Union, in a unit armoury.

(b) Before accepting the arms or ammunition for deposit otherwise than under section 21, the dealer or officer-in-charge of a police station or unit armoury shall satisfy himself that they are possessed under a valid licence issued under the Act and these rules or under exemption from the need for such licence.

(c) Members of the armed forces of the Union may be allowed to keep their arms or ammunition in safe custody in a unit armoury only during the tenure of their service.

(2) Where the arms or ammunition have been deposited under sub-rule (1), the dealer or officer-in-charge of the police station or unit armoury, as the case may be, shall attach to each article deposited, a card, easily distinguishable from that described in rule 47 and issue a receipt to the depositor and send a copy to the authority who granted the licence or renewed it last, containing the following particulars, namely:-

- (i) Description (No. etc.) of the article;
- (ii) Name and address of the depositor;
- (iii) Particulars of licence or exemption (if any);
- (iv) Serial No. in register and date of deposit;
- (v) Date of expiry of the licence;
- (vi) Date up to which deposited;
- (vii) Signature of the depositor; and
- (viii) Signature of the dealer or officer-in-charge of police station or unit armoury.

(3) In the event of failure to get the licence renewed, the arms or ammunition shall continue to be possessed by the dealer on the authority of his licence in Form VIII or by the officer-in-charge of the police station or unit armoury; but, if the licence is not renewed, after its expiry, the dealer or the officer-in-charge of the police station or unit armoury shall bring this to the notice of the district magistrate for such action as he may consider necessary:

Provided that the articles shall in no case be returned to the owner unless the licence to possess them is renewed or a new licence is obtained.

(4) The depositor may be charged a fee for the custody of the articles deposited and maintenance thereof at the rates specified in the following table, namely:-

Table

1.	For each firearm	Two hundred rupees per month or portion thereof
2.	For every other arm or package of ammunition	One hundred rupees per month or portion thereof

(5) Any extra charges for maintenance of the articles in good condition may be levied at such rates as may be fixed from time to time by the State Government.

(6) The fee charged for depositing the arms or ammunition in the police station and unit armoury shall be deposited in the treasury.

49. Records and returns of articles deposited.— (1) The dealer or the officer-in-charge of the police station or unit armoury, shall maintain such registers as specified in rule 75.

(2) A copy of the entries in the registers relating to the quarters ending on the last day of March, June, September and December, each year, certified as true copy under the signature of the dealer or officer-in-

charge of the police station or unit armoury, as the case may be, shall be forwarded, to the district magistrate as early as possible after the expiry of each quarter.

(3) The licensed dealer or the officer-in-charge of the police station or unit armoury or officer-in-charge of police armoury in the district/taluqa headquarters, where the arms or ammunition are kept, shall submit to the district magistrate by the 15th December each year, a report showing the particulars of arms or ammunition in their custody which have, or will become liable to forfeiture by the end of that year.

(4)(a) The licensed dealer, the officer-in-charge of the police station or unit armoury or officer-in-charge of police armoury in the district/taluqa headquarters where the arms or ammunition are kept, shall establish an online electronic connectivity under his user-id with the NDAL system to provide for a weekly electronic online transfer of data regarding firearms and ammunition deposited for the week.

(b) If any circumstances occur which prevent the authorities referred to in clause (a) to submit online returns on NDAL system by means of electronic network connectivity, the local licensing authority shall be informed immediately in order to establish alternative means to submit the weekly returns.

(c) Weekly returns for the current week shall be submitted by the close of business hours on every Saturday.

50. Inspection.— (1) Arms and ammunition deposited in a police station or with a dealer and those transferred to the district malkhana and the register maintained for the purpose shall be inspected periodically by the district magistrate or other officer appointed by the State Government in this behalf in accordance with such procedure as may be prescribed by the State Government.

(2) The arms or ammunition deposited in a unit armoury and the register maintained for this purpose shall be inspected periodically by the officer commanding the unit or any other officer empowered by him in accordance with the procedure prescribed by the Government of the State, where the unit is for the time being located.

CHAPTER V

Manufacturers, Arms Dealers and Gunsmiths

PART I

Manufacture and Proof Test of firearms

51. License for manufacture and proof test.— (1) The licensing authority while granting a licence in Form VII shall show clearly in the licence form the categories and description of the arms or ammunition allowed to be manufactured or proof tested or both, by the licensee as specified in these rules.

(2) Proof-testing of firearms manufactured by a licensed manufacturer shall be carried out only in accordance with the provisions contained in rule 59 in this regard and no manufactured firearms shall be allowed to be sold which have not been duly proof tested.

(3) A copy of every licence granted in Form VII by the licensing authority shall forthwith be sent to the district magistrate of the place of manufacturing facility of the licensee and the Home Department of the State Government concerned.

(4) Entities granted fresh licences under the provisions of these rules shall be known as new manufacturers whereas the entities or persons already holding manufacturing licences under the Arms Rules, 1962 in Form IX shall be known as existing manufacturers.

(5) Separate licences shall be issued for each unit in case of an applicant company applying for a multi-unit facility for grant of a licence under this rule.

(6) A licensing committee within the Ministry of Home Affairs shall be constituted to review and process the applications for grant of licences for manufacture of arms and ammunitions for the new manufacturers and for all matters related to existing manufacturers including applications for capacity revision by issuance of general or special order under these rules.

52. Type of firearms for grant of a licence in Form VII for manufacture and proof test.— The licensing authority may grant a licence in Form VII for the following types of arms for manufacture or proof test or both, namely:—

- (i) I — Small arms
- (ii) II — Light weapons
- (iii) III — Items configured for military use:

Provided that if any of the items falling under type I, II or III include any prohibited arms or ammunition, the licensing authority shall obtain prior permission of the Central Government **under section 7 of the Act** before grant of a licence in Form VII.

53. Applications for a licence in Form VII.— (1) Every manufacturer applying for a fresh licence under these rules shall be an Indian company incorporated under the Companies Act, 2013 (18 of 2013):

Provided that the applicant company is owned and controlled by resident Indian citizens or by Indian companies, owned and controlled by resident Indian citizens except in respect of a company having Foreign Direct Investment (FDI) beyond forty-nine percent:

Provided further that the Chief Executive of the company is a resident Indian and the management of the applicant company is in Indian hands with majority representation on the Board excluding nominee or independent directors except in respect of a company having Foreign Direct Investment (FDI) beyond forty-nine percent.

(2) The company applying for a licence in Form VII under these rules shall provide —

- (a) original or certified copies of the company's founding documents including Memorandum and Articles of Association, Certificate of Registration of the company under the Companies Act, 2013 (18 of 2013), CIN (Corporate Identification Number), proof of address of its registered office, Permanent Account Number (PAN) card and certified lists of directors and shareholders as on the date of application;
- (b) copy of Director Identification Number (DIN) of all the directors;
- (c) identification proof along with two recent photographs of all the directors and the responsible person as under:—
 - (i) Aadhar Card; or
 - (ii) in case the director or the responsible person does not have Aadhar Card, a written declaration in the form of an Affidavit to be submitted in this regard along with an alternative identification proof which may include Passport or Voter's Identification Card or Permanent Account Number (PAN) card or official Identity Card;
- (d) residence proof —

in case the director or responsible person does not have Aadhar Card or Passport, alternative residence proof to be submitted which may include Voter's Identification Card or Electricity Bill or Landline Telephone Bill or Rent Deed or Lease Deed or Property documents or any other document to the satisfaction of the licensing authority;
- (e) copy of the latest balance sheet of the company and audited copy of the Net-worth certificate duly certified by a Chartered Accountant;
- (f) estimated project outlay and means of finance for funding the project duly certified by a Chartered Accountant;
- (g) certified copy of the board resolution for making an application under these rules along with full particulars of the responsible person authorised to sign the same;
- (h) details of foreign control and/or ownership in the applicant company, as applicable, duly certified by a Chartered Accountant;

- (i) complete details of the arms and/or ammunition intended to be manufactured or proof-tested or both, including their types and quantities;
- (j) a declaration with proof thereof to the effect that it has acquired the land for setting up the manufacturing plant or for setting up proof-test facility along with details of an access road to the proposed site, installation of electricity and water connection, particulars of land development carried out and any other information deemed necessary by the licensing authority.

54. Procedure for grant of licence in Form VII.— (1) The licence for manufacture or proof-test or both shall be granted by the licensing authority to an applicant who fulfills the eligibility criteria laid down in these rules provided that no adverse remarks are received from various government agencies entrusted for verifying the antecedents of the applicant company or its directors or responsible person, as the case may be.

(2)(a) The licence granted in Form VII shall be initially valid for a period of seven years within which the licensee shall be required to setup the facility for manufacture or proof test of arms and/or ammunition, recruit technical and administrative staff, develop and proof test proto-types of arms and ammunition, conduct trial runs and any other activity related to the setting up of the facility for the manufacture or proof-test of arms and ammunition, failing which the licence shall lapse.

(b) Every subsequent renewal of the licence under this rule shall be granted for a period of five years.

(3)(a) No manufacturing facility shall be set-up in the border areas, restricted areas or prohibited areas and any area declared as 'disturbed area' by the Central Government.

(b) The manufacturer applicant may setup the facilities in Special Economic Zones (SEZ), Industrial Parks and other industrial areas in addition to any other location duly approved by the State Government concerned for this purpose.

(4) The licensee shall make an application on its letter head for commencement of commercial production accompanied by –

- (i) a declaration to the effect that the licensee has installed the plant and machinery, successfully carried out the trial run and is ready for commencement of commercial production of the items licensed for manufacture or proof-test;
- (ii) a declaration to the effect that the licensee has installed and applied the requisite quality control system for manufacture or proof test of firearms or ammunition;
- (iii) a list of particulars of the key technical personnel employed by the licensee for carrying out manufacture or proof-test facility along with the proof of their professional expertise and training undergone and identification documents as specified for directors in rule 53;
- (iv) a declaration to the effect that the licensee has fully complied with the security guidelines as contained in the Security Manual prepared by the Ministry of Defence, Department of Defence Production, for licensed defence industries.

(5) The licensing authority shall get conducted a security and appraisal audit to ensure that the applicant licensee has complied with the declaration specified in clause (iv) of sub-rule (4).

55. Other requirements as to licences granted in Form VII.— (1) The licensee shall preferably be self-sufficient in areas of product design and development and have maintenance and life cycle support facility of the product to be manufactured and the items to be manufactured shall meet the International or Indian accredited quality standards and norms with special emphasis on indigenous designing:

Provided that no infringement of patents or copyrights, shall be permissible.

(2) The licensee shall submit the standards and testing procedures for manufacture of firearms and ammunition to the Government nominated Quality Assurance Agency, which will inspect the finished product in the trial run and conduct audit of the Quality Assurance Procedures in respect of design, workmanship, aesthetics and other related parameters:

Provided that the quality specifications for manufacturing, shall be as specified by the Bureau of Indian Standards (BIS) and the Director General of Quality Assurance, Department of Defence Production or any other international quality assurance agency.

(3) The manufactured products shall contain the warranty clause accompanied by service and safety manuals and listing of parts at the time of every sale.

(4) Any restrictions under a joint venture agreement which may be imposed by the foreign partner shall have no legal consequence on the Indian entity that is granted a licence under these rules.

(5) The licensing authority may impose such additional restrictions in case of certain sensitive type of arms and ammunition, such as those configured for use by armed forces or not permitted to be possessed by civilians.

(6) The small arms and light weapons produced by the manufacturers –

(i) shall be sold to the Central Government or the State Governments with the prior approval of the Ministry of Home Affairs; or

(ii) may be allowed for export subject to the approval of the Ministry of Home Affairs in consultation with the Ministry of External Affairs, Ministry of Defence and Ministry of Commerce, on a case to case basis.

(7) The permissible category of arms and ammunition specified in Schedule I may be permitted for sale to persons or dealers, holding a valid arms licence under these rules, with the prior approval of the Central Government in the Ministry of Home Affairs.

(8) Prior approval of the licensing authority shall be mandatory for any change in the directorship of the company or any change in the key managerial personnel as defined in clause (51) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or any change in the responsible person of the company.

(9) Prior approval of the licensing authority shall be mandatory for any change in control or ownership, either directly or indirectly, of the company or any change in shareholding resulting into dilution of promoters shareholding (both Indian and foreign) or any change in shareholding of the company or any change in the beneficial interest in the shareholding of the company beyond five percent (5%).

(10) (a) A licence granted in Form VII shall not be transferable from the licensee to another company, without the written authorisation of the licensing authority.

(b) An application for transfer shall be accompanied by complete documents and be subject to the same conditions as applicable at the time of initial grant of licence specified in rule 53.

(c) While considering an application for transfer of a manufacturing licence, the licensing authority shall assess the eligibility of the company, to whom the licence is to be transferred.

56. Obligations of licensees having licensee Form VII. — (1) The validity of a licence granted in Form VII shall be subject to the manufacturer's compliance with the conditions contained in these rules and in the licence.

(2) The licensee having a licence in Form VII shall mark all firearms and ammunition that it manufactures in the manner as specified in rule 58.

(3) The licensee company shall comply with the Foreign Direct Investment (FDI) policy of the Government of India and the regulations framed under the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) as notified by the Reserve Bank of India in case of foreign direct investment in the said company.

(4) The licensee shall comply with the security guidelines as contained in the Security Manual prepared by the Ministry of Defence, department of defence production, for licensed defence industries.

(5) The licensee shall maintain records of all firearms, their parts, components and/or ammunition manufactured by it as specified in rule 65 in addition to the conditions specified or forming part of the licence in Form VII.

(6) The licensee shall store all firearms, their parts, components and/or ammunition manufactured by it as specified in Form VII.

(7) The licensee shall permit, and shall cooperate fully with, inspections carried out by the licensing authority (or such other body as may be designated by it) of the licensee's facilities, particularly in respect to the safe and secure storage of firearms and ammunition.

(8) The licensee shall immediately notify the licensing authority on occurrence of any theft, loss or unintentional destruction of firearms or ammunition stored at its premises.

(9) The licensee shall notify the licensing authority within three working days on occurrence of any of the following events, namely:-

- (i) change of address of its registered office;
- (ii) change in the directors, in which case the licensee shall provide the licensing authority with the names and addresses of each new director, along with the particulars and documents specified in rule 53 for directors.

(10) The licensee shall ensure that all employees who have access to completed manufactured firearms or ammunition within the manufacturing or proof-testing facility are technically competent to handle the same.

(11) The work-in-progress and finished goods inventory for each type of firearm and ammunition at any given time shall not exceed two times of the total annual turnover in the last financial year or annual licensed capacity, whichever is lower:

Provided that in case of a company having multi-unit facility, total of the annual licensed capacity or total turnover of the company shall be considered.

(12) The licensee shall maintain complete database of inventory and distribution chain down to the dealer/end user for domestic distribution and end users in case of export.

(13) The licensee shall carry out only batch production in a manufacturing cycle.

57. Import of machinery for manufacturing arms and ammunition and other parts etc.— (1) The licensee having a licence in Form VII shall submit an application along with the complete list of machinery to be installed, to be procured locally or imported.

(2) The licence for acquisition, possession, import or transport of machinery shall be issued in Form I.

(3) Import of arms specified in category II of Schedule I and raw material in the form of metal, alloy, fiber, polymers, wood and other allied items, for manufacturing of such arms, shall be allowed subject to the provisions of the Foreign Trade Policy notified under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act 1992 (22 of 1992) from time to time by the Directorate General of Foreign Trade (DGFT) and on the recommendations of the Ministry of External Affairs (MEA) taking into account international obligations and commitments.

(4) The Ministry of Home Affairs may, on an application containing full technical details allow import of such parts of arms and ammunition which are not possible to be manufactured locally, after obtaining the opinion of the Department of Defence Production by grant of an authorisation for such import in accordance with the procedure for import under these rules.

58. Marking of firearms and ammunition at the time of manufacture.— (1) All firearms shall have applied to them, at the time of their manufacture, unique markings containing the following information, namely:-

- (i) the country of manufacture;
- (ii) the name of the manufacturer;
- (iii) a serial number unique to the manufacturer;
- (iv) year of manufacture;
(*this information may be incorporated into the serial number*)
- (v) firearm type/model;
- (vi) caliber;
- (vii) proof-marks; and

- (viii) such other additional information if the firearm is intended for an Indian domestic State entity viz. military, Central Armed Police Forces, Police etc.

(2) Markings shall be expressed alphanumerically (i.e. they may consist of both letters and numbers) in the format given in the table below:—

TABLE

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
XX	XXXX	99	99	99999	99
Country of Manufacture (2 digit ISO Country Code) IN for India	Manufacturer's Name or code	Year of manufacture (2 numbers)	Type/ Model/ Code	Serial Number	Caliber

(3) Markings shall be applied to a component of the firearm that is essential to its operation, such as —

- (i) the frame/receiver;
- (ii) barrel;
- (iii) slide, cylinder, bolt or breech block; and
- (iv) any other part or component essential to the operation of the firearm.

(4) Markings shall be applied to an exposed surface of the firearm by using the stamping method at the time of their manufacture and stamped marking shall have a depth of at least 0.20 mm.

(5) The applied marking shall be —

- (i) conspicuous without technical aids or tools;
- (ii) easily recognisable;
- (iii) readable;
- (iv) durable; and
- (v) recoverable (as far as is technically possible).

(6) The smallest packaging units of ammunition for firearms shall be marked containing the following information, namely:—

- (i) country of manufacture;
- (ii) name of the manufacturer;
- (iii) lot or batch number unique to the manufacturer;
- (iv) year of manufacture;

(this information may be incorporated into the lot or batch number),

- (v) caliber; and
- (vi) type.

(7) Individual cartridges may also be marked, which may include the following information, namely: –

- (i) country of manufacture;
- (ii) name of the manufacturer;
- (iii) lot or batch number unique to the manufacturer;
- (iv) caliber; and
- (v) type.

59. Proof test of firearms.— (1) A new manufacturer may set up a proof test facility for gun barrels or completed firearms.

(2) The facility shall be located within its premises separately from its arms manufacturing unit.

(3) A manufacturer who intends to set-up a proof testing facility shall make an application in Form A-6 along with the application for arms and ammunition manufacturing licence.

(4) The application under sub-rule (3) for proof-testing facility shall be examined by the Ministry of Home Affairs in consultation with the Directorate General of Quality Assurance (DGQA), Ministry of Defence and in accordance with the guidelines specified for manufacturing licence.

(5) The existing manufacturers shall get their barrels or completed firearms proof tested either from the ordnance factories or other proof houses having proof test facilities under these rules.

(6) Every licensee having proof-testing facility shall be responsible for the security and disposal of waste such as rejected barrels or completed firearms.

(7) Every licensee having a proof-test facility shall maintain a proof test register in the format of a secure electronic database in addition to the records specified in rule 65 for sale or disposal of completed arms and ammunition.

(8) The record to be maintained by the licensee under sub-rule (7) shall include the following particulars, namely:-

- (i) Serial numbers of gun-barrels or completed firearms manufactured;
- (ii) Date, month and year of manufacture;
- (iii) Date of despatch of gun-barrels or completed firearms to proof house;
- (iv) Number and date of licence (*Transport Licence in Form XIII*) under which gun-barrels or completed firearms sent for proof test;
- (v) Date of receipt of gun-barrel or completed firearms after proof test;
- (vi) Result of proof test;
- (vii) Date of completion of gun if only the gun-barrel has been proved;
- (viii) Date on which completed firearm transferred to register for sale or transfer maintained under rule 65;
- (ix) Serial number in rectification register in case gun-barrel or completed firearm was not accepted in proof on initial submission;
- (x) Remarks of inspecting officer;

(9) Every licensee under this rule shall maintain a rectification register containing details of the barrels or completed firearms not passed by proof house, which shall include the following particulars, namely:-

- (i) Serial number;
- (ii) Serial number stamped on gun-barrel or completed firearm to be rectified;
- (iii) Number and date of proof house communication indicating rectifications to be made;

- (iv) Date on which gun-barrel or completed firearm re-submitted for proof test after rectification;
- (v) Date of receipt of gun-barrel or completed firearm after proof test and the result of proof test;
- (vi) Date of completion of firearm if gun-barrel or completed firearm has been proved;
- (vii) Date on which completed firearm transferred to Register for sale and transfer maintained under rule 65;
- (viii) Remarks

(10) The proof-test and the rectification records shall be inspected by the district magistrate of the area, or by an officer nominated by him in this behalf, during July and January every year and during one surprise inspection in a calendar year to verify the following, namely:-

- (i) serial numbers on gun-barrels or completed firearms are stamped in the strict order in which they are manufactured;
- (ii) entries of sale or transfer are made promptly and tally with record of such transactions under rule 65;
- (iii) the conditions of the licence are strictly complied with.

(11) A Transport licence in Form XIII may be issued by the licensing authority on an application for transport of gun-barrels or completed firearms to proof house provided the licence in Form VII is valid on the date of issuance of such Transport licence.

(12) Transport licence issued under sub-rule (11) for transport of gun-barrels or completed firearms to proof houses shall indicate separately total quantity of gun-barrels or completed firearms to be despatched for proof test for the first time and for rectification of defects.

(13) The licensee shall be eligible to submit gun-barrels or completed firearms for proof test after rectification of defects without any limit on the number of occasions for such submission:

Provided that the licensee shall complete the necessary rectifications within a period of two years from the date of communication of first test results of the defects issued by the concerned proof house.

(14) The gun-barrels or completed firearms for proof test which are unfit or beyond rectification, shall be mutilated by the proof house and the decision of the officer-in-charge of proof house concerned in this regard shall be final:

Provided that the mutilated parts that are capable of being utilised, shall be returned by the proof house to the licensee.

(15) The sale or transfer of proof tested gun-barrels alone shall be prohibited and the gun-barrels after proof test shall be assembled as a complete gun only by the licensee authorised to manufacture it.

(16) The gun-barrels or completed firearms manufactured during a calendar year shall be proof-tested within a period of eighteen months from the date of the manufacture, failing which, it shall be considered to have been manufactured during the calendar year of the proof-test.

60. Capacity revision and applicability of new norms to existing manufacturers.— (1) The existing manufacturers may apply for grant of a fresh licence in Form VII in accordance with the procedure specified in rule 51.

(2) The existing manufacturer may apply for enhancement or restoration or revision or re-fixation of its licensed capacity by an application made in this regard with the Government of India in the Ministry of Home

Affairs with the recommendation of the State Government concerned, along with the following documents, namely:-

- (i) a copy of the existing manufacturing licence;
- (ii) certified copies of the annual accounts of the licensee for the last five years duly certified by a Chartered Accountant;
- (iii) details of the plant and machinery and manufacturing facility;
- (iv) certified copies of the stock records, manufactured items and sales turnover for the last five years duly certified by a Chartered Accountant;
- (v) detailed proposal for enhancement of manufacturing capacity, project outlays, means of finance and justification for economic viability and market demand projections for enhancement in capacity production duly certified by a Chartered Accountant;
- (vi) track record and preparedness to comply with the security guidelines for manufacturers in Micro, Small and Medium Enterprise (MSME) sector;
- (vii) declaration to comply with the provisions contained in these rules.

(3) Every application under sub-rule (2), shall be examined by the licensing committee referred to in sub-rule (6) of rule 51, which may allow the capacity revision provided the existing licensed capacity is fully utilised by the manufacturer.

(4) Every manufacturer having licence in Form IX under the Arms Rules, 1962 shall be issued a fresh licence in Form VII within a period of one year of notification of these rules or at the time of renewal of the licence, whichever is earlier by the licensing authority and any permission or exemption granted for procurement of raw materials to the existing manufacturers shall be deemed to have been issued under the corresponding provisions of these rules.

61. Licence in case of an individual or a sole proprietor.— (1) In case the existing manufacturer having a licence in Form IX under the Arms Rules, 1962 is an individual or a sole-proprietorship concern, the licence shall expire *ipso-facto* on the death of the licensee.

(2) The legal heirs of the licensee under this rule may prefer an application for grant of a fresh licence in Form VII to the Central Government in the Ministry of Home Affairs, which may consider such application on case to case basis.

62. Admission of partners in case of existing manufacturer.— (1) In case the existing manufacturer having a licence in Form IX under the Arms Rules, 1962 is a partnership firm, additional partners may be admitted in case of death of a partner wherein legal heirs of the deceased partner may be admitted as a partner or partners in the firm subject to prior approval of the Central Government in the Ministry of Home Affairs.

(2) An existing partner, during his life time, may induct his legal heirs as an additional partner under this rule, on obtaining written consent of all other existing partners, if any, in the partnership firm subject to prior approval of the Central Government in the Ministry of Home Affairs.

63. Conversion of partnership firm into a private limited company.— (1) Any existing manufacturer, being a partnership firm, may make an application to the Central Government in the Ministry of Home Affairs with the recommendations of the State Government concerned for grant of permission to convert the firm into a private limited company and the Central Government may grant such permission provided that the Memorandum and Articles of Association of the newly incorporated Company contain that—

- (a) only the existing partners or family members are on the Board of Directors of the company;
- (b) restriction on the directors to transfer shares, assets or profits of the company to any outside person and on submission of an undertaking to the effect that the applicant company has complied with the relevant provisions of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) in this regard.

(2) No sale or transfer of the factory premises, inventory, machinery or other assets of the private limited company, referred to in sub-rule (1) shall be permissible without the prior approval of the Central Government.

- 64. Restoration of licence of a discontinued business of an existing manufacturer.**— In case of a discontinued business, the legal heir of the deceased licensee, if he is a major, may make an application for the grant of a fresh licence in Form VII to the Central Government in the Ministry of Home Affairs within twelve months of the death of the licensee and in case the legal heir is a minor, within twelve months from the date of his attaining majority.
- 65. Record of transactions to be maintained by licensees holding licence in Form VII.**— (1) The manufacturer shall keep a register in the format of a secure electronic database known as the 'Firearms Stock Register', wherein the following particulars shall be recorded: –
- on the debit side, against a stock number, the date of manufacture, make, caliber, model and manufacturer's serial number; and
 - on the credit side, against the stock number referred to in sub-rule (a), –
 - the date of sale of firearm;
 - the name and address and licence number of the dealer to whom the firearm is sold;
 - the particulars of the Government department to whom the firearm is sold;
 - the particulars and address of the person to whom the firearm was exported together with the particulars of the export licence issued under these rules by the licensing authority.
- (2) The manufacturer shall keep a register in the format of a secure electronic database known as 'the Ammunition Stock Register', wherein the following particulars shall be recorded:–
- on the debit side,–
 - the caliber, make and quantity of all ammunition manufactured, purchased or acquired;
 - the lot number and the date of manufacture or receipt; and
 - in the case of the ammunition being purchased or acquired –
 - the person from whom it was purchased or acquired; and
 - the reason for the purchase or acquisition.
 - on the credit side, –
 - the lot number and the date of sale or use by the manufacturer of the ammunition;
 - the caliber, make and quantity of ammunition sold or used by the manufacturer;
 - the name, address and licence number of the dealer to whom the ammunition is sold; or
 - the particulars of the Government department to whom the ammunition is sold; or
 - the name and address of the person to whom the ammunition was exported together with the particulars of the export licence issued under these rules by the licensing authority;
 - the date of collection and the signature of the dealer or relevant Government official to whom the ammunition was delivered.
- (3) (a) The manufacturer shall keep updated stock sheets of all manufactured firearms and main firearm components.
- (b) The registers referred to in sub-rules (1) and (2) shall be kept at the business premises specified in the licence.
- (c) All particulars of firearms and ammunition shall be recorded immediately by the licensee on manufacture, receipt, transfer or use, as the case may be.
- (4) (a) The manufacturer shall establish an online electronic connectivity under his user id with the NDAL system and shall provide for a weekly electronic online transfer of data regarding firearms manufactured and sold or transferred and ammunition manufactured and sold or transferred or consumed for the week, as recorded in the registers referred to in sub-rules (1) and (2) .

(b) If any circumstances occur which prevent a licensee to submit online returns on NDAL system by means of electronic network connectivity, the local licensing authority shall be informed immediately in order to establish alternative means to submit the weekly returns.

(c) Weekly returns for the current week shall be submitted by the close of business hours on every Saturday.

66. Enforcement powers as to inspection and confiscation.— (1) (a) The licensing authority shall from time to time, conduct inspections of manufacturing facilities and records, in order to ensure compliance with the conditions of the licence under the Act.

(b) The inspection may include verification of inventory records, mechanism of marking of firearms, review of security norms, personnel records and any other areas of relevance deemed appropriate by the inspecting team or as per the instructions contained in the audit and inspection programme decided by the licensing authority.

(2) Firearms, their parts, components or ammunition that have been illicitly manufactured shall be permanently confiscated by the enforcement agencies.

(3) (a) Firearms, their parts, components or ammunition that are suspected of having been illicitly manufactured may be seized temporarily in respect of the following cases, namely:-

- (i) if a manufacturing licence is suspended, revoked or cancelled, or if it expires; or
- (ii) the holder of a manufacturing licence is convicted of an offence; or
- (iii) the licensing authority has grounds to believe that an offence has been or is about to be committed and that the items to be seized are either evidence of this or are themselves the subject matter of the offence involved.

(b) Seized items that are found to have been illicitly manufactured shall be confiscated and the items that are found not to have been illicitly manufactured shall be promptly returned to their owner.

(4) (a) Firearms, their parts, components or ammunition that have been illicitly manufactured shall be promptly disposed of, preferably through destruction in accordance with these rules.

(b) A method of disposal other than destruction may be used, provided that the firearms are first marked and registered, and the method of disposal is recorded.

PART II

Manufacture of Replica of Firearms

67. Licence to manufacture replica of firearms.— (1) A licence in Form VII-B may be granted to any person, to manufacture replicas of antique (muzzle loading) and contemporary (breech-loading) firearms for domestic market and export purposes.

(2) The persons not holding any licence or persons holding a licence in Form I for possession of machinery, or in Form IX for manufacture of firearms, under the Arms Rules, 1962 shall apply for a new licence in Form VII-B for manufacture and sale of replica of firearms within one year from the date of the notification of these rules.

68. Inspection of samples of replica of firearms.— (1) The manufacturers of replicas of firearms shall keep not more than fifty samples of each type of replicas at any given time.

(2) The manufacturer of replica of firearms shall, before commencement of manufacture, cause inspection by Directorate of Inspection, Department of Defence Production, Ministry of Defence of sample of each type of replica at the cost to be borne by the manufacturer, by submitting to the Directorate of Inspection —

- (i) three specimens of each type of replica proposed to be manufactured;
- (ii) five copies of photos or drawings of each type of replica describing its main parts; and
- (iii) the original and one copy of the licence issued in Form VII-B.

(3) After inspection, the Directorate of Inspection shall certify on the photos or drawings the innocuousness of the replicas and such certificates shall be sealed on each of the three specimens of replica submitted for inspection.

(4) One sample of each type of replica inspected along with a certified copy of its photo or drawing shall be delivered to the Ministry of Home Affairs for retention.

(5) The original licence in Form VII-B along-with the remaining two samples of inspected replicas and two copies of certified photos or drawing shall be sealed and delivered to the manufacturer who shall deposit one inspected specimen, one certified copy of its photo or drawing with the district magistrate of the district in which the replicas are to be manufactured.

(6) The third inspected specimen and one copy of the certified photo or drawing shall be retained by the manufacturer.

(7) The Directorate of Inspection shall retain the copy of the licence in Form VII-B and two copies of the certified photos or drawing.

69. Markings of replicas of firearms.— (1) The name of manufacturer shall be engraved on each replica manufactured for sale as below:

“Replica of fire-arm manufactured by Messrs

(Name of the firm and city) India”.

(2) The manufacturer shall also engrave on each replica –

- (i) type of replica;
- (ii) manufacturer's serial number; and
- (iii) date of the inspection of the specimen by the Directorate of Inspection.

Illustration:

If four different types are approved after inspection, the specimens will be described as A, B, C and D and the following shall be engraved on each replica in addition to the name of manufacturer vide sub-rule (1):-

"A/001 (DD-MM-YYYY)" where,—

'A' represents the type of approved replica;

'001' represents the serial number; and

the date within brackets indicates the date of certificate of inspection recorded by the Directorate of Inspection.

70. Maintenance of records by manufacturer of replicas of firearms.— (1) The manufacturer shall maintain records of manufacture and sale of replicas in the format given in the following table, namely:—

Table

Serial No. of firearm replica manufactured	Date of manufacture	Date of disposal	Name and address of purchaser if sold to individual in India	Name and address of arms dealers to whom supplied for sale or export	Particulars of export permission received if exported directly	Particulars of certificate of innocuousness	Balance Stock in hand
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

- (2) The records shall be inspected by the licensing authority of the jurisdiction of the licensee.
- (3) The replicas manufactured, which correspond to inspected samples shall be allowed to be sold in India or exported to foreign countries.
- (4) (a) The licensee shall establish an online electronic connectivity under his user-id with the NDAL system and provide for a weekly electronic online transfer of data regarding replicas of firearms manufactured and sold for the week, as recorded in the register referred to in sub-rule (1).
- (b) If any circumstances occur which prevent a licensee to submit online returns on NDAL system by means of electronic network connectivity, the local licensing authority shall be informed immediately in order to establish alternative means for submission of the weekly returns.
- (c) Weekly returns for the current week shall be submitted by the close of business hours on every Saturday.
- 71. Procedure for making replicas of firearms innocuous.**— The replicas of firearms may be made innocuous through any of the following methods, namely:-
- (i) by cutting a slot of the size of 12 mm x 6 mm on the underside of the barrel at a distance of 25 mm from the breech end in case the barrels of replicas are made of the same metal which is used for manufacture of barrels of firearm; or
- (ii) by manufacturing barrels of replicas with soft metals like brass; or
- (iii) by eliminating channel in the barrel or by not linking the channel with fire mechanism or by eliminating firing mechanism; or
- (iv) by providing a solid barrel or by making the rear portion of the barrel solid while the front portion of the barrel is given the shape of a normal barrel.
- 72. Sale and export of replicas of firearms.**— (1) The grant of licences for export of firearms replica under these rules shall be subject to the provisions of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992).
- (2) Every transaction of sale or export shall be accompanied by a certificate from the manufacturer of firearm replica under his seal and stamp certifying that the replicas being sold or exported have been rendered innocuous as firearms and correspond to the sample inspected by the Directorate of Inspection, Department of Defence Production and shall contain the following particulars: —
- (i) serial number of replica;
- (ii) date of inspection of sample;
- (iii) year of manufacture; and
- (iv) name of the manufacturer.
- (2)(a) The licensed capacity for the licences granted for manufacture of replica of muzzle loading firearms shall be restricted to a minimum quantity of 250 pieces per month and a maximum quantity of 500 pieces per month.
- (b) The licensed capacity for the manufacture of replica of contemporary or modern firearms shall be as approved by the licensing authority as specified in column (5) of Schedule II.

PART III

Arms and Ammunition Dealers

- 73. Grant of licences to arms and ammunition dealers.**— (1) An application for grant of a licence in Form VIII for arms and ammunition dealers shall be made in Form A-8, along with the following documents, namely:-
- (i) a written declaration along with self-certified copies of drawings stating that the applicant has facilities available of a strong room for the safe custody of the firearms and ammunition;

- (ii) a written undertaking with specific reference to the steps taken in connection with the safe custody of the firearms and ammunition including provision for access control, close circuit television system, security guards, fire-fighting devices, etc.;
- (iii) verification forms containing the name and address of every person authorised to trade on behalf of the applicant at the premises, who must possess the requisite training for safe handling of firearms:

Provided that the Central Government may specify additional conditions on the conduct of business by the dealers having place of business in any area declared as a 'disturbed area' under the Armed Forces Special Powers Act, 1958 (AFSPA) (28 of 1958) or under section 24A or 24B of the Act, by passing a general or special order in this regard.

(2) An application for renewal of licence in Form VIII shall be made at least sixty days prior to the expiry of the said licence with the licensing authority along with the documents mentioned in sub-rule (1).

(3) The licence granted in Form VIII shall be valid for a period of five years and it shall specify the types of arms and/or ammunition that may be sold or kept for sale and that may be deposited for safe custody under rule 48 or under Section 21.

74. Licence for restricted category of firearms and ammunition to arms and ammunition dealers.— The Central Government in the Ministry of Home Affairs may, by a licence granted by it in Form VIII authorise selected dealers to buy, sell or keep for sale a specified amount of firearms and ammunition of category I(b) or I(c) specified in Schedule I and the said licensee shall not sell or transfer any firearms or ammunition of such category to any person, without obtaining a prior confirmation from the licensing authority of the jurisdiction of the holder of the licence that the licensee has been issued the said licence to possess such restricted firearm or ammunition.

75. Records of transactions to be maintained by arms and ammunition dealers.— (1) The licensee shall keep a register named as 'the Firearms Stock Register', containing the following particulars, namely:—

(a) on the debit side, —

- (i) a stock number that must be clearly affixed by means of a temporary marking on the firearm;
- (ii) the make, type, caliber of the firearm, as well as every manufacturer's serial number or additional identification mark that is reflected on the firearm;
- (iii) the date of receipt of the firearm;
- (iv) in case of trade transfer, the full name, licence number, period of validity of licence, UIN and physical address of the manufacturer or dealer from whom the firearm was purchased or acquired along with the particulars of the purchase invoice, challan, transport documents and details of the transport licence in Form XII, if applicable;
- (v) in case of private transfer, the full name, licence number, period of validity of licence, UIN, physical address of the licensee, the authorisation to sell issued by the concerned licensing authority to the licensee or his legal heirs from whom the firearm was purchased or acquired and the signature of the person from whom the firearm was acquired.

(b) on the credit side, against the stock number referred to in sub rule (1),—

- (i) the date of sale of firearm;
- (ii) in case of trade transfer, the full name, licence number, period of validity of licence, UIN and physical address of the dealer to whom the firearm was sold or transferred along with the particulars of the sale invoice, challan, transport documents and details of the transport licence in Form XII, if applicable;
- (iii) in case of private transfer, the full name, licence number, period of validity of licence, UIN, physical address of the licensee, details of the authorisation to purchase and the purchase period mentioned on licence issued by the concerned licensing authority to the licensee to whom the firearm was sold or transferred along with the particulars of the sale invoice and the signature of the person to whom the firearm was sold;

- (iv) the signature of the person responsible for the transfer of the firearm shall be affixed to the recorded particulars mentioned in clauses (i) to (iii) as applicable.

(2) The licensee shall keep a register named as 'the ammunition register', containing the following particulars, namely:—

(a) on the debit side, —

- (i) the date of receipt of the ammunition;
- (ii) in case of trade transfer, the full name, licence number, period of validity of licence, UIN and physical address of the manufacturer or dealer from whom the ammunition was purchased or acquired along with particulars of the purchase invoice, challan, transport documents and details of the transport licence in Form XII, if applicable;
- (iii) in case of private transfer, the full name, licence number, period of validity of licence, UIN, physical address of the licensee, and the signature of the person from whom the ammunition was acquired.

Note: Full details of the ammunition containing its caliber, make and quantity are required to be mentioned on all the documents and the register;

(b) on the credit side, —

- (i) the date of sale of ammunition;
- (ii) in case of trade transfer, the full name, licence number, period of validity of licence, UIN and physical address of the dealer to whom the ammunition was sold or transferred along with particulars of the sale invoice, challan, transport documents and details of the transport licence in Form XII, if applicable;
- (iii) in case of private transfer, the full name, licence number, period of validity of licence, UIN, physical address of the licensee, details of the authorisation to purchase and the purchase period mentioned on licence issued by the concerned licensing authority to the licensee to whom the ammunition was sold or transferred along with particulars of the sale invoice and the signature of the person to whom the ammunition was sold;
- (iv) the signature of the person responsible for the transfer of the ammunition shall be affixed to the recorded particulars mentioned in clauses (i) to (iii) as applicable.

Note: Full details of the ammunition containing its caliber, make and quantity are required to be mentioned on all the documents and the register.

(3) In case of trade transfers mentioned in sub-rule (1) and sub-rule (2), the dealer making such sale or transfer shall satisfy himself prior to entering into such transaction that the quantity of the firearms or ammunition to be sold or transferred does not exceed the total licensed quantity of the purchasing dealer as mentioned on his licence on the date of sale or transfer.

(4) No trade transfers of firearms and ammunition shall be made under this rule unless accompanied by a sales invoice.

(5) The registers maintained under sub-rules (1) and (2) shall be kept at the business premises specified on the licence and every page of such register shall be numbered in sequence with entry recorded in ink and any amendment effected by means of interlineations or crossing out in ink and not by way of erasure and be initialed by the person effecting it.

(6) No person may remove or cause to be removed any page from any register contemplated in this rule and removal of any page there from shall be deemed, in the absence of evidence to the contrary, to have been removed by or on the authority of the licensee who is obliged to keep such register.

(7) All particulars to be entered in a register under this rule, shall be recorded immediately on receipt, transfer or sale, as the case may be, of the firearm or ammunition concerned and in addition to the particulars specified in sub-rules (1) and (2) shall depict the daily balance of stock in hand of firearms and ammunition.

(8)(a) The licensee shall establish an online electronic connectivity under his user id with the NDAL system and shall provide for a weekly electronic online transfer of data of the transactions made regarding firearms and ammunition for the week, as recorded in the registers referred to in sub-rules (1) and (2).

(b) If any circumstances occur which prevent a licensee to submit online returns on NDAL system by means of electronic network connectivity, the local licensing authority shall be informed immediately in order to establish alternative means for submission of the weekly returns.

(c) Weekly returns for the current week shall be submitted by the close of business hours on every Saturday.

76. Licence to keep in custody arms and ammunition.— (1) The licensee in Form VIII shall not accept for deposit arms or ammunition under the provisions of section 21 of the Act and for safe custody under rule 48 without satisfying himself that there is no *mala fide* intention on the part of the depositor or any person on whose behalf the deposit is being made.

(2) The licensee shall keep separate registers for arms and ammunition deposited under section 21 and for safe custody under rule 48.

(3) The registers referred to in sub-rule (1) shall contain the following particulars, namely:—

- (i) the date of receipt of firearm;
- (ii) the full name and address of the person from whom the arms or ammunition were acquired;
- (iii) the make, type, caliber of the firearm, as well as, every manufacturer's serial number or additional identification mark that is reflected on the firearm;
- (iv) the number, date of issue, validity period of the licence and UIN of the licensee and signature of the person from whom the firearm was acquired;
- (v) the date of return, transfer or disposal of the arms or ammunition; and
- (vi) the signature of the person to whom the arms or ammunition were returned, transferred or disposed.

(4) The registers under sub-rule (2) shall be kept at the business premises specified on the licence and every page of such register shall be numbered in sequence with entry recorded in ink and any amendment effected by means of interlineations or crossing out in ink and not by way of erasure and initialed by the person effecting it.

(5) No person may remove or cause to be removed any page from any register contemplated in this rule and if any page is removed there from, it shall be deemed, in the absence of evidence to the contrary, to have been removed by or on the authority of the licensee who is obliged to keep such register.

(6) All particulars that must be entered in a register under this rule shall be recorded immediately on receipt, return or disposal, as the case may be, of the firearm or ammunition concerned and in addition to the particulars specified in sub-rule (3) depict the daily balance of stock in hand of firearms and ammunition kept under deposit.

(7) (a) The licensee shall establish an online electronic connectivity under his user-id with the NDAL system and shall provide for a weekly electronic online transfer of data regarding firearms and ammunition deposited or released during the week, as recorded in the registers referred to in sub-rule (2).

(b) If any circumstances occur which prevent a licensee to submit online returns on NDAL system by means of electronic network connectivity, the local licensing authority shall be informed immediately in order to establish alternative means for submission of the weekly returns.

(c) Weekly returns for the current week shall be submitted by the close of business hours on every Saturday.

PART IV

Accredited Gunsmiths

77. Licence for carrying out minor repairs.— (1) A licence in Form IX-A entitles the licensee gunsmith to carry out minor repairs to firearms and accept and store such firearms.

(2) The licence also entitles the gunsmith to acquire and keep in stock ammunition to test firearms.

- 78. Licence for carrying out major repairs, conversion, etc.—** (1) Where a licence is granted in Form IX for conversion or carrying out major repair, of any category of firearms or ammunition, it entitles the licensee gunsmith to fabricate components or parts, for the purpose of conversion or major repair of such firearms but not to manufacture such components or parts to be utilised for assembling into complete firearms or ammunition of any category.
- (2) The licence also allows the licensee for deactivation and storage of firearms.
- (3) The applicant applying for a licence in Form IX must possess professional technical expertise to act as a gunsmith from a national or international institute or body legally recognised for imparting the professional or technical training.
- (4) The Central Government in the Ministry of Home Affairs shall notify the technical course contents and institutions recognised for imparting the training and expertise referred to in sub-rule (3) by passing a general or special order in this regard.
- (5) Where a licence is granted in Form IX to shorten a firearm, the licence shall specifically state that the licensee is permitted to shorten a firearm:
- Provided that the licensee, shall not be permitted to shorten the barrel length of any shotgun or rifle, to less than 20 inches.
- (6) Where such a licence is granted for conversion of ammunition, it shall not entitle the licensee to convert blank cartridges or any ammunition having no projectile into single or multiple projectile ammunition or to load or re-load any ammunition.
- (7) The licensee having a licence in Form IX is entitled to accept and store a firearm and keep in stock any part of a firearm, including a main frame component, for the purpose of performing his work.
- (8) The licence also entitles the gunsmith to acquire and keep in stock ammunition to test firearms.
- (9) The licensee shall not alter or re-engrave or remove the serial number or any other identification mark of a firearm without the prior written permission of the licensing authority.
- (10) Firearms and ammunition may only be test-fired by the licensee at an accredited shooting range or test bench or cabinet, only in such manner and subject to such conditions, as are specifically mentioned in his licence.
- (11) The licensee gun smith who carries out alteration of the mechanism, caliber or barrel length of a firearm, before the conclusion of the work, shall notify the licensing authority in writing of –
- (i) the particulars of the firearm, including the type, name, caliber and manufacturer's serial number or additional identification number;
- (ii) the name and address of the licensee along with his UIN, licence number and date of the issue of the licence in respect of the firearm;
- (iii) the particulars of the work performed on the firearm.
- (12) The licensee holding a licence in Form IX may deactivate a firearm only with the prior permission of the licensing authority.
- 79. Other conditions for licences issued in Form IX and IX-A.—** The validity of the licence granted in Form IX or Form IX-A shall be for a period of five years and shall specify the types of arms that may be converted, repaired (major or minor), tested (other than proof test) or to be kept for conversion, shortening, repairing (major or minor) or test (other than proof test) along with the description of ammunition allowed to be possessed for testing the repaired firearms or the description of ammunition allowed to be converted, as per the type of licence granted under this category.
- 80. Unserviceable or defective and deactivated firearm.—** (1) No firearm shall be categorised as unserviceable or defective or deactivated firearm unless it is certified by the licensing authority in writing in this regard.
- (2) Any licensee who wishes to get his firearm declared as unserviceable or defective or deactivated may make an application to the licensing authority for grant of permission for declaring it as unserviceable or defective

or carrying out deactivation of the firearm and the licensing authority may grant the permission for declaring such firearm as unserviceable or defective or carrying out deactivation of the firearm.

(3) A firearm shall only be deactivated by a gunsmith and in the manner specified under rule 81.

(4) Where the gunsmith declares a firearm to be un-serviceable or defective or deactivates a firearm, he shall issue a certificate in this regard to the licensee indicating therein the reasons for declaring such firearm to be un-serviceable or defective and in case of deactivation of the firearm, shall certify that the procedure for deactivation specified under rule 81 has been complied with and shall forthwith inform the licensing authority within seven days along with copy of the certificate.

(5) The licensee on receipt of the certificate referred to in sub-rule (4) shall within seven days of the receipt thereof, submit the said certificate along with the firearm for inspection to the licensing authority:

Provided that the licensing authority shall forward the firearm for ballistic testing wherever required.

(6) The licensing authority on being satisfied after having inspected the firearm declared as unserviceable or defective or deactivated firearm and on the basis of the certificate and the ballistic report submitted to him, shall pass orders for destruction of unserviceable or defective firearms in the manner specified in rule 104 and shall pass orders for deletion from the licence of the firearms so ordered for being destroyed or deactivated.

81. Technical procedure for deactivation of firearms.— (1) A firearm shall be deactivated in the following manner, namely:-

- (i) Barrel and chamber: A tight fitting metal plug to be inserted from the rear end and welded in place to prevent chambering of a cartridge or loading of a powder charge;
- (ii) Revolver cylinder: A tight fitting metal plug to be inserted from the rear end and welded in place to prevent chambering of a cartridge or loading of a powder charge;
- (iii) Firing pin: To be shortened and the firing pin hole in the breech face to be closed by welding;
- (iv) Breech face: 75% or more to be removed at an angle of 45°.

Explanation. —

In the case of a revolver, “breech face” refers to the area supporting the base of the cartridge in line with the barrel;

- (v) Slide, bolt or breech-block: 75% or more of the locking surfaces to be removed at an angle of 45°;
- (vi) Frame or receiver: 75% or more of the feed-ramp, locking shoulders and supports to be removed and a metal obstruction welded in place to prevent a standard slide, bolt or breech-block from being fitted;
- (vii) Any other manner as approved in writing by the licensing authority based on the technical opinion of the person holding a licence in Form IX.

(2) Firearms deactivated prior to the notification of these rules shall be deemed to have been deactivated according to these rules.

82. Records of transactions to be maintained by gunsmiths holding a licence in Form IX or IX-A.— (1) The licensee shall keep a register known as ‘the Firearms Repair Register’, wherein the following particulars shall be recorded, namely: —

- (a) In respect of every firearm received for minor or major repair,—
 - (i) a stock number that must be clearly affixed by means of a temporary marking on the firearm;
 - (ii) the make, type, caliber of the firearm, as well as, every manufacturer’s serial number or additional identification mark that is reflected on the firearm;
 - (iii) the date of receipt of the firearm;
 - (iv) the name, address and UIN of the licensee from whom the firearm was acquired;

- (v) the number, date and validity period of the arms licence, permit or authorisation of the person from whom the firearm was acquired;
 - (vi) nature of repair done on the firearm or any other work performed; and
 - (vii) the date of collection and signature of the holder of the licence, permit or authorisation issued in respect of the licence.
- (b) For licences granted in Form IX, in respect of main firearm components, received in stock,—
- (i) the date of receipt of the main firearm components;
 - (ii) the purpose of such receipt;
 - (iii) the name, address and UIN of the licensee from whom the main firearm components were acquired;
 - (iv) the transfer or disposal of the main firearm components including the name, address and UIN of the licensee to whom these were supplied; and
 - (v) the signature of the person who received it.
- (2) The licensee shall keep a register known as ‘the Ammunition Stock Register’, wherein the following particulars shall be recorded, namely: —
- (a) on the debit side, —
- (i) the caliber, make and quantity of all ammunition purchased or acquired;
 - (ii) the date of receipt; and
 - (iii) the number, date and UIN of the licence of the person from whom the ammunition was purchased or acquired.
- (b) on the credit side, —
- (i) the caliber, make and quantity of all ammunition consumed or used;
 - (ii) the date and reason of disposal of the ammunition and the signature of the licensee confirming the entries as correct.
- (3) The registers maintained under sub-rules (1) and (2) shall be kept at the business premises specified on the licence and every page of such register shall be numbered in sequence with every entry written in ink and any amendment thereof effected by means of interlineations or crossing out in ink and not by way of erasure and must be initialed by the person, effecting it.
- (4) No person may remove or cause to be removed any page from any register contemplated in this rule and removal of any page there from shall be deemed, in the absence of evidence to the contrary to have been removed by or on the authority of the licensee who is obliged to keep such register.
- (5) All particulars to be entered in a register under this rule, shall be recorded immediately on receipt, transfer, use or disposal, as the case may be, of the firearm, main firearm component or ammunition and in addition to the particulars specified in sub-rules (1) and (2), shall depict the daily balance of stock in hand of firearms, main firearm components and ammunition kept for repair or testing.
- (6) (a) The licensee shall establish an online electronic connectivity under his user-id with the NDAL system and shall provide for a weekly electronic online transfer of data of transactions regarding firearms and ammunition for the week, as recorded in the registers referred to in sub-rules (1) and (2).
- (b) If any circumstances occur which prevent a licensee to submit online returns on NDAL system by means of electronic network connectivity, the local licensing authority shall be informed immediately in order to establish alternative means for submission of the weekly returns.
- (c) Weekly returns for the current week shall be submitted by the close of business hours on every Saturday.

PART V

Common provisions for manufacturers, arms dealers and gunsmiths

83. Inspection of premises, stock and record.— Every magistrate and any police officer not below the rank of Inspector, or, if the Central Government so directs, of Sub-Inspector, acting within the local limits of his authority, or any officer of the Central Government specially empowered in this behalf may, —

- (i) enter and inspect the premises in which arms or ammunition are manufactured or proof-tested or repaired or in which arms or ammunition are kept by a manufacturer of or dealer in or gunsmith of such arms or ammunition; and
- (ii) examine the stock and accounts of receipts and disposals of arms and ammunition or any other register or document.

84. Manufacture and sale of air weapons including paintball markers or guns. — (1) Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of these rules, —

(a) Manufacture or proof test or both, transfer, sale, keeping for sale or transfer of all types of air weapons by a manufacturer, including air rifles, air guns and paintball markers or guns irrespective of the muzzle energy or caliber or bore shall be subject to licensing requirements under these rules:

Provided that an existing manufacturer shall, within a period of one year from the date of notification of these rules in the Official Gazette, apply to the licensing authority for grant of a licence for the manufacture of such weapons and the licensing authority may grant a licence in Form VII-C to such manufacturer.

(b) All air weapons including air rifles and air guns, having muzzle energy more than 20 joules or 15 ft. lbs. and/or bore more than 0.177" or 4.5 mm, shall be subject to markings as specified in rule 58.

(2) Sale, transfer and keeping for sale or transfer of all types of air weapons including air rifles, air guns and paintball markers or guns irrespective of the muzzle energy or caliber or bore shall be only through the authorised arms and ammunition dealers or the air weapon dealers licensed under these rules:

Provided that any existing air weapon dealer shall, within a period of one year from the date of notification of these rules in the Official Gazette, apply to the licensing authority for grant of a licence for sale, transfer and keeping for sale or transfer of such weapons and the licensing authority may grant a licence in Form VIII-A to such dealer:

Provided further that the sale or transfer of air weapons including air rifles and air guns having muzzle energy more than 20 joules or 15 ft. lbs. and/or bore more than 0.177" or 4.5 mm and paintball markers or guns having muzzle energy not exceeding 90 m/s or 300 ft/s (300 fsp), shall be made only through an authorised arms and ammunition dealer to a valid arms licence holder.

(3) Sale or transfer by the authorised arms and ammunition dealer or the air weapon dealer of air weapons including air rifles and air guns having muzzle energy less than 20 joules or 15 ft. lbs. and/or bore less than 0.177" or 4.5 mm shall be made against obtaining of an identification and residence proof from the buyer thereof and against issuance of an invoice containing the said particulars at the time of sale.

Explanation.— For the purpose of these rules, "air weapon dealer" means a dealer, who buys, sells, transfers or keeps for sale or transfer air weapons having muzzle energy less than 20 joules or 15 ft. lbs. and/or bore less than 0.177" or 4.5 mm and having been granted a licence in Form VIII-A by the licensing authority.

85. Obligations of air weapon dealers.— (1) The air weapon dealer shall keep a register namely, the 'Air Weapon Stock Register', wherein on the debit side, all the receipts of air-weapons against an invoice issued by manufacturers or dealers as the case may be; or in case of other person with details of name and address of such person, shall be recorded with the date of such receipt and on the credit side, all the sales or transfers of air weapons against sales invoice to be issued shall be recorded with the date of such sale or transfer containing full details of the name and address of the buyer:

Provided that the licensee shall obtain and keep in his records proof of identification and proof of residence of the buyer and also of the seller at the time of purchase except in case of a trade transfer.

(2) The air weapon dealers shall ensure that they have the capacity to store the air weapons as per the safe storage requirements as specified in rule 10.

(3) Every air weapon dealer shall obtain a UIN to get himself registered on the NDAL database through the licensing authority of his jurisdiction and allotted a separate user-id and password for log in purposes and the licensing authority may require such dealer to upload the complete details of his transactions on the NDAL database on weekly basis for the week in addition to the register specified under sub-rule (1):

Provided that the weekly returns for the current week shall be submitted by the close of business hours on every Saturday.

86. Powers of Central Government in certain cases.— (1) Where no licence is required for the manufacture, sale, import, export or transport of any category or description of arms or ammunition by or through a manufacturer or dealer, the manufacturer or the dealer, may be asked to register his name and address and place of business in such manner and at such place as the Central Government may prescribe by issuance of a general or special order in this behalf and the manufacturer or the dealer shall maintain such registers and furnish such information to the Central Government as it may require in respect of the arms or ammunition, so manufactured, sold, imported, exported, or transported.

(2) Every manufacturer or a dealer referred to in sub-rule (1) shall obtain a UIN to get himself registered on the NDAL database through the licensing authority of his jurisdiction and allotted a separate user-id and password for log in purposes and the licensing authority may require manufacturer or dealer to upload the complete details of his transactions on the NDAL database on weekly basis for the week in addition to the registers specified under sub-rule (1):

Provided that the weekly returns for the current week shall be submitted by the close of business hours on every Saturday.

CHAPTER VI

Import and Export of Arms and Ammunition

87. Licences for import and export of arms and ammunition.— The grant of licences for import and export of arms and ammunition under these rules shall be subject to the provisions of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992). The persons bringing into India the arms and ammunition as a part of their personal baggage shall be governed by the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and the rules made there under:

Provided that a licence shall not be granted for the import or export for re-import of any arms or ammunition through the medium of post office.

88. Import of arms and ammunition.— (1) Arms or ammunition shall be deemed to have been brought into India by a person, when such arms or ammunition are imported through an agent and are either consigned to such person direct, or consigned to the said agent, if the agent possesses a certificate from the said person that the arms or ammunition are bonafide his property and the agent only clears the arms or ammunition from the Indian customs and forwards the same.

(2) The dealer or manufacturer, who wants to import a firearm or parts of firearms or ammunition shall file an application for grant of a licence in Form X at least twenty-one days before the shipment of the firearm or ammunition to India or on good cause shown, such shorter period, as the licensing authority in his opinion deem fit and shall not arrange for the shipment of the firearm or ammunition prior to the issuance of the import licence.

(3) The licensing authority granting the licence shall forthwith send a copy of the licence to the licensing authority having jurisdiction at the port of import.

(4) The dealer or manufacturer shall immediately on the arrival of the shipment of firearms or parts of firearms or ammunition in India, notify the licensing authority as well as the licensing authority for the port of entry where the shipment has arrived, in writing of the arrival and provide the particulars of the container or consignment and place where the shipment can be inspected and the importer licensee shall not open the

container or the consignment of firearms or ammunition before an inspection is conducted by the licensing authority of the port in presence of the Indian customs authority at the port of entry in India.

(5) The dealer or manufacturer shall within seventy-two hours of the arrival of the firearms or ammunition in India, —

(a) arrange with the licensing authority of the port of entry to physically inspect the firearms or ammunition; and

(b) on finalisation of the physical inspection, certify in writing to the licensing authority, who issued the import licence, that the imported firearms or ammunition corresponding with the import licence, have arrived in India.

(6) Any delay in carrying out the inspection referred to in sub-rule (5) within seventy-two hours resulting in any additional charges or demurrage shall be attributed to the licensing authority at the port of entry and the customs authority and not the importer licensee.

89. Import of certain type of arms.— (1) Import of replicas of contemporary or modern firearms shall be subject to submission of certificate of innocuousness from the manufacturing company of the country of export and an undertaking from the importer that the replicas of the firearms to be imported are incapable, even with modification, of expelling or launching a shot, bullet or projectile by the action of an explosive charge or compressed air or any other gas.

(2) Import of paintball markers or paintball guns shall be subject to submission of certificate from the manufacturing company of the country of export that the muzzle energy of the paintball markers or guns does not exceed 90 m/s or 300 ft/s (300 fsp) and an undertaking from the importer that the paintball markers or paintball guns shall be sold only through an authorised arms and ammunition dealer registered under these rules.

(3) (a) Import of electronic disabling devices (EDD) shall be subject to submission of medical research reports on the technology used in such products, at the time of submitting application for import to the licensing authority, which shall include —

- (i) physiological effect of prolonged discharge on intoxicated adults;
- (ii) echocardiography evaluation of probes deployed into the chests of human volunteers;
- (iii) implanted pacemaker;
- (iv) repeated or long duration exposure: Academia and lack of respiration;
- (v) cardiovascular effects;
- (vi) physiological effects of exposure after exercise;
- (vii) lactate and pH evaluation in exhausted humans;
- (viii) non-impairment of basic respiratory parameters during fifteen second device application.

(b) an undertaking from the importer that all types of electronic disabling devices (EDD) irrespective of their range shall be sold only through authorised arms and ammunition dealers having a licence under these rules.

90. Export of arms and ammunition.— (1) The authority granting a licence in Form X for export of arms or ammunition from any customs port in India to any port in a foreign territory shall send a copy of such licence to the agent or master of the vessel or to the air carrier or the railway authority by which the arms or ammunition covered by the licence are intended to be taken out of India and shall forthwith send a copy of the licence to the licensing authority of the place, wherefrom the goods are to leave the Indian territory.

(2) Every application for the grant of a licence for export of arms specified in category IV of the Schedule I, shall be accompanied by a certificate from the Director-General of Archaeology of the Central Government to the effect that the arms intended to be exported do not fall within the definition of “antiquity” under the Antiquities and Art Treasures Act, 1972 (52 of 1972).

(3) The district magistrate having jurisdiction over the area out of which the goods to be exported are to cross the frontier of India may, in his discretion, require the licensee to produce the arms or ammunition for his inspection before allowing them to leave the area.

(4) An export licence in Form X shall be non-transferable and issued in three original copies.

(5) (a) The first copy of the export licence shall be returned to the issuing licensing authority within ten days of the date of export and which date must be duly certified by the Indian customs authorities;

(b) The second copy shall be returned to the issuing licensing authority within a period of ninety days after the export date stated on the export licence, which must bear the signature, an official date and name stamp of the end user, to serve as a delivery verification certificate:

Provided that failure to comply with conditions specified in clause (a) and clause (b) shall result in suspension of all pending and future export transactions of the exporter till the time the said conditions are duly complied with.

(6) A one-time extension of validity of export licence, for a period not exceeding three months, may be granted by the licensing authority if for any genuine reasons stated in the application, the export transaction could not be carried out within the stipulated time of the validity of the export licence.

(7) Where the licensee fails to export within the validity of the export licence, he shall return all the three copies of the export licence in original to the issuing licensing authority along with the reasons for non-compliance of the said transaction.

(8) On completion of the export transaction, the exporter shall retain one original copy of the export licence, bill of lading or airway bill, packing lists and export invoice pertaining to the firearms or ammunition so exported and shall produce the said documents whenever required to do so by the issuing licensing authority.

91. Export and re-import of arms and ammunition.— (1) A licence in Form X may be granted for export of arms or ammunition from one place in India and its re-import into another place in India by the Central Government in the Ministry of Home Affairs or any other officer, specially empowered by it, if the arms or ammunition are taken across intervening territory not forming part of India.

(2) A copy of every licence granted under sub-rule (1) shall forthwith be sent by the Central Government both to the licensing authority of the place of dispatch and place of destination of the articles in India.

(3) Arms and ammunition exported from India for the purpose of exhibitions, evaluations and demonstrations shall be returned to India within a period of six months after the date of export reflected on the export licence issued in Form X.

92. In-transit licence of arms and ammunition.— (1) No person shall, import, transport and re-export any arms or ammunition unless he holds in this behalf an in-transit licence in Form X issued by the Central Government in the Ministry of Home Affairs.

(2) The application for grant of in-transit licence shall be accompanied by —

(i) a proof of authority to export the arms and ammunition from the country of origin and a documentary proof of authority of import from the country of final destination that the arms or ammunition may lawfully be imported into the said country;

(ii) the particulars of the intended transport route and mode of transport and the proposed port of entry and exit and likely date of the entry and exit along with a certified copy of the licence, permit, authorisation or any proof acceptable to the licensing authority, confirming the lawful possession of the firearm and ammunition in transit through the Indian territory;

(iii) complete lists of the firearms and ammunition indicating the quantity, type of action, manufacturer's serial number, model and caliber of the firearms and quantity, type and caliber of ammunition forming part of consignment along with a consignment note to be carried in-transit through Indian territory.

(3) The licensee shall immediately on the arrival of the arms or ammunition in India, in writing notify the issuing licensing authority referred to in sub-rule (1) as well as the licensing authority for the area where the shipment has arrived and provide the particulars of the container or consignment and place where it can be

inspected and shall further ensure that the consignment is stored in a bonded warehouse under the jurisdiction of Indian customs authority and shall not open the container or consignment unless an inspection has been conducted by the licensing authority for the area and the customs authority.

(4) The licensing authority may lay down conditions for transportation and route thereof, of the container or consignment through the Indian territory and all incidental expenses related to the security measures from the port of import to the port of re-export through Indian territory shall be borne by the licensee.

(5) Storage of arms or ammunition for any period not exceeding one month in India, shall be granted in exceptional circumstances by the licensing authority with the prior consent of the local police authority and subject to such conditions of safe storage as the licensing authority may prescribe:

Provided that the arms and ammunition, shall be under the direct supervision of the licensee and the local police authority.

(6) Arms or ammunition under an in-transit licence shall not for whatever reasons be sold, transferred or used in India.

(7) It shall be the duty of the licensing authority granting an in-transit licence in Form X to send a copy of the licence to the district magistrate having jurisdiction over the last port through which the consignment is to cross the frontier of India.

93. Vessels entering the territorial waters of India.— Arms or ammunition carried by a vessel entering the territorial waters of India or leaving such waters, shall be deemed to be imported or exported, as the case may be, irrespective of whether the vessel carrying, the arms or ammunition does or does not berth.

94. Arms or ammunition to be delivered to Indian customs authority in certain cases.— Where a vessel or aircraft, bound for a port other than a port in India, calls at any port in India in the course of its voyage, and remains there for a period exceeding forty-eight hours, any arms or ammunition in the possession of any passenger not exempted from liability to take out a licence in respect of such possession shall be delivered by him to the Indian customs authority, to be detained until the departure by sea or air, as the case may be, of such passenger, and it shall not be necessary for such passenger to take out any licence in respect of the arms or ammunition so delivered and detained.

95. Scrutiny by authorities of consignments containing arms and ammunition.— (1) The licence issued under Chapter VI of these rules shall be produced wherever applicable, to the authorities involved in the import or export transactions such as Indian customs authority, licensing authority of the port under the Act, railway authority, shipping agent, master of the vessel, air-carrier, transporter and any other authority directly or indirectly related with such transactions and the said authorities shall ensure that the consignment containing arms or ammunition correspond with the details contained in the licence.

(2) Where in any case referred to in sub-rule (1), the original licence is not produced by the importer or the exporter or the consignee or the agent, or the original or attested copy of the licence does not accompany the consignment, as the case may be, or the licence is not identical in substance with the copy sent to the authority, or the arms or ammunition do not correspond with the description given in such licence, the authority shall not receive the consignment for despatch or allow it to proceed further or deliver the consignment, as the case may be, and shall, in case he is not a district magistrate, forthwith inform the nearest magistrate.

CHAPTER VII

Part I

Transport of Arms and Ammunition

96. Prohibition of transport of arms and ammunition.— (1) Save as herein otherwise provided, no person shall transport over India or any part thereof any arms or ammunition or any arms specified in category V of Schedule I, except under, and in accordance with the conditions of, a licence in Form XII granted under these rules.

(2) Nothing in sub-rule (1) or in section 12 of the Act shall be deemed to apply to arms or ammunition –

- (a) transported personally or as personal luggage, in reasonable quantities for his own use, by a person lawfully entitled to possess or carry such arms or ammunition;
- (b) transported by a person licensed to manufacture such articles, for proof-testing, in a case or package legibly addressed to a Government establishment or an establishment licensed under these rules, or re-transported by such establishment to such person;
- (c) of category V arms specified in Schedule I, transported through an area where the Central Government has, by notification in the Official Gazette, applied section 4, or from such area to an area where section 4 does not apply, provided that the arms are properly packed and labeled, showing clearly the description of these articles and the name and address of the consignee;
- (d) transported by a licensed manufacturer or dealer for export or after import, in accordance with a licence for their export or import, -
 - (i) from the place of despatch to the port or other place of export, or
 - (ii) from the port or other place of import to the place of destination, or
 - (iii) by trans-shipment in the port of import for re-export;
- (e) transported –
 - (i) by a person lawfully entitled to possess such articles, in reasonable quantities for his own use from the premises of a licensed manufacturer or dealer, or for purposes of examination or repair or test to or from any such premises, or to the address of any other person lawfully entitled to possess such articles; or
 - (ii) by a licensed manufacturer or a dealer, in a case or package legibly addressed to a person lawfully entitled to possess such articles, in compliance with an order given by such person for the supply of such articles, in reasonable quantities, for his own use or after carrying out necessary repairs thereto;
 - (iii) by a dealer to another dealer under trade transfer, within the same State against a sale invoice;
- (f) being chlorates, transported for *bona fide* industrial, agricultural or medicinal purposes:

Provided that-

- (i) transport of arms or ammunition under clause (d), sub-clauses (i) and (ii) of clause (e) or clause (f), shall be subject to obtaining a certificate of no objection from the licensing authority at the destination of the articles as provided for in rule 98;
 - (ii) transport of arms or ammunition personally for any of the purposes stated in sub-clause (i) of clause (e) without using them through any area outside the area of validity of his possession licence, shall be subject to his obtaining a licence in Form XII from the licensing authority at the starting place of transport; and
 - (iii) prior intimation of the transport of arms specified in category V of Schedule I under clause (c) or of chlorates under clause (f) shall be given to the officer-in-charge of the nearest police station or a magistrate having jurisdiction over the place of despatch.
- (3) The officer or magistrate receiving prior intimation under clause (iii) of the proviso to sub-rule (2) shall immediately inform the district magistrate, and if the articles are transported by rail, the Superintendent of railway police having jurisdiction,-
- (i) over the place of destination, in the case of transport of chlorates, and
 - (ii) over the place of entry into the area where section 4 applies, in the case of transport of arms specified in category V of Schedule I.

Explanation.— For the purposes of these rules, ‘transport’ includes movement of arms or ammunition across any part of the country, but does not include movement of arms or ammunition by a licensed manufacturer or dealer from a warehouse, godown or any other similar place to his factory, shop or other place of business within the same village, town or city.

- 97. Transport of arms or ammunition.—** (1) A copy of licence granted in Form XII for transport of arms or ammunition beyond the local limits of the jurisdiction of the authority granting it shall forthwith be sent to the district magistrate having jurisdiction over the area where the place to which the articles consigned is situated.
- (2) A copy of every such licence granted by a district magistrate for transport within the limits of his jurisdiction shall forthwith be sent to the subordinate magistrate (if any) having jurisdiction over the place to which the arms or ammunition are consigned.
- (3) Where arms or ammunition are transported by rail, a copy of such licence or a copy of the no objection certificate referred to in rule 98, shall be attached to the way-bill or invoice, as the case may be, and advice of every such consignment shall be sent by the railway authorities from the forwarding to the receiving station.
- (4) A transporter having a licence in Form XIV for transport of arms or ammunition by road shall comply with the conditions specified in sub-rule (3) of rule 101 in accordance with the procedure for transporter licence specified in rule 102.
- (5) A licence for the transport of arms or ammunition shall not, save for special reasons to be recorded by the authority granting it, be granted for a period longer than three months:
- Provided that a licence for a longer period, not exceeding six months, may be granted in connection with industrial purposes for transporting ingredients of ammunition in instalments from the godown to the factory of the licensee situated within the same district but not in the same locality:
- Provided further that such licensee, gives prior intimation to the nearest magistrate or officer-in-charge of the police station and makes necessary entries promptly in the stock registers maintained for the purpose at both the godown and the factory.
- 98. Previous consent in certain cases.—** (1) A licence having effect beyond the local limits of the authority of the officer granting it shall not be granted for the transport or export or re-import of any arms or ammunition to a place, without ascertaining that there is no objection to the grant of such licence on the part of the district magistrate having jurisdiction over the area in which such place is situated.
- (2) For the purposes of sub-rule (1), either –
- (i) a certificate of “no objection” may be obtained by the applicant for the licence; or
- (ii) an enquiry may be made by the authority to whom application for grant of such licence is made.
- 99. Carriage of arms and ammunition by air.—** (1) No licensee holding a valid licence under these rules or a journey licence in Form XI or import and export licence in Form X or holding a transport licence in Form XII, may carry or cause or permit to be carried, arms and ammunition endorsed on his licence by air, except with the prior permission of the Director General of Civil Aviation (DGCA) in accordance with the Aircraft Rules, 1937 framed under the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934).
- (2) The arms and ammunition granted permission under sub-rule (1) shall be so packed, protected and secured as to avoid any possibility of their being a source of danger and the packages shall be clearly and conspicuously marked on the outside.
- 100. Packaging of arms and ammunition during transportation.—** The licensee holding a licence in Form XII, during transportation of firearms and ammunition shall ensure that –
- (i) firearms are packed separately from ammunition, and all ammunition shall be removed from firearms in a safe manner, before transportation;
- (ii) large consignments of firearms and ammunition be transported in an appropriately locked metal container, and packed to ensure maximum safety and minimum exposure;
- (iii) small consignments of firearms be transported in an appropriately locked metal container or strong wooden boxes or wrapped in hessian cloth tightened with iron strips; and
- (iv) direct continuous supervision and control of arms and ammunition being transported is strictly maintained for large shipments.

Part II***Transporter's Licence***

101. Licence for transporter.— (1) Any person applying for a transporter's licence in Form XIV shall in addition to the requirements laid down in rule 11, submit —

- (i) proof that a proper functioning two way secure communication system between the vehicle transporting the arms or ammunition and the applicant is in operation;
- (ii) a detailed description of the safety measures fitted to the vehicle including GPS navigation system; and
- (iii) a detailed description of security precautions to be followed during transportation.

(2) The transporter holding a licence in Form XIV shall before undertaking transport of arms and ammunition, obtain from the consignor a copy of his transport licence in Form XII in respect of the arms and ammunition to be transported.

(3) The transporter using road transport shall provide to the person in charge of transportation, a typed list or computer printout on his letterhead of persons who will be directly involved in the transportation of the consignment of the arms and ammunition, containing their names and identity numbers and such list shall be attached to a certified copy of the licence in Form XIV:

Provided that the transporter shall get the police verification of the antecedents of his employees before assigning them any duty related to such transportation of arms or ammunition.

(4) It shall be the duty of the licensing authority to ensure, before grant of licence to a transporter in Form XIV, that the applicant has made arrangements for the receipt, carriage and delivery of the arms and ammunition, the safe and efficient transportation thereof, the mode of transport by which the transportation is to take place, including the type and construction of the vehicle to be used, as well as the containers, persons to be involved and communication facilities, etc., for the safe and secure transport and storage of the arms and ammunition.

(5) The licence granted to a transporter in Form XIV shall be valid for a period of five years.

(6) The licence in Form XIV shall specify, the categories of arms and/or ammunition, maximum quantity during a calendar year, maximum quantity in a single consignment and maximum quantity in multiple consignments under a single shipment that may be allowed to be transported.

(7) (a) The transporter licence in Form XIV shall be applicable for bulk transportations exceeding one hundred firearms or ammunition exceeding fifty thousand cartridges in a single consignment or multiple consignments forming part of a single shipment.

(b) The transport of arms and ammunition other than bulk transportation may be carried out by ISO 9001 certified transport companies.

102. Procedural requirements for transporter's licence.— (1) An arms or ammunition transporter holding a licence in Form XIV shall possess at all times during such transport, —

(a) a consignment note containing the following particulars:-

- (i) the name, address, licence and UIN of the transporter;
- (ii) the name, address, licence number and UIN of the consignor and of the consignee in respect of arms and ammunition to be transported;
- (iii) the quantity, type of action, manufacturer's serial number, make and caliber of the firearms and quantity, make and caliber of ammunition; and
- (iv) the physical address wherefrom the firearms and ammunition were collected and the physical address of their final destination.

(b) copy of the licence in Form XII authorizing the transportation of such firearms and ammunition;

(c) any other document which under these rules or any other law may be required.

- (2) A transporter holding a licence in Form XIV who is obliged to store the firearms or ammunition for any period of time after its receipt and before delivery, shall comply with the safe custody and storage requirements under rule 10.
- (3) The licensee shall ensure direct supervision by him or through his personnel of an en-route consignment of arms or ammunition.
- (4) The transporter holding a licence in Form XIV shall obtain from the consignee a written confirmation for the consignment of arms and ammunition, which shall contain the following information, namely:—
- (i) the name and surname of the recipient;
 - (ii) the recipient's address;
 - (iii) the telephone number, mobile number and email address of the recipient;
 - (iv) the date and time of delivery;
 - (v) the description of the arms and ammunition received; and
 - (vi) the signature of the recipient confirming the deliverance.
- (5) A copy of the written confirmation from the consignee shall be submitted by the transporter to the licensing authority issuing transport licence in Form XII.
- (6) The transporter holding a licence in Form XIV shall immediately notify in writing the police and licensing authority in the event of non-delivery, loss or theft of the arms or ammunition.
- (7) In the event of the consignment under transportation being misused by, or stolen or lost due to the gross negligence of the transporter holding a licence in Form XIV or by any of its employees entrusted with such transportation, the licence of the transporter shall be liable to be revoked.

CHAPTER VIII

Disposal and Destruction of Firearms and Ammunition

- 103. Confiscation, capture or seizure of firearms and ammunition.—** (1) The firearm bureaus under the Central Government or the State Governments shall maintain inventory for different categories of confiscated, captured, seized, recovered or surrendered arms and ammunition.
- (2) The firearm bureaus referred to in sub-rule (1) shall be granted UIN by the Central Government and allotted separate user-id and password under the NDAL system.
- (3) The arms and ammunition confiscated, captured, seized, recovered or surrendered shall, on registration of a First Information Report at the nearest police station, be taken on charge of memo of seizures to be signed by the person(s) involved in confiscation or capture or seizure or recovery or surrender, and handed over to the empowered officer of the Central or the State Government along with history sheet of each firearm containing details of the make, type, manufacturer's serial number, caliber and nature of the firearm.
- (4) The empowered officer of the Central or the State Government referred to in sub-rule (2) shall handover the said arms and ammunition to the concerned Central or the State firearm bureau and the firearm bureau shall make an entry in the receipt column of its stock register.
- (5) The Central or the State firearm bureau shall get firearms and ammunition examined from a gunsmith holding a licence in Form IX or an officer of the Central Armed Police Force or State police department, authorised to examine.
- (6) On submission of the report by the examiner of the firearm, the firearm may be declared as serviceable or unserviceable or beyond economical repair (BER) and all such serviceable firearms shall be entered in the active firearm stock register and the details shall be uploaded on NDAL system against the UIN allotted to the firearm bureau.
- (7) The serviceable firearms may be, on receipt of the orders of the competent court, allotted to the eligible applicants under these rules by the firearm bureau against a valid arms licence in Form III, for the particular

category of firearm against a sale voucher or invoice to be issued by the firearm bureau and the details of such sale or transfer shall be recorded in the register to be maintained by it and uploaded on the NDAL system.

Explanation.— For the purposes of this rule, firearm bureau means a unit working under the Central Government or State Home departments or under the State police department for deposit and disposal of confiscated, captured, seized, recovered or surrendered arms and ammunition.

104. Destruction of firearms and ammunition.— (1) Any obsolete or obsolescent, condemned or unserviceable firearm or any confiscated, captured, seized, recovered or surrendered firearm that does not bear the manufacturer's serial number or additional identification mark shall be marked forthwith by the concerned Central or the State firearm bureau in accordance with the procedure laid down in rule 34 and rule 58 and details of such firearm be recorded in a separate register and uploaded on the NDAL system under a distinct category.

(2) The firearm bureau shall submit to the local licensing authority an application containing the details of firearm to be destroyed, giving particulars regarding the make, type, caliber of the firearm as well as the manufacturer's serial number or additional identification mark and the licensing authority shall after verifying the particulars recorded in the list supplied to it by the firearm bureau, grant permission for destruction of firearm.

(3) The firearms under this rule may be destroyed, only by melting, pressing or in any other manner determined by the licensing authority and ensuring that the original intent, design and purpose of the firearm or any part thereof is permanently or irrevocably destroyed:

Provided that a firearm or ammunition, shall be destroyed only in the presence of a designated officer deputed by the local licensing authority.

(4) A list of firearms or ammunition destroyed under sub-rule (3) with the particulars of such firearms referred to in sub-rule (2) shall be submitted to the licensing authority within fourteen days of such destruction.

CHAPTER IX

Appeals under Arms Act

105. Appellate authorities.— (1) The appellate authority to whom an appeal shall lie against an order of the licensing or other authority specified in column (1) of the table below, shall be that specified in the corresponding entry in column (2) thereof :

TABLE

Authority		Appellate Authority
(1)		(2)
(a)	District Magistrate	Commissioner of the Division or any other equivalent post or in any State in which there is no post of Commissioner of a Division, the State Government
(b)	Commissioner of Police	State Government
(c)	Officer empowered by the Central Government in a Union Territory	Administrator/Lt. Governor of the Union Territory
(d)	Head of Indian Mission	Central Government
(e)	Other specially empowered officer	Authority that empowered

(2) For the purpose of sub-section (6) of section 17, the licensing authority shall be deemed to be subordinate to the appellate authority.

(3) All licensing authorities shall work under the direction and control of their respective appellate authorities.

- 106. Reasons to be communicated to appellate authority in certain cases.**— Where a licensing authority is of opinion that it will not be in the public interest to furnish reasons for the refusal, renewal, variation of conditions, revocation or suspension, of a licence, to the applicant, the recorded reasons therefor and the facts of the case shall be communicated by him to the appellate authority.
- 107. Appeal against order of licensing authority or an authority suspending or revoking a licence under sub-section (6) of section 17 of the Act.**— In any case, in which an authority issues an order —
- (i) refusing to grant or renew a licence or to give a "no objection certificate" for such grant or renewal; or
 - (ii) varying any condition of a licence or suspending or revoking a licence under sub-section (1), or sub-section (3) or sub-section (6) of section 17,
- the person aggrieved by such order may, within thirty days from the date of issue of the order, and subject to the proviso to sub-section (2) of section 18, prefer an appeal against that order, to the concerned appellate authority.
- 108. Procedure to be followed by appellate authority.**— On receipt of an appeal, the appellate authority may call for the records of the case from the authority who passed the order appealed against and after giving the appellant a reasonable opportunity of being heard, pass final orders within sixty days of receipt of the appeal.
- 109. Fee payable on a petition for appeal made under sub-section (1) of section 18 of the Act.**— Every petition for appeal under sub-section (1) of section 18, shall be accompanied by a fee of rupees one thousand.

CHAPTER X

Provisions relating to Nepal

- 110. Import, transport and export of arms and ammunition for Government of Nepal.**— (1) Where arms or ammunition are imported into India for despatch to the Government of Nepal, the customs authority at the port of disembarkation, or the licensing authority in other places, shall check the consignment against the list of arms or ammunition received from the Central Government and the packages shall be sealed thereafter in the presence of a Customs Examiner or any other authority appointed for the purpose by the Central Government.
- (2)(a) Where arms or ammunition imported into, or acquired in, India are to be despatched to Nepal for the Government of Nepal, they shall be accompanied by a certificate from the Indian customs authority or the licensing authority of the area concerned to that effect containing a description of the marks on each package or case sufficient to enable it to be readily identified and a general statement of the contents of such package or case;
- (b) on receipt of requisition from the clearing agents or the firm concerned, as the case may be, the district magistrate shall arrange for necessary escort up to the railway station;
- (c) the railway authority shall, not receive for despatch any package or case containing, arms or ammunition unless accompanied by a certificate as required under clause (a).
- (3) Where in any case —
- (i) the list referred to in sub-rule (1), is not received from the Central Government, or
 - (ii) the arms or ammunition imported into, or intended to be despatched from India do not correspond with the description given in such list,
- the authorities concerned shall not allow the consignment to be despatched to Nepal and shall forthwith inform the Central Government.
- 111. Transport of arms from any place in Nepal to any other place in Nepal through Indian territory.**— (1) Notwithstanding anything contained in rule 6 and rule 87, the Ambassador of India in Nepal, on an application

made by the Government of Nepal, and subject to confirmation by the Central Government, may grant a licence in Form XV for the import into, possession in, transport across, or export out of, India from any place in the territory of Nepal to any other place in that territory across the frontiers of India, of arms or ammunition specified in categories I and II of Schedule I or any other category of Schedule I by Nepal Government's troops or police, as the case may be.

(2) Where under the authority of a licence granted under sub-rule(1), arms or ammunition are to pass across Indian Territory,—

(a) if entirely by rail, a copy of the licence shall forthwith be sent by the Ambassador to the district magistrates having jurisdiction over the areas through which the arms or ammunition shall pass across the frontiers of India and also to the railway authorities of the place in the Indian territory through which the consignment shall pass;

(b) if by road or river, a copy of the licence shall forthwith be sent to the district magistrates having jurisdiction over the areas through which the arms or ammunition shall pass to Nepal across the frontiers of India.

(3) The Central Government, or the Ambassador of India in Nepal with the approval of the Central Government, may make any order regulating the safe transit to Nepal across the frontiers of India of the arms or ammunition mentioned in this rule.

CHAPTER XI

Miscellaneous

112. Common conditions applicable to all types of licences.—

(1) The licensee shall –

(a) not possess Government arms and ammunition as defined in clause (22) of rule 2:

Provided that the above condition may be cancelled by the authority granting the licence empowered to do so by the Central Government, and an endorsement added showing the Government arms or ammunition which the licensee is authorised to possess.

(b) on demand by an authorised officer produce the firearms possessed under his licence;

(c) not sell or transfer any firearms or ammunition or any part thereof covered by his licence to any person not lawfully entitled to possess them;

(d) forthwith give information at the nearest police station of the loss or theft of any arms or ammunition covered by his licence.

(2) The authority granting or renewing the licence has the right to enquire at any time during the currency of the licence, whether the arms or ammunition for which it has been granted, is still in the possession of the licensee, and may require the production of the arms or ammunition for the purpose of such an enquiry.

(3) Save where he is specially authorised in this behalf by the district magistrate concerned, the licensee shall not carry any arms covered by the licence within the campus or precincts of any educational institution or a firearm free zone declared under these rules.

113. Security and precautionary conditions for storage of ingredients of ammunition specified in category VI of Schedule I. —

(a) Chlorates shall be kept in a building constructed of nonflammable materials only and separated from any dwelling house, other building, highway, street, public thoroughfare or public place by a distance of not less than ten feet:

Provided that where the total quantity stored does not exceed one hundred kilograms, chlorates may be kept exclusively in a closed and secured receptacle placed in a building used for the keeping of other articles not being of an explosive or highly inflammable nature.

(b) Sulphur shall not be kept in the same room with saltpeter in the premises specified in the licence:

Provided that when the quantity of each does not exceed one hundred kilograms, sulphur and saltpeter may be kept in separate closed receptacles in the same room.

- (c) No person shall smoke and no open fires shall be allowed at any time in the premises specified in the licence or in the vicinity of the receptacles mentioned in the provisos to clauses (a) and (b).
- (d) Where any building used for storage of such materials is fitted with electric lighting or power, the licensee shall get these installations tested at least once a year or once during the currency of the licence, by an electrical inspector appointed under the Electricity Act, 2003 (36 of 2003).
- (e) Any accident, fire or explosion occurring within the premises specified in the licence which is attended with loss of human life or serious injury to person or property shall be reported at once by the licensee to the officer-in-charge of the nearest police station having jurisdiction over the place of his business or factory as well as to the inspector of explosives of the circle concerned.
- (f) The conversion into explosives of sulphur in admixture with chlorates shall be permitted for the following purposes only (and for no other purposes), namely:-
 - (i) in small quantities for scientific purposes; or
 - (ii) for the purposes of manufacturing heads of matches; or
 - (iii) for use in toy amorces (paper caps for toy pistols).

SCHEDULE I (See rule 3)				
Part A				
	Category		Arms	Ammunition
	(1)		(2)	(3)
I	(a)		Prohibited arms (i) Prohibited arms as defined in section 2(1)(i) of the Act; (ii) Items configured for military use; (iii) Light weapons; (iv) Small arms including automatic and selective fire other than those defined in category I(b), I(c) and III	Prohibited ammunition (i) Prohibited ammunition as defined in Section 2 (1)(h) of the Act; (ii) ammunition for items configured for military use; (iii) ammunition for light weapons; (iv) ammunition for small arms including automatic and selective fire other than those defined in category I(b), I(c) and III

	(b)		Restricted arms Semi-automatic firearms which cannot be converted into automatic firearms and other than those defined in category III(a), III(c) and III(d); Smooth bore guns having barrel of less than 20 inches in length; Centrefire rifles of any barrel length (semi-automatic); Electronic disabling devices having firing range of more than fifteen feet		Restricted ammunition Ammunition for arms of category I (b).
	(c)		Restricted arms		Restricted ammunition
			Category of arm	Caliber/chamber specification	Ammunition for arms of category I (c).
	(i)	Rifles other than those mentioned in category I(b), III(b) and III(c)		7.62mm (7.62mm NATO/7.62x51mm NATO) 5.56mm (5.56mm NATO/5.56x45mm NATO) 7.62mmx39mm .303 British or 7.7x56mmR	
	(ii)	Pistols		9mm Parabellum (9x19mm/9mm Luger/9mm Parabellum Plus /9mm Parabellum)	
	(iii)	Revolvers		.38 Revolver MkIIz also .38/200x20R, .380/200 Revolver Mk-II .455 WebleyR	
II			Machinery for manufacture or proof testing of firearms		Machinery for manufacturing ammunition
III			Permissible arms Arms other than those defined in categories I, II and IV, namely:		Permissible ammunition Ammunition for arms other than those in categories I, II and IV, namely:
	(a)		Handguns (revolvers and pistols) including semi-automatic		Ammunition for arms of category III (a)
	(b)		Breech loading Centrefire rifles (not semi-automatic)		Ammunition for arms of category III (b)
	(c)		.22 bore Rimfire rifles		Ammunition for arms of category

			(including semi-automatic)	III (c)
	(d)		Smooth bore breech loading shotguns (including semi-automatic)	Ammunition for arms of category III (d)
	(e)		Muzzle-loading guns	Ammunition for arms of category III (e)
	(f)		Air weapons including air rifles and air guns	
		(i)	having muzzle energy exceeding 20 joules or 15 ft. lbs. and/or bore exceeding 0.177" or 4.5 mm	Ammunition for arms of category III (f) (i)
		(ii)	having muzzle energy less than 20 joules or 15 ft. lbs. and /or bore less than 0.177" or 4.5 mm	Ammunition for arms of category III (f) (ii)
	(g)		Firearm replicas —	
		(i)	of modern or contemporary firearms	Nil
		(ii)	of muzzle loading antique weapons	Nil
	(h)		Electronic disabling devices having firing range of less than fifteen feet	Ammunition for arms of category III (h)
	(i)		Paintball markers or paintball guns having muzzle energy exceeding 90 m/s or 300 ft./s (300 fps)	Nil
	(j)		Blank-firing firearms	Ammunition for arms of category III (j)
	(k)		Accessories for any firearms designed or adapted to diminish the noise or flash caused by the firing thereof	Nil
IV			Curios and historical weapons, other than those excluded under section 45(c) of the Act	Curios and historical ammunition.
V			Arms other than firearms: Sharp-edged and deadly weapons, namely: Swords (including sword-sticks), daggers, bayonets, spears (including; lances and javelins), battle-axes, knives (including Kirpans and Khukries) and other such weapons with blades longer than 9" or wider than 2" other than those designed for domestic, agricultural, scientific or industrial purposes, steel baton, "Zipo" and other such weapons called 'life preservers', machinery for making arms, other than category II, and any other arms which the Central Government may notify under Section 4 of the Act.	Nil
Part B				
Ingredients of ammunition and other items				
	Category		Items	
	VI	(a)	Articles containing explosives or fulminating material: fuses and friction tubes other than blank fire cartridges	

		(b)	Ingredients as defined in section 2(1)(b)(vii) of the Act including – (i) lead, sulphur, saltpetre and sodium azide; (ii) chlorates and per chlorates; (iii) fissionable material; and (iv) asphyxiating, poisonous, irritant or other gases and analogous liquid, materials or devices which are not used in any bonafide industrial process in India
--	--	-----	--

SCHEDULE II

(See rule 5)

LICENSING AUTHORITIES ETC.

Item No.	Purpose	Categories of arms/ammunition as defined in Schedule I	Place/Class of persons	Licensing Authority	Area for which Licence can be granted	Renewing Authority	Form No.	Conditions
1	Acquisition/ Possession/ Import and Transport	I (a), II	Whole of India	Central Government in the Ministry of Home Affairs	Whole of India or any specified area	Central Government in the Ministry of Home Affairs	I	-
2	Acquisition/ possession and use	III (b), III (c), III (d), III (e), V, VI	District	District Magistrate	Throughout the district	District Magistrate	II	-
3	Acquisition/ possession/ carrying and use for protection/ sport/target practice/ display	(i) I (b) I (c)	Whole of India	Central Government in the Ministry of Home Affairs.	Whole of India or any specified part thereof	District Magistrate	III	-
		(ii) III [except (f)(ii) and (g) (ii)], V, VI	(i) District	District Magistrate	Throughout the district or his area of jurisdiction	District Magistrate	III/V	-
		III [except (f)(ii) and (g) (ii)], V, VI	(ii) State	District Magistrate	Whole of the State	District Magistrate	III/V	-
		III [except (f)(ii), and (g) (ii)], V, VI	(iii) Whole of India	State Government	Whole of India	District Magistrate	III/V	For the categories of licensees mentioned in sub-rule (2) of rule 19 district

								magistrate is empowered to grant licences for whole of India
Item No.	Purpose	Categories of arms/ammunition as defined in Schedule I	Place/Class of persons	Licensing Authority	Area for which Licence can be granted	Renewing Authority	Form No.	Conditions
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(iii) I (b), I (c)	In case of retainers of exemptees	Central Government in the Ministry of Home Affairs.	India or any specified part thereof	State Govt. or any officer specially empowered by the State Government in this behalf.	III-A	-
		III [except (f)(ii) and (g) (ii)], V, VI	(i) District	District Magistrate	Throughout the District	District Magistrate	III-A	-
			(ii) State	District Magistrate	Whole of the State	District Magistrate	III-A	-
			(iii) Whole of India	State Government	Whole of India	District Magistrate	III-A	-
4.	Acquisition/possession / carrying and use for destruction of wild animals, which do injury to human beings or cattle and damage to crops	III (b), III (c), III (d), III (e), V.	District	District Magistrate or any officer specially empowered by the State Government in this behalf.	Throughout the district	Same as licensing Authority.	IV	-
5(a)	Import into, possession, carrying and use of arms or ammunition by the International sports persons visiting India for	III [except (f)(ii) and (g) (ii)]	Whole of India	Head of the Indian High Commission or Indian Embassy of the country to which the sports person belongs, or the District Magistrate at the port of	India or any specified part thereof	No renewal	VI	The licence shall be valid for a maximum period of six months or validity of visa whichever is earlier and granted only for the

	participation in tournament/ event or series of tournaments / events or for training			entry/arrival in India or any other officer specially empowered by the Central Government				purpose of shooting sport.
Item No.	Purpose	Categories of arms/ ammunition as defined in Schedule I	Place/ Class of persons	Licensing Authority	Area for which Licence can be granted	Renewing Authority	Form No.	Conditions
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5(b)	Acquiring, possessing during the course of his stay in (but not use) and carrying in, and export out of India by a tourist	III [except (f)(ii) and (g)(ii)] IV, V (made in India only)	-	District Magistrate or any officer specially empowered by the State Government	-	No renewal	VI	The licence shall be valid for a maximum period of six months or validity of visa, whichever is earlier and granted for weapons made in India only.
5(c)	Other temporary categories of Import/ Export licences	III	Whole of India	Head of the Indian High Commission or Indian Embassy of the country to which the person defined in rule 45(1) belongs, or the District Magistrate at the port of entry/arrival in India or any other officer specially empowered by the Central Government	India or any specified part thereof			The licence shall be valid for a maximum period of six months or validity of visa whichever is earlier and granted only for the defined purpose as mentioned in rule 45(1)
6(a)	Manufacture or Proof Test or both, transfer, sale, keeping for sale, or	All [except III (f)]	Through-out India	Central Government in the Ministry of Home Affairs	Within the premises to be specified in the licence.	Central Government in the Ministry of Home Affairs	VII	For existing manufacturers holding licence in Form IX, the Renewing Authority shall be the

	transfer							State Government.
		III (f)	Through-out India	State Government	Within the premises to be specified in the licence.	District Magistrate	VII C	All existing manufacturers of all types of air weapons to obtain manufacturing licences within one year of the notification of these rules
Item No.	Purpose	Categories of arms/ammunition as defined in Schedule I	Place/Class of persons	Licensing Authority	Area for which Licence can be granted	Renewing Authority	Form No.	Conditions
6(b)	Manufacture transfer, sale, keeping for sale, or transfer	V	State	District Magistrate	Within the premises to be specified in the licence.	District Magistrate	VII-A	-
6(c)	Manufacture transfer, sale, keeping for sale, or transfer replicas of firearms	III (g)	State	District Magistrate	Within the premises to be specified in the licence.	District Magistrate	VII-B	All existing manufacturers of replicas of firearms including of antique weapons to obtain new manufacturing licences within one year of the notification of these rules
7(a)	Sale, transfer or test (other than proof-test), and keeping for sale, transfer or test.	I (b) I (c)	State	State Government	Within the premises to be specified in the licence	State Government	VIII	-
		III V, VI	State	State Government	Within the premises to be specified in the licence.	District Magistrate	VIII	-
7(b)	Keeping for safe custody	For the categories of arms and ammunition in the licence						

		issued under S.No. 7(a)						
		I (b), I (c) III, V, VI	State	State Government	Within the premises to be specified in the licence.	District Magistrate	VIII	-
7(c)	Sale, transfer, and keeping for sale, transfer	III(f)(ii)	State	District Magistrate	Within the premises to be specified in the licence.	District Magistrate	VIII-A	All existing dealers of air weapons of category III(f)(ii) to obtain air weapon dealer licence within one year of the notification of these rules
Item No.	Purpose	Categories of arms/ ammunition as defined in Schedule I	Place/ Class of persons	Licensing Authority	Area for which Licence can be granted	Renewing Authority	Form No.	Conditions
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
8(a)	Licence to gunsmiths to convert, shorten, repair (major) or test (other than proof- test) or keeping for conversion, repair (major) or test (other than proof test) of firearms	I (b), I (c), III, VI (b)	State	State Government	Within the premises to be specified in the licence.	District Magistrate	IX	Other than that of category I(a) and II
8(b)	Licence to gunsmiths to repair (minor) or test (other than proof- test) or keeping for repair (minor) or test (other than proof test) of firearms	I(b), I(c), III	State	District Magistrate	Within the premises to be specified in the licence.	District Magistrate	IX-A	Other than that of category I(a) and II

9(a)	Import of arms and ammunition into India	(i) I (b) I (c)	(i) At any customs port in India.	(a) Central Govt. in the Ministry of Home Affairs	-	No renewal	I	-
		(ii) III	(ii) At any customs port in India.	(b) Central Government in the Ministry of Home Affairs.	-	No renewal	X	-
		(iii) Ammunition imported by the arms dealers for the obsolete bores and not manufactured in India IV, V, VI	(iii) At any customs port in India.	(c) District Magistrate of the place at which importer is located or in whose jurisdiction the port of import lies	-	No renewal	X	-
Item No.	Purpose	Categories of arms/ammunition as defined in Schedule I	Place/Class of persons	Licensing Authority	Area for which Licence can be granted	Renewing Authority	Form No.	Conditions
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(iv) Sulphur	(iv) At ports of Kakinada, Tuticorin and Cochin.	(c) State Government in Andhra Pradesh, Tamil Nadu or Kerala.	-	No renewal	X	In reasonable quantities for medicinal, agricultural or industrial purpose.
9(b)	Export to a foreign territory	(i) All	(i) From any customs port in India to a port in a Foreign Territory.	(i) Central Government in the Ministry of Home Affairs or any officer specially empowered by the Central Government in the Ministry of Home Affairs	-	No renewal	X	-

		(ii) III(g) (i), IV, V, VI	(ii) From any customs port in India to a port in a foreign territory.	(ii) Government of the State in which the exporter is located	-	No renewal	X	-
9(c)	In-transit licence and licence for export and re-import	(i) All	(a) Between one port of India to another	(a) Central Government in the Ministry of Home Affairs or any officer specially empowered for the purpose by the Central Government in the Ministry of Home Affairs	-	No renewal	X	-
		(ii) III, IV, V, VI	(b) From any place in Nepal	(b) Ambassador of India in Nepal	-	No renewal	X	-
Item No.	Purpose	Categories of arms/ ammunition as defined in Schedule I	Place/ Class of persons	Licensing Authority	Area for which Licence can be granted	Renewing Authority	Form No.	Conditions
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
10	Carrying on journey in or through any port in India	All [except III(f)(ii), III (g) (ii)]	Through- out India	District Magistrate	India or any specified part thereof.	No renewal.	XI	-
11	Transport	I (b), I (c), III [except (f)(ii) and (g) (ii)] IV, V, VI.	Through- out India	District Magistrate	-	No renewal	XII	-
12	Transport licence for dispatch of gun-barrels/ completed firearms for proof-test	III	Through- out India	District Magistrate	-	No renewal	XIII	-
13	Licence to Transporter	I(b), I(c), III [except	Through- out India	State Government	India or any specified	District Magistrate	XIV	-

		(f)(ii) and (g) (ii)] IV, V, VI			part thereof			
14	Import into, possession and transport out of India by Nepal Govt's forces and Police.	All	Nepal	Ambassador of India in Nepal	-	No renewal	XV	Subject to the confirmation by Central Government in the Ministry of Home Affairs
15	Firearm Free Zone	All	District	District Magistrate	Within the premises to be specified in the licence.	District Magistrate	XVI	

SCHEDULE III**PART – I
LICENCE FORMS****FORM - I****Licence for –****(A) Acquisition / Possession / Import and Transport of firearms or ammunition of categories I (a) and II of Schedule I; and****(B) Import of firearms and ammunition of Categories I(b) and I(c) of Schedule I**

UIN _____

Name, description and residence of licensee and (agent if any)	Number of packages	Description with specification of caliber of artillery or other articles	Number of articles	COLUMNS TO BE FILLED IN CASE OF IMPORT OR TRANSPORT			Period for which the licence is valid	Use to which the articles are to be put
				Place of despatch and route	Place of destination	Name, description and residence of consignee		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

The.....of.....20.....

Date on which a copy is sent vide rule (7) to –

The District Magistrate ofdistrict

The.....of.....20.....

(Signature)

(SEAL)

Secretary / Joint Secretary
to the Government of India
Ministry of Home Affairs
or
Signature and designation of the officer specially
empowered to sign the licence under Rule 5

FORM OF RENEWAL OF THE LICENCE

Date and year of renewal	Date on which renewed licence expires	Signature and designation of renewing authority	SEAL
1	2	3	4

CONDITIONS

In addition to the common conditions contained in rule 112 of these rules, this licence shall be subject to the following additional conditions –

1. This licence is granted subject to all the provisions of the Arms Act, 1959 and of the Arms Rules, 2016.
2. It covers only the arms and ammunition specified in columns 2, 3 and 4 and for the purposes shown in column 9.
3. In case of import or transport –
 - (a) an account of the contents of each package shall be legibly written thereon;
 - (b) bulk shall not be broken before the articles reach the place of destination;
 - (c) the articles shall be delivered only to a person lawfully entitled to receive them.
4. The licensee shall give prior intimation to the licensing authority concerned of his intention to break up or dispose of any firearms or ammunition or any part thereof; failing which proof of the articles having been broken up or disposed of, will have to be furnished to the satisfaction of the licensing authority.

FORM II

Licence for acquisition, possession and use of arms or ammunition of categories III (b), III (c), III (d), III (e), V or VI of Schedule I

UIN _____

Name, description and residence of licensee and agent (if any)	Number and description of arms	Ammunition		Place (with description) where articles are to be kept	Period for which the licence is valid
		Description	Quantity		
1	2	3	4	5	6

The.....of.....20

(Signature)

SEAL

Licensing Authority

Designation.....

Place

Form of Renewal of the Licence			
Date and year of renewal	Date on which renewed licence expires	Signature and designation of renewing authority	SEAL
1	2	3	4

CONDITIONS

In addition to the common conditions contained in rule 112 and specific safety conditions related to ingredients of ammunition contained in rule 113 of these rules, this licence shall be subject to the following additional conditions –

1. This licence is granted subject to all the provisions of the Arms Act, 1959 and of the Arms Rules, 2016.
2. It covers only the arms or ammunition specified in columns 2, 3 and 4, so long as they are kept in the place described in column 5, but does not authorise the licensee-
 - (i) to carry arms;
 - (ii) to keep Government arms or ammunition.
3. Where a licence in this form is granted for the possession of Potassium Chlorate by an educational institution, the following further conditions shall apply:
 - (a) The quantity of chlorate stored should be the minimum required for laboratory purposes as certified by the Head of the Institution to the licensing authority;
 - (b) The stock of chlorate possessed should be kept in a well-made cupboard or almirah under lock and key under the control and supervision of a responsible member of the staff and the place where the chemicals are kept should be adequately secured.;
 - (c) Accounts of issues and balances of chlorate possessed should be kept and checked with the actual stock at frequent intervals by a responsible member of the staff. The account book should be available for inspection on demand by any Magistrate or any Police Officer of a rank not below that of Inspector.

FORM III**Licence for the acquisition, possession, carrying and use of arms or ammunition for sport/target practice/protection/display of categories I(b), I(c), III, V, VI of Schedule I**

UIN	Serial No. of licence	Name, date of birth and residence of licensee	Arms and ammunition that the licensee is entitled to possess		
			Brief description of each weapon with details e.g. identification marks, manufacturer's serial number etc.	Quantity and description of each kind of ammunition	
				to be possessed at any one time	purchasable during the year
1	2	3	4	5	6

Area within which the licence is valid	Date on which the licence expires	Date on which the licence or the arms or both shall be produced for inspection before licensing authority under rule 18
7	8	9

The of 2000

Name (in capital)/Signature of the Licensing Authority

Designation

Place

SEAL

Or

Signature of the officer specially empowered to sign the licence under rule 5

Designation

Place

Retainer Particulars (in case of companies)		
1.	Name of the retainer	
2.	Father's name	
3.	Date of birth	
4.	Permanent address and nearest police station	

Note:- Photograph of the retainer to be affixed on the licence duly stamped and signed by the licensing authority

Form of Renewal of Licence				
Date and year of renewal	Date on which the renewed licence expires	Name (in capital) / signature and designation of the renewing authority	Signature and designation of the officer specially empowered to sign the licence under rule 5	SEAL
1	2	3	4	5

CONDITIONS

In addition to the common conditions contained in rule 112 of these rules, this licence shall be subject to the following additional conditions –

- (1) This licence is granted subject to all the provisions of the Arms Act, 1959, and of the Arms Rules, 2016.
- (2) It covers only the person named, and the arms or ammunition described therein.
- (3) The licensee shall acquire and produce the arms together with the licence, within the time limit granted or extended as specified in column 9, before the licensing authority. If within the period so specified or extended the licensee fails to acquire the arms and to produce the licence or the arms or both, as the case may be, the licence shall cease to be in force.
- (4) The licensee, at the time of purchasing any arms or ammunition shall cause the following particulars to be endorsed upon his licence under the vendor's signature, namely –
 - (a) the name, description and residence of the person who takes delivery of the articles purchased;
 - (b) the nature and quantity of the articles purchased; and
 - (c) the date of purchase,

and if the arms or ammunition are purchased from any person other than a licensed dealer, shall also cause the particulars specified in clauses (b) and (c) to be furnished in writing to the authority who granted this licence within such period as may be prescribed for this purpose by such authority.

- (5) The licensee shall not purchase ammunition of any kind in excess of the maximum prescribed both for the amount purchasable in a year and for the amount that may be possessed at any one time as laid down in rule 23. If, however, a licensee exhausts the total quantity of ammunition purchasable in a year earlier than the close of the year, he may for good and sufficient reasons be given a temporary increase in the total quantity purchasable at the discretion of the licensing authority:

Provided that a licensee may be permitted, to purchase ammunition from any authorised arms and ammunition dealer of a neighbouring State, by the concerned licensing authority for any reasons deemed appropriate by it and endorsement to this effect shall be made on the licence by such licensing authority.

- (6) Without prejudice to the voidance of this licence for breach of any of the foregoing conditions, it shall be void if-
 - (a) the licensee dies, or
 - (b) any weapon-covered thereby-
 - (i) is sold or transferred; or
 - (ii) is attached in execution of a decree;

Provided that where a weapon is sold or transferred, the licensing authority may permit the holder of the licence to acquire a fresh weapon of the same description within such period as may be specified by him in this behalf and subject to fulfillment of condition (3) mentioned above.

- (7) The licensee shall not carry any firearm to a firearm free zone licensed under these rules. Further, the licensee shall not carry a firearm in a public place unless the firearm is carried –

(a) in the case of a handgun –

(i) in a holster or similar holder designed, manufactured or adapted for the carrying of a handgun and attached to his person; or

(ii) in a rucksack or similar holder; or

(b) in the case of another firearm, in a holder designed, manufactured or adapted for the carrying of a firearm.

Further the firearm must be completely covered and the person carrying the firearm must be able to exercise effective control over such firearm.

- (8) The licensee shall not resort to brandishing of firearms in public place nor shall he carry or discharge a firearm in a built up area or any public place on the occasion of marriage, public assembly, fair or procession or any public event.
- (9) The licensee shall not point out any firearm, whether or not it is loaded or capable of being discharged, at any other person, without a good reason to do so.
- (10) The licensee shall ensure to keep his firearm in his possession at a secured place under lock and key when such firearm is not carried on his person or not under his direct control, however, he shall not deposit any firearm or ammunition in any bank locker.
- (11) The licensee shall in the event of any loss, theft or destruction of the arms licence or firearm shall report about such an event to the nearest police station within 24 hours after having become aware of the loss, theft or destruction of the licence or firearm.
- (12) The licensee shall submit the application for renewal of licence minimum sixty days prior to expiry of the validity period of his licence with the concerned licensing authority along with the payment of fees as applicable under Schedule IV.
- (13) Permission to possess Government arms or ammunition may be given by the licensing authority if empowered to do so by the Central Government by making an endorsement on the licence showing the Government arms or ammunition, which the licensee is authorised to possess.

Conditions for additional licences under rule 20

- (14) Additional licensee at the time of making an application for grant of an additional licence shall not hold any individual licence in his name. Further the additional licensee is not eligible to apply for an individual licence during the period he is an additional licensee.
- (15) The additional licensee is prohibited to acquire or purchase, sell or transfer, any arms and ammunition on his additional licence. Only the arms and ammunition endorsed on the parent licence may be got endorsed on the additional licence.
- (16) The period of validity and the area validity of the additional licence shall rank *pari-passu* with that of the parent licence. The validity of additional licence shall lapse with the parent licence and if in any eventuality the parent licence is suspended, revoked or cancelled, the additional licence shall also be subject to the same consequence.
- (17) In case the holder of additional licence shifts temporarily or permanently from the premises of the parent licensee, the additional licence shall automatically lapse and such additional licence shall have to be immediately surrendered to the licensing authority.

FORM III-A

Licence for possession and carrying by a retainer of an Exemptee of arms or ammunition for the purpose of sport/protection/display

UIN	Serial No. of licence	Name, description and residence of the person exempted under Section 41 of the Act, who has nominated the licensee	Name and residence of the licensee	Name and residence of parent of the licensee	Arms or ammunition that licensee is entitled to possess and carry		Area of validity of licence, i.e. throughout India, State or District	Date on which licence expires, or the date on which the person specified in column 3 ceases to be exempted under section 41 of the Act, (whichever is earlier)
					Brief description of each weapon with details, e.g. identification marks, manufacturer's serial No. etc.	Quantity and description of each kind of ammunition		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

The of200

Name (in capital)/Signature of the
Licensing Authority

SEAL

Designation _____

Place _____

Or

Signature of the officer specially empowered to sign the licence
under Rule 5

Designation _____

Place _____

Form of Renewal of Licence

Date and year of renewal	Date on which renewed licence expired	Name (in capital) / signature and designation of renewing authority	Signature and designation of the officer specially empowered to sign the licence under rule 5	SEAL
1	2	3	4	5

CONDITIONS

In addition to the common conditions contained in rule 112 of these rules, this licence shall be subject to the following additional conditions –

1. This licence is granted subject to all the provisions of the Arms Act, 1959, and of the Arms Rules, 2016.
2. It covers only the person named in column 4 of this licence and the arms or ammunition described in columns 6 and 7.
3. This licence shall only be granted to a person nominated in that behalf and certified to be his own retainer by a person exempted under section 41 of the Act, and it shall only be granted in respect of the arms or ammunition specified in this behalf by, and being the property of, such exempted person.
4. The grant/renewal of this licence is subject to the condition that it shall expire on the date on which the person specified in column 3 of this licence ceases to be exempted under section 41 of the Act where such date is earlier than the date on which it would otherwise expire in the normal course.
5. The licensee shall not carry any arms covered by this licence otherwise than in good faith for the purpose of sport/protection/display.

Passport size
photograph of
the retainer to
be attested by
the company

FORM III - B
Permit
to Retainers of Companies

Licensee Particulars		
1.	Name of the company	
2.	Address as appearing on the licence	
3.	Licence Number and UIN	
4.	Period of validity of the licence	<i>DD/MM/YYYY</i>
5.	Area validity of the Licence	
6.	Name of the responsible person with designation	
<i>The person whose particulars are detailed below is hereby appointed to be an armed retainer of the company entitling him to possess, carry and use, for all lawful orders issued by me, as a responsible person of the company, the arms or ammunition mentioned in column 10 and 11, covered by the licence of the company as mentioned in column 3.</i>		
Retainer Particulars		
7.	Name of the retainer	
8.	Father's Name	
9.	Address of the retainer and nearest police station	
10.	Details of the weapon entrusted to the retainer	
	Type	
	Caliber/Bore	
	Weapon Number	
11.	Quantity of Ammunition entrusted to the retainer	
12.	Validity of the Permit up to	<i>DD/MM/YYYY</i>

13.	Signatures of the retainer	
<i>The retainer mentioned in column 7 shall carry this permit with him when carrying the arms or ammunition and shall not carry the arms or ammunition to an area not covered by the licence</i>		

Stamp and Seal of the
Licensing Authority

Signature with stamp of the responsible person
signing on behalf of the company

FORM IV

*Composite licence for acquisition/ possession/ carrying and use of arms or ammunition for
destruction of wild animals which do injury to human beings or cattle and damage to crops*

UIN	Licence Number	Name, description and residence of the licensee	Arms and ammunition		Place or area within which the licence is valid	Period for which the licence is valid	Date on which the licence or the arms or both shall be produced for inspection before the licensing authority under rule 18	
			Brief description of each weapon with details e.g., manufacturer's serial no. and identification marks, if any	Quantity and description of each kind of ammunition				
				Maximum to be possessed at any one time	Maximum purchasable during the year			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
In case of destruction of wild animals which do injury to human beings or cattle				In case of protection against damage to crops				
Specification of the wild beasts which are permitted to be destroyed under this licence as per the permit granted under the Wild life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) to the licensee				Title and residence of Magistrate to whom the licence and the weapon(s) must be shown between the 15 th November and 31 st December of each year				
10				11				

The of 20....

SEAL

(Signature)

Licensing Authority
Designation

Place

FORM OF RENEWAL OF LICENCE			
Date and year of renewal	Date on which renewed licence expired	Signature and designation of renewing authority	SEAL
1	2	3	4

CONDITIONS

In addition to the common conditions contained in rule 112 of these rules, this licence shall be subject to the following additional conditions –

1. This licence is granted subject to –
 - (a) all the provisions of the Arms Act, 1959, and of the Arms Rules, 2016;
 - (b) the provisions of sections 11 and 39 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), or other relevant sections, as the case may be, in respect of the State and Union Territory where the said Act is applicable.
2. The licensee shall not carry any arms covered by this licence otherwise than in good faith for destruction of wild animals which do injury to human beings or cattle and damage to crops beyond the place or area entered in column 7.
3. The licensee shall not purchase or possess ammunition of any kind in excess of the maximum allowed under columns 5 and 6 of the licence subject to the maximum limits laid down in rule 23.
4. At the time of purchasing any arms or ammunition the licensee shall cause the following particulars to be endorsed upon his licence under the vendor's signature namely:
 - (a) the name, description and residence of the person who takes delivery of the articles purchased;
 - (b) the nature and quantity of the articles purchased; and
 - (c) the date of purchase;

and if the arms are purchased from any person other than a licensed dealer, he shall also cause the particulars specified in clauses (b) and (c) to be furnished, in writing, to the authority who granted this licence within such period as may be prescribed for this purpose by such authority.

5. The licensee shall acquire and produce the arms together with the licence, within the time limit granted or extended as specified in column 9, before the licensing authority. If within the period so specified or extended the licensee fails to acquire the arms and to produce the licence or the arms or both, as the case may be, the licence shall cease to be in force.
6. For licence granted for destruction of wild animals which do injury to human beings or cattle and damage to crops, the licensee shall produce this licence and every weapon covered thereby before the magistrate referred to in column 11, once every year, between the 15th November and the 31st December.
7. Further,
 - (a) The licensee shall not lend any arms or ammunition covered by this licence to any person;
 - (b) Where, after the end of any harvest season, the State Government considers it expedient that for the protection of wild life in any area, any firearm or ammunition licensed in this form should be deposited in a police station or with a licensed dealer, it may, by order, require any licensee to so deposit such firearm or ammunition for such period as the arms are not required for protection of crops and as may be specified therein, and thereupon the licensee shall be bound to comply with such order.
8. Without prejudice to the voidance of this licence for breach of any of the foregoing conditions, it shall be void if-
 - (a) the licensee dies; or

- (b) any weapon-covered thereby-
- (i) is sold or transferred, or
- (ii) is attached in execution of a decree:

Provided that where a weapon is sold or transferred, the licensing authority may permit the holder of the licence to acquire a fresh weapon of the same description within such period as may be specified by him in this behalf.

FORM V

Licence for acquisition, possession and use, for the purpose of sport/target practice, of firearms or ammunition

UIN	Serial Number of the licence	Name description and location of the mess, club or association or firing range	Arms and ammunition that the licensee is entitled to possess		Place within which the licence is valid	Date on which the licence expires	Date on which the licence or the arms or both shall be produced for inspection before the licensing authority under rule 18
			Maximum to be possessed at any one time	Maximum purchasable during the year			
1	2	3	4	5	6	7	8

Theof200

Name (in capital)/signature of the Licensing Authority

Designation

Place

SEAL

Or

Signature of the officer specially empowered to sign the licence under Rule 5

Designation

Place

FORM OF RENEWAL OF LICENCE

Date and year of renewal	Date on which renewed licence expired	Name (in capital) / signature and designation of renewing authority	Signature and designation of the officer specially empowered to sign the licence under rule 5	SEAL
1	2	3	4	5

CONDITIONS

In addition to the common conditions contained in rule 112 of these rules, this licence shall be subject to the following additional conditions –

1. This licence is granted subject to all the provisions of the Arms Act, 1959 and of the Arms Rules, 2016.

2. It covers only the mess, club, association or firing range named and the arms and ammunition described therein.
3. The licensee shall acquire and produce the arms together with the licence, within the time limit granted or extended as specified in column 8, before the licensing authority. If within the period so specified or extended the licensee fails to acquire the arms and to produce the licence or the arms or both, as the case may be, the licence shall cease to be in force.
4. The licensee shall, at the time of purchasing any arms or ammunition, cause the following particulars to be endorsed upon its licence under the vendor's signature, namely:
 - (a) the name, description and residence of the person who takes delivery of the articles purchased on behalf of the mess, club or association;
 - (b) the nature and quantity of the articles purchased; and
 - (c) the date of purchase;

and if the arms or ammunition are purchased from any person other than a licensed dealer, shall also cause the particulars specified in clauses (b) and (c) to be furnished in writing to the authority who granted this licence within such period as may be prescribed by that authority for this purpose.
5. No purchase of ammunition shall, however, be permitted except on a written certificate from the licensee certifying that with the amount proposed to be purchased, the total quantity of ammunition in his possession will not exceed the maximum which he is entitled to possess at any one time, or his total allowance for the year.
6. The mess, club, association or firing range shall not purchase or possess ammunition in excess of the quantities allowed under columns 4 and 5 of the licence or the maximum, which may, from time to time, be fixed by the Central Government for the amount purchasable in a year and for the amount that may be possessed at any one time. Proper inventory of ammunition acquired and consumed shall be maintained to include ammunition consumed for its own use and consumed by the registered members of such mess, club, association or firing range.

FORM V -A

AUTHORISATION LETTER		
<i>[to be issued by the lender under rule 36(4)]</i>		
Particulars of the Lender		
1.	Name of the lender dedicated sports person	
2.	UIN	
3.	Licence number	
4.	Period of validity of licence	
5.	Address as mentioned in the licence	
6.	Telephone/Mobile Number	
Particulars of the Borrower		
1.	Name of the borrower dedicated sports person	
2.	Parent /Spouse Name	
3.	Membership Number <i>(in case borrower is a registered member of rifle club or association)</i>	
4.	Residence address	

5.	Telephone/Mobile Number		
6.	Purpose of grant of Authorization (Training/Target-practice/ Sporting event)		
7.	Period for which the Authorisation is being issued (maximum period: 3 months)		
8.	Area within which the Authorization is valid		
9.	Name and address of the shooting range where the firearms and ammunition are to be carried		
Details of Arms and Ammunition which the Borrower is entitled to carry and use for training/target practice			
Particulars		Firearm 1	Firearm 2
<u>Detail of Firearms</u>			
Type			
Bore			
Number			
<u>Ammunition</u>			
Number of cartridges			
<u>Accessories</u>			

(Name and Signature of the lender)

FORM V - B

PASS TO MEMBER OF RIFLE CLUB/ASSOCIATION (to be issued on the printed letter head of club/association)	
Licensee particulars	
1.	Name of the rifle club/ association
2.	UIN
3.	Licence number
4.	Name of the responsible person
5.	Registered address
6.	Telephone/Mobile Number
Particulars of the Member to whom the Pass is being issued	
1.	Name of the Member
2.	Parent/Spouse Name
3.	Membership Number

4.	Residence address	
5.	Telephone/Mobile Number	
6.	Purpose of grant of Pass (Repair/Training / Target Practice/Sporting Event)	
7.	Period for which the Pass is being issued	
8.	Area within which the Pass is valid	
9.	Name and address of the gun-smith or the shooting range where the firearms and ammunition are to be carried	
Details of Arms and Ammunition which the Pass holder is entitled to carry for repair/training/target practice		
	Particulars	Firearm 1 Firearm 2 Firearm 3
	<u>Detail of Firearms</u>	
	Type	
	Bore	
	Number	
	<u>Ammunition</u>	
	Number of cartridges	
	<u>Accessories</u>	

To be signed/stamped by the responsible person
on behalf of the shooting club/association

FORM VI

TEMPORARY IMPORT/EXPORT LICENCE

Licence Number _____

*Category of licensee as applicable	Name and description of licensee, nationality and passport number of the licensee or group leader or manager of the sporting team/group	Arms or ammunition that the licensee of category mentioned in column (1) is entitled to possess and carry		Place of arrival in India	Place of departure from India	Period for which the licence is valid
		Brief description of each weapon	Quantity and description of each kind of ammunition			
1	2	3	4	5	6	7

The....of....20.....

(SEAL)

(Signature)

Licensing Authority
Designation
Place

*Categories of licensees as per column 1 above

Category	Type of licence	Category of arms specified in Schedule I
(a)	that sports person (s) is/are entitled to import into, possession, use (for shooting sport events), journey in, transport across and export out of India for the duration of the shooting sport event or till the validity of visa, whichever is earlier	III
(b)	that tourist is entitled to acquire/ possess (but not use) during the course of his stay in / carrying in / export out of India	III, IV, V (Made in India)
(c)	that a foreign visitor is entitled to import into, possession, display at a trade or sport show and export out of India	III
(d)	that an official of a foreign government or a distinguished foreign visitor or a foreign law enforcement officer with the prior approval of MEA is entitled to import into, possess, carry and export out of India	III
(e)	that a legitimate person with the prior approval of Central Government is entitled to import into, possess, carry and export out of India	III

CONDITIONS

1. This licence is granted subject to all the provisions of the Arms Act, 1959 and of the Arms Rules, 2016.
2. It covers only the persons named, and the arms or ammunition described therein.
3. On arrival at any Indian port, the licence together with the passport/visa, shall be presented to the licensing authority of the port of arrival, along with an undertaking from the licensee that the arms or ammunition endorsed on the licence shall not be sold or transferred to any person during his stay in India, wherein an entry to this effect shall also be made by the licensing authority in the passport/visa giving full particulars of the arms and ammunition for which the licence has been granted.
4. The licensee shall not, unless specially empowered in this behalf by the authority granting the licence, carry arms or ammunition to a fair, religious procession or other public assemblage or within the campus or precincts of any educational institution or any firearm free zone while and during his stay in India.
5. The licensee shall –
 - (a) on demand by any magistrate, police officer or any authorised officer produce the firearms covered by this licence;
 - (b) forthwith give information at the nearest police station of the loss or theft of any arms or ammunition covered by the licence.

The licensee, while in India, is prohibited to sell or transfer any arms or ammunition or part thereof covered by this licence, to any person.

6. The licensee shall produce the firearm at the time of leaving India and return his licence to the passport-checking authority or other officer empowered by the district magistrate in this behalf at the port or other place of departure from India.
7. Export of category IV arms shall be allowed only if the application is accompanied by a certificate from the Director-General of Archaeology of the Central Government to the effect that the arms intended to be exported do not fall within the definition of “antiquity” under the Antiquities and Art Treasures Act, 1972 (52 of 1972).

FORM VII**I****Licence for****Manufacture**☐**Proof Test**☐**Manufacture and Proof Test**☐**of****Firearms/Ammunition**
UIN _____ **Licence Number** _____

Name, description and business address of licensee	Description of firearms allowed to be manufactured		Description of ammunition allowed to be manufactured		Categories of firearms allowed to be proof-tested	Name of range or other place where allowed to test	Date on which the licence expires
	Category	Annual production (Number)	Category	Annual production (Number or Weight in Kgs.)			
1	2	3	4	5	6	7	8

The.....of.....20.....

Date on which a copy is sent vide rule 7(2) to –

The District Magistrate ofdistrict

The State Government of

The.....of.....20.....

(Signature)

 Secretary / Joint Secretary
 to the Government of India
 Ministry of Home Affairs

or

 Signature and designation of the officer specially empowered
 to sign the licence under Rule 5

(SEAL)

FORM OF RENEWAL OF LICENCE			
Date and year of renewal	Date on which the renewed licence expires	Signature and designation of renewing authority	SEAL
1	2	3	4

Conditions

- This licence is granted subject to all the provisions of the Arms Act, 1959 and of the Arms Rules, 2016.
 - This licence entitles the licensee to manufacture or proof-test firearms or ammunition as specified in column 3 and 5 respectively.
- The licensee shall be required to construct the factory premises, set-up plant and machinery within 7 years of the grant of licence.
- The licensee is permitted to conduct trial runs and develop proto-types within the initial validity period of licence.

4. The licensee should preferably be self-sufficient in areas of product design and development and should have maintenance and life cycle support facility of the product to be manufactured or proof-tested.
5. The standards and testing procedures for firearms and ammunition to be produced under licence from foreign collaborators or from indigenous research and development shall be provided by the licensee to the Government nominated Quality Assurance Agency, which will inspect the finished product in the trial run and conduct surveillance and audit of the Quality Assurance Procedures before the licensee applies for permission for commencement of commercial production.
6. The licensee setting up a new manufacturing or proof test facility shall fully comply with the security conditions contained in the Security Manual prepared by the Department of Defence Production, Ministry of Defence before filing intimation for commencement of commercial production for manufacture of firearms and ammunition.
 - (a) This licence entitles the licensee to take any arms or ammunition for testing to an accredited shooting range with prior permission of the licensing authority.
 - (b) This licence is valid only so long as the licensee carries on the manufacture and/or proof-test in the premises shown in column 1 thereof, and will *ipso facto* lapse if the business is discontinued for a continuous period exceeding six months.
 - (c) The licensee shall not enter into any partnership connected with this licence without the approval of the licensing authority.
7. The licensee shall maintain registers of all arms manufactured or proof-tested, of all ammunition manufactured, or transferred, of all stock in hand, and of all sales, showing the particulars in such forms as prescribed in the rules. Further, the licensee shall carry on the work of proof testing and stamp proof-marks on the firearms, which are proved, in accordance with rule 59 of these rules.
8. The licensee shall make available for inspection his stock and his registers on the demand of any magistrate or any police officer of a rank not below that of Inspector, or, if the Central Government so directs, of Sub-Inspector.
9. The licensee shall affix on a conspicuous part of his place of business and factory a signboard on which shall be painted in large letters in English / Hindi and in the language of the district his name and the words "Licensed to manufacture and/or proof test Firearms and Ammunition"
10. The licensee shall not manufacture firearms and ammunition of any category or description other than those allowed to be manufactured under column 2 and 4; nor expand his business, except with the prior permission of the Central Government and subject to such conditions as may be prescribed by the Central Government.
11. The licensee shall not sell to anyone any firearm manufactured by him unless such firearm -
 - (a) is duly proof-tested at a Government establishment or a proof house licensed under these rules or in case of a composite licence proof-tested in house;
 - (b) bears proof-mark; and
 - (c) bears identification marks required by rule 58.
12. The licensee shall not sell firearms or ammunition elsewhere than at the place of business or factory specified in column 1.
13. The licensee shall at the time of sale or transfer of a firearm enter in his register the manufacturer's serial number and other identification marks, if any, stamped on the fire-arm at the time of manufacture or otherwise.

- 14 The licensee shall give information of all sales or transfers of arms and ammunition, to such persons and in such manner as the Central Government may direct.
- 15 The licensee shall not sell or transfer any quantity of ammunition to any person licensed to possess or carry arms or ammunition without his first obtaining a written certificate from such person to the effect that, with the quantity of ammunition proposed to be purchased by him, the total quantity in his possession will not exceed the maximum quantity which he is entitled to possess at any one time or his total allowance for the year:

Provided that he shall not, in any case, sell or transfer to any person any quantity of ammunition in excess of the maximum which may be fixed by the Central Government for such person or which is endorsed on such person's licence.

- 16 The licensee shall, at the time of sale or transfer of any arms or ammunition to a person holding a licence in Form III, Form IV or Form V endorse on the licence -
- (a) the name, description and residence of the person who takes delivery of the articles sold or transferred,
 - (b) the nature and quantity of the articles sold or transferred, and
 - (c) the date of sale or transfer; and
- shall sign the endorsement (and affix his seal).
- 17 The licensee shall not sell firearms and ammunition to an officer, non-commissioned officer or soldier of the armed forces of the Union, unless such person produces a written pass or permit signed by his Commanding Officer, and then only to the extent and on the conditions specified in such pass or permit.

Conditions related to Inventory Management System as per rule 56(5)

1.1 Separation of powers

Checks and balances should be put in place to ensure that personnel involved in the management of manufacturing of arms and ammunition facility do not simultaneously hold responsibilities that would make it easier for them to steal or otherwise divert firearms while hiding their malfeasance from view.

For example, -

- (a) the same personnel should not be responsible simultaneously for conducting storekeeping, accounting and auditing functions;
- (b) personnel responsible for physically verifying the transfer of firearms should not be responsible for compiling the physical records of the firearm transfers;
- (c) Personnel responsible for firearms accounting should not participate in stock checks without the direct supervision of storage personnel;
- (d) Regular external audits of firearms stocks should be carried out by independent bodies.

1.2 Firearms Account

An account shall be maintained at each manufacturing facility that records the following information for each firearm in storage:

- (a) make;
- (b) model;
- (c) caliber;
- (d) serial number;
- (e) date entered into finished stock;
- (f) date transferred/sold/exported;
- (g) record of modifications and/or repairs; and
- (h) overall quantity of firearms, disaggregated by type.

The firearms account should be in electronic form and shall be 'backed up'. Backups should be in both electronic and hard copy, but may be only in hard copy. In addition uploading of data on NDAL for the current week transactions is mandatory by the close of business hours on every Saturday. Whatever form the backups take, they shall be stored separately from the original and from each other in order to prevent the loss of all data in the event of theft, fire, etc. at the weapons accounting office. Firearms accounts should be kept indefinitely.

1.3 Issue of firearms

Only authorised officials shall remove firearms and ammunition from manufacturing unit's storage areas. A system to positively identify and authenticate persons authorised to remove firearms from storage areas shall be developed and implemented.

Such a system should include a register or log, which can be easily cross- referenced with the firearms account that records at least the following information:

- (a) name and signature of individual removing firearm(s);
- (b) date and time of issue and return of firearm(s);
- (c) make, model and serial number of firearm(s) removed and returned; and
- (d) purpose of removal of firearm(s).

1.4 Stock checks

The contents of firearms stock shall be verified on a regular basis against the firearm account, specifically, -

- (a) a physical stock check by quantity and type of firearms should be conducted –
 - every day in the case of smaller volume manufacturing unit;
 - every week in the case of larger volume manufacturing unit.
- (b) a physical stock check by serial number should be conducted on at least 10% of the firearms in stock –
 - every week in the case of smaller volume manufacturing unit, and
 - every month in the case of larger volume manufacturing unit
- (c) a 100% physical stock check by quantity, type and serial number should be conducted –
 - every six months, regardless of the quantity of firearms in storage, and
 - whenever the custody of keys is permanently transferred between an in-coming and outgoing key custodian.

1.5 Reporting of losses and investigations

Any suspected loss or theft of a firearm shall immediately be reported to the appropriate authority, which should immediately instigate an independent investigation by an individual or organisation unconnected with the firearms management system.

An investigation report should be compiled, including the following information:

- (a) identity of the firearm, including its
 - (1) make,
 - (2) model,
 - (3) caliber,
 - (4) serial number

- (b) date, location and unit involved;
- (c) summary of circumstances of loss;
- (d) explanation of loss (e.g. negligence, theft, etc.);
- (e) disciplinary and/or criminal action taken;
- (f) recommendations to prevent a reoccurrence;
- (g) date and location of recovery of the firearm(s) (if applicable);
- (h) summary of circumstances of recovery (if applicable)

The identity of lost or stolen firearms, as set out in (a) above, shall be recorded and retained in NDAL system in order to facilitate their timely identification upon recovery.

When processing inventory adjustments, no firearm loss shall be attributed to an accounting or inventory discrepancy unless an investigation has determined that the loss was not a result of theft.

1.6 Determination of surplus stocks

It is the prerogative of the manufacturing units to review the types and numbers of firearms with a view to determining the types and numbers of firearms that have become surplus to national/international requirements.

Surplus stocks are understood as functioning firearms (including their parts, components and ammunition) that are no longer required by the armed services of the State in order to ensure internal and external security nor could be exported to legitimate buyers. Firearms determined to be surplus should be -

- (a) officially declared as surplus;
- (b) recorded as surplus in the firearms account;
- (c) taken out of service;
- (d) stored separately; and
- (e) destroyed in accordance with the guidelines

FORM VII -A

Licence to manufacture, sale, transfer, keeping for sale, transfer arms and ammunition of category V of Schedule I

UIN	Licence number	Name, description and business address of licensee	Description of arms allowed to be manufactured (category V only)		Date on which the licence expires
			Category of arms	Annual production (Number)	
1	2	3	4	5	6

The of..... 20 (SEAL)

(Signature)

Licensing Authority _____ or
Specially empowered officer to
sign the licence under rule (5)

Designation _____

Place _____

FORM OF RENEWAL OF LICENCE			
Date and year of renewal	Date on which the renewed licence expires	Signature and designation of the renewing authority	SEAL
1	2	3	4

CONDITIONS

1. (a) This licence is granted subject to all the provisions of the Arms Act, 1959 and of the Arms Rules, 2016.
 (b) This licence is valid only so long as the licensee carries on the trade or business in the premises shown in column (3) thereof, and will *ipso facto* lapse if the business is discontinued for a continuous period exceeding six months.
 (c) The licensee shall not enter into any partnership connected with this licence without the approval of the licensing authority.
2. The licensee shall not sell or transfer any arms of category V to a person residing in an area to which section 4 of the Act applies, unless the said person produces a licence, or is exempted from the obligation to take out a licence, to acquire, possess or carry such arms in that area.
3. The licensee shall maintain registers of all arms and ammunition manufactured, or transferred, of all stock in hand, and of all sales, showing the particulars in such forms as may be prescribed for the purpose by the Central Government under rule 86.
4. The licensee shall make available for inspection his stock and his registers on the demand of any magistrate or any police officer of a rank not below that of Inspector, or, if the Central Government so directs, of Sub-Inspector.
5. The licensee shall affix on a conspicuous part of his place of business, factory or shop a signboard on which shall be painted in large letters in English / Hindi and in the language of the district his name and the words "Licensed to manufacture /transfer / sell arms or ammunition of Category V".
6. The licensee shall not manufacture arms of any category or description other than those allowed to be manufactured under column (4).

FORM VII -B**Licence to manufacture, sale, transfer, keeping for sale, transfer replicas of firearms**

UIN	Licence number	Name, description and business address of licensee	Description of replicas of firearms allowed to be manufactured		Date on which the licence expires
			Category of arms	Annual production (Number)	
1	2	3	4	5	6

The of..... 20 (SEAL)

(Signature)

Licensing Authority _____ or
 Specially empowered officer to
 sign the licence under rule (5)

Designation _____

Place _____

FORM OF RENEWAL OF LICENCE			
Date and year of renewal	Date on which the renewed licence expires	Signature and designation of the renewing authority	SEAL
1	2	3	4

CONDITIONS

1. (a) This licence is granted subject to all the provisions of the Arms Act, 1959 and of the Arms Rules, 2016.
 (b) This licence is valid only so long as the licensee carries on the trade or business in the premises shown in column (3) thereof, and will *ipso facto* lapse if the business is discontinued for a continuous period exceeding six months.
 (c) The licensee shall not enter into any partnership connected with this licence without the approval of the licensing authority.
2. The licensee shall maintain registers of all arms and ammunition manufactured, or transferred, of all stock in hand, and of all sales, showing the particulars in such forms as prescribed under rule 70.
3. The licensee shall make available for inspection his stock and his registers on the demand of any magistrate or any police officer of a rank not below that of Inspector, or, if the Central Government so directs, of Sub-Inspector.
4. The licensee shall affix on a conspicuous part of his place of business, factory or shop a signboard on which shall be painted in large letters in English / Hindi and in the language of the district his name and the words "Licensed to manufacture /transfer / sell replicas of firearms".
5. The licensee shall not manufacture replicas of arms of any category or description other than those allowed to be manufactured under column (4).

FORM VII - C**Licence to manufacture, sale, transfer, keeping for sale, transfer air weapons including air rifles and air pistols**

UIN	Licence number	Name, description and business address of licensee	Description of air weapons allowed to be manufactured		Date on which the licence expires
			Types of air weapons with muzzle energy and calibers	Annual production (Number)	
1	2	3	4	5	6

The of..... 20 (SEAL)

(Signature)

Licensing Authority _____ or

Specially empowered officer to
sign the licence under rule (5)

Designation _____

Place _____

FORM OF RENEWAL OF LICENCE			
Date and year of renewal	Date on which the renewed licence expires	Signature and designation of the renewing authority	SEAL
1	2	3	4

CONDITIONS

1. (a) This licence is granted subject to all the provisions of the Arms Act, 1959 and of the Arms Rules, 2016.
(b) This licence is valid only so long as the licensee carries on the trade or business in the premises shown in column (3) thereof, and will *ipso facto* lapse if the business is discontinued for a continuous period exceeding six months.
(c) The licensee shall not enter into any partnership connected with this licence without the approval of the licensing authority.
2. The licensee shall not sell or transfer any air weapons including air rifles and air guns having muzzle energy more than 20 joules or 15 ft-lbs and/or bore more than 0.177" or 4.5 mm to a person, unless the said person produces a licence, or is exempted from the obligation to take out a licence, to acquire, possess or carry such air weapons.
3. The licensee shall not sell or transfer any air weapons including air rifles and air guns having muzzle energy less than 20 joules or 15 ft-lbs and/or bore less than 0.177" or 4.5 mm to a person, without first obtaining an identification proof and residence proof from the said buyer thereof.
4. The licensee shall maintain registers of all air weapons manufactured, or transferred, of all stock in hand, and of all sales, showing the particulars in such forms as specified in rule 65.
5. The licensee shall make available for inspection his stock and his registers on the demand of any magistrate or any police officer of a rank not below that of Inspector, or, if the Central Government so directs, of Sub-Inspector.
6. The licensee shall affix on a conspicuous part of his place of business, factory or shop a signboard on which shall be painted in large letters in English / Hindi and in the language of the district his name and the words "Licensed to manufacture /transfer / sell air weapons".
7. The licensee shall not manufacture air weapons of any type or description other than those allowed to be manufactured under column (4).

Form VIII**Composite licence for arms and ammunition dealers**Dealer Licen ☐Deposit of Arms ☐

Serial No. of licence _____ UIN _____

Date and year on which the licence expires ____/____/____

Name, description and business address of the licensee	Description and number of arms		Description and quantity of ammunition		Name of the accredited shooting range where allowed to test
	To be sold or kept for sale etc.	To be deposited for safe custody under rule 48 or under section 21	To be sold or kept for sale etc.	To be deposited for safe custody under rule 48 or under section 21	
1	2	3	4	5	6

The of..... 20 (SEAL)

(Signature)

Licensing Authority _____ or

Specially empowered officer to sign the licence under rule (5)

Designation _____

Place _____

FORM FOR RENEWAL OF THE LICENCE			
Date and year of renewal	Date on which the renewed licence expires	Signature, designation of the renewing authority or specially empowered officer	SEAL
1	2	3	4

CONDITIONS

1. (a) This licence is granted subject to all the provisions of the Arms Act, 1959 and of the Arms Rules, 2016;
- (b) This licence entitles the dealer to take any arms or ammunition for testing or firing for demonstration to an accredited shooting range only after obtaining prior permission of the licensing authority;
- (c) This licence is valid only so long as he carries on the trade or business at the premises shown in column 1 thereof, and will *ipso facto* lapse if the business is discontinued for a continuous period exceeding six months.
2. The licensee shall maintain registers of all arms and ammunition in stock and deposit; and of all sales showing the particulars in such manner and forms as laid down in the rule 75.
3. The licensee shall make available for inspection his stock and his registers on the demand of any magistrate or any police officer of a rank not below that of Inspector, or, if the Central Government so directs, of Sub-Inspector.
4. The licensee shall affix on a conspicuous part of his place of business or shop, a signboard, on which shall be painted in large letters in English/Hindi and in the local language his name and the words "Licensed to sell/transfer arms and ammunition as per the category of the licence granted".
5. The licensee shall not sell the arms or ammunition covered by the licence, elsewhere than at the place of business specified in column 1.
6. The licensee shall at the time of sale or transfer of any arms or ammunition to a person holding a licence in Form II, Form III, Form IV and Form V endorse on the licence-
 - (a) the name, description and residence of the person who takes delivery of the articles sold or transferred;
 - (b) the nature and quantity of the articles sold or transferred; and
 - (c) the date of sale or transfer;
 and shall sign the endorsement and affix his seal.
7. The licensee shall at the time of sale or transfer of a weapon enter in his register, the manufacturer's serial number and other identification marks, if any, stamped on the firearm at the time of manufacture or otherwise.
8. The licensee shall give information of all sales or transfers of arms and ammunition, to such person and in such manner as the Central Government may direct.
9. The licensee shall not sell or transfer ammunition to any person, licensed to possess or carry arms, without his first obtaining a written certificate from such person to the effect that, with the quantity of ammunition proposed to be acquired by him, the total quantity of ammunition in his possession shall not exceed the maximum quantity which he is entitled to possess at any one time or his total allowance for the year:

Provided that he shall not in any case sell or transfer to any person any quantity of ammunition in excess of the maximum which may be fixed by the Central Government for such person or which is endorsed on such person's licence.
10. Subject to the other conditions contained herein, no licensee shall, without reasonable cause, refuse to sell arms or ammunition to any person who is entitled to purchase or acquire such arms or ammunition under the provisions of the Arms Act, 1959 or the Arms Rules, 2016.

11. During any period when the licensed premises are closed for business purposes, all firearms and ammunition, which are on the premises, must be locked in a strong room or safe, for safe custody of firearms.
12. During any period when the licensed premises are open for business or any other purpose, firearms and ammunition which are not displayed must be locked in a strong room or safe for safe custody of firearms.
13. The licensee may display firearms or ammunition during the business hours, however displayed firearms must be unloaded and in the case of handguns, locked in a display counter or cabinet that prevents the unauthorised access to the handguns displayed therein and in the case of other firearms excluding handguns, must be rendered inoperable by means of a secure locking device or securely attached with a metal attachment to a non-portable structure in such a manner that it cannot readily be removed. Further the firearm shall not be displayed with ammunition that can be discharged from it.
14. The dealer may not at any time display or exhibit any firearms, and ammunition in any showcase or show-window which directly goes out on or overlooks any public street, road, thoroughway or public place where to the general public has access, or permit it to be displayed or exhibited or cause it to be so displayed or exhibited.
15. The dealer and all persons employed by the dealer must be conversant with the provisions of the Arms Act, 1959 and the Arms Rules, 2016 and shall undergo the prescribed training for weapon handling and safe storage as mentioned in rule 10 and will ensure that –
 - (i) during business hours proper control is, at all times, exercised over all the firearms and ammunition;
 - (ii) the prescribed registers are properly maintained;
 - (iii) every reasonable precaution is taken against the loss or theft of the firearms and ammunition.

Conditions applicable on arms and ammunition kept for safe custody and under section 21

16. It covers only arms or ammunition of the description given in column 3 and 5 so long as they are kept in place described in column 1, but does not authorise the licensee to carry arms.
17. The licensee shall maintain separate registers of all arms or ammunition deposited with him under this licence –
 - (i) under Section 21 of the Act, and
 - (ii) for safe custody otherwise than under Section 21 of the Act, showing particulars in such forms and manner as laid down in sub-rule (3) of rule 76 of these rules.
18. The licensee shall not receive for deposit arms or ammunition without verifying –
 - (a) that they are not being deposited with any *mala fide* intention; and
 - (b) in case they are being deposited otherwise than under Section 21 of the Act, that they are covered by a valid licence issued under these rules.
19. On the expiry of the period prescribed for forfeiture of the arms or ammunition deposited, the licensee shall deposit them in the malkhana of the district or such other place as may be specified by the State Government for the purpose.

Form VIII-A**Licence for air weapon dealers**

Serial No. of the licence	U.I.N.	Name, description and business address of the licensee	Description and number of air weapons to be sold or kept for sale	Description and quantity of ammunition for air weapons to be sold or kept for sale	Date and year on which the licence expires
1	2	3	4	5	6

The of..... 20 (SEAL)

(Signature)

Licensing Authority _____ or

Specially empowered officer to
sign the licence under rule (5)

Designation _____

Place _____

FORM FOR RENEWAL OF THE LICENCE

Date and year of renewal	Date on which the renewed licence expires	Signature, designation of the renewing authority or specially empowered officer	SEAL
1	2	3	4

CONDITIONS

- This licence is granted subject to all the provisions of the Arms Act, 1959 and of the Arms Rules, 2016;
 - This licence is valid only so long as the licensee carries on the trade or business at the premises shown in column (3) thereof, and will *ipso facto* lapse if the business is discontinued for a continuous period exceeding six months.
- The licensee shall maintain registers of all arms and ammunition in stock and deposit; and of all sales showing the particulars in such manner and forms as laid down in the rule 85.
- The licensee shall make available for inspection his stock and his registers on the demand of any magistrate or any police officer of a rank not below that of Inspector, or, if the Central Government so directs, of Sub-Inspector.
- The licensee shall affix on a conspicuous part of his place of business or shop, a signboard, on which shall be painted in large letters in English/Hindi and in the local language his name and the words "Licensed to sell/transfer air weapons".
- The licensee shall not sell the arms or ammunition covered by the licence, elsewhere than at the place of business specified in column (3).
- The licensee shall not sell or transfer any air weapons including air rifles and air guns having muzzle energy less than 20 joules or 15 ft-lbs and/or bore less than 0.177" or 4.5 mm to a person, without first obtaining an identification proof and residence proof from the said buyer thereof.

7. The licensee shall at the time of sale or transfer of an air weapon enter in his register, the manufacturer's serial number and other identification marks, if any, stamped on the air weapon at the time of manufacture or otherwise.
8. The licensee shall give information of all sales or transfers of air weapons, to such person and in such manner as the Central Government may direct.
9. Subject to the other conditions contained herein, no licensee shall, without reasonable cause, refuse to sell air weapons or their ammunition to any person who is entitled to purchase or acquire such air weapons or ammunition under the provisions of the Arms Act, 1959 or the Arms Rules, 2016.
10. During any period when the licensed premises are closed for business purposes, all air weapons and ammunition, which are on the premises, must be locked under lock and key or a safe, for safe custody of firearms.
11. During any period when the licensed premises are open for business or any other purpose, air weapons and ammunition which are not displayed must be locked under lock and key or a safe for safe custody.
12. The licensee may display air weapons or ammunition during the business hours, however displayed air weapons must be unloaded and in the case of air pistols, locked in a display counter or cabinet that prevents the unauthorised access to the air pistols displayed therein and in the case of other air weapons excluding air pistols, must be rendered inoperable by means of a secure locking device or securely attached with a metal attachment to a non-portable structure in such a manner that it cannot readily be removed. Further the air weapons shall not be displayed with ammunition that can be discharged from it.

Form IX**Licence to gunsmiths to convert, shorten, repair (major) or test (other than proof-test) or keeping for conversion, repair (major) or test (other than proof test) of firearms**

UIN _____ Licence Number _____

Name, description and business address of licensee	Description of firearms allowed to be converted, shortened, repaired (major), tested (other than proof-test) or to be kept for conversion, shortening, repair (major) or test (other than proof-test)		Description of ammunition allowed to be possessed for testing the firearms repaired and Description of ammunition allowed to be converted		Date on which the licence expires
	Category	Quantity (Number)	Category	Quantity (Number or Weight in Kgs.)	
1	2	3	4	5	6

The of..... 20 (SEAL)

(Signature)

Licensing Authority _____ or

Specially empowered officer to sign the licence under rule (5)

Designation _____

Place _____

FORM OF RENEWAL OF LICENCE			
Date and year of renewal	Date on which the renewed licence expires	Signature and designation of the renewing authority	SEAL
1	2	3	4

CONDITIONS

1. (a) This licence is granted subject to all the provisions of the Arms Act, 1959 and of the Arms Rules, 2016;
- (b) This licence is valid only so long as he carries on the trade or business at the premises shown in column 1 thereof, and will *ipso facto* lapse if the business is discontinued for a continuous period exceeding six months.
- (c) The licensee shall not enter into any partnership connected with this licence without the approval of the licensing authority.
2. The licensee shall maintain registers of all arms and ammunition converted or shortened or repaired (major) showing the particulars in such forms as prescribed under rule 82 of these rules.
3. The licensee shall make available for inspection his registers on the demand of any magistrate or any police officer of a rank not below that of Inspector, or, if the Central Government so directs, of Sub-Inspector.
4. The licensee shall affix on a conspicuous part of his place of business, factory or shop a signboard on which shall be painted in large letters in English / Hindi and in the language of the district his name and the words "Licensed to convert/shorten and repair (major) arms and ammunition".
5. The licensee shall not convert, shorten or repair (major) arms and/or ammunition of any category or description other than those allowed under column 2 and 4.
6. The licensee shall not convert/shorten/repair (major) arms or ammunition elsewhere than at the place of business or factory specified in column 1.
7. This licence entitles the licensee to fabricate components and parts of firearms for the purpose of repair of firearms of the categories shown in column 2, but does not entitle him to manufacture such components or parts for the purpose of or utilised for assembling into complete arms or ammunition. Conversion of arms of restricted category [Category I(b) and I(c)] and of obsolete caliber weapons, which have gone out of production or for which no ammunition is readily available, into permissible category arms is allowed under this licence subject to the prior permission of the licensing authority. Replacement of barrels of weapons falling under major repair is also permissible subject to condition 8.
8. The licensee shall not shorten the barrel of any firearm to less than 20 inches in any case.
9. This licence does not entitle the licensee to convert blank cartridges or any ammunition having no projectile into single/multiple projectile ammunition or to load or re-load any ammunition.
10. During any period when the licensed premises are closed for business purposes, all firearms and ammunition, which are on the premises, shall be locked in a strong room or safe for safe custody of firearms.
11. During any period when the licensed premises are open for business or any other purpose, firearms and ammunition which are not displayed shall be locked in a strong room or safe for safe custody of firearms.
12. The licensee may display firearms on which he has performed work in accordance with the provisions of arms rules, in order to promote his craftsmanship, however displayed firearms must be unloaded and in the case of handguns, locked in a display counter or cabinet that prevents the unauthorised access to the handguns displayed therein.
13. The licensee may only deactivate a firearm with the prior consent of the licensing authority.
14. The licensee is allowed to employ a person as an apprentice if such person is registered for such an apprenticeship under the labour laws applicable in India and must exercise personal control or supervision over such apprentice who performs any work on a firearm.

15. The licensee shall ensure the establishment of the approved safe or strong-room before commencement of business under the licence granted to him.

Form IX-A**Licence to gunsmiths to repair (minor) or test (other than proof-test) or keeping for repair (minor) or test (other than proof test) of firearms**

UIN _____ Licence Number _____

Name, description and business address of licensee	Description of firearms allowed to be repaired (minor) or to test (other than proof test) or keeping for repair (minor) or test (other than proof test)		Description of ammunition allowed to be possessed for testing the firearms repaired (minor)		Date on which the licence expires
	Category	Quantity (Number)	Category	Quantity (Number or Weight in Kgs.)	
1	2	3	4	5	6

The of..... 20 (SEAL)

(Signature)

Licensing Authority _____ or

Specially empowered officer to sign the licence under rule (5)

Designation _____

Place _____

FORM OF RENEWAL OF LICENCE

Date and year of renewal	Date on which the renewed licence expires	Signature and designation of the renewing authority	SEAL
1	2	3	4

CONDITIONS

- (a) This licence is granted subject to all the provisions of the Arms Act, 1959 and of the Arms Rules, 2016.
 - (b) This licence is valid only so long as the licensee carries on the trade or business in the premises shown in column 1 thereof, and will *ipso facto* lapse if the business is discontinued for a continuous period exceeding six months.
 - (c) The licensee shall not enter into any partnership connected with this licence without the approval of the licensing authority.
- The licensee shall maintain registers of all arms and ammunition repaired (minor) showing the particulars in such forms as prescribed under rule 82 of these rules.
- The licensee shall make available for inspection his registers on the demand of any magistrate or any police officer of a rank not below that of Inspector, or, if the Central Government so directs, of Sub-Inspector.

4. The licensee shall affix on a conspicuous part of his place of business, factory or shop a signboard on which shall be painted in large letters in English / Hindi and in the language of the district his name and the words "Licensed to repair (minor) arms and ammunition".
5. The licensee shall not shorten the barrel of any firearm to less than 20 inches in any case.
6. During any period when the licensed premises are closed for business purposes, all firearms and ammunition, which are on the premises, shall be locked in a strong room or safe for safe custody of firearms.
7. During any period when the licensed premises are open for business or any other purpose, firearms and ammunition which are not displayed shall be locked in a strong room or safe for safe custody of firearms.
8. The licensee may display firearms on which he has performed work in accordance with the provisions of arms rules, in order to promote his craftsmanship, however displayed firearms must be unloaded and in the case of handguns, locked in a display counter or cabinet that prevents the unauthorised access to the handguns displayed therein.
9. The licensee is allowed to employ a person as an apprentice if such person is registered for such an apprenticeship under the labour laws applicable in India and must exercise personal control or supervision over such apprentice who performs any work on a firearm.
10. The licensee shall ensure the establishment of the approved safe or strong-room before commencement of business under the licence granted to him.

Form X**COMPOSITE IMPORT/EXPORT LICENCE FOR
ARMS AND AMMUNITION**

Import ☐ Export ☐ Export for Re-import ☐ In Transit ☐ ☐

Category of Item as per Schedule I - (please specify) _____

Licence No.		UIN	
Port of Import		Port of Export	

1.	Name, description and address of the licensee	
2.	Name, description and address of agent (if any) authorised for the purpose of this consignment	
3.	Number of packages	
4.	ARMS	
	Description	
	Quantity	
5.	AMMUNITION	
	Description	
	Weight (in Kgs) or Number	
6.	Purpose for which required	
7.	In case of Import, place where articles ported imported stored or deposited	
8.	Place of despatch and route	
9.	Place of destination	
10.	Name, description and address of the	

	consignee	
11.	Period of validity of Licence	

The of..... 20 (SEAL)

(Signature)

Licensing Authority _____

Designation _____

Place _____

CONDITIONS

1. The licence is granted subject to all the provisions of the Arms Act, 1959 and of the Arms Rules, 2016.
2. An Account of the contents of each package shall be legibly written thereon and where the articles are conveyed by rail, each package shall be marked with the word “Arms” or “Ammunition”, as the case may be, so as to be readily recognizable by the railway authorities.
3. The articles shall not be conveyed by any route other than that specified in column 8 and bulk shall not be broken nor shall the consignment be stopped, before the articles reach the place of destination.
4. In case of Import, the articles shall be either –
 - (a) deposited subject to the general or special sanction of the Central Government under section 34 of the Act, in a warehouse licensed under section 58 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), or
 - (b) forthwith dispatched to their place of destination.
5. The articles shall be delivered only to a person lawfully entitled to receive them.

Form XI**Journey Licence***(to be issued if firearms are already endorsed on the licence)*

UIN _____ Licence No. _____

1.	Name of the licensee	
2.	Residential address of the licensee as endorsed on his arms licence	
3.	Arms and ammunition that the licensee is entitled to carry	
4.	Brief description of each firearm with details, e.g. manufacturer's serial number and other identification marks	
5.	Quantity and description of each kind of ammunition	
6.	Place of departure	
7.	Route of the journey	
8.	Place of destination	
9.	Period which the journey is likely to occupy	
10.	Period for which the journey licence is valid	

The of the

SEAL

(Signature)

Licensing Authority _____

Designation _____

Place _____

CONDITIONS

1. This licence is granted subject to all the provisions of the Arms Act, 1959 and of the Arms Rules, 2016.
2. The licensee shall —
 - (a) on demand by any authorised officer, produce the weapons covered by this licence;
 - (b) forthwith give information at the nearest police station of the loss or theft of any arms or ammunition covered by the licence; and
 - (c) shall follow the route of journey as mentioned in column 7 of the licence.
3. It covers only the person named in column 1 and the arms or ammunition mentioned in column 3.

Form XII**Transport Licence**

*(to be issued when firearms are not endorsed on the licence
or for transport by manufacturers or dealers)*

UIN _____ **Licence No.** _____

1.	Name, description and residence address of licensee and agent (if any) authorised for the purpose of this consignment	
2.	Licensee's place of business (if any)	
3.	Arms and ammunition to be transported	
	Number of packages	
	Brief description of arms and number	
	Brief description of ammunition and weight in kilograms or number	
4.	Place of dispatch	
5.	Route of transport	
6.	Mode of transport	
7.	Place of destination	
8.	Name, description and address of consignee	
9.	Period for which the Licence is valid <i>[not exceeding three months as provided under rule 97(5)]</i>	

The of the

SEAL

(Signature)

Licensing Authority

Designation

Place

Endorsement 1

Date on which certificate of 'No Objection' (NOC) is obtained vide Rule 98 from		
Authority	Place	Date
State Government		
District Magistrate		

Endorsement 2

Date on which a copy of Transport Licence is sent vide Rule 97(1) to		
Authority	Place	Date
State Government		
District Magistrate		

CONDITIONS

1. This licence is granted subject to all the provisions of the Arms Act, 1959 and of the Arms Rules, 2016.
2. The licensee shall-
 - (a) on demand by any authorised officer, produce the weapons covered by this licence; and
 - (b) forthwith give information at the nearest police station of the loss or theft of any arms or ammunition covered by the licence.

3. The articles shall not be conveyed by any route other than that specified in column 5; and bulk shall not be broken, nor shall the consignment be stopped before the articles reach the place of destination:

Provided that where the consignment is ready but could not be despatched in one bulk, for reasons beyond the control of the licensee, the articles may be sent in lots provided proper intimation is sent to the licensing authority who may extend the time-limit, if necessary.

4. An account of the contents of each package shall be legibly written thereon; and where the articles are conveyed by rail, each package shall be marked with the word "Arms" or "Ammunition", as the case may be, so as to be readily recognizable by the railway authorities.
5. The articles shall be delivered only to a person lawfully entitled to receive them as mentioned in column 8.
6. Where a licence granted for industrial purposes has been made valid for a period longer than three months, necessary entries shall promptly be made in the stock-registers maintained by the manufacturer or the dealer for the purpose at the places, (viz., godown and factory).

Form XIII**Transport Licence for despatch of gun barrels or completed firearms for proof test**

UIN _____ Licence No. _____

1.	Name of the licensee manufacturer	
2.	Address of the licensee manufacturer	
3.	Name and designation of the responsible person	
4.	Manufacturer's licence number in Form VII	
5.	Validity Period of licence in Form VII	
6.	Number of firearms allowed to be manufactured per annum	
7.	Total number of gun barrels/completed firearms which have been despatched already to proof house for proof test for the first time	

8.	Total quantity of gun-barrels/completed firearms to be allowed to be despatched			
Sr. No.	Type	Manufactured during the current year	Rectified	Total
	(1)	(2)	(3)	(4)
a)				
b)				
c)				
Total				
9.	Total quantity of gun-barrels/manufactured firearms to be despatched after rectification (Column 3 of item 8)			
Sr. No.	Year of manufacture	Number and date of communication of proof house advising rectification	Serial No. of gun-barrels or completed firearms rectified	Total
	(1)	(2)	(3)	(4)

1. Certified that on the date of issue of this licence, the licensee has not been restrained from operation of any of the authorizations in his Form VII licence, by the licensing authority or the renewing authority or the district Magistrate.
2. The licensee is hereby permitted to transport gun barrels/completed firearms vide item 8 to the establishment indicated in Col. 7 of his Form VII licence. He is also permitted to bring back from that establishment the gun barrels/completed firearms covered by this licence after proof test in one or more installments.

(Seal and Signature)

(District Magistrate)

Place:

Date:

Note- The total of figures in item 7 and Col. 2 in item 8 should not exceed the licensed capacity vide item 6.

Form XIV**Transporter's licence for transport of arms and ammunition**

UIN _____ Licence No. _____

Name, description and business address of licensee	Description of arms and ammunition allowed to be transported				Date on which the licence expires
	Category of arms and ammunition	Maximum quantity during a calendar year	Maximum quantity in a single consignment	Maximum quantity in multiple consignments under a single shipment	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

The of..... 20 (SEAL)

(Signature)

Licensing Authority _____

or

Specially empowered officer to sign the licence under rule (5)

Designation _____

Place _____

FORM OF RENEWAL OF LICENCE			
Date and year of renewal	Date on which the renewed licence expires	Signature and designation of the renewing authority	SEAL
1	2	3	4

CONDITIONS

1. (a) This licence is granted subject to all the provisions of the Arms Act, 1959 and of the Arms Rules, 2016.
- (b) This licence is valid only so long as the licensee carries on the trade or business in the premises shown in column (1) thereof, and will *ipso facto* lapse if the business is discontinued for a continuous period exceeding six months.
- (c) The licensee shall not enter into any partnership connected with this licence without the approval of the licensing authority.
2. The licensee shall maintain registers of all arms and ammunition received for transportation, of all stock in hand, and of all transportations made showing the particulars in such forms as may be prescribed for the purpose by the Central Government.
3. The licensee shall make available for inspection his stock and his registers on the demand of any magistrate or any police officer of a rank not below that of Inspector, or, if the Central Government so directs, of Sub-Inspector.
4. The licensee shall affix on a conspicuous part of his place of business, factory or shop a signboard on which shall be painted in large letters in English/Hindi and in the language of the district his name and the words "Licensed to transport arms or ammunition".
5. The licensee shall not transport arms and/or ammunition of any category or description other than those allowed to be transported under column 2.
6. The licensee shall not keep arms or ammunition elsewhere than at the place of business specified in column (1) or at the branch offices and representative offices of the transporter declared at the time of making application for a licence in Form XIV.
7. He shall not transport any quantity of arms and ammunition without his first obtaining a copy of the transport licence in Form XII from the consignor and ascertaining the purpose for such transportation on the basis of a written declaration and shall not handover the consignment to any consignee without first obtaining copy of arms licence from him and proof of his bonafides to receive the consignment under the Act and these rules.
8. The transporter shall submit the following documents to the licensing authority –
 - (a) proof that a proper functioning two way communication system between the vehicle transporting the arms or ammunition and the applicant is in operation;
 - (b) a detailed description of the safety measures fitted to the vehicle that shall be used; and
 - (c) a detailed description of security precautions that shall be in place during transportation.
9. The transporter using road transport shall provide to the person in charge of transportation, a typed list or computer printout on his letterhead of persons who will be directly involved in the transportation of the

consignment of the arms and ammunition, containing their names and identity numbers and such list must be attached to a certified copy of the licence in Form XIV.

10. An arms or ammunition transporter holding a licence in Form XIV shall during the time of such transport, be in possession of –

a consignment note on which the following particulars must appear:

- (i) (a) the full name, address, licence and UIN of the transporter;
- (b) the names, addresses and UINs of the consignor and the consignee in respect of arms and ammunition to be transported;
- (c) the quantity, type of action, manufacturer's serial number, make and caliber of the firearms and quantity, make and caliber of ammunition; and
- (d) the physical address where from the firearms and ammunition were collected and the physical address of their final destination;
- (ii) the licence in Form XII authorizing the transportation of such firearms and ammunition;
- (iii) any other document which may under these rules or any other law be required.

11. Wherein the licensee holding a licence in Form XIV is obliged to store the firearms or ammunition for any period of time after receipt and before delivery, such storage shall comply with the requirements for safe custody and storage as specified in rule 10.

12. The licensee shall ensure direct supervision by him or through his personnel of an en-route consignment of arms or ammunition which shall be accompanied by at least two able bodied guards.

13. The firearm transporter shall obtain from the consignee a written confirmation of the taking of possession of the consignment of arms and ammunition and the confirmation shall contain the following information –

- (i) the name and surname of the recipient;
- (ii) the recipient's address;
- (iii) the date and time of delivery;
- (iv) the description of the arms and ammunition received; and
- (v) the signature of the recipient which serves as confirmation of the correct deliverance.

A copy of the written confirmation obtained above shall be delivered by the transporter to the licensing authority issuing transport licence in Form XII.

14. The licensee holding a licence in Form XIV shall immediately notify in writing the police and licensing authority in the event of non-delivery, loss or theft of the arms or ammunition.

15. The vehicle carrying arms and ammunition shall not stop for a longer period than is reasonably required and shall avoid stops at places where public safety is likely to be in danger. Further the vehicle carrying arms and ammunition shall be adequately secured and provided with fire extinguishers at the expense of the licensee holding a licence in Form XIV.

FORM XV

Licence for the import into, possession for the duration of the journey in, transport across, and export out of India of arms or ammunition carried by Nepal Government troops or police, from one place in Nepal to another place in Nepal through Indian Territory

UIN _____ Licence Number _____

Description of licensee/ agent(s)	Number of retainers	Arms and ammunition that licensee is entitled to import/possess / transport/export		Place of entry in India	District (s) through which the arms or ammunition shall pass	Place of departure from India	Period for which the licence is valid
		Brief description of the arms	Quantity and description of each kind of ammunition				
1	2	3	4	5	6	7	8

From the

To the

The.....of.....20

Date on which copy is sent to

the District Magistrate of

.....District

The.....of.....20

[vide Rule 111(2)]

(SEAL)

(Signature)

Ambassador of India in
Nepal

CONDITIONS

1. This licence is granted subject to all the provisions of the Arms Act, 1959 and of the Arms Rules, 2016.
2. It covers only the person named, and the arms or ammunition described therein.
3. The licensee shall not, while in India, sell or transfer any arms or ammunition covered by this licence.

FORM XVI***Licence for firearm free zone***

UIN	Licence Number	Name, description and business address of licensee	Demarcated Area declared as Firearm Free Zone as per the site plan enclosed (marked in red)	Date on which the licence expires
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

The of the

SEAL

(Signature)

Licensing Authority

Designation

Place

FORM OF RENEWAL OF LICENCE

Date and year of renewal	Date on which the renewed licence expires	Signature and designation of the renewing authority	SEAL
1	2	3	4

CONDITIONS

1. This licence is granted subject to all the provisions of the Arms Act, 1959 and of the Arms Rules, 2016.
2. It covers only the name of the owner of the premises declared as firearm free zone for the demarcated area as mentioned in column (4) of the licence.
3. The licensee shall post notices at all the main entrances or at strategic places on the premises mentioned in column (4) both in English and local language declaring the premises as firearm free zone.
4. The notices and signs shall be clearly visible and unobscured at all times.
5. Any change in the information furnished at the time of filing of application for firearm free zone shall be intimated to the licensing authority within a period of seven working days.

SCHEDULE-III**Part II****Application Forms****Form A-1***(for individuals)***Form of application for an arms licence****in Form II, III and IV***(See rule 11)*

Passport size
photograph of
the applicant

IDENTITY OF THE APPLICANT

1	Name	
2	Parent/Spouse Name	
3	Sex	Male ☐ Female ☐

4	Place of birth (Nativity)	Country	State	District
5	Date of birth in Christian era	<i>must be 21 years of age on the date of application</i>		
	in figures	DD/MM/YYYY		
	in words			
6	Permanent Account No. (PAN)			
7	Aadhar Card Number			
8	Present address			
		District	State	
(a)	Since when residing at the present address	DD/MM/YYYY		
(b)	Telephone Number	Office	Residence	
(c)	Mobile Number			
(d)	*Nearest Police Station			
9	Permanent Address			
		District	State	
(a)	*Nearest Police Station			
10	Occupation			
<i>*Note – Nearest Police Station means the police station under whose jurisdiction the place given in the address comes</i>				
11	Office/business address			
12	Additional particulars if the licence is required for crop protection under rule 35	Location (village)		
		Area of land under cultivation		
OTHER PARTICULARS OF THE APPLICANT				
13	Whether the applicant has been –			
(a)	convicted	Y	N	<i>If yes, details thereof –</i> <i>Offence</i> <i>Sentence</i> <i>Date of sentence</i> <i>DD/MM/YYYY</i>
(b)	ordered to execute a bond under Chapter VIII of Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) for keeping the peace or for good behavior	Y	N	<i>If yes, details thereof –</i> <i>Date</i> <i>DD/MM/YYYY</i> <i>Period for which bound</i>
(c)	prohibited under the Arms Act, 1959, or any other law from having the arms or ammunition	Y	N	<i>If yes, details thereof –</i> <i>Date</i>

				DD/MM/YYYY <i>Period for which prohibited</i>
14	Whether -			
(a)	the applicant applied for a licence before - if so, when, to whom and with what result	Y	N	<u>If yes, details thereof</u> – Date applied for DD/MM/YYYY Name of the licensing authority Result (pl. specify) Approved//Rejected/Pending
(b)	the applicant's licence was ever suspended or cancelled/ revoked -	Y	N	<u>If yes, details thereof</u> – Name of the licensing authority Reasons
(c)	any other member of the applicant's family is in possession of any arms licence, if so, particulars thereof	Y	N	<u>If yes, details thereof</u> – Name Licence No. Weapons endorsed 1. 2. 3.
(d)	the applicant has a safe place to keep the arms and ammunition	Y	N	<u>If yes, details thereof</u> –
(e)	the applicant has undergone training as specified under rule 10 (whenever made applicable by the Central Government)	Y	N	<u>If yes, details thereof</u> –
Particulars of licence being applied for				
15	Need for licence (<i>see note 1 below</i>)			
16 (a)	Description of arms for which licence is being sought (<i>Tick any one of the options</i>)	Category - restricted/permisable Rifle ☐ Shot Gun (BL/ML) ☐ Hand Gun (Revolver/Pistol) ☐ Others _____ ☐		
(b)	Description of ammunition or ingredients of ammunition for which licence is being sought			
17	Area within which applicant wishes to carry arms (<i>Tick any one of the options</i>)	District ☐ State ☐ Throughout India ☐		
18	Claims for special consideration for obtaining the licence, if any (<i>attach documentary evidence</i>)			

Additional Information	
19	Details for an application for licence in Form IV
(a)	Place or area for which the licence is sought
(b)	Specification of the wild beasts which are permitted to be destroyed as per the permit granted under the Wild life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) to the applicant

Declaration:

I hereby declare that the above particulars given in the application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, I am liable to be proceeded against and action taken under the relevant provisions of the Arms Act, 1959, the Arms Rules, 2016, and other central enactments or the law for the time being in force.

Place _____

Date _____

Signature /Thumb - impression of applicant

Notes:

- Against column 15, the applicant should clearly mention the purpose(s) for which the licence is required – such as use, acquisition, possession, carrying, sport, display, destruction of wild animals which do injury to human beings or cattle and damage to crops etc. as per the category of licence applied (Form II, III or IV).
- The following documents under rule 11 are to be submitted along with the application –
 - four passport size copies of the latest photograph of the applicant (in white background);
 - proof of date of birth;
 - identification proof – Aadhar Card or in case the applicant does not have Aadhar Card, a written declaration to be submitted in the form of an Affidavit along with an alternative identification proof which may include – Passport; Voter Identification Card, PAN Card or Identity card issued to the employees.
 - residence proof in case the applicant does not possess Aadhar Card or Passport – (*Election Card or Electricity Bill or Landline Telephone Bill or Rent Deed or Lease Deed or Property documents or any other document to the satisfaction of the licensing authority*);
 - firearm training certificate in Form S-1 (whenever made applicable by the Central Government by passing a general or special order);
 - safe use and storage of firearms undertaking in Form S-2 ;
 - self-attested copies of the educational and professional qualification certificates from professional category applicants as specified in clause (a) of sub-rule (3) of rule 12;
 - medical certificates about mental health and physical fitness in Form S-3;
 - in case of protection for destruction of wild animals which do injury to human beings or cattle and damage to crops, permit from the authority empowered under the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972);
- Strike off the entries not relevant.

Warning:

Suppression of any factual information or furnishing of any false or wrong information in the application form in violation of arms rules will render the applicant liable for punishment under Section 30 of the Arms Act, 1959.

FORM A -2
(for companies)

Form of application for an arms licence in Form II, III and V

(See rule 11)

IDENTITY OF THE APPLICANT		
1.	Name of the applicant company	
2.	Permanent Account Number (P.A.N.)	
3.	Corporate Identification Number (C.I.N.)	
2.	Name of the applicant branch or representative office of the company <i>(if the application is being filed by such branch or representative office)</i>	
3.	Constitution of the applicant company <i>(see Note 1 below)</i>	
4.	Designation of the 'responsible person' who will sign on behalf of the applicant company <i>(duly authorised in writing or by way of a board resolution wherein required)</i>	
	Name of the 'responsible person' signing the application	
5.	Registered Office Address of the company	
	Telephone No. (Office)	
	Mobile Number of the responsible person	
	E-mail	
	*Nearest Police Station	
6.	Address of the branch or representative office by which the application is being filed	
	Telephone (office/residence)	
	Mobile No.	
	E-mail	
	*Nearest Police Station	

*Note - Nearest Police Station means the police station under whose jurisdiction the place given in the address comes

OTHER PARTICULARS OF THE APPLICANT				
7.	Whether the applicant or its office bearers or directors has/have ever been –			
(a)	convicted <i>(attach details in a separate sheet, if the answer is in affirmative)</i>	Y	N	<u>If yes, details thereof –</u> <i>Offence</i> <i>Sentence</i> <i>Date of sentence</i> <i>DD/MM/YYYY</i>

(c)	prohibited under the Arms Act, 1959, or any other law from having the arms or ammunition	Y	N	<u>If yes, details thereof –</u> Date DD/MM/YYYY Period for which prohibited
8.	Whether -			
(a)	the applicant applied for a licence before - if so, when, to whom and with what result	Y	N	<u>If yes, details thereof –</u> Date applied for DD/MM/YYYY Name of the licensing authority Result (pl. specify) Approved//Rejected/Pending
(b)	the applicant's licence was ever suspended or cancelled or revoked -	Y	N	<u>If yes, details thereof –</u> Name of the licensing authority Reasons
(c)	any other arms licence already held by the company or where the applicant is a branch or representative office of such company, held by such branch or representative office	Y	N	<u>If yes, details thereof –</u> Name Licence No. Weapons endorsed 1. 2. 3.
(d)	the applicant has a safe place to keep the arms and ammunition	Y	N	<u>If yes, details thereof –</u>
(e)	the retainer or retainers to be employed by the applicant have undergone training as specified in rule 10 (whenever made applicable by the Central Government)			

Particulars of licence being applied for		
9.	Need for licence (see Note 2 below)	
10. (a)	Description of arms for which licence is being sought (Tick any one of the options)	Category - Restricted/Permissible Rifle ☐ Shot Gun (BL/ML) ☐ Hand Gun (Revolver/Pistol) ☐ Others ☐
(b)	Description of ammunition or ingredients of ammunition for which licence is being sought	
11.	Number of firearms which applicant wishes to apply for	

12.	Area within which applicant wishes to carry arms (Tick any one of the options)	District ☐ State ☐ Throughout India ☐
13.	Claims for special consideration for obtaining the licence, if any (attach documentary evidence)	

Declaration:

I, _____, the responsible person, _____ (*designation as mentioned in column 3*) of _____ (name of the company), hereby declare that the above particulars given in the application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, I, personally, as well as the company are liable to be proceeded against and action taken under the relevant provisions of the Arms Act, 1959, the Arms Rules, 2016, and other central enactments or the law for the time being in force.

*Signature with stamp of the responsible person
signing on behalf of the company*

Notes:

1. Constitution of the company be mentioned –

Private Limited Company; Limited Company; Government Undertaking; Society: Co-operative Society; Institute; University; Partnership Firm; Association of Persons (AOPs) or any other body under any special act or otherwise etc.

2. Against column 9, the applicant should clearly mention the purpose(s) for which the licence is required - such as use, acquisition, possession, carrying, protection, display, target practice or shooting, etc.
3. The applicant is required to submit the following documents along with the application –
 - (a) written undertaking on the letter head of the company applicant duly signed by the responsible person appointed vide clause (44) of rule 2 for filing an application under the arms rules;
 - (b) original copy of the board resolution passed or an authority letter confirming the appointment of responsible person referred to in clause (a) above;
 - (c) certified copies of the founding documents of the Company including Memorandum and Articles of Association;
 - (d) safe use and storage of firearms undertaking in Form S-2 as specified in rule 10;

Warning:

Suppression of any factual information or furnishing of any false or wrong information in the application form in violation of arms rules will render the applicant company and the responsible person liable for punishment under Section 30 of the Arms Act, 1959.

FORM A -3
(for individuals)

Recent passport
size
photograph of
the licensee

**Form of application for renewal of arms licence(s) granted in
Form II, III, IV**

(See rule 24)

IDENTITY OF THE LICENSEE				
1.	UIN (16 digit)			
2.	Name			
3.	Parent/Spouse Name			
4.	Date of birth in Christian era			
(a)	in figures	<i>DD/MM/YYYY</i>		
(b)	in words			
5.	Present Address			
(a)	Telephone (Office/Residence)			
(b)	Mobile No.			
(c)	E-mail			
(d)	Nearest Police Station			
6.	Occupation			
7.	Office/Business Address			
Licence Particulars and Weapon Endorsements				
8.	Licence Number			
9.	Date of expiry	<i>DD/MM/YYYY</i>		
10.	Area Validity			
11.	Weapons Endorsed	Weapon 1	Weapon 2	Weapon 3
(a)	Type (Rifle/Shotgun/ Handgun (Rev/Pistol)			
(b)	Bore/Caliber			
(c)	Weapon Number			
12.	Ammunition allowed	Cartridges Gun Powder/ Percussion Caps		
OTHER PARTICULARS OF THE APPLICANT				
13.	Whether the applicant since last renewal or issuance of licence has been –			
(a)	convicted	Y	N	<i>If yes, details thereof –</i> <i>Offence</i> <i>Sentence</i>

				<i>Date of sentence</i> <i>DD/MM/YYYY</i>
(b)	ordered to execute a bond under Chapter VIII of Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) for keeping the peace or for good behavior	<i>Y</i>	<i>N</i>	<i>If yes, details thereof –</i> <i>Date</i> <i>DD/MM/YYYY</i> <i>Period for which bound</i>
(c)	prohibited under the Arms Act, 1959, or any other law from having the arms or ammunition	<i>Y</i>	<i>N</i>	<i>If yes, details thereof –</i> <i>Date</i> <i>DD/MM/YYYY</i> <i>Period for which prohibited</i>
14.	Whether -			
(a)	the applicant's licence since last renewal or issuance of licence was ever suspended or cancelled/ revoked	<i>Y</i>	<i>N</i>	<i>If yes, details thereof –</i> <i>Name of the</i> <i>licensing authority</i> <i>Reasons</i>
(b)	any other member of the applicant's family is in possession of any arms licence, if so, particulars thereof	<i>Y</i>	<i>N</i>	<i>If yes, details thereof –</i> <i>Name</i> <i>Licence No.</i> <i>Weapons endorsed</i> 1. 2. 3.
(c)	the applicant has a safe place to keep the arms and ammunition	<i>Y</i>	<i>N</i>	<i>If yes, details thereof –</i>
(d)	the applicant has undergone prescribed training as specified under rule 10 <i>(whenever made applicable by the Central Government)</i>	<i>Y</i>	<i>N</i>	<i>If yes, details thereof –</i>

Declaration:

I hereby declare that the above particulars given in the application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, I am liable to be proceeded against and action taken under the relevant provisions of the Arms Act, 1959, the Arms Rules, 2016, and other central enactments or the law for the time being in force.

Signature /Thumb-impression of applicant

Place

Date

Note:-

The exemptee sports persons shall attach a list of the arms and ammunition held by them in a separate sheet against columns 11 and 12.

Warning:-

Suppression of any factual information or furnishing of any false or wrong information in the application form in violation of arms rules will render the applicant liable for punishment under Section 30 of the Arms Act, 1959.

FORM A - 4
(for companies)
Form of application for renewal of licence(s) granted in
Form II, III and V
(See rule 24)

IDENTITY OF THE LICENSEE				
1.	UIN (16 digit)			
2.	Name of the licensee company (see Note 1)			
3.	Constitution of the licensee company			
	P.A.N./C.I.N.			
4.	Name of the responsible person			
5.	Address of the licensee company			
	Telephone No. (office)			
	Mobile Number of the responsible person			
	E-mail			
	*Nearest Police Station			
Licence particulars and weapon endorsements				
6.	Licence Number			
7.	Date of expiry	DD/MM/YYYY		
8.	Area Validity			
9.	Total Number of Weapons Endorsed			
10.	Details of Weapons	1	2	3
(a)	Type (Rifle/Shot gun/Handgun)			
(b)	Bore			
(c)	Weapon Number			
		Separate list be attached for more than three weapons		
11.	Ammunition allowed	Cartridges		
		Gun Powder/ Percussion Caps		
OTHER PARTICULARS OF THE APPLICANT				
12	Whether the applicant or its office bearers or directors or responsible person since the issuance/last renewal have ever been –			

(a)	convicted <i>(attach details in a separate sheet, if the answer is in affirmative)</i>	Y	N	<i>If yes, details thereof –</i> <i>Offence</i> <i>Sentence</i> <i>Date of sentence</i> <i>DD/MM/YYYY</i>
(c)	prohibited under the Arms Act, 1959, or any other law from having the arms or ammunition	Y	N	<i>If yes, details thereof –</i> <i>Date</i> <i>DD/MM/YYYY</i> <i>Period for which prohibited</i>
13	Whether -			
(a)	the applicant's licence since the issuance or last renewal was ever suspended or cancelled or revoked	Y	N	<i>If yes, details thereof –</i> <i>Name of the licensing authority</i> <i>Reasons</i>
(b)	the licensee has a safe place to keep the arms and ammunition	Y	N	<i>If yes, details thereof –</i>
(c)	the retainers appointed by the company have undergone training requirements as specified in rule 10 <i>(whenever made applicable by the Central Government)</i>	Y	N	<i>If yes, details thereof –</i>

Declaration:

I, _____, the responsible person (named in column 4) of _____ (company name), hereby declare that the above particulars given in the application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, I personally as well as the company are liable to be proceeded against and action taken under the relevant provisions of the Arms Act, 1959, the Arms Rules, 2016, and other central enactments or the law for the time being in force.

Signature with stamp of the responsible person
signing on behalf of the company

Note:

1. Constitution of the company be mentioned –

Private Limited Company; Limited Company; Government undertaking; Society: Co-operative Society; Institute; University; Partnership Firm; Association of Persons (AOPs) or any other body under any special act or otherwise etc.

Warning:

Suppression of any factual information or furnishing of any false or wrong information in the Application Form in violation of arms rules will render the applicant company and the responsible person liable for punishment under Section 30 of the Arms Act, 1959.

FORM A -5*(for individuals/teams or groups)***Form of application for an arms licence in Form VI for temporary import and export of arms and ammunition**

PART A <i>(See rule 44, 45)</i>		
Application by Individuals – bringing firearms of category III of Schedule Into India		
1.	Name	
2.	Parent/Spouse Name	
3.	Nationality	
4.	Passport Number	
5.	VISA particulars for India	
6.	Date of birth in Christian era	DD/MM/YYYY
7.	Original arms licence number of the native country with validity	DD/MM/YYYY
8.	Present Address (as per Passport)	
	Telephone (office/residence)	
	Mobile No.	
	E-mail	
9.	Purpose of bringing firearm into India	
10.	Period of stay in India for which the licence is sought	
11.	Estimated date of arrival in India and port of entry	DD/MM/YYYY
12.	Estimated date of departure from India and port of exit	DD/MM/YYYY
13.	Firearms for which the licence is being sought	
	Type	
	Bore	
	Number	
14.	Details of sponsors/ organisers in India for the sporting event/ tournament	
Additional Information in case of sports teams/groups		
1.	Name of the Manager or Group leader	
2.	Parent/Spouse Name	
3.	Nationality	
4.	Passport Number	
5.	VISA particulars for India	
6.	Place of birth	
7.	Date of birth in Christian era	DD/MM/YYYY
8.	Present Address	

	(as per Passport)	
	Telephone (office/residence)	
	Mobile No.	
	E-mail	
9.	Number of team members	
10.	Event/Tournament Details	
	Venue	
	Date	DD/MM/YYYY
11.	Period for which the licence is sought	
12.	Organisers/sponsors in India	

Declaration:

I hereby declare that the above particulars given in the application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, I am liable to be proceeded against and action taken under the relevant provisions of the Arms Act, 1959, the Arms Rules, 2016 and other central enactments or the law for the time being in force in India.

Signature of applicant/ Group or Team Leader

Place

Date

Notes:-

1. The application may be filed by the Group/Team leader of sporting team visiting India giving details of individual team members as specified in Part A along with the additional details given above.
2. The application may be made in advance to Indian Consulates/High Commissions for obtaining a licence on the basis of an approval letter from the Indian organizers/sponsors duly authenticated by Ministry of Sports and Youth Affairs for sporting events/tournaments to be held in India.

PART B <i>(See rule 43)</i>		
Applicable for tourists visiting India – Acquisition and possession (but not use) during the course of his stay in/carrying/ export out of India of category III, IV, V (Made in India weapons only)		
1.	Name	
2.	Parent/Spouse Name	
3.	Nationality	
4.	Passport Number	
5.	VISA details	
6.	Date of birth in Christian era	DD/MM/YYYY
7.	Present Address (as per Passport)	
	Telephone (office/residence)	
	Mobile No.	
	E-mail	
8.	Date of arrival in India and port of entry	
9.	Estimated date of departure from India and port of exit	

10.	Weapons for which the licence is being sought	
	Category (III, IV or V)	
	Type	
	Bore	
11.	Details of seller/transferee from whom these weapons are to be procured	
	Name	
	Address	
	UIN	
	Licence Number	

Notes -

1. Weapon(s) on acquisition are to be produced before the licensing authority for necessary endorsement on the licence along with the original invoice/bill/transfer letter.
2. Every application for the grant of a licence for export of category IV arms shall be accompanied by a certificate from the Director-General of Archaeology of the Central Government to the effect that the arms intended to be exported do not fall within the definition of “antiquity” under the Antiquities and Art Treasures Act, 1972 (52 of 1972).

Declaration:

I hereby declare that the above particulars given in the application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, I am liable to be proceeded against and action taken under the relevant provisions of the Arms Act, 1959, the Arms Rules, 2016 and other central enactments or the law for the time being in force in India.

Signature of applicant

Place

Date

FORM A - 6

(for companies)

Form of application for an arms licence in Form VII for manufacture

and proof test

(See rule 51)

1.	Name of the applicant	
2.	Constitution of the applicant company	
3.	Company Identification No. (CIN)	
4.	Registered Office Address	
	Telephone	
	Mobile No.	
	E-mail	
5.	Name of the responsible person with designation	
6.	Address of the factory for manufacture and proof-	

	testing	
	Telephone	
	Mobile No.	
	E-mail	
7.	Description of firearms to be manufactured/proof tested	
	Category	
	Proposed annual capacity (number)	
8.	Description of ammunition to be manufactured/proof tested	
	Category	
	Proposed annual capacity (Number or weight in kilograms)	
9.	In case the manufacturer does not want in-house proof-testing, name of the range or other place for proof-testing being applied for	

Declaration:

I, _____, the responsible person (named in column 5) of _____ (company name), hereby declare that the above particulars given in the application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, I, personally as well as the company are liable to be proceeded against and action taken under the relevant provisions of the Arms Act, 1959, the Arms Rules, 2016, and other central enactments or the law for the time being in force.

Signature and stamp of the responsible officer
signing on behalf of the company

Warning:

Suppression of any factual information or furnishing of any false or wrong information in the Application Form in violation of arms rules will render the applicant liable for punishment under Section 30 of the Arms Act, 1959.

Documents to be enclosed as specified in rule 53—

A company applying for a licence in Form VII under these rules will be required to provide –

- (a) original or certified copies of the company's founding documents including Memorandum and Articles of Association, Certification of Registration of the Company under the Companies Act, 2013, CIN (Corporate Identification Number), proof of address of its registered office, PAN card and certified lists of directors and shareholders as on the date of application;
- (b) copy of Director Identification Numbers (DIN) of all the directors;
- (c) identification proof (Passport or PAN card or Voter's identification card) along with 2 recent photographs of all the directors and the responsible person as defined in clause (44) of rule 2;
- (d) copy of Aadhar Card of all the directors and responsible person;
- (e) residence proof (Passport or Voter's identification card or electricity bill or landline telephone bill or rent deed or lease-deed or any other document to the satisfaction of the licensing authority of all the directors and responsible person);
- (f) copy of the latest balance sheet of the company and audited copy of Net-worth Certificate duly certified by a Chartered Accountant;

- (g) estimated project outlay and means of finance for funding the project duly certified by a Chartered Accountant;
- (h) certified copy of the board resolution for filing the application under the arms rules along with full particulars of the responsible person authorised to sign the same;
- (i) details of foreign control and/or ownership in the applicant company, as applicable, duly certified by a Chartered Accountant.

FORM A -7**Form of application for an arms licence in**

Form VII-A – for manufacture of arms of category V of Schedule I

Form VII-B – for manufacture of replicas of firearms

Form VII-C – for manufacture of air weapons

1.	Name of the applicant	
2.	Nomenclature Company /Individual	
3.	P.A.N./ C.I.N	
4.	Business address	
	Telephone	
	Mobile No.	
	E-mail	
5.	Name of the responsible person	
6.	Address of the factory for manufacture of category V arms or manufacture of replicas of firearms or air weapons	
	Telephone	
	Mobile No.	
	E-mail	
7.	Description of arms/replicas of firearms/ air weapons to be manufactured	
	Category	
	Proposed Annual Capacity (Number)	

Declaration:

I, _____, (*Individual or the responsible person named in column 5*) of _____ (company name), hereby declare that the above particulars given in the application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, I personally as well as the company are liable to be proceeded against and action taken under the relevant provisions of the Arms Act, 1959, the Arms Rules, 1962, and other central enactments or the law for the time being in force.

Signature of the Individual applicant

or

Signature and stamp of the responsible person
signing on behalf of the applicant company

Warning:

Suppression of any factual information or furnishing of any false or wrong information in the Application Form in violation of arms rules will render the applicant liable for punishment under Section 30 of the Arms Act, 1959.

Documents to be enclosed in case of fresh application**(a) Firm and its Partners**

A firm and its partners applying for a licence in Form VII A, Form VII B or Form VII-C under these rules will be required to provide –

- (a) proof of the identity of the partners and of all the persons, the applicant firm proposes to employ in the business, including names, physical and recent photographs.
- (b) medical certificate;
- (c) information on the arms of category V of Schedule I or replicas of firearms to be manufactured or air weapons, including types and quantities;
- (d) proof that the firm meets the standards for protection of proprietary and classified information, as applicable;

(b) Company

A company applying for a licence in Form VII-A, Form VII-B or Form VII-C under these rules will be required to provide –

- (a) original or certified copies of the company's founding documents, articles of incorporation or other proof of licensed business;
- (b) information on the arms of category V of Schedule I or replicas of firearms or air weapons to be manufactured, including types and quantities;
- (c) proof that the company meets the standards for protection of proprietary and classified information, as applicable; and
- (d) information on foreign control and/or ownership in the applicant company, as applicable.

The company is also required to provide –

- (e) the identity of the company's officers;
- (f) the identity of the person who will be responsible for the day to day management of the manufacturing facility (responsible person); and
- (g) proof of the identity of the responsible person, including name, physical address and recent photograph.

FORM A -8**Part I**

**Form of application for an arms licence in Form VIII for
arms and ammunition dealers**

(See rule 73)

1.	Name of the applicant	
2.	Nomenclature Company/Individual	
3.	Business Address (Shop)	
	Telephone	
	Mobile No.	
	E-mail	

4.	Name of the responsible person	
5.	Category of licence applied for –	Dealer Licence ☐ Deposit of Arms ☐
6.	Description of firearms to be sold or kept for sale	
7.	Description of ammunition to be sold or kept for sale	
8.	Description of arms and ammunition to be deposited under section 21 of the Act or for safe custody under rule 48	

Declaration:

I, _____, the Prop./Partner/Director/Responsible Person of _____ (company name), hereby declare that the above particulars given in the application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, I as well as the company are liable to be proceeded against and action taken under the relevant provisions of the Arms Act, 1959, the Arms Rules, 2016, and other central enactments or the law for the time being in force.

Place _____

Date _____

Signature of the applicant

Warning:

Suppression of any factual information or furnishing of any false or wrong information in the Application Form in violation of arms rules will render the applicant liable for punishment under Section 30 of the Arms Act, 1959.

List of documents to be submitted at the time of application and subsequent renewal thereof –

- (1) A written declaration along with certified copies of drawings stating that the applicant has facilities available of a strong room for the safe custody of the firearms and ammunition;
- (2) A written undertaking in support of the application with specific reference to the steps which are contemplated in connection with the safe custody of the firearms and ammunition including provision for entry access control, close circuit television system, security guard, firefighting devices etc.;
- (3) Verification forms containing the names and addresses of every person authorised to trade on behalf the dealer applicant at the premises, who must possess the requisite training for safe handling of firearms as specified in rule 10.

FORM A -8**Part II****Form of application for an arms licence in Form VIII-A for****Air weapon dealers**

(See rule 84, 85)

1.	Name of the applicant	
2.	Nomenclature Company/Individual	
3.	Business Address (Shop)	
	Telephone	
	Mobile No.	
	E-mail	

4.	Name of the responsible person	
5.	Description of air weapons to be sold or kept for sale	
6.	Description of ammunition for air weapons to be sold or kept for sale	

Declaration:

I, _____, the Prop./Partner/Director/Responsible Person of _____ (company name), hereby declare that the above particulars given in the application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, I as well as the company are liable to be proceeded against and action taken under the relevant provisions of the Arms Act, 1959, the Arms Rules, 2016, and other central enactments or the law for the time being in force.

Place _____

Date _____

Signature of the applicant

Warning: *Suppression of any factual information or furnishing of any false or wrong information in the Application Form in violation of arms rules will render the applicant liable for punishment under Section 30 of the Arms Act, 1959.*

FORM A -9**Form of application for an arms licence in Form IX or IX-A for****accredited gunsmiths**

(See rules 77 and 78)

1.	Name of the applicant	
2.	Nomenclature Company/ Individual	
3.	Business Address (Shop/Factory)	
	Telephone	
	Mobile No.	
	E-mail	
4.	Name of the responsible person	
5.	Professional qualification of the individual applying to act as a gunsmith or of the employees of the company applying for a gun smith licence (applicable for a licence in Form IX only)	
6.	Description of firearms to be converted, shortened or repaired (<i>major repair under licence in Form IX</i>)	
7.	Description of firearms to be repaired (<i>minor repair under licence in Form IX-A</i>)	
7.	Description of firearms or parts of firearms to be stored	
8.	Description of ammunition to be stored for testing	

Declaration:

I, _____, the proprietor/partner/director/responsible person of _____ (company name), hereby declare that the above particulars given in the application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, I as well as the company are liable to be proceeded against and action taken under the relevant provisions of the Arms Act, 1959, the Arms Rules, 2016, and any other law for the time being in force.

Place _____

Date _____

Signature of the applicant

Warning:

Suppression of any factual information or furnishing of any false or wrong information in the Application Form in violation of arms rules will render the applicant liable for punishment under Section 30 of the Arms Act, 1959.

List of documents to be submitted at the time of application and subsequent renewal thereof –

- (1) A written declaration along with certified copies of drawings stating that the applicant has facilities available of a strong room for the safe custody of the firearms and ammunition;
- (2) A written undertaking in support of the application with specific reference to the steps which are contemplated in connection with the safe custody of the firearms and ammunition including provision for entry access control, close circuit television system, security guard, firefighting devices etc.;
- (3) Verification forms containing the name and address of every person authorised to carry out conversion, shortening or repair (major) on behalf the gunsmith at the premises, who must possess the requisite qualifications as specified under rule 78.

FORM A - 10**Form of application for an arms licence in Form X for**

import, export, export for re-import or

import, transport and re-export

(See rules 87,88,89,90 and 91)

IDENTITY OF THE APPLICANT		
1.	Name of the applicant	
2.	UIN	
3.	Description of arms licence already held and number thereof	
4.	Nomenclature Individual/Company	
5.	Business Address	
	Telephone	
	Mobile No.	
	E-mail	
6.	Name of the responsible person	
7.	Category of licence applied for –	Import ☐ Export ☐ Export for Re-import ☐ Import, transport and Re-export ☐

8.	Category of arms or ammunition as per Schedule I for which the licence is sought- I(b), I(c), II, III, IV, V, VI (Sulphur/Chlorate)	
9.	Number of packages	
10.	Description and quantity of arms forming part of the consignment for which the licence is sought	
11.	Description and quantity or weight of ammunition forming part of the consignment for which the licence is sought	
12.	Port of Import	
13.	Port of Export	
14.	Port of Export and Re-Import	
15.	Port of Import and Re-Export (with route of transport)	
16.	In case of Import by sea or air, place where articles imported are to be deposited	
17.	Place of dispatch and route of consignment to be exported	
18.	Place of destination and route of consignment to be imported	
19.	Estimated time likely to be taken for the shipment/journey	
20.	Name, description and address of consignee for import/export	

Declaration:

I, _____, the proprietor/partner/director/ responsible person of _____ (the company), hereby declare that the above particulars given in the application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, I personally as well as the company are liable to be proceeded against and action taken under the relevant provisions of the Arms Act, 1959, the Arms Rules, 2016, and other central enactments or the law for the time being in force.

Signature of the applicant

Place _____

Date _____

Warning:

Suppression of any factual information or furnishing of any false or wrong information in the Application Form in violation of arms rules will render the applicant liable for punishment under Section 30 of the Arms Act, 1959.

FORM A -11**Form of application for journey licence in Form XI for carrying of arms and ammunition**

Application for Journey Licence		
1.	Name	
2.	Parent/Spouse Name	
3.	UIN	
4.	Address as per licence in Form III	
	Mobile No.	
5.	Licence No.	
6.	Validity of the licence up to	DD/MM/YYYY
7.	Area validity as per licence in Form III	
8.	Mode of Journey (Road/Rail/Air)	
9.	Names of States likely to be visited during the journey	
10.	Period which the journey is likely to occupy	
11.	Description of arms endorsed on licence which the applicant wishes to carry during journey	Weapon Type – Weapon Number –
12.	Description of ammunition endorsed on licence which the applicant wishes to carry during journey	

Declaration:

I hereby declare that the above particulars given in the application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, I am liable to be proceeded against and action taken under the relevant provisions of the Arms Act, 1959, the Arms Rules, 1962, and other central enactments or the law for the time being in force.

Signature /Thumb - impression of applicant

Place

Date

FORM A -12**Form of application for transport licence in Form XII**

(See rule 96)

Application for Transport Licence		
1.	Consignor details (Manufacturer/Dealer etc.)	
	UIN	
	Address as per licence	
	Licence No.	
	Validity of the licence up to	DD/MM/YYYY

2.	Consignee details	
	UIN	
	Address as per licence	
	Licence No.	
	Validity of the licence up to	<i>DD/MM/YYYY</i>
3.	Place of dispatch	
4.	Place of destination	
5.	Mode of transport (Road/Rail/Air)	<i>By hand personally</i>
6.	Names of States likely to be covered during transportation	
7.	Probable period of transportation	<i>Maximum three months</i>
8.	Description of arms to be transported	Weapon Type – Weapon Number –
9.	Description of ammunition to be transported	
10.	Details of the previous sanction of the concerned authority required under Rule 98	

Declaration:

I hereby declare that the above particulars given in the application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, I am liable to be proceeded against and action taken under the relevant provisions of the Arms Act, 1959, the Arms Rules, 2016, and other central enactments or the law for the time being in force.

Signature /Thumb - impression of the applicant

Place

Date

FORM A -13

**Form of application for an arms licence in Form XIV for
transporter's licence**

(See rule 101)

1.	Name of the applicant	
2.	Nomenclature Individual/Company	
3.	Date of inception of transportation business	
4.	Registered Office Address	
	Telephone	
	Mobile No.	
	E-mail	
5.	Name of the responsible person	
6.	Description of firearms to be transported	
7.	Description of ammunition to be transported	
8.	Number of branch offices or representative offices in India	
9.	Number of employees engaged in transportation business	
10.	Particulars of the fleet maintained by the transporter	

Declaration:

I, _____, the Proprietor/partner/director/responsible person of _____ (company name), hereby declare that the above particulars given in the application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, I personally as well as the company are liable to be proceeded against and action taken under the relevant provisions of the Arms Act, 1959, the Arms Rules, 2016, and other central enactments or the law for the time being in force.

Place _____

Date _____

Signature of the applicant

FORM A -14**Form of application for a licence in Form XV for firearm free zone**

(See rule 46)

1.	Name of the applicant	
2.	Nomenclature Individual/Company/Others	
3.	Date of inception of business	
4.	Nature of business or activity carried out	
4.	Address	
	Telephone	
	Mobile No.	
	E-mail	
5.	Name of the responsible person in case the applicant is a company	
6.	Description of the Area to be declared as Firearm Free Zone (enclose site plan and mark in red the area to be declared as firearm free zone)	
7.	Reasons for applying for the premises to be declared as fire-arm free zone	1. 2. 3.
8.	Number of surveillance staff employed at the premises to be declared as firearm free zone	

Declaration:

I, _____, the proprietor/partner/director/responsible person of _____ (company name), hereby declare that the above particulars given in the application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, I personally as well as the company are liable to be proceeded against and action taken under the relevant provisions of the Arms Act, 1959, the Arms Rules, 2016, and other laws for the time being in force.

Place _____

Date _____

Signature of the applicant

SUPPLEMENTARY FORMS**Form B-1****Application for registration with an outside licensing authority***(see rule 17)***Part A**

IDENTITY OF THE APPLICANT		
1.	UIN	
2.	Name	
3.	Parent/Spouse Name	
4.	Place of birth (Nativity)	
5.	Date of birth in Christian era	
	in figures DD/MM/YYYY	
	In words	
6.	Present Address	
	Telephone (Office/Residence)	
	Mobile No.	
	E-mail	
	Nearest Police Station	
7.	Address as appearing on the licence	
	Nearest Police Station	
8.	Occupation	
9.	Period of stay in the local jurisdiction	

Part B

Existing licence particulars and weapon endorsements				
10.	Licence Number			
11.	Issuing Authority			
12.	Last Renewing Authority			
13.	Date of expiry			
14.	Area Validity			
15.	Weapons Endorsed	Weapon 1	Weapon 2	Weapon 3
	Type [Rifle/Shot Gun/Hand Gun (Rev/Pistol)]			
	Bore			
	Weapon Number			

16.	Ammunition allowed	Cartridges Gun Powder/ Percussion Caps	
17.	Mention restriction on sale of weapon, if any		
18.	Details of additional licensees under rule 20, if any		
	<u>Additional Licensee No.1</u>		
	Name		
	Father's/Spouse Name		
	Licence No.		
	<u>Additional Licensee No. 2</u>		
	Name		
	Father's /Spouse Name		
	Licence No.		

Part C

OTHER PARTICULARS OF THE LICENSEE		
19.	Whether the licensee, since the last renewal/issuance of licence has been –	
(a)	convicted – if so, the offence (s), the sentence and date of sentence	
(b)	ordered to execute a bond under Chapter VIII of Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) for keeping the peace or for good behavior - if so, – when and for what period	
(c)	prohibited under the Arms Act, 1959, or any other law from having the arms/ammunition	
20.	Whether -	
(a)	the applicant's licence since last renewal/issuance was ever suspended or cancelled / revoked - if so, when and by whom and on what account	
(b)	any other member of the applicant's family is in possession of any arms licence, if so, particulars thereof (other than additional licenses vide para 18)	
(c)	the applicant has a safe place to keep the arms	

Declaration:

I hereby declare that the above particulars given in the application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, I am liable to be proceeded against and action taken under the relevant provisions of the Arms Act, 1959, the Arms Rules, 2016, and laws for the time being in force.

Signature /Thumb - impression of applicant

Place

Date

Warning:

Suppression of any factual information or furnishing of any false or wrong information in the Application Form in violation of arms rules will render the applicant liable for punishment under Section 30 of the Arms Act, 1959.

Form B-2**Application for allied services related to licences issued****in Form II, III and IV****Part A**

IDENTITY OF THE LICENSEE				
1.	Name of the licensee			
2.	Parent/Spouse Name			
3.	Present Address			
		<i>District</i>	<i>State</i>	
	Telephone Number	<i>Office</i>	<i>Residence</i>	
	Mobile Number			
	Nearest Police Station			
4.	UIN			
5.	Licence Number Date of Expiry	<i>DD/MM/YYYY</i>		
6.	Area validity of the licence			
7.	Firearms endorsed on the licence	Weapon 1	Weapon 2	Weapon 3
	Type (<i>Rifle/Shot Gun/Hand Gun</i>)			
	Bore/Caliber			
	Weapon Number			

Part B

Acquisition of a Firearm	
1.	Type of firearm to be acquired (<i>Rifle/Shot Gun/Hand Gun/Others</i>)
2.	Reason for acquisition of firearm
3.	Claims for special consideration for acquisition of additional firearm

Part C

Endorsement of firearms on the licence (see rule 18)		
A	Acquisition of firearm	
(a)	Validity of permission to acquire	DD/MM/YYYY
(b)	Date of acquisition of firearm	DD/MM/YYYY
B	Acquisition from manufacturer or arms dealer	
(a)	Name of the vendor	
(b)	UIN of the vendor	
(c)	Invoice number	
(d)	Invoice date	DD/MM/YYYY
C	Acquisition from another licensee	
(a)	Name of the transferor licensee	
(b)	Parent/Spouse Name	
9	UIN	
10	Licence number	
11	Validity period of licence	DD/MM/YYYY
12	Details of permission to sell obtained by transferor	DD/MM/YYYY
	Name of the licensing authority	
	Reference No.	
	Date	DD/MM/YYYY
	Expiry date (if any)	DD/MM/YYYY
D	Details to be furnished in case acquisition of firearm is made from any place not covered under the area validity of the licence of the applicant	
13	Reference No. of NOC issued by the licensing authority under rule 98	
	Date of NOC	DD/MM/YYYY
	Validity of NOC	DD/MM/YYYY
14	Transport Licence Number Issued in Form XII	
	Name of the issuing authority of transport licence	
	Date of transport licence	DD/MM/YYYY
	Validity period of transport licence	DD/MM/YYYY

E	Details of firearms to be endorsed	
15	Type of firearm <i>(Hand Gun/Shot Gun/Rifle)</i>	
	Make of firearm	
	Caliber/bore	
	Serial Number of firearm	
List of documents to be enclosed		
1	Original Invoice (refer Para B)	
2	Sale confirmation from the transferor licensee (refer Para C)	
3	No objection certificate and transport licence (refer Para D)	
4	Coloured photograph of the firearm acquired showing the serial number of the firearm (refer Para E)	
<i>Note: The licensing authority may require the licensee to get the physical inspection of the firearm before endorsement of the same on the licence.</i>		

Part D

Permission to sell or transfer firearm or ammunition under section 5 of the Arms Act, 1959		
1.	Details of firearm to be sold or transferred	
	Type of firearm <i>(Rifle/Shot Gun/Hand Gun)</i>	
	Bore/Caliber	
	Weapon Number	
2.	Details of ammunition to be sold or transferred	
	Bore/caliber of ammunition	
	Quantity of ammunition	
3.	Reason for sale or transfer of firearm or ammunition <i>(defective condition of the firearm/ economic reason /any other reason)</i>	
4.	Particulars of the purchaser or transferee to whom the firearm or ammunition is to be sold or transferred	
	If to be sold or transferred to another licensee	
(a)	Name of the prospective buyer or transferee	
(b)	Address of the prospective buyer or transferee	
(c)	UIN	
(d)	Licence Number	
(e)	Validity of licence	<i>DD/MM/YYYY</i>

(f)	Validity of purchase period	<i>DD/MM/YYYY</i>
	If to be sold to an authorised arms and ammunition dealer	
(a)	Name of the dealer	
(b)	Address of the dealer	
(c)	UIN	
<i>This may be treated as the mandatory notice under clause (b) of sub-section (2) of section 5 of the Arms Act, 1959</i>		

Part E

Deletion of Firearms or Ammunition from the licence		
1.	Detail of firearm sold or transferred	
	Type of firearm (Rifle/Shot Gun/Hand Gun)	
	Bore/Caliber	
	Weapon Number	
2.	Details of ammunition sold or transferred	
	Bore/caliber of ammunition	
	Quantity of ammunition	
3.	Details of permission to sell granted	
	Reference Number	
	Date	<i>DD/MM/YYYY</i>
4.	Particulars of the purchase or transferee	
(a)	In case sold to an arms dealer	
	Name and address of the arms and ammunition Dealer	
	UIN	
	Serial No. of certificate of acquisition	
	Date of the certificate of acquisition	<i>DD/MM/YYYY</i>
(b)	In case sold to another licensee	
5.	Name of the purchaser or transferee	
	UIN	
	Licence number	

	Validity of licence	
	Validity of permission to acquire possessed by the transferee	DD/MM/YYYY
List of documents to be enclosed		
1. Acquisition certificate of the arms dealer; or		
2. Written confirmation from the purchaser or transferee along with the signed copy of his licence		

Part F

Extension of time limit for acquisition of firearm (see rule 18)		
1	Date of grant of permission to acquire firearm	DD/MM/YYYY
2	Date of expiry of permission to acquire firearm	DD/MM/YYYY
3	Period of validity of the licence	DD/MM/YYYY
4	Reasons for not been able to acquire the firearm within the stipulated period	
5	Details of the firearm to be acquired for which extension is being sought	
6.	Any other claims for special consideration	

Declaration:

I hereby declare that the above particulars given in the application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, I am liable to be proceeded against and action taken under the relevant provisions of the Arms Act, 1959, the Arms Rules, 2016, and other laws for the time being in force.

Signature /Thumb - impression of applicant

Place

Date

Warning:

Suppression of any factual information or furnishing of any false or wrong information in the Application Form in violation of arms rules will render the applicant liable for punishment under Section 30 of the Arms Act, 1959.

Form B-3**Application for addition/deletion of retainer**

(See rule 22)

For companies <i>To be filled in separately for every addition or deletion</i>		
1.	Name of the licensee company	
2.	UIN	
3.	Licence number	
4.	Validity of the licence	DD/MM/YYYY
5.	Details of weapons endorsed on the licence	1. 2. 3.

6.	Retainer details	
(a)	Name of the retainer	
(b)	Parent/Spouse Name	
(c)	Date of birth	DD/MM/YYYY
(d)	Date since employed with the organisation	DD/MM/YYYY
(e)	Present address	
(f)	Nearest Police Station	
(g)	Tele/Mobile Number(s)	
(h)	Permanent address	
(i)	Nearest police station	

Date_____

(Signature the licensee)_____
(Signature the retainer)**Form B-4****Application for additional licensees under licence in Form III***(See rule 20)**(to be filed along with Form A-1)***Part A**

IDENTITY OF THE PARENT LICENSEE			
1.	Name of the licensee		
2.	Parent/Spouse Name		
3.	Present address		
		<i>District</i>	<i>State</i>
	Telephone Number	<i>Office</i>	<i>Residence</i>
	Mobile Number		
	Nearest Police Station		
4.	UIN		
5.	Licence number		
	Date of expiry	DD/MM/YYYY	
6.	Area validity of the licence		

7.	Firearms endorsed on the licence	Weapon 1	Weapon 2	Weapon 3
	Type (Rifle/Shot Gun/Hand Gun)			
	Bore/Caliber			
	Weapon Number			

Part B

IDENTITY OF THE FIRST ADDITIONAL LICENSEE				
1.	Name of the first additional licensee			
2.	Parent/Spouse Name			
3.	Relationship with parent licensee			
4.	Present Address			
		District	State	
	Telephone Number	Office	Residence	
	Mobile Number			
	Nearest Police Station			
5.	Firearms to be endorsed on the additional licence	Weapon 1	Weapon 2	Weapon 3
	Type (Rifle/Shot Gun/Hand Gun)			
	Bore/Caliber			
	Weapon number			

Part C

IDENTITY OF THE SECOND ADDITIONAL LICENSEE				
1.	Name of the second additional licensee			
2.	Parent/Spouse Name			
3.	Relationship with parent licensee			
4.	Present Address			
		District	State	
	Telephone Number	Office	Residence	
	Mobile Number			
	Nearest Police Station			
5.	Firearms to be endorsed on the Additional Licence	Firearm 1	Firearm 2	Firearm 3

	Type (Rifle/Shot Gun/Hand Gun)			
	Bore/Caliber			
	Number			

Declaration –

I, hereby declare that, the person(s) being appointed as additional licensee reside with me at the my registered address as mentioned in my licence in Form III and fall within the definition of close relatives as given under rule 20. In case any of the additional licensees shifts temporarily or permanently from my premises, it will be my responsibility to furnish the information to the licensing authority for cancellation of the licence of such additional licensee.

Place

(Signature of the parent licensee)

Date

Form S-1

Standard format of training certificate

[See rule 10(1)]

To

The Licensing Authority,

Training Certificate

This is to certify the person whose particulars are furnished below has completed the training as stipulated under rule 10(1) of the Arms Rules, 2016 –

1	Name of the person	
2	Father's Name/Spouse Name	
3	Residential address	
4	Age and date of birth	
5	Training period undergone	From __/__/__ To __/__/__
6	Details of firearms for which training has been imparted (please specify)	1. Handguns 2. Rifle 3. Shotguns 4. Air weapons
7	Purpose of training (please specify)	1. Application for arms licence 2. Employ with arms dealer 3. Employ with manufacturer 4. Others

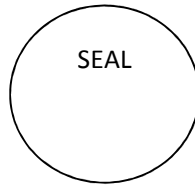
The training curriculum included the following modules:

- basic arms and ammunition safety practices, including safe handling and carry procedures;
- firing techniques and procedures;
- care of arms and ammunition;
- safe storage and transportation of arms and ammunition.

The person named above was also imparted reasonable working knowledge of important provisions of the Arms Act, 1959 and Arms Rules, 2016 relevant to him and made to understand responsibilities of the arms owner or user, particularly in relation to children.

Date

Place



Signatures of the

Certifying Person

Form S-2

Standard format of undertaking for safe storage of firearms

[See rule 10(4)]

To

The Licensing Authority,

Undertaking

This is to solely affirm and declare that –

1. I have applied for grant of a new arms licence/renewal of arms licence (bearing number _____ and my UIN is _____)
2. I undertake to practice safe storage of the firearm (in knocked down condition) when I am not carrying the firearm(s) with me.
3. I undertake to educate the children about the dangers of interacting with arms and ammunition.
4. I have the capacity to store the firearm safely and securely in a safe or steel almirah in order to minimize the risk that it could be stolen or accessed by someone else.

It is hereby solely affirmed that the declaration made above is true to the best of my knowledge and belief and if at any subsequent date, if any of the said declarations is found false or incorrect, I shall be liable for the same including cancellation or revocation of my licence and subject to penal provisions under the Arms Act, 1959.

Place:

(Signatures of the Applicant/Licensee)

Date:

Note: Enclose proof of safe storage as mentioned at S.No. 4

Form S-3**Standard format of medical certificate***[See clause (g) of sub-rule (4) of rule 11)]**(On the letter head of the medical practitioner)*

This is to certify that I have carefully examined the person whose particulars are furnished below –

1	Name of the person examined	
2	Father's Name/Spouse Name	
3	Residential address	
4	Age and date of birth	
5	Height	
6	Weight (in Kgs)	
7	Blood pressure (please specify)	
8	Deformity, if any (particularly in upper limbs)	
9	Any other observation	

On the basis of examination, it is certified that the person examined as mentioned in column 1 above –

1. is in good physical health and is free from any physical deformity;
2. has been found to be of stable mental condition and is not inclined to violence;
3. has been found not dependent on any substance which has an intoxicating or narcotic effect.

Signature of the person examined *named in column (1)* _____

Signature of the medical practitioner _____

Registration Number _____

SEAL

Form S-4**Standard format of police report***(See rule 14)***DRAFT COVERING LETTER****Office of the DM/Commissioner of Police**

Ref. No. _____

Date : _____

To

The Station House Officer,

Police Station _____,

_____.

Sub. : Report under section 13(2) of Arms Act, 1959 of the officer in charge of the nearest police station (of present address of the applicant) on application for grant of arms license or renewal of an arms licence

S.No.	Particulars	Contents
1	Name of the applicant	Mr./Mrs./Messrs
2	Nature of licence applied for (fresh applications)	
3	Licence No. (renewal application)	
4	Address of the applicant	

Note: As per provisions of Section 13(2) of Arms Act, 1959, on receipt of an application, the licensing authority shall call for the report from the officer-in-charge of the nearest police station on the application and such officer shall send his report within the prescribed time. Accordingly the report be sent in the format attached here within 30 days.

For DM/CoP

Enclosures:

Copy of application form (original)/renewal form along with enclosures

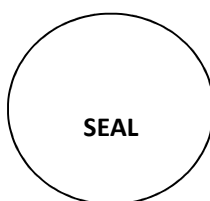
ANTECEDENT VERIFICATION REPORT*(TO BE FILLED IN BY THE POLICE DEPARTMENT)*

1.	Name of the applicant		
2.	Father/Spouse Name		
3.	Present address		
	Nearest police station of the present address		
4.	Whether the applicant has ever been convicted?	Yes	No
(a)	If so, the offence(s) the sentence and date of sentence		
	Ordered to execute a bond under Chapter VII of Code of Criminal Procedure, 1973 (2 to 1974) for keeping the peace or for good behavior.	Yes	No
(b)	If so, when and for what period?		
	Prohibited under the Arms Act, 1959, or any other law from acquiring, having in his possession or carrying any arms or ammunition		
(c)	If yes, the details thereof		
5.	Has the applicant any serious enmity or quarrel which is likely to lead to a breach of peace? If yes, Give details	Yes	No
6.	Has the address and date of birth of the applicant been verified? Give details.	Yes	No
7.	Has the profession/business of the applicant been verified? Give details.	Yes	No
8.	Is any complaint registered against applicant in the Police Station? If so, give details.	Yes	No

9.	Is the applicant involved in any criminal case? If so, give details.	Yes	No
10.	Has applicant been arrested in any criminal case? If so, give details.	Yes	No
11.	Is applicant's name enlisted in police station's bad character register? If so, give details according to the records of police station?	Yes	No
12.	Is applicant's name appears in any case registered by other department of Government of India such as CBI, Narcotics Control Bureau, DRI, Enforcement Directorate etc. which finds mention in the Daily Diary Register of the police station (summons, warrants etc.). If so, give details.	Yes	No
13.	Has the applicant registered a complaint in Police Station regarding threat to life? If so, give details.	Yes	No
14.	Detail of any political or communal organisation of which the applicant is a member.		

Certified that, I have checked the contents of the application form for grant of arms licence submitted by the applicant.

Dated:



Signatures
SHO
Police Station

SCHEDULE IV
(See rule 27)
Table A
Fees payable for licences

PART I LICENCES ISSUED UNDER SECTION 3 FOR ACQUISITION AND POSSESSION				
Sr. No.	Licence Form No.		Licence Fee at the time of grant of licence ((in Rs.)	Renewal fee for each subsequent year (in Rs.)
1	2		3	4
1.	I		2000	1000

2.	II		1000	1000
3.	III, IV, V			
	(a)	Handguns – Revolvers/Pistols (both restricted or permissible)	1000	500
	(b)	Centre fire rifles (semi-automatic) and any other restricted firearm of category I(b) or I(c)	1000	1000
	(c)	Breach loading centre fire rifles (not semi-automatic)	1000	500
	(d)	.22 bore rim-fire Rifles (including semi-automatic)	1000	500
	(e)	Smooth bore breech loading shotguns (including semi-automatic)	1000	500
	(f)	Air Weapons including air rifles and air guns having muzzle energy exceeding 20 joules or 15 ft-lbs. or bore exceeding 0.177" or 4.5 mm Firearm replicas Electronic disabling devices having firing range of less than 15 feet Paint ball markers or guns Blank firing firearms Muzzle Loading (ML) Guns Accessories for any firearms designed or adapted to diminish the noise or flash caused by the firing thereof	1000	500
	(g)	Sword, bayonet, dagger and spear lance.	500	100
	(h)	Weapons of category V of Schedule I other than those mentioned in (g)	500	100
PART II OTHER TYPES OF LICENCES				
Sr. No.	Form No.		Licence Fee at the time of grant of licence (in Rs.)	Renewal fee for each subsequent year wherever applicable (in Rs.)
1	2		3	4
4.	III-B	Permits to retainers of companies (for each entry of addition/deletion)	1000	N/A
5.	V-B	Permits to members of rifle associations/clubs	—	N/A
6.	VI	Temporary export/import licences to tourists/sports persons / others (for each firearm)	1000	N/A
7.	VII	Manufacture and Proof Test (as per the licensed capacity)	Rs. 500 per firearm	N/A
8.	VII-A	Manufacture of Category V arms of Schedule I (as per the licensed capacity)	Rs. 200 per arm	N/A
9.	VII-B	Manufacture of replica of firearms including of antique muzzle loading weapons and air weapons including air rifles/ air guns (as per the licensed capacity)	Rs. 200 per arm	N/A

10.	VII-C	Manufacture of air weapons	Rs. 100 per air weapon	N/A
11.	VIII	Arms and ammunition dealers	2000	1000
12.	VIII-A	Air Weapons Dealers	1000	500
13.	IX	Gunsmiths (for conversion and major repairs)	5000	2000
14.	IX-A	Gunsmiths (for carrying out minor repairs)	2000	1000
15.	X	Composite Import/Export licence for arms and ammunition (for each firearm)	1000	N/A
16.	XI	Journey licence (for each firearm)	500	N/A
17.	XII	Transport licence -		
		<u>Arms and ammunition (for individuals)</u> (for each firearm)	500	N/A
		<u>Arms and ammunition (for dealers and manufacturers)</u> (for a single consignment or maximum three part consignments with in a period of 3 months under the same Transport Licence)	2000	N/A
Sr. No.	Licence Form No.		Licence Fee at the time of grant of licence (in Rs.)	Renewal fee for each subsequent year wherever applicable (in Rs.)
1		2	3	4
18.	XIII	Transport licence for proof testing (for each consignment)	10000	N/A
19.	XIV	Transporter's licence	10000	2000
20.	XV	For Import and Transportation for Govt. of Nepal		
		(for each firearm)	500	N/A-

Table B**Fee for allied services**

S.No.	Licence Form	Particulars of service	Fee Amount (Rs.)
1	2	3	4
1.	III	Registration with outside licensing authority under rule 17(1)	500
2.	III	Addition/deletion of retainer under rule 22 (for companies)	500
3.	All	Change of address within the existing licensing authority under rule 17(3)	500
4.	II, III, IV	Endorsement of firearm under rule 18 (for each firearm)	500
5.	II, III, IV	Addition/deletion of firearm (for each firearm)	500

6.	II, III, IV	Transfer of firearms(s) to legal heir under rule 25 (<i>for each firearm</i>)	1000
7.	II, III, V	Change of particulars of 'responsible person' under rule 22(4) by companies	1000
8.	All	Correction of information in licence under rule 33	500
9.	All	Grant of NOC under rule 98	500
10.	II,III,IV,V	Licence book	100
11.	All	Any other service not mentioned above	500

SCHEDULE V

(See rule 16)

**Prescribed time limits for various services under the rules for
licensing authorities under Schedule II**

S.No.	Nature of Service	Rule No.	Prescribed Time Period
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Police Verification	14	30 days of the receipt of application
2	Grant or refusal of a licence	13	60 days of the receipt of police report under rule 13
3	Grant or refusal of additional licence	20	30 days of the receipt of police report under rule 13
4	Renewal of licence	24	30 days of the receipt of police report under rule 13
5	Endorsement of arms or ammunition on licence	18	7 days of the receipt of application of endorsement of weapon
6	Registration of licensee by an outside licensing authority	17	15 days of the receipt of application of registration by the new licensing authority
7	Addition/Deletion of weapon	18	7 days of the receipt of application
8	Permission to sell a firearm	-	3 days of the expiry of stipulated period under Section 5
9	Extension of area validity of licence	19	15 days of the receipt of application by the competent authority under Schedule II
10	Change of Address	17	15 days of the receipt of application of registration by the licensing authority
11	Addition/deletion of retainer of companies	22	7 days of the receipt of application
12	Grant of journey licence	-	2 Working days of the receipt of application
13	Grant of transport licence	96	2 Working days of the receipt of application
14	Grant of NOC	98	2 Working days of the receipt of application
15	Issuance of duplicate booklet	28	7 days of the receipt of application
16	Disposal of Appeals	108	60 days of the receipt of appeal
17	Any other service not defined above		7 days of the receipt of application

[No. V-11026/104/2014-Arms (Vol. III)]

MUKESH MITTAL, Jt. Secy.